RPSC 2026

राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा

राजव्यवस्था
POLITY

NODIA

खंड-4

भाग-I : भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन

भाग-II : राजस्थान की राजनीतिक एंव प्रशासनिक व्यवस्था

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR for Demo PDF

GET ALL STUDY MATERIAL IN ONE APP!

- Textbooks
- Previous Year Chapterwise Question Banks
- 30 Sets Sample Papers
- Worksheets

FREE!

DOWNLOAD NOW!

SCAN & DOWNLOAD

GET IT ON Google Play

राजस्थान लोक सेवा आयोग

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्रारंभिक परीक्षा 2026
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान

खंड 4

राजव्यवस्था

भाग I : भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन
भाग II : राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार

NODIA

Downloaded from www.pdf.tube

RPSC प्रारंभिक परीक्षा खंड 4
Edition April 2026
Published by :NODIA
An Imprint of NODIA EDITIONS LLP

Information contained in this book has been obtained by author, from sources believes to be reliable. However, neither NODIA nor its author guarantee the accuracy or completeness of any information herein and NODIA nor its author shall be responsible for any error, omissions, or damages arising out of use of this information. This book is published with the understanding that NODIA and its author are supplying information but are not attempting to render engineering or other professional services.

© NODIA EDITIONS LLP

MRP ₹510.00

This book is available on amazon and flipkart only and not available in market.

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9001005245
email : mail@nodia.in

विषय-सूची

भाग I : भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन

अध्याय 1.	संविधान का निर्माण, प्रस्तावना एवं नागरिकता	9
अध्याय 2.	मौलिक अधिकार	33
अध्याय 3.	राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व एवं मौलिक कर्तव्य	56
अध्याय 4.	संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल	80
अध्याय 5.	संसद : लोकसभा एवं राज्यसभा	104
अध्याय 6.	संघीय न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन	128
अध्याय 7.	संघ-राज्य संबंध	151
अध्याय 8.	आपातकालीन प्रावधान	174
अध्याय 9.	स्थानीय स्वशासन : पंचायती राज एवं नगरीय निकाय	199
अध्याय 10.	संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय	222
अध्याय 11.	लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण	246
अध्याय 12.	सतर्कता एवं जवाबदेही	271

भाग II : राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

अध्याय 13.	संवैधानिक कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	297
अध्याय 14.	राजस्थान विधानसभा	321
अध्याय 15.	राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	356
अध्याय 16.	मुख्य सचिव एवं राज्य सचिवालय	381
अध्याय 17.	क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन	405
अध्याय 18.	पुलिस प्रशासन : पुलिस अधीक्षक एवं कानून प्रवर्तन	430
अध्याय 19.	सांविधिक जवाबदेही निकाय	453
अध्याय 20.	स्थानीय स्वशासन : पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन	479

****

Click Here to Buy book on Amazon

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा

—:परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमः—

दिनांक 09.01.2026

प्रारम्भिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न—पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 200 अंको का होगा।

परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्नपत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा, जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किये गये हो, प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंको को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

NODIA

विषय	अधिकतम अंक	समय
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान	200	तीन घण्टे

नोटः—

1. प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे व सभी प्रश्न समान अंक के होंगे।
2. मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।

राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत

- राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल – पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक और कांस्य युग, प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति
- राजस्थान इतिहास के स्रोतः पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक और मुद्राशास्त्रीय
- राजस्थान के मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था
- 18वीं–19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन और जन जागृति, राजस्थान का एकीकरण
- राजस्थान की स्थापत्य परंपराएँ – मंदिर, किले, महल, स्मारक,मानव निर्मित जलाशय, चित्रकला और हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियाँः प्रदर्शन कलाएँः लोक नृत्य और नाटक, संगीत (शास्त्रीय और लोक) और वाद्ययंत्र
- भाषा एवं साहित्यः राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, धार्मिक जीवनः राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएँ
- राजस्थान में सामाजिक जीवनः मेले और त्यौहार; सामाजिक रीति–रिवाज और परंपराएँ, वेशभूषा और आभूषण
- राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व

भारत का इतिहास

प्राचीनकाल एवं मध्यकाल :–

- भारत के सांस्कृतिक आधार – सिंधु और वैदिक युगः छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार – आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म।
- मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की उपलब्धियाँः मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल।
- प्राचीन भारत में कला एवं स्थापत्य कला एवं वैज्ञानिक विकास
- भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्थाः वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन एवं शिक्षा व्यवस्था।
- सल्तनत कालः प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ।
- मुगल कालः प्रशासन एवं विभिन्न नीतियांः मराठा
- मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत का विकास।
- धार्मिक आंदोलन और भक्ति एवं सूफी आंदोलन का योगदान।

आधुनिक काल (प्रारम्भिक 19वीं शताब्दी से 2000 तक) :–

- ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध – मराठा, मैसूर, सिख।
  1857 का विद्रोह।
  ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ। राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक–धार्मिक आंदोलन।
- स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन– विकास, चरण और प्रमुख घटनाएँ। क्रांतिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर।
- स्वातंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण (2000 तक), राज्य पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, योजना एवं आर्थिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास

Downloaded from www.pdf.tube

विश्व एवं भारत का भूगोल

विश्व का भूगोल :–

- भौतिक स्वरूपः– पर्वत, पठार, मैदान एवं मरूस्थल
- प्रमुख नदियाँ एवं झीलें
- प्राकृतिक वनस्पति
- कृषि : प्रकार, वितरण तथा प्रमुख फसलें
- प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग
- परिवहन तन्त्र
- पर्यावरणीय मुद्दे – मरूस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन), ओजन अवक्षय

NODIA

भारत का भूगोलः–

- भौतिक विभाग
- जलवायु
- प्रमुख नदियाँ एवं झीलें
- सिंचाई
- कृषि : प्रमुख फसलें
- खनिजः धात्विक और अधात्विक
- प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग

राजस्थान का भूगोल

- राजस्थानः– अवस्थिति, विस्तार तथा भौतिक विभाग
- नदियाँ एवं झीलें
- जलवायु की विशेषताएं
- प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता तथा संरक्षण
- मृदा
- कृषि
- पशुधन
- सिंचाई
- जनसंख्या– वृद्वि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात
- नगरीकरण
- जनजातियाँ
- खनिज– धात्विक एवं अधात्विक
- पर्यटन

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन

- संविधान का निर्माण, उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
- संघीय सरकार– कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
- संघ राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार
- निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नीति आयोग
- लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली
- लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य न्यायिक निकाय, महाधिवक्ता
- मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप–खण्ड अधिकारी, तहसीलदार
- राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्व मंडल, लोकायुक्त
- राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं का प्रशासन

आर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

- आर्थिक संवृद्धि और विकास। पर्यावरण क्षरण और सतत् विकास।
- विकास के मापक– पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक।
- आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका। भारत सरकार का नवीनतम बजट और संसाधन संग्रहण।
- राजकोषीय संघवाद– केन्द्र– राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग।
- कृषिगत विकास– संस्थागत और तकनीकी पहलू। भारतीय कृषि में सुधार–चुनौतियां और सरकारी पहल।
- औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप, नीति और औद्योगिक सुधार– उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
- आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका– चुनौतियां और अवसर। ऊर्जा, परिवहन और संचार।
- कौशल विकास और रोजगार संवर्द्धन– कार्यक्रम और नीतियां। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

- अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य और राज्य बजट।
- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, मुद्दे और सरकारी पहल।
- आधारभूत संरचना का विकासः ऊर्जा, परिवहन और संचार।
- ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग।
- मूलभूत सामाजिक सेवाएं– शिक्षा और स्वास्थ्य।
- राजस्थान सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व।
- कम्प्यूटर्स; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
- रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के विशेष संदर्भ में।
- वंशागति एवं विभिन्नता; अनुवांशिक–अभियांत्रिकी; जैव–प्रौद्योगिकी एवं नैनो–प्रौद्योगिकी।
- मानव स्वास्थ्य देखभाल; आहार एवं पोषण; रोग एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनका प्रभाव मूल्यांकन।
- जैव–विविधता; प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संतत् विकास।
- राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि–विज्ञान, उद्यान–विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन।
- राजस्थान तथा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां।
- अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।

Click Here to Buy book on Amazon

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता

तार्किक दक्षता (निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक):–

- कथन एवं मान्यताएं
- कथन एवं तर्क
- कथन एवं निष्कर्ष
- कथन–कार्यवाही
- विश्लेषणात्मक तर्कक्षमता / विवेचनात्मक तर्कक्षमता

मानसिक योग्यता :–

- संख्या / अक्षर अनुक्रम
- कूटवाचन (कोडिंग–डीकोडिंग)
- संबंधों से संबंधित समस्याएं
- दिशा ज्ञान परीक्षण
- तार्किक वेन आरेख
- रैंकिंग एवं बैठक व्यवस्था
- आकार और उनके उपविभाजन

आधारभूत संख्यात्मक दक्षता :–

- अनुपात–समानुपात तथा साझा, लाभ एवं हानि
- प्रतिशत
- साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज
- समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र
- आंकडों का विश्लेषण (सारणी, दण्ड–आरेख, रेखीय आलेख, पाई–चार्ट)
- माध्य (समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक), माध्यिका एवं बहुलक
- क्रमचय एवं संचय
- प्रायिकता (सरल समस्याएं)

समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

- महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान और प्रासंगिक समकालीन मुद्दे
- कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाएँ, कार्यक्रम और पहल
- प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम
- खेल और क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं उपलब्धियाँ
- प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन और प्रतिष्ठित लेखक
- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

अजमेर **मुख्य परीक्षा नियंत्रक**

दिनांक 09.01.2026

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 01
संविधान का निर्माण, प्रस्तावना एवं नागरिकता

1. निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था?
(1) महात्मा गांधी
(2) एम. एन. राय
(3) जवाहरलाल नेहरू
(4) सरदार वल्लभभाई पटेल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. संविधान सभा की मांग के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी।
कथन II: ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1942 के क्रिप्स मिशन के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (घटना)
A. कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की पहली आधिकारिक मांग
B. अगस्त प्रस्ताव
C. क्रिप्स मिशन
D. कैबिनेट मिशन योजना
सूची II: (वर्ष)
i. 1940
ii. 1946
iii. 1935
iv. 1942
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. निम्नलिखित में से किस घटना ने सीधे तौर पर क्रिप्स मिशन की विफलता और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को प्रेरित किया?
(1) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों को पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता देने से स्पष्ट इनकार।
(2) भारतीय उपमहाद्वीप को कई स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित करने का विवादास्पद प्रस्ताव।
(3) अलग राज्य के प्रावधानों की कमी के कारण मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकृति।
(4) कांग्रेस द्वारा डोमिनियन स्टेटस को अस्वीकार करना और तत्काल सत्ता हस्तांतरण का अभाव।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पहल ने औपचारिक रूप से दो संविधान सभाओं और पाकिस्तान के एक अलग राज्य के विचार को खारिज कर दिया था, हालांकि इसने ऐसी योजना प्रस्तावित की जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया?
(1) 1940 का अगस्त प्रस्ताव
(2) 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव
(3) कैबिनेट मिशन योजना
(4) 1947 की माउंटबेटन योजना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था।
II. संविधान सभा के सदस्य भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे।
III. रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II
(3) केवल I और III
(4) केवल II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
(1) लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस
(2) सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
(3) ए. वी. अलेक्जेंडर
(4) लॉर्ड वेवेल

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (कैबिनेट मिशन सदस्य)
A. लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस
B. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
C. ए. वी. अलेक्जेंडर
D. लॉर्ड वेवेल
सूची II: (विभाग/भूमिका)
i. बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष
ii. एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड
iii. भारत के वायसराय (सदस्य नहीं लेकिन शामिल थे)
iv. भारत के राज्य सचिव
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को सीटों के आवंटन का आधार क्या था?
(1) आकार के बावजूद सभी प्रांतों के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान।
(2) विशुद्ध रूप से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आवंटन।
(3) संबंधित जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(4) प्रांत के आर्थिक योगदान के आधार पर आवंटन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत की संविधान सभा एक आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी।
कारण (R): ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, जबकि रियासतों के सदस्य उनके शासकों द्वारा नामित किए गए थे।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित सीटों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है?
(1) मुस्लिम समुदाय के सदस्य
(2) सिख समुदाय के सदस्य
(3) सामान्य श्रेणी के सदस्य
(4) ईसाई
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. जुलाई-अगस्त 1946 में आयोजित संविधान सभा के चुनावों में, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली मतदान पद्धति थी:
(1) साधारण बहुमत या फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली।
(2) एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(3) बहुत सीमित मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली।
(4) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी।
II. ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थीं।
III. ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य ग्यारह गवर्नरों के प्रांतों से चुने जाने थे।
IV. चार सदस्य चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से लिए जाने थे, प्रत्येक से एक।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
(1) 9 दिसंबर 1946
(2) 11 दिसंबर 1946
(3) 13 दिसंबर 1946
(4) 26 नवंबर 1949
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. संविधान सभा के कार्य संचालन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना
II. संविधान सभा की पहली बैठक
III. उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना
IV. उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनें:
(1) II, III, IV, I
(2) II, IV, III, I
(3) III, II, I, IV
(4) II, III, I, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

16. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (संविधान सभा की समितियाँ)
A. संघ शक्ति समिति
B. प्रांतीय संविधान समिति
C. प्रारूप समिति
D. संचालन समिति
सूची II: (अध्यक्ष)
i. डॉ. बी. आर. अंबेडकर
ii. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
iii. सरदार वल्लभभाई पटेल
iv. जवाहरलाल नेहरू
(1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. संविधान सभा की छोटी समितियों और उनके अध्यक्षों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें:
(1) कार्य संचालन समिति — डॉ. के. एम. मुंशी
(2) कार्य संबंधी समिति — जी. वी. मावलंकर
(3) सदन समिति — बी. पट्टाभि सीतारमय्या
(4) राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. संविधान सभा के सदस्यों और कार्य संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
II. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
III. एच. सी. मुखर्जी और वी. टी. कृष्णामचारी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
IV. सर बी. एन. राव को सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
V. महात्मा गांधी संविधान सभा के एक सदस्य थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल V
(2) केवल I और V
(3) केवल III और V
(4) केवल II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) इसने नागरिकों को दिए जाने वाले विशिष्ट मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया।
(2) इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए सटीक रूपरेखा प्रदान की।
(3) इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया।
(4) इसने संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को निर्देशित किया।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था?
(1) एच. पी. मोदी
(2) डॉ. जॉन मथाई
(3) सरदार उज्ज्वल सिंह
(4) फ्रैंक एंथोनी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. संविधान सभा के दोहरे कार्यों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद (डोमिनियन विधानमंडल) बनी।
कथन II: जब भी सभा की बैठक 'संविधान निर्माण' के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे, और जब यह 'विधायिका' के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर करते थे।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. संविधान सभा के कार्य संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सभा की पहली बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।
(2) सभा 1947 के अधिनियम के माध्यम से पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई।
(3) माउंटबेटन योजना से पहले रियासतें बड़ी संख्या में सभा में शामिल हो गई थीं।
(4) सभा ने ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में संविधान का प्रारूप तैयार किया।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था?
(1) 22 जनवरी 1947
(2) 15 अगस्त 1947
(3) 29 अगस्त 1947
(4) 26 नवंबर 1949
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों पर विचार करें:
I. एन. गोपालस्वामी आयंगर

NODIA

II. अल्लादि कृष्णामस्वामी अय्यर
III. डॉ. के. एम. मुंशी
IV. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन प्रारूप समिति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
कारण (R): वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को सफलतापूर्वक पारित कराया।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्रारूप समिति के मूल सदस्य)
A. बी. एल. मित्तर
B. डी. पी. खेतान
C. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
D. एच. सी. मुखर्जी
सूची II: (सदस्य जिन्होंने उनका स्थान लिया या स्थिति)
i. एन. माधव राव
ii. टी. टी. कृष्णामचारी
iii. प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे
iv. प्रारूप समिति में प्रतिस्थापित नहीं किए गए
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
(1) के. एम. मुंशी
(2) एन. माधव राव
(3) टी. टी. कृष्णामचारी
(4) बी. एन. राव
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के वाचन का सटीक वर्णन करता है?
(1) पहला वाचन नवंबर 1948 में शुरू हुआ और इसमें खंड-वार विचार-विमर्श शामिल था।
(2) दूसरे वाचन में बिना किसी संशोधन के सामान्य चर्चा शामिल थी।
(3) तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाए जाने के साथ समाप्त हुआ।
(4) अंतिम रूप से अपनाए जाने से पहले संविधान के प्रारूप के पांच औपचारिक वाचन हुए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप किसने पेश किया था?
(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) सरदार वल्लभभाई पटेल
(3) डॉ. बी. आर. अंबेडकर
(4) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (लिया गया प्रावधान)
A. मौलिक अधिकार
B. राज्य के नीति निदेशक तत्व
C. सरकार का संसदीय स्वरूप
D. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
सूची II: (स्रोत संविधान)
i. ब्रिटिश संविधान
ii. अमेरिकी संविधान
iii. आयरिश संविधान
iv. ऑस्ट्रेलियाई संविधान
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी?
(1) ऑस्ट्रेलिया
(2) कनाडा
(3) संयुक्त राज्य अमेरिका
(4) सोवियत संघ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारतीय संविधान के स्रोतों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें:
(1) आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था।

Downloaded from www.pdf.tube

(2) राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अमेरिकी संविधान से अपनाई गई थी।
(3) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई थी।
(4) केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों के निहित होने का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें:
I. संघीय योजना
II. राज्यपाल का कार्यालय
III. न्यायपालिका
IV. लोक सेवा आयोग
V. आपातकालीन प्रावधान
उपर्युक्त विशेषताओं का कौन सा संयोजन मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया था?
(1) केवल I, II और V
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (लिया गया प्रावधान)
A. मौलिक कर्तव्य
B. संविधान संशोधन की प्रक्रिया
C. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श
D. उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
सूची II: (स्रोत संविधान)
i. दक्षिण अफ्रीकी संविधान
ii. फ्रांसीसी संविधान
iii. कनाडा का संविधान
iv. सोवियत संविधान
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान पर आधारित हैं।
कथन II: आयरिश संविधान ने स्वयं नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा स्पेनिश संविधान से ली थी।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है?
(1) संसदीय सरकार
(2) विधि का शासन
(3) एकल नागरिकता
(4) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. भारतीय संविधान के स्रोतों के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान करें:
(1) राष्ट्रपति पर महाभियोग — ब्रिटिश संविधान
(2) राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन — ऑस्ट्रेलियाई संविधान
(3) 'गणतंत्र' की अवधारणा — फ्रांसीसी संविधान
(4) केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना — अमेरिकी संविधान
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. भारत की संघीय व्यवस्था, जिसकी विशेषता एक मजबूत केंद्र है, अमेरिकी मॉडल से भिन्न है। किस देश के संविधान ने इस केंद्रीकृत संघीय ढांचे के लिए रूपरेखा प्रदान की थी?
(1) ऑस्ट्रेलिया
(2) कनाडा
(3) यूनाइटेड किंगडम
(4) आयरलैंड
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

39. भारतीय संविधान की "उधार का थैला" होने की आलोचना के विरुद्ध डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा बचाव का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(1) उधार ली गई विशेषताएँ बिना किसी बदलाव के सटीक प्रतियां थीं।
(2) संविधान सभा के सदस्यों के पास मौलिक प्रावधान तैयार करने के लिए आवश्यक कानूनी विशेषज्ञता की कमी थी।
(3) ब्रिटिश संसद ने आदेश दिया था कि कुछ विशेषताओं को बनाए रखा जाना चाहिए।
(4) ये प्रावधान अंतर्निहित दोषों को दूर करने और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन के लिए थे।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. भारत के लोगों द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था?
(1) 15 अगस्त 1947
(2) 26 नवंबर 1949
(3) 24 जनवरी 1950
(4) 26 जनवरी 1950
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था?

(1) नागरिकता
(2) चुनाव
(3) मौलिक अधिकार
(4) अंतरिम संसद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें:
I. अनुच्छेद 5
II. अनुच्छेद 324
III. अनुच्छेद 368
उपर्युक्त अनुच्छेदों का कौन सा संयोजन 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 26 जनवरी को विशेष रूप से भारत के संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में चुना गया था।
कारण (R): इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. भारतीय संविधान को अपनाने के संबंध में सही कथन की पहचान करें:
(1) संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
(2) 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 299 में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे।
(3) पूरे संविधान के प्रारूप के पारित होने से पहले प्रस्तावना को अपना लिया गया था।
(4) मूल संविधान में इसे अपनाने के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. भारत के मूल संविधान के मुख्य सुलेखक कौन थे?
(1) आचार्य नंदलाल बोस
(2) ब्योहर राममनोहर सिन्हा
(3) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
(4) वसंत कृष्णन वैद्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच अंतर के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो प्रारूपण प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है।
कथन II: लागू होने की तिथि, 26 जनवरी 1950, का उल्लेख स्वयं संविधान में इसके प्रारंभ होने की तिथि के रूप में किया गया है।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. संविधान की 'प्रस्तावना' की सबसे अच्छी परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है?
(1) एक परिचय जिसमें संपूर्ण संविधान का सारांश या सार होता है।
(2) यह पहला कार्यात्मक अध्याय है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं।
(3) विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का एक विस्तृत सारांश जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता की ओर ले गया।
(4) यह भारत के नागरिकों के कर्तव्यों की एक विस्तृत सूची है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है जिसे किसके द्वारा तैयार और पेश किया गया था?
(1) डॉ. बी. आर. अंबेडकर
(2) जवाहरलाल नेहरू
(3) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(4) सरदार वल्लभभाई पटेल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (विद्वान/विधिवेत्ता)
A. एन. ए. पालकीवाला
B. के. एम. मुंशी
C. सर अर्नेस्ट बार्कर
D. ठाकुर दास भार्गव
सूची II: (प्रस्तावना का वर्णन)
i. संविधान का मुख्य नोट
ii. संविधान का परिचय पत्र
iii. हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली
iv. संविधान की आत्मा
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

50. प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें:
I. समाजवादी
II. पंथनिरपेक्ष
III. अखंडता
IV. बंधुत्व
उपर्युक्त शब्दों का कौन सा संयोजन 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. प्रस्तावना के पाठ के अनुसार, भारतीय संविधान के अधिकार का अंतिम स्रोत क्या है?
(1) भारत की संसद
(2) भारत का उच्चतम न्यायालय
(3) भारत के लोग
(4) संविधान सभा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व के संबंध में गलत कथन की पहचान करें:
(1) यह भारतीय राज्य की प्रकृति को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में इंगित करती है।
(2) यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्धारित करती है।
(3) यह संविधान के संदिग्ध प्रावधानों की व्याख्या के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
(4) यह विधायिका के लिए वास्तविक शक्ति के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में कार्य करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. चूँकि प्रस्तावना प्रकृति में गैर-न्यायोचित है, निम्नलिखित में से कौन सा इस विशेषता का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
(1) इसके प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
(2) यह मौलिक अधिकारों के प्रावधानों पर कानूनी रूप से श्रेष्ठ स्थिति रखती है।
(3) इसके प्रावधान न्यायालयों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
(4) इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. भारतीय राज्य की प्रकृति का वर्णन करने के लिए प्रस्तावना में आने वाले निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें:
I. गणराज्य
II. संप्रभु
III. पंथनिरपेक्ष
IV. समाजवादी
V. लोकतंत्रात्मक
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनें:
(1) II, III, IV, V, I
(2) II, IV, III, V, I
(3) II, IV, V, III, I
(4) IV, II, III, V, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. प्रस्तावना में उल्लिखित 'गणराज्य' शब्द का मौलिक अर्थ क्या है?
(1) राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है।
(2) सभी नागरिकों को समान आर्थिक स्थिति की गारंटी दी जाती है।
(3) विधायी शक्ति पूरी तरह से संसद के निचले सदन में निहित है।
(4) राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. भारतीय राज्य की 'समाजवादी' प्रकृति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है न कि 'साम्यवादी समाजवाद'।
कथन II: लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ-साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई 'पंथनिरपेक्षता' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है?
(1) राज्य से धर्म का पूर्ण अलगाव, जहाँ राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है।
(2) राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है।
(3) देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है।
(4) राज्य सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रथाओं को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. प्रस्तावना से प्राप्त निम्नलिखित संवैधानिक अवधारणाओं पर विचार करें:
I. संप्रभु का तात्पर्य है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है और इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है।
II. समाजवादी निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

NODIA

III. पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है।
IV. लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।
V. गणराज्य यह दर्शाता है कि राजनीतिक संप्रभुता सम्राट जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, III और IV
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. प्रस्तावना में परिकल्पित 'लोकतंत्र' के सार का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) गरीबी और असमानता का पूर्ण अभाव।
(2) कुलीन वर्ग के वंशानुगत वर्ग द्वारा शासित प्रणाली।
(3) दैनिक प्रशासन में प्रत्येक नागरिक की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी।
(4) निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. प्रस्तावना में 'संप्रभु' शब्द में निम्नलिखित को छोड़कर सभी निहित हैं:
(1) भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही डोमिनियन है।
(2) भारत किसी भी परिस्थिति में विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।
(3) भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के संचालन के लिए स्वतंत्र है।
(4) राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत एक गणराज्य है।
कारण (R): भारत का राष्ट्रपति, जो राज्य का प्रमुख है, पांच साल के निश्चित कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. प्रस्तावना में 'लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है?
(1) स्थिरता के लिए एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना।
(2) राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करने का केंद्र सरकार का अधिकार।
(3) निवर्तमान कार्यपालिका द्वारा राज्य के प्रमुख का नामांकन।
(4) विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति और सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक कार्यालयों का खुला होना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

63. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सूचीबद्ध आदर्शों का सही क्रम है?
(1) स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व
(2) न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
(3) समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता
(4) न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्रस्तावना के आदर्श)
A. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
B. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
C. गणराज्य
D. लोकतांत्रिक समाजवाद
सूची II: (प्रेरणा का स्रोत)
i. रूसी क्रांति (1917)
ii. फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799)
iii. निर्वाचित प्रमुख की फ्रांसीसी अवधारणा
iv. गांधीवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता' के आदर्श का व्यापक अर्थ है:
(1) व्यक्तियों को जो पसंद हो वह करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान।
(2) गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों का प्रावधान।
(3) राज्य को करों का भुगतान करने से मुक्ति।
(4) भारतीय संघ से अलग होने का व्यक्तियों का अधिकार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. प्रस्तावना के आदर्शों के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान करें:
(1) आर्थिक न्याय — आर्थिक कारकों के आधार पर गैर-भेदभाव।
(2) राजनीतिक न्याय — बिना किसी सामाजिक भेदभाव के

सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
(3) सामाजिक न्याय — समान राजनीतिक अधिकार और सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच।
(4) नागरिक समानता — पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के निम्नलिखित आयामों पर विचार करें:
I. सामाजिक न्याय
II. आर्थिक न्याय
III. राजनीतिक न्याय
IV. कानूनी न्याय
उपर्युक्त आयामों का कौन सा संयोजन प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख नहीं है?
(1) विचार की स्वतंत्रता
(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(3) विश्वास की स्वतंत्रता
(4) व्यवसाय की स्वतंत्रता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. निम्नलिखित में से कौन 'बंधुत्व' के संवैधानिक आदर्श का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) सभी वयस्क नागरिकों की अनिवार्य सैन्य सेवा।
(2) ट्रेड यूनियनों और सहकारी समितियों का गठन।
(3) भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल देती है।
(4) देश का विभिन्न भाषाई राज्यों में प्रशासनिक विभाजन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. प्रस्तावना में 'समानता' के आदर्श के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रस्तावना सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुरक्षित करती है।
कथन II: इस प्रावधान में समानता के तीन आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि "प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है"?
(1) गोलकनाथ मामला (1967)
(2) केशवानंद भारती मामला (1973)
(3) एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)
(4) बेरुबारी यूनियन मामला (1960)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. प्रस्तावना की कानूनी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. केशवानंद भारती मामला
II. बेरुबारी यूनियन मामला
III. एलआईसी ऑफ इंडिया मामला
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनें:
(1) II, I, III
(2) I, II, III
(3) II, III, I
(4) III, I, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. प्रस्तावना के संबंध में केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. उच्चतम न्यायालय ने पिछली राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
II. इसने कहा कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को इसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।
III. इसने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और इसके प्रावधान न्यायालयों में लागू करने योग्य हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. प्रस्तावना की संशोधन योग्यता के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है।
कथन II: प्रस्तावना में निहित संविधान के बुनियादी ढांचे या मौलिक विशेषताओं को संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

Downloaded from www.pdf.tube

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. प्रस्तावना की वर्तमान कानूनी स्थिति के संबंध में गलत कथन की पहचान करें:
(1) यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।
(2) इसे संविधान सभा द्वारा संपूर्ण संविधान के अधिनियमित होने के पश्चात अधिनियमित किया गया था।
(3) इसे इसके अपनाने के बाद से केवल एक बार संशोधित किया गया है।
(4) यह विधायिका की शक्तियों पर प्रत्यक्ष सीमाएं आरोपित करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. जब संविधान का कोई अनुच्छेद संदिग्ध होता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो न्यायपालिका अक्सर सही व्याख्या के लिए किस पर भरोसा करती है?
(1) अनुसूचियाँ
(2) प्रस्तावना
(3) नागरिकता प्रावधान
(4) आपातकालीन प्रावधान
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (संविधान का अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 5
B. अनुच्छेद 6
C. अनुच्छेद 7
D. अनुच्छेद 8
सूची II: (नागरिकता से संबंधित प्रावधान)
i. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार
ii. अधिवास के आधार पर संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
iii. पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के नागरिकता अधिकार
iv. पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के नागरिकता अधिकार जो बाद में भारत लौट आए
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है?
(1) अनुच्छेद 9
(2) अनुच्छेद 10
(3) अनुच्छेद 11
(4) अनुच्छेद 12
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. अनुच्छेद 5 से 11 में निहित संवैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित हैं:
(1) केवल 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर।
(2) वर्ष 1955 के बाद से।
(3) 1987 के बाद जन्म से अर्जित नागरिकता।
(4) भारत में रहने वाले विदेशी राजनयिकों की नागरिकता स्थिति।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

80. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. भारत में अधिवासित और भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ व्यक्ति नागरिक बन गया।
II. 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत नागरिक बन गया।
III. 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति ने भारत की नागरिकता खो दी।
IV. भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकता था।
V. स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल I और II
(2) केवल V
(3) केवल III और IV
(4) केवल II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।
कारण (R): अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे तौर पर संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की स्थिति के निर्धारण से संबंधित नहीं है?
(1) अनुच्छेद 5
(2) अनुच्छेद 6
(3) अनुच्छेद 8

(4) अनुच्छेद 11
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया। संविधान के प्रारंभ में उन्हें किस अनुच्छेद के तहत भारत का नागरिक माना जा सकता था?
(1) अनुच्छेद 5
(2) अनुच्छेद 6
(3) अनुच्छेद 7
(4) अनुच्छेद 8
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. अनुच्छेद 5 के संदर्भ में 'अधिवास' के संबंध में सही कथन की पहचान करें:
(1) अधिवास के लिए भारत के क्षेत्र में केवल अस्थायी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
(2) भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वचालित रूप से भारतीय अधिवास प्राप्त कर लेता है।
(3) एक व्यक्ति भारतीय कानून के तहत एक साथ दो अलग-अलग राज्यों का अधिवास रख सकता है।
(4) अधिवास का तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से रहने के इरादे से निवास करना है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीकों पर विचार करें:
I. जन्म से
II. वंश के आधार पर
III. पंजीकरण द्वारा
IV. प्राकृतिकरण द्वारा
नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उपर्युक्त तरीकों का कौन सा संयोजन प्रदान किया गया है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 'वंश के आधार पर' नागरिकता मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर लागू होती है जो:
(1) भारत के भीतर उन माता-पिता से पैदा हुआ है जो विदेशी नागरिक हैं।
(2) 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ हो और उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हों।
(3) भारत में शरण मांगने वाला एक अवैध प्रवासी हो।
(4) भारतीय व्यवसायों में निवेश करने वाला विदेशी नागरिक हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: पंजीकरण एक ऐसा तरीका है जो मुख्य रूप से भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो भारत में साधारण रूप से निवासी हैं।
कथन II: प्राकृतिकरण विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है जो भारतीय मूल के नहीं हैं।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्राप्ति का तरीका)
A. जन्म से
B. पंजीकरण द्वारा
C. प्राकृतिकरण द्वारा
D. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा
सूची II: (विशिष्ट शर्त)
i. आवेदक को निष्ठा की शपथ लेनी होती है और पिछली नागरिकता त्यागनी होती है।
ii. यह उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है और जो 7 वर्षों से निवासी है।
iii. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक होंगे।
iv. यह भारत में जन्म की तिथि और माता-पिता की नागरिकता की स्थिति पर निर्भर करता है।
(1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) नव समाविष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं।
(2) उन निवासियों को नागरिकता देने के लिए संसद को एक संविधान संशोधन पारित करना होता है।
(3) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे।
(4) पहले 10 वर्षों के लिए नागरिकता केवल अस्थायी आधार पर दी जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. 2010 में भारत में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता नई दिल्ली में तैनात एक विदेशी राजनयिक हैं और माँ एक भारतीय नागरिक हैं। क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बच्चे को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी?
(1) नहीं, क्योंकि विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से

Click Here to Buy book on Amazon

नागरिकता के पात्र नहीं हैं।
(2) हाँ, क्योंकि बच्चे का जन्म भारतीय भूमि पर हुआ है।
(3) हाँ, क्योंकि माँ एक भारतीय नागरिक हैं।
(4) नहीं, क्योंकि बच्चे को 18 वर्ष की आयु होने पर अपनी प्राथमिक नागरिकता चुननी होगी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. उन तरीकों पर विचार करें जिनसे नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता खोई जा सकती है:
I. त्याग
II. समाप्ति
III. वंचना
उपर्युक्त तरीकों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. भारतीय नागरिकता की वंचना केंद्र सरकार द्वारा एक अनिवार्य समाप्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा इस तरह की वंचना का वैध आधार नहीं है?
(1) नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है।
(2) नागरिक स्वेच्छा से रोजगार के लिए दूसरे देश में चला गया है।
(3) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया है।
(4) नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार किया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. भारत का एक नागरिक, जिसने प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, उससे नागरिकता छीनी जा सकती है यदि उसे किसी भी देश में कम से कम कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो:
(1) प्राकृतिकरण के पांच वर्षों के भीतर एक वर्ष।
(2) प्राकृतिकरण के पांच वर्षों के भीतर दो वर्ष।
(3) प्राकृतिकरण के बाद किसी भी समय पांच वर्ष।
(4) प्राकृतिकरण के पंद्रह वर्षों के भीतर दस वर्ष।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. नागरिकता की समाप्ति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
कथन II: स्वतः समाप्ति का यह प्रावधान उन समयों पर भी लागू होता है जब भारत युद्ध में लगा हो।
सही विकल्प की पहचान करें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. भारतीय नागरिकता के त्याग के संबंध में सही कथन की पहचान करें:
(1) नागरिकता त्यागने वाले व्यक्ति के नाबालिग बच्चे अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं।
(2) किसी भी आयु का व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है।
(3) एक नाबालिग बच्चा जो माता-पिता के त्याग के कारण नागरिकता खो देता है, वह इसे कभी वापस नहीं पा सकता।
(4) त्याग के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:
I. यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों पर लागू होता है।
II. यह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है।
III. पात्र होने के लिए भारत में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 है।
IV. यह छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को छूट देता है।
V. यह अधिनियम इन विशिष्ट समुदायों के लिए प्राकृतिकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत निर्दिष्ट देशों और धर्मों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका; हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई
(2) पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान; हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई
(3) पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार; हिंदू, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी
(4) बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान; हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ईसाई
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार करें:
I. छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या

NODIA

त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र।
II. इनर लाइन परमिट शासन के तहत अधिसूचित क्षेत्र।
III. गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिले।
उपर्युक्त क्षेत्रों में से कौन सा संयोजन नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों से मुक्त है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, तीन निर्दिष्ट देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासी अवैध नहीं माने जाएंगे यदि उन्होंने किस तिथि को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो:
(1) 19 जुलाई 1948
(2) 24 मार्च 1971
(3) 31 दिसंबर 2014
(4) 11 दिसंबर 2019
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. निम्नलिखित में से कौन नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) वर्तमान में भारत में रहने वाले सभी अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना।
(2) उन व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं हैं।
(3) सभी पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक खुली सीमा नीति लागू करना।
(4) तीन विशिष्ट देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) एम. एन. राय
भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम. एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता और क्रांतिकारी विचारक थे। इसके पश्चात, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार ने अंततः इस मांग को सैद्धांतिक रुप से स्वीकार किया, जिसके फलस्वरुप भविष्य में सभा का गठन हुआ।

2. (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रुप से पहली बार 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के माध्यम से स्वीकार किया था। वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन ने युद्ध पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे कांग्रेस ने अंततः अस्वीकार कर दिया था।

3. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक यात्रा में विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1935 में आधिकारिक मांग की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में अपने प्रस्तावों के साथ भारत आए। अंततः, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत ही वास्तविक संविधान सभा का गठन किया गया।

4. (4) कांग्रेस द्वारा डोमिनियन स्टेटस को अस्वीकार करना और तत्काल सत्ता हस्तांतरण का अभाव।
क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण यह था कि इसने युद्ध के पश्चात केवल 'डोमिनियन स्टेटस' की पेशकश की थी, जबकि भारतीय नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, मिशन में तत्काल वास्तविक सत्ता के हस्तांतरण का कोई ठोस प्रावधान नहीं था। इस असंतोष ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरु करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम निर्णायक संघर्ष माना।

5. (3) कैबिनेट मिशन योजना
1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई दो पृथक संविधान सभाओं और पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्पष्ट रुप से खारिज कर दिया था। हालांकि, इसने प्रांतों के समूहन की एक ऐसी जटिल योजना प्रस्तावित की जिसने लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अखंड भारत के ढांचे के भीतर राजनीतिक समाधान खोजना था, जिसके आधार पर अंततः चुनाव संपन्न हुए।

6. (2) केवल II
संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। इसके विपरीत, ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से किया गया था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को संबंधित रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया गया था। इस प्रकार, संविधान सभा एक आंशिक रुप से निर्वाचित और आंशिक रुप से नामांकित निकाय के रुप में गठित हुई थी।

7. (4) लॉर्ड वेवेल
मार्च 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य शामिल थे। इनमें भारत सचिव लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड ए. वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे और वे केवल मिशन के साथ होने वाली चर्चाओं का हिस्सा थे, परंतु वे औपचारिक रुप से इस तीन सदस्यीय दल के सदस्य नहीं थे।

8. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्यों की ब्रिटिश सरकार में विशिष्ट भूमिकाएं थीं। लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस भारत सचिव के रूप में मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और ए. वी. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड के रूप में कार्यरत थे। लॉर्ड वेवेल तत्कालीन वायसराय थे जिन्होंने प्रक्रिया को सुगम बनाया। इन सदस्यों ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर देश के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार किया।

9. (3) संबंधित जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत और रियासत को आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। सामान्यतः प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित करने का नियम अपनाया गया था। इसका उद्देश्य सभा में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इस पद्धति ने बड़े और छोटे प्रांतों के मध्य संतुलन स्थापित किया ताकि सभी क्षेत्रों की आबादी का सही प्रतिबिंब दिख सके।

10. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान सभा एक विशिष्ट संस्था थी जो आंशिक रुप से निर्वाचित और आंशिक रुप से नामांकित थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया गया था। वहीं दूसरी ओर, देसी रियासतों को आवंटित सीटों को भरने के लिए उनके शासकों द्वारा प्रतिनिधियों का नामांकन किया गया

NODIA

था। यह मिश्रित संरचना इसलिए अपनाई गई ताकि विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को प्रक्रिया में उचित स्थान मिले।

11. (4) ईसाई
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटों का वितरण मुख्य रूप से तीन समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ये समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। 'सामान्य' श्रेणी में वे सभी नागरिक सम्मिलित थे जो मुस्लिम या सिख समुदायों के अंतर्गत नहीं आते थे, जैसे हिंदू, ईसाई, जैन और पारसी। अतः ईसाइयों के लिए अलग से किसी स्वतंत्र निर्वाचन वर्ग का निर्धारण नहीं किया गया था।

12. (2) एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
जुलाई-अगस्त 1946 में आयोजित संविधान सभा के चुनावों में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का उपयोग करके सदस्यों का चुनाव किया। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी क्योंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। इस प्रक्रिया ने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को सभा में स्थान दिलाया।

13. (4) I, II, III और IV
कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की थी। इसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें और देसी रियासतों के लिए 93 सीटें आवंटित की गई थीं। ब्रिटिश भारत की सीटों में से 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांतों से चुने गए थे, जबकि शेष 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से लिए गए थे। यह संरचना व्यापक प्रतिनिधित्व हेतु थी।

14. (1) 9 दिसंबर 1946
भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की। इस कारण बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

15. (1) II, III, IV, I
संविधान सभा के प्रमुख कार्यों का कालानुक्रमिक क्रम भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। अंततः 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाकर स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

16. (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं हेतु कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति की कमान संभालकर सभा का सफल संचालन सुनिश्चित किया।

17. (2) कार्य संबंधी समिति — जी. वी. मावलंकर
संविधान सभा की लघु समितियों में कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे, जिन्होंने आगे चलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डॉ. के. एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बी. पट्टाभि सीतारमय्या ने सदन समिति का नेतृत्व किया, जबकि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इन समितियों ने विशिष्ट विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

18. (1) केवल V
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और पश्चात में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच. सी. मुखर्जी और वी. टी. कृष्णामचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे सभा के दो उपाध्यक्ष बने। सर बी. एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। यह ध्यान देना आवश्यक है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

19. (3) इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' भारतीय संविधान का वैचारिक आधार बना। इसने उन आदर्शों और मूल्यों को परिभाषित किया जिन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त करना था। इसमें संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों का उल्लेख था। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को एक निश्चित दार्शनिक दिशा प्रदान की।

20. (4) फ्रैंक एंथोनी
संविधान सभा में भारत के सभी समुदायों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया था। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया और उनके अधिकारों के लिए प्रभावी आवाज उठाई। एच. पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार उज्ज्वल सिंह जैसे नेताओं ने किया था। इस समावेशी दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि नया संविधान पूरे राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं और अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रतीक बने।

Click Here to Buy book on Amazon

21. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई और इसे दो पृथक कार्य सौंपे गए। प्रथम कार्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था और द्वितीय स्वतंत्र भारत के लिए सामान्य कानून बनाना था। जब सभा संविधान निर्माण हेतु बैठक करती थी, तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर करते थे।

22. (2) सभा 1947 के अधिनियम के माध्यम से पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय घोषित किया, जिसे अपनी इच्छानुसार कोई भी संविधान बनाने और ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने प्रारंभ में सभा का बहिष्कार किया था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। माउंटबेटन योजना के पश्चात ही अधिकांश रियासतों और मुस्लिम लीग के भारतीय सदस्यों ने भाग लिया।

23. (3) 29 अगस्त 1947
संविधान सभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने की उत्तरदायी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कुल सात सदस्य सम्मिलित थे और डॉ. बी. आर. अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यापक प्रारूप तैयार कर सभा के समक्ष प्रस्तुत किया।

24. (4) I, II, III और IV
प्रारूप समिति में सात प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने संविधान को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। डॉ. बी. आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णामस्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, बी. एल. मित्तर और डी. पी. खेतान भी प्रारंभ में इसके सदस्य थे। इन विद्वानों ने अपनी कानूनी विशेषज्ञता के माध्यम से भारत के लिए एक सुदृढ़ संवैधानिक ढांचा तैयार किया।

25. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और मुख्य वास्तुकार माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अत्यंत तर्कसंगत और प्रभावी ढंग से संविधान के प्रारूप को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न प्रावधानों पर उठने वाली आपत्तियों का निराकरण किया और जटिल कानूनी विषयों को स्पष्ट किया। उनके बौद्धिक नेतृत्व के कारण ही भारत को एक ऐसा आधुनिक संविधान प्राप्त हुआ जो न्याय और समानता पर आधारित है।

26. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
प्रारूप समिति के गठन के पश्चात कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य कारणों से परिवर्तन हुए। बी. एल. मित्तर ने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया और उनका स्थान एन. माधव राव ने लिया। डी. पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के पश्चात टी. टी. कृष्णामचारी को सदस्य नियुक्त किया गया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा सभा के सदस्य थे परंतु प्रारूप समिति में नहीं थे। एच. सी. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष थे और वे प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे।

27. (4) बी. एन. राव
सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, न कि प्रारूप समिति के सदस्य। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने और विदेशी संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। प्रारूप समिति में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में के. एम. मुंशी और एन. माधव राव जैसे सात सदस्य शामिल थे। बी. एन. राव द्वारा तैयार आधारभूत ढांचे ने ही प्रारूप समिति के कार्य को सरल और सुव्यवस्थित बनाया था।

28. (3) तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाए जाने के साथ समाप्त हुआ।
संविधान के प्रारूप पर तीन औपचारिक वाचन हुए थे। प्रथम वाचन नवंबर 1948 में संक्षिप्त चर्चा के साथ प्रारंभ हुआ। द्वितीय वाचन खंड-वार विचार-विमर्श हेतु था, जो लगभग एक वर्ष तक चला और इसमें अनेक संशोधन पेश किए गए। तृतीय और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ 26 नवंबर 1949 को यह प्रक्रिया पूर्ण हुई और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया।

29. (3) डॉ. बी. आर. अंबेडकर
डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इस अवसर पर उन्होंने संविधान की मुख्य विशेषताओं और उसके दर्शन पर एक विस्तृत भाषण दिया था। इस प्रस्तुति के पश्चात ही संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर व्यापक चर्चा और संशोधनों का दौर प्रारंभ हुआ। अंबेडकर के नेतृत्व में समिति ने अथक परिश्रम कर वैश्विक उदाहरणों को भारतीय संदर्भ में सफलतापूर्वक समाहित किया।

30. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
भारतीय संविधान ने विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों को आत्मसात किया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है, जो उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है। अंततः, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का महत्वपूर्ण प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया गया है।

Downloaded from www.pdf.tube

31. (1) ऑस्ट्रेलिया
भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। इस सूची में वे विषय सम्मिलित हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही अपनाए गए हैं। ये विशेषताएं भारतीय संघवाद को लचीला बनाती हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती हैं।

32. (2) राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अमेरिकी संविधान से अपनाई गई थी।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अमेरिकी संविधान से नहीं, बल्कि आयरिश संविधान से ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से प्रेरित है, और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये सभी उधार लिए गए प्रावधान भारतीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने हेतु शामिल किए गए थे।

33. (4) I, II, III, IV और V
भारत शासन अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचनात्मक स्रोत है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान जैसे मुख्य तत्व सीधे इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान का लगभग आधा हिस्सा इस अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित है। हालांकि इन प्रावधानों को स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुसार परिष्कृत किया गया, परंतु प्रशासनिक ढांचे की नींव इसी ब्रिटिश कालीन कानून पर आधारित रही।

34. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताएं विविध वैश्विक स्रोतों से ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से अपनाई गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्श फ्रांसीसी संविधान की देन हैं। उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। इन विविध स्रोतों ने भारतीय संविधान को एक संतुलित, व्यापक और गतिशील दस्तावेज बनाने में सहायता की है जो राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करता है।

35. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक दर्शन है। इन प्रावधानों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। विशेष तथ्य यह है कि आयरिश संविधान निर्माताओं ने स्वयं इन सिद्धांतों की प्रेरणा स्पेन के संविधान से प्राप्त की थी। ये तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह ऐसी नीतियां बनाए जो जनता के कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें। यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक विचारों के सफल समन्वय को दर्शाता है।

36. (4) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
यद्यपि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, परंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है, जबकि भारत ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखने हेतु अमेरिकी मॉडल को चुना। संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया जैसी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं सीधे तौर पर ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं और कानूनों से अपनाई गई हैं।

37. (3) 'गणतंत्र' की अवधारणा — फ्रांसीसी संविधान
भारतीय संविधान में 'गणतंत्र' और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, न कि ब्रिटिश से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरिश संविधान से प्रेरित है, न कि ऑस्ट्रेलियाई से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना कनाडाई संविधान की विशेषता है। ये सभी तथ्य दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व की श्रेष्ठ लोकतांत्रिक प्रणालियों का सूक्ष्म अध्ययन किया था।

38. (2) कनाडा
भारत ने एक ऐसा संघीय ढांचा अपनाया है जिसमें केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह 'मजबूत केंद्र वाला संघ' मॉडल कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। अमेरिकी संघीय मॉडल में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। भारतीय परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने हेतु कनाडाई मॉडल को अधिक उपयुक्त समझा गया था।

39. (4) ये प्रावधान अंतर्निहित दोषों को दूर करने और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन के लिए थे।
डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान की आलोचना का उत्तर देते हुए कहा था कि विश्व के ज्ञात संविधानों के मुख्य सिद्धांतों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि हमने अन्य संविधानों से केवल उन्हीं विशेषताओं को लिया है जो सर्वोत्तम थीं और उन्हें भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया। उनका मानना था कि अन्य देशों के अनुभवों से सीखना और उनकी कमियों को दूर करना कोई चोरी नहीं बल्कि एक विवेकपूर्ण निर्णय है।

40. (2) 26 नवंबर 1949
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस ऐतिहासिक दिन संविधान निर्माण की दीर्घ प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूर्ण हुई थी। यद्यपि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी

NODIA

1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसी दिन से प्रभावी हो गए थे। इसी कारण वर्तमान में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

41. (3) मौलिक अधिकार
26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया, तो केवल कुछ विशिष्ट प्रावधान तत्काल प्रभावी हुए थे। इनमें नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 आदि) सम्मिलित थे। मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग III में वर्णित हैं, संपूर्ण संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे। इस तिथि को संविधान के प्रारंभ की आधिकारिक तारीख के रूप में चुना गया ताकि पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक घोषणा का सम्मान किया जा सके।

42. (1) केवल I और II
26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाए जाने के साथ ही अनुच्छेद 5 (नागरिकता) और अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग) सहित कुल 15 अनुच्छेद तत्काल लागू कर दिए गए थे। ये प्रावधान देश में तत्काल शासन व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवश्यक थे। दूसरी ओर, अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, शेष संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार आंशिक रूप से संविधान उसी दिन लागू हुआ जिस दिन उसे अपनाया गया था।

43. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि के रूप में जानबूझकर चुना क्योंकि इसका स्वतंत्रता संग्राम में विशेष ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 में, लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसरण में पूरे भारत में प्रथम बार 'पूर्ण स्वराज दिवस' मनाया गया था। इस स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण होने के उपरांत भी दो माह प्रतीक्षा की गई और 1950 में भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया।

44. (2) 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 299 में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे।
संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य ही 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान की आधिकारिक प्रति पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावना को पूरे संविधान के पारित होने के पश्चात अंत में अपनाया गया ताकि वह शेष प्रावधानों के अनुरूप रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। यह एक विशाल दस्तावेज था जिसे बनाने में लगभग तीन वर्ष का समय लगा और जिसने भारत की लोकतांत्रिक नींव सुदृढ़ की।

45. (3) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के मूल सुलेखक थे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट हस्तलेखन में अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था। इस कार्य हेतु उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया, अपितु केवल प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादा का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्णन वैद्य द्वारा किया गया था, जबकि नंदलाल बोस के नेतृत्व में कलाकारों ने इसके पृष्ठों को पारंपरिक चित्रों से सजाया था।

46. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारतीय संवैधानिक इतिहास में दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 26 नवंबर 1949 वह दिन है जब संविधान सभा ने प्रारूपण कार्य पूर्ण कर इसे अपनाया और अधिनियमित किया। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ होने की आधिकारिक तिथि के रूप में नामित किया गया है, जिसे अनुच्छेद 394 में भी स्पष्ट किया गया है। इन दोनों तिथियों के मध्य का अंतर ऐतिहासिक महत्व और कुछ प्रशासनिक प्रावधानों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता के कारण रखा गया था, जो व्यवस्था हेतु अनिवार्य थे।

47. (1) एक परिचय जिसमें संपूर्ण संविधान का सारांश या सार होता है।
प्रस्तावना किसी भी संविधान का वह अनिवार्य भाग है जो उसके उद्देश्यों, सिद्धांतों और दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। एन. ए. पालकीवाला जैसे प्रसिद्ध विधिवेत्ता ने इसे 'संविधान का परिचय पत्र' कहा है। यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। यह मुख्य रूप से उन महान आदर्शों को रेखांकित करती है जिन्हें भारतीय गणतंत्र प्राप्त करना चाहता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता।

48. (2) जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया 'उद्देश्य प्रस्ताव' है। इस प्रस्ताव ने संविधान के भावी ढांचे और उसके दर्शन की रूपरेखा तैयार की थी। सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पश्चात में, इसी प्रस्ताव के संशोधित स्वरूप को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया, जो आज भी संविधान के पीछे की मूल भावना और संकल्प को जीवंत बनाए हुए है।

49. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
विभिन्न विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना के महत्व को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। एन. ए. पालकीवाला ने इसे 'संविधान का परिचय पत्र' कहा। के. एम. मुंशी ने इसे 'हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली' बताया। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का 'मुख्य नोट' माना, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने इसे 'संविधान की आत्मा' और एक 'अनमोल रत्न' कहा। ये सभी टिप्पणियाँ प्रस्तावना की गहराई और उसके मार्गदर्शक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

50. (1) केवल I, II और III
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द सम्मिलित किए गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह अब तक का

Click Here to Buy book on Amazon

एकमात्र अवसर है जब प्रस्तावना में कोई संशोधन किया गया है। 'बंधुत्व' शब्द मूल प्रस्तावना में पूर्व से ही उपस्थित था। इन नए शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य भारतीय राज्य की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करना और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था, जो बदलते परिवेश हेतु आवश्यक था।

51. (3) भारत के लोग
प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द "हम भारत के लोग" स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं कि भारतीय संविधान की शक्ति और अधिकार का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। इसका अर्थ है कि संविधान न तो किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपा गया है और न ही यह केवल किसी सभा की उपज है, अपितु यह देश के नागरिकों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च संप्रभुता जनता में निहित होती है और संविधान इसी संप्रभुता को एक कानूनी और औपचारिक रूप प्रदान करता है।

52. (4) यह विधायिका के लिए वास्तविक शक्ति के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में कार्य करती है।
प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और भारतीय राज्य की प्रकृति (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य) का वर्णन करती है, परंतु यह स्वयं विधायिका हेतु शक्ति का स्रोत नहीं है। इसके प्रावधान न्यायालयों में सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं हैं, जिसका तात्पर्य है कि यह गैर-न्यायोचित है। हालांकि, न्यायपालिका इसका उपयोग संविधान के संदिग्ध प्रावधानों की व्याख्या करने हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में करती है। यह संविधान निर्माताओं के महान विचारों और आदर्शों को समझने का आधार है।

53. (3) इसके प्रावधान न्यायालयों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
प्रस्तावना की गैर-न्यायोचित प्रकृति का अर्थ है कि यदि इसके किसी आदर्श का उल्लंघन होता है, तो नागरिक इसे लागू कराने हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रस्तावना महत्वहीन है। यह संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसके बुनियादी ढांचे को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बदला नहीं जा सकता। यह संवैधानिक व्याख्या हेतु एक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करती है।

54. (2) II, IV, III, V, I
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति को परिभाषित करने वाले शब्दों का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्रम है। यह क्रम है: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यह क्रम भारत की राजनीतिक व्यवस्था की क्रमिक विशेषताओं को दर्शाता है। 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्षक' शब्दों को 1976 में जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि राज्य न केवल स्वतंत्र है, अपितु वह सामाजिक न्याय और सभी धर्मों के प्रति समानता हेतु भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

55. (4) राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
'गणराज्य' शब्द का तात्पर्य है कि भारत में शासन का प्रमुख वंशानुगत राजा नहीं होता है। इसके विपरीत, राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) जनता द्वारा एक निश्चित अवधि हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यह राजनीतिक संप्रभुता के किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता के हाथों में होने का प्रतीक है। इसके साथ ही, इसका अर्थ किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति भी है, जिससे सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक हेतु खुले होते हैं।

56. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारत ने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' को अपनाया है, जो साम्यवादी समाजवाद से भिन्न है। लोकतांत्रिक समाजवाद 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' में विश्वास करता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव देखा जाता है जो जनकल्याण पर आधारित है।

57. (3) देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है।
भारत में 'पंथनिरपेक्षता' की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य धर्म विरोधी है, अपितु इसका तात्पर्य है कि राज्य हेतु सभी धर्म समान हैं। सरकार किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देती और न ही किसी के साथ भेदभाव करती है। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान स्वतंत्रता प्राप्त है। यह सिद्धांत भारत की बहुलवादी संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

58. (1) केवल I, III और IV
'संप्रभु' होने का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। 'पंथनिरपेक्ष' शब्द सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। 'लोकतंत्रात्मक' का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। हालांकि, भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 'गणराज्य' यह दर्शाता है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक सम्राट या विशेष व्यक्ति में निहित होती है।

59. (4) निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग।
प्रस्तावना में परिकल्पित लोकतंत्र 'प्रतिनिधि लोकतंत्र' है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ कार्यपालिका अपनी नीतियों हेतु विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र का यह स्वरूप केवल राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं है, अपितु यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी समाहित करता है। इसका उद्देश्य शासन की

NODIA

बागडोर अंततः आम नागरिकों की सहमति और नियंत्रण में रखना है।

60. (2) भारत किसी भी परिस्थिति में विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।
'संप्रभु' शब्द स्पष्ट करता है कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है जो किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते, भारत के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करने या अपने क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य देश के पक्ष में छोड़ने की पूर्ण शक्ति है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में भागीदारी भारत की संप्रभुता को सीमित नहीं करती, क्योंकि ये स्वैच्छिक और बाहरी समझौते मात्र हैं।

61. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राज्य का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उनका कार्यकाल पांच वर्षों का निश्चित होता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन जैसी संवैधानिक राजशाही से पूर्णतः भिन्न है, जहाँ राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है। गणराज्य होने का यह गुण भारतीय लोकतंत्र की उस विशेषता को पुष्ट करता है जहाँ प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च पद तक पहुँचने का अवसर है।

62. (4) विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति और सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक कार्यालयों का खुला होना।
'लोकतंत्रात्मक गणराज्य' का आदर्श सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक शक्ति किसी विशेष वर्ग के पास न होकर जनता में निहित है। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि समाज में किसी को भी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पदों पर आसीन हो सकता है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता की नींव को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

63. (2) न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सूचीबद्ध आदर्शों का एक निश्चित वैचारिक क्रम है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक अवसर प्रदान करती है, जबकि समानता भेदभाव को मिटाती है। बंधुत्व इन सभी को एकता के सूत्र में पिरोता है। यह क्रम दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की प्राथमिकता निर्धारित की थी।

64. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
प्रस्तावना के आदर्श वैश्विक क्रांतियों से प्रेरित हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रसिद्ध शब्द 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य नारे थे। गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांसीसी परंपरा से प्रभावित है, जहाँ राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की भारतीय अवधारणा गांधीवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों का अनूठा समन्वय है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण सुनिश्चित करना और आर्थिक विषमता कम करना है।

65. (2) गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों का प्रावधान।
प्रस्तावना में 'स्वतंत्रता' का अर्थ केवल बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, अपितु यह नागरिकों को उनके व्यक्तित्व को निखारने हेतु रचनात्मक अवसर प्रदान करने के बारे में भी है। हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण या निरंकुश नहीं है; इसे संविधान द्वारा निर्धारित उचित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सके और बिना किसी अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के अपने विश्वास और धर्म का पालन कर सके।

66. (1) आर्थिक न्याय — आर्थिक कारकों के आधार पर गैर-भेदभाव।
आर्थिक न्याय का अर्थ है कि संपदा और आय की असमानताओं को दूर किया जाए और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों के साथ बिना किसी जाति, रंग या धर्म के भेदभाव के समान व्यवहार करना है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकें। नागरिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी की समान स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

67. (3) केवल I, II और III
संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से न्याय के तीन अलग-अलग आयामों का उल्लेख किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कानूनी न्याय का शब्दशः उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, यद्यपि यह संविधान के अन्य अनुच्छेदों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के संयोजन को अक्सर 'वितरणात्मक न्याय' कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के न्याय को सुरक्षित करना भारतीय राज्य का प्राथमिक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और उसे गरिमापूर्ण जीवन देना है।

68. (4) व्यवसाय की स्वतंत्रता
प्रस्तावना भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये पांचों प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिक के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अनिवार्य हैं। 'व्यवसाय की स्वतंत्रता' का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, अपितु इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना की स्वतंत्रताएं मानसिक और धार्मिक जीवन से जुड़ी हैं, जबकि व्यवसाय की स्वतंत्रता उसकी आर्थिक गतिविधियों और आजीविका से संबंधित अधिकार है।

Downloaded from www.pdf.tube

69. (3) भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल देती है।
'बंधुत्व' का अर्थ है समस्त देशवासियों में भाईचारे की गहरी भावना का विकास करना। संविधान सुनिश्चित करता है कि बंधुत्व के माध्यम से दो चीजें सुरक्षित रहें: प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और द्वितीय, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत जैसे विविध देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं और धर्म हैं, बंधुत्व की यह भावना ही देश को एकजुट रखती है। इसे बढ़ावा देने हेतु संविधान ने एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को दृढ़ता के साथ सम्मिलित किया है।

70. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
समानता का आदर्श सुनिश्चित करता है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास विशेष विशेषाधिकार न हों और सभी को बिना भेदभाव के पर्याप्त अवसर मिलें। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। इसमें नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता (जैसे समान कार्य हेतु समान वेतन) के आयाम शामिल हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

71. (4) बेरुबारी यूनियन मामला (1960)
बेरुबारी यूनियन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, परंतु यह संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि, 13 वर्ष पश्चात ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में न्यायालय ने अपने मत को बदलते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। पश्चात में एलआईसी ऑफ इंडिया मामले (1995) में भी न्यायालय ने पुनः इसकी पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान की आंतरिक संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है।

72. (1) II, I, III
प्रस्तावना की कानूनी स्थिति के विकास को तीन प्रमुख वादों के माध्यम से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम 1960 में बेरुबारी यूनियन मामला आया, जिसमें इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। इसके पश्चात 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, जिसने इस धारणा को परिवर्तित कर इसे संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया। अंततः 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया मामला हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे इसकी स्थिति सुदृढ़ हुई।

73. (1) केवल I और II
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह व्याख्या हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसके प्रावधान न्यायालयों में सीधे प्रवर्तनीय हैं। इसने 'बुनियादी ढांचे' का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रस्तावना के उन मूल तत्वों को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान की आधारभूत पहचान और दर्शन को परिभाषित करते हैं।

74. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
उच्चतम न्यायालय के अनुसार, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण हेतु, 42वें संशोधन द्वारा इसमें नए शब्द सम्मिलित किए गए थे। हालांकि, संशोधन की यह शक्ति असीमित नहीं है। केशवानंद भारती मामले में यह स्थापित किया गया कि संसद प्रस्तावना में निहित 'बुनियादी ढांचे' के उन मूलभूत तत्वों को नहीं हटा सकती जो संविधान की मूल आत्मा और उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को सुरक्षित और परिभाषित करते हैं।

75. (4) यह विधायिका की शक्तियों पर प्रत्यक्ष सीमाएं आरोपित करती है।
प्रस्तावना के विषय में यह समझना अनिवार्य है कि यह न तो विधायिका को कोई वास्तविक शक्ति प्रदान करती है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई कानूनी प्रतिबंध लगाती है। यह गैर-न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून की अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान सभा ने इसे पूरे संविधान के पारित होने के पश्चात अंत में अधिनियमित किया था ताकि इसकी संगति बनी रहे। इसे अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है और इसे संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है।

76. (2) प्रस्तावना
जब संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट होती है, तो न्यायपालिका निर्माताओं के वास्तविक इरादे को समझने हेतु प्रस्तावना का सहारा लेती है। प्रस्तावना उन महान आदर्शों और लक्ष्यों का दर्पण है जिन्हें प्राप्त करने हेतु संविधान बनाया गया था। इसे 'संविधान की कुंजी' माना जाता है क्योंकि यह व्याख्या करने में सहायता करती है कि कोई विशिष्ट प्रावधान किस उद्देश्य हेतु बनाया गया है। इस प्रकार, यह जटिल कानूनी मामलों में संवैधानिक व्याख्या का एक विश्वसनीय और दार्शनिक आधार प्रदान करती है।

77. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
संविधान के भाग II में नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों के अधिकारों को परिभाषित करता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो पाकिस्तान गए परंतु पुनर्वास हेतु वापस लौट आए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, जिससे प्रवासी भारतीयों का जुड़ाव देश से बना रहता है।

78. (3) अनुच्छेद 11
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह व्यापक शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करे। संविधान सभा ने नागरिकता हेतु केवल एक आधारभूत ढांचा

NODIA

तैयार किया था जो 26 जनवरी 1950 तक सीमित था। भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नियमों को विस्तृत करने की जिम्मेदारी संसद को सौंपी गई। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने ऐतिहासिक 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया था।

79. (1) केवल 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर।
संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 केवल उन व्यक्तियों की श्रेणियों की पहचान करते हैं जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बने थे। ये अनुच्छेद नागरिकता के स्थायी अर्जन या भविष्य में नागरिकता खोने हेतु विस्तृत नियम प्रदान नहीं करते हैं। इस उद्देश्य हेतु संविधान ने संसद को भविष्य की स्थितियों को संभालने का अधिकार दिया है। अतः 1950 के पश्चात के नागरिकता संबंधी सभी मामले मुख्य रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा ही निर्देशित होते हैं।

80. (2) केवल V
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हेतु कई आधार थे, जैसे भारत में जन्म, पाकिस्तान से प्रवास और भारतीय मूल का होना। अनुच्छेद 9 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अन्य सभी कथन जैसे 19 जुलाई 1948 की समय सीमा और प्रवासियों के अधिकार सही हैं, जो उस समय के विभाजन की कठिन परिस्थितियों को दर्शाते हैं।

81. (1) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत ने 'एकल नागरिकता' के सिद्धांत को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति केवल देश का नागरिक हो सकता है, किसी विशेष राज्य का नहीं। अनुच्छेद 9 इस सिद्धांत को पुष्ट करता है क्योंकि यह विदेशी नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिकता को स्वतः समाप्त कर देता है। यह व्यवस्था देश की एकता को सुदृढ़ करने और नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय भेदभाव को रोकने हेतु बनाई गई है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीयों की निष्ठा अपने देश के प्रति हो।

82. (4) अनुच्छेद 11
अनुच्छेद 5 से 10 सीधे तौर पर उन विभिन्न परिस्थितियों और मानदंडों का वर्णन करते हैं जिनके आधार पर 26 जनवरी 1950 को किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया था। इसके विपरीत, अनुच्छेद 11 इन स्थितियों के निर्धारण से संबंधित नहीं है, अपितु यह संसद को भविष्य हेतु नागरिकता कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद एक सेतु की भांति कार्य करता है जो संविधान के प्रारंभ की नागरिकता स्थिति को भविष्य की वैधानिक व्यवस्थाओं से जोड़ता है, जिससे निरंतरता बनी रहती है।

83. (3) अनुच्छेद 7
अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों हेतु एक विशेष प्रावधान करता है जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान चले गए थे, परंतु पश्चात में पुनर्वास हेतु भारत वापस लौट आए। ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जा सकता था यदि वे भारत में कम से कम छह माह तक रहे हों और पंजीकरण हेतु आवेदन किया हो। यह प्रावधान विभाजन के दौरान हुई अनिश्चितताओं और विस्थापन के मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ताकि लौटने के इच्छुक लोगों को पुनः नागरिकता मिल सके।

84. (4) अधिवास का तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से रहने के इरादे से निवास करना है।
अनुच्छेद 5 के संदर्भ में 'अधिवास' नागरिकता हेतु एक अनिवार्य शर्त है। अधिवास का अर्थ केवल भौतिक रूप से किसी स्थान पर उपस्थित होना नहीं है, अपितु वहां स्थायी रूप से बसने के वास्तविक इरादे के साथ निवास करना है। कानून के अनुसार, एक व्यक्ति का एक समय में केवल एक ही अधिवास हो सकता है। केवल भारत में जन्म लेना ही नागरिकता हेतु पर्याप्त नहीं था, जब तक कि व्यक्ति का स्थायी निवास का इरादा और लगाव भारत के साथ न हो। यह जुड़ाव नागरिकता का मूल आधार है।

85. (4) I, II, III और IV
नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पांच विस्तृत मार्ग प्रदान करता है। इनमें 'जन्म से' नागरिकता, 'वंश के आधार पर', 'पंजीकरण द्वारा' और 'प्राकृतिकरण द्वारा' सम्मिलित हैं। पांचवां मार्ग 'क्षेत्र समाविष्टि द्वारा' है, जो तब लागू होता है जब कोई नया विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है। ये प्रावधान संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो समय के साथ राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित भी होते रहे हैं।

86. (2) 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ हो और उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हों।
'वंश के आधार पर' नागरिकता मुख्य रूप से उन व्यक्तियों हेतु है जिनका जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर हुआ है। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जा सकता है यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था। वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसे जन्म का पंजीकरण एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान विदेश में रहने वाले भारतीय परिवारों के बच्चों को अधिकार देता है।

87. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकरण और प्राकृतिकरण दो पृथक प्रक्रियाएं हैं। पंजीकरण मुख्य रूप से भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले व्यक्तियों हेतु है, जिन्हें भारत में रहने की एक निश्चित अवधि पूरी करनी होती है। प्राकृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी विदेशी नागरिक, जो भारतीय मूल का नहीं है, कुछ योग्यताओं और निष्ठा की शपथ को पूर्ण करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये दोनों विधियां भारत की नागरिकता व्यवस्था को समावेशी बनाती हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

88. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
नागरिकता प्राप्त करने की प्रत्येक विधि की अपनी विशिष्ट शर्तें हैं। जन्म से नागरिकता भारत में पैदा होने की तिथि और माता-पिता की तत्कालीन नागरिकता स्थिति पर निर्भर करती है। पंजीकरण उन लोगों हेतु है जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हैं और कम से कम सात वर्षों से भारत में रह रहे हैं। प्राकृतिकरण हेतु आवेदक को पिछली नागरिकता त्यागनी पड़ती है और भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। क्षेत्र समाविष्टि के मामले में, केंद्र सरकार अधिसूचित करती है कि कौन से व्यक्ति नागरिक माने जाएंगे।

89. (3) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे।
जब कोई नया विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है (जैसे पांडिचेरी का विलय), तो उस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। सरकार एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करती है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम या श्रेणियों को निर्दिष्ट किया जाता है जिन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके हेतु प्रत्येक निवासी को पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु सरकार की अधिसूचना ही उनकी नई नागरिकता स्थिति का कानूनी आधार और प्रमाण बन जाती है।

90. (1) नहीं, क्योंकि विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से नागरिकता के पात्र नहीं हैं।
नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ महत्वपूर्ण अपवाद दिए गए हैं। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे, भले ही वे भारतीय भूमि पर पैदा हुए हों, जन्म से भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है। ऐसे बच्चों को उनके माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त होती है। अतः इस मामले में माता के भारतीय होने के उपरांत भी, पिता की राजनयिक स्थिति के कारण बच्चे को स्वतः नागरिकता प्राप्त नहीं होगी।

91. (4) I, II और III
नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता खोने के तीन मार्ग निर्धारित करता है। 'त्याग' तब होता है जब कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है। 'समाप्ति' तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जिससे उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 'वंचना' एक अनिवार्य समाप्ति है जो केंद्र सरकार द्वारा धोखाधड़ी, संविधान के प्रति अनादर या युद्ध के समय शत्रु के साथ अवैध व्यापार जैसे गंभीर आधारों पर की जाती है।

92. (2) नागरिक स्वेच्छा से रोजगार के लिए दूसरे देश में चला गया है।
नागरिकता की वंचना एक दंडात्मक कार्रवाई है और इसके हेतु विशिष्ट कानूनी आधार अनिवार्य हैं। सरकार किसी नागरिक को नागरिकता से तभी वंचित कर सकती है यदि उसने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, संविधान के प्रति निष्ठा न दिखाई हो, या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की हो। केवल रोजगार या उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना नागरिकता खोने का आधार नहीं है। हालांकि, यदि कोई नागरिक सात वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहता है (बिना किसी वैध कारण के), तो उसकी नागरिकता स्थिति प्रभावित हो सकती है।

93. (2) प्राकृतिकरण के पांच वर्षों के भीतर दो वर्ष।
प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों हेतु एक विशिष्ट शर्त निर्धारित है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के पांच वर्ष के भीतर किसी भी देश में दो वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो केंद्र सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु है कि केवल उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति ही देश के नागरिक बने रहें और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता बनी रहे।

94. (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 9 के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि समाप्ति का यह नियम उन अवधियों के दौरान लागू नहीं होता जब भारत किसी युद्ध में संलग्न हो। युद्ध के समय सरकार ऐसी समाप्ति को रोक सकती है ताकि कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से बच न सके। यह सुरक्षात्मक उपाय राष्ट्र के व्यापक हितों की रक्षा हेतु आवश्यक है।

95. (1) नागरिकता त्यागने वाले व्यक्ति के नाबालिग बच्चे अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं।
जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्यागने की आधिकारिक घोषणा करता है, तो उसके साथ ही उसके नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिकता खो देते हैं। हालांकि, ऐसे बच्चों हेतु एक सुरक्षात्मक प्रावधान है। जब वह बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास एक वर्ष का समय होता है जिसमें वह अपनी भारतीय नागरिकता को पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। त्याग की यह घोषणा केवल पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति द्वारा ही विधिक रूप से की जा सकती है।

96. (4) I, II, III और IV और V
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एक ऐतिहासिक कानून है जो तीन पड़ोसी देशों—पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान—से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को राहत प्रदान करता है। पात्र प्रवासियों हेतु नागरिकता की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 निर्धारित है। यह अधिनियम कुछ जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों को सुरक्षा देता है। साथ ही, इसने इन समूहों हेतु प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है।

NODIA

97. (2) पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान; हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 विशेष रूप से तीन मुस्लिम बहुल देशों: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन नागरिकों पर केंद्रित है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। इसमें छह अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की गई है: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन समुदायों के वे लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया था, वे अब अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे और त्वरित गति से नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह कानून विशिष्ट मानवीय संदर्भों को संबोधित करता है।

98. (1) केवल I और II
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते जो संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली प्रभावी है, उन्हें भी इस अधिनियम से छूट प्रदान की गई है। इन छूटों का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय समुदायों की जनसांख्यिकीय संरचना, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे क्षेत्रीय चिंताओं और राष्ट्रीय कानूनों में संतुलन बना रहे।

99. (3) 31 दिसंबर 2014
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता हेतु पात्र माना जाएगा यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो। इस तिथि को कट-ऑफ के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि उन लोगों को विधिक संरक्षण दिया जा सके जो दीर्घ समय से भारत में शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं। इसके पश्चात भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर यह विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होगा।

100. (4) तीन विशिष्ट देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का मुख्य उद्देश्य उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर सुरक्षा प्रदान करना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। यह कानून विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों हेतु नागरिकता के मार्ग को सुलभ बनाता है। यह अधिनियम शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें एक गौरवपूर्ण भारतीय पहचान देने का प्रयास करता है, जिससे वे राष्ट्र की मुख्यधारा का स्थाई हिस्सा बन सकें।

NODIA

अध्याय 02
मौलिक अधिकार

1. भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है?
(1) भाग II
(2) भाग III
(3) भाग IV
(4) भाग V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

2. भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित थी?
(1) संयुक्त राज्य अमेरिका
(2) यूनाइटेड किंगडम
(3) आयरलैंड
(4) कनाडा
(5) प्रश्न अनुत्तरित

3. संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत, निम्नलिखित में से कौन 'राज्य' की परिभाषा में शामिल नहीं है?
(1) भारत की सरकार और संसद
(2) प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल
(3) निजी निकाय जो किसी सार्वजनिक कार्य का निष्पादन नहीं करते हैं
(4) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारी
(5) प्रश्न अनुत्तरित

4. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि वे सभी विधियाँ जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करती हैं, शून्य होंगी।
कारण (R): अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा किस मूल की है?
(1) अमेरिकी मूल
(2) फ्रांसीसी मूल
(3) ब्रिटिश मूल
(4) रूसी मूल
(5) प्रश्न अनुत्तरित

6. अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल किन आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है?
(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान
(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान
(3) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास
(4) धर्म, मूलवंश, भाषा, लिंग या जन्म स्थान
(5) प्रश्न अनुत्तरित

7. सूची I के अनुच्छेदों को सूची II के प्रावधानों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 14
B. अनुच्छेद 15
C. अनुच्छेद 16
D. अनुच्छेद 17
सूची II: (प्रावधान)
i. लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता
ii. अस्पृश्यता का अंत
iii. विधि के समक्ष समता
iv. भेदभाव का निषेध
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

8. संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की गारंटी देता है।
कथन II: राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से प्रतिबंधित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

Downloaded from www.pdf.tube

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

9. अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. वे नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
II. उन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
III. वे राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न अनुत्तरित

10. अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शामिल करने के लिए किया गया है?
(1) त्वरित सुनवाई का अधिकार
(2) एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
(3) निजता का अधिकार
(4) उपरोक्त सभी
(5) प्रश्न अनुत्तरित

11. एक निम्न जाति के व्यक्ति को केवल जाति के आधार पर सार्वजनिक कुएं के उपयोग से वंचित कर दिया जाता है। यह कृत्य सीधे तौर पर किस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है?
(1) अनुच्छेद 16
(2) अनुच्छेद 17
(3) अनुच्छेद 19
(4) अनुच्छेद 21
(5) प्रश्न अनुत्तरित

12. अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाने वाली रिट के संबंध में बेमेल की पहचान करें:
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(2) व्यादेश
(3) परमादेश
(4) उत्प्रेषण
(5) प्रश्न अनुत्तरित

13. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से मानव तस्करी और बलात श्रम को प्रतिबंधित करता है?
(1) अनुच्छेद 22
(2) अनुच्छेद 23
(3) अनुच्छेद 24
(4) अनुच्छेद 25
(5) प्रश्न अनुत्तरित

14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत पहली चार स्वतंत्रताओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता; शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता; सर्वत्र निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता
(2) शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता; वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता; सर्वत्र निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता
(3) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता; वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; सर्वत्र निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता; शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता
(4) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता; संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता; सर्वत्र निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता
(5) प्रश्न अनुत्तरित

15. रिट और उनके अर्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(1) उत्प्रेषण - प्रतिषेध करना
(2) बंदी प्रत्यक्षीकरण - सशरीर प्रस्तुत करना
(3) परमादेश - हम आदेश देते हैं
(4) अधिकार पृच्छा - किस अधिकार से
(5) प्रश्न अनुत्तरित

16. अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की गारंटी देता है। यह अधिकार किसके अधीन है?
(1) राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता
(2) लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य
(3) विदेशी संबंध और सार्वजनिक शालीनता
(4) राष्ट्र की एकता और अखंडता
(5) प्रश्न अनुत्तरित

NODIA

17. सूची I के अनुच्छेदों को सूची II के विषय वस्तु के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 25
B. अनुच्छेद 26
C. अनुच्छेद 27
D. अनुच्छेद 28
सूची II: (विषय वस्तु)
i. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
ii. धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता
iii. अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता
iv. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

18. अनुच्छेद 29 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) यह नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है।
(2) यह विशेष रूप से केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
(3) यह राज्य को भाषाई आधार पर संस्थानों में प्रवेश देने से मना करने की अनुमति देता है।
(4) यह अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के लिए अधिकृत करता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

19. अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह स्वयं में एक मूल अधिकार है।
II. इसके तहत रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल और अनन्य अधिकार क्षेत्र है।
III. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
IV. इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

20. संवैधानिक विधि में प्रयुक्त 'आच्छादन का सिद्धांत', मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से संबंधित प्रभाव है?
(1) अनुच्छेद 12
(2) अनुच्छेद 13
(3) अनुच्छेद 14
(4) अनुच्छेद 21
(5) प्रश्न अनुत्तरित

21. अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है?
(1) अनुच्छेद 28
(2) अनुच्छेद 29
(3) अनुच्छेद 30
(4) अनुच्छेद 32
(5) प्रश्न अनुत्तरित

22. भेदभाव न करने के निम्नलिखित आधारों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान के अनुच्छेद 15(1) में दिए गए हैं:
I. जाति
II. मूलवंश
III. लिंग
IV. धर्म
V. जन्म स्थान
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है?
(1) IV, II, I, III, V
(2) I, II, III, IV, V
(3) IV, I, II, III, V
(4) II, IV, I, III, V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

23. संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रयुक्त 'अस्पृश्यता' शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है?
(1) स्वयं संविधान में
(2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में
(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में
(4) यह न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

24. निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें:
I. भारतीय जीवन बीमा निगम
II. तेल और प्राकृतिक गैस निगम
III. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
IV. बिना किसी राज्य वित्त पोषण वाला एक निजी स्कूल
V. गैर-प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने वाली न्यायपालिका
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए अनुच्छेद 12 के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी संस्था 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत आती है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल I, II, III और V
(4) केवल II, III, IV और V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

25. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?
(1) अनुच्छेद 14
(2) अनुच्छेद 19
(3) अनुच्छेद 21
(4) अनुच्छेद 25
(5) प्रश्न अनुत्तरित

26. मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: राज्य लोक व्यवस्था के आधार पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा

Click Here to Buy book on Amazon

सकता है।
कथन II: प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का निर्धारण न्यायपालिका करती है और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

27. सूची I की स्वतंत्रताओं को सूची II में प्रतिबंध के आधारों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता)
A. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
B. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता
C. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता
D. संचरण की स्वतंत्रता
सूची II: (प्रतिबंध का आधार)
i. साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए
ii. भारत की संप्रभुता और अखंडता, और लोक व्यवस्था
iii. मानहानि या न्यायालय की अवमानना
iv. लोक व्यवस्था या नैतिकता
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

28. संविधान के अनुच्छेद 24 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें:
(1) यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित करने का निषेध करता है।
(2) यह अहानिकर और निर्दोष कार्यों में बच्चों के नियोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
(3) यह किसी भी अन्य संकटमय नियोजन में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है।
(4) यह बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के साथ मिलकर कार्य करता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

29. अनुच्छेद 21 से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर विचार करें:
I. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
II. मेनका गांधी बनाम भारत संघ
III. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उपरोक्त में से कौन सा मामला भारतीय न्यायशास्त्र में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से 'विधि की उचित प्रक्रिया' की ओर बदलाव का प्रतीक है?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल I और III
(4) केवल II और III
(5) प्रश्न अनुत्तरित

30. निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 14 के तहत 'विधि के समक्ष समता' के नियम का अपवाद है?
(1) भारत के प्रधानमंत्री
(2) संसदीय कार्यवाही के दौरान संसद सदस्य
(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(4) राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए
(5) प्रश्न अनुत्तरित

31. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहने के कारण का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(1) यह मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय बनाता है।
(2) यह संसद को भारतीय संविधान के भाग III में संशोधन करने का अधिकार देता है।
(3) यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका एक सशक्त केंद्र सरकार प्रणाली बनाए रखे।
(4) यह अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

NODIA

32. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है?
(1) कार्योत्तर विधि
(2) निवारक निरोध
(3) दोहरा दंड
(4) आत्म-अभिशंसन
(5) प्रश्न अनुत्तरित

33. एक धार्मिक समुदाय पूर्णतः अपने सदस्यों द्वारा प्रबंधित एक धर्मार्थ अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लेता है। राज्य इस अस्पताल को एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा प्रबंधित किए जाने का हवाला देते हुए सामान्य सहायता देने से इनकार कर देता है। समुदाय मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के तहत इस निर्णय को चुनौती दे सकता है?
(1) अनुच्छेद 25
(2) अनुच्छेद 26
(3) अनुच्छेद 29
(4) अनुच्छेद 30
(5) प्रश्न अनुत्तरित

34. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों

कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
कारण (R): अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को विशेष रूप से संविधान के भाग III के प्रवर्तन तक सीमित करता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

35. आरक्षण और उनके संवैधानिक आधार के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान करें:
(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण - अनुच्छेद 15(4)
(2) पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण - अनुच्छेद 16(4A)
(3) न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाना - अनुच्छेद 16(2)
(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान - अनुच्छेद 15(3)
(5) प्रश्न अनुत्तरित

36. कौन सा अनुच्छेद किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होने पर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है?
(1) अनुच्छेद 33
(2) अनुच्छेद 34
(3) अनुच्छेद 35
(4) अनुच्छेद 352
(5) प्रश्न अनुत्तरित

37. सूची I की रिटों को सूची II में उनके जारी करने की शर्तों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (रिट)
A. उत्प्रेषण
B. प्रतिषेध
C. परमादेश
D. अधिकार पृच्छा
सूची II: (जारी करने की शर्त)
i. उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने दूसरे को अवैध रूप से हिरासत में लिया है
ii. किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने के लिए विवश करने हेतु जारी किया जाता है
iii. किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है
iv. निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है
v. सार्वजनिक पद पर दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-v
(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-v
(3) A-iv, B-iii, C-v, D-ii
(4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न अनुत्तरित

38. अनुच्छेद 23 में उल्लिखित 'बेगार' शब्द का तात्पर्य है:
(1) मनुष्यों की व्यावसायिक खरीद और बिक्री।
(2) बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य श्रम।
(3) औद्योगिक क्षेत्रों में बच्चों का नियोजन।
(4) हाथ से मैला ढोने की प्रथाओं में संलिप्तता।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

39. अनुच्छेद 15 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह राज्य को कुछ विशिष्ट आधारों पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है।
II. यह निजी नागरिकों द्वारा सार्वजनिक भोजनालयों और दुकानों में प्रवेश से वंचित करने से रोकता है।
III. यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
IV. यह राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से रोकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

40. अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
कथन II: 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का संरक्षण शत्रु अन्यदेशीयों और निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

41. गैर-नागरिकों के लिए उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से बेमेल को पहचानें:
(1) अनुच्छेद 14
(2) अनुच्छेद 15

Downloaded from www.pdf.tube

(3) अनुच्छेद 20
(4) अनुच्छेद 21
(5) प्रश्न अनुत्तरित

42. अनुच्छेद 21A, जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था?
(1) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(2) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(3) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(4) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
(5) प्रश्न अनुत्तरित

43. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) ये अधिकार विशेष रूप से केवल धार्मिक समूहों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं।
(2) अनुच्छेद 30 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है।
(3) अल्पसंख्यक संस्थान राज्य के सभी शैक्षिक विनियमों से पूर्णतः मुक्त हैं।
(4) राज्य सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यक प्रबंधन के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

44. रिट की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. परमादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है।
II. प्रतिषेध केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
III. उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
IV. अधिकार पृच्छा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
V. बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और IV
(3) केवल V
(4) केवल IV और V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

45. निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 14 के तहत समता के सामान्य नियम का अपवाद नहीं है?
(1) भारत के राष्ट्रपति को दी गई उन्मुक्तियाँ
(2) विदेशी संप्रभु और राजनयिकों को दी गई उन्मुक्तियाँ
(3) किसी नागरिक के जन्मस्थान के आधार पर केवल भेदभावपूर्ण व्यवहार
(4) बोधगम्य अंतर पर आधारित उचित वर्गीकरण
(5) प्रश्न अनुत्तरित

46. 'विधि का शासन' का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है?
(1) अनुच्छेद 12
(2) अनुच्छेद 13
(3) अनुच्छेद 14
(4) अनुच्छेद 21
(5) प्रश्न अनुत्तरित

47. सूची I के संवैधानिक सिद्धांतों को सूची II के संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (संवैधानिक सिद्धांत)
A. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
B. उपाधियों का अंत
C. मानव तस्करी का निषेध
D. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
सूची II: (संबंधित अनुच्छेद)
i. अनुच्छेद 18
ii. अनुच्छेद 21
iii. अनुच्छेद 23
iv. अनुच्छेद 26
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

48. भारत में अनुच्छेद 30 के उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?
(1) भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या के 50% से कम वाला समुदाय।
(2) किसी विशिष्ट राज्य में 50% से कम जनसंख्या वाला समूह।
(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध समुदाय।
(4) अपनी कुल संख्या के बावजूद एक पृथक संस्कृति बनाए रखने वाला कोई भी सामाजिक समूह।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

49. अनुच्छेद 26 के तहत निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें:
I. धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार।
II. जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार।
III. ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।
उपरोक्त में से कौन सा/से अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है/हैं?
(1) केवल I

NODIA

(2) केवल I और II
(3) केवल III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न अनुत्तरित

50. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
(1) अनुच्छेद 14 और 15
(2) अनुच्छेद 19 और 20
(3) अनुच्छेद 20 और 21
(4) अनुच्छेद 21 और 22
(5) प्रश्न अनुत्तरित

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के तहत न्यायपालिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
कथन II: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायालय प्रशासनिक कार्य करते समय 'राज्य' के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन न्यायिक कार्य करते समय नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

52. अनुच्छेद 28 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
(2) उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं लेकिन किसी ऐसे विन्यास के तहत स्थापित हुए हैं जिसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है।
(3) यदि कोई नाबालिग राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है, तो उसे धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
(4) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, छात्रों को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

53. यदि किसी नागरिक के अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन बिना किसी राज्य समर्थन के किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के संबंध में तत्काल प्रभाव क्या होगा?
(1) नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
(2) नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सीधे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है।
(3) नागरिक अनुच्छेद 32 का सहारा नहीं ले सकता क्योंकि मूल अधिकार आमतौर पर राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं।
(4) मूल अधिकार बहाल करने के लिए राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

54. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): भारतीय संविधान ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 में 'विधि की उचित प्रक्रिया' के स्थान पर 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली को अपनाया था।
कारण (R): संविधान निर्माता न्यायालयों को केवल अनुचित या अन्यायपूर्ण होने के आधार पर विधियों को अमान्य करने का अधिकार देना चाहते थे।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

55. अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित नहीं है?
(1) विदेशी राज्य द्वारा किसी भारतीय नागरिक को प्रदान की गई उपाधियाँ
(2) पूर्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कुलीनता की वंशानुगत उपाधियाँ
(3) राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारत में लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी को विदेशी राज्य द्वारा दी गई सम्मान की उपाधियाँ
(4) शैक्षणिक विशिष्टताएँ या सैन्य पद
(5) प्रश्न अनुत्तरित

56. राज्य व्यापक यातायात व्यवधानों को रोकने के लिए नागरिकों को एक प्रमुख राजमार्ग पर सार्वजनिक प्रदर्शन करने से रोकने वाली विधि बनाता है। किस प्रावधान के तहत राज्य इसे उचित ठहरा सकता है?
(1) वाक् और अभिव्यक्ति के नियमन के संबंध में अनुच्छेद 19(2)।
(2) शांतिपूर्ण सभा के नियमन के संबंध में अनुच्छेद 19(3)।
(3) विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद 14।
(4) सामान्य आवाजाही करने वाली जनता के जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

57. सूची I के वादों को सूची II के मूल अधिकारों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

Click Here to Buy book on Amazon

सूची I: (वाद)
A. इंदिरा साहनी मामला
B. विशाखा मामला
C. एम.सी. मेहता मामला
D. एस.आर. बोम्मई मामला
सूची II: (मूल अधिकार)
i. प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार
ii. धर्मनिरपेक्षता और धर्म की स्वतंत्रता
iii. लोक नियोजन में आरक्षण
iv. यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

58. अनुच्छेद 23 के तहत 'मानव तस्करी' की परिभाषा में शामिल है:
(1) वस्तुओं की तरह मनुष्यों की खरीद-बिक्री
(2) महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार
(3) देवदासी प्रथा
(4) उपरोक्त सभी
(5) प्रश्न अनुत्तरित

59. संचरण और निवास की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. ये दोनों अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं।
II. इन्हें किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
III. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर वेश्याओं के संचरण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
IV. वे विदेश यात्रा का पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

60. अनुच्छेद 33 के तहत, संसद को किसके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है?
(1) विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य।
(2) सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के सदस्य।
(3) सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कर्मी।
(4) सभी उच्च पदस्थ सिविल सेवक और वरिष्ठ राजनीतिक नेता।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

61. अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के निम्नलिखित आधारों में से बेमेल को पहचानें:
(1) न्यायालय की अवमानना
(2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
(3) अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण
(4) शिष्टाचार या नैतिकता
(5) प्रश्न अनुत्तरित

62. निम्नलिखित संरक्षणों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1), (2) और (3) में उल्लिखित हैं:
I. दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण
II. आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण
III. कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है?
(1) III, I, II
(2) I, II, III
(3) II, I, III
(4) III, II, I
(5) प्रश्न अनुत्तरित

63. अनुच्छेद 14 के तहत 'विधियों का समान संरक्षण' का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) विशेषाधिकारों और दायित्वों के संबंध में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।
(2) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार की पूर्ण अनुपस्थिति।
(3) सभी सामाजिक वर्गों का सामान्य विधि के प्रति सार्वभौमिक अधीन होना।
(4) यह संवैधानिक सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

64. निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें:
I. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
II. निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार
III. विदेश यात्रा का अधिकार
IV. प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
V. हड़ताल का अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, II, III और V
(3) केवल I, III, IV और V
(4) केवल II, III, IV और V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

65. अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

कथन II: अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

66. परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती?
(1) भारत के राष्ट्रपति
(2) निचली अदालत
(3) न्यायाधिकरण
(4) नगर निगम
(5) प्रश्न अनुत्तरित

67. सूची I की श्रेणियों को सूची II के विशिष्ट मूल अधिकारों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (व्यापक श्रेणी)
A. समता का अधिकार
B. स्वतंत्रता का अधिकार
C. शोषण के विरुद्ध अधिकार
D. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
सूची II: (विशिष्ट मूल अधिकार)
i. कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध
ii. अस्पृश्यता का अंत
iii. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
iv. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न अनुत्तरित

68. अनुच्छेद 16(4A) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) इसे पहली बार 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।
(2) यह पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का आदेश देता है।
(3) यह प्रारंभिक नियुक्ति चरण के दौरान आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करता है।
(4) यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

69. अनुच्छेद 30 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार को केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित करता है।
II. इस अधिकार में संस्थान के प्रशासन का अधिकार शामिल है।
III. राज्य किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल II
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न अनुत्तरित

70. बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निम्नलिखित सभी मामलों में जारी की जा सकती है, सिवाय:
(1) जब हिरासत अवैध हो
(2) जब हिरासत विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो
(3) जब किसी व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना निवारक निरोध विधि के तहत हिरासत में लिया गया हो
(4) जब हिरासत किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई हो
(5) प्रश्न अनुत्तरित

71. अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे दंड के सिद्धांत का अर्थ है:
(1) किसी भी व्यक्ति पर एक ही समय में दो अलग-अलग अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी भी व्यक्ति को उस दंड से अधिक का भागी नहीं बनाया जाएगा जो अपराध के समय प्रभावी विधि में वर्णित था।
(4) किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

72. उन आधारों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें जिन पर संबंधित अनुच्छेदों द्वारा भेदभाव स्पष्ट रूप से निषिद्ध है:
(1) अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
(2) अनुच्छेद 16 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास
(3) अनुच्छेद 29(2) - धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा
(4) अनुच्छेद 25 - धर्म, मूलवंश, जाति, संपत्ति
(5) प्रश्न अनुत्तरित

73. नागरिकों का एक समूह संघ बनाना चाहता है लेकिन राज्य सरकारी नीतियों पर चर्चा करने वाले सभी संघों के गठन पर प्रतिबंध लगाने वाली विधि पारित करता है। नागरिक किस मूल अधिकार के तहत इस विधि को चुनौती दे सकते हैं?
(1) अनुच्छेद 19(1)(b)
(2) अनुच्छेद 19(1)(c)
(3) अनुच्छेद 21
(4) अनुच्छेद 25

NODIA

(5) प्रश्न अनुत्तरित

74. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है लेकिन विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।
कारण (R): वर्गीकरण के उचित होने के लिए, यह बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जिसका अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध हो।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

75. उत्प्रेषण की रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसके लिए जारी की जाती है?
(1) उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देने के लिए
(2) सार्वजनिक पद पर दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए
(3) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए
(4) उनके पास लंबित मामले को स्थानांतरित करने या उनके आदेश को रद्द करने के लिए
(5) प्रश्न अनुत्तरित

76. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: राज्य अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है।
कथन II: अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण है और सार्वजनिक नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

77. सूची I के शीर्षकों को सूची II के अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (मूल अधिकार शीर्षक)
A. समता का अधिकार
B. स्वतंत्रता का अधिकार
C. शोषण के विरुद्ध अधिकार
D. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
सूची II: (अनुच्छेद)
i. अनुच्छेद 23 और 24
ii. अनुच्छेद 14 से 18
iii. अनुच्छेद 29 और 30
iv. अनुच्छेद 19 से 22
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

78. अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के बीच सबसे सटीक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) अनुच्छेद 23 नागरिकों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 24 सभी निवासियों पर लागू होता है।
(2) अनुच्छेद 23 राज्य के कार्यों को सीमित करता है, जबकि अनुच्छेद 24 निजी आचरण को सीमित करता है।
(3) अनुच्छेद 23 एक संशोधन था, जबकि अनुच्छेद 24 मूल प्रारूप में था।
(4) अनुच्छेद 23 जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

79. भारत में मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. वे आत्यंतिक हैं और किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं।
II. उनमें से कुछ नकारात्मक प्रकृति के हैं, जो राज्य के अधिकार पर सीमाएँ लगाते हैं।
III. वे न्यायोचित हैं, जो व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने की अनुमति देते हैं।
IV. वे स्थायी हैं और संसद द्वारा उनमें संशोधन या उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और IV
(2) केवल II और III
(3) केवल I, II और III
(4) केवल II, III और IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

80. एक व्यक्ति अवैध रूप से एक सार्वजनिक पद ग्रहण करता है जिसका वह हकदार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप एक नागरिक उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी करने की सर्वाधिक संभावना है?
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(2) अधिकार पृच्छा
(3) प्रतिषेध
(4) परमादेश
(5) प्रश्न अनुत्तरित

Click Here to Buy book on Amazon

81. 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान के भाग III में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किया?
(1) संपत्ति के अधिकार का विधिक अधिकार में परिवर्तन।
(2) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
(3) अल्पसंख्यक शैक्षिक केंद्र स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार।
(4) कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण के विरुद्ध संरक्षण।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

82. सूची I की रिटों को सूची II के उनके शाब्दिक अर्थों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (रिट)
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण
B. परमादेश
C. अधिकार पृच्छा
D. उत्प्रेषण
सूची II: (शाब्दिक अर्थ)
i. प्रमाणित होना
ii. किस अधिकार या वारंट से
iii. हम आदेश देते हैं
iv. सशरीर प्रस्तुत करना
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न अनुत्तरित

83. संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह मूल रूप से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार था।
(2) इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
(3) यह वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा पूर्णतः अपरिचित है।
(4) यह अब संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

84. निम्नलिखित आधारों पर विचार करें:
I. मानहानि
II. न्यायालय की अवमानना
III. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
IV. सार्वजनिक स्वास्थ्य
V. राज्य की सुरक्षा
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उपरोक्त में से किन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, II, III और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

85. निम्नलिखित में से कौन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है?
(1) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
(2) कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता
(3) किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता
(4) अंतःकरण की स्वतंत्रता
(5) प्रश्न अनुत्तरित

86. निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार श्रेणियों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे संविधान के भाग III में दिए गए हैं?
(1) समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(2) समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(3) स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार
(4) समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार
(5) प्रश्न अनुत्तरित

87. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके आचरण को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बना दिया है।
कारण (R): संसद ने अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड निर्धारित करने हेतु नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 लागू किया।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

88. एक व्यक्ति चिकित्सा का अभ्यास करना चाहता है लेकिन उसके पास मेडिकल डिग्री नहीं है। राज्य उसे ऐसा करने से रोकता है। अनुच्छेद 19(6) के तहत, राज्य को क्या अधिकार प्राप्त है?
(1) अभ्यास के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता अनिवार्य करना।
(2) राज्य की सीमाओं के पार संचरण की उसकी स्वतंत्रता

NODIA

पर प्रतिबंध लगाना।
(3) क्षेत्र के भीतर सभी असंगठित वृत्तिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।
(4) निजी चिकित्सा सेवा क्षेत्र के भीतर राज्य का एकाधिकार स्थापित करना।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

89. अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक विस्तृत है।
II. यह भौतिक वस्तुओं या रक्त के नमूनों के अनिवार्य उत्पादन तक विस्तृत है।
III. यह केवल आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है, दीवानी कार्यवाही पर नहीं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न अनुत्तरित

90. अनुच्छेद 13 के तहत वह सिद्धांत क्या कहलाता है जो कहता है कि यदि किसी विधि के असंवैधानिक प्रावधान को संवैधानिक भाग से अलग किया जा सकता है, तो केवल असंवैधानिक प्रावधान ही शून्य होगा?
(1) पृथक्करणीयता का सिद्धांत
(2) आच्छादन का सिद्धांत
(3) अधित्याग का सिद्धांत
(4) सार और तत्व का सिद्धांत
(5) प्रश्न अनुत्तरित

91. संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत, अस्पृश्यता और मानव तस्करी जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने वाली विधियाँ बनाने की शक्ति किसमें निहित है?
(1) केवल राज्य विधानमंडलों में
(2) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में
(3) अध्यादेशों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में
(4) केवल संसद में
(5) प्रश्न अनुत्तरित

92. धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख करने वाले अनुच्छेद 25(1) में निम्नलिखित शब्दों को उनके आने वाले क्रम में व्यवस्थित करें:
I. आचरण
II. मानना
III. प्रचार करना
IV. अंतःकरण
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है?
(1) IV, II, I, III
(2) II, I, III, IV
(3) IV, I, II, III
(4) I, II, III, IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

93. केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध और विदेशियों के लिए उपलब्ध न होने वाले मूल अधिकारों के संबंध में बेमेल को पहचानें:
(1) अनुच्छेद 15
(2) अनुच्छेद 16
(3) अनुच्छेद 21
(4) अनुच्छेद 29
(5) प्रश्न अनुत्तरित

94. निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें:
I. विधि के समक्ष समता
II. विधियों का समान संरक्षण
III. मनमानी राज्य कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण
IV. किसी भी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति
V. सभी मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए पूर्ण उन्मुक्ति
उपरोक्त में से कौन से तत्व अनुच्छेद 14 की विशेषताओं और व्याख्याओं को सही ढंग से दर्शाते हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, II, III और V
(5) प्रश्न अनुत्तरित

95. अनुच्छेद 27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) यह विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर राजस्व के उपयोग को रोकता है।
(2) यह राज्य को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर और शुल्क दोनों लगाने से रोकता है।
(3) यदि संसद स्वीकृति देती है तो यह राज्य को किसी धर्म का पक्ष लेने की अनुमति देता है।
(4) यह सभी धार्मिक समूहों को समान रूप से समर्थन देने के लिए राज्य को कर लगाने की आवश्यकता बताता है।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

96. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की गारंटी देता है।
कथन II: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 29 के तहत भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न अनुत्तरित

Downloaded from www.pdf.tube

97. सूची I के प्रावधानों को सूची II के संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सूची I: (प्रावधान)

A. अस्पृश्यता का अंत
B. लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता
C. प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
D. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सूची II: (संबंधित अनुच्छेद)

i. अनुच्छेद 16
ii. अनुच्छेद 17
iii. अनुच्छेद 19(1)(a)
iv. अनुच्छेद 21A

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न अनुत्तरित

98. यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के आधार बताए बिना हिरासत में रखा जाता है, तो किन विशिष्ट मूल अधिकारों का तत्काल उल्लंघन होता है?

(1) अनुच्छेद 14 और 15
(2) अनुच्छेद 19 और 20
(3) अनुच्छेद 21 और 22
(4) अनुच्छेद 23 और 24
(5) प्रश्न अनुत्तरित

99. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करें कि कोई निकाय अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकारी" के अंतर्गत आता है या नहीं:

I. संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है
II. निकाय को राज्य द्वारा प्रदत्त एकाधिकार प्राप्त है
III. गहरा और व्यापक राज्य नियंत्रण
IV. निकाय केवल भारत के नागरिकों को नियोजित करता है

उपरोक्त में से कौन से मानदंड सही हैं?

(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न अनुत्तरित

100. अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(1) व्यक्तियों को संवैधानिक संशोधनों की वैधता को चुनौती देने की अनुमति देना।
(2) उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करना।
(3) यह सुनिश्चित करना कि संकट के समय राष्ट्रपति विधायी निर्णयों को खारिज कर सकें।
(4) मूल अधिकारों को लागू करने के लिए गारंटीकृत, त्वरित और संक्षिप्त उपचार प्रदान करना।
(5) प्रश्न अनुत्तरित

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) भाग III
भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन करता है। इसे भारत का 'मैग्राकार्टा' भी कहा जाता है। यह भाग नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में इन्हें छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह व्यक्तिगत विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ नींव रखने के लिए अनिवार्य है।

2. (1) संयुक्त राज्य अमेरिका
मूल अधिकारों का विचार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में वर्णित 'अधिकारों के विधेयक' से लिया गया है। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस प्रारूप को अपनाया। ये अधिकार न्यायोचित हैं और इनका उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है।

3. (3) निजी निकाय जो किसी सार्वजनिक कार्य का निष्पादन नहीं करते हैं
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' शब्द को भाग 3 के प्रावधानों हेतु परिभाषित किया गया है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। वे निजी निकाय जो किसी सार्वजनिक कार्य का संपादन नहीं करते और जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वे इस विशिष्ट परिभाषा की सीमा से बाहर रहते हैं। यह अधिकारों की जवाबदेही तय करता है।

4. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि शून्य होगी। यह प्रावधान न्यायपालिका को विधायी कार्यों की 'न्यायिक समीक्षा' करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई कानून अधिकारों का हनन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार, यह अनुच्छेद संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक सुरक्षा कवच है।

5. (3) ब्रिटिश मूल
अनुच्छेद 14 में दो अवधारणाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें से 'विधि के समक्ष समता' ब्रिटिश मूल की है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति का संकेत देती है। इसका अर्थ है कि देश का सामान्य कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। यह सिद्धांत 'विधि के शासन' का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।

6. (2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान
संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिषेध करता है। यह प्रावधान सामाजिक समानता सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच में समानता प्रदान करना और समाज के कमज़ोर वर्गों को भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाना है। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है।

7. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद समानता के अधिकार को सुदृढ़ करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 सामाजिक भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये प्रावधान सामूहिक रूप से समतावादी समाज की स्थापना करते हैं।

8. (3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, किंतु यह पूर्ण अधिकार नहीं है। राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कुछ पदों हेतु निवास की शर्त भी अनिवार्य की जा सकती है। यह प्रावधान संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है जहाँ सामान्य अवसरों के साथ पिछड़ों को विशेष सुरक्षा मिलती है।

9. (3) केवल III
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं और राज्य लोक व्यवस्था या संप्रभुता जैसे आधारों पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बाहरी आक्रमण के कारण घोषित आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, किंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इनका निलंबन स्वतः नहीं होता है।

10. (4) उपरोक्त सभी
अनुच्छेद 21 का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से व्यापक हुआ है। इसमें न केवल जीवित रहने का अधिकार सम्मिलित है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने के विभिन्न आयाम भी समाहित हैं। निजता का अधिकार, त्वरित सुनवाई, निःशुल्क विधिक सहायता और एकांत कारावास के विरुद्ध सुरक्षा जैसे अधिकार अब इसके अभिन्न अंग माने जाते हैं। यह व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

11. (2) अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के आचरण को पूर्णतः समाप्त करता है और इसे विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित करता है। किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे कुओं या मंदिरों के उपयोग से रोकना इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। यह प्रावधान सामाजिक समानता स्थापित करने और जाति आधारित भेदभाव मिटाने हेतु निर्मित है। यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के साथ प्रभावी होता है।

12. (2) व्यादेश
अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु पाँच प्रकार की 'रिट' जारी करने की शक्ति देता है। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा सम्मिलित हैं। 'व्यादेश' एक सामान्य विधिक उपचार है जो सामान्यतः दीवानी मामलों में न्यायालयों द्वारा दिया जाता है, किंतु यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित उन विशिष्ट संवैधानिक रिटों की सूची में नहीं आता है।

13. (2) अनुच्छेद 23
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम के रूपों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाना है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है और यह न केवल राज्य के विरुद्ध, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

14. (4) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता; संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता; सर्वत्र निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19(1) में छह बुनियादी स्वतंत्रताओं का एक विशिष्ट क्रम वर्णित है। यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आरंभ होता है, जिसके पश्चात बिना आयुध के शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता आती है। इसके उपरांत संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार दिया गया है। अंत में, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र संचरण का अधिकार आता है। यह व्यवस्थित क्रम नागरिक अधिकारों के प्रयोग को दर्शाता है।

15. (1) उत्प्रेषण - प्रमाणित होना
उत्प्रेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित होना' या 'सूचना देना' है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। इसके माध्यम से उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के पास लंबित मामले को अपने पास मँगाता है या उसके त्रुटिपूर्ण आदेश को रद्द कर देता है। यह सुधारात्मक प्रकृति की है।

16. (2) लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और यह महत्वपूर्ण सामाजिक हितों के अधीन है। राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु धार्मिक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार सामाजिक सुधारों और सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों हेतु खोलने से संबंधित राज्य की शक्ति को सीमित नहीं करता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता को संतुलित करता है।

17. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के पोषण हेतु कर देने की बाध्यता को रोकता है। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करता है।

18. (1) यह नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने की गारंटी देता है। यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, अपितु इसका विस्तार व्यापक है। यह भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी नागरिक को भाषा या संस्कृति के आधार पर प्रवेश से न रोके।

19. (2) I, III और IV
अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना था क्योंकि यह अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्वयं एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल के अतिरिक्त निलंबित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने की शक्ति है, अतः सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मूल है किंतु अनन्य नहीं है। यह संवैधानिक उपचार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है।

20. (2) अनुच्छेद 13
आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से उद्भूत होता है। यह कहता है कि यदि कोई पूर्व-संवैधानिक विधि मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह पूर्णतः समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है। यह मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती है और भविष्य में संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकारों के हटने पर पुनः सक्रिय हो सकती है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा की व्यापकता को दर्शाता है।

21. (3) अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सहायता करता है। राज्य इन संस्थानों को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वे किसी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में हैं। यह समावेशी नीति है।

NODIA

22. (1) IV, II, I, III, V
अनुच्छेद 15(1) में भेदभाव के प्रतिषेध के आधारों का एक विशिष्ट संवैधानिक क्रम है। इसमें सर्वप्रथम धर्म का उल्लेख है, उसके पश्चात मूलवंश, जाति, लिंग और अंत में जन्म स्थान आता है। राज्य को इन पाँच विशिष्ट आधारों पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह क्रम संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

23. (4) यह न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित है
यद्यपि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, किंतु संविधान में 'अस्पृश्यता' शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालयों ने इसे ऐतिहासिक संदर्भ में स्वीकार किया है, जहाँ विशिष्ट वर्गों को उनके जन्म के आधार पर सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता था। इसका उद्देश्य सामाजिक कलंक को मिटाना और गरिमा प्रदान करना है।

24. (1) केवल I, II और III
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 12 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी निकाय जो सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है या जिस पर सरकारी नियंत्रण है, वह 'राज्य' है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी और सेल जैसे वैधानिक निकाय इसी श्रेणी में आते हैं। निजी विद्यालय जो सरकारी नियंत्रण या वित्त पोषण से बाहर हैं, वे सामान्यतः राज्य नहीं माने जाते। न्यायपालिका केवल प्रशासनिक कार्यों हेतु राज्य है।

25. (3) अनुच्छेद 21
पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है। न्यायालय ने माना कि निजता व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता का आधार है। यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है, किंतु इस पर कोई भी प्रतिबंध वैध विधि, उचित उद्देश्य और आनुपातिकता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

26. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं और राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उचित आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह अनिवार्य है कि इन प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का अंतिम निर्धारण न्यायपालिका द्वारा किया जाए। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। यह व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन स्थापित करती है।

27. (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्रता विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन है ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानहानि या न्यायालय की अवमानना के आधार पर विनियमित किया जा सकता है। सम्मेलन के अधिकार को लोक व्यवस्था हेतु सीमित किया जा सकता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता नैतिकता के अधीन है। संचरण और निवास की स्वतंत्रता को जनहित या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है।

28. (2) यह अहानिकर और निर्दोष कार्यों में बच्चों के नियोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य संकटमय नियोजनों में कार्य करने से प्रतिषेध करता है। यद्यपि यह मूल रूप से सभी प्रकार के कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता था, किंतु बाद के विधायी संशोधनों ने इसे और कड़ा कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना तथा बचपन सुरक्षित करना है।

29. (2) केवल II
मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की उचित प्रक्रिया' के समकक्ष बना दिया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया न केवल विधि सम्मत होनी चाहिए, बल्कि उसे उचित, न्यायपूर्ण और अ-मनमाना भी होना चाहिए। इस निर्णय ने जीवन के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की और कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया।

30. (4) राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु यह कुछ संवैधानिक अपवादों के अधीन है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक कार्यों हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। उनके विरुद्ध कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। ये विशेषाधिकार संवैधानिक पदों की गरिमा और स्वतंत्र कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं।

NODIA

31. (1) यह मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय बनाता है।
अनुच्छेद 32 के बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते क्योंकि उनके उल्लंघन पर कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता। यह अनुच्छेद नागरिकों को अधिकारों की पुनर्प्राप्ति हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय को रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिकारों का वास्तविक रक्षक बनती है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया है क्योंकि यह अधिकारों को प्रभावी बनाता है।

32. (2) निवारक निरोध
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में तीन महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कार्योत्तर विधियों से सुरक्षा, दोहरे दंड से मुक्ति और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने

हेतु विवश न किए जाने का अधिकार सम्मिलित है। 'निवारक निरोध' का विषय अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है, जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही हिरासत में रखने से संबंधित है। यह अनुच्छेद 20 की सुरक्षाओं से भिन्न है।

33. (2) अनुच्छेद 26
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों हेतु संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसमें चिकित्सालयों जैसे धर्मार्थ संस्थानों का संचालन भी सम्मिलित है। राज्य केवल लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। किसी संस्थान को केवल उसके धार्मिक प्रबंधन के आधार पर सहायता से वंचित करना इस सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा।

34. (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट रूप से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। यह किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन हेतु रिट जारी नहीं कर सकता। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों हेतु भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय की तुलना में संकुचित है।

35. (2) पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण - अनुच्छेद 16(4A)
अनुच्छेद 16(4A) को 77वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सके। पश्चातवर्ती 85वें संशोधन द्वारा इसमें 'पारिणामिक ज्येष्ठता' का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत अपनी वरिष्ठता अक्षुण्ण रख सकें। यह सामाजिक न्याय को प्रशासनिक सेवाओं के उच्च स्तरों तक ले जाने का प्रयास है।

36. (2) अनुच्छेद 34
अनुच्छेद 34 संसद को किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सैन्य शासन लागू है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान उस स्थिति हेतु है जब नागरिक प्रशासन विफल हो जाता है और व्यवस्था बनाए रखने हेतु सेना तैनात की जाती है। इसके अंतर्गत किए गए कार्यों हेतु विधिक सुरक्षा देने का अधिकार भी संसद के पास है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के मध्य संतुलन स्थापित करता है।

37. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-v
विभिन्न रिटों का उपयोग न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण हेतु किया जाता है। उत्प्रेषण का उपयोग अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण आदेश को रद्द करने हेतु होता है। प्रतिषेध का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना है। परमादेश किसी अधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देता है। अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधानिकता की जाँच करती है। ये कानून का शासन सुनिश्चित करते हैं।

38. (2) बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य श्रम।
अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त 'बेगार' शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध और बिना किसी वेतन या पारिश्रमिक के कार्य करने हेतु विवश किया जाता है। यह सामंती व्यवस्था की एक कुरीति थी जिसे संविधान ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें न केवल शारीरिक बल, बल्कि आर्थिक विवशता भी सम्मिलित है। यह प्रावधान प्रत्येक मनुष्य की गरिमा और श्रम के मूल्य का सम्मान सुनिश्चित करता है।

39. (2) केवल I, II और III
अनुच्छेद 15 राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह राज्य को भेदभाव से रोकता है और नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे भोजनालयों और दुकानों के उपयोग में समानता देता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशेष सकारात्मक कदम उठाने की शक्ति भी देता है। यह वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील प्रावधान है।

40. (3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
अनुच्छेद 22 सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ सुरक्षात्मक अधिकार प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी का आधार जानना, विधिक परामर्श प्राप्त करना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना सम्मिलित है। किंतु ये सुरक्षा उपाय शत्रु अन्यदेशीयों और निवारक निरोध के अंतर्गत पकड़े गए व्यक्तियों हेतु उपलब्ध नहीं हैं। निवारक निरोध समाज की सुरक्षा हेतु अपराध होने से पूर्व ही हिरासत की अनुमति देता है।

41. (2) अनुच्छेद 15
भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों हेतु आरक्षित हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A जैसे अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों या नहीं। यह वर्गीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के विशिष्ट विशेषाधिकारों के आधार पर किया गया है।

42. (3) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में युगांतरकारी परिवर्तन किया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाता है। यह राज्य पर सकारात्मक कर्तव्य डालता है कि वह प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ कर जागरूक समाज की नींव रखी है।

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

43. (4) राज्य सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यक प्रबंधन के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की स्वायत्तता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 30 स्पष्ट करता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। हालांकि, इन संस्थानों को शैक्षणिक मानकों और स्वच्छता से संबंधित सामान्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यह बहुलवादी समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करता है।

44. (3) केवल V
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे राज्य के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को समाप्त करना और उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। अन्य रिटों के विपरीत, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अत्यंत व्यापक उपकरण है। परमादेश या प्रतिषेध जैसी अन्य रिटें केवल सार्वजनिक निकायों या न्यायिक अधिकारियों तक सीमित हैं।

45. (3) किसी नागरिक के जन्मस्थान के आधार पर केवल भेदभावपूर्ण व्यवहार
अनुच्छेद 14 में समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी पर समान कानून लागू हों, बल्कि यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है। तर्कसंगत आधार पर वर्गीकरण की अनुमति है यदि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। राष्ट्रपति और विदेशी राजनयिकों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ इसके मान्य अपवाद हैं। किंतु, केवल जन्मस्थान या जाति के आधार पर भेदभाव करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

46. (3) अनुच्छेद 14
'विधि का शासन' का सिद्धांत अनुच्छेद 14 का मूल आधार है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी देश के सामान्य कानून के अधीन हैं। यह मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति और समानता सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा घोषित किया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि शासन व्यक्तियों की इच्छा के स्थान पर कानून के अनुसार संचालित हो।

47. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता हेतु उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 23 मानवीय गरिमा हेतु मानव शोषण और तस्करी को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने कार्यों और संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ये अधिकार मिलकर एक व्यापक मानवाधिकार ढांचा निर्मित करते हैं।

48. (2) किसी विशिष्ट राज्य में 50% से कम जनसंख्या वाला समूह।
सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजन हेतु अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक समुदाय जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है, किसी विशिष्ट राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है और वहाँ उसे इन अधिकारों का लाभ मिल सकता है। यह क्षेत्रीय स्तर पर भाषाई और सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

49. (2) I, III और IV
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं। संस्थाओं की स्थापना और संपत्ति के प्रशासन के अधिकारों को राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर विनियमित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार हो जिससे समाज का व्यापक हित प्रभावित न हो। यह व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों और सामुदायिक सुरक्षा के मध्य आवश्यक सामंजस्य है।

50. (3) अनुच्छेद 20 और 21
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संकट के समय भी राज्य किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकता।

NODIA

51. (4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
अनुच्छेद 12 में राज्य की प्रत्यक्ष परिभाषा में न्यायपालिका का उल्लेख नहीं है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दो पहलू स्पष्ट किए हैं। जब न्यायालय प्रशासनिक कार्य करता है, जैसे नियुक्तियाँ या नियम बनाना, तो वह 'राज्य' की श्रेणी में आता है और उसके विरुद्ध मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु चुनौती दी जा सकती है। किंतु, न्यायिक निर्णय देते समय उसे राज्य नहीं माना जाता ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बाधित न हो।

52. (4) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, छात्रों को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है।
अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के संबंध में संस्थानों के मध्य अंतर करता है। राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु किसी छात्र को उसकी सहमति के बिना इसमें भाग लेने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। अल्पवयस्कों के मामले में उनके अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे और कोई धर्म थोपा न जाए।

53. (3) नागरिक अनुच्छेद 32 का सहारा नहीं ले सकता क्योंकि मूल अधिकार आमतौर पर राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं।
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएँ मुख्य रूप से राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी हैं। यदि कोई निजी व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो संवैधानिक उपचार के स्थान पर सामान्य विधिक उपाय उपलब्ध होते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प केवल तब मिलता है जब राज्य द्वारा अधिकारों का हनन किया गया हो। यह मूल अधिकारों को राज्य की शक्ति पर सीमा मानता है।

54. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
संविधान निर्माताओं ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को अपनाया था, क्योंकि वे 'विधि की उचित प्रक्रिया' द्वारा न्यायपालिका को अत्यधिक विधायी शक्तियाँ देने से बचना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि न्यायालय व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर कानूनों की समीक्षा करें। हालांकि, समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं ने इस अंतर को लगभग समाप्त कर दिया है और अब भारतीय न्यायालय व्यापक समीक्षा करते हैं।

55. (4) शैक्षणिक विशिष्टताएँ या सैन्य पद
अनुच्छेद 18 का उद्देश्य सामाजिक असमानता उत्पन्न करने वाली वंशानुगत उपाधियों को समाप्त करना है। हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताएँ, जैसे जनरल या डॉक्टर, उपाधियाँ नहीं मानी जातीं। इसी प्रकार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को भी उपाधि नहीं माना जाता क्योंकि वे गुणों का सम्मान करते हैं और नाम के साथ उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। यह समतावादी समाज को बढ़ावा देता है।

56. (2) शांतिपूर्ण सभा के नियमन के संबंध में अनुच्छेद 19(3)।
अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना आयुध के एकत्र होने का अधिकार देता है, किंतु अनुच्छेद 19(3) राज्य को इस पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। लोक व्यवस्था बनाए रखने या यातायात के सुचारु संचालन हेतु राज्य सार्वजनिक प्रदर्शनों को नियंत्रित कर सकता है। राजमार्गों पर सभा करने से अन्य लोगों के अधिकारों में बाधा आ सकती है, अतः ऐसे प्रतिबंध जनहित में न्यायोचित माने जाते हैं।

57. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
भारतीय न्यायपालिका ने ऐतिहासिक मामलों द्वारा मूल अधिकारों को विस्तारित किया है। इंदिरा साहनी मामला आरक्षण की सीमा से संबंधित है। विशाखा मामले ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश दिए। एम.सी. मेहता मामले ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन के अधिकार का अंग बनाया। एस.आर. बोम्मई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना घोषित किया गया। ये निर्णय संवैधानिक नैतिकता और नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।

58. (4) उपरोक्त सभी
अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 'मानव तस्करी' एक व्यापक शब्द है जिसमें मनुष्यों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय सम्मिलित है। इसमें महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति हेतु तस्करी और देवदासी प्रथा जैसी बुराइयाँ भी समाहित हैं। संविधान इन प्रथाओं को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है ताकि मानवीय गरिमा की रक्षा की जा सके। इसके उल्लंघन को रोकने हेतु अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम जैसे कड़े विधिक प्रावधान निर्मित किए गए हैं।

59. (1) केवल I, II और III
संचरण और निवास की स्वतंत्रता भारत में एकीकृत राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु है। इन्हें जनहित या विशिष्ट जनजातियों के संरक्षण हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर कतिपय अपराधियों के संचरण पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 19 के स्थान पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है, जैसा मेनका गांधी मामले में निर्धारित हुआ।

60. (3) सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कर्मी।
अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया संगठनों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सके। यह उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। संसद द्वारा इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्मित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की तुलना में वरीयता देने का प्रावधान है।

61. (3) अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आठ विशिष्ट आधार वर्णित हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार है, न कि बोलने की स्वतंत्रता का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना और मानहानि के आधार पर ही सीमित किया जा सकता है।

62. (1) III, I, II
अनुच्छेद 20 के तीन खंड विशिष्ट विधिक संरक्षण प्रदान करते हैं। खंड (1) कार्योत्तर विधियों से सुरक्षा देता है, जिसका अर्थ है कि किसी को ऐसे कार्य हेतु दंडित नहीं किया जा सकता जो करते समय अपराध नहीं था। खंड (2) दोहरे दंड को रोकता है, अर्थात एक ही अपराध हेतु दो बार सजा नहीं। खंड (3) आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार देता है। यह किसी व्यक्ति को राज्य की दंडात्मक शक्तियों के मनमाने प्रयोग से बचाता है।

63. (1) विशेषाधिकारों और दायित्वों के संबंध में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।
'विधियों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से प्रेरित एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि कानून उन सभी के साथ समान व्यवहार करेगा जो एक जैसी परिस्थितियों में हैं। यह राज्य को विभिन्न समूहों हेतु उनकी आवश्यकताओं

Click Here to Buy book on Amazon

के आधार पर वर्गीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह वर्गीकरण तर्कसंगत हो। यह सिद्धांत औपचारिक समानता के स्थान पर वास्तविक और न्यायसंगत समानता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।

64. (1) केवल I, II, III और IV
अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या ने इसमें कई मानवीय अधिकारों को जोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क विधिक सहायता, गरिमापूर्ण जीवन और प्राथमिक शिक्षा सम्मिलित हैं। किंतु, हड़ताल करने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक विधिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। यह अनुच्छेद नागरिक कल्याण हेतु निरंतर विकसित हो रहा है।

65. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, किंतु अनुच्छेद 15(3) एक अपवाद है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष सकारात्मक प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसका आधार 'सकारात्मक भेदभाव' है, जिसका उद्देश्य समाज के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों को समान स्तर पर लाना है। अतः महिलाओं हेतु स्थानीय निकायों में आरक्षण या बच्चों हेतु विशेष सुविधाओं को समानता का उल्लंघन नहीं माना जाता।

66. (1) भारत के राष्ट्रपति
परमादेश की रिट किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश देने हेतु जारी की जाती है। किंतु, यह भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध उनके आधिकारिक कार्यों हेतु जारी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह निजी व्यक्तियों या गैर-वैधानिक निकायों के विरुद्ध भी उपलब्ध नहीं है। यह व्यवस्था उच्च संवैधानिक पदों की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक मानी गई है।

67. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति पर आधारित है। समता के अधिकार में अस्पृश्यता का अंत सम्मिलित है जो सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के अधिकार में अपराधों हेतु दोषसिद्धि से सुरक्षा जैसे विधिक अधिकार आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार बाल श्रम को प्रतिबंधित कर बच्चों के भविष्य की रक्षा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता समुदायों को अपनी आस्था के अनुसार जीने की स्वायत्तता प्रदान करती है।

68. (4) यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16(4A) को 1995 में सम्मिलित किया गया ताकि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व उच्च स्तरों पर सुनिश्चित हो सके। यह राज्य को इन वर्गों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण देने की शक्ति देता है यदि उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो। यह ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करने और प्रशासनिक नेतृत्व में विविधता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है।

69. (1) केवल II
अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। इसमें प्रशासन का अधिकार सम्मिलित है, किंतु यह शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु राज्य के सामान्य नियमों के अधीन है। राज्य अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, किंतु 44वें संशोधन के पश्चात उचित मुआवजा देना अनिवार्य है ताकि अधिकारों का प्रभावी हनन न हो।

70. (2) जब हिरासत विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो
बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है, किंतु इसकी सीमाएँ हैं। यदि किसी व्यक्ति को विधानमंडल या न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु विधिक रूप से हिरासत में लिया गया है, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यदि हिरासत किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत है या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो भी यह रिट प्रभावी नहीं होती। यह विधिक आदेशों की गरिमा हेतु आवश्यक है।

71. (2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही आपराधिक कृत्य हेतु बार-बार विधिक प्रक्रिया और दंड का सामना न करना पड़े। यह सिद्धांत केवल न्यायिक कार्यवाही और न्यायालय द्वारा प्रदत्त दंड पर लागू होता है। इसमें विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं हैं। अतः एक कर्मचारी को अदालती दंड और विभागीय बर्खास्तगी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह न्यायिक उत्पीड़न को रोकता है।

NODIA

72. (4) अनुच्छेद 25 - धर्म, मूलवंश, जाति, संपत्ति
अनुच्छेद 25 मुख्य रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने से संबंधित है, यह भेदभाव के आधारों की सूची प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत, अनुच्छेद 15 और 16 में भेदभाव न करने के आधार जैसे धर्म, जाति और लिंग स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। अनुच्छेद 29(2) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भाषा जैसे आधारों पर भेदभाव को रोकता है। संपत्ति किसी भी अनुच्छेद में भेदभाव प्रतिषेध का प्राथमिक आधार नहीं है।

73. (2) अनुच्छेद 19(1)(c)
अनुच्छेद 19(1)(c) सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का मूल अधिकार प्रदान करता है। इसमें राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार सम्मिलित है। राज्य केवल संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर ही इसे सीमित कर सकता है। सरकारी नीतियों पर चर्चा हेतु संघ बनाने से रोकना इस मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह लोकतांत्रिक नागरिक भागीदारी को सुरक्षा प्रदान करता है।

74. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 14 आदेश देता है कि कानून सभी हेतु समान हो, किंतु यह 'उचित वर्गीकरण' की अनुमति देता है। राज्य विभिन्न वर्गों हेतु पृथक नियम बना सकता है यदि उनके मध्य वास्तविक भिन्नता हो। इस वर्गीकरण का तार्किक आधार होना चाहिए और इसका कानून के उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। उदाहरण हेतु, आय के अनुसार कर की दरों का निर्धारण एक तर्कसंगत वर्गीकरण है जो समानता के अनुकूल है।

75. (4) उनके पास लंबित मामले को स्थानांतरित करने या उनके आदेश को रद्द करने के लिए
उत्प्रेषण की रिट एक सुधारात्मक उपचार है जिसका उपयोग उच्चतर न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की विधिक त्रुटियों को सुधारने हेतु किया जाता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेता है या विधि की व्याख्या में त्रुटि करता है, तो उच्चतर न्यायालय उस मामले को अपने पास मँगा सकता है या निर्णय को रद्द कर सकता है। यह न्याय प्रणाली में पदानुक्रमित नियंत्रण और विधिक शुद्धता सुनिश्चित करता है।

76. (3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है और यह लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के प्रतिबंधों के अधीन है। राज्य को अधिकार है कि वह धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी किसी भी धर्मनिरपेक्ष या वित्तीय गतिविधि को विनियमित करे। धर्म के नाम पर ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती जो समाज की शांति को संकट में डालती हो। यह व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक कल्याण के मध्य संतुलन है।

77. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
भारतीय संविधान का भाग 3 अधिकारों को तार्किक समूहों में विभाजित करता है। समता का अधिकार (14-18) सामाजिक और विधिक बराबरी सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के अधिकार (19-22) व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24) मानवीय गरिमा के हनन को रोकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30) अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

78. (4) अनुच्छेद 23 जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकारों में ये दो अनुच्छेद भिन्न बुराइयों को लक्षित करते हैं। अनुच्छेद 23 सामान्य तौर पर सभी व्यक्तियों हेतु 'बेगार' और मानव तस्करी जैसे बलात श्रम को रोकता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 24 विशेष रुप से बालकों के हितों पर केंद्रित है और उन्हें संकटमय कार्यों से बचाकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ये प्रावधान समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाते हैं।

79. (2) केवल II और III
भारतीय मूल अधिकार न तो आत्यंतिक हैं और न ही स्थायी। संसद इनमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मूल संरचना को प्रभावित न करे। ये अधिकार न्यायोचित हैं क्योंकि उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। इनमें से कई अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, अतः वे नकारात्मक प्रकृति के हैं। ये नागरिकों को मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं और विधि के शासन को स्थापित करते हैं।

80. (2) अधिकार पृच्छा
अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार से'। यह वह रिट है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन हो जाता है। न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से उसके पद धारण करने की वैधानिकता के विषय में प्रश्न करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी योग्यता सिद्ध करने में विफल रहता है, तो उसे पद त्यागने का आदेश दिया जाता है।

81. (2) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
86वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मौलिक अधिकार को जन्म दिया। इसने अनुच्छेद 21A के माध्यम से राज्य को निर्देशित किया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इस संशोधन ने शिक्षा को नीति निर्देशक तत्व के स्थान पर एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया। यह भारत के बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है।

82. (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
रिटों के लैटिन नाम उनके विशिष्ट विधिक कार्यों को दर्शाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करता है, परमादेश किसी कार्य को करने का आधिकारिक आदेश है। अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति की आधिकारिक स्थिति की जाँच हेतु है, और उत्प्रेषण का उपयोग विधिक रिकॉर्ड की समीक्षा एवं सुधार हेतु किया जाता है। ये पाँचों रिटें न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती हैं।

83. (3) यह वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा पूर्णतः अपरिचित है।
यद्यपि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, किंतु यह संविधान से पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है। 1978 के 44वें संशोधन के पश्चात इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक या संवैधानिक अधिकार बनाया गया। इसका अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल विधि के अधिकार से ही ले सकता है। इसके उल्लंघन पर अब सामान्य अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।

84. (3) केवल I, II, III और V
अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की एक सीमित सूची है। इसमें मानहानि, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा जैसे आधार सम्मिलित हैं। 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का सीधा आधार नहीं है, जबकि यह संचरण या व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने हेतु प्रयुक्त

Downloaded from www.pdf.tube

हो सकता है। यह विचारों की अभिव्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है।

85. (3) किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27 प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के पोषण या प्रचार हेतु कोई कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का अनिवार्य अंग है, जहाँ राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 और 26 अंतःकरण की और धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ 'कर देने की स्वतंत्रता' का वास्तविक अर्थ कर से मुक्ति है।

86. (2) समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है। यह समानता के अधिकार (14-18) से आरंभ होता है जो सामाजिक न्याय की नींव है। इसके पश्चात स्वतंत्रता का अधिकार (19-22) आता है जो व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24) और उसके उपरांत धार्मिक स्वतंत्रता (25-28) का स्थान है। यह संरचना व्यक्तिगत गरिमा से सामुदायिक सुरक्षा तक के विकास को दर्शाती है।

87. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 17 ने केवल अस्पृश्यता को समाप्त ही नहीं किया, बल्कि संसद को इसे अपराध घोषित करने वाली विधियाँ बनाने का अधिकार भी दिया। इसके क्रियान्वयन हेतु 1955 में 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' पारित किया गया, जो छुआछूत के किसी भी रूप हेतु दंड का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद और अधिनियम मिलकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और अमानवीय प्रथाओं को मिटाने हेतु एक शक्तिशाली संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं।

88. (1) अभ्यास के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता अनिवार्य करना।
अनुच्छेद 19(1)(g) सभी को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है, किंतु यह पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(6) राज्य को शक्ति देता है कि वह किसी विशिष्ट पेशे हेतु आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक योग्यताएँ निर्धारित कर सके। उदाहरण के लिए, चिकित्सा हेतु डिग्री अनिवार्य करना जनस्वास्थ्य के हित में एक उचित प्रतिबंध है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे।

89. (3) केवल I और III
आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि किसी आरोपी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह संरक्षण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों तक सीमित है। अंगूठे के निशान या रक्त के नमूने देना इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये भौतिक साक्ष्य हैं। यह अधिकार केवल आपराधिक मामलों में उपलब्ध है, दीवानी या प्रशासनिक कार्यवाहियों में नहीं, जहाँ गवाही अनिवार्य की जा सकती है।

90. (1) पृथक्करणीयता का सिद्धांत
पृथक्करणीयता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि यदि किसी कानून का कोई भाग असंवैधानिक है, तो संपूर्ण कानून रद्द न हो। यदि अवैध भाग को वैध भाग से पृथक किया जा सकता है, तो केवल वही भाग शून्य होगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह सिद्धांत विधायी कार्यों को बचाने और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह न्यायपालिका को कानून के वैध अंश प्रभावी रखने की अनुमति देता है।

91. (4) केवल संसद में
अनुच्छेद 35 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में मूल अधिकारों को लागू करने वाले कानून एक समान हों। यह अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) और मानव तस्करी (अनुच्छेद 23) जैसे अपराधों हेतु दंड निर्धारित करने की विशेष शक्ति केवल संसद को देता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। यह व्यवस्था राज्यों के मध्य विधिक भिन्नता को रोकने और नागरिक अधिकारों हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय मानक बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

92. (1) IV, II, I, III
अनुच्छेद 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रवाह आंतरिक से बाह्य की ओर होता है। यह सर्वप्रथम 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' से प्रारंभ होता है जो व्यक्ति का ईश्वर के साथ निजी संबंध है। इसके पश्चात धर्म को सार्वजनिक रूप से 'मानने', उसके अनुसार 'आचरण' करने और अंत में अपने धार्मिक विचारों का 'प्रचार' करने का अधिकार आता है। यह व्यवस्थित क्रम व्यक्ति के विश्वास से लेकर सामाजिक अभिव्यक्ति तक विस्तृत है।

93. (3) अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान में सर्वाधिक मौलिक माना जाता है। यह अधिकार इतना व्यापक है कि इसे भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। इसके विपरीत, अनुच्छेद 15, 16 और 29 जैसे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों हेतु आरक्षित हैं। यह वैश्विक मानवाधिकार मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

94. (1) केवल I, II, III और IV
अनुच्छेद 14 समानता के व्यापक सिद्धांतों को समाहित करता है। इसमें 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' दोनों अवधारणाएँ सम्मिलित हैं। यह राज्य को मनमानी कार्रवाई करने से रोकता है और सुनिश्चित करता है कि कानून सभी पर उचित रूप से लागू हों। हालांकि, राष्ट्रपति और राज्यपालों जैसे कुछ संवैधानिक पदों को उनके आधिकारिक कार्यों हेतु सीमित विधिक सुरक्षा दी गई है, जो इस अधिकार का एक अपवाद है।

NODIA

95. (1) यह विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर राजस्व के उपयोग को रोकता है।
अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहे जहाँ राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। यह सरकार को करों से एकत्र सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करने से रोकता है। हालांकि, यह धार्मिक स्थलों पर 'शुल्क' लगाने से प्रतिषेध नहीं करता, क्योंकि शुल्क का उपयोग यात्रियों को सुविधाएँ देने हेतु किया जाता है। यह कर और शुल्क के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है।

96. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
अनुच्छेद 29 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यापक बनाते हुए माना है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में आंदोलन करना भी सम्मिलित है। यह नागरिकों को अपनी पहचान हेतु सक्रिय कदम उठाने की स्वतंत्रता देता है। अतः भाषा के आधार पर किया गया शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन संवैधानिक रुप से संरक्षित हो सकता है, बशर्ते वह अन्य सीमाओं का पालन करे।

97. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधान समाज के विविध आयामों को समेटते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के कलंक को मिटाता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है जो भविष्य हेतु अनिवार्य है। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है जो लोकतंत्र की शक्ति है। ये अनुच्छेद मिलकर स्वतंत्र और न्यायपूर्ण नागरिक जीवन का आधार निर्मित करते हैं।

98. (3) अनुच्छेद 21 और 22
किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त उसके 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अधिकार का सीधा हनन है। इसके साथ ही, अनुच्छेद 22 उन सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है जो गिरफ्तारी के समय मिलने चाहिए, जैसे कारण जानना और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति। इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन व्यक्ति को राज्य की मनमानी शक्ति का शिकार बनाता है। इसीलिए न्यायपालिका इन मामलों में तुरंत विधिक सुरक्षा प्रदान करती है।

99. (1) केवल I, II और III
'राज्य' की व्यापक परिभाषा में 'अन्य प्राधिकारियों' को सम्मिलित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मानदंड विकसित किए हैं। यदि किसी निकाय की संपूर्ण पूंजी सरकार की है, या उस पर गहरा सरकारी नियंत्रण है, तो वह राज्य माना जाएगा। कर्मचारियों की नागरिकता इसमें निर्णायक कारक नहीं है। यह व्याख्या सुनिश्चित करती है कि कोई भी निकाय जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करता है, वह मूल अधिकारों के प्रति पूर्णतः जवाबदेह हो।

100. (4) मूल अधिकारों को लागू करने के लिए गारंटीकृत, त्वरित और संक्षिप्त उपचार प्रदान करना।
अनुच्छेद 32 संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है। इसका प्राथमिक कार्य नागरिकों के मूल अधिकारों को केवल सैद्धांतिक के स्थान पर वास्तविक और प्रवर्तनीय बनाना है। यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला बनाता है। यह नागरिकों को एक ऐसा प्रभावी मार्ग प्रदान करता है जिससे वे अपनी स्वतंत्रताओं की पुनर्प्राप्ति हेतु सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जा सकते हैं। यह उपचार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 03
राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व एवं मौलिक कर्तव्य

1. भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्वों की मूल प्रकृति क्या है?
(1) वादयोग्य और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय
(2) अ-वादयोग्य लेकिन देश के शासन में मौलिक
(3) केवल तभी वादयोग्य जब संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया जाए
(4) अ-वादयोग्य और केवल परामर्शकारी, जिनका कोई नैतिक या राजनीतिक प्रतिबंध नहीं है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अ-वादयोग्य बनाया गया है।
कारण (R): स्वतंत्रता के समय, भारतीय राज्य के पास उन्हें एक साथ लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. भारत के संविधान के किन भागों में क्रमशः राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य स्थित हैं?
(1) भाग III और भाग IV
(2) भाग IVA और भाग IV
(3) भाग IV और भाग IVA
(4) भाग IV और भाग III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. भारत का संविधान व्यापक रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में वर्गीकृत करता है?
(1) समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक
(2) मौलिक, प्रशासनिक और आर्थिक
(3) नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक
(4) पाठ में औपचारिक वर्गीकरण प्रदान नहीं किया गया है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (नीति निदेशक तत्व)
A. ग्राम पंचायतों का संगठन
B. समान नागरिक संहिता
C. समान कार्य के लिए समान वेतन
D. पर्यावरण का संरक्षण
सूची II: (वर्गीकरण)
i. समाजवादी
ii. गांधीवादी
iii. उदार-बौद्धिक
iv. उदार-बौद्धिक
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है जो निम्नलिखित से ओत-प्रोत हो:
(1) स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
(2) न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
(3) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
(4) वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. भारत के संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करने की आवश्यकता बताता है?
(1) अनुच्छेद 38
(2) अनुच्छेद 41
(3) अनुच्छेद 42
(4) अनुच्छेद 39
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. संविधान के अनुच्छेद 39 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
II. यह सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का आदेश देता है।

Downloaded from www.pdf.tube

III. यह ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा समान न्याय को बढ़ावा देने और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था?
(1) 24वां संशोधन अधिनियम
(2) 44वां संशोधन अधिनियम
(3) 42वां संशोधन अधिनियम
(4) 86वां संशोधन अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंधों से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. मिनर्वा मिल्स मामला
II. गोलकनाथ मामला
III. चंपकम दोराइराजन मामला
IV. केशवानंद भारती मामला
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(1) III, II, IV, I
(2) III, IV, II, I
(3) II, III, IV, I
(4) I, IV, II, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निम्नलिखित में से किन मामलों में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है?
(1) प्रणालीगत निर्धनता, निरक्षरता और कुपोषण
(2) आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक अन्याय
(3) प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय आपातकाल
(4) बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. राज्य के निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों पर विचार कीजिए:
I. सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और जीवन का एक शिष्ट स्तर सुरक्षित करना।
II. काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करना।
III. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना।
IV. आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करना।
कौन सा संयोजन समाजवादी नीति निदेशक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) I, II और IV
(2) I, II और III
(3) II, III और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है?
(1) अनुच्छेद 41
(2) अनुच्छेद 43
(3) अनुच्छेद 42
(4) अनुच्छेद 43A
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
(2) यह राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
(3) इसका उद्देश्य जीवन के एक शिष्ट स्तर को सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाओं को सुरक्षित करना है।
(4) यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 41
B. अनुच्छेद 42
C. अनुच्छेद 43
D. अनुच्छेद 43A
सूची II: (विषय वस्तु)
i. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
ii. काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
iii. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी
iv. काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ और प्रसूति सहायता
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को दर्शाते हैं।

NODIA

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत को समाहित करता है?
(1) अनुच्छेद 44
(2) अनुच्छेद 47
(3) अनुच्छेद 49
(4) अनुच्छेद 50
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसके संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है?
(1) सहकारी समितियां
(2) ग्राम पंचायतें
(3) कुटीर उद्योग
(4) समान नागरिक संहिता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए:
I. नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर रोक लगाना।
II. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
III. गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाना।
IV. व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
V. सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुरक्षित करना।
कौन सा संयोजन केवल गांधीवादी नीति निदेशक तत्वों को सूचीबद्ध करता है?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार, राज्य व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा:
(1) केवल नगरीय क्षेत्रों में
(2) औद्योगिक क्षेत्रों में
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में
(4) केवल पिछड़े जिलों में
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में अनुच्छेद 43B जोड़ा?
(1) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(2) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(3) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(4) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य पर दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निम्नलिखित में से किससे बचाने की विशेष जिम्मेदारी डालता है?
(1) राजनीतिक मताधिकार से वंचित करना
(2) केवल उच्च संस्थानों में शैक्षिक पिछड़ापन
(3) सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण
(4) धार्मिक भेदभाव
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राज्य नशीले पेय और औषधियों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा।
कारण (R): अनुच्छेद 47 इन पदार्थों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताता है और पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए उनके निषेध का निर्देश देता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. गायों और बछड़ों के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्ल में सुधार करने का निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है?
(1) अनुच्छेद 46
(2) अनुच्छेद 47
(3) अनुच्छेद 48A
(4) अनुच्छेद 48
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. भारतीय संविधान में उदार-बौद्धिक नीति निदेशक तत्व मूल रूप से किसकी ओर निर्देशित हैं?
(1) समान नागरिक संहिता जैसे विधानों के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना
(2) गांधीवादी आदर्शों पर आधारित ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना
(3) संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से एक सुदृढ़ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
(4) व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामूहिक सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता देना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

25. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 44
B. अनुच्छेद 45
C. अनुच्छेद 49
D. अनुच्छेद 50
सूची II: (उदार-बौद्धिक निर्देश)
i. न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना
ii. समान नागरिक संहिता
iii. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
iv. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर मुख्य रूप से चर्चा की जाती है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित करना चाहती है?
(1) धार्मिक रीति-रिवाजों पर आधारित विविध वैयक्तिक विधियों को एक सामान्य संहिता से
(2) मूल अधिकारों को राज्य के अ-वादयोग्य नीति निदेशक तत्वों से
(3) राज्य-विशिष्ट विधियों को केंद्रीकृत और समान राष्ट्रीय विधियों से
(4) आपराधिक प्रक्रियाओं और संविधियों को व्यापक समान नागरिक विधियों से
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में मूल रूप से बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था। इसे किस संशोधन द्वारा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था?
(1) 42वां संशोधन
(2) 44वां संशोधन
(3) 97वां संशोधन
(4) 86वां संशोधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है।
II. यह राज्य को देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
III. इसे 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का दायित्व नहीं है?
(1) स्मारकों का संरक्षण
(2) राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण
(3) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
(4) कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि की वस्तुओं का संरक्षण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51 तक आने वाले विषयों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) स्मारक, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति
(2) न्यायपालिका का पृथक्करण, स्मारक, कृषि और पशुपालन, अंतरराष्ट्रीय शांति
(3) अंतरराष्ट्रीय शांति, स्मारक, न्यायपालिका का पृथक्करण, कृषि और पशुपालन
(4) कृषि और पशुपालन, स्मारक, न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को निम्नलिखित में से किसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है?
(1) राज्य की लोक सेवाएँ
(2) राज्य के विधायी निकाय
(3) संघ की रक्षा सेवाएँ
(4) सहकारी समितियाँ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए:
I. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
II. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
III. अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान बढ़ाना।
IV. मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था?
(1) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना
(2) आय और स्थिति में असमानताओं को कम करना
(3) समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना
(4) पर्यावरण की रक्षा करना और वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा निर्देश जोड़ा?
(1) राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा
(2) राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करेगा
(3) राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा
(4) राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (संवैधानिक संशोधन)
A. 42वां संशोधन
B. 44वां संशोधन
C. 86वां संशोधन
D. 97वां संशोधन
सूची II: (जोड़ा गया/संशोधित नीति निदेशक तत्व)
i. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (अनुच्छेद 45)
ii. सहकारी समितियों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43B)
iii. निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A)
iv. आय में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38)
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. भारत के उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस मामले में यह निर्णय सुनाया था कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे?
(1) गोलकनाथ मामला (1967)
(2) केशवानंद भारती मामला (1973)
(3) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(4) चंपकम दोराइराजन मामला (1951)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. गोलकनाथ मामले (1967) में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में मुख्य निर्णय क्या था?
(1) किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन किया जा सकता है
(2) नीति निदेशक तत्व श्रेष्ठ हैं और सभी अधिकारों पर प्रधानता रखते हैं
(3) अधिकार पवित्र हैं और निर्देशों के लिए उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है
(4) संसद के पास कोई भी नया निर्देश लागू करने की संप्रभु शक्ति नहीं है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंधों के न्यायिक विकास को दर्शाने वाले निम्नलिखित कथनों पर consider कीजिए:
I. चंपकम दोराइराजन मामले में, उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुरूप और सहायक के रूप में चलना होगा।
II. 25वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर अनुच्छेद 39(b) और (c) को प्राथमिकता दी।
III. केशवानंद भारती मामले में, उच्चतम न्यायालय ने पूरे 25वें संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया।
IV. 42वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर सभी नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया।
V. मिनर्वा मिल्स मामले में, उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन बहाल किया।
कौन सा संयोजन गलत कथनों की पहचान करता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III
(3) केवल II और IV
(4) केवल III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 31C, मूल रूप से किन विशिष्ट नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाने का प्रयास करता था?
(1) अनुच्छेद 38 और 39
(2) अनुच्छेद 41 और 42
(3) अनुच्छेद 43 और 43A
(4) अनुच्छेद 39(b) और 39(c)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. केशवानंद भारती मामले (1973) में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के पहले प्रावधान को बरकरार रखा लेकिन इसके दूसरे प्रावधान को रद्द कर दिया। दूसरा प्रावधान क्या निर्धारित करता था?
(1) नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी घोषित करने वाले किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं

Downloaded from www.pdf.tube

उठाया जाएगा
(2) सभी नीति निदेशक तत्व अब उच्च न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं
(3) आपातकाल के दौरान मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं
(4) राष्ट्रपति विभिन्न निर्देशों को लागू करने के लिए अध्यादेश शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 31C के दायरे को बदलने का प्रयास कैसे किया?
(1) इसने संविधान से अनुच्छेद 31C को पूरी तरह से हटा दिया
(2) इसने अनुच्छेद 31C के संरक्षण को केवल गांधीवादी सिद्धांतों तक सीमित कर दिया
(3) इसने अनुच्छेद 31C का विस्तार भाग IV के सभी सिद्धांतों तक कर दिया
(4) इसने सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अधीन कर दिया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए अनुच्छेद 31C के विस्तार को रद्द कर दिया।
कारण (R): इस विस्तार ने मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सद्भाव और संतुलन को नष्ट कर दिया, जो संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. मिनर्वा मिल्स मामले (1980) के निर्णय के अनुसार, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है?
(1) विधायिका और कार्यपालिका
(2) संघ और राज्य
(3) मूल कर्तव्य और मूल अधिकार
(4) मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष के संबंध में वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है?
(1) नीति निदेशक तत्व सभी अधिकारों पर पूर्ण और अंतिम प्राथमिकता रखते हैं
(2) अधिकार प्रभावी हैं, लेकिन अनुच्छेद 39(b) और (c) को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता प्राप्त है
(3) मूल अधिकार बिना किसी संभावित अपवाद के पूर्ण सर्वोच्चता का आनंद लेते हैं
(4) संसद के पास यह तय करने का अंतिम संवैधानिक अधिकार है कि कौन प्रभावी होगा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

45. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (उच्चतम न्यायालय मामला)
A. चंपकम दोराइराजन मामला
B. गोलकनाथ मामला
C. केशवानंद भारती मामला
D. मिनर्वा मिल्स मामला
सूची II: (मुख्य परिणाम/निर्णय)
i. मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित
ii. नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों के सहायक हैं
iii. मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन मूल संरचना का हिस्सा है
iv. नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
(1) सरकारिया आयोग
(2) वर्मा समिति
(3) कोठारी आयोग
(4) स्वर्ण सिंह समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है?
(1) भाग IVA, अनुच्छेद 51A
(2) भाग IV, अनुच्छेद 51
(3) भाग III, अनुच्छेद 32
(4) भाग IV, अनुच्छेद 51B
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान।
II. कर अदा करना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए।
III. कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दंड लगाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सी सिफारिश/सिफारिशें भारत के संविधान में शामिल नहीं की गई थीं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) ने मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य प्रस्तुत किए थे?
(1) 8
(2) 10
(3) 11
(4) 12
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को उनके आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:
I. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना
II. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना
III. देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना
IV. उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(1) II, IV, I, III
(2) I, II, III, IV
(3) II, I, IV, III
(4) IV, II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. प्रथम मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A(a), भारत के नागरिकों से संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और किसके सम्मान की अपेक्षा करता है?
(1) राष्ट्रीय प्रतीक
(2) राष्ट्रीय गीत
(3) राष्ट्रगान
(4) राष्ट्रीय संसद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
II. वे प्रकृति में अ-वादयोग्य हैं।
III. संसद उपयुक्त विधि द्वारा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
IV. वे उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) II, III और IV
(2) I, III और IV
(3) I, II और IV
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. कौन सा मूल कर्तव्य विशेष रूप से नागरिकों को "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने" का आदेश देता है?
(1) अनुच्छेद 51A(a)
(2) अनुच्छेद 51A(b)
(3) अनुच्छेद 51A(c)
(4) अनुच्छेद 51A(d)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का कर्तव्य धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे है। इस खंड में किसके सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का एक विशिष्ट निर्देश भी शामिल है?
(1) वृद्धों
(2) महिलाओं
(3) अल्पसंख्यकों
(4) बच्चों
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अनुच्छेद 51A का खंड)
A. खंड (b)
B. खंड (d)
C. खंड (f)
D. खंड (g)
सूची II: (मूल कर्तव्य)
i. देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना
ii. सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना
iii. राष्ट्रीय संघर्ष के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना
iv. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
(1) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(3) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. "हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने" के मूल कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(1) बहुलवादी सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना
(2) सभी नागरिकों के लिए आर्थिक समानता और सामाजिक

Click Here to Buy book on Amazon

न्याय को बढ़ावा देना
(3) सभी राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करना
(4) ऐतिहासिक स्मारकों को संभावित प्राकृतिक आपदाओं से बचाना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें तथा निम्नलिखित में से क्या रखें:
(1) सभी धार्मिक संस्थानों के प्रति सम्मान
(2) पर्यावरण विधियों का ज्ञान
(3) जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव
(4) सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए:
I. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना।
II. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।
III. सार्वजनिक निर्वाचनों में मतदान करना।
IV. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना।
V. नियमित रुप से करों का भुगतान करना।
कौन सा संयोजन अनुच्छेद 51A के तहत संवैधानिक रूप से निर्धारित मूल कर्तव्यों की पहचान करता है?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करने" का कर्तव्य किसके प्रति दार्शनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है?
(1) सभी पारंपरिक प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं को अस्वीकार करना
(2) कृषि के स्थान पर तकनीकी औद्योगीकरण को बढ़ावा देना
(3) सभी विद्यालयों में अनिवार्य विज्ञान शिक्षा
(4) तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करना और रुढ़िवादिता को त्यागना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा का त्याग करने का निर्देश देता है?
(1) अनुच्छेद 51A(g)
(2) अनुच्छेद 51A(i)
(3) अनुच्छेद 51A(h)
(4) अनुच्छेद 51A(j)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A(j) नागरिकों से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करने का आग्रह करता है ताकि राष्ट्र निरंतर किसके उच्च स्तर तक पहुँच सके:
(1) आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रभुत्व
(2) सामाजिक समानता और राजनीतिक स्थिरता
(3) प्रयत्न और उपलब्धि
(4) नैतिक और आध्यात्मिक जागृति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मूल कर्तव्य प्रकृति में अ-वादयोग्य हैं।
कारण (R): संविधान न्यायालयों द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, न ही उनके उल्लंघन के लिए कोई संवैधानिक दंड है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही is correct but R is incorrect.
(4) A is incorrect but R is correct.
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में 11वां मूल कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?
(1) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
(2) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(3) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
(4) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. 2002 में भारत के संविधान में जोड़े गए 11वें मूल कर्तव्य ने निम्नलिखित में से किस पर उत्तरदायित्व डाला है?
(1) सार्वभौमिक और निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व
(2) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता-पिता का कर्तव्य
(3) विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और नैतिक निर्देश प्रदान करने का शिक्षकों का कर्तव्य
(4) प्राथमिक विद्यालय इकाइयों के निर्माण और रखरखाव का स्थानीय निकायों का कर्तव्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

NODIA

सूची I: (अनुच्छेद 51A में मुख्य शब्द)
A. स्त्रियों की गरिमा
B. सामासिक संस्कृति
C. प्राकृतिक पर्यावरण
D. वैज्ञानिक दृष्टिकोण
सूची II: (विशिष्ट खंड)
i. खंड (f)
ii. खंड (g)
iii. खंड (e)
iv. खंड (h)
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे:
(1) नागरिकों को स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ संगत दायित्व भी होते हैं
(2) कार्यपालिका को पूर्ण और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करते हैं
(3) परमादेश के माध्यम से उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं
(4) संसद की शक्तियों पर एक वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. भारत के संविधान में सूचीबद्ध मूल कर्तव्यों की एक सामान्य आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है?
(1) वे आधुनिक नागरिकों के लिए बहुत अधिक और जटिल हैं
(2) वे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं और विद्यमान मूल अधिकारों के लिए हानिकारक हैं
(3) उनकी शब्दावली अस्पष्ट, संदिग्ध और समझने में कठिन है
(4) वे निचली अदालतों को अत्यधिक और अनियंत्रित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ देते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. वर्मा समिति (1999) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे नागरिकों के मूल कर्तव्यों को क्रियाशील बनाने के लिए नियुक्त किया गया था।
II. इसने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए विधिक प्रावधानों की पहचान की।
III. इसने संविधान से अ-वादयोग्य कर्तव्यों को हटाने की सिफारिश की।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. वर्मा समिति के अवलोकनों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान कानून राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने से संबंधित अपराध के लिए दंड का प्रावधान करता है?
(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(2) विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
(3) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
(4) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. भारत की सुरक्षा के संबंध में अनुच्छेद 51A(c) में आने वाले शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) एकता, अखंडता और संप्रभुता
(2) संप्रभुता, एकता और अखंडता
(3) अखंडता, संप्रभुता और एकता
(4) संप्रभुता, अखंडता और एकता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में पाई जाने वाली किस मौलिक अवधारणा की भावना को लागू करता है?
(1) सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा करना
(2) वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना
(3) प्राकृतिक पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना
(4) सद्भाव को बढ़ावा देना और अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. वर्मा समिति द्वारा पहचाने गए निम्नलिखित कानूनों पर विचार कीजिए जो मूल कर्तव्यों को लागू करने में सहायता करते हैं:
I. प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950
II. समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधान
III. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
IV. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उपरोक्त कानूनों का कौन सा संयोजन सक्रिय रूप से मूल कर्तव्यों की भावना को लागू करता है?
(1) केवल I और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. 1972 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान के किस विशिष्ट मूल कर्तव्य से संबंधित है?

NODIA

(1) अनुच्छेद 51A(f) - समृद्ध विरासत का संरक्षण
(2) अनुच्छेद 51A(h) - वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना
(3) अनुच्छेद 51A(g) - प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
(4) अनुच्छेद 51A(i) - सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित होने के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। वर्मा समिति ने इसे नागरिकों के किस कर्तव्य से जोड़ा?
(1) संविधान का पालन करना और संस्थानों का सम्मान करना
(2) गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना
(3) सामाजिक सद्भाव और सामान्य राष्ट्रीय भ्रातृत्व को बढ़ावा देना
(4) देश की रक्षा करना और अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
A. समान नागरिक संहिता
B. अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना
C. राष्ट्रगान के प्रति सम्मान
D. स्मारकों का संरक्षण
सूची II: (अनुच्छेद)
i. अनुच्छेद 49
ii. अनुच्छेद 51A(a)
iii. अनुच्छेद 44
iv. अनुच्छेद 51
(1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. यदि भारत में कोई राज्य सरकार गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने और उनकी नस्ल में सुधार करने की नीति प्रस्तुत करती है, तो वह किस अनुच्छेद में निहित निर्देश के अनुसार कार्य कर रही है?
(1) अनुच्छेद 40
(2) अनुच्छेद 48
(3) अनुच्छेद 46
(4) अनुच्छेद 48A
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. एक नागरिक एक सार्वजनिक उद्यान में स्वच्छता अभियान प्रारंभ करता है और स्वदेशी वृक्ष लगाने का समर्थन करता है। यह कार्य किस मूल कर्तव्य की भावना को सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है?
(1) सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना
(2) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
(3) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
(4) व्यक्तिगत गतिविधि में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. नीति निदेशक तत्व राज्य पर सकारात्मक दायित्व हैं।
II. मूल कर्तव्य नागरिकों पर सकारात्मक दायित्व हैं।
III. न तो नीति निदेशक तत्व और न ही मूल कर्तव्य न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं।
IV. नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों 1949 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा थे।
V. न्यायालयों द्वारा किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए दोनों का उपयोग किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, III, IV और V
(4) केवल I, II, III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा मुख्य रूप से किसके संविधान से ली थी?
(1) आयरलैंड
(2) संयुक्त राज्य अमेरिका
(3) सोवियत संघ
(4) यूनाइटेड किंगडम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किसके संविधान से प्रेरित थी?
(1) ऑस्ट्रेलिया
(2) सोवियत संघ
(3) जापान
(4) कनाडा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किसमें सूचीबद्ध 'अनुदेशों के साधन' के समान हैं?
(1) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(2) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(3) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(4) उद्देश्य प्रस्ताव, 1946

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मूल अधिकारों को सामान्यतः नकारात्मक प्रकृति का माना जाता है, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के होते हैं।
कारण (R): मूल अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. भारतीय संविधान में अधिकारों को वादयोग्य और अ-वादयोग्य श्रेणियों में विभाजित करने का विचार प्रारंभ में किसके द्वारा सुझाया गया था?
(1) बी.आर. अंबेडकर
(2) जवाहरलाल नेहरू
(3) बी.एन. राव
(4) सरदार वल्लभभाई पटेल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत के संविधान में मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच प्राथमिक अंतर को स्पष्ट करता है?
(1) अधिकार अ-वादयोग्य हैं, जबकि कर्तव्य वादयोग्य हैं।
(2) अधिकार एक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जबकि कर्तव्य मूल संविधान में थे।
(3) अधिकार समाजवादी आदर्शों को बढ़ावा देते हैं, जबकि कर्तव्य उदारवादी आदर्शों को बढ़ावा देते हैं।
(4) अधिकार नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं, जबकि कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (टीकाकार/व्यक्तित्व)
A. बी.आर. अंबेडकर
B. के.टी. शाह
C. टी.टी. कृष्णमाचारी
D. आइवर जेनिंग्स
सूची II: (नीति निदेशक तत्वों पर अवलोकन)
i. पवित्र अतिरेक
ii. बैंक पर एक चेक, जिसका भुगतान केवल तभी संभव है जब बैंक के संसाधन अनुमति दें
iii. संविधान की नवीन विशेषताएं
iv. भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग IV के दायरे का सटीक विवरण है?
(1) इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित हैं
(2) इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित हैं
(3) इसमें अनुच्छेद 51A से 60 तक सम्मिलित हैं
(4) इसमें केवल अनुच्छेद 350A और 351 सम्मिलित हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 के तहत, "राज्य" शब्द का वही अर्थ है जो संविधान के किस भाग में है?
(1) भाग I
(2) भाग II
(3) भाग III
(4) भाग V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. भाग IV में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
II. भाग IV में निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं।
III. विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. राज्य के नीति निदेशक तत्वों को "लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र" के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि वे:
(1) राष्ट्रीय सरकार की संगठनात्मक संरचना का विवरण देते हैं
(2) उन सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए
(3) राज्य को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए एक विधिक तंत्र प्रदान करते हैं
(4) सभी प्राथमिक उद्योगों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण का आदेश देते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

90. राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को भारत के संविधान में उनके आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना
II. समान नागरिक संहिता
III. निःशुल्क विधिक सहायता
IV. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(1) III, IV, II, I
(2) II, III, IV, I
(3) III, II, IV, I
(4) IV, III, II, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. भारत के संविधान का अनुच्छेद 38(2), जो राज्य को आय में असमानताओं को कम करने और स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने का निर्देश देता है, किसके द्वारा जोड़ा गया था?
(1) 42वां संशोधन अधिनियम
(2) 44वां संशोधन अधिनियम
(3) 86वां संशोधन अधिनियम
(4) 97वां संशोधन अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. भारत के संविधान में श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बनाए गए निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 41
II. अनुच्छेद 42
III. अनुच्छेद 43
IV. अनुच्छेद 43A
कौन सा संयोजन उन अनुच्छेदों को सटीक रूप से दर्शाता है जो विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों और स्थितियों से संबंधित हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में नामित करता है?
(1) अनुच्छेद 45
(2) अनुच्छेद 46
(3) अनुच्छेद 47
(4) अनुच्छेद 48
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
(1) अनुच्छेद 40
(2) अनुच्छेद 43
(3) अनुच्छेद 48
(4) अनुच्छेद 51
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. निम्नलिखित सूचियों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अनुच्छेद 39 का खंड)
A. अनुच्छेद 39(a)
B. अनुच्छेद 39(b)
C. अनुच्छेद 39(c)
D. अनुच्छेद 39(d)
सूची II: (विशिष्ट निर्देश)
i. धन के संकेंद्रण की रोकथाम
ii. समान कार्य के लिए समान वेतन
iii. आजीविका के पर्याप्त साधन
iv. भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में गांधीवादी नीति निदेशक तत्व नहीं माना जाता है?
(1) ग्राम पंचायतों का संगठन करना
(2) समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना
(3) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
(4) नशीले पेयों पर रोक लगाना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से किसका मूल कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है?
(1) राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
(2) स्थानीय और राष्ट्रीय निर्वाचनों में मतदान करना
(3) वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
(4) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. मिनर्वा मिल्स मामले (1980) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने 42वें संशोधन के एक भाग को रद्द कर दिया।
II. इसने मूल अधिकारों पर सभी नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता को बरकरार रखा।
III. इसने स्थापित किया कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सद्भाव संविधान की एक मूल

Click Here to Buy book on Amazon

संरचना है।

IV. इसने इस स्थिति को बहाल किया कि अनुच्छेद 39(b) और (c) को प्रभावी करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्राप्त है।

V. इसने घोषित किया कि संसद के पास असीमित संशोधन शक्ति है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(1) केवल I, III और IV
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, IV और V
(4) केवल I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि करों का भुगतान करना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। यह भारत के वर्तमान संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है?

(1) इसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था
(2) इसे प्रारंभ में शामिल किया गया था लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था
(3) इसे सरकार द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था
(4) इसे राज्य के लिए लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव माना गया था
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. भारत के संविधान के भाग IV में रेखांकित राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य क्या स्थापित करना है?

(1) एक सुदृढ़ केंद्रीकृत संघ सरकार
(2) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो एक कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाए
(3) पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला एक राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक राज्य
(4) सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक धर्मतांत्रिक राज्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) अ-वादयोग्य लेकिन देश के शासन में मौलिक
भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रकृति में अ-वादयोग्य हैं। इसका तात्पर्य है कि इनके उल्लंघन की स्थिति में किसी भी न्यायालय द्वारा इन्हें विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसके बावजूद, अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं। राज्य का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह विधि निर्माण की प्रक्रिया में इन आदर्शों को समाहित करे।

2. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जानबूझकर अ-वादयोग्य बनाया था। इसके पीछे मुख्य कारण स्वतंत्रता के समय देश की अत्यंत विषम आर्थिक स्थिति थी। भारतीय राज्य के पास उस समय इन व्यापक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को एक साथ अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव था। इस प्रकार राज्य की तात्कालिक क्षमताओं और वित्तीय सीमाओं को देखते हुए इन्हें केवल भविष्य के मार्गदर्शन हेतु रखा गया।

3. (3) भाग IV और भाग IVA
भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। वहीं नागरिकों के लिए निर्धारित मूल कर्तव्यों को भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत सूचीबद्ध किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए दिशा-निर्देश हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के नैतिक उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हैं। ये दोनों ही लोकतांत्रिक संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं।

4. (4) पाठ में औपचारिक वर्गीकरण प्रदान नहीं किया गया है
भारतीय संविधान के वास्तविक पाठ में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कोई भी आधिकारिक या औपचारिक वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि, विद्वानों और विशेषज्ञों ने उनकी विषय-वस्तु और वैचारिक दिशा के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ये श्रेणियां समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के रूप में जानी जाती हैं। यह वर्गीकरण केवल समझने की सुगमता के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से किया गया है, संवैधानिक रूप से नहीं।

5. (3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वैचारिक आधार विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो स्थानीय स्वशासन पर बल देता है। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य उदार-बौद्धिक दृष्टिकोण के तहत पूरे देश में एक समान विधि व्यवस्था स्थापित करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का अंग है। इसी प्रकार पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार भी उदार-बौद्धिक लक्ष्यों के अंतर्गत आता है।

6. (2) न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जिसमें न्याय व्याप्त हो। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के महत्व पर बल दिया गया है ताकि राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को निर्देशित किया जा सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को न्यूनतम करे। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की आधारशिला का निर्माण करता है।

7. (4) अनुच्छेद 39
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के विभिन्न खंडों में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक निर्देश शामिल हैं। इसी अनुच्छेद का एक विशिष्ट खंड राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हो। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और श्रम क्षेत्र में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास है। राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध रहता है।

8. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 39 राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके अतिरिक्त, यह समुदाय के भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर बल देता है ताकि सामूहिक हितों की पूर्ति की जा सके। यह आर्थिक व्यवस्था के संचालन में धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण को रोकने का भी प्रयास करता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान इस अनुच्छेद के स्थान पर अनुच्छेद 40 में दिया गया है।

9. (3) 42वां संशोधन अधिनियम
वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39 क को सम्मिलित किया गया था। इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित करना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे। यह न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल थी।

Downloaded from www.pdf.tube

10. (1) III, II, IV, I
मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों से संबंधित न्यायिक मामलों का क्रम संविधान के विकास को दर्शाता है। चंपकम दोराइराजन मामला 1951 में आया, जिसने अधिकारों को वरीयता दी। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ मामला हुआ, जिसमें संसद की संशोधन शक्ति पर चर्चा हुई। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले ने मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अंत में, 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले ने दोनों के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य भाग माना।

11. (4) बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता
अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों की सहायता करने का निर्देश देता है। यह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अंगहीनता जैसी मानवीय संकट की स्थितियों में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। यह राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है, जहां समाज के वंचित वर्गों को न्यूनतम जीवन सुरक्षा प्रदान करना शासन का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है।

12. (2) I, II और III
समाजवादी सिद्धांत राज्य को एक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने और सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित करने का निर्देश देते हैं। सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, काम की मानवीय परिस्थितियां बनाना और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना पूर्णतः समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इसके विपरीत, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश उदार-बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। ये सिद्धांत संसाधनों के वितरण और श्रमिक कल्याण पर केंद्रित हैं।

13. (3) अनुच्छेद 42
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को कार्यस्थल पर मानवीय और न्यायसंगत परिस्थितियां सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य से महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के प्रावधान करने की भी अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों का शोषण न हो और उन्हें गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर मिले। यह राज्य के उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को विधि द्वारा प्रभावी बनाए।

14. (4) यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 43 राज्य को सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश के पूर्ण उपभोग को सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी बल देता है। हालांकि, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है, न कि अनुच्छेद 43 के तहत। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित है।

15. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद श्रमिकों और लोक कल्याण से संबंधित विशिष्ट कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत स्थितियों और प्रसूति सहायता पर बल देता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने की बात करता है। अंततः, अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देकर औद्योगिक लोकतंत्र की आधारशिला रखने का प्रयास करता है।

16. (2) अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 47 राज्य को लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है। इसमें एक विशिष्ट गांधीवादी सिद्धांत शामिल है, जिसके तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। गांधी जी ने सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत नैतिकता के लिए मद्यनिषेध का प्रबल समर्थन किया था। अतः यह अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा के अनुसार एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में राज्य का मार्गदर्शन करता है।

17. (2) ग्राम पंचायतें
अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन का एक प्रमुख उदाहरण है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। साथ ही, यह उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की बात करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सकें। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण आधारभूत स्तर तक हो।

18. (4) I, II, III, IV और V
गांधीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक प्रबंधन और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, मवेशियों के वध पर रोक लगाना और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना भी इसी श्रेणी में आता है। ये सभी निर्देश सम्मिलित रूप से ग्रामीण विकास, नैतिकता और सामाजिक न्याय के गांधीवादी दृष्टिकोण को संवैधानिक रूप प्रदान करते हैं।

19. (3) ग्रामीण क्षेत्रों में
अनुच्छेद 43 के तहत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे। यह निर्देश गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है, जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग और आत्मनिर्भरता पर बल देती है। कुटीर उद्योगों के माध्यम

NODIA

से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और रोजगार के अवसर पैदा करना इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य है। यह बड़े उद्योगों के स्थान पर स्थानीय लघु उद्योगों द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है।

20. (4) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
वर्ष 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में सहकारी आंदोलन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना और उसे अधिक सुव्यवस्थित बनाना था। यह प्रावधान सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

21. (3) सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण
अनुच्छेद 46 राज्य पर समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की विशेष जिम्मेदारी डालता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन वर्गों को सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। यह प्रावधान सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक भेदभाव का आधार प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।

22. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य का प्राथमिक कर्तव्य लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना और पोषण के स्तर को बढ़ाना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और औषधियों के औषधीय उपयोग के अलावा अन्य सेवन पर रोक लगाए। चूंकि नशा शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका निषेध पोषण और जीवन स्तर के लक्ष्यों के साथ सीधा संबंध रखता है। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं।

23. (4) अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए विशेष कदम उठाए। साथ ही, यह उनके वध को रोकने की दिशा में नीति बनाने का आदेश देता है। यह प्रावधान आर्थिक लाभ और धार्मिक भावनाओं के साथ वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन के मेल को दर्शाता है।

24. (1) समान नागरिक संहिता जैसे विधानों के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना
उदार-बौद्धिक सिद्धांत आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत शासन व्यवस्था पर आधारित हैं। इनका मुख्य लक्ष्य पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ये सिद्धांत रूढ़िवादी प्रथाओं के स्थान पर विधि के शासन और वैश्विक उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता देते हैं। यह विचारधारा भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विकसित करने के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां नागरिक अधिकारों में एकरूपता हो।

25. (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य को सौंपता है। अंत में, अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है ताकि न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे।

26. (1) धार्मिक रीति-रिवाजों पर आधारित विविध वैयक्तिक विधियों को एक सामान्य संहिता से
समान नागरिक संहिता का विचार विभिन्न धर्मों के अपने पृथक वैयक्तिक कानूनों, जैसे विवाह, विच्छेद और उत्तराधिकार, के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का है। वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदायों के लिए उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित अलग कानून हैं। अनुच्छेद 44 का लक्ष्य इन विविध कानूनों में एकरूपता लाना है ताकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। यह विधिक व्यवस्था को अधिक सरल, आधुनिक और पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष बनाने का एक प्रयास है।

27. (4) 86वां संशोधन
वर्ष 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। मूल रूप से इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था। संशोधन के बाद इसे छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के निर्देश में बदल दिया गया। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे बच्चों के विकास को व्यापक आधार मिला।

28. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 48 क को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने का एक विशिष्ट संवैधानिक निर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य को देश के वनों

Click Here to Buy book on Amazon

और वन्यजीवों की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व सौंपता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राज्य की नीतियों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देने का आधार तैयार करता है।

29. (3) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व के उन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है जिन्हें संसद द्वारा घोषित किया गया हो। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की वस्तुओं को विनाश, विरूपण या निर्यात से बचाए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान इस अनुच्छेद में नहीं बल्कि अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अतः अनुच्छेद 49 मुख्य रूप से भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के भौतिक संरक्षण से संबंधित है।

30. (4) कृषि और पशुपालन, स्मारक, न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति
संविधान के अनुच्छेदों का तार्किक क्रम राज्य की विभिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन से संबंधित है। इसके पश्चात अनुच्छेद 49 आता है, जो राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 शासन व्यवस्था में सुधार हेतु न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है। अंत में अनुच्छेद 51 है, जो भारत की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

31. (1) राज्य की लोक सेवाएँ
अनुच्छेद 50 राज्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। इस पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है ताकि कार्यपालिका न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके। यह लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। इससे नागरिकों को एक पारदर्शी और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली प्राप्त होती है, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के न्याय प्रदान करने में सक्षम होती है।

32. (4) I, II, III और IV
अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति के आधारभूत स्तंभों को परिभाषित करता है। यह राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने की बात भी कही गई है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ये सभी बिंदु मिलकर वैश्विक मंच पर भारत के एक शांतिप्रिय और विधि-सम्मत राष्ट्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं।

33. (2) आय और स्थिति में असमानताओं को कम करना
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा कई नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे, जिनमें बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता और पर्यावरण का संरक्षण शामिल था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी इसी संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। हालांकि, आय, स्थिति और सुविधाओं में असमानताओं को कम करने का निर्देश अनुच्छेद 38(2) के तहत आता है, जिसे 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अतः यह 42वें संशोधन का भाग नहीं था।

34. (1) राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा
44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खंड जोड़ा गया था। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे समूहों के बीच भी आय की असमानता को कम करने का प्रयास करे। इसके साथ ही स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना भी राज्य का लक्ष्य बनाया गया। यह संशोधन सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को और अधिक गहराई प्रदान करने के लिए किया गया था।

35. (3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
भारतीय संविधान में संशोधनों के माध्यम से नीति निदेशक तत्वों का विस्तार किया गया है। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 39 क के तहत निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की। 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38 में आय की असमानता को कम करने का प्रावधान जोड़ा। 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 को संशोधित कर छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित किया। अंततः, 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 ख को संविधान में समाहित किया।

36. (4) चंपकम दोराइराजन मामला (1951)
वर्ष 1951 के चंपकम दोराइराजन वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोधाभास होता है, तो मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। यह प्रारंभिक न्यायिक दृष्टिकोण था, जिसमें अधिकारों को निर्देशों की तुलना में उच्च स्थान दिया गया था। इसके बाद ही सरकार ने सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

37. (3) अधिकार पवित्र हैं और निर्देशों के लिए उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है
1967 के गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही कठोर रुख अपनाया था। न्यायालय ने घोषित किया कि मूल अधिकार 'पवित्र' और 'अपरिवर्तनीय' प्रकृति के हैं। इसका अर्थ यह था कि संसद राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती

Downloaded from www.pdf.tube

या संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय ने संसद की विधायी शक्ति को सीमित कर दिया, जिसके परिणामस्वरुप सरकार और न्यायपालिका के बीच एक लंबा संवैधानिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था।

38. (2) केवल III
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने पूरे 25वें संशोधन अधिनियम को निरस्त नहीं किया था, बल्कि इसके केवल उस दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया था जिसने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को छीन लिया था। न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के पहले भाग को बरकरार रखा, जो कुछ निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता देता था। शेष सभी कथन सत्य हैं, जो चंपकम वाद, 42वें संशोधन और मिनर्वा मिल्स मामले के निर्णयों को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

39. (4) अनुच्छेद 39(b) और 39(c)
25वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संविधान में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) में निहित समाजवादी सिद्धांतों को प्रभावी बनाना था। अनुच्छेद 39(ख) भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है और 39(ग) धन के संकेंद्रण को रोकने की बात करता है। यह संशोधन इन दो विशिष्ट निर्देशों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था।

40. (1) नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी घोषित करने वाले किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा
केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के उस खंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसने न्यायिक पुनर्विलोकन को प्रतिबंधित किया था। वह प्रावधान कहता था कि यदि कोई कानून यह घोषणा करता है कि वह किसी विशेष नीति निदेशक तत्व को लागू कर रहा है, तो किसी भी न्यायालय में उस कानून की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल संरचना का भाग है, जिसे संसद संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटा सकती है।

41. (3) इसने अनुच्छेद 31C का विस्तार भाग IV के सभी सिद्धांतों तक कर दिया
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31 ग की सीमा को व्यापक रूप से बढ़ा दिया था। पहले यह संरक्षण केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को प्राप्त था, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के भाग 4 में दिए गए सभी नीति निदेशक तत्वों पर लागू कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि किसी भी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया कानून मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता प्राप्त करेगा। यह प्रयास निदेशक तत्वों को अधिकारों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया था।

42. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में किए गए विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय का तर्क था कि संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन पर आधारित है। एक को दूसरे पर पूर्ण प्रधानता देना इस संतुलन को क्षतिग्रस्त करता है, जो संविधान की मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता है। अतः संसद को अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग इस संतुलन को नष्ट करने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

43. (4) मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
मिनर्वा मिल्स मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच के सद्भाव और संतुलन पर टिकी है। न्यायालय के अनुसार, ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और एक सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण वरीयता देना संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाना होगा। यह संतुलन ही एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक गारंटी प्रदान करता है।

44. (2) अधिकार प्रभावी हैं, लेकिन अनुच्छेद 39(b) और (c) को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता प्राप्त है
वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार, मूल अधिकार सामान्यतः नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि, इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद अनुच्छेद 31 ग के माध्यम से बना हुआ है। इसके तहत, अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) में निहित सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। शेष सभी निदेशक तत्वों के लिए मूल अधिकारों की सर्वोच्चता कायम है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती है।

45. (3) A-iii, B-iv, C-i, D-iii
न्यायिक निर्णयों ने अधिकारों और कर्तव्यों के संबंधों को स्पष्ट किया है। चंपकम दोराइराजन वाद ने निदेशक तत्वों को अधिकारों का सहायक माना। गोलकनाथ मामले ने व्यवस्था दी कि अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामले ने मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, जिसने संसद की शक्तियों को सीमित किया। अंत में, मिनर्वा मिल्स मामले ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच का संतुलन स्वयं संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य अंग है जिसे बदला नहीं जा सकता।

46. (4) स्वर्ण सिंह समिति
भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर शामिल किया गया था। इस समिति का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति का तर्क था कि नागरिकों को केवल अधिकारों का ही आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि राष्ट्र

NODIA

के प्रति उनकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। हालांकि समिति ने आठ कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने दस कर्तव्यों को अंततः संविधान में जोड़ा।

47. (1) भाग IVA, अनुच्छेद 51A
मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में एक पृथक भाग 4 क के रूप में जोड़ा गया है। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क शामिल है, जो मूल रुप से दस और वर्तमान में ग्यारह मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। यह व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तुरंत पश्चात रखी गई है, जो अधिकारों और कर्तव्यों के अंतर्संबंधों को दर्शाती है। अनुच्छेद 51 क नागरिकों को अपने राष्ट्र, समाज और साथी नागरिकों के प्रति उनके नैतिक दायित्वों का निरंतर स्मरण कराता रहता है।

48. (4) I, II और III
स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के संबंध में कुछ कठोर संस्तुतियां की थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इनमें कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड या जुर्माना लगाने का अधिकार संसद को देना शामिल था। इसके अतिरिक्त, समिति ने कर भुगतान को एक मूल कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था। समिति यह भी चाहती थी कि कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए इन दंडात्मक सुझावों को संविधान में शामिल नहीं किया गया।

49. (2) 10
वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभ में संविधान में केवल दस मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ को अपनाते हुए सरकार ने अनुच्छेद 51 क के तहत इन कर्तव्यों की सूची तैयार की थी। ये कर्तव्य संविधान का सम्मान करने से लेकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तक विस्तृत थे। बाद में, 2002 में एक और संशोधन द्वारा ग्यारहवां कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इन कर्तव्यों की कुल संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है।

50. (1) II, IV, I, III
अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का एक निश्चित तार्किक क्रम है। सर्वप्रथम संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों तथा संस्थानों का सम्मान करने का कर्तव्य आता है। इसके पश्चात उन महान आदर्शों को संजोने की बात कही गई है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तृतीय स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का दायित्व है। अंततः, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का कर्तव्य सूचीबद्ध किया गया है। यह क्रम राष्ट्र के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।

51. (3) राष्ट्रगान
अनुच्छेद 51 क(क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। यह कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना जागृत करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज देश की संप्रभुता और अस्मिता के प्रतीक हैं, अतः उनका आदर करना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए कोई सीधा संवैधानिक दंड नहीं है, लेकिन विभिन्न विधियों द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है।

52. (4) I, II और III
मूल कर्तव्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। नीति निदेशक तत्वों की तरह ये भी अ-वादयोग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन के लिए सीधे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। हालांकि, संसद विधि बनाकर इनके क्रियान्वयन के लिए दंड का प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि ये सीधे रिट याचिकाओं के माध्यम से लागू होते हैं, क्योंकि इनका प्रवर्तन पूर्णतः विधायी कानूनों और नागरिकों की स्वेच्छा पर निर्भर है।

53. (3) अनुच्छेद 51A(c)
अनुच्छेद 51 क(ग) नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का निर्देश देता है। यह कर्तव्य देश की अखंडता के प्रति नागरिक प्रतिबद्धता को सर्वोपरि मानता है। यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक ऐसा कोई कार्य न करें जो राष्ट्र की एकता को खंडित करता हो। यह खंड विशेष रुप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, जो एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है।

54. (2) महिलाओं
अनुच्छेद 51 क(ड़) के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाएं। इस विशिष्ट खंड में एक और महत्वपूर्ण निर्देश शामिल है कि नागरिक उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। यह प्रावधान समाज में लैंगिक न्याय और महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिलाओं के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाता है।

55. (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
मूल कर्तव्यों के विभिन्न खंड नागरिकों के विशिष्ट दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। खंड (ख) स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों के पालन से संबंधित है। खंड (घ) देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा की आवश्यकता पर बल देता है। खंड (च) हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षण का निर्देश देता है। अंत में, खंड (छ) पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने की अपेक्षा करता है। ये कर्तव्य मिलकर एक जिम्मेदार नागरिकता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

56. (1) बहुलवादी सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना
भारत की सामासिक संस्कृति उसकी विविधताओं का एक सुंदर संगम है। अनुच्छेद 51 क(च) नागरिकों को इस समृद्ध विरासत का महत्व समझने और इसे संरक्षित करने का संदेश देता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की बहुलवादी पहचान को बनाए रखना है, जिसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं और कलाओं का योगदान है। यह कर्तव्य हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत केवल अतीत का भाग नहीं है, बल्कि वह हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, जिसे सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

57. (3) जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव
अनुच्छेद 51 क(छ) प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। यह न केवल वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार की बात करता है, बल्कि नागरिकों से सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने का भी आग्रह करता है। यह निर्देश पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता है। पर्यावरण के प्रति यह दयालु और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भावपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए अनिवार्य माना गया है।

58. (1) केवल I, II और IV
अनुच्छेद 51 क के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना स्पष्ट रूप से मूल कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध हैं। हिंसा का त्याग करना भी इसी का भाग है। हालांकि, निर्वाचनों में मतदान करना और नियमित रूप से करों का भुगतान करना वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान की संस्तुति की थी, लेकिन इसे अंतिम रूप से कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया था।

59. (4) तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करना और रूढ़िवादिता को त्यागना
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करने का कर्तव्य नागरिकों को अंधविश्वासों और अतार्किक परंपराओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। इसका दार्शनिक आधार जांच और सुधार की भावना है, जो समाज को प्रगतिशील बनाने में सहायक है। यह नागरिकों को प्रोत्साहित करता है कि वे घटनाओं को तर्क की कसौटी पर कसें और ज्ञानार्जन के माध्यम से अपनी सोच को व्यापक बनाएं। यह कर्तव्य एक ऐसे समाज के निर्माण का लक्ष्य रखता है जहां बौद्धिक स्वतंत्रता और तर्कसंगत विचार-विमर्श को सामाजिक विकास का आधार माना जाए।

60. (2) अनुच्छेद 51A(i)
अनुच्छेद 51 क(झ) नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और हिंसा का त्याग करने का कठोर निर्देश देता है। वर्तमान समय में, जहां विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रायः राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, यह कर्तव्य अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रेल, मार्गों और भवनों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को अपनी निजी संपत्ति मानकर उनकी रक्षा करें। हिंसा का त्याग करना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि यह विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है।

61. (3) प्रयत्न और उपलब्धि
अनुच्छेद 51 क(ञ) नागरिकों से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करने का आग्रह करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्च स्तरों तक पहुंच सके। यह कर्तव्य नागरिक को अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने के लिए प्रेरित करता है ताकि समाज और देश वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समृद्ध बन सकें। यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान और उसकी गुणवत्ता को सर्वोच्च महत्व प्रदान करता है।

62. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मूल कर्तव्य स्वभाव से अ-वादयोग्य हैं क्योंकि संविधान स्वयं इनके उल्लंघन के लिए किसी प्रत्यक्ष दंड या विधिक उपचार का प्रावधान नहीं करता है। यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है, तो उसे केवल इस आधार पर न्यायालय में दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि, ये कर्तव्य पूर्णतः निरर्थक नहीं हैं क्योंकि संसद इनके कार्यान्वयन के लिए पृथक से विशिष्ट विधि बना सकती है। अतः, संविधान द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन के अभाव के कारण ही उन्हें अ-वादयोग्य की श्रेणी में रखा गया है।

63. (2) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
भारतीय संविधान में ग्यारहवें मूल कर्तव्य को वर्ष 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इससे पूर्व केवल दस मूल कर्तव्य थे। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जिसने न केवल बच्चों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया बल्कि अभिभावकों पर भी एक नैतिक जिम्मेदारी डाली। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने शिक्षा को एक साझा उत्तरदायित्व बना दिया, जहां राज्य के साथ-साथ परिवार की भूमिका को भी औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया ताकि कोई भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से वंचित न रहे।

64. (2) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता-पिता का कर्तव्य
86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य सीधे तौर पर माता-पिता और संरक्षकों को संबोधित करता है। यह उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य राज्य के उस दायित्व का पूरक है जिसके तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सरकारी प्रयासों से ही नहीं, बल्कि पारिवारिक सहयोग से भी देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की जा सके।

NODIA

65. (2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
अनुच्छेद 51 क के विशिष्ट खंड विभिन्न नैतिक मूल्यों को परिभाषित करते हैं। खंड (ड़) स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं के त्याग पर बल देता है। खंड (च) सामासिक संस्कृति की विरासत को महत्व देने का निर्देश देता है। खंड (छ) प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। अंत में, खंड (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करने की बात करता है। ये सभी खंड सामूहिक रूप से एक जागरूक और नैतिक नागरिकता के निर्माण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

66. (1) नागरिकों को स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ संगत दायित्व भी होते हैं
मूल कर्तव्यों का समावेश संविधान में एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। ये नागरिकों को इस मूलभूत सत्य का स्मरण कराते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल अधिकारों का उपभोग ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति कुछ अनिवार्य दायित्व भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, जो साथ-साथ चलते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और अधिक सुदृढ़ तथा सक्रिय होती हैं।

67. (3) उनकी शब्दावली अस्पष्ट, संदिग्ध और समझने में कठिन है
मूल कर्तव्यों की एक बड़ी आलोचना यह है कि उनमें प्रयुक्त कुछ शब्द जैसे 'सामासिक संस्कृति', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' और 'मानवतावाद' काफी जटिल और अस्पष्ट हैं। एक सामान्य नागरिक के लिए इन अमूर्त धारणाओं को समझना और अपने व्यवहार में उतारना कठिन हो सकता है। आलोचकों का मानना है कि इन कर्तव्यों की व्याख्या बहुत व्यापक हो सकती है, जिससे उनके वास्तविक कार्यान्वयन में अस्पष्टता बनी रहती है। भाषा की इस क्लिष्टता के कारण ये कर्तव्य कभी-कभी व्यवहारिक निर्देशों के स्थान पर केवल आदर्शवादी उपदेश प्रतीत होते हैं।

68. (1) केवल I और II
वर्मा समिति का गठन 1999 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन की संभावनाओं की जांच करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन मौजूदा विधिक प्रावधानों की पहचान की जो विभिन्न मूल कर्तव्यों को लागू करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जैसे कानूनों का उल्लेख किया गया। समिति ने कर्तव्यों को हटाने की कोई संस्तुति नहीं की, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके प्रयासों से यह स्पष्ट हुआ कि अ-वादयोग्य होने के बावजूद कर्तव्य विधिक रुप से समर्थित हो सकते हैं।

69. (3) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
वर्मा समिति ने रेखांकित किया कि यद्यपि मूल कर्तव्य स्वयं अ-वादयोग्य हैं, लेकिन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 जैसे कानून उन्हें प्रभावी बनाते हैं। यह अधिनियम भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर या अपमान करने को एक दंडनीय अपराध बनाता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि नागरिक संवैधानिक प्रतीकों के प्रति आदरभाव रखें। इस प्रकार, विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से अ-वादयोग्य कर्तव्यों को एक विधिक आधार प्रदान किया गया है, जो राष्ट्र की अस्मिता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

70. (2) संप्रभुता, एकता और अखंडता
अनुच्छेद 51 क(ग) के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें और उसकी रक्षा करें। संप्रभुता का अर्थ देश की सर्वोच्च शक्ति है, एकता लोगों के बीच जुड़ाव को दर्शाती है, और अखंडता भौगोलिक पूर्णता का प्रतीक है। ये तीन शब्द भारतीय राष्ट्र की सुदृढ़ता और सुरक्षा के मूल आधार हैं। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत और सामूहिक हितों से ऊपर उठकर इन मूल्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि इनके बिना राष्ट्र का अस्तित्व संभव नहीं है।

71. (4) सद्भाव को बढ़ावा देना और अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 मुख्य रूप से अस्पृश्यता के अंत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है। यह अधिनियम मूल कर्तव्य के उस खंड की भावना को लागू करता है जो नागरिकों के बीच सद्भाव और समान भ्रातृत्व को बढ़ावा देने की बात करता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि जन्म या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार न हो। इस प्रकार, यह विधिक संरचना समाज में सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को स्थापित करने के संवैधानिक निर्देश को व्यवहार में लाती है।

72. (4) I, II, III और IV
वर्मा समिति ने कई कानूनों की पहचान की जो अप्रत्यक्ष रूप से मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। 'प्रतीक और नाम अधिनियम' राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग को रोकता है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य बढ़ाने वाले कार्यों को दंडित करती हैं। वन्यजीव और वन संरक्षण अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के कर्तव्य को विधिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये सभी कानून सम्मिलित रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर विधिक परिणामों का सामना करें।

73. (3) अनुच्छेद 51A(g) - प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 51 क(छ) में निहित मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाता है, जो नागरिकों से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की अपेक्षा करता है। यह कानून दुर्लभ प्रजातियों के शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाकर पर्यावरण के प्रति नागरिक उत्तरदायित्व को विधिक बाध्यता में परिवर्तित कर देता है। यह प्रकृति और मनुष्यों के बीच संतुलित संबंधों को बढ़ावा देता है।

Downloaded from www.pdf.tube

74. (1) संविधान का पालन करना और संस्थानों का सम्मान करना
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 उन भ्रष्ट आचरणों को परिभाषित और दंडित करता है जो चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बिगाड़ते हैं। वर्मा समिति ने इसे नागरिकों के उस कर्तव्य से जोड़ा जिसमें संविधान का पालन करने और लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करने की बात कही गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की एक बुनियादी संस्था है, अतः निर्वाचन शुचिता बनाए रखना संवैधानिक निष्ठा का ही एक रूप है। इस प्रकार, यह कानून सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले नागरिक संवैधानिक मूल्यों का आदर करें।

75. (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में शासन के निर्देश और नागरिक कर्तव्य दोनों शामिल हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित एक नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का वैश्विक निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 क(क) नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वह राष्ट्रगान का सम्मान करे। अनुच्छेद 49 राज्य को स्मारकों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपता है। ये सभी प्रावधान मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां राष्ट्र की एकता, शांति और सांस्कृतिक विरासत को समान महत्व प्राप्त हो।

76. (2) अनुच्छेद 48
यदि कोई राज्य सरकार गोवंश के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्ल सुधार की नीति अपनाती है, तो वह अनुच्छेद 48 के निर्देशों का पालन कर रही होती है। यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने के साथ-साथ दुधारू पशुओं के संरक्षण पर बल देता है। यह प्रावधान न केवल आर्थिक उपयोगिता पर आधारित है, बल्कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार माने जाने वाले मवेशियों की सुरक्षा का गांधीवादी दृष्टिकोण भी समाहित है। राज्य ऐसी नीतियों के माध्यम से अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करता है।

77. (3) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 51 क(छ) में निहित भावना को दर्शाते हैं। यह कर्तव्य नागरिकों से केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं, बल्कि उसमें सक्रिय सुधार करने की भी अपेक्षा करता है। जब कोई नागरिक सार्वजनिक स्थानों की सफाई करता है या स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वृक्ष लगाता है, तो वह प्रकृति के प्रति अपने नागरिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा होता है। यह व्यक्तिगत पहल पारिस्थितिक संतुलन और सामूहिक कल्याण की दिशा में एक सार्थक प्रयास मानी जाती है।

78. (4) केवल I, II, III और V
नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए सकारात्मक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। ये दोनों ही सीधे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात अ-वादयोग्य हैं। हालांकि, न्यायपालिका किसी कानून की वैधता जांचने के लिए इन दोनों का उपयोग सहायक के रूप में कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूल कर्तव्य 1949 के मूल संविधान का भाग नहीं थे, बल्कि उन्हें पश्चातवर्ती 1976 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

79. (1) आयरलैंड
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आयरलैंड ने स्वयं ये सिद्धांत स्पेन के संविधान से लिए थे। संविधान सभा ने इन सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर शामिल किया ताकि स्वतंत्र भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यह प्रेरणा भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हुई, जहां राज्य की नीतियां लोक कल्याण और न्याय पर आधारित हों।

80. (2) सोवियत संघ
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को तत्कालीन सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर.) के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के विपरीत, समाजवादी देशों में अधिकारों और कर्तव्यों को समान दर्जा दिया जाता रहा है। भारत ने भी इसी विचारधारा को अपनाते हुए यह अनुभव किया कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके उत्तरदायित्वों का भी बोध कराया जाना चाहिए। 42वें संशोधन के माध्यम से इस अवधारणा को भारतीय लोकतांत्रिक संरचना में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया।

81. (2) भारत सरकार अधिनियम, 1935
राज्य के नीति निदेशक तत्व काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल 'अनुदेशों के साधन' के समान हैं। उस समय ये अनुदेश ब्रिटिश शासन द्वारा गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी किए जाते थे। भारतीय संविधान में इन्हें शामिल करते समय इनका नाम बदलकर 'नीति निदेशक तत्व' कर दिया गया और इनका उद्देश्य भी व्यापक लोक कल्याण की दिशा में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि ये अब कार्यपालिका के स्थान पर विधायिका और सरकार के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं।

82. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व अपनी प्रकृति में एक-दूसरे के पूरक परंतु विपरीत हैं। मूल अधिकारों को नकारात्मक माना जाता है क्योंकि वे राज्य पर कुछ सीमाएं लगाते हैं और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। इसके विपरीत, नीति निदेशक तत्व सकारात्मक हैं क्योंकि वे राज्य को समाज के कल्याण के लिए कुछ विशेष कदम उठाने और नीतियां बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार, एक व्यवस्था राज्य की शक्ति को सीमित करती है, जबकि दूसरी उसे सकारात्मक उत्तरदायित्व सौंपती है।

NODIA

83. (3) बी.एन. राव
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित करने का मौलिक सुझाव दिया था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि अधिकारों को 'वादयोग्य' और 'अ-वादयोग्य' भागों में बांटा जाना चाहिए। इसी विचार को स्वीकार करते हुए प्रारूप समिति ने मूल अधिकारों को भाग 3 में वादयोग्य बनाया और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भाग 4 में अ-वादयोग्य के रूप में रखा। इस वर्गीकरण ने राज्य को विधिक सीमाओं के साथ-साथ भविष्य के नैतिक लक्ष्यों का संतुलित मार्ग प्रदान किया।

84. (4) अधिकार नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं, बल्कि कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर उनकी प्रयोज्यता के क्षेत्र में है। अधिकांश मूल अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार और विधि के समक्ष समानता, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को प्राप्त हैं। इसके विपरीत, संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्य विशिष्ट रूप से केवल भारत के नागरिकों के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। विदेशियों से इन संवैधानिक कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह नागरिकता के साथ मिलने वाले विशेष उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है।

85. (3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
नीति निदेशक तत्वों के महत्व और प्रकृति पर विभिन्न विशेषज्ञों की पृथक राय रही है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन्हें संविधान की 'नवीन विशेषताएं' कहा था, जो इसके कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाती हैं। के.टी. शाह ने इनकी अ-वादयोग्य प्रकृति की तुलना एक ऐसे चेक से की जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। टी.टी. कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का कूड़ेदान कहा, जबकि आइवर जेनिंग्स ने इन्हें 'पवित्र अतिरेक' की संज्ञा दी। ये टिप्पणियां इन सिद्धांतों की शक्ति और सीमाओं दोनों को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं।

86. (2) इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित हैं
भारतीय संविधान का भाग 4 पूर्ण रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समर्पित है। इसकी सीमा अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 51 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 37 इनके अ-वादयोग्य स्वरूप को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 38 से 51 तक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों का विवरण है जिन्हें प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य है। यह भाग संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भारत को एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

87. (3) भाग III
अनुच्छेद 36 स्पष्ट करता है कि भाग 4 के संदर्भ में "राज्य" शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 (मूल अधिकार) के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। इसके अनुसार, राज्य में भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। यह परिभाषा काफी व्यापक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति निदेशक तत्व शासन के सभी स्तरों पर लागू हों। यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां इन सिद्धांतों से निर्देशित हों।

88. (4) I, II और III
अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन और महत्व को परिभाषित करने वाला सबसे प्रमुख अनुच्छेद है। यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यद्यपि ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी वे देश के शासन में मौलिक महत्व के हैं। यह अनुच्छेद राज्य पर यह नैतिक कर्तव्य डालता है कि वह विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को आवश्यक रूप से लागू करे। इस प्रकार, यह विधिक बाध्यता के अभाव में भी इन आदर्शों को शासन व्यवस्था की आत्मा और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

89. (2) उन सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए
नीति निदेशक तत्वों को "लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र" कहा जाता है क्योंकि ये भारत के भविष्य के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। ये केवल विधिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के उन सामाजिक और आर्थिक स्वप्नों का विवरण हैं जिन्हें संविधान निर्माता साकार होते देखना चाहते थे। इनमें निर्धनता उन्मूलन, संसाधनों का उचित वितरण और सामाजिक न्याय जैसे व्यापक उद्देश्यों को शामिल किया गया है। ये सिद्धांत सरकारों को निरंतर स्मरण दिलाते हैं कि सत्ता का अंतिम उद्देश्य जनसामान्य का कल्याण है।

90. (1) III, IV, II, I
संविधान के अनुच्छेदों का तार्किक क्रम राज्य की विभिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाता है। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत आती है, जो न्याय की सुलभता सुनिश्चित करता है। इसके पश्चात उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क में दी गई है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का विषय है, जो विधिक एकरूपता का लक्ष्य रखता है। अंत में, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। यह क्रम समाजवादी उद्देश्यों से प्रारंभ होकर प्रशासनिक सुधारों और नागरिक अधिकारों की ओर बढ़ता है।

91. (2) 44वां संशोधन अधिनियम
अनुच्छेद 38(2) को 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य आय की असमानताओं को न्यूनतम करना और विभिन्न क्षेत्रों या व्यवसायों में लगे लोगों के बीच सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना है। यह संशोधन आर्थिक न्याय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। यह राज्य के उत्तरदायित्व को केवल निर्धनता निवारण तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे समाज में आर्थिक विषमता को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

92. (4) I, II, III और IV
भारतीय संविधान श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अनुच्छेदों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 काम के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 कार्यस्थल पर मानवीय स्थितियों और प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर एक व्यापक औद्योगिक और श्रमिक कल्याण संरचना का निर्माण करते हैं, जो श्रमिकों के शोषण को रोकने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

93. (3) अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 47 राज्य को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने को अपना प्राथमिक कर्तव्य माने। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना भी राज्य की मुख्य जिम्मेदारी बनाई गई है। यह अनुच्छेद स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। इसी के तहत सरकारें विभिन्न पोषण कार्यक्रम और टीकाकरण अभियान चलाती हैं। यह राज्य के एक सेवा प्रदाता और लोक संरक्षक के रूप में उसके सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्वों में से एक को परिभाषित करता है।

94. (3) अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिकता और वैज्ञानिकता लाने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धतियों में सुधार करना और उत्पादकता बढ़ाना है। यह केवल मवेशियों के वध को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पशु नस्लों के सुधार और संगठित कृषि प्रबंधन पर भी बल देता है। यह निर्देश भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर पशुपालन और कृषि की उन्नत प्रणालियों पर निर्भर करती है।

95. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
अनुच्छेद 39 के विभिन्न खंड समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तंभ हैं। खंड (क) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करता है। खंड (ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर बल देता है। खंड (ग) धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देता है। अंत में, खंड (घ) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करने की बात करता है। ये सभी निर्देश सम्मिलित रूप से आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता का आधार तैयार करते हैं।

96. (2) समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना
गांधीवादी सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों का प्रसार, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण और मद्यनिषेध जैसे विषय शामिल हैं। ये गांधी जी के 'ग्राम स्वराज' और 'नैतिक समाज' के दर्शन पर आधारित हैं। दूसरी ओर, समान नागरिक संहिता का लक्ष्य उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो विधि की एकरूपता और आधुनिकीकरण पर आधारित है। हालांकि गांधी जी सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे, लेकिन अनुच्छेद 44 को विशेष रूप से उदार-बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

97. (2) स्थानीय और राष्ट्रीय निर्वाचनों में मतदान करना
अनुच्छेद 51 क के तहत सूचीबद्ध ग्यारह मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पर्यावरण की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। हालांकि, मतदान करना एक विधिक अधिकार और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है, लेकिन इसे संविधान में एक मूल कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने इसे शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन अंततः इसे संवैधानिक कर्तव्यों की सूची से बाहर रखा गया। अतः मतदान करना एक नागरिक का स्वैच्छिक उत्तरदायित्व है।

98. (1) केवल I, III और IV
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में किए गए विस्तार को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच के संतुलन को संविधान की मूल संरचना माना। साथ ही, इसने अनुच्छेद 39(ख) और (ग) को अनुच्छेद 14 और 19 पर दी गई वरीयता को बरकरार रखा। यह निर्णय संसद की असीमित संशोधन शक्ति को भी प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार, न्यायालय ने अधिकारों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण समाजवादी लक्ष्यों के बीच एक नया संवैधानिक संतुलन स्थापित किया।

99. (3) इसे सरकार द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था
स्वर्ण सिंह समिति ने संस्तुति की थी कि प्रत्येक नागरिक के लिए करों का भुगतान करना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि, जब 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तब तत्कालीन सरकार ने इस विशेष सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे संभवतः यह तर्क था कि करों का भुगतान पूर्व से ही विभिन्न विधियों के तहत एक अनिवार्य विधिक बाध्यता है। अतः इसे एक नैतिक या संवैधानिक कर्तव्य बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई और यह वर्तमान कर्तव्यों की सूची का भाग नहीं है।

100. (2) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो एक कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाए
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जबकि मूल अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, नीति निदेशक तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वतंत्रता का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इनका उद्देश्य एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है जहां निर्धनता, शोषण और असमानता का कोई स्थान न हो। ये सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय और समानता के लक्ष्यों को वास्तविक रूप प्रदान करते हैं।

NODIA

अध्याय 04

संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल

1. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा?
(1) अनुच्छेद 51
(2) अनुच्छेद 52
(3) अनुच्छेद 53
(4) अनुच्छेद 54
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है?
(1) अनुच्छेद 52
(2) अनुच्छेद 53
(3) अनुच्छेद 54
(4) अनुच्छेद 55
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (संविधान के अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 54
B. अनुच्छेद 55
C. अनुच्छेद 60
D. अनुच्छेद 61
सूची-II: (राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान)
i. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
ii. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया
iii. राष्ट्रपति का निर्वाचन
iv. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है?
(1) भारत के उपराष्ट्रपति
(2) भारत के प्रधानमंत्री
(3) लोकसभा अध्यक्ष
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
(3) वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए।
(4) वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद की जाँच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
(1) भारत निर्वाचन आयोग
(2) भारत का उच्चतम न्यायालय
(3) भारतीय संसद
(4) दिल्ली उच्च न्यायालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें:
अभिकथन (A): भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।
कारण (R): 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना संवैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के संदर्भ में, राजस्थान विधानसभा के एक विधायक (MLA) के मत का मूल्य कितना है?
(1) 129

NODIA

(2) 175
(3) 208
(4) 116
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
II. राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी चाहिए, जिस पर आरोप लगाने वाले सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों।
III. प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है कि राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है?
(1) सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाना
(2) संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का अर्ध-संघीय वितरण
(3) भारत के लिखित और सर्वोच्च संविधान की उपस्थिति
(4) भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का अधिकार दिया?
(1) 42वाँ संशोधन अधिनियम
(2) 44वाँ संशोधन अधिनियम
(3) 52वाँ संशोधन अधिनियम
(4) 91वाँ संशोधन अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. प्रस्तावक सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना।
II. दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जाँच करना।
III. एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 14 दिनों की पूर्व सूचना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
IV. जाँच करने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना।
(1) III, I, II, IV
(2) I, III, II, IV
(3) III, II, I, IV
(4) II, III, I, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ)
A. क्षमा (Pardon)
B. लघुकरण (Commutation)
C. परिहार (Remission)
D. विराम (Respite)
सूची-II: (अर्थ)
i. दंड के एक स्वरूप के स्थान पर हल्का स्वरूप देना
ii. दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना
iii. किसी विशेष तथ्य के कारण मूल दंड के स्थान पर कम दंड देना
iv. अपराधी को सभी दंडों, दंडादेशों और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त करना
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं।
(2) राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं।
(3) राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं।
(4) दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है।
II. वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाता है।
III. जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, तब वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
IV. वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

16. राष्ट्रपति निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य निर्धारित करने का सूत्र क्या है?
(1) राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा करना।
(2) राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल को 1000 से भाग देना।
(3) राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित करना।
(4) राज्य में पड़े कुल वैध मतों को निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से विभाजित करके 1000 से भाग देना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है?
(1) भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक
(2) अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक
(3) विद्यमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन वाला विधेयक
(4) किसी नए कर को लगाने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाला विधेयक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(1) आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 355
(2) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा: अनुच्छेद 352
(3) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रावधान: अनुच्छेद 356
(4) वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान: अनुच्छेद 360
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर आत्यंतिक वीटो प्राप्त है।
II. राष्ट्रपति धन विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है।
III. संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है।
IV. भारतीय राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो से अधिक विस्तृत है।
V. सरकारी विधेयकों के लिए आत्यंतिक वीटो का प्रयोग तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(1) I, III, IV और V
(2) I, II, III और IV
(3) II, III, IV और V
(4) I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपनी आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) शक्ति का प्रयोग करता है?
(1) जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है।
(2) जब संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है।
(3) जब उसके समक्ष संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
(4) जब संसद द्वारा कोई गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पारित किया जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. भारत में विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लोकसभा को वापस भेज सकता है।
कथन II: धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. अध्यादेश प्रख्यापित करने और उसके अनुमोदन के संवैधानिक तंत्र के सही क्रम का चयन कीजिए:
(1) संसद का सत्र न होना → राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना → संसद का पुन: समवेत होना → 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन का प्रस्ताव।
(2) संसद का सत्र न होना → मंत्रिपरिषद की सलाह → राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापन → उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन → संसद द्वारा 6 माह के भीतर अनुमोदन।
(3) लोकसभा का विघटन → राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापन → 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा अनुमोदन → निर्वाचन के पश्चात लोकसभा द्वारा अनुमोदन।
(4) संसद का सत्र चालू होना → राष्ट्रपति द्वारा संसद को दरकिनार करना → अध्यादेश प्रख्यापित → 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान)
A. भारत का उपराष्ट्रपति
B. उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
C. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

NODIA

D. उपराष्ट्रपति की पदावधि
सूची-II: (अनुच्छेद)
i. अनुच्छेद 63
ii. अनुच्छेद 64
iii. अनुच्छेद 66
iv. अनुच्छेद 67
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है?
(1) 3 माह
(2) 6 माह
(3) 1 वर्ष
(4) राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में 'पॉकेट वीटो' का सबसे सटीक वर्णन है?
(1) संसद के पुनर्विचार हेतु विधेयक को वापस करने की शक्ति।
(2) किसी विधेयक पर अपनी सहमति पूर्णतः रोक लेने की शक्ति, जिससे उसे अधिनियम बनने से रोका जा सके।
(3) बिना किसी कार्रवाई के किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने की शक्ति।
(4) सत्र न चलने के दौरान अध्यादेश जारी करके विधायिका को दरकिनार करने की शक्ति।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और यह किस विधेयक से संबंधित था?
(1) ज्ञानी जैल सिंह; भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
(2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद; पेप्सू (PEPSU) विनियोग विधेयक
(3) आर. वेंकटरमन; संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक
(4) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम; लाभ का पद विधेयक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें:
अभिकथन (A): उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
कारण (R): उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, इस नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) भारत के महान्यायवादी और अन्य संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति।
(2) प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब सदन में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो।
(3) जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब अध्यादेश प्रख्यापित करना।
(4) संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. भारत के राष्ट्रपति के परिस्थितिजन्य विवेक के संबंध में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए:
I. प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो।
II. मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जब वह लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर सके।
III. लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(1) अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो।
(2) किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद के पुनः समवेत होने से छह माह और छह सप्ताह हो सकती है।
(3) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है।
(4) राष्ट्रपति सामान्य समय में राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. डी.सी. वाधवा प्रकरण (1987) में, उच्चतम न्यायालय ने किसके संबंध में ऐतिहासिक निर्णय दिया था?
(1) कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन।
(2) अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग।
(3) अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना।

Click Here to Buy book on Amazon

(4) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में प्रयुक्त विवेक।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इस निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं?
(1) केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
(2) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीय सदस्य।
(3) संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
(4) संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीय सदस्य।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (संवैधानिक अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 74
B. अनुच्छेद 75
C. अनुच्छेद 78
D. अनुच्छेद 352
सूची-II: (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान)
i. राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
ii. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
iii. मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है
iv. 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य अर्हता नहीं है?
(1) वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह होना चाहिए।
(2) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
(3) निर्वाचन के समय उसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
(4) वह किसी सरकारी प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित कैबिनेट समितियों और उनके सामान्य अध्यक्षों पर विचार कीजिए:
I. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति - प्रधानमंत्री
II. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति - प्रधानमंत्री
III. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति - प्रधानमंत्री
IV. आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति - गृह मंत्री
उपरोक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ होनी चाहिए?
(1) केवल लोकसभा में
(2) संसद के किसी भी सदन में
(3) संसद की संयुक्त बैठक में
(4) केवल राज्यसभा में
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह:
(1) राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करना जारी रखता है।
(2) राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता प्राप्त करता है।
(3) राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है।
(4) उसके पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति नहीं होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. भारत का प्रधानमंत्री:
(1) जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है
(2) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
(3) लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है
(4) सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. भारत के प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. वह उन व्यक्तियों की अनुशंसा करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
II. वह मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
III. वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
IV. वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
V. उसका त्यागपत्र स्वतः ही मंत्रिपरिषद के विघटन का कारण बनता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) II, III, IV और V
(3) I, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

40. संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
(1) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
(2) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%
(3) संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%
(4) कोई संवैधानिक सीमा नहीं है, यह प्रधानमंत्री पर निर्भर है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003, जिसने मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा निर्धारित की, ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया?
(1) अनुच्छेद 74
(2) अनुच्छेद 75
(3) अनुच्छेद 77
(4) अनुच्छेद 78
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. जब आम निर्वाचन के पश्चात त्रिशंकु संसद की स्थिति होती है, तो की जाने वाली कार्रवाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करते हैं।
II. नियुक्त प्रधानमंत्री से लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने हेतु कहा जाता है।
III. नवनियुक्त प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
(1) I, II, III
(2) I, III, II
(3) II, I, III
(4) III, I, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (पदाधिकारी)
A. भारत का राष्ट्रपति
B. भारत का उपराष्ट्रपति
C. लोकसभा अध्यक्ष
D. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
सूची-II: (पदच्युति हेतु आवश्यक बहुमत का प्रकार)
i. राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत
ii. दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत
iii. दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई + सदन की कुल सदस्यता का बहुमत)
iv. लोकसभा में प्रभावी बहुमत
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में भिन्न विकल्प की पहचान करें:
(1) मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग।
(2) संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
(3) सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना।
(4) गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में सदन को स्थगित करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 75 में निहित 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का वर्णन करता है?
(1) सभी मंत्री राष्ट्रपति के सभी कार्यों के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी हैं।
(2) मंत्रिपरिषद समग्र रूप से संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
(4) मंत्री सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का तात्पर्य है कि:
(1) एक मंत्री अपने विभाग की वित्तीय अनियमितताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।
(2) एक मंत्री पर उसके आधिकारिक कार्यों हेतु न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है।
(3) एक मंत्री केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह है।
(4) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें:
अभिकथन (A): भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
कारण (R): भारत का महान्यायवादी केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है?
(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(2) भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
(3) केंद्रीय विधि मंत्री

Downloaded from www.pdf.tube

(4) भारत के महाधिवक्ता (Solicitor General)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. भारत में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जब लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है।
II. एक मंत्री जो मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है, उसे उसे स्वीकार करना होगा अन्यथा त्यागपत्र देना होगा।
III. राष्ट्रपति राज्यसभा की सलाह पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख किया गया है?
(1) अनुच्छेद 352
(2) अनुच्छेद 74
(3) अनुच्छेद 75
(4) संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नियुक्त होने के लिए अर्ह हो:
(1) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(2) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(3) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(4) राज्यसभा का सदस्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. भारतीय संसदीय प्रणाली में कैबिनेट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है?
(1) यह सरकारी कार्यों पर विचार-विमर्श और निर्णय हेतु नियमित रूप से मिलती है।
(2) यह बाध्यकारी निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करती है।
(3) यह राष्ट्रपति को सलाह देती है और इसकी सलाह सामान्यतः बाध्यकारी होती है।
(4) इसका आकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से 15 से 20 मंत्रियों तक सीमित किया गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (संविधान संशोधन)
A. 24वाँ संशोधन अधिनियम
B. 42वाँ संशोधन अधिनियम
C. 44वाँ संशोधन अधिनियम
D. 91वाँ संशोधन अधिनियम
सूची-II: (कार्यपालिका पर प्रभाव)
i. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया
ii. राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति देना अनिवार्य किया
iii. राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार हेतु सलाह वापस भेजने की अनुमति दी
iv. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए।
(1) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी प्रस्तावों के संबंध में सूचना मांग सकता है, किंतु प्रशासनिक विषयों पर नहीं।
(2) प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।
(3) प्रधानमंत्री को अपने निजी कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
(4) राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. भारत में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
II. राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को पद से हटा सकता है।
III. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की एकरूपता बनाए रखे।
IV. यह अवधारणा अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था/थी?
(1) इंदिरा गांधी
(2) लाल बहादुर शास्त्री
(3) मोरारजी देसाई
(4) अटल बिहारी वाजपेयी

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. भारत में 'कार्यवाहक सरकार' का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है?
(1) सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा बहुमत खो देने पर विपक्षी दल के नेता द्वारा निर्मित सरकार।
(2) ऐसी सरकार जिसका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी मंत्रिपरिषद के किया जाता है।
(3) लोकसभा विघटन के पश्चात नई सरकार के गठन तक सत्ता में रहने वाली अस्थायी सरकार।
(4) निचले सदन में कार्यकारी बहुमत बनाए रखने के लिए बाह्य समर्थन से निर्मित गठबंधन सरकार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. 'किचन कैबिनेट' (आंतरिक मंत्रिमंडल) की अवधारणा का तात्पर्य है:
(1) प्रधानमंत्री और कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों का अनौपचारिक निकाय जो महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देते हैं।
(2) एक औपचारिक संवैधानिक निकाय जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है।
(3) आवास संबंधी विशिष्ट मंत्रिमंडलीय समिति जो सरकारी सुविधाओं हेतु उत्तरदायी है।
(4) संघ में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता मामलों का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठ मंत्रियों का समूह।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. भारतीय संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति।
II. बहुमत दल का शासन।
III. विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व।
IV. विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।
V. प्रधानमंत्री द्वारा उच्च सदन (राज्यसभा) का विघटन।
उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही विशेषताएं हैं?
(1) I, II, III और V
(2) I, II, III और IV
(3) II, III, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. भारत के उप-प्रधानमंत्री पद का संवैधानिक महत्व क्या है?
(1) यह पद अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करने हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है।
(2) इस पद को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है; यह केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है।
(3) यह पद एक वैधानिक रचना है जिसके लिए संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है।
(4) प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में उप-प्रधानमंत्री स्वतः ही उत्तराधिकारी बन जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. यदि केंद्र सरकार का कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित नीतिगत विषय पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है?
(1) केवल उस विशेष मंत्री को त्यागपत्र देना होगा।
(2) मंत्री को किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
(3) संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
(4) प्रधानमंत्री प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय का अध्यक्ष होता है?
(1) नीति आयोग
(2) अंतर-राज्यीय परिषद
(3) राष्ट्रीय एकता परिषद
(4) उपरोक्त सभी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (महत्वपूर्ण प्रकरण/सिद्धांत)
A. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
B. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
C. डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य
D. यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी
सूची-II: (संबंधित मूल अवधारणा)
i. अध्यादेशों का पुन: प्रख्यापन असंवैधानिक है
ii. राष्ट्रपति शासन की न्यायसंगतता
iii. राष्ट्रपति केवल औपचारिक/नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख है
iv. मंत्रिपरिषद हमेशा अस्तित्व में होनी चाहिए भले ही लोकसभा विघटित हो जाए
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, इस प्रश्न की कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी और यदि दी थी, तो वह क्या थी:
(1) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच की जाएगी।
(2) किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी।
(3) संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच की जा सकती है।
(4) मूल संरचना सिद्धांत के तहत न्यायिक समीक्षा हेतु खुला है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित श्रेणियों को उनके पदानुक्रम (उच्चतम से निम्नतम) में व्यवस्थित कीजिए:

Click Here to Buy book on Amazon

I. राज्य मंत्री
II. उप मंत्री
III. कैबिनेट मंत्री
IV. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(1) III, I, IV, II
(2) III, IV, I, II
(3) I, III, IV, II
(4) IV, III, I, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(1) उसे निजी विधिक व्यवसाय (private legal practice) से वंचित किया गया है।
(2) उसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
(3) उसके पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है और वह राजनीतिक मंत्री के रूप में कार्य नहीं करता है।
(4) वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें:
अभिकथन (A): प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र स्वतः ही मंत्रिपरिषद के विघटन का कारण बनता है।
कारण (R): प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है; वह इसके गठन, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता यदि:
(1) वह राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है
(2) वह राज्य में अस्थायी कार्यवाहक सरकार का प्रमुख है
(3) उसने अभी तक सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया है
(4) वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उसे राज्यसभा के एक ऐसे प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जो विशेष बहुमत से पारित हो और लोकसभा उससे सहमत हो।
II. उसे पद से हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
III. उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, पूर्व में किस राज्य के मुख्यमंत्री थे?
(1) मध्य प्रदेश
(2) राजस्थान
(3) गुजरात
(4) उत्तर प्रदेश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
(1) प्रधानमंत्री
(2) लोकसभा अध्यक्ष
(3) किसी राज्य का वरिष्ठतम राज्यपाल
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों को वरीयता क्रम (Table of Precedence) के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. प्रधानमंत्री
II. राष्ट्रपति
III. अपने संबंधित राज्यों के भीतर राज्यों के राज्यपाल
IV. उपराष्ट्रपति
(1) II, IV, I, III
(2) II, I, IV, III
(3) II, IV, III, I
(4) I, II, IV, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (पद)
A. राष्ट्रपति
B. प्रधानमंत्री
C. उपराष्ट्रपति
D. भारत के मुख्य न्यायाधीश
सूची-II: (पद की शपथ कौन दिलाता है)
i. राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
ii. भारत के मुख्य न्यायाधीश
iii. राष्ट्रपति
iv. राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

Downloaded from www.pdf.tube

(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान इस परंपरा को समाहित करता है कि राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है?
(1) अनुच्छेद 74(1)
(2) अनुच्छेद 53
(3) अनुच्छेद 78
(4) अनुच्छेद 61
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है।
II. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद का मुख्य माध्यम है।
III. वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।
IV. वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुशंसा करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का क्या प्रभाव होता है?
(1) विधेयक स्थायी रूप से समाप्त मान लिया जाता है और उसे उसी सत्र में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
(2) यदि विधेयक संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है।
(3) विधेयक को परामर्शदात्री राय हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है।
(4) पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. "सामूहिक उत्तरदायित्व" शब्द का अर्थ है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय:
(1) सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों द्वारा औपचारिक मतदान प्रक्रिया के अधीन है।
(2) सदन के पटल पर मंत्रियों द्वारा स्वतंत्र बहस और व्यक्तिगत असहमति हेतु खुला है।
(3) सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी है, भले ही वे बैठक में भिन्न राय रखते हों।
(4) यदि इसे राष्ट्रपति द्वारा तत्काल अनुमोदित नहीं किया जाता, तो इसे अमान्य माना जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. निम्नलिखित में से कौन भारत में मंत्री की विधिक उत्तरदायित्व को ब्रिटेन से पृथक करता है?
(1) भारत में, राष्ट्रपति के सभी आधिकारिक कार्यों हेतु मंत्रियों को न्यायालयों में उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(2) ब्रिटिश प्रणाली में, सम्राट मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कार्यकारी कार्य कर सकता है।
(3) भारतीय संदर्भ में, किसी असंवैधानिक विधेयक का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(4) भारत में किसी सार्वजनिक कार्य हेतु राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (countersignature) की आवश्यकता नहीं होती।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए।
II. वह संचित निधि से प्राप्त एक निश्चित वेतन प्राप्त करता है जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट है।
III. उसे उन संसदीय समितियों में मतदान करने का अधिकार है जिसमें वह मनोनीत है।
IV. वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को सलाह दे सकता है।
V. वह सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(1) केवल I, IV और V
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल I, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) आत्यंतिक वीटो - तब प्रयोग किया जाता है जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता।
(2) निलंबनकारी वीटो - तब प्रयोग किया जाता है जब राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस करता है।
(3) पॉकेट वीटो - तब प्रयोग किया जाता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति स्थायी रूप से रोक लेता है।
(4) विशेषित वीटो - राज्य विधेयकों हेतु भारतीय राष्ट्रपति द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति कब उपलब्ध होती है?

NODIA

(1) जब लोकसभा विघटित हो जाती है और नवीन निर्वाचन होना शेष हो।
(2) जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, या जब कोई एक सदन सत्र में न हो।
(3) केवल तभी जब संपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
(4) केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने पूर्ण विवेक पर।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. किसी विधेयक के अधिनियम बनने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है?
(1) लोकसभा द्वारा पारित → राज्यसभा द्वारा पारित → राष्ट्रपति की सहमति → आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।
(2) लोकसभा द्वारा पारित → राष्ट्रपति की सहमति → राज्यसभा द्वारा पारित → आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।
(3) संसद में प्रस्तुतीकरण → राष्ट्रपति की सहमति → संसद द्वारा पारित → आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।
(4) संसद द्वारा पारित → उच्चतम न्यायालय की सहमति → राष्ट्रपति की सहमति → आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (वीटो का प्रकार)
A. आत्यंतिक वीटो
B. विशेषित वीटो
C. निलंबनकारी वीटो
D. पॉकेट वीटो
सूची-II: (अभिभावी करने का तंत्र)
i. विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से अभिभावी करना
ii. विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से अभिभावी करना
iii. अभिभावी नहीं किया जा सकता, विधेयक समाप्त हो जाता है
iv. अभिभावी करने का कोई तंत्र नहीं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की जाती
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. अनुच्छेद 78 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है?
(1) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना।
(2) संघ के प्रशासन से संबंधित ऐसी सूचना देना जिसकी राष्ट्रपति मांग करें।
(3) किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु परिषद ने विचार न किया हो।
(4) लोकसभा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. केंद्रीय कार्यपालिका के संदर्भ में, मंत्री नियुक्तियों की "संरक्षण प्रणाली" (Spoils System):
(1) मंत्रियों के मध्य राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद 75 में निहित है।
(2) भारतीय संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता मानी जाती है।
(3) भारत में प्रचलित नहीं है; भारत सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय बहुमत का अनुसरण करता है।
(4) कुशल शासन सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा अनिवार्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था?
(1) डॉ. एस. राधाकृष्णन
(2) नीलम संजीव रेड्डी
(3) वी.वी. गिरि
(4) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें:
अभिकथन (A): संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, किंतु वे महाभियोग में भाग लेते हैं।
कारण (R): महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जहाँ संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के सभी सदस्यों को न्याय करना चाहिए।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. संविधान के अनुसार, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितनी अवधि हेतु मंत्री नियुक्त किया जा सकता है?
(1) 6 माह
(2) 3 माह
(3) 1 वर्ष
(4) ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

89. भारत में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मंत्रिपरिषद एक वृहद् निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल 15 से 20 मंत्रियों का लघु निकाय है।
II. मंत्रिमंडल मुख्य नीति-निर्धारक निकाय है, जबकि मंत्रिपरिषद इन नीतियों को क्रियान्वित करती है।
III. संविधान मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों का विवरण देता है, किंतु मंत्रिमंडल के विशिष्ट कार्यों का नहीं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) का सदस्य है, तो:
(1) वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता।
(2) उसे निचले सदन में वार्षिक बजट पर बोलने की अनुमति नहीं होगी।
(3) वह केवल उच्च सदन में ही आधिकारिक वक्तव्य देने हेतु अधिकृत है।
(4) उसे छह माह के भीतर निचले सदन का निर्वाचित सदस्य बनना होगा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
(1) केवल राज्यसभा में
(2) लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी
(3) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
(4) केवल लोकसभा में
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. राष्ट्रपति के पास किसके द्वारा दी गई लिखित अनुशंसा के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने की शक्ति है?
(1) प्रधानमंत्री
(2) केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट)
(3) मंत्रिपरिषद
(4) संसद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I: (प्राधिकारी)
A. राष्ट्रपति
B. उपराष्ट्रपति
C. प्रधानमंत्री
D. लोकसभा अध्यक्ष
सूची-II: (त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाता है)
i. उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)
ii. राष्ट्रपति
iii. उपराष्ट्रपति
iv. भारत के मुख्य न्यायाधीश
(1) A-iii, B-ii, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया?
(1) 38वाँ संशोधन अधिनियम
(2) 42वाँ संशोधन अधिनियम
(3) 44वाँ संशोधन अधिनियम
(4) 52वाँ संशोधन अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

95. राष्ट्रपति पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
II. वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
III. वह बिना किराया दिए अपने आधिकारिक निवास के उपयोग का हकदार है।
IV. वित्तीय आपातकाल में उसकी उपलब्धियों और भत्तों को कम किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के मध्य मूल अंतर क्या है?
(1) केवल राज्यपाल ही सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है।
(2) केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है।
(3) राष्ट्रपति परिहार दे सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं।
(4) राज्यपाल की शक्ति केंद्रीय विधियों तक विस्तृत है, जबकि राष्ट्रपति की राज्य विधियों तक।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया?
(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) आई.के. गुजराल
(3) लाल बहादुर शास्त्री
(4) इंदिरा गांधी

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. जब राज्यपाल द्वारा किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति:
(1) यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित करता है, तो वह सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है।
(2) यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित करता है, तो वह सहमति देने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य है।
(3) निर्णय लेने हेतु केवल 14 दिनों की अवधि प्राप्त करता है।
(4) विधेयक की वैधता हेतु अनिवार्य रूप से उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है।
II. वह उन नियमों का निर्माण करता है जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि उनके नाम पर किए गए आदेशों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा।
III. वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है।
IV. वह प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है।
V. वह प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रियों के मध्य कार्यों का आवंटन करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. भारत में, मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees):
(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।
(2) प्रशासनिक सुविधा हेतु संसद के अधिनियमों द्वारा निर्मित वैधानिक निकाय हैं।
(3) संविधान के तहत राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों द्वारा सीधे निर्मित की गई हैं।
(4) स्वरूप में न्यायेतर (extra-constitutional) हैं, जिन्हें कार्य संचालन नियमों (Rules of Business) द्वारा बनाया गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) अनुच्छेद 52
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह घोषित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत इस गरिमामय पद का विस्तृत उल्लेख है, जो भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

2. (2) अनुच्छेद 53
संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप करता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी बनाया गया है। यद्यपि वह औपचारिक प्रमुख है, फिर भी सभी प्रशासनिक निर्णय और अंतरराष्ट्रीय संधियाँ आधिकारिक रूप से उसी के नाम पर संपन्न की जाती हैं।

3. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विशिष्ट रीति जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप समाहित है। अंत में, अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की कठोर प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह सभी प्रावधान राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं।

4. (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। शपथ के दौरान राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के साथ-साथ जनता की सेवा और कल्याण में स्वयं को समर्पित करने की औपचारिक प्रतिज्ञा करते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के कर्तव्यों की पवित्रता सुनिश्चित करती है।

5. (3) वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए।
संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक अर्हताओं का उल्लेख है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक होती है, न कि राष्ट्रपति के लिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

NODIA

6. (2) भारत का उच्चतम न्यायालय
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की जाँच और अंतिम निर्णय केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस विषय पर सर्वोपरि और अंतिम होता है। यदि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, तो उसके द्वारा पद पर रहते हुए पहले किए गए कार्य अमान्य नहीं होते। यह व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और न्यायिक सर्वोच्चता बनाए रखती है।

7. (1) A-1 और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। हालांकि, 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकें। परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अतः दोनों कथन सत्य हैं।

8. (1) 129
राष्ट्रपति निर्वाचन में विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से विभाजित कर और प्राप्त परिणाम को 1000 से भाग देकर निकाला जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान विधानसभा के एक विधायक के मत का मूल्य 129 निर्धारित है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विभिन्न राज्यों के बीच निर्वाचन में प्रतिनिधित्व का एक समान पैमाना बना रहे और जनसंख्या का उचित महत्व सुरक्षित रहे।

9. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, बशर्ते 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो और उस पर सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत इस जटिल प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त है।

10. (1) सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाना
भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति

केवल राज्य का औपचारिक या नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वास्तविक सत्ता उन जनप्रतिनिधियों के पास रहे जो सीधे तौर पर जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

11. (2) 44वाँ संशोधन अधिनियम
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद उसी सलाह को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उसे स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। यह प्रावधान कार्यपालिका की संभावित निरंकुशता को रोकने और विचार का अवसर प्रदान करता है।

12. (1) III, I, II, IV
महाभियोग की प्रक्रिया एक निश्चित संवैधानिक क्रम में संचालित होती है। सर्वप्रथम, आरोप लगाने वाले सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 14 दिन का सूचना पत्र दिया जाता है। इसके पश्चात, वह सदन कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करता है। फिर दूसरा सदन उन आरोपों की गहन जाँच करता है। अंत में, यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति पदमुक्त माने जाते हैं।

13. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। 'क्षमा' अपराधी को सभी दंडों से पूर्णतः मुक्त कर देती है। 'लघुकरण' में दंड के स्वरूप को हल्का किया जाता है, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। 'परिहार' दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम कर देता है। 'विराम' किसी विशेष परिस्थिति, जैसे गर्भावस्था के कारण, मूल दंड को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह न्यायिक त्रुटियों को सुधारने का माध्यम है।

14. (4) दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा ही हो।

15. (1) I, II और III
राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती हैं। वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 151 के तहत, वह महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाने के लिए उत्तरदायी है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, तब अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा की जाती है।

16. (2) राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल को 1000 से भाग देना।
विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने हेतु राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को पुनः 1000 से भाग दिया जाता है। यदि शेषफल 500 से अधिक होता है, तो मत मूल्य में एक अंक जोड़ दिया जाता है। यह गणना वर्तमान में 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है ताकि विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में जनसंख्या के आधार पर समानता बनी रहे।

17. (2) अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं होती है। जबकि नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, धन विधेयकों और संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयकों हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं और वे इसे पुनर्विचार हेतु संसद को वापस नहीं भेज सकते हैं।

18. (1) आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 355
संविधान के भाग 18 में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन मुख्य रूप से अनुच्छेद 358 और 359 के तहत प्रशासित होता है। अनुच्छेद 355 केंद्र का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे।

19. (1) I, III, IV और V
भारतीय राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ हैं। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयकों पर कोई वीटो उपलब्ध नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक व्यापक है क्योंकि भारतीय संविधान में अनुमति देने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अतः कथन I, III, IV और V सही हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

20. (4) जब संसद द्वारा कोई गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पारित किया जाता है।
आत्यंतिक वीटो का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख लेता है, जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः दो स्थितियों में किया जाता है: प्रथम, निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के संदर्भ में। द्वितीय, जब विधेयक पारित होने के पश्चात किंतु राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और नई मंत्रिपरिषद उसे अनुमति न देने की सलाह प्रदान करे।

21. (4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में लाया जाता है, इसलिए वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करता है या उसे रोक सकता है, परंतु लोकसभा को लौटाने का विकल्प उसके पास नहीं होता। अतः प्रथम कथन अशुद्ध है और द्वितीय कथन सत्य है।

22. (1) संसद का सत्र न होना → राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना → संसद का पुनः समवेत होना → 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन का प्रस्ताव।
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को त्वरित विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः समवेत होने पर, अध्यादेश को छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक होता है। यदि संसद इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं करती या इसे अस्वीकार कर देती है, तो अध्यादेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है।

23. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यह निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पाँच वर्ष की पदावधि और उसे पद से हटाने की विशिष्ट प्रक्रिया से संबंधित है। यह पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।

24. (2) 6 माह
जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम छह माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 62 के अनुसार, इस छह माह की अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होना अनिवार्य है। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व संभालते हैं।

25. (3) बिना किसी कार्रवाई के किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने की शक्ति।
पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसमें वह किसी विधेयक पर न तो सहमति देता है, न उसे अस्वीकृत करता है और न ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है। इसके बजाय, वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित छोड़ देता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रक्रिया के कारण ही इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जो विधेयक को अधिनियम बनने से प्रभावी रूप से रोकता है।

26. (1) ज्ञानी जैल सिंह; भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' के विरुद्ध प्रथम बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रावधानों के कारण विवादास्पद था। राष्ट्रपति ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसे अपने पास लंबित रखा। बाद में नई सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, न कि पॉकेट वीटो का।

27. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
अभिकथन सही है क्योंकि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हालांकि, कारण गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अतः उपराष्ट्रपति का सभापति होना पद की विशेषता है, जबकि उसका निर्वाचन संपूर्ण संसद द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है।

28. (2) प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब सदन में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो।
यद्यपि राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु कुछ स्थितियों में वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का परिस्थितिजन्य विवेक बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है। अन्य कार्य जैसे नियुक्तियाँ और सत्र आहूत करना मंत्रिपरिषद की अनिवार्य सलाह पर किए जाते हैं।

29. (4) I, II और III
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ लिखित संविधान के बजाय संवैधानिक परंपराओं पर आधारित हैं। इनमें त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जब वह सदन में बहुमत खो चुकी हो, और लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत खो चुकी हो, शामिल हैं। ये

NODIA

शक्तियाँ सुनिश्चित करती हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के समय शासन का निरंतर संचालन बना रहे। राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रहित में और संवैधानिक तंत्र की रक्षा हेतु निष्पक्ष रूप से करते हैं।

30. (4) राष्ट्रपति सामान्य समय में राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश निर्माण की शक्ति संसद की विधायी शक्तियों के समानांतर है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बनाने हेतु सक्षम है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता, क्योंकि वे राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केवल राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान ही केंद्र को राज्य सूची पर विधायी अधिकार प्राप्त होते हैं। अन्य सभी कथन प्रक्रिया के अनुरूप हैं।

31. (1) कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुन: प्रख्यापन।
1987 के डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुन: प्रख्यापन असंवैधानिक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है और इसे विधायी प्रक्रिया के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अध्यादेश को बिना विधानमंडल के समक्ष रखे बार-बार जारी करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध कार्यपालिका द्वारा किया गया एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना जाता है।

32. (2) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीय सदस्य।
अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, पूरे संघीय विधायी ढांचे का विश्वास प्राप्त व्यक्ति हो।

33. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और वेतन से संबंधित अन्य प्रावधान करता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के उन कर्तव्यों को परिभाषित करता है जो राष्ट्रपति को सूचना देने से जुड़े हैं। अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन के बाद 'कैबिनेट' शब्द जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही की जा सकती है। यह ढांचा कार्यपालिका को नियंत्रित करता है।

NODIA

34. (1) वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य अर्हताओं में भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना और लाभ का पद धारण न करना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए, न कि लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता की योग्यता आवश्यक है, जबकि उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसके लिए राज्यसभा की पात्रता को अनिवार्य संवैधानिक शर्त के रूप में रखा गया है।

35. (4) I, II, III और IV
कैबिनेट समितियाँ कार्यपालिका के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निकाय हैं। नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति और राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भी सामान्यतः गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ये समितियाँ जटिल मुद्दों का सूक्ष्म विश्लेषण करती हैं और मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने में सहायक होती हैं। सभी उल्लेखित युग्म अपने वर्तमान स्वरूप में सही हैं।

36. (4) केवल राज्यसभा में
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार, उसे राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व सूचना पत्र देना अनिवार्य है। चूंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए हटाने की पहल का प्राथमिक अधिकार भी उसी विशिष्ट सदन को प्रदान किया गया है।

37. (3) राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। अनुच्छेद 97 के अनुसार, इस अवधि के दौरान वह सभापति के पद का वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी उपलब्धियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सभापति के कर्तव्यों का पालन उस समय राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। यह हितों के टकराव को रोकने हेतु की गई व्यवस्था है।

38. (2) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसदीय परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत में प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि वह लोकसभा के सदस्यों में से

एक होता है जिसे सदन का विश्वास प्राप्त होता है। यदि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, परंतु नियुक्ति की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

39. (4) I, II, III, IV और V
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसकी शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। वह मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उनके विभागों का आवंटन करता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम है। सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। सभी कथन सत्य हैं।

40. (1) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया है। अब प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह सीमा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य विशाल मंत्रिमंडलों के गठन को रोकना और राजनीतिक लाभ के लिए की जाने वाली नियुक्तियों पर अंकुश लगाकर सरकारी व्यय को नियंत्रित करना है। यह प्रावधान प्रशासनिक कुशलता को बढ़ावा देता है।

41. (2) अनुच्छेद 75
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़कर मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसी संशोधन ने दलबदल विरोधी कानून को भी अधिक प्रभावी बनाया और दलबदल करने वाले सदस्यों को मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित किया। अनुच्छेद 75 मुख्य रुप से मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है, अतः इसमें यह संशोधन हुआ।

42. (2) I, III, II
त्रिशंकु संसद की स्थिति में सर्वप्रथम राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करते हैं। इसके पश्चात, नियुक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण के बाद, राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय सीमा प्रदान की जाती है जिसके भीतर प्रधानमंत्री को लोकसभा के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। यह क्रमिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक स्थिरता और संवैधानिक परंपराओं को बनाए रखती है।

43. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
राष्ट्रपति को हटाने हेतु अनुच्छेद 61 के तहत दोनों सदनों में कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा की सहमति से हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान का दो-तिहाई तथा कुल सदस्यता का बहुमत) अनिवार्य है। ये कठोर प्रक्रियाएँ संवैधानिक पदों की स्वायत्तता सुनिश्चित करती हैं।

44. (2) संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों के पास सदन में व्यवस्था बनाए रखने और निर्णायक मत देने की शक्तियाँ समान हैं। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अनन्य अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है।

45. (3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रुप से उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री अपने कार्यों और निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित सभी को अनिवार्य रुप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह संसदीय लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है जो 'एक साथ तैरने और एक साथ डूबने' की अवधारणा पर कार्य करता है।

46. (4) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
अनुच्छेद 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी निहित है। इसके अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाता है, परंतु यह सिद्धांत प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है या प्रधानमंत्री की नीतियों से असहमत होता है, तो उसे राष्ट्रपति के माध्यम से पदमुक्त किया जा सकता है।

47. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी अनुच्छेद 88 के तहत दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखता है। वह उन संसदीय समितियों का भी हिस्सा हो सकता है जिनमें उसे सदस्य मनोनीत किया गया हो। हालांकि, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता और न ही उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। अतः अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है क्योंकि वह एक संवैधानिक विधिक सलाहकार है, सक्रिय राजनीतिक मंत्री नहीं।

Downloaded from www.pdf.tube

48. (2) भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है और न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। महान्यायवादी का पद राजनीतिक नहीं है, परंतु वह सरकार के कार्यकाल के साथ जुड़ा होता है और नई सरकार आने पर सामान्यतः नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देता है।

49. (1) केवल I और II
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्रिमंडल को पद छोड़ना होगा, चाहे मंत्री किसी भी सदन का हो। साथ ही, मंत्रिमंडल के निर्णयों से सभी मंत्री विधिक और राजनीतिक रूप से बंधे होते हैं; यदि कोई असहमत है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या केवल राज्यसभा की सलाह पर परिषद को नहीं हटा सकता। उसे केवल तभी हटाया जा सकता है जब वह लोकसभा का विश्वास खो दे। अतः कथन I और II सत्य हैं।

50. (1) अनुच्छेद 352
मूल संविधान में 'कैबिनेट' या 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख नहीं था, केवल 'मंत्रिपरिषद' शब्द का प्रयोग किया गया था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में प्रथम बार 'कैबिनेट' शब्द सम्मिलित किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब उन्हें 'कैबिनेट' की लिखित अनुशंसा प्राप्त हो। अनुच्छेद 74 और 75 केवल मंत्रिपरिषद और उसकी संरचना का विवरण देते हैं, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं किया गया है।

51. (3) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनिवार्य हैं। अर्थात्, वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को विधिक परामर्श देने वाला व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र का गहन अनुभव और आवश्यक विशेषज्ञता रखता हो।

52. (4) इसका आकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से 15 से 20 मंत्रियों तक सीमित किया गया है।
कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक छोटा परंतु अत्यंत शक्तिशाली आंतरिक भाग है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। यह नियमित रूप से बैठकें करती है और इसके निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी होते हैं। हालांकि, कैबिनेट का आकार संविधान द्वारा 15 से 20 मंत्रियों तक निश्चित नहीं किया गया है। 91वें संशोधन ने केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा लोकसभा का 15% तय की है, जबकि कैबिनेट का वास्तविक आकार प्रधानमंत्री की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।

NODIA

53. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
विभिन्न संशोधनों ने कार्यपालिका की शक्तियों को प्रभावित किया है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति देना अनिवार्य बनाया। 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया। 44वें संशोधन ने इसमें सुधार करते हुए राष्ट्रपति को सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति प्रदान की। अंत में, 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया। ये सभी संशोधन कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को परिभाषित करते हैं।

54. (2) प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।
अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करे। राष्ट्रपति के पास प्रशासन और कानून से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है और प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है। प्रधानमंत्री को निजी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और न ही राष्ट्रपति सीधे मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता है। दोनों के बीच संवाद निरंतर बना रहता है।

55. (1) I, II और III
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रधानमंत्री के विश्वास तक ही पद पर बने रहते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट है, तो वह राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पूरी टीम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ही दिशा में कार्य करे। अनुच्छेद 75 में इस उत्तरदायित्व का आधार मिलता है, जबकि अनुच्छेद 74 मुख्य रूप से सहायता और सलाह से संबंधित है।

56. (1) इंदिरा गांधी
भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री बनीं जो अपनी नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थीं। उनके पश्चात एच.डी. देवेगौड़ा और डॉ. मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। यद्यपि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री को निचले सदन का प्रतिनिधि होना चाहिए, परंतु विधिक रूप से उच्च सदन के सदस्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

57. (3) लोकसभा विघटन के पश्चात नई सरकार के गठन तक सत्ता में रहने वाली अस्थायी सरकार।
जब लोकसभा भंग हो जाती है या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, तो राष्ट्रपति नई सरकार के गठन और पदभार ग्रहण करने तक निवर्तमान मंत्रिपरिषद को पद पर बने रहने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अस्थायी व्यवस्था को 'कार्यवाहक सरकार' कहा

जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यू.एन. राव मामले में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के कार्य नहीं कर सकता, अतः कार्यवाहक सरकार का होना संवैधानिक अनिवार्यता है। यह सरकार केवल दैनिक प्रशासन चलाती है और बड़े नीतिगत निर्णय लेने से बचती है।

58. (1) प्रधानमंत्री और कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों का अनौपचारिक निकाय जो महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देते हैं।
'किचन कैबिनेट' एक अनौपचारिक और न्यायेतर निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री के दो से चार प्रभावशाली और विश्वसनीय सहयोगी सम्मिलित होते हैं। इसमें कुछ कैबिनेट मंत्री ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के मित्र या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। यह समूह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर गुप्त चर्चा करता है और निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की सहायता करता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु त्वरित निर्णय लेने हेतु यह लगभग प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सक्रिय रहा है।

59. (2) I, II, III और IV
भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में नाममात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख की दोहरी कार्यपालिका सम्मिलित है। इसमें बहुमत प्राप्त दल शासन करता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यद्यपि प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है, परंतु वह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थाई सदन है जो कभी पूर्णतः विघटित नहीं होता। अतः पाँचवाँ कथन असत्य है।

60. (2) इस पद को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है; यह केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है।
भारतीय संविधान में 'उप-प्रधानमंत्री' के पद का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसके लिए किसी विशेष अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है जिसका सृजन प्रधानमंत्री अपनी सुविधा या गठबंधन की राजनीति में संतुलन बनाने हेतु करते हैं। उप-प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, परंतु उसकी कोई स्वतंत्र संवैधानिक या वैधानिक सत्ता नहीं होती है।

61. (3) संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यदि लोकसभा में सरकार की किसी महत्वपूर्ण नीति या प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसे पूरे मंत्रिपरिषद की विफलता माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार केवल तभी तक सत्ता में रहे जब तक उसे जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त है। किसी एक मंत्री की पराजय पूरी सरकार की पराजय मानी जाती है।

62. (4) उपरोक्त सभी
प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होने के नाते कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निकायों की अध्यक्षता करते हैं। वे नीति आयोग, अंतर-राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये भूमिकाएं प्रधानमंत्री को नीति निर्माण और देश के व्यापक विकास ढांचे पर सीधा नियंत्रण प्रदान करती हैं। अतः प्रधानमंत्री इन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं।

63. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
शमशेर सिंह मामले में न्यायालय ने राष्ट्रपति की नाममात्र की स्थिति स्पष्ट की। एस.आर. बोम्मई मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा को स्वीकृति दी गई। डी.सी. वाधवा मामले में अध्यादेशों के पुन: प्रख्यापन को असंवैधानिक ठहराया गया। यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी मामले में यह व्यवस्था दी गई कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का अस्तित्व में रहना अनिवार्य है। ये निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं।

64. (2) किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी।
अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति और विवरण के बारे में किसी भी न्यायालय में कोई पूछताछ या जाँच नहीं की जा सकती। यह प्रावधान कार्यकारी गोपनीयता को बनाए रखने और राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। यद्यपि न्यायालय उस निर्णय के विधिक आधारों की समीक्षा कर सकते हैं, परंतु स्वयं सलाह और उसके आदान-प्रदान की आंतरिक प्रक्रिया न्यायिक जांच के दायरे से पूर्णतः बाहर रखी गई है।

65. (2) III, IV, I, II
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन मुख्य श्रेणियां होती हैं। उच्चतम स्तर पर 'कैबिनेट मंत्री' होते हैं जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं। उनके पश्चात 'राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)' आते हैं जिनके पास अपने विभागों का स्वतंत्र कार्यभार होता है। फिर 'राज्य मंत्री' आते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु संलग्न होते हैं। सबसे निचले स्तर पर 'उप मंत्री' होते हैं जिनका कार्य केवल प्रशासनिक और संसदीय कार्यों में वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करना होता है।

66. (1) उसे निजी विधिक व्यवसाय (private legal practice) से वंचित किया गया है।
भारत के महान्यायवादी को सरकारी पद पर होने के बावजूद निजी विधिक व्यवसाय से पूर्णतः वंचित नहीं किया गया है। हालांकि, वह भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले में सलाह नहीं दे सकता और न ही सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का बचाव कर सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसे संसद में भाग लेने का अधिकार है। चूंकि वह पूर्णकालिक सरकारी

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसकी निजी प्रैक्टिस सशर्त जारी रहती है।

67. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि उसकी उपस्थिति ही पूरी मंत्रिपरिषद के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अन्य मंत्रियों के हटने पर केवल एक रिक्त पद निर्मित होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सटीक व्याख्या करता है।

68. (4) वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य है, तो वह निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होता और मतदान नहीं कर सकता। निर्वाचन में सम्मिलित होने के लिए सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायक होना आवश्यक है। विधान परिषदों को राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर रखा गया है।

69. (2) केवल II और III
संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु किसी विशिष्ट आधार या कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 'संविधान का उल्लंघन' अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के संकल्प और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। साथ ही, अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कर लिया जाना चाहिए ताकि पद की निरंतरता बनी रहे। अतः कथन II और III पूर्णतः सत्य हैं।

70. (2) राजस्थान
भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार सेवा दे चुके थे। वे भारतीय राजनीति के एक अत्यंत कद्दावर नेता थे और उन्हें राजस्थान में एक प्रमुख राजनीतिक दल के आधार को सुदृढ़ करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। उनका राजनीतिक जीवन राज्यों के प्रशासन और केंद्रीय विधायी कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है।

71. (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उसी समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो या वह कार्य करने में असमर्थ हो, तो 'राष्ट्रपति (कर्तव्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969' के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हों, तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश यह जिम्मेदारी संभालता है। 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने इस प्रकार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यह व्यवस्था संवैधानिक शून्यता को रोकने हेतु है।

72. (1) II, IV, I, III
भारत के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और प्रथम स्थान पर आता है। उसके पश्चात उपराष्ट्रपति द्वितीय स्थान पर और प्रधानमंत्री तृतीय स्थान पर आते हैं। अपने संबंधित राज्यों के भीतर राज्यों के राज्यपाल चतुर्थ स्थान पर आते हैं, जबकि भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप-प्रधानमंत्री क्रमशः पांचवें और पांचवें 'ए' स्थान पर होते हैं। यह क्रम औपचारिक राजकीय समारोहों और प्रोटोकॉल के पालन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि संवैधानिक पदों की गरिमा बनी रहे।

73. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ स्वयं राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची और संबंधित अनुच्छेदों में दिया गया है, जो पद की गोपनीयता और संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा को सुनिश्चित करता है।

NODIA

74. (1) अनुच्छेद 74(1)
अनुच्छेद 74(1) वह मूल संवैधानिक प्रावधान है जो यह स्थापित करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही करेंगे। 42वें संशोधन ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए इस सलाह को राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी बना दिया। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करें और वास्तविक सत्ता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास रहे। अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्ति देता है, परंतु 74(1) उसका वास्तविक संचालन नियंत्रित करता है।

75. (4) I, II, III और IV
प्रधानमंत्री की भूमिका बहुआयामी है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद और अन्य शीर्ष निकायों का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति को प्रशासन के विषय में सूचित करने का एकमात्र संवैधानिक माध्यम है। वह नागरिक सेवाओं और सशस्त्र बलों का राजनीतिक प्रमुख माना जाता है। साथ ही, वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देने की शक्ति रखता है, जिसे राष्ट्रपति सामान्यतः स्वीकार करते हैं। ये सभी कार्य प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं।

76. (2) यदि विधेयक संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है।
जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेजता है, तो वह 'निलंबनकारी वीटो' का प्रयोग कर रहा होता है। यदि संसद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के या संशोधन के साथ पुनः साधारण बहुमत से पारित कर

देती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि संसद का विधायी निर्णय राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आपत्ति पर प्रभावी होता है। धन विधेयकों के मामले में यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।

77. (3) सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी है, भले ही वे बैठक में भिन्न राय रखते हों।
सामूहिक उत्तरदायित्व का मूल अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कोई भी निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। भले ही कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस निर्णय से असहमत हो, परंतु एक बार निर्णय हो जाने के पश्चात उसे सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना ही होगा। यदि कोई मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत सरकार की एकता और नीतियों के प्रति एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

78. (4) भारत में किसी सार्वजनिक कार्य हेतु राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (countersignature) की आवश्यकता नहीं होती।
ब्रिटेन में प्रत्येक सार्वजनिक कार्य हेतु सम्राट के आदेश पर संबंधित मंत्री का प्रति-हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, जिससे वह मंत्री उस कार्य हेतु न्यायालय में विधिक रूप से उत्तरदायी बन जाता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के आदेशों को निर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है और मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों हेतु न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः भारत में मंत्रियों का उत्तरदायित्व केवल राजनीतिक है, पूर्णतः विधिक नहीं।

79. (1) केवल I, IV और V
महान्यायवादी के पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विधिक कार्यों को निष्पादित करता है। वह देश के सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रख सकता है। हालांकि, उसका वेतन संचित निधि से निर्धारित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। उसे संसद की समितियों में बोलने का अधिकार है, परंतु वह मतदान नहीं कर सकता। संविधान उसे एक सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं मानता, बल्कि वह सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है।

80. (2) निलंबनकारी वीटो - तब प्रयोग किया जाता है जब राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस करता है।
निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को वापस भेजता है ताकि उस पर पुनर्विचार किया जा सके। आत्यंतिक वीटो में वह सहमति पूर्णतः रोक लेता है जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। पॉकेट वीटो में वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित छोड़ देता है और कोई कार्रवाई नहीं करता। भारत में 'विशेषित वीटो' का कोई प्रावधान नहीं है; यह अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है जहाँ विधायिका को उच्च बहुमत से उसे निरस्त करना पड़ता है।

81. (2) जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, या जब कोई एक सदन सत्र में न हो।
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल तभी क्रियाशील होती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, या कम से कम एक सदन सत्र में न हो। चूंकि कानून बनाने हेतु दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, अतः एक सदन की अनुपस्थिति में भी विधायी शून्यता उत्पन्न हो सकती है। यह शक्ति केवल उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की अनिवार्यता राष्ट्रपति के संतोष और मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करती है।

82. (1) लोकसभा द्वारा पारित → राज्यसभा द्वारा पारित → राष्ट्रपति की सहमति → आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन।
किसी साधारण विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित क्रम का अनुसरण करती है। पहले वह एक सदन द्वारा पारित होता है, फिर दूसरे सदन द्वारा। दोनों सदनों की सहमति के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो वह विधेयक 'अधिनियम' बन जाता है। अंत में, इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसके पश्चात ही वह कानून के रूप में प्रभावी और पूर्णतः लागू माना जाता है।

83. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
आत्यंतिक वीटो को विधायिका द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता और विधेयक का अंत हो जाता है। विशेषित वीटो को विधायिका उच्च बहुमत से निरस्त कर सकती है। निलंबनकारी वीटो को संसद साधारण बहुमत से पुनः पारित करके निरस्त कर देती है। पॉकेट वीटो में कोई समय सीमा न होने के कारण उसे निरस्त करने का कोई संवैधानिक तंत्र उपलब्ध नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ने कोई औपचारिक निर्णय ही नहीं लिया होता है। ये शक्तियाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।

84. (4) लोकसभा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी बनाता है। उसके कर्तव्यों में प्रशासन की सूचना देना, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना और किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को पूरी परिषद के समक्ष रखवाना शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है कि वह इसे संसद के समक्ष रखवाए, जो व्यवहार में वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का यह व्यक्तिगत संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह इसे स्वयं प्रस्तुत करे।

85. (3) भारत में प्रचलित नहीं है; भारत सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय बहुमत का अनुसरण करता है।
"संरक्षण प्रणाली", जिसमें विजयी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करता है, भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में योग्यता आधारित स्वतंत्र सिविल सेवा और संसदीय उत्तरदायित्व की प्रणाली है। मंत्रियों की नियुक्ति केवल राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि लोकसभा

Downloaded from www.pdf.tube

में बहुमत और प्रधानमंत्री के विश्वास पर टिकी होती है। भारत सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करता है जहाँ सरकार की स्थिरता और प्रशासनिक निष्पक्षता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत राजनीतिक संरक्षण को।

86. (2) नीलम संजीव रेड्डी
1977 में नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। वे अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। इससे पूर्व वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अन्य राष्ट्रपतियों जैसे डॉ. राधाकृष्णन और वी.वी. गिरि को कड़े चुनावी मुकाबलों का सामना करना पड़ा था। नीलम संजीव रेड्डी का चयन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न दलों के बीच बनी एक व्यापक सहमति का सुखद परिणाम था।

87. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अभिकथन सही है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ताकि जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। परंतु महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि महाभियोग एक 'अर्ध-न्यायिक' प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण संसद को यह तय करना होता है कि क्या राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। कारण भी सही है क्योंकि यह प्रक्रिया सदन की पूर्ण सदस्यता की भागीदारी की माँग करती है ताकि निर्णय में निष्पक्षता बनी रहे।

88. (1) 6 माह
संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। परंतु, ऐसे व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तिथि से निरंतर छह माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यदि वह इस अवधि में सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है और वह पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान बाहरी विशेषज्ञों को सरकार में शामिल करने का अवसर प्रदान करता है।

89. (4) I, II और III
मंत्रिपरिषद एक विस्तृत निकाय है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल उसका एक छोटा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा है। मंत्रिमंडल ही वास्तव में नीतियों का निर्धारण और शासन का संचालन करता है, जबकि मंत्रिपरिषद उन निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि संविधान में मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन है, परंतु 44वें संशोधन के बाद 'कैबिनेट' शब्द की भूमिका को भी स्पष्ट कर दिया गया है। ये दोनों मिलकर कार्यपालिका का सुचारु और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हैं।

90. (1) वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता।
यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और उसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। हालांकि, वह दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। उसे छह माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वह राज्यसभा की सदस्यता बनाए रखे। यह संसदीय नियमों का एक विशिष्ट पहलू है।

NODIA

91. (4) केवल लोकसभा में
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर देती है, तो सरकार को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा के पास सरकार को हटाने या अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई शक्ति नहीं है, हालांकि वह सरकार की नीतियों की आलोचना और उन पर गंभीर चर्चा करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

92. (2) केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट)
संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल तभी कर सकते हैं जब उन्हें 'केंद्रीय मंत्रिमंडल' की लिखित अनुशंसा प्राप्त हो। यह प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि आपातकाल जैसी गंभीर घोषणा केवल प्रधानमंत्री की मर्जी से न होकर पूरे मंत्रिमंडल के सामूहिक निर्णय पर आधारित हो। यहाँ 'मंत्रिमंडल' का अर्थ प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह से है, न कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद से।

93. (1) A-iii, B-ii, C-ii, D-i
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही प्रदान करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, न कि राष्ट्रपति को। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पद का त्यागपत्र एक उचित संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाए, जिससे पदों की गरिमा और निरंतरता बनी रहे।

94. (2) 42वाँ संशोधन अधिनियम
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय शासन प्रणाली में एक दूरगामी परिवर्तन किया। इसके द्वारा अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। इससे पूर्व यह केवल एक संवैधानिक परंपरा थी। यद्यपि 44वें संशोधन ने पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की, परंतु मूल रूप से सलाह को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का कार्य 42वें संशोधन द्वारा ही संपन्न किया गया था। यह संसदीय सर्वोच्चता की दिशा में एक कदम था।

95. (1) केवल I, II और III
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों का विवरण प्रदान करता है। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता; यदि वह सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और उसे राष्ट्रपति भवन का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते, यहाँ तक कि वित्तीय आपातकाल में भी उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है।

96. (2) केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में दो प्रमुख अंतर हैं। प्रथम, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। द्वितीय, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित, पुनर्विचार या कम तो कर सकता है, परंतु उसे पूरी तरह समाप्त कर अपराधी को दोषमुक्त करने का अधिकार नहीं रखता। अन्य शक्तियाँ जैसे परिहार और विराम दोनों के लिए काफी हद तक समान हैं।

97. (2) आई.के. गुजराल
आई.के. गुजराल उन प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के विरुद्ध भी उनके कार्यकाल में कई बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। यह प्रस्ताव विपक्ष का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है जिसका प्रयोग सरकार के बहुमत और उसकी नीतियों की निरंतर समीक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है।

98. (1) यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित करता है, तो वह सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है।
जब राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत उस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है और राज्य विधानमंडल उसे पुनः पारित कर देता है, तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है। यह केंद्रीय संसद के विधेयकों से भिन्न स्थिति है। यहाँ राष्ट्रपति के पास 'पूर्ण वीटो' जैसी स्थिति बनी रहती है, जो संघीय ढांचे में केंद्र के प्रभाव को दर्शाती है।

99. (1) केवल I, II, III और IV
राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ प्रशासन के समस्त क्षेत्रों में विस्तृत हैं। भारत सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से उसके नाम पर होते हैं और वह कार्यों के आवंटन के नियम बनाता है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महालेखा परीक्षक, राज्यपालों और वित्त आयोग जैसे महत्वपूर्ण निकायों की नियुक्ति करता है। हालांकि, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा वह अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, अपनी मर्जी से नहीं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है।

100. (4) स्वरूप में न्यायेतर (extra-constitutional) हैं, जिन्हें कार्य संचालन नियमों (Rules of Business) द्वारा बनाया गया है।
मंत्रिमंडलीय समितियाँ संविधान का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं हैं, अपितु वे संविधानेत्तर निकाय हैं। इनका निर्माण 'भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961' के अंतर्गत किया जाता है। ये समितियाँ स्थायी और तदर्थ दो प्रकार की होती हैं। प्रधानमंत्री समय और परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार इन समितियों का गठन, पुनर्गठन या समापन कर सकते हैं। वे शासन में कार्यकुशलता लाने और जटिल मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श करने का एक प्रभावी प्रशासनिक तंत्र प्रदान करती हैं।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 05
संसद : लोकसभा एवं राज्यसभा

1. भारत का संविधान एक द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह बताता है कि संघ की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा?
(1) अनुच्छेद 76
(2) अनुच्छेद 79
(3) अनुच्छेद 80
(4) अनुच्छेद 82
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार, संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सुनिश्चित करता है?
(1) विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
(2) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्ण संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत
(3) भारत के राष्ट्रपति को दी गई संवैधानिक उन्मुक्ति
(4) राज्यसभा पर लोकसभा की प्रक्रियात्मक श्रेष्ठता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
कथन II: संविधान यह निर्धारित करता है कि मनोनीत सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. संसद के सामान्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।
(2) एक मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है, उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
(3) संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होगी।
(4) भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (संवैधानिक प्रावधान)
A. संसद का गठन
B. राज्यसभा की संरचना
C. लोकसभा की संरचना
D. न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच न करना
सूची II: (अनुच्छेद)
i. अनुच्छेद 122
ii. अनुच्छेद 79
iii. अनुच्छेद 81
iv. अनुच्छेद 80
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(1) पूरे देश को चुनाव के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।
(2) देश को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
(3) प्रतिनिधियों का चुनाव उनके पेशे और व्यापार के आधार पर किया जाता है।
(4) प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर राज्य विधानसभाओं द्वारा मनोनीत किया जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. संविधान द्वारा प्रदान की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, लोकसभा में निर्वाचित सीटों की प्रभावी अधिकतम संख्या क्या है?
(1) 545

Downloaded from www.pdf.tube

(2) 550
(3) 543
(4) 552
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. लोकसभा की संरचना और चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
II. लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित हैं।
III. संविधान 1950 के मूल असंशोधित पाठ के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की योग्यताओं के संबंध में सही युग्म की पहचान करें।
(1) न्यूनतम आयु आवश्यकता - 30 वर्ष
(2) शपथ या प्रतिज्ञान - भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है
(3) मतदाता पंजीकरण - किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए
(4) नागरिकता - संविधान में निर्दिष्ट अनुसार जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है।
कारण (R): लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार संसद के कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए, कितनी भी अवधि के लिए किया जा सकता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के आधारों के संबंध में, संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है?
(1) संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना
(2) विकृत चित्त होना और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाना
(3) सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाना
(4) अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार के लिए दंडित किया जाना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. लोकसभा में राज्यों को आवंटित अधिकतम सीटों की संख्या 530 है।
II. लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
III. राष्ट्रपति अब आंग्ल-भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकते हैं।
IV. लोकसभा में सीटों के आवंटन का पुनर्समायोजन वर्तमान में वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक दिया गया है।
V. लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल III
(3) II, III और V
(4) I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति संसद सदस्य द्वारा सीट खाली करने का कारण नहीं बनती है?
(1) यदि सदस्य राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देता है।
(2) यदि सदस्य अनुमति के बिना साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है।
(3) यदि सदस्य सदन के भीतर सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
(4) यदि सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है और 10 दिनों के भीतर यह सूचित करने में विफल रहता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं?
(1) राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के सभी सदस्य
(2) राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य
(3) 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के नागरिक
(4) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:

NODIA

सूची I: (राज्य)
A. राजस्थान
B. उत्तर प्रदेश
C. महाराष्ट्र
D. तमिलनाडु
सूची II: (राज्यसभा में सीटों की संख्या)
i. 19
ii. 31
iii. 10
iv. 18
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. एक विधायी निकाय के रूप में राज्यसभा का कार्यकाल क्या है?
(1) 5 वर्ष
(2) यह एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है।
(3) 6 वर्ष
(4) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह स्वतः ही भंग हो जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
कथन II: राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुन: चुनाव और पुन: नामांकन के लिए पात्र हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. राज्यसभा के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है।
II. राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
III. राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है।
IV. संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और IV
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) केवल I और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. राज्यसभा को एक स्थायी सदन के रूप में बनाए जाने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से क्या है?
(1) यह सुनिश्चित करना कि राज्यों के प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार द्वारा आसानी से हटाया या बदला नहीं जा सकता है।
(2) लोकसभा द्वारा पारित सभी वित्तीय विधानों में देरी करना।
(3) संसदीय प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना और लोकसभा के भंग होने पर विधायी कार्यों को संभालना।
(4) वरिष्ठ राजनेताओं को आजीवन सेवा प्रदान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. संसद के माध्यम से एक साधारण विधेयक के पारित होने के सही क्रम का चयन करें:
(1) प्रस्तुतीकरण → समिति चरण → द्वितीय वाचन → तृतीय वाचन → राष्ट्रपति की सहमति
(2) प्रथम वाचन → द्वितीय वाचन → तृतीय वाचन → दूसरे सदन में पारित होना → राष्ट्रपति की सहमति
(3) प्रस्तुतीकरण → तृतीय वाचन → द्वितीय वाचन → समिति चरण → राष्ट्रपति की सहमति
(4) द्वितीय वाचन → प्रथम वाचन → दूसरे सदन में पारित होना → समिति चरण → राष्ट्रपति की सहमति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद की कार्यकारी शक्ति का सही वर्णन करता है?
(1) संसद न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान की मूल संरचना में संशोधन कर सकती है।
(2) संसद केवल सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित करती है।
(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
(4) मृत्युदंड को क्षमा करने का अनन्य अधिकार संसद के पास है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. संसद की वित्तीय शक्तियों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) विधायिका द्वारा पारित कानून के विशिष्ट अधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है।
(2) राष्ट्रपति सामान्य समय के दौरान संसदीय अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं।
(3) विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है।
(4) संसद लोक लेखा समिति जैसी विभिन्न समितियों के

Click Here to Buy book on Amazon

माध्यम से वित्तीय नियंत्रण रखती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक पारित हो जाता है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या होता है?
(1) राष्ट्रपति को तुरंत लोकसभा भंग कर देनी चाहिए।
(2) केवल प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं, लेकिन मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं।
(3) राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः घोषित हो जाता है।
(4) संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. संसद की "संविधान निर्माणकारी शक्ति" विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है?
(1) भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति।
(2) आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करने या विदेशी राष्ट्रों के साथ शांति स्थापित करने की शक्ति।
(3) नए राज्यों का निर्माण करने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति।
(4) संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (प्रस्ताव का प्रकार)
A. स्थगन प्रस्ताव
B. विशेषाधिकार प्रस्ताव
C. निंदा प्रस्ताव
D. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सूची II: (उद्देश्य)
i. किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना
ii. विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करना
iii. किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना
iv. अविलंबनीय लोक महत्व के एक निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. संसद के विभिन्न बहुआयामी कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है और संसद के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है?
(1) मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना
(2) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना
(3) राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना
(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जाता है जिसमें विशेष रूप से कर लगाने और केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित प्रावधान हैं। यह विधेयकों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है?
(1) साधारण विधेयक
(2) वित्तीय विधेयक श्रेणी I
(3) वित्तीय विधेयक श्रेणी II
(4) धन विधेयक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
II. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
III. राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को धन विधेयक वापस करना होगा।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से धन विधेयक को परिभाषित करता है?
(1) अनुच्छेद 108
(2) अनुच्छेद 109
(3) अनुच्छेद 110
(4) अनुच्छेद 117
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
कारण (R): लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, और कराधान तथा व्यय सार्वजनिक धन के मामले हैं जिन पर लोकप्रिय नियंत्रण आवश्यक है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. वित्तीय विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

NODIA

कथन I: सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
कथन II: अनुच्छेद 117(1) के तहत एक वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. धन विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. इसे केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं।
II. राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
III. राष्ट्रपति धन विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं।
IV. धन विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
V. जब इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो अध्यक्ष का पृष्ठांकन आवश्यक होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और V
(2) केवल III
(3) II, III और IV
(4) I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सा विषय विषम है, क्योंकि यह अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक माने जाने के योग्य नहीं बनाता है?
(1) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन।
(2) जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड का अधिरोपण।
(3) केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।
(4) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा संसद को राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है?
(1) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं
(2) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
(3) सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत
(4) आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 108
B. अनुच्छेद 110
C. अनुच्छेद 249
D. अनुच्छेद 312
सूची II: (विषय वस्तु)
i. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति
ii. धन विधेयकों की परिभाषा
iii. अखिल भारतीय सेवाएं
iv. कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
(1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की पहल करने की शक्ति विशेष रूप से राज्यसभा के पास है।
(2) संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
(3) अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा अपेक्षित संकल्प पारित करती है।
(4) नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव अधिकतम कितनी प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी रहता है?
(1) छह महीने
(2) तीन साल
(3) एक साल
(4) पांच साल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
II. नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन को अधिकृत करने में इसके पास लोकसभा के समान शक्तियां हैं।
III. यह संसद को पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
IV. यदि लोकसभा भंग होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

Downloaded from www.pdf.tube

किया जाता है, तो उद्घोषणा को अकेले राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) केवल I और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राज्यसभा को अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष शक्तियां दी गई हैं।
कथन II: इन विशेष शक्तियों का उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना और संविधान के संघीय ढांचे को बनाए रखना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
I. संसद नई सेवा बनाने के लिए कानून बनाती है।
II. राज्यसभा राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक घोषित करते हुए एक संकल्प पारित करती है।
III. संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होता है।
IV. राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है।
सही अनुक्रम चुनें:
(1) IV, II, III, I
(2) I, IV, II, III
(3) IV, III, II, I
(4) IV, II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. यदि लोकसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सा संवैधानिक तंत्र प्रदान किया गया है?
(1) विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
(2) राज्यसभा की इच्छा को दरकिनार करने के लिए लोकसभा दो-तिहाई बहुमत के साथ विधेयक को फिर से पारित कर सकती है।
(3) राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
(4) मामले को मध्यस्थता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(1) लोकसभा के उपाध्यक्ष
(2) भारत के उपराष्ट्रपति
(3) राज्यसभा के उपसभापति
(4) प्रधानमंत्री
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है?
(1) संसद के किसी भी सदन में पेश किए गए साधारण विधेयक
(2) वित्तीय विधेयक श्रेणी I
(3) वित्तीय विधेयक श्रेणी II
(4) संविधान संशोधन विधेयक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित कर दिया है, तो लोकसभा भंग होने पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता है।
कथन II: संयुक्त बैठक लोकसभा के प्रक्रिया के नियमों द्वारा शासित होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (संयुक्त बैठक की स्थिति)
A. अध्यक्ष उपस्थित है
B. अध्यक्ष अनुपस्थित है
C. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं
D. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति अनुपस्थित हैं
सूची II: (पीठासीन अधिकारी)
i. लोकसभा के उपाध्यक्ष
ii. संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य
iii. राज्यसभा के उपसभापति
iv. लोकसभा के अध्यक्ष
(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(2) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
(1) केवल लोकसभा के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा।
(2) दोनों सदनों के कुल सदस्यों का आधा हिस्सा।

NODIA

(3) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई हिस्सा।
(4) दोनों सदनों के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें।
(1) दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका हो - गतिरोध की स्थिति
(2) विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो - गतिरोध की स्थिति
(3) सदनों ने अंततः संशोधनों पर असहमति जताई हो - गतिरोध की स्थिति
(4) विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया गया हो और दूसरे सदन को भेजा गया हो - अनुच्छेद 108 के लिए पूर्व शर्त
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. संसद में प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. तारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
II. अतारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
III. अल्प सूचना प्रश्न दस दिन से कम का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और उनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. संसदीय प्रक्रियाओं में 'शून्यकाल' संसदीय कार्यवाही के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। यह किस वर्ष से अस्तित्व में है?
(1) 1950
(2) 1962
(3) 1952
(4) 1975
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसे स्वीकार किए जाने पर सदन के सामान्य कामकाज को अलग रख दिया जाता है।
कारण (R): इसे अविलंबनीय लोक महत्व के एक निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है और इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. 'अनिश्चित काल के लिए स्थगन' और 'सत्रावसान' के बीच सटीक अंतर क्या है?
(1) अनिश्चित काल के लिए स्थगन सत्र को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान लोकसभा के पूरे जीवनकाल को समाप्त करता है।
(2) अनिश्चित काल के लिए स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
(3) अनिश्चित काल के लिए स्थगन पुनः एकत्रित होने के लिए किसी दिन का नाम लिए बिना बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है।
(4) कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ सदन का अंतिम विघटन है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. विभिन्न संसदीय प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है।
II. स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
III. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
IV. निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।
V. विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल II और IV
(2) केवल I और V
(3) उपरोक्त में से कोई नहीं (सभी सही हैं)
(4) केवल III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है?
(1) तारांकित संसदीय प्रश्न
(2) अतारांकित संसदीय प्रश्न
(3) आधे घंटे की चर्चा
(4) अल्प सूचना संसदीय प्रश्न
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. यदि गणपूर्ति (कोरम) का अभाव हो, तो सदन की कार्यवाही पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ता है?

Click Here to Buy book on Amazon

(1) पीठासीन अधिकारी को तुरंत सदन भंग कर देना चाहिए और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी चाहिए।
(2) पीठासीन अधिकारी को या तो सदन को स्थगित कर देना चाहिए या बैठक को तब तक के लिए निलंबित कर देना चाहिए जब तक कि गणपूर्ति पूरी न हो जाए।
(3) कार्यवाही जारी रहती है लेकिन उस बैठक में कोई वित्तीय विधेयक या धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता।
(4) राष्ट्रपति उस विशिष्ट दिन के लिए सदन के विधायी कार्यों का नियंत्रण संभाल लेते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (बजट शब्दावली)
A. लेखानुदान
B. गिलोटिन
C. नीतिगत कटौती प्रस्ताव
D. विनियोग विधेयक
सूची II: (परिभाषा)
i. मांग के अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति; मांग को घटाकर 1 रुपये कर देता है
ii. वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम अनुदान देता है
iii. भारत की संचित निधि से धन निकालने को अधिकृत करने वाला विधेयक
iv. अंतिम दिन चर्चा की गई मांगों के साथ चर्चा न की गई मांगों को मतदान के लिए रखना
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के समक्ष "वार्षिक वित्तीय विवरण" रखने की आवश्यकता होती है?
(1) अनुच्छेद 112
(2) अनुच्छेद 110
(3) अनुच्छेद 114
(4) अनुच्छेद 266
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. बजट प्रक्रिया के दौरान "भारत की संचित निधि पर भारित व्यय" पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से लागू होता है?
(1) इस पर संसद के दोनों सदनों द्वारा मतदान और चर्चा की जा सकती है।
(2) संसद के किसी भी सदस्य द्वारा इस पर न तो चर्चा की जा सकती है और न ही मतदान किया जा सकता है।
(3) संसद इस पर चर्चा कर सकती है लेकिन इसे संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
(4) इसे लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है लेकिन राज्यसभा के लिए कभी नहीं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

58. बजट अधिनियमन के चरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संसद के दोनों सदनों में सामान्य चर्चा होती है।
II. सामान्य चर्चा के बाद, राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान होता है।
III. अनुदान की मांगों की जाँच विभाग संबंधी स्थायी समितियों द्वारा की जाती है।
IV. विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान की राशि में परिवर्तन हो या उसका उद्देश्य बदल जाए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. 'मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) यह मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये की सांकेतिक राशि कर देता है।
(2) यह मांग की राशि को 100 रुपये की एक विशिष्ट राशि से कम कर देता है।
(3) यह नीति के प्रति पूर्ण अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए मांग को पूरी तरह से खारिज कर देता है।
(4) यह मांग की राशि को एक निर्दिष्ट एकमुश्त राशि से कम कर देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. संसद में बजट पारित होने के चरणों के सही क्रम का चयन करें:
(1) प्रस्तुतीकरण → सामान्य चर्चा → विभागीय समितियों द्वारा जाँच → अनुदान की मांगों पर मतदान → विनियोग विधेयक पारित होना → वित्त विधेयक पारित होना
(2) प्रस्तुतीकरण → विभागीय समितियों द्वारा जाँच → सामान्य चर्चा → अनुदान की मांगों पर मतदान → वित्त विधेयक पारित होना → विनियोग विधेयक पारित होना
(3) प्रस्तुतीकरण → अनुदान की मांगों पर मतदान → विभागीय समितियों द्वारा जाँच → सामान्य चर्चा → विनियोग विधेयक पारित होना → वित्त विधेयक पारित होना
(4) प्रस्तुतीकरण → सामान्य चर्चा → अनुदान की मांगों पर मतदान → विभागीय समितियों द्वारा जाँच → विनियोग विधेयक पारित होना → वित्त विधेयक पारित होना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. संसद द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) पूरक अनुदान तब दिया जाता है जब किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है।
(2) अतिरिक्त अनुदान उस वर्ष के बजट में परिकल्पित न की गई नई सेवा के लिए दिया जाता है।
(3) अपवाद स्वरूप अनुदान एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है जो किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है।
(4) प्रत्ययानुदान भारत के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जो अक्सर एक कोरे चेक की तरह कार्य करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. निम्नलिखित में से कौन संसद में स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के बीच प्राथमिक अंतर को परिभाषित करता है?
(1) स्थायी समितियां वित्तीय मामलों से निपटती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी प्रशासनिक चिंता के मामलों से निपटती हैं।
(2) स्थायी समितियों में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं, जबकि तदर्थ समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
(3) स्थायी समितियों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि तदर्थ समितियों की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
(4) स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं और समय-समय पर गठित की जाती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है?
(1) लोकसभा के अध्यक्ष
(2) भारत के राष्ट्रपति
(3) प्रधानमंत्री
(4) संसदीय कार्य मंत्री
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. विभाग संबंधी स्थायी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: कुल 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 16 लोकसभा के तहत और 8 राज्यसभा के तहत काम करती हैं।
कथन II: इन समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही, विशेष रूप से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (संसदीय समिति)
A. लोक लेखा समिति
B. प्राक्कलन समिति
C. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
D. विभाग संबंधी स्थायी समिति
सूची II: (सदस्यों की कुल संख्या)
i. 30
ii. 22
iii. 31
iv. 22
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं की जाती है?
(1) लोक लेखा समिति
(2) कार्य सलाहकार समिति
(3) नियम समिति
(4) सामान्य प्रयोजन समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

67. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) इसे सार्वजनिक उद्यमों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था।
(2) सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है।
(3) यह सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है।
(4) समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा इसके उन सदस्यों में से की जाती है जो लोकसभा से लिए जाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं।
II. इसके सदस्य विशेष रूप से केवल लोकसभा से लिए जाते हैं।
III. समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल से नियुक्त किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II

(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के आलोक में किया गया था?
(1) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(2) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(3) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(4) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।
कारण (R): लोक लेखा समिति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है?
(1) उपलब्ध सदस्यों के समूह में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं।
(2) विपक्ष के नेता के परामर्श से प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
(3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं।
(4) एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. संसद की वित्तीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय की जांच न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था और विवेक के दृष्टिकोण से भी करती है।
II. लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
III. किसी मंत्री को लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
IV. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को 1967 से पारंपरिक रूप से विपक्ष से चुना जाता है।
V. प्राक्कलन समिति प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल V
(2) उपरोक्त में से कोई नहीं (सभी सही हैं)
(3) केवल I और IV
(4) II, III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. लोक लेखा समिति की सीमाओं के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) यह एक 'शव-परीक्षा समिति' के रूप में कार्य करती है, जो व्यय होने के बाद उसकी जांच करती है।
(2) इसकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं और मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
(3) इसके पास दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है।
(4) यह एक कार्यकारी निकाय नहीं है और इसलिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को क्यों शामिल नहीं किया जाता है?
(1) क्योंकि प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच करती है, और संविधान अनुदान की मांगों पर मतदान करने की शक्ति विशेष रूप से लोकसभा में निहित करता है।
(2) क्योंकि राज्यसभा के पास विभिन्न विभागों के बजट व्यय का अनुमान लगाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।
(3) क्योंकि भारत का संविधान सभी प्रमुख वित्तीय समितियों की सदस्यता को विशेष रूप से लोकसभा तक सीमित करता है।
(4) क्योंकि राज्यसभा ने लोक लेखा समिति के साथ कार्यों के दोहराव से बचने के लिए स्वेच्छा से इस समिति से बाहर रहने का विकल्प चुना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (अध्यक्ष की शक्ति/कार्य)
A. निर्णय लेना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं
B. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना
C. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करना
D. निर्णायक मत का प्रयोग करना
सूची II: (संदर्भ/प्रावधान)
i. मतों की समानता की स्थिति में
ii. अनुच्छेद 108
iii. अनुच्छेद 110
iv. दल-बदल विरोधी कानून
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

Downloaded from www.pdf.tube

(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. लोकसभा अध्यक्ष के मतदान अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) संसदीय मिसाल कायम करने के लिए अध्यक्ष हर साधारण विधेयक पर पहली बार में ही मतदान करते हैं।
(2) अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं।
(3) अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में मतदान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तटस्थ रहना चाहिए।
(4) बहुमत सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष केवल संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान ही मतदान कर सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
कथन II: अध्यक्ष को हटाने के संकल्प के लिए 14 दिन के अग्रिम नोटिस की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. अध्यक्ष के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
II. अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल के दौरान पद पर बने रहते हैं।
III. जब भी लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ते हैं।
IV. सामायिक अध्यक्ष आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और IV
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं?
(1) लोकसभा के उपाध्यक्ष को
(2) भारत के राष्ट्रपति को
(3) प्रधानमंत्री को
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संबंध में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
I. अध्यक्ष को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है।
II. संकल्प लोकसभा में पेश किया जाता है और स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
III. संकल्प लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।
IV. अध्यक्ष सदन की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते और पहली बार में मतदान कर सकते हैं।
घटनाओं के सही क्रम का चयन करें:
(1) I, II, IV, III
(2) I, II, III
(3) II, I, III, IV
(4) I, III, II, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्राप्त उन विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है जो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं हैं?
(1) अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
(2) दल-बदल के आधार पर सदन के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करना।
(3) अनुच्छेद 110 के अनुसार यह तय करना कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
(4) सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति देना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में भारत के संविधान में दल-बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था?
(1) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(2) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(3) 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
(4) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अपवादों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) अयोग्यता तब लागू नहीं होती जब कोई सदस्य किसी अन्य दल के साथ अपने दल के विलय के परिणामस्वरूप अपने दल से बाहर जाता है।
(2) विलय तब होता है जब विधान दल के दो-तिहाई सदस्य

NODIA

विलय के लिए सहमत होते हैं।
(3) यदि कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद, स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है और बाद में उस दल में वापस आता है, तो वह अयोग्य नहीं होता।
(4) किसी दल में 'विभाजन' के कारण एक-तिहाई सदस्यों के अलग होने का प्रावधान 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. दसवीं अनुसूची के तहत, लोकसभा का कोई निर्दलीय सदस्य सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह:
(1) किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान से अनुपस्थित रहता है।
(2) सदन के पटल पर सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करता है।
(3) केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
(4) अपने चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (सदस्य का प्रकार)
A. राजनीतिक दल का सदस्य
B. निर्दलीय सदस्य
C. मनोनीय सदस्य
D. पीठासीन अधिकारी
सूची II: (10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल की शर्त)
i. सदन में पद ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना
ii. स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या दल के सचेतक के विपरीत मतदान करता है
iii. यदि वे पद पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो उन्हें छूट दी जाती है
iv. चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. दसवीं अनुसूची के तहत लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है और किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त होता है।
(2) सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन मामले में फैसला सुनाया कि अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना या विकृति के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
(3) न्यायालय अध्यक्ष को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दल-बदल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देने वाला निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
(4) सदस्य की अयोग्यता पर अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले भी न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दल-बदल विरोधी कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। सामूहिक दल-बदल के संबंध में प्राथमिक परिवर्तन क्या था?
(1) इसने 'विभाजन' की अवधारणा पेश की, जिससे एक-तिहाई सदस्यों को अयोग्यता के बिना दल छोड़ने की अनुमति मिली।
(2) इसने वैध विलय के लिए आवश्यकता को दल के कुल सदस्यों के दो-तिहाई से बढ़ाकर तीन-चौथाई कर दिया।
(3) इसने निर्दलीय सदस्यों द्वारा किए गए दल-बदल को कानून की नजर में पूरी तरह से वैध और मान्य बना दिया।
(4) इसने उस प्रावधान को हटा दिया जो एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'विभाजन' के मामले में अयोग्यता से छूट प्रदान करता था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. एक मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह पद ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
II. पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है।
III. दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक लाभ से प्रेरित दल-बदल को रोकना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है?
(1) अनुच्छेद 79
(2) अनुच्छेद 108
(3) अनुच्छेद 105
(4) अनुच्छेद 122
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संसद के सदस्य को सदन के भीतर बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और संसद में कही गई किसी भी बात के लिए वह किसी भी अदालती कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।
कारण (R): बोलने की यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों

Click Here to Buy book on Amazon

और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
कथन II: गिरफ्तारी से मुक्ति का यह विशेषाधिकार दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. सामूहिक और व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को उन्हें प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।
II. संसद अजनबियों को अपनी कार्यवाही से बाहर रख सकती है और गुप्त बैठकें कर सकती है।
III. संसद अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी दंडित कर सकती है।
IV. संसद का सत्र चलने के दौरान कोई सदस्य अदालत में लंबित मामले में साक्ष्य देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकता है।
V. संसद के विशेषाधिकार संसद द्वारा अधिनियमित एक व्यापक कानून में पूरी तरह से संहिताबद्ध हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल V
(3) केवल IV और V
(4) III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी या व्यक्ति संसद के विशेषाधिकारों का उपभोग नहीं करता है?
(1) लोकसभा के सदस्य
(2) राज्यसभा के सदस्य
(3) भारत के राष्ट्रपति
(4) भारत के महान्यायवादी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के बीच अंतर करने वाले सही युग्म की पहचान करें।
(1) विशेषाधिकार हनन - कोई भी कार्य या लोप जो सदन को उसके कार्यों के निष्पादन में बाधा डालता है।
(2) सदन की अवमानना - सदस्यों द्वारा प्राप्त विशिष्ट विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और अधिकारों की जानबूझकर उपेक्षा।
(3) दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही कानूनी अवधारणा है और संसदीय व्यवहार में कोई अंतर नहीं है।
(4) विशेषाधिकार हनन - सदस्यों के विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन; सदन की अवमानना - सदन की गरिमा या अधिकार को कम करने वाला कोई भी कार्य।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. सूची I की मदों का सूची II के साथ मिलान करें:
सूची I: (विधायी प्रक्रिया का चरण)
A. प्रथम वाचन
B. द्वितीय वाचन
C. तृतीय वाचन
D. सहमति का चरण
सूची II: (की गई कार्रवाई)
i. विधेयक की विस्तृत जाँच और खंड-दर-खंड विचार
ii. विधेयक का परिचय और राजपत्र में प्रकाशन
iii. विधेयक को समग्र रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने तक सीमित बहस
iv. राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं या रोक लेते हैं, या विधेयक वापस कर देते हैं
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बीच विधायी प्रक्रिया में अंतर के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) साधारण विधेयक को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
(2) साधारण विधेयक किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
(3) गतिरोध की स्थिति में, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं।
(4) राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी और वे इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. संसद के किसी सदन में विधायी प्रक्रिया के किस चरण के दौरान आमतौर पर किसी विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाता है?
(1) प्रथम वाचन
(2) द्वितीय वाचन के सामान्य चर्चा चरण के दौरान
(3) द्वितीय वाचन के खंड-दर-खंड विचार चरण के दौरान
(4) तृतीय वाचन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उनके पास उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें:
I. वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं।
II. वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं।
III. वह विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं।
IV. वह सलाहकार राय के लिए विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं और संसद को उसकी सलाह के लिए बाध्य कर सकते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और IV
(2) I, II और III
(3) II, III और IV
(4) केवल I और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. एक विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा में लंबित है। इस समय लोकसभा भंग हो जाती है। विधेयक का क्या होता है?
(1) विधेयक बना रहता है और नई लोकसभा द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।
(2) विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
(3) विधेयक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
(4) विधेयक को तब तक के लिए स्थगित रखा जाता है जब तक कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक न बुला लें।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. संसद के किसी एक सदन में साधारण विधेयक के चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. तृतीय वाचन
II. प्रथम वाचन
III. खंड-दर-खंड विचार
IV. विधेयक के सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा
V. रिपोर्ट चरण
सही अनुक्रम चुनें:
(1) II, IV, V, III, I
(2) II, V, IV, III, I
(3) II, IV, III, V, I
(4) IV, II, V, III, I

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) अनुच्छेद 79
संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। इसके विधायी अंग में राष्ट्रपति सहित दो सदन शामिल होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संसदीय प्रणाली के संघीय स्वरूप को दर्शाती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है।

2. (1) विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
अनुच्छेद 122 के अनुसार संसद की आंतरिक कार्यवाहियों को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त है। यह व्यवस्था विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को पुष्ट करती है। प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर संसद के किसी निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संसदीय स्वायत्तता बनाए रखने हेतु अनिवार्य है जिससे विधायी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।

3. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका चयन कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अनुभव के आधार पर होता है। यह व्यवस्था समाज के प्रतिष्ठित विद्वानों को विधायी प्रक्रिया में योगदान देने और सदन के विमर्श को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करती है।

4. (4) भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार है।
भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है। वह संसदीय समितियों का सदस्य भी बन सकता है, किंतु उसे मतदान का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि वह सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं होता। अन्य प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और सदन की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग निर्धारित है।

5. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद विधायी अंगों का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 122 यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय संसद की विधायी कार्यवाहियों की जाँच नहीं करेंगे। इससे संसदीय संप्रभुता सुरक्षित रहती है और कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण बना रहता है।

6. (2) देश को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
लोकसभा निर्वाचन हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जनसंख्या और सीटों का अनुपात समान रहे। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि देश का हर क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करे और स्थानीय मुद्दे उठाए जा सकें।

7. (2) 550
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। इस संशोधन के बाद, लोकसभा में निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या 550 रह गई है। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने का प्रावधान शेष है।

8. (1) केवल I और II
61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है। मूल संविधान में महिलाओं हेतु विधायी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। यह सुधार बाद के संशोधनों के माध्यम से चर्चा में आया और वर्तमान में इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

9. (3) मतदाता पंजीकरण - किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए
लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार का किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। राज्यसभा हेतु यह आयु सीमा 30 वर्ष है, परंतु लोकसभा हेतु मतदाता होना अनिवार्य है।

10. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक से पांच वर्ष का होता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसदीय कानून द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष हेतु अनिश्चित काल तक विस्तारित किया जा सकता है।

NODIA

आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह विस्तार छह महीने से अधिक नहीं हो सकता। यह प्रावधान अस्थिरता के समय शासन की निरंतरता और विधायी स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु है।

11. (4) अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार के लिए दंडित किया जाना
संसद सदस्यों की अयोग्यता हेतु संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अलग आधार प्रदान करते हैं। लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थता और दिवालियापन संवैधानिक आधार हैं। वहीं, छुआछूत, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों हेतु दंडित होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वैधानिक आधार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनी रहे और अपराधी तत्वों को विधायी प्रक्रियाओं से दूर रखा जाए।

12. (2) केवल III
लोकसभा में राज्यों को अधिकतम 530 सीटें आवंटित हैं। 104वें संशोधन के बाद आंग्ल-भारतीय समुदाय का नामांकन समाप्त हो चुका है। सीटों का वर्तमान आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर रखा गया है। लोकसभा चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह व्यवस्था युवाओं के विधायी प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करती है और लोकतांत्रिक आधार को मजबूत बनाती है।

13. (3) यदि सदस्य सदन के भीतर सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
संसद सदस्य का पद त्यागपत्र देने या सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर रिक्त हो सकता है। दोनों सदनों हेतु चुने जाने पर 10 दिनों में सूचना देना अनिवार्य है। सदन के भीतर सरकार की आलोचना करना सदस्यता खोने का आधार नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जब तक कि वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन न करे।

14. (4) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषदों के सदस्य या स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेते। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी राजनीतिक संरचना के अनुरूप केंद्र में बना रहे। केंद्र शासित प्रदेशों हेतु विशेष निर्वाचक मंडल सदस्यों का चयन करते हैं।

15. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीटों के साथ प्रथम है, जबकि महाराष्ट्र को 19 सीटें प्राप्त हैं। तमिलनाडु के पास 18 सीटें और राजस्थान को 10 सीटें आवंटित हैं। यह आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। यह वितरण संघीय ढांचे में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने और बड़े राज्यों के हितों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।

16. (2) यह एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है।
राज्यसभा संसद का उच्च और स्थायी सदन है, जिसका पूर्ण विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है, किंतु सदन निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए चुनाव होते हैं। यह स्थायी प्रकृति विधायी कार्यों में निरंतरता प्रदान करती है, विशेषकर लोकसभा के भंग होने पर। राष्ट्रपति के पास इस सदन को भंग करने का अधिकार नहीं है।

17. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्यसभा के निरंतर संचालन हेतु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति द्वारा पुनः मनोनीत होने हेतु पात्र होते हैं। संविधान में सदस्यता की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवस्था सदन में नए विचारों और अनुभव के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जिससे विधायी स्थिरता को मजबूती मिलती है और विमर्श निरंतर बना रहता है।

18. (1) I, II और IV
राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची द्वारा विनियमित होता है। चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को विशेष निर्वाचक मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वर्तमान में केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की जनसंख्या अत्यंत कम है। यह प्रक्रिया राज्यों की परिषद के संघीय स्वरूप को पुष्ट करती है।

19. (3) संसदीय प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना और लोकसभा के भंग होने पर विधायी कार्यों को संभालना।
राज्यसभा को स्थायी सदन बनाने का उद्देश्य विधायी निरंतरता बनाए रखना है। लोकसभा अस्थायी सदन है जो पांच वर्ष में भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में, राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व के विषयों और आवश्यक विधायी कार्यों हेतु सक्रिय रहती है। यह राज्यों के हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और लोकसभा के निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर देती है, जिससे शासन में नीतिगत निरंतरता बनी रहती है।

20. (2) प्रथम वाचन → द्वितीय वाचन → तृतीय वाचन → दूसरे सदन में पारित होना → राष्ट्रपति की सहमति
साधारण विधेयक पारित होने की निश्चित प्रक्रिया होती है। यह प्रथम वाचन से शुरू होती है जिसमें विधेयक पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन में विस्तृत चर्चा, समिति जाँच और खंडवार विचार होता है। तृतीय वाचन में इसे समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही विधेयक कानून बनता है।

21. (3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार तब तक सत्ता

Click Here to Buy book on Amazon

में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से सरकारी कार्यों की समीक्षा करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर और जनहित में पारदर्शी रूप से करे, जिससे जवाबदेही बनी रहे।

22. (2) राष्ट्रपति सामान्य समय के दौरान संसदीय अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं। संसद का देश के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कानून के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु विनियोग अधिनियम का पारित होना अनिवार्य है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस निधि से व्यय अधिकृत नहीं कर सकते। संसद लोक लेखा समिति के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों हेतु ही हो।

23. (4) संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे स्वीकार करने हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। यह संसदीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण उपकरण है जो सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। वैकल्पिक सरकार न बनने पर लोकसभा भंग हो सकती है।

24. (1) भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति।
संसद की "संविधान निर्माणकारी शक्ति" का तात्पर्य संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति से है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी हिस्से को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। हालांकि, संसद इस शक्ति का प्रयोग संविधान के "मूल ढांचे" को नष्ट करने हेतु नहीं कर सकती। यह साधारण विधायी शक्ति से भिन्न है क्योंकि इसमें विशेष बहुमत और कभी-कभी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

25. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
संसदीय कार्यवाही में विभिन्न प्रस्तावों का उपयोग होता है। स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के मामले पर चर्चा हेतु सामान्य कार्य रोक देता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाता है। निंदा प्रस्ताव सरकार की विशिष्ट नीतियों की आलोचना हेतु लाया जाता है। वहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य किसी मंत्री का ध्यान आवश्यक मुद्दे पर खींचता है। ये उपकरण कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

26. (1) मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना
संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उन पर महाभियोग चलाने जैसे कार्य करती है। यह न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश भी कर सकती है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। संसद केवल कानून बनाकर चुनाव आयोग की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति रखती है।

27. (4) धन विधेयक
अनुच्छेद 110 के अनुसार, जिस विधेयक में केवल करों के अधिरोपण, धन उधार लेने के नियमन या संचित निधि से धन के विनियोग जैसे विषय शामिल हों, उसे धन विधेयक माना जाता है। यदि विधेयक में इन विशिष्ट वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य साधारण विधायी प्रावधान नहीं हैं, तो वह धन विधेयक है। इस पर केवल लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय इस संदर्भ में अंतिम होता है।

28. (2) केवल II और III
धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें दे सकती है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक लौटाना अनिवार्य है, अन्यथा इसे पारित मान लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय इसकी प्रकृति पर अंतिम होता है, जो इसकी वित्तीय विशिष्टता को पुष्ट करता है।

29. (3) अनुच्छेद 110
संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा प्रदान करता है। इसके अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तब होता है जब वह कर लगाने, ऋण नियमन, या संचित निधि के संरक्षण से संबंधित हो। लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रमाणित करने का अनन्य अधिकार है कि विधेयक इन शर्तों को पूरा करता है या नहीं। यह प्रावधान विधायी प्रक्रिया में वित्तीय मामलों पर लोकसभा की सर्वोच्चता और स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

30. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होना इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं होना चाहिए। चूंकि लोकसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए सार्वजनिक धन पर उनका नियंत्रण आवश्यक है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, अतः उसे केवल सलाहकार की भूमिका दी गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वित्तीय संचालन में विलंब न हो और लोकप्रिय जनादेश का सम्मान बना रहे।

31. (1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं क्योंकि वे वित्त से संबंधित हैं, किंतु प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक श्रेणी-I में धन विधेयक के विषयों के साथ अन्य सामान्य मामले भी होते हैं। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के विपरीत, सामान्य वित्तीय विधेयकों के मामले में राज्यसभा के पास संशोधन या अस्वीकार करने की शक्तियां होती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

32. (2) केवल III
धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती और केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। इस पर गतिरोध संभव नहीं है, अतः संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से पेश होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही इसे उच्च सदन में भेजा जाता है, जो इसकी विशिष्टता दर्शाता है।

33. (2) जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड का अधिरोपण।
अनुच्छेद 110 के अनुसार, केवल करों, ऋणों या संचित निधि से संबंधित मामले ही धन विधेयक कहलाते हैं। स्थानीय उद्देश्यों हेतु करों का अधिरोपण या जुर्माने लगाना इस श्रेणी में नहीं आते। इसी प्रकार, लाइसेंस शुल्क या सेवाओं हेतु शुल्क की मांग करने वाले विधेयक भी धन विधेयक नहीं माने जाते। ये अपवाद सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासनिक शुल्कों और दंडों को जटिल वित्तीय विधायी प्रक्रियाओं से अलग रखा जा सके।

34. (1) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं
अनुच्छेद 249 राज्यसभा को शक्ति देता है कि वह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु अधिकृत करे। इसके लिए राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करना होता है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में आवश्यक होना चाहिए। यह संघीय ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण प्रावधान है जो केंद्र को विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य के विषयों पर विधायी शक्ति देता है।

35. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद विधायी शक्तियों का वितरण करते हैं। अनुच्छेद 108 गतिरोध दूर करने हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 110 विशेष रूप से धन विधेयकों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की पहल करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।

36. (4) नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 312 के अनुसार, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की शक्ति संसद के पास है, किंतु इसकी शुरुआत राज्यसभा के संकल्प से होती है। यह संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, संसद साधारण कानून बनाकर सेवा का सृजन कर सकती है। यह प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करता है।

37. (3) एक साल
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प प्रारंभ में अधिकतम एक वर्ष हेतु प्रभावी रहता है। राज्यसभा इसे कितनी भी बार पुनः पारित कर सकती है, बशर्ते प्रत्येक विस्तार एक वर्ष से अधिक न हो। संकल्प प्रभावी न रहने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाता है। यह सीमा सुनिश्चित करती है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप अस्थायी और राष्ट्रीय आवश्यकता तक सीमित रहे।

38. (2) I, III और IV
राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो इसे लोकसभा से भिन्न बनाती हैं। यह उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने वाला एकमात्र सदन है। अनुच्छेद 249 और 312 के तहत यह राज्य सूची पर कानून बनाने और नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार संसद को देती है। लोकसभा भंग होने पर राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन अकेले राज्यसभा द्वारा किया जाना आवश्यक है। ये शक्तियां राज्यों के हितों का संरक्षण करती हैं।

39. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्यसभा को अनुच्छेद 249 और 312 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियां संघीय ढांचे की रक्षा हेतु अनिवार्य हैं। चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्य सूची या अखिल भारतीय सेवाओं जैसे मामलों में इसकी प्राथमिक सहमति आवश्यक है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे और राष्ट्रीय हित तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बना रहे।

40. (1) IV, II, III, I
नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। सर्वप्रथम, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। सदन चर्चा के बाद यदि इसे राष्ट्रीय हित में पाता है, तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करता है। इस संकल्प के आधार पर संसद कानून बनाने हेतु अधिकृत होती है। अंत में, संसद विधिवत कानून पारित कर नई सेवा का औपचारिक गठन करती है।

41. (3) राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
साधारण विधेयक पर असहमति की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा अस्वीकार कर दे, या छह महीने तक निष्क्रिय रहे, तो राष्ट्रपति गतिरोध सुलझाने हेतु संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, इसलिए उसका निर्णय अक्सर प्रभावी रहता है।

42. (1) लोकसभा के उपाध्यक्ष
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष का होता है। उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक का संचालन करते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध न हों, तो राज्यसभा के उपसभापति को अध्यक्षता का अवसर मिलता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वे संसद के सदस्य नहीं होते। यह व्यवस्था संसदीय परंपराओं और प्रोटोकॉल पर आधारित है।

NODIA

43. (4) संविधान संशोधन विधेयक
संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों तक सीमित है। धन विधेयक में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, अतः इसकी आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक हेतु दोनों सदनों का अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, इसलिए इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यदि दोनों सदन असहमत हों, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यह संवैधानिक स्थिरता और संघीय सहमति सुनिश्चित करता है।

44. (1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, तो लोकसभा भंग होने पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार किया जाता है। इसमें नए संशोधनों को पेश करने पर प्रतिबंध होते हैं, जब तक कि वे असहमति का मुख्य कारण न हों। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि विधायी गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कानून बाधित न हों और प्रक्रिया पूर्ण हो।

45. (1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हेतु निश्चित वरीयता क्रम है। सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। उनके उपलब्ध न होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष को यह उत्तरदायित्व मिलता है। यदि दोनों अनुपस्थित हों, तो राज्यसभा के उपसभापति संचालन करते हैं। यदि ये तीनों उपस्थित न हों, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। सभापति को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

46. (4) दोनों सदनों के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा।
संयुक्त बैठक आयोजित करने हेतु न्यूनतम उपस्थिति (गणपूर्ति) आवश्यक है। अनुच्छेद 108 के तहत, इसके लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा निर्धारित है। यदि यह संख्या पूरी नहीं होती, तो पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित या निलंबित कर सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विधायी निर्णय पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति में लिए जाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा तथा पारदर्शिता बनी रहे।

47. (1) दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका हो - गतिरोध की स्थिति
संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर गतिरोध के समय बुलाई जाती है। इसके तीन आधार हैं: विधेयक का अस्वीकार होना, संशोधनों पर अंतिम असहमति, या दूसरे सदन द्वारा प्राप्त करने के छह महीने बाद तक कार्रवाई न करना। तीन महीने की अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं है। छह महीने की गणना में उस समय को नहीं गिना जाता जब सदन लगातार चार दिनों से अधिक स्थगित रहा हो।

48. (4) I, II और III
संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित होता है और पूरक प्रश्न संभव नहीं होते। अल्प सूचना प्रश्न लोक महत्व के तत्काल मामलों हेतु 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछे जाते हैं। यह विधायी नियंत्रण का माध्यम है, जो कार्यपालिका को सदन के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

49. (2) 1962
शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है, जिसका उल्लेख नियमों की पुस्तक में नहीं है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद और नियमित कार्यसूची से पहले शुरू होता है। सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। यह परंपरा वर्ष 1962 से अस्तित्व में है और लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करती है। यह सांसदों को त्वरित प्रतिक्रिया देने और सरकार का ध्यान समस्याओं की ओर खींचने का मंच है।

50. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थगन प्रस्ताव सदन की कार्यवाही रोककर लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने की प्रक्रिया है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का तत्व शामिल होता है। इसे स्वीकार करने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और चर्चा कम से कम ढाई घंटे होनी चाहिए। चूंकि यह सरकार की विफलता दर्शाता है, इसलिए इसके लिए कड़े नियम लागू होते हैं।

51. (3) अनिश्चित काल के लिए स्थगन पुनः एकत्रित होने के लिए किसी दिन का नाम लिए बिना बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है।
अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है बैठक को अगली तिथि बताए बिना समाप्त करना, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा पूरे सत्र के समापन की घोषणा है। स्थगन केवल बैठक को प्रभावित करता है, जबकि सत्रावसान लंबित नोटिसों को भी समाप्त कर देता है। हालांकि, सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते और आगामी सत्र में जारी रह सकते हैं।

52. (3) उपरोक्त में से कोई नहीं (सभी सही हैं)
संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न प्रस्तावों से कार्यपालिका की जवाबदेही तय होती है। स्थगन और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सफल होने पर सरकार गिर जाती है। ध्यानाकर्षण और विशेषाधिकार प्रस्ताव दोनों सदनों में उपलब्ध हैं। निंदा प्रस्ताव विशिष्ट नीतियों हेतु मंत्रियों को उत्तरदायी ठहराता है। ये साधन सुनिश्चित करते हैं कि संसद के पास प्रशासन की निगरानी और नियंत्रण के पर्याप्त अधिकार हों।

53. (3) आधे घंटे की चर्चा
प्रश्नकाल में तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न शामिल होते हैं। आधे घंटे की चर्चा इससे भिन्न है क्योंकि यह प्रश्नकाल का हिस्सा नहीं है। यह उन मामलों हेतु होती है जिनमें अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह सामान्यतः सप्ताह में तीन दिन सदन के अंतिम समय में की जाती है। इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता, बल्कि यह केवल विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का साधन है।

Click Here to Buy book on Amazon

54. (2) पीठासीन अधिकारी को या तो सदन को स्थगित कर देना चाहिए या बैठक को तब तक के लिए निलंबित कर देना चाहिए जब तक कि गणपूर्ति पूरी न हो जाए।
सदन की बैठक हेतु गणपूर्ति अनिवार्य है, जो कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होती है। यदि सदस्यों की संख्या इस सीमा से कम हो जाए, तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक निलंबित कर दे। कोरम के बिना की गई विधायी कार्यवाही संवैधानिक रूप से मान्य नहीं होती। यह नियम सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी बनी रहे।

55. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
बजट प्रक्रिया में लेखानुदान सरकार को व्यय हेतु अग्रिम धन प्रदान करता है। गिलोटिन के माध्यम से समय की कमी पर सभी मांगों को बिना चर्चा के मतदान हेतु रखा जाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव मांग के पीछे की नीति को खारिज करता है। विनियोग विधेयक संचित निधि से धन निकालने का कानूनी अधिकार देता है। ये सभी तंत्र वित्तीय प्रशासन पर संसद की प्रभावी निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करते हैं।

56. (1) अनुच्छेद 112
संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु संसद में "वार्षिक वित्तीय विवरण" रखवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। यह संवैधानिक अनिवार्यता सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका संसद की स्वीकृति के बिना धन खर्च न करे। बजट के माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीतियां राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करती है।

57. (3) संसद इस पर चर्चा कर सकती है लेकिन इसे संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकती है, किंतु उन्हें मतदान हेतु नहीं रखा जाता। इसमें राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और संवैधानिक अधिकारियों के वेतन-भत्ते शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य इन पदों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखना है ताकि उनके लाभ राजनीतिक बहुमत पर निर्भर न हों। अन्य खर्चों को "निधि से किए गए व्यय" के रूप में मतदान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

58. (2) I, III और IV
बजट प्रक्रिया में सामान्य चर्चा के बाद स्थायी समितियां मांगों की जाँच करती हैं। अनुदान मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। विनियोग विधेयक में ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो अनुदान की राशि या उद्देश्य बदल दे। अंत में वित्त विधेयक पारित कर सरकार को कर लगाने का वैधानिक अधिकार दिया जाता है।

59. (4) यह मांग की राशि को एक निर्दिष्ट एकमुश्त राशि से कम कर देता है।
मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत सदस्य मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि से कम करने का प्रस्ताव करते हैं। यह व्यय में संभावित बचत या प्रशासन के पुनर्गठन को दर्शाता है। यह प्रस्ताव नीति की अस्वीकृति नहीं है, बल्कि व्यय की अधिकता पर आपत्ति व्यक्त करने का तरीका है। यह संसदीय नियंत्रण का उपकरण है जो अनुशासन बढ़ाता है।

60. (1) प्रस्तुतीकरण → सामान्य चर्चा → विभागीय समितियों द्वारा जाँच → अनुदान की मांगों पर मतदान → विनियोग विधेयक पारित होना → वित्त विधेयक पारित होना
बजट का अधिनियमन निश्चित क्रम में होता है। सर्वप्रथम वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, फिर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद विभागीय समितियां अनुदान मांगों की जाँच करती हैं। पुनः सत्र में लोकसभा में मांगों पर मतदान होता है। इसके पश्चात विनियोग विधेयक पारित कर व्यय अधिकृत किया जाता है और अंत में वित्त विधेयक पारित कर कर प्रस्तावों को वैधानिक स्वरूप दिया जाता है।

61. (3) अपवाद स्वरूप अनुदान एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है जो किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है।
पूरक अनुदान बजट राशि कम पड़ने पर दिया जाता है। अतिरिक्त अनुदान नई सेवा हेतु प्रयुक्त होता है। प्रत्ययानुदान अप्रत्याशित मांगों हेतु 'कोरा चेक' जैसा है। अधिक अनुदान तब मांगा जाता है जब स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हो चुका हो। अपवाद स्वरूप अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिए जाते हैं जो वर्तमान सेवा का भाग नहीं होते। ये अनुदान वित्तीय लचीलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

62. (4) स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं और समय-समय पर गठित की जाती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। संसदीय समितियां स्थायी और तदर्थ दो श्रेणियों में हैं। स्थायी समितियां निरंतर प्रकृति की होती हैं और प्रतिवर्ष चुनी जाती हैं। इनका कार्य नियमित होता है। इसके विपरीत, तदर्थ समितियां विशिष्ट कार्य या जाँच हेतु अस्थायी रूप से गठित होती हैं। कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट सौंपते ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह वर्गीकरण संसद को जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक और विशेषज्ञता के साथ निपटाने में सहायता करता है।

63. (1) लोकसभा के अध्यक्ष
लोकसभा की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। वे सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नामित करते हैं। यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हैं, तो वे स्वतः अध्यक्ष बन जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि समितियां पीठासीन अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें। राज्यसभा की समितियों हेतु यह शक्ति सभापति के पास होती है, जो विधायी मर्यादा बनाए रखते हैं।

NODIA

64. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वर्तमान में 24 विभागीय स्थायी समितियां कार्यरत हैं। इनमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अधीन हैं। इनका उत्तरदायित्व मंत्रालयों की अनुदान मांगों और वार्षिक रिपोर्टों की जाँच करना है। यह प्रणाली संसद को कार्यपालिका पर प्रभावी वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिससे विधायी निगरानी में विशेषज्ञता और दलीय संतुलन बना रहता है।

65. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा)। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। विभागीय स्थायी समितियों में 31 सदस्य होते हैं (21 लोकसभा, 10 राज्यसभा)। यह संरचना विभिन्न कार्यों हेतु उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। समितियों का यह स्वरूप संसद की सूक्ष्म जाँच और वित्तीय नियंत्रण की शक्ति को बढ़ाता है।

66. (1) लोक लेखा समिति
लोकसभा अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता स्वयं करते हैं। लोक लेखा समिति हेतु परंपरा है कि इसका अध्यक्ष विपक्ष से नियुक्त किया जाता है। 1967 से यह अनिवार्य परंपरा रही है। यह व्यवस्था सरकारी व्यय की निष्पक्ष जाँच और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु है। अध्यक्ष स्वयं इस समिति का हिस्सा नहीं होते, जिससे इसकी स्वायत्तता बनी रहती है।

67. (3) यह सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है।
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति 1964 में गठित हुई थी। इसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों की जाँच करना है। समिति सुनिश्चित करती है कि उपक्रम व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार चलें। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता, जिससे जाँच स्वतंत्र रहे। यह समिति सरकारी निवेशों के कुशल प्रबंधन की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

68. (4) I, II और III
प्राक्कलन समिति प्रशासन में दक्षता और बचत के सुझाव देती है। यह केवल लोकसभा के 30 सदस्यों वाली सबसे बड़ी समिति है। राज्यसभा का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता क्योंकि अनुदान मांगों पर मतदान की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से नियुक्त किया जाता है। यह समिति बजट अनुमानों की जाँच कर वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव देती है, जिससे सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रहता है।

69. (2) भारत सरकार अधिनियम, 1919
लोक लेखा समिति भारत की प्राचीनतम वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत वर्ष 1921 में हुई थी। स्वतंत्रता पश्चात इसकी संरचना में राज्यसभा सदस्यों को भी शामिल किया गया। यह कार्यपालिका के वित्तीय व्यवहार की निगरानी करती है। इसका ऐतिहासिक महत्व भारतीय विधायी प्रणाली में सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे सरकारी धन का अपव्यय रुकता है।

70. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) लोक लेखा समिति की जाँच का मुख्य आधार होते हैं। उनकी ऑडिट रिपोर्टों पर ही समिति विचार करती है। वे बैठकों में उपस्थित रहकर तकनीकी पहलुओं को समझाते हैं, इसलिए उन्हें समिति का "मार्गदर्शक और मित्र" कहा जाता है। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की पहचान हो सके और संसद सरकार को वित्तीय मामलों में उत्तरदायी ठहरा सके।

71. (4) एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। इसके लिए एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन होता है। यह पद्धति सुनिश्चित करती है कि सभी दलों को उचित स्थान मिले। किसी भी मंत्री को सदस्य बनने की अनुमति नहीं होती। यह स्वायत्तता समिति को निष्पक्ष कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे बजट अनुमानों की सूक्ष्म जाँच संभव होती है।

72. (2) उपरोक्त में से कोई नहीं (सभी सही हैं)
वित्तीय समितियां सरकारी खर्चों की समीक्षा करती हैं। लोक लेखा समिति व्यय की वैधता और विवेकपूर्ण उपयोग की जाँच करती है। मंत्रियों की सदस्यता पर प्रतिबंध है ताकि हितों का टकराव न हो। विपक्ष से अध्यक्ष होने के कारण लोक लेखा समिति की जाँच निष्पक्ष रहती है। प्राक्कलन समिति प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव देती है। ये समितियां सामूहिक रूप से वित्तीय जवाबदेही का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत करती हैं।

73. (3) इसके पास दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है।
लोक लेखा समिति व्यय हो जाने के बाद जाँच करती है, अतः इसे 'शव-परीक्षा समिति' कहते हैं। इसके पास दैनिक प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं और सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं हैं। यह कोई दंडात्मक आदेश जारी नहीं कर सकती। इसकी मुख्य शक्ति संसद को रिपोर्ट सौंपना है, जिससे सार्वजनिक विमर्श और जवाबदेही के माध्यम से सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है।

74. (1) क्योंकि प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच करती है, और संविधान अनुदान की मांगों पर मतदान करने की शक्ति विशेष रूप से लोकसभा में निहित करता है।
प्राक्कलन समिति में राज्यसभा सदस्य शामिल नहीं होते क्योंकि अनुदान मांगों पर मतदान का अनन्य अधिकार केवल लोकसभा के पास है। चूंकि इस समिति का मुख्य कार्य बजट अनुमानों की

Downloaded from www.pdf.tube

जाँच और मितव्ययिता के सुझाव देना है, इसलिए इसे केवल लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। यह व्यवस्था वित्तीय मामलों में लोकसभा की संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखती है और बजटीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।

75. (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का अंतिम निर्णय लेते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार वे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय भी उन्हीं के पास है। मत बराबर होने पर वे निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। ये शक्तियां विधायी प्रक्रिया में स्थिरता लाती हैं और सदन की गरिमा को संवैधानिक रूप से सुरक्षित रखती हैं।

76. (2) अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष का पद तटस्थता का प्रतीक है। मर्यादा हेतु वे प्रथम बार मतदान नहीं करते। यदि सदन में किसी विषय पर मत बराबर हो जाएं, तो वे निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य विधायी गतिरोध समाप्त करना और सदन को निर्णय तक पहुँचाना है। अध्यक्ष का यह मत सदन की कार्यवाहियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है और संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाए रखता है।

77. (2) कथन I गलत है, और कथन II सही है।
अध्यक्ष को हटाने हेतु लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से संकल्प पारित होना आवश्यक है। इस संकल्प को पेश करने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। यह अवधि उन्हें पक्ष तैयार करने का समय देती है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि अध्यक्ष को मनमाने ढंग से न हटाया जाए, जिससे पीठासीन अधिकारी की संवैधानिक स्वतंत्रता बनी रहती है।

78. (1) I, II और IV
अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है और तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। वे सामान्यतः कार्यकाल पूर्ण होने तक पद पर रहते हैं। लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष पद तुरंत नहीं छोड़ते, बल्कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक आसीन रहते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति सामायिक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं जो शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करने का कार्य संपन्न करते हैं।

79. (1) लोकसभा के उपाध्यक्ष को
लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल पूर्व पद त्यागना चाहें, तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। यह पारस्परिक व्यवस्था सदन की आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। इसके लिए राष्ट्रपति की मध्यस्थता आवश्यक नहीं होती। यह प्रक्रिया विधायी अंग की प्रशासनिक स्वतंत्रता और सुचारु पद हस्तांतरण को पुष्ट करती है, जिससे संसदीय कार्यप्रणाली में बाधा नहीं उत्पन्न होती है।

80. (2) I, II, III
अध्यक्ष को हटाने हेतु 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है। लोकसभा में संकल्प हेतु 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष उपस्थित रह सकते हैं, किंतु वे अध्यक्षता नहीं कर सकते। यदि संकल्प तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो अध्यक्ष को पद त्यागना पड़ता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पद से हटाने का निर्णय केवल सदन की सामूहिक इच्छा पर आधारित हो।

81. (2) दल-बदल के आधार पर सदन के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करना।
लोकसभा अध्यक्ष को धन विधेयक और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि, दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेने की शक्ति दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को समान रूप से प्राप्त है। गुप्त बैठक की अनुमति देना भी अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। ये अंतर लोकसभा की वित्तीय प्रमुखता को दर्शाते हैं, जबकि अयोग्यता संबंधी निर्णय सदन की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था का हिस्सा है।

82. (3) 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
राजनीतिक दल-बदल रोकने हेतु 52वें संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। यह कानून सदस्यों को दल बदलने के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन में स्थिरता लाना और मतदाताओं के जनादेश का सम्मान सुरक्षित करना है। यह राजनीतिक शुचिता सुनिश्चित करता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी दलीय निष्ठा के प्रति उत्तरदायी बनाता है, जिससे सरकारों का अनैतिक पतन रुकता है।

83. (3) यदि कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद, स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है और बाद में उस दल में वापस आता है, तो वह अयोग्य नहीं होता।
दल-बदल कानून में कुछ छूट दी गई हैं। यदि दो-तिहाई सदस्य विलय हेतु सहमत हों, तो इसे दल-बदल नहीं माना जाता। पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर दल छोड़ने और पद पश्चात वापस आने पर भी अयोग्यता नहीं होती। 91वें संशोधन ने 'विभाजन' की छूट को समाप्त कर दिया था। ये प्रावधान राजनीतिक स्थिरता और पीठासीन अधिकारी के पद की तटस्थता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित किए गए हैं।

84. (4) अपने चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो वह अयोग्य हो जाता है। यह नियम इसलिए है ताकि प्रतिनिधि उन मतदाताओं का भरोसा न तोड़ें जिन्होंने उन्हें स्वतंत्र पहचान हेतु वोट दिया था। यह राजनीतिक नैतिकता सुनिश्चित करता है और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखता है, जिससे व्यक्तिगत लाभ हेतु दलीय परिवर्तन को हतोत्साहित किया जा सके।

NODIA

85. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
अयोग्यता की शर्तें अलग हैं। राजनीतिक दल के सदस्य दल छोड़ने या निर्देश उल्लंघन पर अयोग्य होते हैं। निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होने पर सदस्यता खो देते हैं। मनोनीत सदस्यों को प्रथम छह महीने में किसी दल में शामिल होने की छूट है, उसके बाद नहीं। पीठासीन अधिकारियों को पद की गरिमा हेतु दल छोड़ने पर विशेष छूट प्राप्त है। यह व्यवस्था विधायी अनुशासन और लोकतांत्रिक स्थिरता को सुदृढ़ करती है।

86. (2) सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन मामले में फैसला सुनाया कि अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना या विकृति के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
किहोतो होलोहन मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता का निर्णय लेते समय अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। अतः उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा दुर्भावना या संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर की जा सकती है। न्यायालय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु अंतिम निर्णय की वैधता की जाँच कर सकते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अयोग्यता की शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से हो।

87. (4) इसने उस प्रावधान को हटा दिया जो एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'विभाजन' के मामले में अयोग्यता से छूट प्रदान करता था। 91वें संशोधन, 2003 ने दल-बदल कानून को कठोर बनाया। इसने 'विभाजन' (एक-तिहाई सदस्य) के आधार पर मिलने वाली छूट समाप्त कर दी। अब केवल 'विलय' ही मान्य है जिसके लिए दो-तिहाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत या छोटे समूहों द्वारा किए जाने वाले अवसरवादी दल-बदल को रोकना था। यह राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक अनुशासन और लोकतांत्रिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम था।

88. (2) केवल II और III
दसवीं अनुसूची राजनीतिक अवसरवादिता रोककर विधायी स्थिरता सुनिश्चित करती है। पीठासीन अधिकारी को अयोग्यता पर निर्णय की शक्ति प्राप्त है। मनोनीत सदस्य यदि सदस्यता के प्रथम छह महीने के पश्चात किसी दल में शामिल होते हैं, तो वे अयोग्य घोषित किए जाते हैं। यह कानून दलीय निष्ठा बढ़ाता है और सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ हेतु मतदाताओं के साथ विश्वासघात न करें, जिससे जनादेश सुरक्षित रहता है।

89. (3) अनुच्छेद 105
अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। ये उन्मुक्तियां सदस्यों को प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता और सदन में दिए गए मत हेतु कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा शामिल है। इन अधिकारों के बिना सदस्य बिना भय के जनहित के मुद्दे नहीं उठा सकते। यह संसदीय संप्रभुता और लोकतांत्रिक चर्चा की नींव है, जो सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखती है।

90. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संसद में बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण है, अर्थात सदस्य सदन में कही गई बात हेतु न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। यह उन्मुक्ति निर्भीक बहस सुनिश्चित करती है। हालांकि, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और सदन की प्रक्रिया के नियमों के अधीन है। सदस्य न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। इस प्रकार, यह अधिकार संसदीय मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है।

91. (1) कथन I सही है, और कथन II गलत है।
संसद सदस्यों को सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पूर्व तथा पश्चात गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों तक सीमित है। फौजदारी मामलों या निवारक निरोध के अंतर्गत ऐसी कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सदस्य अपने विधायी कर्तव्यों का पालन बिना किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के कर सकें। इससे सदन की कार्यवाही में सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित होती है।

92. (2) केवल V
संसद को अपनी कार्यवाहियाँ प्रकाशित करने या रोकने का सामूहिक अधिकार है। वह अजनबियों को बाहर निकाल सकती है और गुप्त सत्र आयोजित कर सकती है। विशेषाधिकार हनन हेतु दंड देने की शक्ति भी संसद के पास है। सत्र के दौरान सदस्यों को गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट प्राप्त है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में ये विशेषाधिकार अभी तक संहिताबद्ध नहीं किए गए हैं और परंपराओं पर आधारित हैं।

93. (3) भारत के राष्ट्रपति
संसदीय विशेषाधिकार सांसदों और महान्यायवादी को प्राप्त हैं क्योंकि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हुए भी इन विशेषाधिकारों का उपभोग नहीं करते। राष्ट्रपति की अपनी संवैधानिक उन्मुक्तियाँ अनुच्छेद 361 के तहत परिभाषित हैं। यह अंतर दर्शाता है कि संसदीय विशेषाधिकार विशेष रूप से विधायी कार्यों और सदन की प्रक्रिया में सीधे शामिल होने वाले सदस्यों और अधिकारियों हेतु ही निर्मित किए गए हैं।

94. (4) विशेषाधिकार हनन - सदस्यों के विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन; सदन की अवमानना - सदन की गरिमा या अधिकार को कम करने वाला कोई भी कार्य।
विशेषाधिकार हनन तब होता है जब सदस्यों की विशिष्ट उन्मुक्तियों का उल्लंघन किया जाए। सदन की अवमानना व्यापक शब्द है, जिसमें गरिमा कम करने वाला कोई भी कार्य शामिल है, भले ही वह विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो। संसद को दोनों स्थितियों में दोषी को चेतावनी या कारावास से दंडित करने की शक्ति है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि विधायी कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो और सदन का सम्मान बना रहे।

Click Here to Buy book on Amazon

95. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
विधायी प्रक्रिया चार चरणों में है। प्रथम वाचन में विधेयक पेश होता है। द्वितीय वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें जाँच और खंडवार विचार होता है। तृतीय वाचन में विधेयक को पूर्ण रुप से स्वीकार या अस्वीकार करने पर बहस होती है। अंत में राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। वे इसे स्वीकृत कर सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यह प्रक्रिया कानून निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

96. (2) साधारण विधेयक किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
साधारण विधेयक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश हो सकता है और गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों द्वारा पेश हो सकता है, किंतु इसे प्रत्येक सदन में अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इस पर संयुक्त बैठक संभव नहीं है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते। यह अंतर संविधान की सुरक्षा और संघ की सहमति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।

97. (2) द्वितीय वाचन के सामान्य चर्चा चरण के दौरान
द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा होती है। इसी समय सदन निर्णय लेता है कि विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाए। समिति चरण में प्रत्येक धारा की गहन समीक्षा होती है और विशेषज्ञ राय ली जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कानून बनाने से पूर्व उसके सभी सामाजिक और कानूनी पहलुओं का सूक्ष्म मूल्यांकन कर लिया गया है, जिससे कानून की गुणवत्ता बनी रहे।

98. (2) I, II और III
अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यदि संसद उसे पुनः बिना बदलाव के पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। यह व्यवस्था कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखती है। राष्ट्रपति का यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कानून निर्माण में कोई जल्दबाजी न हो और महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

99. (3) विधेयक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
लोकसभा भंग होने पर लंबित विधेयकों हेतु स्पष्ट नियम हैं। यदि विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो परंतु राज्यसभा में लंबित हो, तो वह समाप्त हो जाता है। इसका तर्क है कि नई लोकसभा पिछली सभा के कार्यों हेतु बाध्य न हो। हालांकि, यदि विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ हो और अभी वहीं लंबित है, तो वह विघटन से प्रभावित नहीं होता। यह व्यवस्था विधायी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

100. (1) II, IV, V, III, I
सदन में विधायी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। यह प्रथम वाचन (प्रस्तुतीकरण) से शुरु होती है। द्वितीय वाचन में पहले सामान्य चर्चा, फिर रिपोर्ट चरण और अंत में खंडवार विचार होता है। इन चरणों में संशोधनों पर मतदान होता है। सबसे अंत में तृतीय वाचन होता है, जहाँ विधेयक को समग्र रुप से पारित किया जाता है। यह बहुस्तरीय प्रक्रिया कानून निर्माण में व्यापक विमर्श, पारदर्शिता और विधायी सतर्कता सुनिश्चित करती है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 06
संघीय न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन

1. भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है?
(1) भाग IV
(2) भाग V
(3) भाग VI
(4) भाग XI
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया था?
(1) 26 जनवरी 1950
(2) 28 जनवरी 1950
(3) 26 नवंबर 1949
(4) 15 अगस्त 1947
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: उस व्यक्ति को कम से कम पांच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
कथन II: भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: संवैधानिक अनुच्छेद
A. अनुच्छेद 124
B. अनुच्छेद 129
C. अनुच्छेद 131
D. अनुच्छेद 143
सूची II: प्रावधान
i. सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
ii. राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति
iii. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन
iv. सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
सही कूट चुनिए:
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आधार नहीं है?
(1) सिद्ध कदाचार
(2) असमर्थता (शारीरिक या मानसिक)
(3) संविधान का उल्लंघन
(4) गंभीर वित्तीय अनियमितताएं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है?
(1) 31
(2) 33
(3) 34
(4) 36
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
कारण (R): यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कामकाज संसद में विधायी मतदान से स्वतंत्र रहे।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

NODIA

(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है?
(1) अनुच्छेद 126
(2) अनुच्छेद 127
(3) अनुच्छेद 128
(4) अनुच्छेद 130
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, 'तदर्थ न्यायाधीश' (Ad hoc Judge) शब्द का क्या अर्थ है?
(1) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो।
(2) राष्ट्रपति द्वारा सीधे पीठ में नियुक्त एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
(3) गणपूर्ति (कोरम) की कमी के कारण सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से नियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
(4) अंतरराष्ट्रीय कानूनों की सुनवाई के लिए आमंत्रित किसी विदेशी न्यायालय का न्यायाधीश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका विस्तार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक है।
II. इसमें संविधान-पूर्व किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद शामिल हैं।
III. यह अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय जल विवादों को सम्मिलित करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?
(1) केवल I
(2) केवल II और III
(3) केवल I और II
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की सर्वोत्तम परिभाषा प्रदान करता है?
(1) न्यायपालिका की संविधान के मुख्य प्रावधानों में संशोधन करने की अंतर्निहित शक्ति।
(2) न्यायपालिका की अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने की शक्ति।
(3) उच्च न्यायालयों की अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करने की प्रशासनिक शक्ति।
(4) विधियों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित है?
(1) यूनाइटेड किंगडम
(2) संयुक्त राज्य अमेरिका
(3) कनाडा
(4) ऑस्ट्रेलिया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करके न्यायिक पुनरावलोकन का प्राथमिक आधार प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ शून्य होंगी?
(1) अनुच्छेद 13
(2) अनुच्छेद 21
(3) अनुच्छेद 32
(4) अनुच्छेद 226
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: रिट का प्रकार
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
B. परमादेश (Mandamus)
C. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
D. उत्प्रेषण (Certiorari)
सूची II: शाब्दिक अर्थ
i. किस अधिकार या वारंट से
ii. प्रमाणित होना या सूचित किया जाना
iii. हम आज्ञा देते हैं
iv. सदेह प्रस्तुत करना
सही कूट चुनिए:
(1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(3) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर प्राङ्न्याय (Res judicata) का सिद्धांत सख्ती से लागू होता है।
(2) इसे सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
(3) इसे वहां जारी नहीं किया जा सकता जहां निरुद्धि विधि सम्मत हो।
(4) इसे तब जारी नहीं किया जा सकता यदि कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

16. निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है?
(1) परमादेश
(2) प्रतिषेध (Prohibition)
(3) अधिकार पृच्छा
(4) उत्प्रेषण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 124 के तहत स्पष्ट रुप से परिभाषित किया गया है।
II. यह न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, जिन्हें 'थ्री जजेज केसेस' के रूप में जाना जाता है।
III. इसमें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
IV. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) से प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की परामर्श प्रक्रिया में न्यायाधीशों के एक समूह (कॉलेजियम) के परामर्श की आवश्यकता होती है?
(1) प्रथम न्यायाधीश मामला (1982)
(2) द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)
(3) तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)
(4) चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कहाँ विधि-व्यवसाय (वकालत) नहीं कर सकता है?
(1) भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में।
(2) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी उच्च न्यायालय में।
(3) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष।
(4) केंद्र द्वारा स्थापित न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों में।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उनके आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।
II. न्यायाधीशों को केवल संसद के संबोधन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
III. वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है।
IV. सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
V. संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कम नहीं कर सकती है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II, IV और V
(2) I, II, III, IV और V
(3) केवल I, III, IV और V
(4) केवल II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है?
(1) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
(2) एक ओर भारत सरकार तथा किसी राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद।
(3) किसी वाणिज्यिक अनुबंध के संबंध में नागरिक और राज्य सरकार के बीच विवाद।
(4) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. मौलिक अधिकारों की संशोधन क्षमता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) गोलकनाथ मामला - शंकरी प्रसाद मामला - केशवानंद भारती मामला - मिनर्वा मिल्स मामला
(2) शंकरी प्रसाद मामला - गोलकनाथ मामला - केशवानंद भारती मामला - मिनर्वा मिल्स मामला
(3) केशवानंद भारती मामला - शंकरी प्रसाद मामला - गोलकनाथ मामला - मिनर्वा मिल्स मामला
(4) शंकरी प्रसाद मामला - केशवानंद भारती मामला - गोलकनाथ मामला - मिनर्वा मिल्स मामला
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में तब होती है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि:
(1) विवाद में शामिल राशि 1 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक है।
(2) मामले में राज्य के कानून या स्थानीय नियमों की

NODIA

महत्वपूर्ण व्याख्या शामिल है।
(3) मामला दो निजी पक्षों के बीच एक जटिल संपत्ति विवाद से संबंधित है।
(4) मामले में सामान्य महत्व का विधि का एक सारवान प्रश्न (Substantial question of law) शामिल है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: मामला
A. केशवानंद भारती मामला (1973)
B. एस.पी. गुप्ता मामला (1982)
C. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला (1993)
D. एल. चंद्र कुमार मामला (1997)
सूची II: मुख्य सिद्धांत
i. न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की एक बुनियादी विशेषता है
ii. बुनियादी संरचना का सिद्धांत
iii. कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव
iv. लोकस स्टैंडाई (Locus Standi) का उदारीकरण
सही कूट चुनिए:
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को किसके द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति (Special Leave) देने का अधिकार है?
(1) सैन्य बलों से संबंधित न्यायालयों सहित भारत के राज्यक्षेत्र में कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण।
(2) विशेष रूप से केवल संवैधानिक मामलों के लिए नामित उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय।
(3) सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट मार्शल को छोड़कर भारत के राज्यक्षेत्र में कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण।
(4) विशिष्ट राज्य विधियों के तहत आने वाले न्यायालयों को छोड़कर दीवानी और आपराधिक न्यायालय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।
(2) राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं।
(3) सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।
(4) राष्ट्रपति संविधान-पूर्व संधियों से उत्पन्न विवादों पर न्यायालय की राय मांग सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय संविधान-पूर्व संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद में अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।
कारण (R): संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार संविधान के प्रारंभ से पूर्व की उन संधियों या समझौतों तक नहीं होगा जो प्रभावी बने हुए हैं।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(1) अनुच्छेद 132 - संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(2) अनुच्छेद 133 - आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(3) अनुच्छेद 134 - दीवानी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(4) अनुच्छेद 134A - अपील के लिए विशेष अनुमति के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 'परमादेश' (Mandamus) की रिट जारी नहीं की जा सकती?
(1) अधीनस्थ न्यायालय
(2) सार्वजनिक निकाय
(3) भारत के राष्ट्रपति
(4) न्यायाधिकरण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. उत्प्रेषण (Certiorari) रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
II. इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
III. यह न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III

Click Here to Buy book on Amazon

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. भारत में जनहित याचिका (PIL) किसका परिणाम है?
(1) न्यायिक सक्रियता
(2) संविधान संशोधन
(3) संसदीय अधिनियम
(4) कार्यकारी आदेश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से किसे भारत में जनहित याचिका (PIL) का प्रणेता माना जाता है?
(1) न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला
(2) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
(3) न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़
(4) न्यायमूर्ति ए.एन. राय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी?
(1) यूनाइटेड किंगडम
(2) संयुक्त राज्य अमेरिका
(3) ऑस्ट्रेलिया
(4) फ्रांस
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: अवधारणा
A. लोकस स्टैंडाई (Locus Standi)
B. एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae)
C. पत्रात्मक क्षेत्राधिकार (Epistolary Jurisdiction)
D. प्राङ्न्याय (Res Judicata)
सूची II: विवरण
i. एक मामला जो सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है
ii. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या वाद लाने का अधिकार
iii. पत्रों या टेलीग्रामों को रिट याचिकाओं के रूप में स्वीकार करना
iv. न्यायालय का मित्र
सही कूट चुनिए:
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित में से कौन न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक संयम (Judicial Restraint) के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है?
(1) सक्रियता सदैव विधायी कानूनों को बनाए रखने का पक्ष लेती है, जबकि संयम उन्हें पलटने का।
(2) सक्रियता उच्च न्यायालयों का अभ्यास है, जबकि संयम केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है।
(3) सक्रियता में सामाजिक अन्याय दूर करने हेतु संविधान की उदार व्याख्या शामिल है, जबकि संयम निर्वाचित अंगों की भूमिका का सम्मान करता है।
(4) सक्रियता एक प्रक्रियात्मक शक्ति है, जबकि संयम एक गैर-संवैधानिक सिद्धांत है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. निम्नलिखित में से किसे जनहित याचिका (PIL) का दुरुपयोग माना जाता है?
(1) पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए याचिका।
(2) बंधुआ मजदूरों और शोषितों के न्याय हेतु याचिका।
(3) विचाराधीन कैदियों के मौलिक अधिकारों और त्वरित सुनवाई हेतु याचिका।
(4) राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध याचिका।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. बुनियादी संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे गोलकनाथ मामले (1967) में प्रतिपादित किया गया था।
II. यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती।
III. सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना के अंतर्गत आने वाले तत्वों की एक निश्चित और विस्तृत सूची प्रदान की है।
IV. न्यायिक पुनरावलोकन को बुनियादी संरचना का हिस्सा माना जाता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल II और IV
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. भारतीय न्यायिक कार्यवाही में 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) के नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) कॉर्पोरेट विवाद
(2) जनहित याचिका (PIL)
(3) विवाह विच्छेद (तलाक) की कार्यवाही
(4) संविदा (अनुबंध) के उल्लंघन के मामले
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. भारत में वर्तमान में प्रभावी 'न्यायालय अवमानना अधिनियम' किस वर्ष पारित किया गया था?
(1) 1950
(2) 1971
(3) 1985

NODIA

(4) 1993
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे सिविल (नागरिक) अवमानना और आपराधिक अवमानना में वर्गीकृत किया गया है।
II. सिविल अवमानना का अर्थ है न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या रिट की जानबूझकर अवज्ञा करना।
III. आपराधिक अवमानना में ऐसा कोई कार्य शामिल है जो न्यायालय के प्राधिकार को कम करता है या उसे कलंकित करता है।
IV. सामग्री का निर्दोष प्रकाशन और वितरण अवमानना के विरुद्ध एक मान्य बचाव है।
V. न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष रिपोर्टिंग को आपराधिक अवमानना माना जाता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, II, III और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है?
(1) अनुच्छेद 129
(2) अनुच्छेद 132
(3) अनुच्छेद 141
(4) अनुच्छेद 143
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. सदस्यों की अपेक्षित संख्या द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करना।
II. अध्यक्ष/सभापति द्वारा आरोपों की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन।
III. प्रस्ताव का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना।
IV. राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करना।
V. समिति द्वारा न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता का दोषी पाए जाने वाली रिपोर्ट सौंपना।
सही क्रम का चयन करें:
(1) I, II, V, III, IV
(2) I, III, II, V, IV
(3) II, I, V, III, IV
(4) I, II, III, V, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अवमानना कार्यवाही में सत्य एक मान्य बचाव हो सकता है।
कथन II: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया ताकि सत्य को स्पष्ट रूप से बचाव के रूप में शामिल किया जा सके, बशर्ते वह लोकहित में और सद्भावी हो।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: अवमानना का प्रकार
A. न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन
B. न्यायिक कार्यवाही के सुचारु संचालन में बाधा डालना
C. न्यायालय की डिक्री की जानबूझकर अवज्ञा
D. न्यायालय के प्राधिकार को कम करना
सूची II: श्रेणी
i. आपराधिक अवमानना
ii. सिविल अवमानना
iii. आपराधिक अवमानना
iv. सिविल अवमानना
सही कूट चुनिए:
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) उच्च न्यायालय प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं।
(2) उच्च न्यायालय के फैसले की अपील केवल आपराधिक मामलों में ही संभव है।
(3) सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
(4) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को अपने पास नहीं मंगा सकता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) के रिट क्षेत्राधिकार में मुख्य अंतर क्या है?
(1) उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
(2) सर्वोच्च न्यायालय के पास परमादेश जारी करने की

Downloaded from www.pdf.tube

शक्ति नहीं है, जबकि उच्च न्यायालयों के पास है।
(3) उच्च न्यायालय निजी व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस पर प्रतिबंधित है।
(4) सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य उद्देश्यों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 32 संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
कारण (R): अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु एक गारंटीकृत उपचार प्रदान करता है और स्वयं एक मौलिक अधिकार है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. संविधान के तहत किस प्राधिकारी के पास संघ सूची के किसी भी विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति है?
(1) भारत के राष्ट्रपति
(2) संसद
(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(4) केंद्रीय मंत्रिमंडल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. 'वैकल्पिक उपचारों की समाप्ति' (Exhaustion of alternative remedies) का नियम मुख्य रूप से न्यायालयों के किस क्षेत्राधिकार से संबंधित एक स्व-नियमित प्रतिबंध है?
(1) मूल क्षेत्राधिकार
(2) रिट क्षेत्राधिकार
(3) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(4) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकने के लिए जारी की जाती है।
II. इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।
III. अन्य रिटों के विपरीत, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है, न कि केवल पीड़ित पक्ष द्वारा।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. "बुनियादी संरचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) किसकी शक्ति को सीमित करता है?
(1) आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
(2) कानूनों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति
(3) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति
(4) विधि बनाने की राज्यों की शक्ति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था?
(1) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
(2) 25वां संशोधन अधिनियम, 1971
(3) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(4) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि विधायी कार्यों पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान की बुनियादी संरचना का अंग है?
(1) आई.आर. कोएल्हो मामला
(2) एल. चंद्र कुमार मामला
(3) मिनर्वा मिल्स मामला
(4) एस.आर. बोम्मई मामला
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: वाद (Case Law)
A. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
B. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
C. वामन राव बनाम भारत संघ (1981)
D. किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)
सूची II: मुख्य विषय
i. संघवाद और अनुच्छेद 356
ii. 1973 के पश्चात बुनियादी संरचना की प्रयोज्यता
iii. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना के रूप में
iv. दसवीं अनुसूची और न्यायिक पुनरावलोकन
सही कूट चुनिए:
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. भारत के न्यायालयों पर संविधान के अनुच्छेद 141 का क्या प्रभाव है?
(1) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए केवल मार्गदर्शक होते हैं।
(2) उच्च न्यायालयों को विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने का अधिकार है।
(3) सर्वोच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक कार्यों को सीधे संचालित करने का अधिकार है।
(4) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) के स्थान पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा वाक्यांश स्पष्ट रूप से उल्लिखित है?
(1) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(2) विधि का शासन (Rule of Law)
(3) विधि के समक्ष समता
(4) विधियों का समान संरक्षण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. भारत में न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप शामिल है।
II. इसे प्रायः कार्यपालिका और विधायिका की विफलता द्वारा उचित ठहराया जाता है।
III. यह जनहित याचिका (PIL) के तंत्र पर अत्यधिक निर्भर करती है।
IV. इसे 42वें संशोधन द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान में शामिल किया गया था।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. निम्नलिखित रिटों में से भिन्न (विषम) विकल्प का चयन करें:
(1) व्यादेश (Injunction)
(2) परमादेश
(3) प्रतिषेध
(4) उत्प्रेषण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. न्यायिक संयम का कौन सा सिद्धांत न्यायालयों को किसी मुद्दे पर तब तक निर्णय देने से रोकता है जब तक विवाद को हल करना अपरिहार्य न हो?
(1) ओबिटर डिक्टा (Obiter Dicta)
(2) सुओ मोटो (Suo Motu) कार्यवाही
(3) कठोर उत्तरदायित्व का सिद्धांत
(4) मूटनेस का सिद्धांत (Doctrine of Mootness)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।
II. इसके पास अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
III. राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को परामर्श हेतु न्यायालय के पास भेज सकते हैं।
IV. यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
V. यह संवैधानिक मामलों पर किसी राज्य के राज्यपाल को सलाह दे सकता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. यदि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वोत्तम उदाहरण है?
(1) राज्यपाल द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने से मना करना।
(2) संसद द्वारा इसे निरस्त करने हेतु केंद्रीय कानून बनाना।
(3) उच्च न्यायालय द्वारा विधि को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करना।
(4) राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दीवानी मामलों हेतु भारत में अपीलीय न्यायालयों के सही पदानुक्रम (निम्नतम से उच्चतम) को दर्शाता है?
(1) जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
(2) उच्च न्यायालय → जिला न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
(3) सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → जिला न्यायालय
(4) अधीनस्थ न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, न्यायिक सक्रियता के लिए प्रायः उत्तरदायी माना जाने वाला प्रमुख कारण क्या है?
(1) मामलों की भारी लंबित संख्या और न्यायिक रिक्तियां

Click Here to Buy book on Amazon

(2) अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई की तीव्रता
(3) वैकल्पिक विवाद समाधान पर अत्यधिक निर्भरता
(4) लोकस स्टैंडाई का कठोरता से पालन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: संविधान का अनुच्छेद
A. अनुच्छेद 132
B. अनुच्छेद 133
C. अनुच्छेद 134
D. अनुच्छेद 136
सूची II: विशिष्ट विषय
i. दीवानी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
ii. अपील के लिए विशेष अनुमति
iii. आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
iv. संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
सही कूट चुनिए:
(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?
(1) अनुच्छेद 139A
(2) अनुच्छेद 141
(3) अनुच्छेद 142
(4) अनुच्छेद 144
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो किसके लिए आवश्यक हो?
(1) उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' करना।
(2) भारत संघ की प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना।
(3) सभी लंबित न्यायिक मामलों का त्वरित निपटान करना।
(4) कार्यकारी शक्तियों पर विधिक प्रतिबंध लगाना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अपीलीय न्यायालय है।
कारण (R): भारत का संविधान प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त करता है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मध्य संबंधों के विषय में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
(3) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है।
(4) सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे उच्च न्यायालय को परमादेश की रिट जारी कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. भारत में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या है?
(1) विधायिका द्वारा बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट विधियाँ पारित करना।
(2) कार्यपालिका द्वारा न्यायिक आदेशों की पूर्णतः अनदेखी करना।
(3) न्यायपालिका का उन नीतिगत विषयों में हस्तक्षेप करना जो कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्राधिकार में हैं।
(4) संवैधानिक उपचारों में आम जनता के विश्वास की कमी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. बुनियादी संरचना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करता।
II. यह आवश्यक बनाता है कि संशोधन संविधान के मूल दर्शन को नष्ट न करें।
III. यह सिद्धांत वर्ष 1950 से हुए सभी संविधान संशोधनों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं?
(1) केवल I
(2) केवल III
(3) केवल I और II
(4) केवल II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "NJAC अधिनियम" को रद्द करने का प्राथमिक आधार क्या था?
(1) इसने भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप का उल्लंघन किया।
(2) इसे संसद में आवश्यक विशेष बहुमत के बिना पारित

Downloaded from www.pdf.tube

किया गया था।
(3) इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया।
(4) इसने शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किया।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. एक व्यक्ति जिसे राज्य पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसके लिए कौन सी रिट सर्वाधिक उपयुक्त होगी?
(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(2) परमादेश
(3) उत्प्रेषण
(4) प्रतिषेध
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. निम्नलिखित में से कौन सा 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) का सर्वोत्तम वर्णन है?
(1) उच्च न्यायालय के निर्णय के तत्काल पश्चात दायर की गई याचिका।
(2) सजा को क्षमा करने हेतु सीधे राष्ट्रपति के पास दायर याचिका।
(3) पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के पश्चात शिकायतों के निवारण हेतु अंतिम न्यायिक विकल्प।
(4) निरस्त विधि को पुनः मान्य करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष याचिका।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: न्यायिक शब्दावली
A. ओबिटर डिक्टा (Obiter dicta)
B. रेशियो डेसिडेंडी (Ratio decidendi)
C. सुओ मोटो (Suo motu)
D. रेस सब जूडिस (Res sub judice)
सूची II: अर्थ
i. निर्णय का आधार/तर्क
ii. न्यायाधीश की वे टिप्पणियाँ जो निर्णय हेतु अनिवार्य नहीं हैं
iii. विचाराधीन मामला
iv. स्वतः संज्ञान लेना
सही कूट चुनिए:
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश को
(2) प्रधानमंत्री को
(3) संसद को
(4) भारत के राष्ट्रपति को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले (संवैधानिक पीठ) की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय में आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
(1) कम से कम 3 न्यायाधीश
(2) कम से कम 5 न्यायाधीश
(3) कम से कम 7 न्यायाधीश
(4) कम से कम 9 न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. अपने निर्णयों की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदत्त है।
II. यह शक्ति निरपेक्ष है और संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन नहीं है।
III. यह अभिलेख में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि को सुधारने हेतु अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
IV. सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से पूर्णतः बाध्य नहीं है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की स्थिति में किस न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है?
(1) दिल्ली उच्च न्यायालय
(2) संसद द्वारा गठित विशेष न्यायाधिकरण
(3) भारत का निर्वाचन आयोग
(4) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाने वाली रिट का उदाहरण नहीं है?
(1) व्यादेश (Injunction)
(2) उत्प्रेषण
(3) परमादेश
(4) अधिकार पृच्छा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 227 के तहत सभी उच्च न्यायालयों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है।
II. उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय

NODIA

में अपील संभव है यदि वह दोषमुक्ति के आदेश को उलटकर आरोपी को मृत्युदंड सुनाता है।
III. उच्च न्यायालय केंद्रीय विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
IV. भारत के मुख्य न्यायाधीश बिना किसी परामर्श के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं।
V. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और V
(2) केवल II, III और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. बुनियादी संरचना सिद्धांत के संदर्भ में, किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि संविधान की नौवीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त नहीं है?
(1) गोलकनाथ मामला
(2) आई.आर. कोएल्हो मामला
(3) मिनर्वा मिल्स मामला
(4) वामन राव मामला
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. जनहित याचिका (PIL) के विकास से संबंधित ऐतिहासिक मामलों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य
II. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला)
III. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
IV. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन
सही क्रम का चयन करें:
(1) I, IV, II, III
(2) IV, I, III, II
(3) I, II, IV, III
(4) IV, III, I, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. कॉलेजियम प्रणाली की मुख्य आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है?
(1) यह न्यायिक नियुक्तियों में अत्यधिक कार्यकारी हस्तक्षेप की अनुमति देती है।
(2) इसमें राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
(3) इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है क्योंकि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
(4) यह वरिष्ठता के सिद्धांत की पूर्णतः अनदेखी करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: प्राधिकारी
A. भारत के मुख्य न्यायाधीश
B. भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
C. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General)
D. जिला न्यायाधीश
सूची II: भूमिका
i. जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी
ii. सर्वोच्च न्यायालय में मास्टर ऑफ द रोस्टर
iii. केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी
iv. राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी
सही कूट चुनिए:
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना हो, तो किसकी सिफारिश अनिवार्य है?
(1) संबंधित राज्य के राज्यपाल की।
(2) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की।
(3) कॉलेजियम के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश की।
(4) केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।
कथन II: न्यायालय अवमानना अधिनियम न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को उनके अपने न्यायालय की अवमानना हेतु दंडित किए जाने से छूट नहीं देता।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): इसके पास मौलिक अधिकारों या बुनियादी संरचना का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को रद्द करने की शक्ति है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Click Here to Buy book on Amazon

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. निम्नलिखित में से किसे भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रभाव माना जाता है?
(1) अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के दायरे का विस्तार।
(2) शक्तियों के पृथक्करण का पूर्ण और कठोर कार्यान्वयन।
(3) सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में भारी कमी।
(4) उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार का पूर्ण लोप।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) के तहत यदि राष्ट्रपति किसी संविधान-पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजते हैं, तो न्यायालय का क्या दायित्व है?
(1) न्यायालय राय देने से इनकार कर सकता है।
(2) न्यायालय को 9 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना होगा।
(3) न्यायालय को अनिवार्य रुप से अपनी राय देनी होगी।
(4) न्यायालय को मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भेजना होगा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय संसद में मतदान के अधीन हैं।
II. संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकती, किंतु उसे बढ़ा सकती है।
III. न्यायाधीशों के वेतन संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और नियुक्ति के पश्चात उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
(1) केवल I
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) केवल III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की प्रक्रिया और कार्यपद्धति के नियम बनाने का अधिकार देता है?
(1) अनुच्छेद 142
(2) अनुच्छेद 143
(3) अनुच्छेद 145
(4) अनुच्छेद 147
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

92. कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित करने वाले "न्यायाधीशों के मामलों" (Judges Cases) को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. विशेष संदर्भ मामला (परामर्श पर सलाहकार राय)
II. एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
III. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ
सही क्रम का चयन करें:
(1) II, III, I
(2) I, II, III
(3) III, II, I
(4) II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. "न्यायिक संयम" (Judicial Restraint) न्यायपालिका से क्या अपेक्षा करता है?
(1) कार्यकारी कार्यों की सक्रिय निगरानी और नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करना।
(2) प्रशासनिक त्रुटियों पर स्वतः संज्ञान लेना।
(3) विधायी और कार्यकारी अंगों की भूमिका का सम्मान करना और न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित रखना।
(4) विधायी मंशा से हटकर विधियों की अत्यधिक उदार व्याख्या करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: रिट
A. परमादेश
B. उत्प्रेषण
C. अधिकार पृच्छा
D. बंदी प्रत्यक्षीकरण
सूची II: उद्देश्य
i. निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश
ii. सार्वजनिक पद धारण करने के विधिक आधार की जांच
iii. सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश
iv. अधिकार क्षेत्र के अभाव में दिए गए अधीनस्थ आदेश को रद्द करना
सही कूट चुनिए:
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु 'विशाखा दिशा-निर्देश' जारी किए थे?
(1) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

(2) एम.सी. मेहता मामला
(3) ओल्गा टेलिस मामला
(4) मेनका गांधी मामला
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य 'अभिलेख न्यायालय' (अनुच्छेद 129) की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है?
(1) न्यायालय द्वारा मौखिक तर्कों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करना।
(2) न्यायालय के निर्णयों को भविष्य के साक्ष्य हेतु सुरक्षित रखना और अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति होना।
(3) न्यायालय द्वारा दशकों तक भौतिक केस फाइलों का रखरखाव करना।
(4) न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की उपस्थिति और प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. प्रतिषेध (Prohibition) रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन से रोकने के लिए जारी की जाती है।
II. इसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
III. यह एक निवारक (Preventive) उपाय है, उपचारात्मक नहीं।
IV. इसे विधायी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन किस पर भारित होता है?
(1) भारत की संचित निधि पर
(2) भारत के लोक लेखे पर
(3) भारत की आकस्मिकता निधि पर
(4) संबंधित राज्य की संचित निधि पर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. 'लोकस स्टैंडाई' (Locus standi) के नियम में मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देने के लिए ढील दी गई थी?
(1) वाणिज्यिक विवादों का त्वरित निपटान
(2) आपराधिक अपीलें
(3) जनहित याचिका (PIL)
(4) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सर्वोच्च न्यायालय सामान्यतः दिल्ली में स्थित है।
II. मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों को भी न्यायालय की पीठ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
III. दो न्यायाधीशों की पीठ को खंडपीठ (Division Bench) कहा जाता है।
IV. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
V. सर्वोच्च न्यायालय में केवल सर्वसम्मत निर्णयों की अनुमति है; असहमतिपूर्ण निर्णय नहीं दिए जा सकते।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) भाग V
भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का विस्तृत विवरण है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों, क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान वर्णित हैं। यह भाग कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की पृथकता सुनिश्चित करता है। यह लोकतांत्रिक ढांचे में संतुलन बनाए रखते हुए भारतीय न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च विधिक आधार निर्मित करता है।

2. (2) 28 जनवरी 1950
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। यह समारोह संसद भवन के 'राजकुमार कक्ष' में आयोजित हुआ, जहाँ पहले संघीय न्यायालय संचालित होता था। सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय न्यायालय और ब्रिटिश प्रिवी परिषद के न्यायिक क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित किया। इसके पश्चात ही यह देश के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में प्रभावी हुआ और एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित हुई।

3. (3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी व्यक्ति को पांच वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस वर्ष तक अधिवक्ता होना आवश्यक है। संविधान ने इस पद हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की है, अतः 35 वर्ष की आयु का उल्लेख विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी नियुक्त हो सकता है।

4. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 इसे अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, जिससे इसे अवमानना पर दंड देने की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 131 संघीय विवादों के निपटारे हेतु इसके मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है।

5. (3) संविधान का उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु अनुच्छेद 124(4) में केवल दो आधार वर्णित हैं: सिद्ध कदाचार और अक्षमता। 'संविधान का उल्लंघन' वाक्यांश का प्रयोग केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु किया जाता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। इसके पश्चात राष्ट्रपति पदमुक्त करने का अंतिम आदेश जारी करते हैं।

6. (3) 34
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। मूल संविधान में यह संख्या केवल आठ थी, जिसे समय-समय पर संसद ने अधिनियमों के माध्यम से बढ़ाया है। वर्ष 2019 में संशोधन अधिनियम द्वारा इस संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 किया गया। इसका उद्देश्य बढ़ते वादों का शीघ्र निस्तारण करना और न्यायपालिका पर बढ़ते कार्यभार को कम करना है।

7. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु इसके प्रशासनिक व्यय और न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन खर्चों पर संसद में चर्चा हो सकती है, परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। यह वित्तीय स्वायत्तता न्यायपालिका को कार्यपालिका के अनुचित दबाव से मुक्त रखती है। यह प्रावधान न्यायिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और संवैधानिक निष्पक्षता बनाए रखने में अत्यंत सहायक है।

8. (1) अनुच्छेद 126
संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वे कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हों, तब राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को चुनते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मुख्य न्यायाधीश के पद की निरंतरता बनी रहे और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में व्यवधान न हो।

9. (3) गणपूर्ति (कोरम) की कमी के कारण सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से नियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम गणपूर्ति उपलब्ध नहीं होती, तब अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पात्र न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु यह नियुक्ति केवल कोरम पूर्ण करने हेतु होती है।

10. (2) केवल II और III
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के विधिक विवादों तक सीमित है। इसमें संविधान पूर्व की संधियों या समझौतों से उत्पन्न विवाद शामिल नहीं होते। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान विशिष्ट अधिकरणों द्वारा किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। केवल केंद्र-राज्य या राज्यों के मध्य उत्पन्न संवैधानिक विवाद ही इसके अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं।

NODIA

11. (4) विधियों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका सरकारों द्वारा निर्मित विधियों और प्रशासनिक आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। यदि कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनिवार्य है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है।

12. (2) संयुक्त राज्य अमेरिका
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यद्यपि संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं है, परंतु अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करते हैं। अमेरिका की तुलना में भारत में इसका दायरा व्यापक है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के कारण संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता सदैव बनी रहती है।

13. (1) अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य स्तंभ है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती हो। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो उसे उस सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान करती है।

14. (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
भारतीय न्यायपालिका द्वारा जारी रिटों के विशिष्ट अर्थ हैं। 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' का अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना है, जबकि 'परमादेश' का अर्थ आज्ञा देना है। 'अधिकार पृच्छा' द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से उसके पद का विधिक आधार पूछता है। 'उत्प्रेषण' का उपयोग अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु किया जाता है। ये रिटें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के शक्तिशाली उपकरण हैं।

15. (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर प्राङ्न्याय (Res judicata) का सिद्धांत सख्ती से लागू होता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण रिट है। सामान्यतः न्यायिक मामलों में 'प्राङ्न्याय' का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि एक ही विषय पर पुनः याचिका नहीं दी जा सकती। परंतु, बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह नियम सख्ती से लागू नहीं होता, विशेषकर जब नई परिस्थितियों में निरुद्धि को चुनौती दी जाए। इसे निजी और सार्वजनिक दोनों पक्षों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।

16. (2) प्रतिषेध (Prohibition)
'प्रतिषेध' रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो। इसका उद्देश्य कार्यवाही को रोकना है, अतः इसे 'निवारक' रिट कहते हैं। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध उपलब्ध है। इसे विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह अधीनस्थ न्यायालयों को सीमाओं में रखती है।

17. (2) केवल II, III और IV
कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है; यह न्यायिक व्याख्याओं से विकसित हुई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। 99वें संशोधन द्वारा इसे बदलने का प्रयास हुआ था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की स्वायत्तता और प्रधानता बनाए रखती है, ताकि नियुक्तियां बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हों।

18. (3) तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)
वर्ष 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ केवल मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से विमर्श करना अनिवार्य है। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता, तो नियुक्ति की अनुशंसा सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इसी निर्णय ने कॉलेजियम की वर्तमान विस्तृत संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को आधिकारिक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया।

19. (3) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष।
अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु लगाया गया है ताकि पूर्व न्यायाधीश अपने प्रभाव का उपयोग न कर सकें। हालांकि, उन्हें विशेष आयोगों या अधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उनके अनुभव का लाभ देता है।

20. (2) I, II, III, IV और V
न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में व्यापक सुरक्षा उपाय हैं। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा केवल महाभियोग के समय संभव है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके वित्तीय लाभों में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायालय के पास अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति है और संसद क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकती। ये सभी प्रावधान एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का आधार हैं।

21. (3) किसी वाणिज्यिक अनुबंध के संबंध में नागरिक और राज्य सरकार के बीच विवाद।
अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार केवल संघीय विवादों तक सीमित है, जिनमें केंद्र और राज्यों या राज्यों के मध्य विधिक मतभेद शामिल हैं। इसमें निजी नागरिक और सरकार के बीच

Click Here to Buy book on Amazon

अनुबंधों से संबंधित विवाद सम्मिलित नहीं हैं। ऐसे विवादों की सुनवाई सामान्य दीवानी न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आती है। इसका उद्देश्य केवल भारतीय संघ की इकाइयों के मध्य संवैधानिक और विधिक संतुलन बनाए रखना है।

22. (2) शंकरी प्रसाद मामला - गोलकनाथ मामला - केशवानंद भारती मामला - मिनर्वा मिल्स मामला
मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का एक निश्चित क्रम है। 1951 के शंकरी प्रसाद मामले में संसद की संशोधन शक्ति स्वीकार की गई। 1967 के गोलकनाथ मामले ने इस शक्ति को मौलिक अधिकारों तक सीमित कर दिया। 1973 के केशवानंद भारती मामले ने 'बुनियादी संरचना' का सिद्धांत दिया, जिसकी पुष्टि 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में हुई। यह विकास भारतीय संवैधानिक यात्रा का महत्वपूर्ण अंग है।

23. (4) मामले में सामान्य महत्व का विधि का एक सारवान प्रश्न (Substantial question of law) शामिल है।
दीवानी मामलों में अपील हेतु अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होता है कि मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। पहले इसमें विवादित राशि की सीमा निर्धारित थी, जिसे 30वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब अपील का मुख्य आधार मामले की कानूनी गंभीरता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर विधिक विषय ही उच्चतम स्तर पर पहुँचें।

24. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
केशवानंद भारती मामले ने 'बुनियादी संरचना' का सिद्धांत दिया। एस.पी. गुप्ता मामले ने जनहित याचिका हेतु नियमों को लचीला बनाया। अभिलेख अधिवक्ता संघ मामले से न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली का आधिकारिक उद्भव हुआ। एल. चंद्र कुमार मामले में स्थापित हुआ कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की अनिवार्य विशेषता है। ये सभी मामले भारतीय न्यायपालिका के क्रमिक विकास और उसकी शक्ति के विस्तार को प्रभावी ढंग से दर्शाते हैं।

25. (3) सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट मार्शल को छोड़कर भारत के राज्यक्षेत्र में कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण।
अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सके। यह शक्ति अत्यंत व्यापक है और दीवानी, आपराधिक या संवैधानिक श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त होती है। हालांकि, संविधान ने सैन्य बलों से संबंधित न्यायालयों और सैन्य अदालतों को इस क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। यह उपचारात्मक शक्ति न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय का अंतिम शस्त्र है।

26. (1) अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांग सकते हैं। न्यायालय द्वारा दी गई यह राय केवल परामर्शदात्री प्रकृति की होती है और राष्ट्रपति इसे मानने हेतु विधिक रूप से बाध्य नहीं हैं। न्यायालय भी कुछ परिस्थितियों में राय देने से इनकार कर सकता है। यह क्षेत्राधिकार सरकार को जटिल विधिक विषयों पर उच्चतम न्यायिक स्पष्टता प्राप्त करने का एक संवैधानिक अवसर प्रदान करता है।

27. (1) A and R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 131 के परंतुक में स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संविधान पूर्व की उन संधियों पर लागू नहीं होगा जो वर्तमान में प्रभावी हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि संविधान ने इन्हें मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। राष्ट्रपति ऐसे विवादों को सलाह हेतु अनुच्छेद 143 के तहत भेज सकते हैं। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करते हैं।

28. (1) अनुच्छेद 132 - संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जहाँ संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न हो। अनुच्छेद 133 और 134 क्रमशः दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित हैं। अनुच्छेद 134क उच्च न्यायालयों द्वारा अपील हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। विकल्प 1 सही सुमेलित है, जो दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याता संस्था है।

29. (3) भारत के राष्ट्रपति
'परमादेश' रिट एक न्यायिक आदेश है जो सार्वजनिक अधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों के पालन का निर्देश देता है। यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, इसे निजी व्यक्तियों या गैर-सांविधिक निकायों के विरुद्ध भी नहीं लाया जा सकता। यह मुख्य रूप से प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार है।

30. (3) केवल I और III
उत्प्रेषण रिट एक सुधारात्मक उपाय है, जिसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के दोषपूर्ण आदेशों को रद्द करने हेतु किया जाता है। 1991 के निर्णय के पश्चात, यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों के उन कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो विधिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह रिट सुनिश्चित करती है कि सभी अधीनस्थ संस्थाएं अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करें।

31. (1) न्यायिक सक्रियता
भारत में जनहित याचिका का विकास मुख्य रूप से न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। इसने न्यायपालिका को उन लोगों की ओर से हस्तक्षेप की शक्ति दी है जो निर्धनता के कारण न्यायालय नहीं पहुँच सकते। इसके माध्यम से न्यायालय ने शासन की विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया है। यह

व्यवस्था 'वाद लाने के अधिकार' के कठोर नियम को शिथिल करती है, जिससे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता सार्वजनिक हित के मुद्दे उठा सकता है।

32. (2) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को भारत में जनहित याचिका की अवधारणा स्थापित करने का मुख्य श्रेय प्राप्त है। उन्होंने 1980 के दशक में विभिन्न निर्णयों द्वारा न्याय की पहुँच जनसामान्य तक बढ़ाई। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पी.एन. भगवती ने पत्रात्मक क्षेत्राधिकार विकसित किया, जहाँ एक साधारण पत्र को भी रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

33. (2) संयुक्त राज्य अमेरिका
जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में विकसित हुई थी। भारत में इसे 1980 के दशक में अपनाया गया और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। अमेरिकी प्रतिरूप की तुलना में भारतीय जनहित याचिका अधिक व्यापक है क्योंकि यहाँ न्यायपालिका स्वयं भी मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकती है। यह एक उत्कृष्ट नवाचार है जिसने भारतीय न्यायिक पहुँच को पूर्णतः बदल दिया है।

34. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
'लोकस स्टैंडाई' का अर्थ किसी व्यक्ति का न्यायालय में वाद लाने का विधिक अधिकार है। 'न्यायालय मित्र' वह व्यक्ति है जो निष्पक्ष रूप से न्यायालय की सहायता करता है। 'पत्रात्मक क्षेत्राधिकार' के अंतर्गत पत्रों को भी याचिका माना जाता है। 'प्राङ्न्याय' वह सिद्धांत है जो एक ही विवाद पर दोबारा सुनवाई को रोकता है। ये सभी अवधारणाएं सुचारु और प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली के संचालन हेतु अत्यंत आवश्यक और आधारभूत हैं।

35. (3) सक्रियता में सामाजिक अन्याय दूर करने हेतु संविधान की उदार व्याख्या शामिल है, जबकि संयम निर्वाचित अंगों की भूमिका का सम्मान करता है।
न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। सक्रियता के तहत न्यायपालिका संविधान की प्रगतिशील व्याख्या करती है और शासन की कमियों को दूर करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप करती है। इसके विपरीत, न्यायिक संयम यह मानता है कि न्यायालयों को विधि निर्माण का कार्य विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। संयम का पालन करने वाले न्यायाधीश नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप से बचते हैं, जिससे राज्य के अंगों में संतुलन बना रहता है।

36. (4) राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध याचिका।
जनहित याचिका का उद्देश्य वंचित वर्गों को न्याय दिलाना और सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाना है। हाल के वर्षों में इसका दुरुपयोग निजी स्वार्थों या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हेतु बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो याचिकाएं 'जनहित' के बजाय 'निजी हित' से प्रेरित हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी तुच्छ याचिकाओं पर न्यायालय जुर्माना भी लगा सकता है ताकि न्यायिक समय की बर्बादी रोकी जा सके।

37. (1) केवल II और IV
बुनियादी संरचना का सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित हुआ। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि संसद संविधान के उन मौलिक लक्षणों को नहीं बदल सकती जो इसके अस्तित्व का आधार हैं। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मुख्य अंगों के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाता है, जिससे संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्य सदैव सुरक्षित बने रहते हैं।

NODIA

38. (2) जनहित याचिका (PIL)
'वाद लाने के अधिकार' का पारंपरिक नियम कहता है कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। जनहित याचिका इस नियम का प्रमुख अपवाद है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति समाज के उन वर्गों हेतु याचिका दायर कर सकता है जो निर्धनता के कारण स्वयं न्याय नहीं मांग सकते। यह नवाचार मानवाधिकारों के संरक्षण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु किया गया है, जो न्याय के द्वार खोलता है।

39. (2) 1971
न्यायालयों की गरिमा और आदेशों के सम्मान हेतु 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' पारित किया गया। यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना हेतु दंड देने की प्रक्रिया को विनियमित करता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि न्यायिक आदेशों का पालन हो और न्यायपालिका के प्राधिकार को क्षति न पहुँचे। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन कर 'सत्य' को एक वैध बचाव के रूप में स्वीकार किया गया।

40. (1) केवल I, II, III और IV
न्यायालय की अवमानना को दीवानी और आपराधिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दीवानी अवमानना आदेशों की अवज्ञा से संबंधित है, जबकि आपराधिक अवमानना में न्यायालय को कलंकित करने वाले कार्य शामिल हैं। विधि के तहत, न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष रिपोर्टिंग और आलोचना को अवमानना नहीं माना जाता, बशर्ते वह सद्भावनापूर्ण हो। यह व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के सम्मान के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

41. (1) अनुच्छेद 129
संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' घोषित करता है। इसका तात्पर्य है कि इसके निर्णय भविष्य हेतु साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और किसी अन्य न्यायालय में इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसी अनुच्छेद के तहत इसे अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति भी प्राप्त है। यह शक्ति न्यायालय के आदेशों

का पालन सुनिश्चित करने और न्यायिक संस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

42. (1) I, II, V, III, IV
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत औपचारिक है। सर्वप्रथम संसद के किसी सदन में हस्ताक्षरित प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंपा जाता है। इसके पश्चात आरोपों की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित होती है। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। अंत में, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

43. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
पूर्व में अवमानना की कार्यवाही में सत्य को मान्य बचाव नहीं माना जाता था। वर्ष 2006 के संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि सत्य का कथन लोकहित में और सद्भावनापूर्ण है, तो उसे बचाव के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में इस सिद्धांत को मान्यता दी है। यह वैधानिक परिवर्तन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक गरिमा के मध्य तर्कसंगत समन्वय स्थापित करता है।

44. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है। किसी निर्णय की जानबूझकर की गई अवज्ञा 'दीवानी अवमानना' है। इसके विपरीत, यदि कोई कार्य न्यायालय के प्राधिकार को कम करता है या कार्यवाही में बाधा डालता है, तो उसे 'अपराधिक अवमानना' माना जाता है। न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन भी दीवानी अवमानना का भाग है। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि न्यायिक तंत्र की निष्पक्षता और प्रभावी कार्यप्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

45. (3) सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
भारतीय न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। अनुच्छेद 139क के अंतर्गत इसे न्याय के हित में किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। वह समान विधिक प्रश्नों वाले मामलों को अपने पास भी मंगा सकता है। उच्च न्यायालयों के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार और बाध्यकारी विधिक निर्णयों के अधीन होते हैं, जो न्यायिक एकरूपता सुनिश्चित करते हैं।

46. (4) सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य उद्देश्यों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में सक्षम हैं।

47. (1) A and R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'आत्मा' कहा था। चूँकि यह अनुच्छेद स्वयं एक मौलिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है, इसलिए इसे संविधान की 'बुनियादी संरचना' का भाग माना गया है। इसे संसद द्वारा संशोधन करके हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह नागरिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण की आधारशिला है।

48. (2) संसद
संविधान के अनुसार, केवल संसद के पास ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को बढ़ाने की शक्ति है। संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाकर न्यायालय को अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। हालांकि, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की मूल शक्तियों को कम नहीं कर सकती। यह व्यवस्था न्यायपालिका के प्रभाव को विस्तृत करने की विधायी क्षमता दर्शाती है, जबकि उसकी स्वतंत्रता को कार्यपालिका के दबावों से सुरक्षित रखती है।

49. (2) रिट क्षेत्राधिकार
'वैकल्पिक उपचारों की समाप्ति' का नियम मुख्य रूप से रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। न्यायालय सामान्यतः तब तक रिट जारी नहीं करते जब तक याचिकाकर्ता ने उपलब्ध अन्य विधिक विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो। यह एक विवेकाधीन प्रतिबंध है जिसे न्यायालयों ने स्वयं लागू किया है ताकि न्यायिक बोझ कम रहे और निचली अदालतों की भूमिका बनी रहे। हालांकि, मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन में सर्वोच्च न्यायालय सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।

50. (4) I, II और III
'अधिकार पृच्छा' रिट का उपयोग सार्वजनिक पदों के अवैध अधिग्रहण को रोकने हेतु किया जाता है। यह रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति बिना विधिक योग्यता के सरकारी पद पर आसीन होता है। इसे निजी कार्यालयों या मंत्री पदों हेतु जारी नहीं किया जा सकता। इसके लिए याचिकाकर्ता का स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है; कोई भी नागरिक इसे दायर कर सकता है। यह सार्वजनिक कार्यालयों की वैधानिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है।

51. (3) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति
बुनियादी संरचना का सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित हुआ। यह संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर रोक लगाता है। इसके अनुसार, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यह सिद्धांत न्यायपालिका को उन संशोधनों की समीक्षा की शक्ति देता है

Downloaded from www.pdf.tube

जो लोकतंत्र, संघवाद या धर्मनिरपेक्षता जैसे मौलिक तत्वों को क्षति पहुँचा सकते हैं।

52. (1) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
1967 के गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने हेतु संविधान संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम, 1971 पारित किया। इसने स्पष्ट किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन की पूर्ण शक्ति है। साथ ही, राष्ट्रपति हेतु संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया।

53. (3) मिनर्वा मिल्स मामला
1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की बुनियादी संरचना का अनिवार्य भाग है। न्यायालय ने 42वें संशोधन के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जो संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाते थे। इस निर्णय ने पुनः स्थापित किया कि संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के पूरक और संतुलित होने चाहिए।

54. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
इंदिरा गांधी मामले में 'निष्पक्ष चुनाव' को बुनियादी संरचना माना गया। एस.आर. बोम्मई मामले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर दिशा-निर्देश दिए। वामन राव मामले ने स्पष्ट किया कि 1973 के बाद के संशोधन बुनियादी संरचना के परीक्षण के अधीन हैं। किहोटो होलोहन मामले ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया। ये मामले न्यायपालिका के विकास और लोकतंत्र की रक्षा को सुदृढ़ करते हैं।

55. (4) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
अनुच्छेद 141 एकीकृत न्यायिक प्रणाली की नींव है। इसके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि पूरे देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों हेतु अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है। यह प्रावधान न्यायिक एकरूपता और निश्चितता सुनिश्चित करता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने पूर्व निर्णयों से पूर्णतः बाध्य नहीं है और सामाजिक परिवर्तन हेतु उनकी समीक्षा कर उन्हें बदल सकता है। यह व्यवस्था न्याय की जीवंतता और समय के अनुकूल विकास को सुनिश्चित करती है।

56. (1) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' वाक्यांश का प्रयोग है, जो ब्रिटिश न्यायशास्त्र से प्रेरित है। इसका अर्थ है कि यदि कोई विधि निर्धारित प्रक्रिया से पारित है, तो वह वैध है। हालांकि, मेनका गांधी मामले (1978) के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें 'विधि की उचित प्रक्रिया' के तत्वों को भी सम्मिलित कर लिया है। अब विधि का न केवल प्रक्रियात्मक रूप से सही होना आवश्यक है, बल्कि उसे तर्कसंगत और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए।

57. (1) केवल I, II और III
न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर जनहित में निर्देश देना है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार के अन्य अंग कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहते हैं। जनहित याचिका इस सक्रियता का मुख्य उपकरण है। यह संविधान संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि न्यायिक नवाचारों का परिणाम है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है।

58. (1) व्यादेश (Injunction)
व्यादेश एक दीवानी उपचार है जो सामान्यतः निचली अदालतों द्वारा किसी कार्य को रोकने हेतु दिया जाता है। इसके विपरीत, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण संवैधानिक रिटें हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 में है। रिटें असाधारण न्यायिक शक्तियाँ हैं जो सीधे उच्च न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी की जाती हैं। व्यादेश निजी विवादों में एक सामान्य आदेश है, जबकि रिटें सार्वजनिक प्राधिकारियों के विधिक उत्तरदायित्वों को निर्धारित करती हैं।

59. (4) मूटनेस का सिद्धांत (Doctrine of Mootness)
'निष्फलता का सिद्धांत' न्यायिक संयम का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अनुसार, यदि किसी मामले में विवाद का वास्तविक कारण समाप्त हो चुका हो, तो न्यायालय उस पर निर्णय देने से बचते हैं। न्यायपालिका अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं विवादों पर केंद्रित करती है जहाँ प्रभावी राहत प्रदान की जा सके। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायालयों का उपयोग केवल काल्पनिक प्रश्नों हेतु न होकर, केवल वास्तविक विधिक संघर्षों के निपटारे हेतु ही किया जाए।

60. (1) केवल I, II, III और IV
सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136) और अपने निर्णयों की समीक्षा (अनुच्छेद 137) जैसी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत विधिक प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्यपाल को सीधे सलाह नहीं देता; यह भूमिका उच्च न्यायालय की होती है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र संवैधानिक प्रहरी है।

61. (3) उच्च न्यायालय द्वारा विधि को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करना।
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को विधियों की संवैधानिकता जांचने का अधिकार देती है। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह प्रक्रिया शक्तियों के संतुलन का सबसे प्रभावी उदाहरण है। राज्यपाल द्वारा विधेयक रोकना कार्यकारी प्रक्रिया है, जबकि न्यायालय द्वारा विधि को निरस्त

NODIA

करना विशुद्ध न्यायिक कार्य है जो संविधान की सर्वोच्चता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करता है।

62. (1) जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
भारत में दीवानी मामलों हेतु एक क्रमिक पदानुक्रम स्थापित है। विवाद का आरंभ सबसे पहले जिला न्यायालयों से होता है। जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध, यदि उसमें विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह त्रि-स्तरीय ढांचा न्याय की क्रमिक उपलब्धता और सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम सत्ता सुनिश्चित करता है।

63. (1) मामलों की भारी लंबित संख्या और न्यायिक रिक्तियां
भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य कारण शासन के अंगों की विफलता और न्याय वितरण में होने वाला विलंब है। जब विधायिका और कार्यपालिका जनसमस्याओं के समाधान में असमर्थ रहती हैं, तो जनता न्यायपालिका की ओर देखती है। रिक्तियों के बावजूद, न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं द्वारा त्वरित राहत का प्रयास किया है। यह सक्रियता न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता से सदैव प्रेरित होती है।

64. (1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार विभिन्न अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक व्याख्या हेतु है। अनुच्छेद 133 दीवानी विवादों की अपील की व्यवस्था करता है, जबकि अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुच्छेद 136 एक विशेष प्रावधान है जो किसी भी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की असाधारण शक्ति देता है। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विधिक विवाद का समाधान उचित स्तर पर हो सके।

65. (1) अनुच्छेद 139A
अनुच्छेद 139क सर्वोच्च न्यायालय को यह विशेष अधिकार देता है कि वह किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सके। यह शक्ति तब प्रयुक्त होती है जब न्याय हेतु स्थानांतरण आवश्यक हो या समान विधिक प्रश्न विभिन्न न्यायालयों में लंबित हों। इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता लाना और पक्षकारों हेतु निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। यह एकीकृत न्यायिक प्रणाली की सर्वोच्चता को दर्शाता है।

66. (1) उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में 'पूर्ण न्याय' करना।
अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत न्यायालय अपने पास लंबित किसी भी मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो 'पूर्ण न्याय' करने हेतु आवश्यक हो। इस शक्ति का उपयोग तब किया जाता है जब मौजूदा विधि किसी विशिष्ट स्थिति में पर्याप्त राहत देने में असमर्थ हो। यद्यपि यह शक्ति अत्यंत व्यापक है, न्यायालय इसका प्रयोग संयम से करता है ताकि विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न हो।

67. (1) A and R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्वतंत्रता पूर्व, संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी परिषद में अपील होती थी। 1949 के क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था समाप्त हुई। 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय बन गया। अब भारतीय न्यायपालिका पूर्णतः संप्रभु है और इसके ऊपर कोई अन्य बाह्य न्यायिक संस्था नहीं है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ऐतिहासिक व्याख्या करते हैं।

68. (4) सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे उच्च न्यायालय को परमादेश की रिट जारी कर सकता है।
'परमादेश' रिट मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विधिक कर्तव्यों के पालन हेतु जारी की जाती है। यह रिट उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उनकी न्यायिक क्षमता में कार्य करने के दौरान जारी नहीं की जा सकती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यह न्यायिक स्वतंत्रता के अनुरूप है, जहाँ उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक भूमिका में किसी अन्य न्यायालय के परमादेश के अधीन नहीं होता है।

69. (3) न्यायपालिका का उन नीतिगत विषयों में हस्तक्षेप करना जो कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्राधिकार में हैं।
न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच विवाद का मुख्य बिंदु 'शक्तियों के पृथक्करण' का उल्लंघन है। जब न्यायपालिका नीति निर्माण में सीधे हस्तक्षेप करती है, तो इसे 'न्यायिक अतिक्रमण' कहा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायाधीशों को केवल विधियों की व्याख्या करनी चाहिए। वहीं समर्थकों का मानना है कि कार्यपालिका की निष्क्रियता में जनहित की रक्षा हेतु सक्रियता अनिवार्य है। यह संतुलन लोकतंत्र में निरंतर चर्चा का विषय है।

70. (2) केवल III
बुनियादी संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए संविधान संशोधनों पर लागू होता है। यह सिद्धांत पूर्वव्यापी प्रभाव से 1950 से लागू नहीं होता, अतः कथन III गलत है। यह सिद्धांत संसद को संशोधन से पूरी तरह नहीं रोकता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि संशोधन संविधान के मूल दर्शन को नष्ट न करें। यह न्यायपालिका को संशोधनों की समीक्षा की शक्ति देता है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों का सदैव संरक्षण हो सके।

71. (4) इसने शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किया।
वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की बुनियादी विशेषता है। न्यायालय का तर्क था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रभावी भागीदारी शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर कर सकती है। चूँकि स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय हेतु अनिवार्य है, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप वाली किसी भी प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कॉलेजियम पुनः बहाल हुआ।

Click Here to Buy book on Amazon

72. (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट सबसे प्रभावशाली उपचार है। इसके द्वारा न्यायालय हिरासत में लेने वाले अधिकारी को निर्देश देता है कि वह व्यक्ति को प्रस्तुत करे और हिरासत का कानूनी कारण बताए। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है, तो न्यायालय तत्काल रिहाई का आदेश देता है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है और राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाती है।

73. (3) पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के पश्चात शिकायतों के निवारण हेतु अंतिम न्यायिक विकल्प।
'उपचारात्मक याचिका' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'रूपा अशोक हुरा' मामले में विकसित हुई। यह न्यायिक प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि सुधारने का अंतिम अवसर है। जब पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है, तब पीड़ित पक्ष इस याचिका द्वारा पुनः विचार का आग्रह कर सकता है। इसे केवल अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में स्वीकार किया जाता है, जैसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। यह व्यवस्था न्यायिक प्रणाली में त्रुटिहीनता सुनिश्चित करती है।

74. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
न्यायिक निर्णयों में 'निर्णयाधार' वह विधिक तर्क है जिस पर निर्णय आधारित होता है। 'इतरकथन' न्यायाधीश द्वारा दी गई अतिरिक्त टिप्पणियाँ हैं जो बाध्यकारी नहीं होतीं। 'स्वतः संज्ञान' का अर्थ है जब न्यायालय स्वयं किसी घटना पर कार्यवाही आरंभ करता है। 'विचाराधीन' उन मामलों को कहते हैं जो अभी निर्णय हेतु लंबित हैं। इन विधिक शब्दावलियों का सही ज्ञान न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों और उसकी कार्यप्रणाली को समझने हेतु आवश्यक है।

75. (4) भारत के राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के अनुसार, यह त्यागपत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। चूँकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः पद छोड़ने की औपचारिक सूचना भी उन्हीं को दी जाती है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर न्यायाधीश पदमुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया संवैधानिक मर्यादा और पद की गरिमा के अनुरूप है।

76. (2) कम से कम 5 न्यायाधीश
अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, किसी भी ऐसे मामले की सुनवाई हेतु जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न हो, कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ का होना अनिवार्य है। इसे 'संवैधानिक पीठ' कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए परामर्श पर विचार हेतु भी इसी न्यूनतम गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर व्यापक विधिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था की गई है।

77. (2) केवल I, III और IV
अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है, बल्कि संसद द्वारा निर्मित विधि और न्यायालय के नियमों के अधीन है। समीक्षा मुख्य रूप से स्पष्ट विधिक त्रुटि को सुधारने हेतु की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों को बदलने हेतु स्वतंत्र है, जैसा उसने ऐतिहासिक मामलों में किया है। यह लचीलापन न्याय की गुणवत्ता और सामाजिक परिवर्तन हेतु आवश्यक है।

78. (4) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस मामले में इसका क्षेत्राधिकार 'अनन्य' और 'अंतिम' है, जिसे अन्यत्र चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि न्यायालय चुनाव को शून्य घोषित करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाते। यह प्रावधान देश के सर्वोच्च पदों की निर्वाचन शुचिता और संवैधानिक विश्वास सुनिश्चित करता है।

79. (1) व्यादेश (Injunction)
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पांच प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। व्यादेश (Injunction) एक दीवानी विधिक उपचार है जो प्रक्रियात्मक विधियों के तहत प्रदान किया जाता है; यह संवैधानिक रिटों की श्रेणी में नहीं आता। रिटों का मुख्य उद्देश्य राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करना है। व्यादेश अक्सर दो निजी पक्षों के मध्य विवादों में किसी कार्य को रोकने हेतु दिया जाने वाला सामान्य अदालती आदेश मात्र होता है।

80. (2) केवल II, III और V
अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी शक्ति देता है। उच्च न्यायालय केंद्रीय विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील संभव है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम से विमर्श करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ये प्रावधान एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

81. (2) आई.आर. कोएल्हो मामला
आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान की नौवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त नहीं है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को बुनियादी संरचना की कसौटी पर परखा जा सकता है। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह निर्णय संविधान की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करता है।

NODIA

C. अनुच्छेद 252
D. अनुच्छेद 253

सूची II: (विषय)

i. यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति।
ii. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान।
iii. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति।
iv. दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति।

(1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 'समवर्ती सूची' को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तर्क है?

(1) आवश्यक क्षेत्रीय अनुकूलन की अनुमति देते हुए देशव्यापी विधायी एकरूपता को सक्षम करना।
(2) क्षेत्रीय सरकारों को सभी स्थानीय हितों के मामलों पर पूर्ण और अनन्य नियंत्रण प्रदान करना।
(3) विभिन्न राज्य संस्थाओं को अनिर्दिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का स्थायी हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
(4) विदेशी संधियों पर बातचीत करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय संसद के दायरे को प्रतिबंधित करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:

I. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
II. श्रमिक संघ
III. बैंकिंग
IV. कृषि
V. वन

उपरोक्त में से कौन सा/से विषय सातवीं अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से राज्य सूची में रखा गया है/गए हैं?

(1) केवल II, III और V
(2) केवल I और IV
(3) केवल I, IV और V
(4) केवल I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण के संबंध में गलत सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए:

(1) पुलिस - राज्य सूची
(2) सार्वजनिक व्यवस्था - समवर्ती सूची
(3) शिक्षा - समवर्ती सूची
(4) रक्षा - संघ सूची
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों में से भिन्न विषय का चयन कीजिए:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता।
(2) स्थानीय स्वशासन।
(3) सार्वजनिक सट्टेबाजी और जुआ।
(4) कारागार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

(1) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।
(2) कृषि।
(3) वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण।
(4) मत्स्य पालन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों की मूल संख्या के आधार पर तीनों विधायी सूचियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?

(1) राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची
(2) संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची
(3) राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची
(4) संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. समवर्ती सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(1) सूची के सभी विषयों पर संयुक्त विधायी अधिकार।
(2) परस्पर विरोधी राज्य अधिनियमों पर सामान्यतः संघीय कानून की सर्वोच्चता।
(3) यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थी।
(4) आपराधिक कानून और दंड प्रक्रिया का समावेश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में 'विधायन की अवशिष्ट शक्तियां' निहित हैं?

(1) अनुच्छेद 246
(2) अनुच्छेद 248
(3) अनुच्छेद 250
(4) अनुच्छेद 254
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. केंद्रीय संसद में निहित विधायन की अवशिष्ट शक्ति में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाने की शक्ति शामिल है?

(1) केवल कृषि आय पर कर लगाना।
(2) अंतरराज्यीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहनों पर पथकर लगाना।
(3) मानवीय उपभोग के लिए मादक द्रव्यों पर उत्पाद शुल्क।
(4) कोई भी ऐसा कर जो राज्य या समवर्ती सूचियों में शामिल

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

92. (1) II, III, I
कॉलेजियम प्रणाली का विकास तीन प्रमुख न्यायिक मामलों से हुआ। 1982 के प्रथम न्यायाधीश मामले में कार्यपालिका को प्रधानता दी गई। 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी। अंत में, 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले (विशेष संदर्भ) के दौरान कॉलेजियम की वर्तमान संरचना (मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) को अंतिम रूप दिया गया। यह क्रम भारतीय न्यायिक नियुक्तियों के इतिहास में अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण मोड़ रहा है।

93. (3) विधायी और कार्यकारी अंगों की भूमिका का सम्मान करना और न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित रखना।
न्यायिक संयम वह सिद्धांत है जो न्यायाधीशों को नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप से रोकता है। यह मानता है कि लोकतंत्र में विधि निर्माण का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही है। संयम का पालन करने वाले न्यायाधीश केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब किसी विधि का संवैधानिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट उल्लंघन हो रहा हो। यह दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे संवैधानिक मर्यादा बनी रहती है।

94. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
'परमादेश' का प्रयोग अधिकारियों को कर्तव्य पालन हेतु विवश करने हेतु होता है। 'उत्प्रेषण' अधीनस्थ न्यायालयों के दोषपूर्ण आदेशों को रद्द करने का साधन है। 'अधिकार पृच्छा' पद धारण करने की वैधानिकता की जांच करती है। 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' अवैध हिरासत से मुक्त कराने हेतु आदेश है। ये रिटें संयुक्त रूप से एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, जो नागरिकों को राज्य की मनमानी शक्तियों से बचाती हैं और संवैधानिक न्याय की अवधारणा को व्यवहार में सुनिश्चित करती हैं।

95. (1) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
1997 के 'विशाखा' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु कोई विशिष्ट विधि नहीं थी। न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आधार पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक संसद विधि नहीं बना लेती, तब तक ये निर्देश विधि के समान प्रभावी रहेंगे। इसी आधार पर 2013 का अधिनियम पारित हुआ, जो न्यायिक सक्रियता द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रमुख उदाहरण है।

96. (2) न्यायालय के निर्णयों को भविष्य के साक्ष्य हेतु सुरक्षित रखना और अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति होना।
अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' है। इसके दो अर्थ हैं: प्रथम, इसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। द्वितीय, इसे अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यह दर्जा न्यायालय के प्राधिकार को सर्वोच्च बनाता है और सुनिश्चित करता है कि इसके द्वारा स्थापित विधिक मिसालें पूरे देश में विधि के रूप में मान्य रहें।

97. (2) केवल I, III और IV
'प्रतिषेध' रिट का मुख्य कार्य अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमाओं से बाहर जाने से रोकना है। चूँकि यह कार्यवाही को रोकने का आदेश है, इसलिए इसे 'निवारक' माना जाता है। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। इसे प्रशासनिक अधिकारियों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करती है कि निचली अदालतें केवल अधिकृत मामलों की ही सुनवाई करें, जिससे न्यायिक अनुशासन सदैव बना रहता है।

NODIA

98. (1) भारत की संचित निधि पर
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित व्यय पर संसद में केवल चर्चा हो सकती है, परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश वित्तीय रूप से कार्यपालिका के अधीन न रहें। यह आर्थिक सुरक्षा न्यायपालिका को निष्पक्ष निर्णय लेने और बिना किसी भय या प्रलोभन के अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने की शक्ति प्रदान करती है। यह स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था हेतु अत्यंत अनिवार्य है।

99. (3) जनहित याचिका (PIL)
'वाद लाने के अधिकार' के पारंपरिक नियम में जनहित याचिका द्वारा ढील दी गई ताकि वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। अब कोई भी जागरूक नागरिक सार्वजनिक हित के मुद्दों पर पीड़ितों की ओर से याचिका दायर कर सकता है। इस उदारता ने भारतीय न्यायपालिका को अधिक समावेशी बनाया है और मानवाधिकारों तथा पर्यावरण जैसे व्यापक मुद्दों पर त्वरित न्यायिक हस्तक्षेप संभव किया है। इससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है और न्याय की पहुँच प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित हुई है।

100. (2) केवल I, II, III और IV
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, परंतु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी इसकी बैठकें आयोजित कर सकते हैं। न्यायालय के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और न्यायाधीशों को असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। अतः सर्वसम्मत निर्णयों की अनिवार्यता वाला विचार त्रुटिपूर्ण है। इसके निर्णय पूरे भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, जो देश के एकीकृत न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

www.nodia.in

है।
(3) अलग-अलग राज्य विधानसभाओं द्वारा स्वतंत्र संशोधन के अधीन रहता है।
(4) अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए विधायी वैधता रखता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. संसद को राज्य सूची में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने वाले निम्नलिखित विधायी उपकरणों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित)
II. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल)
III. अनुच्छेद 252 (राज्यों की सहमति)
IV. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)
उपरोक्त में से किस प्रावधान के तहत राज्य विधानमंडल उसी विषय पर कानून बनाने की अपनी समवर्ती शक्ति नहीं खोता है (यद्यपि यह असंगति के नियमों के अधीन है)?
(1) केवल I और II
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है?
(1) अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करते समय।
(2) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान।
(3) जब अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
(4) जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. सूची-I में उन परिस्थितियों को सुमेलित कीजिए जिनके तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, तथा सूची-II में उनके संबंधित उदाहरणों या विशेषताओं को सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधायी परिस्थितियाँ)
A. राज्यसभा संकल्प
B. राष्ट्रीय आपातकाल
C. राज्यों की सहमति
D. अंतर्राष्ट्रीय समझौता
सूची II: (उदाहरण या विशेषताएँ)
i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
ii. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन
iii. जब तक नवीनीकृत न हो, अधिकतम 1 वर्ष के लिए मान्य
iv. आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित हो सके:
(1) राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश।
(2) अंतर-राज्य परिषद द्वारा तैयार किए गए नीतिगत निर्देश।
(3) संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और लागू मौजूदा कानूनों का अनुपालन।
(4) क्षेत्रीय परिषदों द्वारा पारित क्षेत्रीय संकल्प।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव।
II. राज्य के भीतर रेलवे के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय।
III. भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।
IV. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं का निष्पादन।
V. स्थानीय पुलिस बलों की दिन-प्रतिदिन की तैनाती।
उपरोक्त में से किन मामलों के संबंध में संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है?
(1) केवल I, III, IV और V
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. संघ और राज्यों के बीच कार्यकारी कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की सहमति से उन्हें संघीय कार्य सौंपना।
(2) राज्यपाल द्वारा संघ की सहमति से उसे राज्य के कार्य सौंपना।
(3) राज्य द्वारा संघ को कार्यों का एकतरफा हस्तांतरण।
(4) संसद द्वारा राज्यों की सहमति के बिना उन्हें संघीय कार्य सौंपना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. अनुच्छेद 256 (राज्यों और संघ के दायित्व) के लागू होने के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सबसे उपयुक्त कानूनी व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) निर्देश केवल औपचारिक आपातकाल की स्थिति के दौरान जारी किए जाते हैं।
(2) प्रशासनिक संवाद के बाद केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण।

Click Here to Buy book on Amazon

(2) विशिष्ट मामलों में संघ से अलग होने का राज्य सरकारों का काल्पनिक अधिकार।
(3) राज्य विधानसभाओं की भागीदारी वाली राष्ट्रपति के चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि।
(4) एकात्मक झुकाव जो संघ को आपातकाल के दौरान केंद्रीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार को परिभाषित करता है।
II. अनुच्छेद 246 संसद को किसी भी परिस्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने से पूरी तरह रोकता है।
III. अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत के संविधान के अनुसार, 'राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन' वाले कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?
(1) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास
(2) केवल राज्य विधानमंडलों के पास
(3) केवल संसद के पास
(4) अनन्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के पास
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए:
कथन (A): समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, जो संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के विरुद्ध है, फिर भी उस राज्य में प्रभावी हो सकता है।
कारण (R): यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उसे उनकी सहमति मिल गई है, तो वह उस राज्य में संसदीय कानून पर प्रभावी होता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. संघ-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में 'छद्म विधान के सिद्धांत' का तात्पर्य है कि:
(1) किसी कानून की वैधता विधायिका के उद्देश्यों पर निर्भर करती है।
(2) संसद अस्थायी रूप से राज्य विधायिका की शक्तियां ग्रहण कर सकती है।
(3) राज्य के कानून हमेशा केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक रंग के अनुरूप होने चाहिए।
(4) कोई विधायिका वह काम परोक्ष रूप से नहीं कर सकती जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से करने में सक्षम नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. 'क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होता है।
II. यदि राज्य और विषय-वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध है, तो राज्य विधायिका ऐसे कानून बना सकती है जिनका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन हो।
III. जिस वस्तु पर कर लगाया जाना है, वह हर समय राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित होनी चाहिए।
IV. सर्वोच्च न्यायालय ने लॉटरी पर राज्य के कराधान से संबंधित मामलों में इस सिद्धांत को लागू किया है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. संविधान के अनुच्छेद 253 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: संसद के पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है।
कथन II: राज्य सूची के विषयों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने हेतु संसद को अधिकांश राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. सूची-I में दिए गए अनुच्छेदों को सूची-II में उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संविधान के अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 249
B. अनुच्छेद 250

Downloaded from www.pdf.tube

82. (1) I, IV, II, III
भारत में जनहित याचिका का विकास क्रमिक रहा है। 1979 के 'हुसैनआरा खातून' मामले ने विचाराधीन कैदियों की समस्या उठाई। 1980 के 'सुनील बत्रा' मामले ने जेल सुधारों पर ध्यान दिया। 1986 के 'एम.सी. मेहता' मामले ने पर्यावरण और उद्योग उत्तरदायित्व के नए आयाम स्थापित किए। अंत में, 1997 के 'विशाखा' मामले ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध ऐतिहासिक दिशा-निर्देश दिए। यह विकास दर्शाता है कि न्यायपालिका सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय है।

83. (3) इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है क्योंकि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
कॉलेजियम प्रणाली की मुख्य आलोचना इसकी अपारदर्शी प्रक्रिया है, जिसे 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति' कहा जाता है। आलोचकों का मानना है कि इसमें नियुक्तियों हेतु कोई सार्वजनिक मापदंड नहीं हैं, जिससे पक्षपात की संभावना रहती है। सरकार ने इसे बदलने हेतु आयोग का प्रयास किया था, जिसे न्यायपालिका ने स्वायत्तता में हस्तक्षेप मानकर रद्द कर दिया। यह बहस वर्तमान में भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।

84. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख और 'पंजिका के स्वामी' होते हैं। महान्यायवादी केंद्र सरकार हेतु और महाधिवक्ता राज्य सरकार हेतु सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं। जिला न्यायाधीश जिले में न्यायिक प्रशासन और दीवानी मामलों हेतु शीर्ष अधिकारी होते हैं। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि सरकार को उचित विधिक परामर्श मिले और नागरिकों को स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक व्यवस्थित न्याय प्राप्त हो सके।

85. (3) कॉलेजियम के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश की।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसा केवल मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के पश्चात ही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित और न्याय के प्रशासन हेतु ही किया जाए।

86. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
विधि की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमानना से ऊपर नहीं है। यदि कोई न्यायाधीश स्वयं न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भी अवमानना की कार्यवाही संभव है। 'न्यायालय अवमानना अधिनियम' स्पष्ट करता है कि न्यायाधीशों को उनके न्यायिक आचरण हेतु जवाबदेह बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका के भीतर भी अनुशासन और विधि का शासन समान रूप से प्रभावी रहे, जिससे संस्था की गरिमा बनी रहे।

87. (1) A and R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। यह शक्ति मुख्य रूप से न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा व्यक्त होती है। यदि संसद ऐसी कोई विधि बनाती है जो संविधान के प्रावधानों का हनन करती हो, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। केशवानंद भारती मामले के पश्चात, न्यायालय संविधान के मूल ढांचे की रक्षा भी करता है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं और न्यायपालिका की प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करते हैं।

88. (1) अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के दायरे का विस्तार।
न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या है। न्यायालय ने 'जीवन के अधिकार' में सम्मानजनक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक आयामों को सम्मिलित किया है। यह विस्तार मुख्य रूप से जनहित याचिकाओं और सक्रिय हस्तक्षेप के कारण संभव हुआ है। इससे नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ता मिली है और शासन को अधिक जवाबदेह बनाया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की संवैधानिक अवधारणा वास्तविक रूप में चरितार्थ हुई है।

89. (3) न्यायालय को अनिवार्य रूप से अपनी राय देनी होगी।
अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार क्षेत्राधिकार दो प्रकार का है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायालय राय देने से इनकार कर सकता है। परंतु, यदि राष्ट्रपति संविधान-पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद पर राय मांगते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय हेतु अपनी राय देना अनिवार्य हो जाता है। यह प्रावधान इसलिए है ताकि ऐतिहासिक समझौतों के विधिक पहलुओं पर सरकार को आधिकारिक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और संभावित संवैधानिक संकटों का निवारण हो सके।

90. (1) केवल I
न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु प्रशासनिक व्यय और न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। अतः कथन I गलत है क्योंकि ये व्यय मतदान के अधीन नहीं हैं। संसद क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है परंतु कम नहीं कर सकती। नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीशों के वित्तीय लाभों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सभी उपाय न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु किए गए हैं।

91. (3) अनुच्छेद 145
अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति देता है। इन नियमों हेतु राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। इसके अंतर्गत सुनवाई के तरीके और न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या संबंधी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यह शक्ति न्यायालय को अपनी आंतरिक कार्यकुशलता और स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। इससे न्यायिक प्रशासन सुचारु रूप से कार्य करता है और त्वरित न्याय सुनिश्चित होता है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्र कार्यपद्धति का आधार है।

NODIA

नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. सूची-I में संघीय देशों को सूची-II में उनकी अवशिष्ट शक्तियों के स्थान के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संघीय देश)
A. भारत
B. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. कनाडा
D. ऑस्ट्रेलिया
सूची II: (अवशिष्ट शक्तियों का स्थान)
i. केंद्र में निहित
ii. राज्यों में निहित
iii. संघ में निहित
iv. राज्यों में निहित
(1) A-i, B-ii, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर सेवा कर लगाने की केंद्र सरकार की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती थी?
(1) राज्य सूची से
(2) समवर्ती सूची से
(3) अवशिष्ट शक्तियों से
(4) संविधान की प्रस्तावना से
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. विधायी अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: भारत की संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया, जिसने अपनी शक्ति विधायन की अवशिष्ट शक्तियों से प्राप्त की।
कथन II: जब संविधान बनाया गया था, तब साइबर कानून स्पष्ट रूप से तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं थे।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. भारतीय संविधान के संदर्भ में 'अवशिष्ट शक्तियां' शब्द का तात्पर्य है:
(1) क्षमादान प्रदान करने की राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां।
(2) केंद्र के लिए विधेयकों को आरक्षित करने का राज्यपाल का अधिकार।
(3) केंद्रीय कार्यपालिका के पास असाधारण आपातकालीन शक्तियां।
(4) उन विषयों पर विधायी अधिकार जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए:
I. जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प पारित करती है।
II. जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
III. जब किसी एक राज्य की विधानसभा संसद से ऐसा करने का अनुरोध करती है।
उपरोक्त में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है?
(1) केवल II और III
(2) केवल I और II
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक संकल्प, जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त बनाता है, प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है?
(1) छह महीने
(2) एक वर्ष
(3) दो वर्ष
(4) तीन वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर कीजिए:
कथन (A): अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संकल्प के प्रभावी न रहने के छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है।
कारण (R): अनुच्छेद 249 के तहत बनाए गए कानून प्रकृति में अस्थायी होते हैं और उनकी वैधता राज्यसभा के संकल्प के जारी रहने पर निर्भर करती है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. अनुच्छेद 252 के तहत, यदि दो या अधिक राज्य संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए संकल्प पारित करते हैं, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून:
(1) केवल संबंधित राज्यों और बाद में इसे अपनाने वाले राज्यों पर लागू होता है।
(2) भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य पर स्वतः लागू हो जाता

Click Here to Buy book on Amazon

के पास होता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. संविधान के अनुच्छेद 312 के संदर्भ में निम्नलिखित सेवाओं में से भिन्न सेवा का चयन कीजिए:
(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा
(2) भारतीय पुलिस सेवा
(3) भारतीय वन सेवा
(4) भारतीय विदेश सेवा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) भारतीय वन सेवा - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा - गृह मंत्रालय।
(3) भारतीय पुलिस सेवा - कार्मिक मंत्रालय।
(4) भारतीय पुलिस सेवा - रक्षा मंत्रालय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. निम्नलिखित सदस्यों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
II. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
III. प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
IV. भारत के मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्य परिषद का हिस्सा उपरोक्त में से कौन हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. भारत के संविधान द्वारा किसे अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार दिया गया है?
(1) संसद को
(2) भारत के राष्ट्रपति को
(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश को
(4) प्रधानमंत्री को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर कीजिए:
कथन (A): अंतर-राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और संघ या राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
कारण (R): अनुच्छेद 263 के अनुसार परिषद का कार्य विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना तथा नीति के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार औपचारिक रूप से अंतर-राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(1) 1983
(2) 1988
(3) 1990
(4) 1992
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए:
I. राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना।
II. उन विषयों की जांच करना जिनमें राज्यों का साझा हित हो।
III. नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना।
IV. अंतर-राज्यीय नदी जल पर कानूनी विवादों का न्यायनिर्णयन करना।
अंतर-राज्य परिषद के लिए अनुच्छेद 263 के तहत उपरोक्त में से किसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है?
(1) केवल II, III और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) I, II, III और IV
(4) केवल I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श के लिए की गई थी।
कथन II: प्रधानमंत्री अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. सूची-I में दिए गए निकायों को सूची-II में उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (निकाय)
A. अंतर-राज्य परिषद
B. क्षेत्रीय परिषदें
C. नीति आयोग
D. राष्ट्रीय विकास परिषद
सूची II: (विशिष्ट विशेषताएँ)

NODIA

(3) अनुपालन लागू करने में संघ की अक्षमता।
(4) आदेशों को लागू करने से पहले न्यायिक स्थगन प्राप्त करने का राज्य का अधिकार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. कार्यकारी कार्यों को सौंपने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: केंद्र सरकार सशर्त या बिना शर्त किसी राज्य सरकार को ऐसे किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकती है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
कथन II: ऐसी सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च का भुगतान संघ द्वारा राज्य को किया जाना है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. जब कोई राज्य अनुच्छेद 256 के तहत संघ द्वारा दिए गए वैध निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो निम्नलिखित संवैधानिक चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर विचार करते हैं।
II. संघ राज्य को एक औपचारिक कार्यकारी निर्देश जारी करता है।
III. राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं।
IV. अनुच्छेद 365 लागू किया जाता है जिससे यह स्थापित होता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
(1) II, IV, I, III
(2) II, I, IV, III
(3) I, II, IV, III
(4) IV, II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) नदी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है।
(2) अंतर-राज्य परिषद अंतिम न्यायनिर्णयन तंत्र के रूप में कार्य करती है।
(3) संसद कानूनी रूप से ऐसे विवादों से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है।
(4) राष्ट्रपति उन न्यायाधिकरणों का गठन करते हैं जो केवल सलाहकार निर्णय प्रदान करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है?
(1) अनुच्छेद 310
(2) अनुच्छेद 312
(3) अनुच्छेद 315
(4) अनुच्छेद 320
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए किसके द्वारा संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है?
(1) उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से लोकसभा।
(2) अंतर-राज्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति।
(3) राज्य अनुसमर्थन के साथ संसदीय विशेष बहुमत।
(4) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा का संकल्प।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. सूची-I में समितियों/आयोगों को सूची-II में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उनकी संबंधित सिफारिशों/विचारों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समितियाँ/आयोग)
A. राजमन्नार समिति
B. सरकारिया आयोग
C. आनंदपुर साहिब संकल्प
D. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
सूची II: (अखिल भारतीय सेवाओं पर सिफारिशें)
i. अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने और नई सेवाओं के निर्माण का समर्थन किया
ii. आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की
iii. विकेंद्रीकरण का आह्वान किया, जिससे राज्यों में केंद्रीय सेवाओं की भूमिका कम हो गई
iv. सेवाओं को बनाए रखने पर जोर दिया लेकिन राज्यों के परामर्श का आग्रह किया
(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस और आईपीएस) के संदर्भ में, संघ और राज्यों के बीच अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
(1) तत्काल और अंतिम नियंत्रण दोनों राज्य सरकार के पास होते हैं।
(2) तत्काल और अंतिम नियंत्रण दोनों केंद्र सरकार के पास होते हैं।
(3) तत्काल नियंत्रण राज्य के पास और अंतिम नियंत्रण संघ के पास होता है।
(4) तत्काल नियंत्रण संघ के पास और अंतिम नियंत्रण राज्य

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 07
संघ-राज्य संबंध

1. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की एक पारंपरिक संघीय विशेषता नहीं मानी जाती है?
(1) दोहरी राजव्यवस्था
(2) एकल नागरिकता
(3) शक्तियों का विभाजन
(4) संविधान की सर्वोच्चता
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: भारतीय संविधान को कठोर माना जाता है क्योंकि संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
कथन II: केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना आवश्यक है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संदर्भ में 'दोहरी राजव्यवस्था' की अवधारणा को सही ढंग से परिभाषित करता है?
(1) एक संसदीय संरचना जिसमें प्रतिनिधित्व और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग विधायी सदन होते हैं।
(2) कार्यपालिका शाखा का एक औपचारिक नाममात्र के प्रमुख और एक सक्रिय वास्तविक प्रमुख में प्रशासनिक विभाजन।
(3) सरकार के दो स्तर—संघ और राज्य—जो अपने निर्धारित क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
(4) एक एकीकृत न्यायिक ढांचा जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्य उच्च न्यायालय शामिल हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. सूची-I में दी गई भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को सूची-II में उनके प्राथमिक स्रोत या प्रेरणा के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं)
A. सशक्त केंद्र के साथ संघ
B. समवर्ती सूची
C. राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
D. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
सूची II: (प्राथमिक स्रोत या प्रेरणा)
i. ऑस्ट्रेलिया का संविधान
ii. कनाडा का संविधान
iii. जापान का संविधान
iv. आयरलैंड का संविधान
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में कठोर संघीय सिद्धांत के अपवाद का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) एक औपचारिक लिखित दस्तावेज को अपनाना जो स्पष्ट रूप से केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तरों की शक्तियों को परिभाषित करता है।
(2) विधायी विषयों का तीन अलग-अलग सूचियों में व्यवस्थित वितरण।
(3) राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को एकतरफा बदलने का संसद का अधिकार।
(4) कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करने वाले एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय को बनाए रखना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. संघीय ढांचे में 'संविधान की सर्वोच्चता' के सिद्धांत का मुख्य रूप से तात्पर्य है कि:
(1) संविधान के प्रत्येक भाग को संशोधित करने के लिए संसद द्वारा पूर्ण शक्ति का प्रयोग।
(2) यह आवश्यकता कि सभी संघ और राज्य कानून कड़ाई से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।
(3) संविधान के पाठ को अद्यतन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक शक्ति।
(4) दस्तावेज की अंतिम व्याख्या प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत राज्यों की विधायी क्षमता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. भारत को अक्सर एक 'अर्ध-संघीय' राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। इस वर्गीकरण का प्राथमिक कारण क्या है?
(1) ऐतिहासिक तथ्य कि मूल संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं किया गया था।

NODIA

i. योजना आयोग के स्थान पर कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित निकाय।
ii. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय।
iii. अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय।
iv. पारंपरिक रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने से जुड़ा निकाय।
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. संविधान का अनुच्छेद 275 'वैधानिक अनुदान' का प्रावधान करता है। ये अनुदान संघ द्वारा किसे दिए जाते हैं?
(1) सामान्य विकासात्मक उद्देश्य के लिए सभी राज्य सरकारों को।
(2) बड़ी शहरी बुनियादी ढांचा योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को।
(3) सीधे स्थानीय प्रशासनिक निकायों को।
(4) विशेष रूप से वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. केंद्रीय कराधान के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए:
I. निगम कर
II. सीमा शुल्क
III. कुछ करों पर अधिभार
IV. विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपकर
V. आयकर
वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के विभाज्य पूल का हिस्सा बनने वाली मदों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और V
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल III और IV
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों की ऋण लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राज्य का ऋण लेना भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर तक सीमित है।
(2) राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर ऋण लेना।
(3) बकाया केंद्रीय ऋणों के बावजूद राज्यों द्वारा एकतरफा ऋण लेना।
(4) राज्य ऋणों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गारंटी का प्रावधान।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाने वाले 'विवेकाधीन अनुदान' मुख्य रूप से किसके लिए हैं?
(1) संघ की विधायी क्षमता की परवाह किए बिना किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।
(2) वित्त आयोग द्वारा परिभाषित अनिवार्य कर हस्तांतरण।
(3) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बकाया ऋणों का पुनर्भुगतान।
(4) विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वित्तीय सहायता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. अधिभार लगाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 271 संसद को किसी भी समय अनुच्छेद 269 और 270 में संदर्भित शुल्क या कर को संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाने की अनुमति देता है।
कथन II: ऐसे अधिभार की प्राप्तियां विभाज्य पूल का हिस्सा बनती हैं और उन्हें राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को बढ़ते हुए संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. वैधानिक अनुदान
II. वित्त आयोग
III. संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर
IV. राज्यों द्वारा ऋण लेना
(1) III, I, II, IV
(2) I, III, II, IV
(3) III, II, I, IV
(4) I, II, III, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा नहीं लगाया जाता है बल्कि राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है (अनुच्छेद 268)?
(1) विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क
(2) औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क
(3) कृषि आय पर कर
(4) बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग में शामिल होते हैं:
(1) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य।
(2) प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य।

Click Here to Buy book on Amazon

राष्ट्रपति शासन में संसद को सीधे राज्य सूची में हस्तक्षेप करने और विधि निर्माण का स्पष्ट अधिकार प्राप्त होता है।

34. (4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
राज्यसभा का संकल्प राष्ट्रीय हित में संसद को विधायी शक्ति देता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निर्मित विधियां समाप्ति के छह माह बाद निष्प्रभावी होती हैं। राज्यों की सहमति (अनुच्छेद 252) का उदाहरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 है। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन हेतु बिना राज्यों की अनुमति के किसी भी विषय पर विधान निर्माण का अधिकार प्रदान करता है, जो अनिवार्य है।

35. (3) संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और लागू मौजूदा कानूनों का अनुपालन।
अनुच्छेद 256 प्रशासनिक संबंधों का आधार है। यह प्रत्येक राज्य पर संवैधानिक दायित्व डालता है कि वह अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संसद द्वारा निर्मित विधियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। यह प्रावधान संघ की प्राथमिकता स्थापित करता है। यदि राज्य विफल रहता है, तो केंद्र आवश्यक निर्देश दे सकता है, जिनका पालन करना राज्य के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

36. (4) केवल I, II, III और IV
संविधान केंद्र को राज्यों हेतु विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश देने की अनुमति देता है। इनमें सैन्य महत्व के संचार साधनों का रखरखाव, रेल सुरक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा सुविधाएं और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजनाएं सम्मिलित हैं। ये निर्देश राष्ट्रीय हित में दिए जाते हैं। स्थानीय पुलिस बलों की तैनाती राज्य का आंतरिक विषय है, अतः केंद्र इसमें दैनिक हस्तक्षेप सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकता।

37. (3) राज्य द्वारा संघ को कार्यों का एकतरफा हस्तांतरण।
केंद्र और राज्यों के मध्य कार्यकारी कार्यों का आदान-प्रदान आपसी सहमति पर आधारित होता है। राष्ट्रपति राज्यों की सहमति से उन्हें संघीय कार्य सौंप सकते हैं। राज्यपाल केंद्र की सहमति से उसे राज्य के कार्य सौंप सकते हैं। संसद विधि बनाकर राज्यों को संघीय कार्य सौंप सकती है। किंतु, कोई भी राज्य सरकार एकतरफा और बिना केंद्र की पूर्व सहमति के अपने कार्य संघ को नहीं सौंप सकती।

38. (2) प्रशासनिक संवाद के बाद केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण।
अनुच्छेद 256 के तहत निर्देश जारी करना गंभीर संवैधानिक कदम है। इसका उपयोग केंद्र तब करता है जब राज्य संसदीय विधियों के अनुपालन में उपेक्षा बरतते हैं। सहकारी संघवाद की भावना में इसे अंतिम विकल्प माना जाता है। पहले प्रशासनिक संवाद से समाधान निकाला जाता है। यदि राज्य अवज्ञा करता है, तभी निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि इनका उल्लंघन राज्य में राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है।

39. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति राज्य की सहमति से उसे केंद्र के कार्यकारी कार्य सौंप सकते हैं। चूँकि राज्य केंद्र की ओर से कार्य करता है, अतः उन कार्यों को पूर्ण करने में होने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय की भरपाई केंद्र द्वारा करना अनिवार्य है। यह राशि आपसी समझौते या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रशासनिक और वित्तीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

40. (1) II, IV, I, III
संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, सर्वप्रथम केंद्र राज्य को अनुच्छेद 256 या 257 के तहत निर्देश देता है। यदि राज्य पालन नहीं करता, तो अनुच्छेद 365 लागू होता है। इसके आधार पर राष्ट्रपति यह मानते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता। अंततः, अनुच्छेद 356 के तहत औपचारिक उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह क्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा सुनिश्चित करता है।

41. (3) संसद कानूनी रूप से ऐसे विवादों से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है।
अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु विधि निर्माण की शक्ति देता है। संसद इन विवादों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकती है। इसके तहत 'अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया गया, जो विशेष न्यायाधिकरणों का प्रावधान करता है। इन न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिससे जल संसाधनों का उचित और शांतिपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

42. (2) अनुच्छेद 312
अनुच्छेद 312 संसद को नवीन अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। इन सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों के अधीन कार्य करते हैं, जो प्रशासनिक एकता सुनिश्चित करते हैं। इसकी प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा पारित विशेष संकल्प से प्रारंभ होती है। यह अनुच्छेद भारतीय संघवाद की विशेषता है जहाँ राष्ट्रीय महत्व के प्रशासनिक ढांचे हेतु राज्यों के प्रतिनिधि सदन (राज्यसभा) को विशेष अधिकार दिए गए हैं।

43. (4) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा का संकल्प।
नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है कि राष्ट्रहित में ऐसी सेवा आवश्यक है। चूँकि इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों के प्रशासन में महत्वपूर्ण होते हैं, अतः राज्यसभा के माध्यम से राज्यों की सहमति प्राप्त करना संघीय संतुलन हेतु एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है।

44. (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
राजमन्नार समिति ने राज्यों की स्वायत्तता हेतु आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने का सुझाव दिया। सरकारिया आयोग ने इन सेवाओं को राष्ट्रीय एकता हेतु अनिवार्य मानकर

NODIA

71. जीएसटी परिषद में मतदान संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई भारित बहुमत से लिया जाता है।
(2) केंद्र सरकार के मत का भार कुल मतों का एक-तिहाई होता है।
(3) सभी राज्य सरकारों के संयुक्त मतों का भार कुल मतों का दो-तिहाई होता है।
(4) किसी राज्य के मत का भार उसकी जनसंख्या के सीधे आनुपातिक होता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए:
I. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
II. राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)
III. प्रवेश कर
IV. मूल सीमा शुल्क
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत समाहित किए गए करों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. भारत में वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई मदों के संदर्भ में निम्नलिखित मदों में से भिन्न मद का चयन कीजिए:
(1) शराब (मानवीय उपभोग हेतु)
(2) कच्चा पेट्रोलियम
(3) इलेक्ट्रॉनिक सामान
(4) विमानन ईंधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. सूची-I में जीएसटी घटकों को सूची-II में उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (जीएसटी घटक)
A. सीजीएसटी
B. एसजीएसटी
C. आईजीएसटी
D. यूटीजीएसटी
सूची II: (विशिष्ट विशेषताएँ)
i. अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है
ii. इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है
iii. बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है
iv. इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर राज्यों द्वारा लगाया जाता है
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. राज्य का राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक 'संवैधानिक कड़ी' के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस दोहरी भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है?
(1) मुख्यमंत्री को हटाकर काम करने वाला कर्मचारी।
(2) संघ की ओर से राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि।
(3) स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला कानून प्रवर्तक।
(4) राज्य का संवैधानिक प्रमुख और संघ का प्रतिनिधि।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।
II. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
III. मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी जानकारी मांगना।
IV. खनिजों से रॉयल्टी के रूप में देय राशि का निर्धारण करना (असम)।
V. प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति।
उपरोक्त में से किन मामलों में राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, II और III
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

77. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए बाध्य है यदि वह विधेयक:
(1) राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित है।
(2) कृषि आय पर कर लगाता है।
(3) राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है।
(4) विधानसभा सदस्यों के वेतन से संबंधित है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. जब राज्य विधानमंडल एक विधेयक पारित करता है जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, तो कार्यों का सही क्रम क्या है?
(1) राज्यपाल विधेयक आरक्षित करता है → राष्ट्रपति सहमति देता है → राज्य विधानमंडल 6 महीने में पुनर्विचार करता है → राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है।
(2) राज्यपाल विधेयक आरक्षित करता है → राष्ट्रपति राज्यपाल को इसे वापस करने का निर्देश देता है → राज्य विधानमंडल 6 महीने में पुनर्विचार करता है → पुनः प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है।
(3) राज्यपाल विधेयक वापस करता है → राज्य विधानमंडल इसे फिर से पारित करता है → राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है → राष्ट्रपति सहमति देने हेतु

95. केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
(1) 2000
(2) 2004
(3) 2007
(4) 2011
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 355 के तहत 'स्थानीय आपातकाल' का प्रावधान।
II. राज्यपाल को पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
III. राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण।
IV. राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
V. अंतर-राज्य परिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाना।
उपरोक्त में से कौन पुंछी आयोग की सिफारिशों में शामिल थे?
(1) केवल I, III, IV और V
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. राज्यपाल को हटाने के संबंध में पुंछी आयोग के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) मनमाने ढंग से बर्खास्तगी की आलोचना।
(2) सिफारिश की कि राज्यपाल को 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' कार्य करना जारी रखना चाहिए।
(3) संविधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' शब्द को हटाना।
(4) राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया की सिफारिश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. निम्नलिखित विषयों में से उस विषय का चयन कीजिए जो पुंछी आयोग के फोकस का क्षेत्र नहीं था:
(1) संपत्ति के मौलिक अधिकार का उन्मूलन
(2) सांप्रदायिक हिंसा और केंद्रीय बलों की भूमिका
(3) आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था
(4) राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. राज्यपाल के कार्यकाल पर सरकारिया और पुंछी आयोगों के तुलनात्मक रुख के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) सरकारिया ने निश्चित कार्यकाल का आग्रह किया; पुंछी ने विरोध किया।
(2) सरकारिया ने राज्य द्वारा हटाने का आग्रह किया; पुंछी ने संघ द्वारा।
(3) सरकारिया ने स्थिर कार्यकाल का समर्थन किया; पुंछी ने महाभियोग का समर्थन किया।
(4) सरकारिया ने महाभियोग का आग्रह किया; पुंछी ने मुख्यमंत्री द्वारा चयन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. संघ-राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित आयोगों/समितियों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. पुंछी आयोग
II. राजमन्नार समिति
III. सरकारिया आयोग
IV. संविधान समीक्षा आयोग
(1) II, III, IV, I
(2) III, II, I, IV
(3) II, IV, III, I
(4) IV, II, III, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर कीजिए:
कथन (A): अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई मामले में निर्णय दिया कि यदि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण है, तो अदालत इसे रद्द कर सकती है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए:
I. जहाँ राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है।
II. जहाँ त्रिशंकु विधानसभा बनती है और कोई दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता।
III. जहाँ राज्य मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है और कोई अन्य विकल्प नहीं होता।
IV. जहाँ राज्य में सत्तारूढ़ दल को लोकसभा चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ता है।
एस.आर. बोम्मई मामले के अनुसार, उपरोक्त में से कौन सा अनुच्छेद 356 का 'उचित' उपयोग माना जाता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल I और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी?
(1) 1969
(2) 1977
(3) 1983
(4) 1990
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. सरकारिया आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: इसने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की मांग को खारिज कर दिया।
कथन II: इसने सिफारिश की कि कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास रहनी चाहिए।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. अनुच्छेद 356 के संबंध में सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी?
(1) संविधान से इस अनुच्छेद को हटाना।
(2) कानून व्यवस्था के मामूली बिगड़ने पर इसका उपयोग।
(3) राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना इसे लागू करना।
(4) चरम परिस्थितियों में अंतिम विकल्प के रूप में इसका उपयोग करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. 1990 में अंतर-राज्य परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?
(1) राजमन्नार समिति
(2) सरकारिया आयोग
(3) पुंछी आयोग
(4) वेंकटचलैया आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

93. निम्नलिखित में से कौन सी सरकारिया आयोग की सिफारिश नहीं थी?
(1) समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
(2) राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जिसने हाल के अतीत में राजनीति में सक्रिय भूमिका न निभाई हो।
(3) राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए।
(4) क्षेत्रीय परिषदों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. सूची-I में आयोगों को सूची-II में उनकी सिफारिशों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आयोग/समितियाँ)
A. राजमन्नार समिति
B. सरकारिया आयोग
C. पुंछी आयोग
D. संविधान समीक्षा आयोग
सूची II: (सिफारिशें)
i. अनुच्छेद 355 के तहत 'स्थानीय आपातकाल' की सिफारिश की
ii. अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग स्थापित करने का सुझाव
iii. अनुच्छेद 356 और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश
iv. संधि-निर्माण प्रक्रिया को संस्थागत बनाने का सुझाव
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. (4) कोई विधायिका वह काम परोक्ष रूप से नहीं कर सकती जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से करने में सक्षम नहीं है।
छद्म विधान का सिद्धांत संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन को रोकने हेतु न्यायपालिका का एक उपकरण है। यह तब लागू होता है जब विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय पर विधि बनाती है, किंतु उसे संवैधानिक दिखाने का प्रयास करती है। न्यायालय विधि के वास्तविक स्वरूप की जांच करता है। यदि अंतर्वस्तु विधायी क्षमता से बाहर हो, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है।

12. (2) केवल II and IV
क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल की विधि राज्य के बाहर भी प्रभावी हो सकती है, यदि राज्य और वस्तु के मध्य पर्याप्त संबंध हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह संबंध वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। उदाहरणार्थ, यदि लॉटरी का आयोजन किसी राज्य में हो रहा है और टिकट अन्य राज्यों में विक्रय हो रहे हैं, तो वह राज्य उस पर कर लगा सकता है।

13. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। इस शक्ति के प्रयोग हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। यह प्रावधान केंद्र को वैश्विक उत्तरदायित्वों को बिना किसी विधायी बाधा के पूरे देश में लागू करने में सक्षम बनाता है, जो अनिवार्य है।

14. (4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
संसद विभिन्न परिस्थितियों में राज्य सूची पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के प्रस्ताव पर शक्ति देता है। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को विधायी अधिकार देता है। अनुच्छेद 252 तब लागू होता है जब दो या अधिक राज्य स्वयं संसद से अनुरोध करते हैं। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन हेतु संसद को विधि निर्माण का अधिकार देता है।

15. (1) आवश्यक क्षेत्रीय अनुकूलन की अनुमति देते हुए देशव्यापी विधायी एकरूपता को सक्षम करना।
समवर्ती सूची का उद्देश्य उन विषयों को समाहित करना है जहाँ राष्ट्रीय एकरूपता के साथ स्थानीय लचीलापन आवश्यक है। इसमें आपराधिक विधि, शिक्षा और वन जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। केंद्र और राज्य दोनों इन पर विधि बना सकते हैं। यह सूची संघीय व्यवस्था में टकराव कम करने और केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी सहयोग एवं प्रशासनिक सुगमता को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी माध्यम है।

16. (2) केवल I और IV
सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के विषय हैं। कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान भी राज्य सूची में सम्मिलित हैं, जिस पर विधानमंडल को अनन्य अधिकार है। श्रमिक संघ, वन और शिक्षा समवर्ती सूची में हैं, जबकि बैंकिंग संघ सूची का विषय है। राज्यों को स्थानीय विकास हेतु इन क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है।

17. (2) सार्वजनिक व्यवस्था - समवर्ती सूची
सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं। राज्यों के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। रक्षा संघ सूची का विषय है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध है। शिक्षा को 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अतः सार्वजनिक व्यवस्था को समवर्ती सूची में कहना संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य का विषय है।

18. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता।
दिवाला और शोधन अक्षमता समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। इसके विपरीत, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक सट्टेबाजी, जुआ और कारागार पूर्णतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल को ही विधि निर्माण का अधिकार होता है। इस प्रकार, दिवाला और शोधन अक्षमता अपनी विधायी प्रकृति के आधार पर विशिष्ट है।

19. (3) वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके माध्यम से पांच विषयों—शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल एवं न्याय प्रशासन—को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर नीतिगत समन्वय, प्रभावी प्रबंधन और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना था, जो राष्ट्रहित में आवश्यक है।

20. (4) संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
संविधान लागू होने के समय विषयों की संख्या के आधार पर सूचियों का एक निश्चित क्रम था। मूल रूप से संघ सूची में सर्वाधिक 97 विषय थे, जो राष्ट्रीय महत्व के थे। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे, जो क्षेत्रीय हितों से संबंधित थे। समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित थे। वर्तमान में संशोधनों के उपरांत इन विषयों की संख्या परिवर्तित हुई है, किंतु मूल संरचना इसी क्रम में थी।

21. (3) यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थी।
समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यह सूची केंद्र और राज्यों को साझा विधायी अधिकार प्रदान करती है। यद्यपि दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में संघीय विधि प्रभावी होती है। आपराधिक विधि और दंड प्रक्रिया इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इसका उद्देश्य उन विषयों पर लचीलापन सुनिश्चित करना है जो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण हैं।

22. (2) अनुच्छेद 248
अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति देता है जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) एकल नागरिकता
भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन और दोहरी राजव्यवस्था जैसी संघीय विशेषताएं हैं। एकल नागरिकता को एकात्मक विशेषता माना जाता है क्योंकि संघीय प्रणालियों में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है। भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने हेतु एक ही नागरिकता का प्रावधान है। यह पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करती है।

2. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
संघीय संरचना की रक्षा हेतु कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। यह कठोरता सुनिश्चित करती है कि केंद्र एकतरफा संघीय संतुलन को परिवर्तित न कर सके। साथ ही, स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक विवादों के निष्पक्ष समाधान हेतु आवश्यक है। ये दोनों तत्व भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. (3) सरकार के दो स्तर—संघ और राज्य—जो अपने निर्धारित क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
दोहरी राजव्यवस्था संघीय शासन प्रणाली का आधारभूत स्तंभ है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारें कार्य करती हैं। संविधान इन दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। प्रत्येक स्तर को अपने आवंटित विषयों पर विधि निर्माण, प्रशासन और कराधान की स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

4. (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
भारतीय संविधान ने विश्व के विभिन्न संविधानों से महत्वपूर्ण विशेषताएं अपनाई हैं। सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जो साझा विधायी शक्तियों को दर्शाती है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है।

5. (3) राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को एकतरफा बदलने का संसद का अधिकार।
भारतीय संविधान केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जो संघीय सिद्धांतों के विपरीत है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमाओं में परिवर्तन की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसके लिए संबंधित राज्य की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है। यह व्यवस्था भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाती है, जो कि अमेरिकी संघीय प्रतिरूप से सर्वथा भिन्न है।

6. (2) यह आवश्यकता कि सभी संघ और राज्य कानून कड़ाई से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।
संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान राष्ट्र की आधारभूत विधि है। सरकार का कोई भी अंग इसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। संघीय ढांचे में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्रोत है। यदि संसद या विधानमंडल संविधान के विरुद्ध विधि बनाते हैं, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। यह विधायी शक्तियों का नियंत्रण करता है।

7. (4) एकात्मक झुकाव जो संघ को आपातकाल के दौरान केंद्रीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
भारत को अर्ध-संघीय कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है। सामान्य परिस्थितियों में यह संघीय है, किंतु आपातकाल में केंद्र सर्वशक्तिमान होकर राज्यों का नियंत्रण ले लेता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका जैसे प्रावधान केंद्र के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसी केंद्रीकृत प्रवृत्ति के कारण विश्लेषकों ने इसे पूर्ण संघ के स्थान पर अर्ध-संघीय कहा है।

8. (1) केवल I और III
अनुच्छेद 245 संसद को संपूर्ण भारत और राज्य विधानमंडलों को अपने राज्य हेतु विधि निर्माण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य विधियों के मध्य टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि की सर्वोच्चता स्थापित करता है। अनुच्छेद 246 शक्तियों के विभाजन का वर्णन करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार देता है।

9. (3) केवल संसद के पास
अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को देश के भीतर और बाहर स्थित व्यक्तियों एवं संपत्ति हेतु विधि निर्माण की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इसे राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन की शक्ति कहते हैं। राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति केवल उनके भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियों को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि उनका प्रभाव भारत की सीमाओं से परे पड़ता है।

10. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामान्यतः समवर्ती सूची पर संसद की विधि राज्य विधि पर प्रभावी होती है। अनुच्छेद 254(2) इसका अपवाद है। यदि राज्य विधानमंडल ने संसदीय विधि के विपरीत कानून बनाया है और उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है, तो वह उस राज्य में प्रभावी होगा। यह प्रावधान राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल विधि निर्माण की स्वायत्तता प्रदान करता है, जो संघीय सहयोग को दर्शाता है।

NODIA

बाध्य है।
(4) राज्य विधानमंडल विधेयक पारित करता है → राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है → राज्यपाल इसे लागू करता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. जब एक राज्यपाल अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, तो उसका आधार क्या होता है?
(1) यह समाधान कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
(2) सत्तारूढ़ केंद्रीय दल से प्राप्त निर्देश।
(3) राज्य विधानमंडल में किसी महत्वपूर्ण विधेयक की हार।
(4) राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई सिफारिश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर राज्यपाल द्वारा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहीं किया जाता है?
(1) राष्ट्रपति की समीक्षा के लिए राज्य विधेयकों को आरक्षित करना।
(2) राज्य बजट को सुगम बनाने के लिए संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करना।
(3) राज्य के मामलों पर संघ को नियमित रिपोर्ट भेजना।
(4) संवैधानिक निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
कथन II: संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. एस. आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय मुख्य रूप से किस संवैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था?
(1) अनुच्छेद 356
(2) अनुच्छेद 352
(3) अनुच्छेद 360
(4) अनुच्छेद 365
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 356 को 'मृत पत्र' रहने की उम्मीद थी। इसे केवल अंतिम विकल्प के रूप में लागू करने का मुख्य कारण क्या है?
(1) यह केंद्रीय खजाने पर वित्तीय बोझ डालता है।
(2) इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों की स्वीकृति चाहिए।
(3) यह संघवाद और लोकतांत्रिक जनादेश को बाधित करता है।
(4) यह स्वतः राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. सूची-I में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामलों को सूची-II में केंद्र-राज्य संबंधों के संबंध में उनके प्राथमिक विषय के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (सर्वोच्च न्यायालय के मामले)
A. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
B. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977)
C. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006)
D. कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006)
सूची II: (प्राथमिक विषय)
i. केंद्र में सत्ता परिवर्तन पर राज्य विधानसभाओं के विघटन को चुनौती।
ii. निलंबित विधानसभा का विघटन असंवैधानिक घोषित।
iii. अनुच्छेद 356 के लिए दिशा-निर्देश और इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाया।
iv. राज्यसभा चुनावों के लिए अधिवास की आवश्यकता की समाप्ति को बरकरार रखा।
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की संसदीय स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
II. उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
III. यदि संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन एक बार में छह महीने तक जारी रहता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) बार-बार संसदीय अनुमोदन के माध्यम से अधिकतम तीन वर्ष की सीमा।
(2) साधारण संकल्प द्वारा दस वर्ष तक अनिश्चित काल के लिए विस्तार।
(3) एक वर्ष से अधिक का विस्तार केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही संभव है।
(4) चुनाव आयोग के प्रमाणीकरण के आधार पर विस्तार।

Downloaded from www.pdf.tube

इसे 'विधायन की अवशिष्ट शक्ति' कहते हैं। इसमें वे कर भी सम्मिलित हैं जो किसी सूची में वर्णित नहीं हैं। यह प्रावधान भारतीय संघ को सशक्त केंद्र बनाता है, क्योंकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी नए विषय पर निर्णय का अंतिम अधिकार केवल संसद को है।

23. (4) कोई भी ऐसा कर जो राज्य या समवर्ती सूचियों में शामिल नहीं है।
अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद को अवशिष्ट शक्तियों के तहत उन विषयों पर कर लगाने का अधिकार है जो राज्य या समवर्ती सूची में नहीं हैं। उदाहरणार्थ, उपहार कर और व्यय कर इसी शक्ति द्वारा लगाए गए थे। यह सुनिश्चित करता है कि कराधान का कोई भी क्षेत्र संवैधानिक शून्यता में न रहे और केंद्र के पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु पर्याप्त विधायी लचीलापन उपलब्ध हो।

24. (1) A-i, B-ii, C-i, D-ii
संघीय व्यवस्थाओं में अवशिष्ट शक्तियों का स्थान भिन्न होता है। भारत और कनाडा में ये शक्तियां केंद्र में निहित हैं, जो सशक्त केंद्रीय ढांचे को दर्शाती हैं। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास सुरक्षित हैं। भारत ने कनाडाई प्रतिरूप का अनुसरण किया है ताकि राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे और नवीन विषयों पर केंद्र का प्रभावी विधायी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

25. (3) अवशिष्ट शक्तियों से
संविधान निर्माण के समय सेवा कर जैसा विशिष्ट विषय सूचियों में सम्मिलित नहीं था। चूँकि यह किसी भी सूची में वर्णित नहीं था, अतः केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर इसे लागू किया। 88वें संशोधन द्वारा सेवा कर हेतु विशेष प्रावधान किए गए। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे अवशिष्ट शक्तियां उभरते आर्थिक क्षेत्रों को विनियमित करने में केंद्र की सहायता करती हैं।

26. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर विधि आधुनिक विषय हैं, जो संविधान निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे। चूँकि ये सातवीं अनुसूची की किसी सूची में नहीं थे, अतः ये स्वतः ही संसद की अवशिष्ट शक्तियों में सम्मिलित हो गए। इसी शक्ति का प्रयोग कर संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया। यह केंद्र को बदलती तकनीकी और कानूनी चुनौतियों का सामना करने हेतु विधायी अधिकार देता है।

27. (4) उन विषयों पर विधायी अधिकार जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं हैं।
अवशिष्ट शक्तियां उन विषयों से संबद्ध हैं जो सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में नहीं मिलते। भारतीय संविधान में ये शक्तियां केवल संसद के पास हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई नवीन विषय भविष्य में उभरता है, तो केंद्र उस पर प्रभावी विधि बना सके। यह प्रावधान भारतीय संघ के एकात्मक झुकाव का भाग है, जो राष्ट्रीय एकता और विधायी स्पष्टता स्थापित करता है।

28. (2) केवल I और II
संसद को राज्य सूची में हस्तक्षेप का अधिकार विशेष संवैधानिक परिस्थितियों में प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद विधि बना सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त होती है। एक राज्य के अनुरोध पर संसद केवल उस राज्य हेतु विधि नहीं बना सकती।

29. (2) एक वर्ष
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का प्रस्ताव पारित करती है, तो वह एक वर्ष हेतु प्रभावी रहता है। राज्यसभा इस अवधि को बार-बार बढ़ा सकती है, बशर्ते प्रत्येक बार नवीन संकल्प पारित हो। संकल्प की समाप्ति के छह माह पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि निष्प्रभावी हो जाती है, जिससे राज्यों की विधायी स्वायत्तता पुनः बहाल हो जाती है।

30. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विधि निर्माण की शक्ति देता है, किंतु यह अस्थायी है। इसकी वैधता राज्यसभा के संकल्प के कार्यकाल से संबद्ध है। संकल्प प्रभावी न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि अधिकतम छह माह तक ही लागू रह सकती है। यह समय सीमा इसलिए है ताकि राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप केवल विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सीमित बना रहे।

31. (1) केवल संबंधित राज्यों और बाद में इसे अपनाने वाले राज्यों पर लागू होता है।
अनुच्छेद 252 के अंतर्गत, जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल संसद से साझा विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करते हैं, तो वह विधि केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होती है। अन्य राज्य प्रस्ताव पारित कर इसे अपना सकते हैं। एक बार विधि निर्मित होने पर संबंधित राज्यों के पास उसे संशोधित करने की शक्ति नहीं रहती; यह अधिकार केवल संसद के पास सुरक्षित रहता है।

32. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति मिलती है, किंतु यह विधानमंडलों को उसी विषय पर विधि बनाने से नहीं रोकती। यदि राज्य विधि संसद के विरुद्ध है, तो संसद प्रभावी होगी। इसके विपरीत, अनुच्छेद 252 में जब राज्य अपनी शक्ति संसद को सौंपते हैं, तो वे उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार खो देते हैं। यह महत्वपूर्ण है।

33. (2) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान।
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है और राष्ट्रपति धन विधेयकों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकते हैं। किंतु यह संसद को राज्य सूची पर सामान्य विधि बनाने की शक्ति नहीं देता। इसके विपरीत, राज्यसभा के संकल्प, राष्ट्रीय आपातकाल और

NODIA

(3) संसद द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य।
(4) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, 'क्षैतिज हस्तांतरण' का तात्पर्य है:
(1) व्यक्तिगत राज्यों के बीच करों के हिस्से का वितरण।
(2) संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण।
(3) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निधियों का आवंटन।
(4) राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. सूची-I में वित्त आयोगों को सूची-II में उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (वित्त आयोग)
A. 13वां वित्त आयोग
B. 14वां वित्त आयोग
C. 15वां वित्त आयोग
D. 16वां वित्त आयोग
सूची II: (अध्यक्ष)
i. अरविंद पनगढ़िया
ii. एन. के. सिंह
iii. वाई. वी. रेड्डी
iv. विजय केलकर
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. संविधान प्रत्येक पांचवें वर्ष या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है। इस आवधिक पुनर्गठन का मूलभूत कारण क्या है?
(1) वित्तीय संबंधों को लोकसभा चुनाव की समय-सीमा के साथ जोड़ना।
(2) बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के आधार पर राजकोषीय असंतुलन को दूर करना।
(3) राज्य सरकारों को अत्यधिक संपत्ति जमा करने से रोकना।
(4) संघ और राज्य के खातों का लेखा-परीक्षण करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करना।
II. राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना।
III. उन सिद्धांतों को निर्धारित करना जिनके आधार पर राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए।
भारत के वित्त आयोग के प्राथमिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग की सिफारिशों की कानूनी प्रकृति का सही वर्णन करता है?
(1) संघ पर कानूनी रूप से बाध्यकारी।
(2) आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा औपचारिक अनुसमर्थन की आवश्यकता।
(3) विशुद्ध रूप से सलाहकार प्रकृति की।
(4) क्षैतिज कर हस्तांतरण के संबंध में बाध्यकारी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. भारतीय संविधान में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था?
(1) 99वां संशोधन अधिनियम, 2014
(2) 100वां संशोधन अधिनियम, 2015
(3) 101वां संशोधन अधिनियम, 2016
(4) 102वां संशोधन अधिनियम, 2018
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार देता है।
कथन II: जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर कीजिए:
कथन (A): भारत में जीएसटी की शुरुआत को 'सहकारी संघवाद' के उदाहरण के रूप में देखा जाता है।
कारण (R): जीएसटी परिषद में संघ और राज्य दोनों संयुक्त रूप से कर दरों और सीमाओं के संबंध में निर्णय लेते हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

समर्थन किया। आनंदपुर साहिब संकल्प ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण की मांग की, जबकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सेवाओं की निरंतरता और राज्यों के साथ बेहतर परामर्श की वकालत की। ये दृष्टिकोण प्रशासनिक संघवाद के महत्व को स्पष्ट करते हैं।

45. (3) तत्काल नियंत्रण राज्य के पास और अंतिम नियंत्रण संघ के पास होता है।
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है किंतु वे राज्य संवर्ग में कार्य करते हैं। सेवा के दौरान राज्य सरकार के पास स्थानांतरण और निलंबन जैसे मामलों पर तत्काल अनुशासनात्मक नियंत्रण होता है। हालांकि, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अंतिम शक्ति केवल केंद्र के पास सुरक्षित है। यह व्यवस्था अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से सुरक्षा प्रदान करती है और प्रशासनिक सेतु बनाती है।

46. (4) भारतीय विदेश सेवा
अनुच्छेद 312 के अंतर्गत वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा को 1966 में जोड़ा गया था। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) एक केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय नहीं, क्योंकि इसके सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की मुख्य विशेषता इनका केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में सेवा देना है।

47. (1) भारतीय वन सेवा - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
प्रत्येक अखिल भारतीय सेवा का प्रबंधन विशिष्ट केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय वन सेवा हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तरदायी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु कार्मिक मंत्रालय और भारतीय पुलिस सेवा हेतु गृह मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकरण है। यह केंद्रीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में इन सेवाओं के चयन, प्रशिक्षण और नीतिगत मानकों में एकरूपता और गुणवत्ता बनी रहे।

48. (2) केवल I, II और III
अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्यों में सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। यह मंच केंद्र और राज्यों के मध्य नीतिगत समन्वय को बढ़ावा देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस परिषद का भाग नहीं होते, क्योंकि यह एक कार्यकारी परामर्शदात्री निकाय है, न्यायिक निकाय नहीं।

49. (2) भारत के राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि सार्वजनिक हित में वे अंतर-राज्य परिषद की स्थापना हेतु आदेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ही परिषद के कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपति की यह शक्ति केंद्र-राज्य सहयोग को संस्थागत रूप देने और विवादों को विचार-विमर्श से सुलझाने का सशक्त माध्यम है। इसका गठन राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु किया जाता है।

50. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे परामर्श हेतु निर्मित किया गया है। इसके कार्यों में राज्यों के मध्य विवादों की जांच और साझा हितों पर चर्चा सम्मिलित है। चूँकि यह एक कार्यकारी सलाहकार निकाय है, इसके सुझावों को मानने हेतु सरकारें कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। परिषद का मुख्य बल सर्वसम्मति पर होता है। इसकी सलाहकार प्रकृति संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करती है।

51. (3) 1990
यद्यपि अनुच्छेद 263 में परिषद का प्रावधान मूल रूप से था, किंतु लंबे समय तक इसका गठन नहीं हुआ। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने समन्वय हेतु स्थायी परिषद की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। इसी को स्वीकार करते हुए 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से परिषद की स्थापना की गई। तब से यह निकाय संघवाद को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।

52. (4) केवल I, II और III
अनुच्छेद 263 परिषद के तीन मुख्य कर्तव्यों को परिभाषित करता है: विवादों की जांच, साझा हितों पर चर्चा और बेहतर समन्वय हेतु सिफारिशें करना। अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन इसके दायरे में नहीं आता; इसके लिए अनुच्छेद 262 के तहत अलग व्यवस्था है। परिषद का मुख्य बल प्रशासनिक और नीतिगत सहयोग पर है ताकि संघीय शासन सुचारु रूप से चल सके और गतिरोध दूर हो।

53. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन 1996 में निरंतर चर्चा हेतु किया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। इसमें पांच कैबिनेट मंत्री और नौ राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। यह समिति परिषद के विचारार्थ मुद्दों को संसाधित करती है और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित जटिल विषयों पर प्रारंभिक कार्य करती है, जिससे मुख्य बैठकों की चर्चा सार्थक हो सके।

54. (2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
अंतर-राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा निर्मित वैधानिक संस्थाएं हैं। नीति आयोग 2015 में कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित एक विचारक मंडल (थिंक-टैंक) है। राष्ट्रीय विकास परिषद ऐतिहासिक रूप से योजना प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती रही है। ये सभी निकाय सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं।

55. (4) विशेष रूप से वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को।
अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये अनुदान

Downloaded from www.pdf.tube

(2) युद्ध
(3) बाह्य आक्रमण
(4) सशस्त्र विद्रोह
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।
कारण (R): भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक वित्तीय संकटों से पूरी तरह सुरक्षित है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था?
(1) उद्घोषणा होते ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को तत्काल भंग किया जा सकता है।
(2) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
(3) यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व केंद्र पर है कि राष्ट्रपति शासन लगाना उचित था।
(4) धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, और इसका उल्लंघन अनुच्छेद 356 को लागू करने का वैध आधार है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. एस.आर. बोम्मई मामले के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि संसद अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा को मंजूरी देने में विफल रहती है, तो क्या होता है?
(1) राष्ट्रपति को तत्काल विधानसभा के नए चुनाव कराने का आदेश देना चाहिए।
(2) राज्यपाल राज्य का पूर्ण कार्यकारी नियंत्रण संभाल लेते हैं।
(3) राज्य सीधे उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाता है।
(4) बर्खास्त राज्य सरकार पुनर्जीवित हो जाती है और निलंबित विधानसभा पुनः सक्रिय हो जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है?
(1) अनुच्छेद 352
(2) अनुच्छेद 360
(3) अनुच्छेद 356
(4) अनुच्छेद 358
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अनुच्छेद
A. अनुच्छेद 352
B. अनुच्छेद 356
C. अनुच्छेद 359
D. अनुच्छेद 360
सूची II: प्रावधान
i. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
ii. वित्तीय आपातकाल
iii. राष्ट्रपति शासन
iv. राष्ट्रीय आपातकाल
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं?
(1) केवल राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी।
(2) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी।
(3) विशेष रूप से संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य।
(4) संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कोई भी वर्ग, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. निम्नलिखित में से किस आपातकाल के लिए संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद इसके निरंतर संचालन के लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है?
(1) राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल दोनों
(2) केवल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल
(3) केवल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
(4) केवल अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारत में घोषित आपातकाल के प्रकारों को उनकी लागू की गई संख्या के आधार पर, उच्चतम से निम्नतम आवृत्ति के सही क्रम में चुनें।
(1) राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल
(2) राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल
(3) राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल
(4) राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

योजना आयोग (अब नीति आयोग) का कार्य रहा है, जो वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

67. (3) विशुद्ध रूप से सलाहकार प्रकृति की।
यद्यपि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, किंतु इसकी सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। यह केवल सलाहकार निकाय है। एक स्वस्थ परंपरा के रूप में केंद्र प्रायः इसकी वित्तीय सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है। सरकार को आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संसद के समक्ष रखना होता है, जो राजकोषीय निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

68. (3) 101वां संशोधन अधिनियम, 2016
101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसने 'एक राष्ट्र, एक कर' हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पेश किया। इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य कर लगाने की शक्तियां साझा की गईं। इसने कई पुराने करों को एकीकृत किया और सहकारी संघवाद को नवीन आयाम दिया, जहाँ अब वित्तीय निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं।

69. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
अनुच्छेद 279A के अनुसार, राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं। यह एक संयुक्त मंच है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। यह परिषद कर नीतियों के निर्धारण में राज्यों को समान भागीदारी प्रदान करती है। यह संरचना वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का प्रतीक है।

70. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जीएसटी को सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों ने अपनी अनन्य कराधान शक्तियां साझा की हैं। जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता। निर्णयों हेतु दोनों का सहयोग अनिवार्य है, जिससे एकीकृत साझा बाजार निर्मित होता है। यह व्यवस्था आर्थिक नीतियों के निर्धारण में राज्यों को केंद्र का सहभागी बनाती है, जो संघीय भावना को पुष्ट करती है।

71. (4) किसी राज्य के मत का भार उसकी जनसंख्या के सीधे आनुपातिक होता है।
जीएसटी परिषद में मतदान की भारित प्रणाली है। निर्णय हेतु 75% बहुमत आवश्यक है। केंद्र का मत भार एक-तिहाई और राज्यों का सामूहिक भार दो-तिहाई है। प्रत्येक राज्य के मत का भार समान है, चाहे उसकी जनसंख्या कुछ भी हो। इसका अर्थ है कि छोटा और बड़ा राज्य समान मतदान शक्ति रखते हैं। यह संघीय समानता और राज्यों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

72. (1) केवल I, II और III
जीएसटी लागू होने से कई पुराने अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए। इनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, प्रवेश कर और मनोरंजन कर सम्मिलित हैं। हालांकि, मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) को जीएसटी में समाहित नहीं किया गया है; यह अभी भी केंद्र द्वारा अलग से आरोपित होता है। करों के विलय से संरचना सरल हुई है और 'कर पर कर' के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है।

73. (3) इलेक्ट्रॉनिक सामान
वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी प्रभावी है। हालांकि, कुछ वस्तुओं को अभी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। शराब पर राज्यों का पूर्ण नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, डीजल और पेट्रोल को अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है। इन पर निर्णय भविष्य में जीएसटी परिषद लेगी। तब तक इन पर पुराना कर ढांचा ही लागू रहेगा, जो राजस्व सुरक्षा देता है।

74. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
जीएसटी प्रणाली चार घटकों पर आधारित है। राज्य के भीतर आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी और अन्य हेतु यूटीजीएसटी है। अंतर-राज्य व्यापार पर केंद्र द्वारा आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसे बाद में केंद्र और उपभोक्ता राज्य के मध्य साझा किया जाता है। यह वर्गीकरण राजस्व के पारदर्शी और उचित वितरण को सुनिश्चित करता है।

75. (4) राज्य का संवैधानिक प्रमुख और संघ का प्रतिनिधि।
राज्यपाल की भूमिका दोहरी है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। साथ ही, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह भूमिका केंद्र को राज्यों के प्रशासन पर निगरानी रखने और संवैधानिक मर्यादा सुनिश्चित करने में सहायता देती है। वह केंद्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण संचार माध्यम है।

76. (1) केवल I, II, III और IV
राज्यपाल के पास विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियां हैं जहाँ वह मंत्रिपरिषद के बिना कार्य कर सकता है। इनमें विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट भेजना और मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना सम्मिलित है। हालांकि मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां असाधारण स्थितियों में संतुलन बनाए रखती हैं।

77. (3) राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है।
अनुच्छेद 200 के अनुसार, यदि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या उसकी संवैधानिक स्थिति प्रभावित करता है, तो राज्यपाल हेतु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना अनिवार्य है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आवश्यक है। अन्य मामलों में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार होता है, किंतु उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रकरण में यह एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है।

Click Here to Buy book on Amazon

सभी राज्यों हेतु समान नहीं होते। इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों के मध्य विकास के अंतर को कम करना और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही इन वैधानिक अनुदानों का वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

56. (1) केवल I, II और V
जीएसटी के उपरांत विभाज्य पूल में अधिकांश केंद्रीय कर जैसे निगम कर और आयकर सम्मिलित हैं। इन्हें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य साझा किया जाता है। हालांकि, अनुच्छेद 271 के तहत लगाए गए विशिष्ट अधिभार (सरचार्ज) और उपकर (सेस) का उपयोग केवल केंद्र करता है। ये राशियाँ विभाज्य पूल का भाग नहीं बनतीं और इन्हें राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य नहीं है।

57. (3) बकाया केंद्रीय ऋणों के बावजूद राज्यों द्वारा एकतरफा ऋण लेना।
अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों को ऋण लेने की शक्ति है, किंतु इसकी सीमाएं हैं। राज्य केवल भारत के भीतर से ही ऋण ले सकते हैं। यदि राज्य पर केंद्र का कोई पूर्व ऋण बकाया है, तो वह केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना नवीन ऋण नहीं ले सकता। यह नियंत्रण केंद्र को राज्यों की राजकोषीय स्थिति और देश की समग्र आर्थिक स्थिरता की निगरानी करने में सहायता प्रदान करता है।

58. (1) संघ की विधायी क्षमता की परवाह किए बिना किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।
अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों को किसी भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' हेतु विवेकाधीन अनुदान देने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति तब भी प्रयोग की जा सकती है जब विषय उनकी विधायी शक्तियों में न हो। वैधानिक अनुदानों के विपरीत, ये अनिवार्य नहीं हैं और केंद्र अपनी नीतियों के आधार पर इन्हें आवंटित कर सकता है। यह प्रावधान वित्तीय संबंधों में लचीलापन और केंद्र का प्रभाव सुनिश्चित करता है।

59. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
अनुच्छेद 271 संसद को शक्ति देता है कि वह संघ के उद्देश्यों हेतु करों पर अधिभार लगा सकती है। इस अधिभार से होने वाली संपूर्ण आय भारत की संचित निधि में जाती है और केवल केंद्र के उपयोग हेतु होती है। संविधान के अनुसार इन प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। यह केंद्र हेतु राजस्व वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है, जो विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

60. (1) III, I, II, IV
भाग 12 में वित्तीय संबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 268 में उन करों का उल्लेख है जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित होते हैं। अनुच्छेद 275 वैधानिक अनुदानों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो राजकोषीय वितरण तय करता है। अंत में अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा ऋण लेने की शर्तों को परिभाषित करता है। यह अनुक्रम वित्तीय प्रशासन को दर्शाता है।

61. (3) कृषि आय पर कर
अनुच्छेद 268 में वे कर हैं जो केंद्र लगाता है किंतु संग्रह और उपयोग राज्य करते हैं। कृषि आय पर कर पूर्णतः राज्य सूची का विषय है। इसका अर्थ है कि इस पर कर लगाने और विनियोजित करने का अनन्य अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है। केंद्र का इस कर के निर्धारण में कोई अधिकार नहीं होता। यह राज्यों की कराधान स्वायत्तता का प्रमुख उदाहरण है।

62. (4) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य।
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें सार्वजनिक वित्त और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में आयोग की नियुक्ति करते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी और विशेषज्ञता पर आधारित हो।

NODIA

63. (1) व्यक्तिगत राज्यों के बीच करों के हिस्से का वितरण।
वित्त आयोग के कार्य में दो हस्तांतरण महत्वपूर्ण हैं। 'ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण' केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन तय करता है। 'क्षैतिज हस्तांतरण' यह निर्धारित करता है कि राज्यों के कुल हिस्से में से किस राज्य को कितना धन प्राप्त होगा। इसके लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल और राजकोषीय अनुशासन जैसे मानदंडों का उपयोग होता है, जिससे आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके।

64. (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
वित्त आयोगों के अध्यक्षों का मिलान राजकोषीय इतिहास दर्शाता है। विजय केलकर ने 13वें और वाई. वी. रेड्डी ने 14वें आयोग का नेतृत्व किया। रेड्डी ने राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। एन. के. सिंह 15वें आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया है, जो भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा।

65. (2) बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के आधार पर राजकोषीय असंतुलन को दूर करना।
भारत की अर्थव्यवस्था गतिशील है और राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। वित्त आयोग का आवधिक गठन सुनिश्चित करता है कि राजस्व साझाकरण का सूत्र अप्रचलित न हो। यह केंद्र और राज्यों के मध्य राजकोषीय असंतुलन दूर करने हेतु संतुलन चक्र का कार्य करता है। नवीन आंकड़ों के आधार पर सिफारिशें देकर आयोग वित्तीय स्थिरता और राज्यों हेतु पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करता है।

66. (1) केवल I और III
वित्त आयोग के मुख्य कार्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का केंद्र-राज्य वितरण तय करना और सहायता अनुदान के सिद्धांत निर्धारित करना है। इसके अतिरिक्त, यह पंचायतों और नगर पालिकाओं हेतु राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपायों की सिफारिश भी करता है। राष्ट्रीय योजनाएं निर्मित करना ऐतिहासिक रूप से

असंवैधानिक है। राज्यों का जनादेश पृथक होता है। संघीय व्यवस्था में दोनों का स्वतंत्र सम्मान अनिवार्य है। राजनीतिक हार संवैधानिक विफलता का आधार नहीं हो सकती।

89. (3) 1983
केंद्र-राज्य तनाव और स्वायत्तता की मांगों के दृष्टिगत, भारत सरकार ने जून 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। इसका कार्य मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा और संवैधानिक ढांचे में सुधार के सुझाव देना था। आयोग ने 1988 में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संघीय ढांचे को सशक्त करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु 247 महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं।

90. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
सरकारिया आयोग ने राष्ट्र की एकता हेतु अखिल भारतीय सेवाओं को अपरिहार्य माना। आयोग ने सिफारिश की कि कराधान को छोड़कर अन्य अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में होनी चाहिए, जबकि कराधान संबंधी शक्तियां संसद के पास बनी रहें। आयोग का दर्शन था कि केंद्र को सशक्त होना चाहिए, किंतु उसे राज्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसने संतुलित संघीय ढांचे की वकालत की।

91. (4) चरम परिस्थितियों में अंतिम विकल्प के रूप में इसका उपयोग करना।
अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकारिया आयोग ने इसे 'अंतिम विकल्प' के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार, राष्ट्रपति शासन से पूर्व राज्य को चेतावनी और सुधार का अवसर मिलना चाहिए। इसे केवल वास्तविक संवैधानिक विफलता पर ही लागू किया जाना चाहिए। यह सिफारिश केंद्र की शक्तियों को नियंत्रित करने और राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु थी।

92. (2) सरकारिया आयोग
अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में था, किंतु लंबे समय तक इसकी उपेक्षा हुई। सरकारिया आयोग ने निरंतर संवाद हेतु स्थायी परिषद की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। इसी के आधार पर 1990 में वी. पी. सिंह सरकार ने परिषद का गठन किया। यह आयोग की सर्वाधिक सफल सिफारिश मानी जाती है, जिसने केंद्र और राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप प्रदान किया।

93. (3) राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए।
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके स्थान पर आयोग ने पद की गरिमा और निष्पक्षता बढ़ाने हेतु सुधार सुझाए। आयोग ने कहा कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति से दूर एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व राज्यों से परामर्श जैसी सिफारिशें भी की गईं। आयोग का मानना था कि राज्यपाल केंद्र-राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है।

94. (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
राजमन्नार समिति ने अनुच्छेद 356 हटाने का सुझाव दिया। सरकारिया आयोग ने अंतर-राज्य व्यापार हेतु स्थायी निकाय की वकालत की। पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 के तहत केवल प्रभावित क्षेत्रों में 'स्थानीय आपातकाल' का विचार दिया। संविधान समीक्षा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों में राज्यों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया का सुझाव दिया। ये सभी प्रस्ताव संघीय सुधारों और राज्यों की भूमिका सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण हैं।

95. (3) 2007
बदलती परिस्थितियों में केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्मूल्यांकन हेतु 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण और आंतरिक सुरक्षा के दौर में संघीय चुनौतियों का अध्ययन करना था। आयोग ने 2010 में सात खंडों में विस्तृत रिपोर्ट दी, जिसमें शासन और सहयोग सुधारने हेतु 300 से अधिक सिफारिशें थीं। यह आधुनिक संघीय आवश्यकताओं पर केंद्रित था।

96. (2) केवल I, II और IV
पुंछी आयोग ने राज्यपालों हेतु पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल और महाभियोग प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। आयोग ने अनुच्छेद 355 द्वारा 'स्थानीय आपातकाल' का प्रस्ताव किया ताकि चुनी सरकार गिराए बिना प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो सके। हालांकि आयोग ने अंतर-राज्य परिषद को मजबूत करने की बात की थी। ये सिफारिशें राज्यों की स्वायत्तता और सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाने हेतु दी गई थीं।

97. (2) सिफारिश की कि राज्यपाल को 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' कार्य करना जारी रखना चाहिए।
पुंछी आयोग ने 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि इससे राज्यपाल केंद्र पर आश्रित हो जाते हैं। आयोग ने सिफारिश की कि यह शब्दावली हटानी चाहिए ताकि मनमाने निष्कासन को रोका जा सके। राज्यपाल को केवल सिद्ध संवैधानिक उल्लंघन पर विधायी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाना चाहिए। यह सिफारिश पद को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने और उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु थी।

98. (1) संपत्ति के मौलिक अधिकार का उन्मूलन
पुंछी आयोग का मुख्य ध्यान प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों पर था। इसने आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय बलों की भूमिका और राज्यपाल की शक्तियों का विश्लेषण किया। संपत्ति का मौलिक अधिकार 1978 में ही समाप्त हो गया था, अतः यह आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं था। आयोग ने मुख्य रूप से उन विवादित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो संघ और राज्यों के मध्य सहयोग बाधित करते थे।

99. (3) सरकारिया ने स्थिर कार्यकाल का समर्थन किया; पुंछी ने महाभियोग का समर्थन किया।
दोनों आयोगों ने कार्यकाल की सुरक्षा का समर्थन किया। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को पांच

Downloaded from www.pdf.tube

वर्ष पूर्ण करने दिया जाए और केवल असाधारण स्थितियों में ही हटाया जाए। पुंछी आयोग ने अधिक सुरक्षा देते हुए सुझाव दिया कि राज्यपाल को हटाने हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका उद्देश्य राज्यपाल की जवाबदेही राज्य के प्रति बढ़ाना और उन्हें राजनीतिक सुरक्षा देना था।

100. (1) II, III, IV, I
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित निकायों का क्रम इस प्रकार है: तमिलनाडु की राजमन्नार समिति 1969 में बनी। 1983 में सरकारिया आयोग गठित हुआ। संविधान समीक्षा हेतु वेंकटचलैया आयोग 2000 में स्थापित हुआ। अंत में, मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ। यह अनुक्रम भारत में संघीय सुधारों और केंद्र-राज्य विमर्श के विभिन्न विकासवादी चरणों एवं ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 08
आपातकालीन प्रावधान

1. भारत के संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं?
(1) भाग XV
(2) भाग XVIII
(3) भाग XVI
(4) भाग XX
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. अनुच्छेद 352 के तहत, किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?
(1) युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह
(2) आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण
(3) सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय अस्थिरता और युद्ध
(4) संवैधानिक तंत्र की विफलता और बाह्य आक्रमण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) इसकी घोषणा विशेष रूप से केवल भारत के संपूर्ण संप्रभु क्षेत्र के लिए की जानी चाहिए।
(2) इसके लिए उच्चतम न्यायालय से अनिवार्य पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
(3) इसकी घोषणा पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए की जा सकती है।
(4) इसकी घोषणा सीधे भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री द्वारा की जानी चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से प्रतिस्थापित किया?
(1) 38वां संशोधन
(2) 42वां संशोधन
(3) 52वां संशोधन
(4) 44वां संशोधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, भारत का संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है।
कारण (R): केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(1) अनुच्छेद 358 सभी मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल अनुच्छेद 19 को प्रभावित करता है।
(2) अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अन्य अधिकारों के निलंबन के लिए विशिष्ट आदेश की आवश्यकता होती है।
(3) अनुच्छेद 358 के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि 359 को ऐसी समीक्षा से छूट प्राप्त है।
(4) संकट के दौरान दोनों अनुच्छेद प्रत्येक अधिकार को स्वतः निलंबित करने का कार्य करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
(1) अनुच्छेद 14 और 15
(2) अनुच्छेद 19 और 20
(3) अनुच्छेद 21 और 22
(4) अनुच्छेद 20 और 21
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: आपातकालीन प्रावधान
A. राष्ट्रीय आपातकाल
B. राष्ट्रपति शासन
C. वित्तीय आपातकाल
D. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
सूची II: अनुच्छेद
i. अनुच्छेद 359
ii. अनुच्छेद 360

Click Here to Buy book on Amazon

iii. अनुच्छेद 352
iv. अनुच्छेद 356
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. 1975 के आंतरिक आपातकाल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) इसकी आधिकारिक घोषणा विशेष रूप से आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी।
(2) उद्घोषणा के समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे।
(3) उद्घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की गई थी।
(4) यह भारत में घोषित तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तो किस मौलिक अधिकार को स्वतः निलंबन से सुरक्षा प्राप्त है?
(1) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
(2) कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
(3) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग के विरुद्ध 44वें संशोधन द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही उद्घोषणा जारी कर सकते हैं।
II. आपातकाल के अनुमोदन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
III. आपातकाल को जारी रखने के लिए हर छह महीने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लोकसभा के कार्यकाल को संसद की विधि द्वारा एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
(1) एक बार में छह महीने
(2) एक बार में एक वर्ष
(3) एक बार में दो वर्ष
(4) कुल तीन वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद के संतुलन पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है?
(1) संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
(2) राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को संशोधित कर सकते हैं।
(3) राज्य विधानसभाएं तत्काल भंग कर दी जाती हैं।
(4) केंद्र को किसी भी विषय पर राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने (समाप्ति) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं।
II. ऐसी समाप्ति के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
III. यदि लोकसभा आपातकाल जारी रखने का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को इसे समाप्त करना होता है।
IV. अस्वीकृति के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा गलत कथन है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल II और IV
(4) केवल IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस वर्ष और किस आधार पर की गई थी?
(1) 1962, बाह्य आक्रमण
(2) 1965, युद्ध
(3) 1971, बाह्य आक्रमण
(4) 1975, आंतरिक अशांति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. 1975 के आंतरिक आपातकाल की घोषणा से ठीक पहले वह कौन सा तात्कालिक न्यायिक कारण था जिसके परिणामस्वरूप यह आपातकाल लगाया गया?
(1) बुनियादी ढांचे पर केशवानंद भारती मामले का निर्णय।
(2) इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य करने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय।
(3) मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित गोलकनाथ मामले का निर्णय।
(4) राज्य सरकारों की बर्खास्तगी के संबंध में एस.आर. बोम्मई मामले का निर्णय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

17. 1975 के आपातकाल की ओर ले जाने वाली और उसके समापन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
A. इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
B. आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा
C. गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन
D. 44वें संविधान संशोधन का अधिनियमन
सही क्रम का चयन करें:
(1) A, C, B, D
(2) C, A, B, D
(3) C, B, A, D
(4) A, B, C, D
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. अनुच्छेद 356 के तहत, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति, राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट हों कि:
(1) राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है।
(2) गंभीर वित्तीय संकट ने पूरे राज्य को प्रभावित किया है।
(3) मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है।
(4) राज्य के क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: आपातकाल के वर्ष
A. 1962
B. 1971
C. 1975
D. 1994
सूची II: संदर्भ/कारण
i. भारत-पाक युद्ध
ii. आंतरिक अशांति
iii. अनुच्छेद 356 पर एस.आर. बोम्मई का निर्णय
iv. चीनी आक्रमण
(1) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 प्रावधान करता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि:
(1) राज्य विधायिका निर्धारित अवधि के भीतर बजट पारित करने में विफल रहती है।
(2) गठबंधन के बिखर जाने के कारण राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं।
(3) विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है।
(4) राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. विभिन्न प्रकार के आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
II. राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है।
III. भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।
IV. राष्ट्रपति शासन के लिए दो महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है।
V. राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) I, II, III और V
(2) II, III, IV और V
(3) I, III, IV और V
(4) I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

22. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक निरंतर बढ़ाया जा सकता है (विशिष्ट शर्तों के अधीन)?
(1) एक वर्ष
(2) दो वर्ष
(3) तीन वर्ष
(4) अनिश्चित काल तक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए, 44वें संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है?
I. पूरे भारत में या पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए।
II. निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराना कठिन है।
III. विस्तार के लिए उच्चतम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल II और III
(2) केवल I और III
(3) I, II और III
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधारों के संबंध में विषम विकल्प चुनें।
(1) संवैधानिक तंत्र की विफलता

78. (2) राज्यपाल विधेयक आरक्षित करता है → राष्ट्रपति राज्यपाल को इसे वापस करने का निर्देश देता है → राज्य विधानमंडल 6 महीने में पुनर्विचार करता है → पुनः प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है।
जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वे उसे स्वीकार या पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। विधानमंडल को छह माह में विचार करना होता है। यदि विधानमंडल दोबारा उसे पारित कर दे, तब भी राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य नहीं हैं। यह केंद्रीय संसद के मामले से भिन्न है। यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों पर केंद्र के प्रभावी नियंत्रण और वीटो अधिकार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

79. (1) यह समाधान कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन का मुख्य आधार है। राज्यपाल को निष्पक्ष मूल्यांकन करना होता है कि क्या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। इसमें कानून-व्यवस्था का संकट या बहुमत की अनुपलब्धता जैसे कारक हो सकते हैं। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होनी चाहिए। रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा भी, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं, तो वे उद्घोषणा जारी कर सकते हैं।

80. (2) राज्य बजट को सुगम बनाने के लिए संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करना।
राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में विधेयकों को आरक्षित करता है और केंद्र को नियमित रिपोर्ट भेजता है। वह सुनिश्चित करता है कि राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करे। विधानसभा सत्रों को संबोधित करना उसका संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियमित कार्य है। वह सामान्यतः संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता नहीं करता; यह कार्य अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अतः यह प्रतिनिधि भूमिका से संबद्ध नहीं है।

81. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद की निष्पक्षता हेतु सुझाव दिया कि वह राज्य की राजनीति से दूर का व्यक्ति हो। मुख्यमंत्री से परामर्श करना एक स्वस्थ परंपरा है, किंतु संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और न ही यह राष्ट्रपति हेतु अनिवार्य है। व्यवहार में केंद्र अपनी पसंद के व्यक्ति नियुक्त करता है, जिससे कई बार केंद्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होता है।

82. (1) अनुच्छेद 356
1994 का एस. आर. बोम्मई मामला भारतीय संघवाद में मील का पत्थर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। साथ ही, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा संभव है। इस निर्णय के पश्चात केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने में कमी आई है।

83. (3) यह संघवाद और लोकतांत्रिक जनादेश को बाधित करता है।
डॉ. अंबेडकर का मानना था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल तभी हो जब सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। निर्वाचित सरकार को हटाना संघीय भावना के प्रतिकूल है। इसका अनुचित प्रयोग राज्यों की स्वायत्तता को निर्बल करता है। इसलिए इसे 'मृत पत्र' कहा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे केवल चेतावनी के रूप में रहना चाहिए और वास्तविक प्रयोग की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

84. (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
बोम्मई मामले (1994) ने अनुच्छेद 356 हेतु दिशा-निर्देश दिए। राजस्थान राज्य मामला (1977) विधानसभाओं के सामूहिक विघटन से संबद्ध था। रामेश्वर प्रसाद मामला (2006) बिहार विधानसभा के असंवैधानिक विघटन पर केंद्रित था। कुलदीप नायर मामला राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया की वैधता से जुड़ा था। ये मामले संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्याख्या एवं सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं।

85. (3) केवल I और III
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। इसके लिए दोनों सदनों में 'साधारण बहुमत' की आवश्यकता होती है। स्वीकृत होने पर यह छह माह तक प्रभावी रहता है। इसे अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रत्येक छह माह में संसद की नवीन स्वीकृति आवश्यक है। यह संसदीय नियंत्रण केंद्र की एकतरफा शक्तियों पर अंकुश लगाता है।

86. (2) साधारण संकल्प द्वारा दस वर्ष तक अनिश्चित काल के लिए विस्तार।
संविधान राष्ट्रपति शासन की अवधि पर कठोर सीमाएं आरोपित करता है। इसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष से अधिक विस्तार हेतु राष्ट्रीय आपातकाल या चुनाव आयोग का यह प्रमाणन आवश्यक है कि चुनाव कराना कठिन है। इसे साधारण संकल्प द्वारा दस वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यह प्रावधान राज्यों में लोकतांत्रिक सरकारों की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है।

87. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
बोम्मई मामले में स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक लाभ या दुर्भावना से लगाया गया है, तो न्यायालय को उसे रद्द करने का अधिकार है। न्यायालय बर्खास्त सरकार और विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति केंद्र की शक्तियों पर आवश्यक संवैधानिक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।

88. (1) केवल I, II और III
बोम्मई मामले के अनुसार राष्ट्रपति शासन तब उचित है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जैसे त्रिशंकु विधानसभा या केंद्र के निर्देशों की अवहेलना। किंतु केवल इस आधार पर सरकार बर्खास्त करना कि दल लोकसभा चुनाव हार गया है,

Downloaded from www.pdf.tube

33. किस परिस्थिति में राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य किया जा सकता है?
(1) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
(2) वित्तीय आपातकाल के दौरान
(3) राष्ट्रपति शासन के दौरान
(4) सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के दौरान
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. अनुच्छेद 356 लागू होने के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं।
II. राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं।
III. संसद को उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
IV. राष्ट्रपति राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही कथन है?
(1) I, III और IV
(2) I, II और III
(3) II, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा औपचारिक संविधान संशोधन के बिना भारतीय व्यवस्था के संघीय स्वरूप को एकात्मक में बदल देती है।
कथन II: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार संघवाद और एकात्मकता के बीच लचीलेपन की अनुमति देते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना अनिवार्य बना दिया?
(1) 38वां संशोधन
(2) 42वां संशोधन
(3) 50वां संशोधन
(4) 44वां संशोधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. बोम्मई दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
A. सदन में बहुमत सिद्ध करना (फ्लोर टेस्ट)
B. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
C. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
D. संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन
E. राज्य विधानसभा का विघटन
सही क्रम का चयन करें:
(1) B, C, A, D, E
(2) B, A, C, D, E
(3) A, B, C, D, E
(4) A, C, B, E, D
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. सही युग्म की पहचान करें:
(1) अनुच्छेद 352 - राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
(2) अनुच्छेद 365 - संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव
(3) अनुच्छेद 356 - भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा
(4) अनुच्छेद 360 - बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: आपातकाल
A. राष्ट्रीय आपातकाल
B. राष्ट्रपति शासन
C. वित्तीय आपातकाल
D. राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति
सूची II: संसदीय अनुमोदन के लिए समय सीमा
i. 2 महीने
ii. 1 महीना
iii. 2 महीने
iv. किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. आपातकालीन प्रावधानों के दौरान संघवाद के संतुलन को एकात्मक ढांचे की ओर ले जाने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है?
(1) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी और विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण
(2) शासन में न्यायिक सक्रियता में वृद्धि
(3) केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए राज्य विधानमंडलों की मांग
(4) अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त निर्देश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग हो, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
(1) यदि राज्यसभा एक महीने के भीतर अनुमोदन कर देती है, और लोकसभा पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर अनुमोदन कर देती है, तो उद्घोषणा बनी रहती है।
(2) निचले सदन की अनुपस्थिति के कारण आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
(3) राष्ट्रपति बिना किसी संसदीय अनुमोदन के स्वविवेक का प्रयोग करते हैं।
(4) लोकसभा के पुनर्गठन तक उच्चतम न्यायालय को अस्थायी विस्तार देना होता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. लोकसभा के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने (समाप्ति) से संबंधित चरणों को सही प्रक्रियात्मक क्रम में व्यवस्थित करें:
A. राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा वापस लेते हैं।
B. अध्यक्ष या राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है।
C. 14 दिनों के भीतर सदन की विशेष बैठक आयोजित की जाती है।
D. लोकसभा के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा सूचना जारी करता है।
E. जारी रखने की अस्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
सही क्रम का चयन करें:
(1) B, D, C, E, A
(2) D, C, B, E, A
(3) D, B, C, E, A
(4) C, D, B, E, A
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) अनुच्छेद 20 की सुरक्षा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी।
(2) यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की गारंटी देता है।
(3) इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है।
(4) यह तब भी प्रभावी रहता है जब अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य विधि (मार्शल लॉ) लागू हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: आपातकाल की घोषणा
A. प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल
B. द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल
C. तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल
D. वित्तीय आपातकाल
सूची II: प्रमुख कारण
i. वित्तीय स्थिरता को खतरा
ii. भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश संकट)
iii. जेपी आंदोलन और राजनीतिक संकट
iv. चीन-भारत संघर्ष
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है।
कथन II: अनुच्छेद 359 स्वयं मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार करें:
I. धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।
II. अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की वैधता न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
III. राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करते ही राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
IV. यदि उद्घोषणा असंवैधानिक हो, तो न्यायालय बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल कर सकता है।
V. बहुमत का परीक्षण विधानसभा (फ्लोर टेस्ट) में ही होना चाहिए।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही सिद्धांतों की पहचान करता है?
(1) I, II, III और V
(2) II, III, IV और V
(3) I, II, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 356 के किस रूप में रहने की अपेक्षा की गई थी?
(1) संघीय शासन के लिए प्राथमिक उपकरण
(2) बार-बार राजनीतिक पुनर्गठन के लिए एक तंत्र
(3) वित्तीय कुप्रबंधन के विरुद्ध एक नियंत्रण
(4) एक मृत पत्र (Dead letter)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

(2) जयप्रकाश नारायण
(3) अटल बिहारी वाजपेयी
(4) चौधरी चरण सिंह
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अवधारणा/शब्दावली
A. सशस्त्र विद्रोह
B. आवधिक अनुमोदन
C. न्यायिक समीक्षा
D. राज्य विषय पर विधान
सूची II: संबंधित विशेषता
i. अनुच्छेद 352 के लिए प्रत्येक छह महीने में आवश्यक
ii. 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया
iii. आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत शक्ति
iv. एस.आर. बोम्मई मामला
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. राज्य की विधायी शक्तियों पर अनुच्छेद 352 का क्या प्रभाव पड़ता है?
(1) राज्य विधायिका कार्य करना जारी रखती है, लेकिन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है।
(2) राज्य विधायिका को उसके सभी विधायी कर्तव्यों से निलंबित कर दिया जाता है।
(3) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य विधायिका को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है।
(4) राज्य विधायिका आपातकाल के दौरान कानून बनाने की अपनी सभी शक्तियां खो देती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): बोम्मई मामले के निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग को सीमित कर दिया।
कारण (R): उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए आवश्यक संसदीय चरणों के सही क्रम का चयन करें।
(1) संसद में प्रस्तुति → 1 महीने के भीतर साधारण बहुमत → हर 6 महीने में नवीनीकरण
(2) संसद में प्रस्तुति → 2 महीने के भीतर विशेष बहुमत → हर 1 साल में नवीनीकरण
(3) संसद में प्रस्तुति → 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत → हर 6 महीने में नवीनीकरण
(4) संसद में प्रस्तुति → 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत → हर 6 महीने में नवीनीकरण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. संघवाद पर वित्तीय आपातकाल का प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से क्या है?
(1) राज्य उस अवधि के लिए राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व खो देते हैं।
(2) राज्य वित्तीय निगम संघ द्वारा स्वतः भंग कर दिए जाते हैं।
(3) राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है क्योंकि केंद्र उनके वित्तीय मामलों को निर्देशित करता है।
(4) सभी राज्य कर सीधे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर विचार करें:
I. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
II. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
III. राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति
IV. संघ की सेवा करने वाले व्यक्ति
वित्तीय आपातकाल के दौरान उपर्युक्त में से किसके वेतन में कटौती की जा सकती है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग के विरुद्ध 44वें संशोधन द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों पर विचार करें:
I. 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला गया।
II. मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई।
III. संसदीय अनुमोदन की अवधि दो महीने से घटाकर एक महीना की गई।
IV. अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही सुरक्षा उपायों को दर्शाता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV

NODIA

41. मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 352 के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है।
II. अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में लागू होता है।
III. अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है।
IV. अनुच्छेद 359 के तहत निलंबन पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है।
V. राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही कथन है?
(1) I, III, IV और V
(2) II, III, IV और V
(3) I, II, III और IV
(4) I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. भारत में द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस वर्ष की गई थी?
(1) 1962
(2) 1965
(3) 1971
(4) 1975
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें:
I. इसके लिए दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।
II. एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।
III. इसे हर छह महीने में संसद द्वारा पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल II और III
(2) केवल I और III
(3) I, II और III
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भी भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए जाने का मुख्य कारण क्या था?
(1) संविधान संसद का सत्र न होने पर वित्तीय आपातकाल लगाने से रोकता है।
(2) संकट को टालने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार और स्थिरता उपाय लागू किए गए थे।
(3) राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को खारिज कर दिया था।
(4) उच्चतम न्यायालय ने इसके अधिरोपण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की थी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।
कारण (R): 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबन से सुरक्षित कर दिया।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद, राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या होता है?
(1) वे स्थायी रूप से लागू रहते हैं।
(2) वे तत्काल निरस्त हो जाते हैं।
(3) वे आपातकाल समाप्त होने के एक वर्ष बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं।
(4) वे आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. संसद में आपातकालीन प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
II. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
III. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा गलत कथन है?
(1) केवल I और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. 1975 के आंतरिक आपातकाल के दौरान, किस नेता ने "संपूर्ण क्रांति" का आह्वान करते हुए जन आंदोलन का नेतृत्व किया था?
(1) मोरारजी देसाई

Downloaded from www.pdf.tube

63. बोम्मई मामले के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वैध आधार नहीं माना जाता है?
(1) लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की भारी हार।
(2) आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति।
(3) संवैधानिक तंत्र का विफल होना जहाँ कोई अन्य दल सरकार नहीं बना सकता।
(4) राज्य सरकार द्वारा संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध कार्य करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून कब तक प्रभावी रहता है?
(1) केवल राष्ट्रपति शासन समाप्त होने तक।
(2) स्थायी रूप से, जब तक कि राज्य विधायिका द्वारा इसे निरस्त या संशोधित न किया जाए।
(3) शासन की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने के लिए।
(4) जब तक इसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द न किया जाए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
कारण (R): अनुच्छेद 352 उद्घोषणा की अनुमति देता है यदि राष्ट्रपति को इसके आसन्न खतरे का आभास हो।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. 1975 के आंतरिक आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित एकमात्र आपातकाल था।
II. इसके परिणामस्वरूप बिना किसी अपवाद के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था।
III. इसके कारण सत्ता का केंद्रीकरण हुआ और बाद में 42वां संशोधन लाया गया।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल I और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. अनुच्छेद 359 के तहत, यदि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है, तो स्वयं मौलिक अधिकारों का क्या होता है?
(1) वे आदेश द्वारा स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
(2) उन्हें संविधान से हटा दिया जाता है।
(3) वे अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का उपचार निलंबित हो जाता है।
(4) उन्हें गैर-न्यायोचित सिद्धांतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

68. भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था?
(1) केरल
(2) उत्तर प्रदेश
(3) बिहार
(4) पंजाब
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अनुच्छेद
A. अनुच्छेद 352
B. अनुच्छेद 356
C. अनुच्छेद 360
D. अनुच्छेद 365
सूची II: उद्घोषणा के आधार
i. वित्तीय अस्थिरता का खतरा
ii. युद्ध या बाह्य आक्रमण
iii. संवैधानिक तंत्र की विफलता
iv. संघ के निर्देशों का पालन न करना
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. अनुच्छेद 356 लगाने के संबंध में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें:
I. राज्य में कुशासन।
II. मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप।
III. चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिलना।
उपर्युक्त में से कौन सा राष्ट्रपति शासन लगाने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) भाग 18
संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। ये राष्ट्रपति को असामान्य परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु असाधारण शक्तियां देते हैं। यह भाग केंद्र को किसी भी संकट से निपटने के लिए संवैधानिक रूप से समर्थ बनाता है।
इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल समाहित हैं। यह संरचना भारतीय संघीय ढांचे को आवश्यकतानुसार एकात्मक स्वरूप में बदलकर राष्ट्र की अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखती है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा हेतु अनिवार्य है।

2. (1) युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। युद्ध और बाह्य आक्रमण 'बाहरी आपातकाल' कहलाते हैं। 44वें संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।
यह शक्ति राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने हेतु केंद्र को व्यापक अधिकार देती है। इन आधारों की स्पष्ट व्याख्या दुरुपयोग रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

3. (3) इसकी घोषणा पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए की जा सकती है।
राष्ट्रीय आपातकाल के भौगोलिक विस्तार के संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे इसे पूरे भारत या किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रख सकें। 42वें संशोधन (1976) ने इस शक्ति को और स्पष्ट किया, जिससे केंद्र को लचीलापन मिला।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा उपाय केवल प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित रहें। यदि संकट किसी विशेष राज्य तक सीमित है, तो प्रशासन वहीं आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिससे अन्य क्षेत्र अप्रभावित रहें।

4. (4) 44वां संशोधन
44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में प्रयुक्त 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' को शामिल किया। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करना था।
अब केवल हिंसक विद्रोह की स्थिति में ही आंतरिक आधार पर आपातकाल लग सकता है। इस बदलाव ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ वैधानिक कवच प्रदान किया ताकि राजनीतिक आंदोलनों को आधार न बनाया जाए।

5. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही संघीय शासन प्रणाली स्वतः एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाती है। इस दौरान केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश देने तक हो जाता है। राज्य प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है।
सामान्य परिस्थितियों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, किंतु आपातकाल इसे अस्थायी रूप से समाप्त कर देता है। केंद्र का निर्देश देने का अधिकार संघवाद के संतुलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में झुका देता है।

6. (2) अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अन्य अधिकारों के निलंबन के लिए विशिष्ट आदेश की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों के निलंबन की भिन्न विधियां हैं। अनुच्छेद 358 बाह्य आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को स्वतः निलंबित करता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य अधिकारों हेतु न्यायालय जाने से रोकने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होता है, जबकि 359 का आदेश किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो सकता है। अनुच्छेद 358 आपातकाल की समाप्ति तक प्रभावी रहता है, जबकि 359 की अवधि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं।

7. (4) अनुच्छेद 20 और 21
44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण मर्यादा निर्धारित की है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों हेतु दोषसिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
पूर्व में ये निलंबित हो सकते थे, जिसका दुरुपयोग 1975 में हुआ। वर्तमान में यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संकट में भी किसी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया के प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यह गरिमापूर्ण जीवन सुरक्षित करता है।

8. (1) A-3, B-4, C-2, D-1
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद आपातकाल के विशिष्ट प्रकारों को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थिरता हेतु वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करते हैं।
अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन से संबंधित है। यह वर्गीकरण केंद्र को विभिन्न संकटों से संवैधानिक तरीके से निपटने की शक्ति देता है। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट प्रक्रिया और शासन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

A. 1962 का आपातकाल
B. 1971 का आपातकाल
C. 1975 का आपातकाल
D. 1991 का आर्थिक संकट

सूची II: परिणाम/तथ्य
i. 44वां संशोधन अधिनियम
ii. कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया
iii. 1965 के युद्ध के समय भी प्रभावी रहा
iv. बांग्लादेश का निर्माण हुआ

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
(2) यदि लोकसभा इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो इसे वापस लेना अनिवार्य है।
(3) इसे वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
(4) यदि संसद दो महीने के भीतर अनुमोदन नहीं करती, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. ये असामान्य स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को सशक्त बनाते हैं।
II. ये संकट के दौरान संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देते हैं।
III. इनकी आलोचना राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां देने के लिए की गई है।
IV. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की स्वायत्तता पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
V. वित्तीय आपातकाल में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता बरकरार रहती है।

नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही कथन है?
(1) I, III और IV
(2) I, II और III
(3) II, IV और V
(4) I, II और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. आपातकालीन प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें।
(1) 38वां संशोधन → 42वां संशोधन → 44वां संशोधन
(2) 42वां संशोधन → 38वां संशोधन → 44वां संशोधन
(3) 44वां संशोधन → 38वां संशोधन → 42वां संशोधन
(4) 38वां संशोधन → 44वां संशोधन → 42वां संशोधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. "संवैधानिक तंत्र की विफलता" शब्दावली किस अनुच्छेद से संबंधित है?
(1) अनुच्छेद 352
(2) अनुच्छेद 355
(3) अनुच्छेद 356
(4) अनुच्छेद 360
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. 1975 के आपातकाल के ऐतिहासिक परिणामों पर विचार करें:
I. विपक्षी नेताओं को कारावास।
II. 42वें संविधान संशोधन का अधिनियमन।
III. दुरुपयोग की जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना।

नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 352 हेतु मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बनाया।
कारण (R): इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री को आपातकाल घोषित करने में एकतरफा निर्णय लेने से रोकना था।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. अनुच्छेद 352 के संदर्भ में "सशस्त्र विद्रोह" का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?
(1) सरकार के विरुद्ध बड़ी भीड़ का विरोध प्रदर्शन।
(2) संगठित समूहों द्वारा राज्य के विरुद्ध हिंसक सशस्त्र विद्रोह।
(3) नागरिकों का अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन।
(4) केंद्र और राज्य के बीच विधायी गतिरोध।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. अनुच्छेद 355 के तहत, संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। यह कर्तव्य किसे लागू करने का आधार बनता है?

Downloaded from www.pdf.tube

71. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मात्र से राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता।
कारण (R): बोम्मई निर्णय के अनुसार विघटन केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद ही हो सकता है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. क्रमशः 1962, 1971 और 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपतियों का सही क्रम चुनें।
(1) एस. राधाकृष्णन, वी.वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद
(2) राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी
(3) एस. राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, वी.वी. गिरि
(4) वी.वी. गिरि, एस. राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र द्वारा राज्य कार्यकारिणी को किस अवधि तक निर्देशित किया जा सकता है?
(1) अधिकतम 6 महीने के लिए
(2) अधिकतम 1 वर्ष के लिए
(3) जब तक आपातकाल प्रभावी रहता है
(4) राज्य की कार्यकारी शक्तियां तत्काल समाप्त हो जाती हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. राष्ट्रीय आपातकाल के वित्तीय प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को संशोधित कर सकते हैं।
II. ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रह सकता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है।
III. संशोधन आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।
IV. राज्यों को केंद्रीय करों में उनके हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया जाता है।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही कथन है?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) केवल I और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. अनुच्छेद 352 के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' शब्दावली के संबंध में सही कथनों का चयन करें।
I. यह 1975 के आपातकाल का आधार था।
II. यह वर्तमान में आपातकाल घोषित करने का वैध आधार है।
III. सरकारिया आयोग ने इसे हटाने की सिफारिश की थी।
IV. इसे 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला गया था।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल III और IV
(4) केवल I और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या है?
(1) संकट के दौरान राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना
(2) देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना
(3) राज्यों पर केंद्र का वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करना
(4) संसद के हाथों में सत्ता का स्थायी केंद्रीकरण करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने और उसे बढ़ाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
A. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
B. दो महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन
C. प्रारंभिक छह महीने की अवधि की समाप्ति
D. निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने में कठिनाई का प्रमाणीकरण
E. अगले छह महीनों के विस्तार के लिए संसदीय अनुमोदन
सही क्रम का चयन करें:
(1) A, C, B, D, E
(2) B, A, C, E, D
(3) A, B, C, E, D
(4) A, B, E, C, D
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव नहीं है?
(1) केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देशों का पालन करने के लिए कह सकता है।
(2) राज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
(3) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है।
(4) अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: आपातकालीन घटना

NODIA

IV. न्यायालय द्वारा उद्घोषणा को रद्द करना।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल I, II और III
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: शब्दावली
A. विशेष बहुमत
B. साधारण बहुमत
C. सदन में बहुमत परीक्षण
D. लिखित सलाह
सूची II: संदर्भ
i. विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया
ii. अनुच्छेद 352 के लिए मंत्रिमंडल की अनिवार्यता
iii. राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन
iv. राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा भंग हो, तो संसद की मंजूरी मिलने तक संचित निधि से व्यय को कौन अधिकृत करता है?
(1) राज्यपाल
(2) राष्ट्रपति
(3) मुख्यमंत्री
(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: संशोधन
A. 38वां संशोधन
B. 42वां संशोधन
C. 44वां संशोधन
D. 44वां संशोधन (मौलिक अधिकार)
सूची II: प्रावधान
i. 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला गया
ii. आपातकाल को देश के विशिष्ट हिस्से तक सीमित किया गया
iii. उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने का प्रयास किया गया
iv. अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से मुक्त किया गया
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें:
I. भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।
II. राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगाया गया है।
III. अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 से अधिक बार किया गया है।
IV. 44वें संशोधन ने दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान किए।
V. युद्ध के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है?
(1) I, II, III, IV और V
(2) केवल I, II, III और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, II और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का अंतिम लक्ष्य क्या है?
(1) लोकतांत्रिक गणराज्य को सत्तावादी शासन में बदलना।
(2) राज्य सरकारों के ढांचे को स्थायी रूप से खत्म करना।
(3) प्रधानमंत्री को असीमित शक्तियां प्रदान करना।
(4) संविधान और लोकतांत्रिक तंत्र को खतरों से बचाना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(1) अनुच्छेद 352
(2) अनुच्छेद 356
(3) अनुच्छेद 360
(4) अनुच्छेद 370
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: प्राधिकारी
A. राष्ट्रपति
B. मंत्रिमंडल
C. संसद
D. उच्चतम न्यायालय
सूची II: भूमिका
i. उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा
ii. लिखित सिफारिश देना
iii. आपातकाल की उद्घोषणा करना
iv. उद्घोषणा का अनुमोदन करना
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. अनुच्छेद 19 के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित होता है।
II. उद्घोषणा होते ही यह स्वतः ही निलंबित हो जाता है।
III. आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून जो इसका उल्लंघन करते हैं, उन्हें बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही कथन है?
(1) केवल II और III
(2) केवल I और III
(3) केवल I और II
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की अवधारणा (विशेषकर मौलिक अधिकारों का निलंबन) किस देश से प्रभावित है?
(1) जर्मनी का वाइमर संविधान
(2) अमेरिका
(3) ब्रिटेन
(4) कनाडा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
कथन II: जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. अनुच्छेद 359 के तहत निलंबन की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
A. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
B. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत विशिष्ट आदेश जारी करना
C. आदेश में उन अधिकारों को निर्दिष्ट करना जिनका प्रवर्तन निलंबित है
D. आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना
सही क्रम का चयन करें:
(1) B, A, C, D
(2) A, B, C, D
(3) A, C, B, D
(4) C, B, A, D
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए?
(1) विशेष बहुमत
(2) पूर्ण बहुमत
(3) साधारण बहुमत
(4) प्रभावी बहुमत
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. आपातकालीन प्रावधानों के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर विचार करें:
I. इन्हें संघीय स्वरूप के लिए खतरा माना गया है।
II. ये केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं।
III. ये राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा वाल्व हैं।
IV. आलोचकों के अनुसार ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रभावित कर सकते हैं।
नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सामान्य आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को दर्शाता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के वैध तरीकों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति द्वारा वापस लेने की उद्घोषणा।
II. संसद द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदन न मिलना।
III. राज्य में बहुमत वाली नई सरकार का गठन।

NODIA

9. (3) उद्घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की गई थी।
1975 के आंतरिक आपातकाल में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन नहीं हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल से औपचारिक परामर्श किए बिना राष्ट्रपति को सलाह दी थी। तब लिखित सिफारिश अनिवार्य नहीं थी, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
यह घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी जिसे लोकतांत्रिक इतिहास का विवादास्पद काल माना जाता है। इसी अनुभव से संविधान में संशोधनों के माध्यम से भविष्य हेतु सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी की गईं ताकि पुनरावृत्ति न हो।

10. (1) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर होता है। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। यह सुरक्षा 44वें संशोधन द्वारा सुनिश्चित की गई थी।
इससे आंतरिक अशांति के नाम पर नागरिकों की आवाज दबाना कठिन हो गया। सशस्त्र विद्रोह के समय केंद्र को शक्तियां तो मिलती हैं, किंतु वह नागरिकों के बोलने और सभा करने के बुनियादी अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीन सकता।

11. (4) 1, 2 और 3
44वें संशोधन ने आपातकालीन दुरुपयोग रोकने हेतु सुरक्षात्मक तंत्र स्थापित किए। अब राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही घोषणा कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह में विशेष बहुमत से अनुमोदन अनिवार्य है। अनुमोदित होने के बाद प्रत्येक छह माह में पुनः संसदीय स्वीकृति आवश्यक है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित हो और उस पर निरंतर संसदीय नियंत्रण बना रहे जिससे लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहें।

12. (2) एक बार में एक वर्ष
राष्ट्रीय आपातकाल में संसदीय लोकतंत्र की निरंतरता हेतु लोकसभा के कार्यकाल विस्तार का प्रावधान है। संसद विधि बनाकर लोकसभा कार्यकाल को एक बार में अधिकतम एक वर्ष बढ़ा सकती है। यह विस्तार आपातकाल के दौरान कितनी भी बार संभव है।
आपातकाल समाप्ति के बाद यह विस्तार छह माह से अधिक नहीं हो सकता। 1975 में इसी प्रावधान का प्रयोग हुआ था। यह व्यवस्था संकट के समय प्रशासनिक स्थिरता देती है और चुनाव कराने में जल्दबाजी से बचाती है।

13. (3) राज्य विधानसभाएं तत्काल भंग कर दी जाती हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के प्रभावों में अंतर है। राष्ट्रीय आपातकाल (352) में राज्य सरकारें और विधानसभाएं भंग नहीं होतीं, बल्कि केंद्र के निर्देशों के अधीन रहती हैं। संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।
विधानसभा का भंग होना अनुच्छेद 356 की विशेषता है, जहाँ प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। अनुच्छेद 352 में केंद्र और राज्यों के बीच केवल कार्यात्मक संबंधों का पुनर्गठन होता है, विधायी निकायों का उन्मूलन नहीं।

14. (4) केवल 4
राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेने में राष्ट्रपति और लोकसभा की भूमिका होती है। राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसदीय अनुमोदन के इसे समाप्त कर सकते हैं। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से समाप्ति का प्रस्ताव पारित करे, तो राष्ट्रपति हेतु वापसी अनिवार्य है।
44वें संशोधन ने लोकसभा सदस्यों को लिखित सूचना देकर विशेष बैठक बुलाने का अधिकार दिया। यह प्रावधान कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को सशक्त बनाता है ताकि आपातकाल अनिश्चितकाल तक न चले और नागरिक स्वतंत्रता बहाल हो सके।

15. (1) 1962, बाह्य आक्रमण
भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण के कारण लगा था। यह अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर प्रभावी हुआ। यह जनवरी 1968 तक जारी रहा और इसी दौरान 1965 का युद्ध भी हुआ।
यह देश के लिए गंभीर सुरक्षा संकट का समय था जिसने रक्षा नीतियों को प्रभावित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन थे। इस काल ने आपातकालीन शक्तियों की प्रथम परीक्षा ली और केंद्र को युद्ध प्रबंधन हेतु विधिक शक्ति दी।

16. (2) इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य करने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय।
1975 के आपातकाल के पीछे राजनीतिक अस्थिरता और न्यायिक संघर्ष था। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अमान्य घोषित किया। इस निर्णय ने प्रधानमंत्री को पद छोड़ने हेतु विवश कर दिया।
इसी चुनौती और जन-विरोध को दबाने हेतु आंतरिक अशांति का सहारा लिया गया। इस घटना ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव उत्पन्न किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बढ़ते विरोध ने सरकार को आपातकालीन प्रयोग हेतु प्रेरित किया।

17. (2) C, A, B, D
1970 के दशक की घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम 1974 में गुजरात और बिहार के आंदोलन हुए। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया। तत्पश्चात 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई।
अंततः 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दुरुपयोग रोकने हेतु 44वां संशोधन पारित किया। यह कालक्रम दर्शाता है कि सामाजिक असंतोष और न्यायिक आदेशों ने संकट का रूप लिया, जिससे भविष्य हेतु संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई।

Downloaded from www.pdf.tube

18. (1) राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है।
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए। राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है या वे स्वयं यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रशासन संविधान अनुरूप नहीं चल रहा।
यह केंद्र का असाधारण दायित्व है कि वह राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस दौरान राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। वित्तीय संकट या विद्रोह इसके प्राथमिक आधार नहीं बल्कि अनुच्छेद 360/352 के क्षेत्र हैं।

19. (3) A-4, B-1, C-2, D-3
भारतीय इतिहास में आपातकालीन घोषणाओं के विशिष्ट संदर्भ हैं। 1962 में चीनी आक्रमण से प्रथम आपातकाल लगा। 1971 में पाकिस्तान युद्ध से द्वितीय घोषणा हुई। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर तृतीय आपातकाल लगा।
1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक हेतु निर्देश दिए। यह मिलान आपातकालीन प्रावधानों के क्रमिक विकास और ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करता है जिसने संघीय ढांचे को प्रभावित किया।

20. (4) राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 356 के प्रयोग का आधार विस्तृत करता है। यदि राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
ऐसी स्थिति में राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण और राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य संघीय ढांचे के भीतर कार्य करें।

21. (3) 1, 3, 4 और 5
भारत के आपातकालीन प्रावधान विशिष्ट हैं। राष्ट्रीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, किंतु वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन हेतु दो माह और राष्ट्रीय आपातकाल हेतु एक माह में संसदीय स्वीकृति अनिवार्य है।
राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, जो इसे राष्ट्रीय आपातकाल से पृथक करता है। ये बिंदु आपातकाल की जटिलताओं और अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। संसदीय नियंत्रण की सीमा कार्यपालिका की शक्तियों को जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाती है।

22. (3) तीन वर्ष
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हेतु संविधान ने सीमाएं तय की हैं। यह प्रारंभ में छह माह के लिए लगता है, जिसे संसदीय अनुमोदन से बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
एक वर्ष से अधिक विस्तार हेतु विशेष शर्तों का पालन अनिवार्य है। तीन वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन जारी रखना संवैधानिक रूप से संभव नहीं और चुनाव कराना आवश्यक होता है। यह सीमा केंद्र के अनिश्चितकालीन हस्तक्षेप को रोकने हेतु सुदृढ़ अवरोध है।

23. (4) केवल 1 और 2
44वें संशोधन ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने हेतु दो कड़ी शर्तें रखीं। प्रथम, देश या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। द्वितीय, निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि कठिन परिस्थितियों के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। उच्चतम न्यायालय से पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, यद्यपि न्यायिक समीक्षा उपलब्ध रहती है। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि विस्तार केवल अपरिहार्य स्थितियों में हो। यह नागरिकों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने हेतु निर्मित नियम है।

24. (1) संवैधानिक तंत्र की विफलता
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लग सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 का आधार है, जो किसी विशिष्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु प्रयुक्त होता है।
अतः संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रीय आपातकाल के क्षेत्र में नहीं आती। यह विभेद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के परिणाम भिन्न हैं। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के संघीय स्वरूप को बदलता है, जबकि राष्ट्रपति शासन केवल संबंधित राज्य के शासन को नियंत्रित करता है।

25. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
स्वतंत्र भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 1991 के गंभीर आर्थिक संकट में भी इस प्रावधान का सहारा नहीं लिया गया। हालांकि, यह कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों से पूर्णतः सुरक्षित है, गलत है। वैश्विक उतार-चढ़ाव हमेशा भारतीय बाजारों को प्रभावित करते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर संकट होने पर होती है। सरकार ने सदैव राजकोषीय उपायों से प्रबंधन किया है जिससे इस कड़े प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ी।

26. (1) उद्घोषणा होते ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को तत्काल भंग किया जा सकता है।
बोम्मई मामले (1994) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करते ही विधानसभा भंग नहीं कर सकते। विधानसभा तब तक केवल निलंबित रहेगी जब तक संसद के दोनों सदन उद्घोषणा को मंजूरी नहीं दे देते।
न्यायालय ने यह भी माना कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस निर्णय ने केंद्र द्वारा राज्यों की निर्वाचित सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर अंकुश लगाया और धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया।

NODIA

27. (4) बर्खास्त राज्य सरकार पुनर्जीवित हो जाती है और निलंबित विधानसभा पुनः सक्रिय हो जाती है।
बोम्मई मामले के अनुसार, यदि संसद दो माह में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को स्वीकृति नहीं देती, तो वह समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में बर्खास्त सरकार पुनः सत्ता में आती है और निलंबित विधानसभा सक्रिय हो जाती है।
यह नियम सुनिश्चित करता है कि बिना संसदीय अनुमोदन के लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित न हो। यह सिद्धांत कार्यपालिका पर विधायिका और न्यायपालिका के नियंत्रण को सुदृढ़ करता है। इससे केंद्र द्वारा सत्ता का अनुचित प्रयोग विफल होता है और संवैधानिक व्यवस्था बहाल होती है।

28. (2) अनुच्छेद 360
अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय साख संकट में है, तो वे इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश देता है। यह प्रावधान आर्थिक अखंडता की रक्षा हेतु बनाया गया है। अन्य अनुच्छेदों जैसे 352 और 356 का संबंध सुरक्षा और संवैधानिक तंत्र से है। अनुच्छेद 358 केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकारों के स्वतः निलंबन से संबंधित विधिक व्यवस्था है।

29. (3) A-4, B-1, C-2, D-3
अनुच्छेद 352 युद्ध या विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल हेतु उत्तरदायी है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र टूटने पर राष्ट्रपति शासन का आधार है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु विधिक उपचारों को निलंबित करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट हेतु प्रावधान करता है। यह ढांचा राष्ट्रीय संकटों हेतु क्रमिक प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करता है। प्रत्येक अनुच्छेद राष्ट्र की सुरक्षा, राज्यों के प्रशासन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है।

30. (4) संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कोई भी वर्ग, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं।
वित्तीय आपातकाल में केंद्र को असाधारण वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी सम्मिलित हैं।
सामान्यतः इनके वेतन कम नहीं किए जा सकते, किंतु यह संकट में अपवाद है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय कम करना और संसाधनों को संतुलित करना है। यह प्रावधान संकट के समय वित्तीय साख बचाने हेतु सभी राष्ट्रीय संसाधनों के एकत्रीकरण को रेखांकित करता है।

31. (1) राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल दोनों
राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल में समानता है कि संसदीय अनुमोदन के बाद इनके संचालन हेतु कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल प्रत्येक छह माह में अनुमोदित होकर अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है।
वित्तीय आपातकाल हेतु बार-बार अनुमोदन आवश्यक नहीं और यह राष्ट्रपति की वापसी तक प्रभावी रहता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 356 हेतु तीन वर्ष की अधिकतम सीमा है। यह अंतर सुरक्षा और वित्तीय अखंडता को दीर्घकालिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता दर्शाता है।

32. (2) राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल
प्रयोग की आवृत्ति के अनुसार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सौ से अधिक बार हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल तीन बार (1962, 1971, 1975) लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है।
अतः आवृत्ति का घटता क्रम राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और फिर वित्तीय आपातकाल है। यह क्रम भारतीय राजनीति में शक्तियों के प्रयोग के स्वरूप को दर्शाता है जहाँ अनुच्छेद 356 विवादों का केंद्र रहा है जबकि अन्य प्रावधान दुर्लभ हैं।

33. (2) वित्तीय आपातकाल के दौरान
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल में केंद्र की वित्तीय सर्वोच्चता स्थापित होती है। राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक उनके विचारार्थ अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जाएं।
यह व्यवस्था केंद्र को संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। सामान्यतः राज्यों के पास वित्तीय स्वायत्तता होती है, किंतु आपातकाल इसे समाप्त कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य गैर-जिम्मेदाराना आर्थिक आचरण न करे जिससे स्थिरता प्रभावित हो।

34. (1) 1, 3 और 4
राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य की कार्यकारी शक्तियां ग्रहण करते हैं और संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। वे प्रशासन हेतु किसी संवैधानिक प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं, किंतु उच्च न्यायालय की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता राष्ट्रपति शासन के दौरान भी सुरक्षित रहती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य में कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका बनी रहे, भले ही वहां की निर्वाचित सरकार और विधायिका उस समय कार्य न कर रही हों।

35. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
भारत के आपातकालीन प्रावधान अद्वितीय हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में बिना औपचारिक संशोधन के संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है, जो विश्व में दुर्लभ है। डॉ. अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इस लचीलेपन की प्रशंसा की थी।
यह शक्ति भारत को संकट के समय सुरक्षा हेतु एकजुट होने में समर्थ बनाती है। ये प्रावधान संविधान को गतिशील और परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। यह दर्शाता है कि निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मध्य व्यावहारिक संतुलन बनाया था।

Click Here to Buy book on Amazon

निर्देशित कर सकती है। इसमें वेतन कटौती और धन विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना शामिल है।
राज्यों को अपने बजट और व्यय हेतु केंद्र के निर्देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह प्रावधान राज्यों को वित्तीय अनुशासन के अधीन लाता है। संकट में राष्ट्रीय आर्थिक साख बचाने हेतु यह अस्थायी केंद्रीकरण आवश्यक माना गया है ताकि पूर्ण समन्वय सुनिश्चित हो सके।

54. (4) 1, 2, 3 और 4
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति को सरकारी व्यय नियंत्रित करने के व्यापक अधिकार हैं। वे संघ और राज्यों के सभी कर्मियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश दे सकते हैं। इसमें न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं।
सामान्यतः न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में कटौती नहीं हो सकती, किंतु यह संकट में अपवाद है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि वित्तीय आपातकाल में आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह उत्तरदायित्व सभी सार्वजनिक सेवकों को वित्तीय संकट के समाधान में सहभागी बनाता है।

55. (4) 1, 2, 3 और 4
44वें संशोधन ने आपातकालीन शक्तियों के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए। 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा गया और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की गई। संसदीय अनुमोदन की सीमा घटाकर एक माह और विशेष बहुमत आवश्यक किया गया।
ये सभी उपाय कार्यपालिका की निरंकुशता रोकने हेतु निर्मित हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में आपातकाल का राजनीतिक दुरुपयोग न हो सके। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है जिसने पिछली गलतियों से सीख लेकर सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ किया।

56. (1) यदि राज्यसभा एक महीने के भीतर अनुमोदन कर देती है, और लोकसभा पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर अनुमोदन कर देती है, तो उद्घोषणा बनी रहती है।
लोकसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन हेतु विशेष व्यवस्था है। यदि लोकसभा भंग हो, तो राज्यसभा को समय सीमा में अनुमोदन करना होगा। पुनर्गठन के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन में अनुमोदन अनिवार्य है।
अन्यथा उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि एक सदन की अनुपस्थिति में सुरक्षा निर्णय प्रभावित न हों। साथ ही नई लोकसभा को कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा और स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

57. (3) D, B, C, E, A
लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की विशिष्ट प्रक्रिया 44वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके लिए कुल सदस्यों के दसवें हिस्से की लिखित सूचना आवश्यक है। सत्र न होने पर सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है और 14 दिन में विशेष बैठक होती है।
सदन में साधारण बहुमत से अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कार्यपालिका पर सीधे विधायी नियंत्रण का सशक्त उदाहरण है जो जनता के प्रतिनिधियों को आपातकाल समाप्त करवाने का अधिकार प्रदान करती है।

58. (1) अनुच्छेद 20 की सुरक्षा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी।
अनुच्छेद 20 के संबंध में कथन 1 गलत है। वास्तव में 44वें संशोधन (1978) ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों हेतु दोषसिद्धि से संरक्षण देता है।
यह नागरिकों हेतु बुनियादी कानूनी कवच है। 42वें संशोधन ने कार्यपालिका को शक्तियां दी थीं, जबकि 44वें ने उन्हें मर्यादित किया। यह अनुलंघनीयता सुनिश्चित करती है कि संकट में भी राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अपराधी घोषित न कर सके और विधिक मर्यादा बनी रहे।

59. (4) A-4, B-2, C-3, D-1
1962 का प्रथम आपातकाल चीनी आक्रमण के समय लगा था। 1971 का द्वितीय आपातकाल पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम था। 1975 का तृतीय आपातकाल जेपी आंदोलन और आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया।
वित्तीय आपातकाल का प्रावधान वित्तीय स्थिरता के खतरे हेतु है, यद्यपि इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक संदर्भ दर्शाते हैं कि बाहरी और आंतरिक चुनौतियों ने किस प्रकार संवैधानिक तंत्र को प्रभावित किया और भविष्य हेतु लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को आकार दिया।

NODIA

60. (3) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
अनुच्छेद 358 के तहत बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 359 अधिकारों को निलंबित नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को उनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को सीमित करने की शक्ति देता है।
अधिकार संविधान में बने रहते हैं, किंतु उनका विधिक उपचार अस्थायी रूप से रुक जाता है। यह सूक्ष्म अंतर आपातकाल में नागरिकों की विधिक स्थिति और न्यायपालिका की हस्तक्षेप शक्ति को परिभाषित करता है। अतः कथन 2 गलत है क्योंकि अधिकार अस्तित्व में रहते हैं।

61. (3) 1, 2, 4 और 5
बोम्मई मामले में न्यायालय ने बहुमत परीक्षण राजभवन के बजाय विधानसभा पटल पर कराने का सिद्धांत दिया। धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना गया और अनुच्छेद 356 की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया। राष्ट्रपति तत्काल विधानसभा भंग नहीं कर सकते।
अवैध उद्घोषणा की स्थिति में न्यायालय बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है। ये सिद्धांत राज्यों की स्वायत्तता को केंद्र के मनमाने हस्तक्षेप से बचाते हैं। फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता

सुधारों द्वारा समाधान करना एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। वित्तीय आपातकाल लागू करने से वैश्विक साख और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जिसे प्रभावी ढंग से टाल दिया गया। इससे सिद्ध हुआ कि नीतिगत बदलाव आपातकाल का बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

45. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु कठोर व्यवस्था स्थापित की है। अनुच्छेद 359 में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।
इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी इन दो अनुच्छेदों की सुरक्षा प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 20 और 21 क्रमशः दोषसिद्धि से संरक्षण और जीवन की सुरक्षा देते हैं। यह विधिक सुरक्षा 1975 जैसी ज्यादतियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक ढाल है।

46. (4) वे आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की असाधारण शक्ति मिलती है। यह शक्ति केवल संकटकालीन समन्वय हेतु है। आपातकाल समाप्त होते ही संसद द्वारा निर्मित ऐसे कानून अपनी वैधता खोने लगते हैं।
संविधान के अनुसार, ये कानून आपातकाल समाप्ति की तिथि से छह माह बाद स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं। यह प्रावधान राज्यों की विधायी स्वायत्तता बहाल करने हेतु है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का स्थायी अतिक्रमण न कर सके।

47. (1) केवल 1 और 3
राष्ट्रीय आपातकाल (352) के अनुमोदन हेतु विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित का दो-तिहाई) अनिवार्य है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति शासन (356) और वित्तीय आपातकाल (360) के अनुमोदन हेतु केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
विशेष बहुमत की शर्त सुनिश्चित करती है कि व्यापक शक्तियों का प्रयोग बड़ी राजनीतिक सहमति से हो। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को कम कठोर बहुमत चाहिए क्योंकि वे प्रकृति में भिन्न हैं। अतः कथनों में बहुमत का यह अंतर लोकतांत्रिक नियंत्रण दर्शाता है।

48. (2) जयप्रकाश नारायण
1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति के केंद्रीय स्तंभ थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया। उनके नेतृत्व में बिहार और गुजरात से जन आंदोलन शुरु हुआ जिसने 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने छात्र शक्ति और जनता को लोकतांत्रिक मूल्यों हेतु एकजुट किया। आपातकाल में उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके नेतृत्व ने अंततः जनता पार्टी के गठन और 1977 में प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ।

49. (2) A-2, B-1, C-4, D-3
'सशस्त्र विद्रोह' शब्द 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल हेतु आवधिक अनुमोदन (प्रत्येक छह माह) भी इसी संशोधन की देन है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को एस.आर. बोम्मई मामले में विशेष बल मिला।
अनुच्छेद 250 संसद को आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यह सारांश दर्शाता है कि संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं ने किस प्रकार आपातकालीन शक्तियों को परिभाषित किया ताकि वे संकट में प्रभावी और सामान्य समय में मर्यादित रहें।

50. (1) राज्य विधायिका कार्य करना जारी रखती है, लेकिन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है।
राष्ट्रीय आपातकाल (352) में राज्य विधानसभाएं भंग या निलंबित नहीं होतीं, वे कार्य करती रहती हैं। हालांकि, संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की असाधारण शक्ति मिल जाती है। इससे विधायी अधिकार समवर्ती हो जाते हैं।
यह व्यवस्था केंद्र को संकट में आवश्यक कानून बनाने की छूट देती है, बिना राज्य ढांचे को नष्ट किए। यह संघीय प्रणाली का संतुलित केंद्रीकरण है जहाँ राज्यों का अस्तित्व बना रहता है, किंतु उनकी स्वायत्तता राष्ट्रीय हित में अस्थायी रूप से कम हो जाती है।

51. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
बोम्मई मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, अतः यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण आधार पर लगाया गया है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
कारण के रूप में यह कहना कि यह समीक्षा से बाहर है, पूर्णतः गलत है। वास्तव में, इस निर्णय ने न्यायपालिका को वह शक्ति दी जिससे वह संघीय ढांचे की रक्षा कर सके और राज्यों की चुनी हुई सरकारों को केंद्र के मनमाने हस्तक्षेप से बचा सके।

52. (4) संसद में प्रस्तुति → 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत → हर 6 महीने में नवीनीकरण
राष्ट्रीय आपातकाल (352) जारी रखने हेतु सख्त संसदीय प्रक्रिया है। उद्घोषणा के एक माह में इसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित करना होता है। निरंतरता हेतु प्रत्येक छह माह में पुनः नवीनीकरण अनिवार्य है।
44वें संशोधन से पहले यह अवधि दो माह थी और साधारण बहुमत पर्याप्त था। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि आपातकाल का अस्तित्व विधायिका की निरंतर इच्छा और व्यापक समर्थन पर निर्भर रहे, जो लोकतांत्रिक सुरक्षा हेतु आवश्यक है।

53. (3) राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है क्योंकि केंद्र उनके वित्तीय मामलों को निर्देशित करता है।
वित्तीय आपातकाल का राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पालन हेतु

NODIA

भ्रष्टाचार हेतु विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पूरी सरकार की बर्खास्तगी। संवैधानिक विफलता का अर्थ है कि प्रशासन का संविधान अनुरूप चलना असंभव हो गया है। राजनीतिक गतिरोध इस श्रेणी में आता है, किंतु प्रशासनिक कमियां स्वयं में राष्ट्रपति शासन का आधार नहीं बन सकतीं।

71. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
बोम्मई मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर विधानसभा को तत्काल भंग नहीं किया जा सकता। उसे केवल तब तक निलंबित रखा जा सकता है जब तक संसद के दोनों सदन दो माह में स्वीकृति न दे दें।
यह प्रक्रिया मनमाने विघटन को रोकती है क्योंकि यदि संसद मंजूरी नहीं देती, तो सरकार बहाल की जा सकती है। यह सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करता है कि केंद्र अपनी कार्यकारी शक्ति से किसी राज्य की निर्वाचित विधायी संस्था को नष्ट न कर सके, जो लोकतंत्र हेतु अनिवार्य है।

72. (1) एस. राधाकृष्णन, वी.वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद
तीनों राष्ट्रीय आपातकाल के समय विभिन्न राष्ट्रपति थे। 1962 में डॉ. राधाकृष्णन, 1971 में वी.वी. गिरि और 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। यह ऐतिहासिक क्रम संकटकालीन समय में शीर्ष नेतृत्व की निरंतरता और भूमिका को दर्शाता है।
यह सूची उन कालखंडों की याद दिलाती है जब लोकतंत्र ने सुरक्षा और स्थिरता की गंभीर चुनौतियों का सामना किया। प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन चुनौतीपूर्ण समयों में राष्ट्र प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।

73. (3) जब तक आपातकाल प्रभावी रहता है
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के प्रशासन पर व्यापक कार्यकारी नियंत्रण प्राप्त होता है। केंद्र की शक्ति का विस्तार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश देने तक हो जाता है, जो उद्घोषणा के प्रभावी रहने तक बना रहता है।
समाप्ति होते ही यह असाधारण हस्तक्षेप अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है और राज्यों की स्वायत्तता बहाल होती है। इस अवधि में राज्यों को केंद्र के निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होता है ताकि संकट में राष्ट्रीय संसाधनों और प्रशासन के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित हो सके।

74. (1) 1, 2 और 3
राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को पुनर्गठित कर सकते हैं और राजस्व वितरण संशोधित या कम कर सकते हैं। यह संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रभावी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है।
ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के समक्ष रखना अनिवार्य है ताकि विधायी नियंत्रण बना रहे। वित्तीय संसाधनों का यह लचीलापन संकट में रक्षा व्यय को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक है। संसद की निगरानी सुनिश्चित करती है कि राज्यों की बुनियादी प्रशासनिक आवश्यकताएं पूर्णतः अनदेखी न की जाएं।

75. (4) केवल 1 और 4
'आंतरिक अशांति' शब्द 1975 के आपातकाल का आधार था, जो अस्पष्ट होने के कारण राजनीतिक दुरुपयोग का शिकार हुआ। 44वें संशोधन ने इसे हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' को शामिल किया। वर्तमान में केवल आंतरिक अशांति पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता।
हिंसक और सशस्त्र विद्रोह होना अनिवार्य है। यह भाषाई परिवर्तन नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ऐतिहासिक मोड़ था। इसने स्पष्ट किया कि सामान्य नागरिक विरोध को राष्ट्रीय संकट मानकर आपातकालीन शक्तियां नहीं थोपी जा सकतीं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक सुदृढ़ हुईं।

76. (2) देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना
आपातकालीन प्रावधानों का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करना है। असाधारण परिस्थितियों में ये प्रावधान केंद्र को त्वरित निर्णय की शक्ति देते हैं। इसका लक्ष्य संप्रभुता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाना है।
यह राष्ट्र की उत्तरजीविता हेतु सुरक्षा तंत्र है। यद्यपि ये संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बनाते हैं, किंतु इनका लक्ष्य सत्ता का स्थायी केंद्रीकरण नहीं बल्कि पुनः सामान्य स्थिति बहाल करना है। यह निर्माताओं की दूरदर्शिता है जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा।

77. (3) A, B, C, E, D
राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्रमिक चरणों में है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, जिसे दो माह में संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक है। यह छह माह की प्रारंभिक अवधि प्रदान करता है।
विस्तार हेतु पुनः संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। एक वर्ष से अधिक हेतु निर्वाचन आयोग का प्रमाणीकरण आवश्यक है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति शासन का बने रहना केवल प्रशासनिक आवश्यकता न होकर निरंतर विधायी सहमति पर आधारित हो, जिससे जवाबदेही बनी रहे।

78. (4) अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
वित्तीय आपातकाल का प्रभाव वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्रों तक सीमित होता है। इसके दौरान वेतन कटौती और वित्तीय निर्देश संभव हैं, किंतु मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।
अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन केवल बाहरी आपातकाल (352) में होता है। यह अंतर समझना आवश्यक है क्योंकि आर्थिक संकट नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन का आधार नहीं बन सकता। संविधान ने प्रत्येक आपातकाल की शक्तियों को उसके विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार ही सीमित रखा है।

79. (1) A-3, B-4, C-1, D-2
1962 का आपातकाल 1965 के युद्ध के दौरान भी जारी रहा। 1971 के आपातकाल का परिणाम बांग्लादेश का निर्माण था। 1975 के आपातकाल के पश्चात सुधार हेतु 44वां संशोधन

Downloaded from www.pdf.tube

ने राज्यपालों की व्यक्तिगत पसंद के स्थान पर वास्तविक विधायी समर्थन को मानक बना दिया है।

62. (4) एक मृत पत्र (Dead letter)
डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग दुर्लभ होगा और यह मुख्य रूप से 'मृत पत्र' बना रहेगा। उन्हें विश्वास था कि केंद्र इसका प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में करेगा।
ऐतिहासिक रूप से इसका प्रयोग उनकी अपेक्षाओं के विपरीत राजनीतिक उद्देश्यों हेतु बार-बार हुआ। अंबेडकर का यह विचार राज्यों की स्वायत्तता के प्रति उनकी गंभीरता दर्शाता है। बोम्मई निर्णय के बाद न्यायपालिका ने इसे पुनः उसी अर्थ में लाने का प्रयास किया है जैसा मूलतः सोचा गया था।

63. (1) लोकसभा चुनाव में सत्तारुढ़ दल की भारी हार।
बोम्मई मामले के अनुसार, केवल लोकसभा चुनाव में राज्य की सत्तारुढ़ पार्टी की हार को अनुच्छेद 356 का वैध आधार नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य के चुनाव भिन्न मुद्दों पर होते हैं।
यदि त्रिशंकु विधानसभा हो या सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करे, तभी इसे संवैधानिक विफलता माना जा सकता है। इस स्पष्टीकरण ने राज्यों में चुनी हुई सरकारों को कार्यकाल की सुरक्षा दी और केंद्र के अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप के एक बड़े द्वार को सदैव हेतु बंद कर दिया।

64. (2) स्थायी रूप से, जब तक कि राज्य विधायिका द्वारा इसे निरस्त या संशोधित न किया जाए।
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य हेतु बनाए गए कानून तत्काल प्रभावी होना बंद नहीं करते। वे तब तक स्थायी रूप से लागू रहते हैं जब तक नई निर्वाचित विधायिका उन्हें औपचारिक रूप से निरस्त या संशोधित न कर दे।
यह प्रशासनिक निरंतरता हेतु आवश्यक है ताकि शासन परिवर्तन पर विधायी शून्यता पैदा न हो। नई सरकार को यह स्वायत्तता प्राप्त होती है कि वह अपनी नीतियों के अनुसार उन कानूनों की समीक्षा कर सके और भविष्य में उनकी उपयोगिता का निर्णय ले सके।

65. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को वास्तविक घटना होने से पूर्व ही आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि युद्ध, आक्रमण या विद्रोह का 'आसन्न खतरा' है, तो वे इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं।
यह प्रावधान देश की सुरक्षा तैयारियों को समय रहते सक्रिय करने हेतु बनाया गया है। निवारक उपाय के रूप में यह केंद्र को वास्तविक संकट से पहले ही आवश्यक शक्तियां देता है जिससे जान-माल की हानि कम की जा सके और प्रभावी रक्षा रणनीति तैयार हो सके।

66. (4) 1, 2 और 3
1975 का आंतरिक आपातकाल एकमात्र समय था जब 'आंतरिक अशांति' के आधार पर घोषणा हुई। इसमें अनुच्छेद 21 सहित लगभग सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ।
इसी दौरान विवादित 42वां संशोधन पारित हुआ जिसने कार्यपालिका को असीमित शक्तियां दीं। इस कालखंड की ज्यादतियों ने ही 44वें संशोधन की आवश्यकता को जन्म दिया। यह अनुभव दर्शाता है कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने हेतु कैसे किया जा सकता है।

67. (3) वे अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का उपचार निलंबित हो जाता है।
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करते, वे केवल उनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करते हैं। अधिकार संविधान में बने रहते हैं, किंतु आपातकाल में उनके उल्लंघन पर विधिक उपचार प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यह सूक्ष्मता महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश समाप्त होते ही उपचार पाने की शक्ति स्वतः बहाल हो जाती है। यह व्यवस्था संकट में असाधारण शक्तियां देती है, किंतु अधिकारों के अस्तित्व को पूर्णतः नहीं मिटाती, जो लोकतंत्र की एक मूलभूत रक्षा पंक्ति है।

68. (4) पंजाब
भारत में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रथम प्रयोग जून 1951 में पंजाब राज्य में किया गया था। वहां की सरकार के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। तब से इसका प्रयोग विभिन्न राज्यों में बार-बार हुआ।
पंजाब की इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक अस्थिरता में केंद्र के पास राज्यों को नियंत्रित करने का प्रभावी उपकरण है। यद्यपि निर्माताओं ने इसे दुर्लभ माना था, किंतु व्यवहार में यह केंद्र की हस्तक्षेप करने वाली भूमिका का एक प्रमुख विधिक आधार बन गया।

69. (3) A-2, B-3, C-1, D-4
अनुच्छेद 352 बाहरी सुरक्षा चुनौतियों हेतु है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर लगता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थिरता के समय प्रभावी होता है। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने को संवैधानिक विफलता का आधार बनाता है।
यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि केंद्र प्रत्येक संकट हेतु विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करे। इन प्रावधानों का अंतर संघीय ढांचे के संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु केंद्र की शक्तियों के विभिन्न स्तरों को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करता है ताकि सुशासन बना रहे।

70. (2) केवल 3
अनुच्छेद 356 हेतु संवैधानिक तंत्र की विफलता अनिवार्य है। चुनाव बाद किसी दल को बहुमत न मिलना और सरकार गठन की संभावना न होना इसका वैध आधार है। कुशासन या भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत आरोप इसके लिए पर्याप्त नहीं माने जाते।

NODIA

88. (1) A-3, B-2, C-1, D-4
राष्ट्रपति औपचारिक रूप से आपातकाल की उद्घोषणा जारी करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अनिवार्य लिखित सिफारिश प्रदान करता है। संसद का कर्तव्य निर्धारित समय में उद्घोषणा की समीक्षा और अनुमोदन करना है ताकि लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहे।
उच्चतम न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि उद्घोषणा संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो, जिसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग मनमाना न हो और प्रत्येक स्तर पर उचित जांच एवं जवाबदेही बनी रहे।

89. (4) 1, 2, 3 और 4
अनुच्छेद 358 के अनुसार बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए अलग आदेश आवश्यक नहीं है। इस दौरान निर्मित कानूनों को आपातकाल के बाद भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
हालांकि सशस्त्र विद्रोह पर यह स्वतः निलंबित नहीं होता। यह व्यवस्था सरकार को बाहरी आक्रमण में बिना कानूनी बाधा के सुरक्षात्मक कदम उठाने की छूट देती है। यह प्रशासनिक कुशलता सुनिश्चित करता है ताकि राष्ट्र रक्षा के विधायी कार्यों को अधिकारों के उल्लंघन पर बाधित न किया जा सके।

90. (1) जर्मनी का वाइमर संविधान
भारतीय आपातकालीन प्रावधान, विशेष रूप से अधिकारों का निलंबन, जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रभावित हैं। वाइमर संविधान ने संकट में राज्य को असाधारण शक्तियां देने का मार्ग दिखाया था। भारत ने इसे अपनाया लेकिन लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय भी जोड़े।
हमने संसदीय अनुमोदन और न्यायिक समीक्षा जैसे तंत्र शामिल किए जो मूल वाइमर ढांचे में इतने सुदृढ़ नहीं थे। यह वैश्विक सिद्धांतों के भारतीयकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है जो सुरक्षा और स्वतंत्रता में संतुलन बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि संकट में भी लोकतंत्र अक्षुण्ण रह सकता है।

91. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधायी शक्तियों का संचालन केंद्र के पास होता है। अनुच्छेद 356 में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है। यदि संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
ये दोनों कथन विधायी निरंतरता हेतु आवश्यक तंत्र को सही ढंग से परिभाषित करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधानसभा भंग होने पर भी राज्य के आवश्यक कानून बाधित न हों। केंद्र और राष्ट्रपति मिलकर प्रशासनिक और विधायी कार्यों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हैं।

92. (2) A, B, C, D
अनुच्छेद 359 के तहत अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया तार्किक है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तत्पश्चात राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश द्वारा उन अधिकारों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका प्रवर्तन न्यायालय में रोका जाना है।
अंत में इस आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है। यह क्रमबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को विधिक उपचारों की स्थिति स्पष्ट हो। संसद की भूमिका एक सुरक्षा वाल्व की तरह है जो कार्यपालिका के अनावश्यक निर्णयों पर अंकुश लगाती है।

93. (3) साधारण बहुमत
राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की प्रक्रिया को 44वें संशोधन ने सरल बनाया। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना पड़ता है। आपातकाल लगाने हेतु विशेष बहुमत चाहिए, किंतु समाप्त करना सरल है।
यह अंतर लोकतंत्र के पक्ष में है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कठोर स्थिति जारी रखने हेतु व्यापक समर्थन चाहिए, किंतु समाप्त करने हेतु सदन की सामान्य इच्छा पर्याप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका संसद की इच्छा विरुद्ध आपातकाल थोप न सके।

94. (4) 1, 2, 3 और 4
आलोचक इन प्रावधानों को संघीय ढांचे हेतु खतरा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं क्योंकि ये केंद्र को अत्यधिक शक्तियां देते हैं। समर्थकों का तर्क है कि ये राष्ट्र की अखंडता हेतु 'सुरक्षा वाल्व' की तरह कार्य करते हैं।
ये संकट में देश को बिखरने से बचाने हेतु आवश्यक उपाय के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन ही संविधान की विशेषता है। संशोधनों द्वारा दुरुपयोग रोकने हेतु पर्याप्त अवरोध लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता में समन्वय बना रहे।

95. (4) 1, 2, 3 और 4
राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के कई मार्ग हैं। राष्ट्रपति स्वयं उद्घोषणा वापस ले सकते हैं या संसद दो माह में मंजूरी न दे तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। नई सरकार का कार्यभार संभालना या न्यायिक निरस्तीकरण भी इसके अंत के कारण हैं।
ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति शासन केवल आवश्यकतानुसार बना रहे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और न्यायिक हस्तक्षेप इसके समापन के महत्वपूर्ण आधार हैं। यह दर्शाता है कि राज्यों में केंद्र का शासन अस्थायी स्थिति है, न कि कोई स्थायी व्यवस्था।

96. (2) A-4, B-3, C-1, D-2
विशेष बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल (352) के अनुमोदन हेतु अनिवार्य है। साधारण बहुमत का प्रयोग राष्ट्रपति शासन (356) और वित्तीय आपातकाल हेतु होता है। फ्लोर टेस्ट बोम्मई मामले के अनुसार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का तरीका है।
लिखित सलाह 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल हेतु अनिवार्य की गई। बहुमत के प्रकारों में यह अंतर दर्शाता है कि संकट की गंभीरता के आधार पर अनुमोदन की कठोरता

Click Here to Buy book on Amazon

आया। 1991 के आर्थिक संकट के बावजूद वित्तीय आपातकाल नहीं लगा।
ये घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत ने संकटों में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कैसे किया। 44वें संशोधन ने सुरक्षा कवच बनाया, जबकि 1991 ने सिद्ध किया कि आर्थिक सुधार वित्तीय आपातकाल का बेहतर विकल्प हैं। यह ऐतिहासिक अनुभव भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को रेखांकित करता है।

80. (2) यदि लोकसभा इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो इसे वापस लेना अनिवार्य है।
राष्ट्रपति शासन (356) की वापसी राष्ट्रीय आपातकाल (352) से भिन्न है। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा से वापस ले सकते हैं। लोकसभा के पास इसे समाप्त करने हेतु कोई अनिवार्य शक्ति नहीं है, जैसा 352 में है।
अतः कथन 2 गलत है क्योंकि लोकसभा प्रस्ताव केवल राष्ट्रीय आपातकाल हेतु अनिवार्य होता है। यदि संसद दो माह में इसे अनुमोदित नहीं करती, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका बने रहना राष्ट्रपति की संतुष्टि और संसद के सामूहिक अनुमोदन पर निर्भर करता है।

81. (2) 1, 2 और 3
आपातकालीन प्रावधान असामान्य स्थितियों हेतु केंद्र को व्यापक शक्तियां देते हैं और संघीय ढांचे को एकात्मक बना देते हैं। इसी कारण आलोचकों ने राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां मिलने की आलोचना की है। राज्यों की स्वायत्तता इसमें सुरक्षित नहीं रहती।
वास्तव में राज्यों का विधायी और वित्तीय नियंत्रण केंद्र के अधीन चला जाता है। राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल दोनों में स्वायत्तता का संकुचन होता है। यह संकट समाधान हेतु अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता मानी गई है। अतः कथन 4 और 5 तथ्यात्मक रूप से इसके वास्तविक प्रभाव के विपरीत हैं।

82. (1) 38वां संशोधन → 42वां संशोधन → 44वां संशोधन
संशोधनों का कालक्रम महत्वपूर्ण है। 38वें संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास किया। 42वें संशोधन (1976) ने केंद्र की आपातकालीन शक्तियों का और विस्तार किया ताकि कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो सके।
अंततः 1978 में 44वें संशोधन ने दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय जोड़कर संतुलन बहाल किया। यह क्रम भारतीय संवैधानिक विकास के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जहाँ पहले शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु सीमाएं पुनः स्थापित की गईं।

83. (3) अनुच्छेद 356
'संवैधानिक तंत्र की विफलता' शब्दावली अनुच्छेद 356 का मुख्य आधार है जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जब राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि शासन संविधान अनुरूप नहीं चल रहा, तो वे इसका प्रयोग करते हैं।
यह केंद्र को राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 352 बाहरी खतरों और 360 वित्तीय संकट हेतु है। अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह कर्तव्य डालता है कि वह राज्यों की रक्षा करे और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करे, जो 356 के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।

84. (4) 1, 2, 3 और 4
1975 का आपातकाल नागरिक स्वतंत्रताओं के दमन और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हेतु जाना जाता है। इसी दौरान पारित 42वें संशोधन ने संविधान का मूल स्वरूप बदलने का प्रयास किया। ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था।
इन घटनाओं ने संवैधानिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आयोग की रिपोर्ट ने प्रशासनिक खामियों को उजागर किया जिसके आधार पर 44वां संशोधन लाया गया। यह कालखंड भारतीय लोकतंत्र हेतु एक बड़ी सीख था जिसने भविष्य हेतु सुरक्षा तंत्र को अधिक सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाया।

85. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1975 में प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति बिना ही राष्ट्रपति को आपातकाल की सलाह दी थी। इस एकतरफा निर्णय को रोकने हेतु 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में सुरक्षा उपाय जोड़ा कि राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश अनिवार्य होगी। यह सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। लिखित सिफारिश सुनिश्चित करती है कि इतना गंभीर निर्णय किसी व्यक्ति की सनक के बजाय सामूहिक विवेक पर आधारित हो। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

86. (2) संगठित समूहों द्वारा राज्य के विरुद्ध हिंसक सशस्त्र विद्रोह।
'सशस्त्र विद्रोह' का अर्थ है जब कोई समूह हथियारों के साथ राज्य की सत्ता को चुनौती देने हेतु संगठित और हिंसक विद्रोह करता है। यह 44वें संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर लाया गया ताकि आधार अधिक ठोस हो सके।
यह सामान्य नागरिक प्रदर्शनों से पूर्णतः भिन्न है। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि सरकार राजनीतिक असंतोष दबाने हेतु आपातकालीन शक्तियों का सहारा न ले। यह प्रयोग को केवल उन स्थितियों तक सीमित करता है जहाँ संप्रभुता को वास्तविक सैन्य या हिंसक खतरा विद्यमान हो।

87. (2) अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह उत्तरदायित्व डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि शासन संविधान अनुरूप चले। इस कर्तव्य के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है।
अतः अनुच्छेद 355 वह वैधानिक आधार है जो केंद्र को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 356 के प्रयोग को केवल राजनीतिक उपकरण के बजाय एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित करता है जिससे संघीय ढांचे की अखंडता सुरक्षित रहती है।

NODIA

36. (4) 44वां संशोधन
1975 के अनुभवों से सीख लेकर 44वें संशोधन (1978) ने आपातकालीन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। अब राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की 'लिखित सिफारिश' मिलने पर ही उद्घोषणा कर सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री अकेले सलाह दे सकते थे।
अब सामूहिक निर्णय और लिखित रिकॉर्ड अनिवार्य है। यह सुरक्षा उपाय व्यक्तिगत इच्छा या एकतरफा निर्णय से देश पर आपातकाल थोपने से रोकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सहमति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है और दुरुपयोग घटाती है।

37. (3) A, B, C, E, D
बोम्मई मामले के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। सर्वप्रथम राज्यपाल को सदन में बहुमत परीक्षण कराना चाहिए। यदि बहुमत स्पष्ट नहीं है, तो रिपोर्ट भेजी जाती है और उद्घोषणा होती है।
उद्घोषणा को दो माह में संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। विधानसभा का औपचारिक विघटन केवल संसदीय अनुमोदन के बाद संभव है। यह क्रम सुनिश्चित करता है कि चुनी हुई सरकार केवल ठोस आधारों पर ही हटाई जाए।

38. (2) अनुच्छेद 365 - संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव
अनुच्छेद 365 स्पष्ट करता है कि यदि राज्य केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करता, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है। यह अनुच्छेद 356 के प्रयोग हेतु विधिक आधार प्रदान करता है।
अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 365 केंद्र की कार्यकारी शक्ति को प्रभावी बनाता है और सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियों का राज्यों में उचित कार्यान्वयन हो सके।

39. (4) A-2, B-1, C-3, D-4
राष्ट्रीय आपातकाल (352) हेतु घोषणा के एक माह के भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन (356) और वित्तीय आपातकाल (360) हेतु यह अवधि दो माह निर्धारित है। उद्घोषणा वापस लेने हेतु संसदीय अनुमोदन अनिवार्य नहीं है।
राष्ट्रपति इसे दूसरी उद्घोषणा से कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ये समय सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि असाधारण शक्तियों पर विधायिका का नियंत्रण बना रहे। समय पर अनुमोदन न मिलने पर ये उद्घोषणाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, जो जवाबदेही का प्रतीक है।

40. (1) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी और विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण
आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य संकट में त्वरित और समन्वित निर्णय लेना है। इसमें केंद्र को व्यापक कार्यकारी शक्तियां मिलती हैं और संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। यह शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बनाता है।
यह परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की चुनौतियों का प्रभावी मुकाबला करने हेतु अनिवार्य है। यद्यपि यह संतुलन प्रभावित करता है, किंतु इसे केवल असाधारण परिस्थितियों हेतु उचित माना गया है। राष्ट्रहित में राज्य की स्वायत्तता अस्थायी रूप से गौण रखी जाती है।

41. (3) 1, 2, 3 और 4
अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 358 बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य अधिकारों हेतु न्यायालय जाने से रोकने की शक्ति देता है।
44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता और राज्य सुरक्षा में संतुलन बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि संकट में भी जीवन और न्याय के न्यूनतम अधिकार सुरक्षित रहें।

42. (3) 1971
भारत में द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। इसका मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) का मानवीय संकट और भारतीय सीमाओं पर सैन्य आक्रमण था। यह बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था।
जब 1975 में तीसरा आपातकाल लगा, तब यह भी तकनीकी रूप से प्रभावी था। इस दौरान देश में अभूतपूर्व एकता थी और शक्तियों का प्रयोग सैन्य उद्देश्यों हेतु हुआ। इसने भारत की सुरक्षा नीतियों और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को सदैव के लिए बदल दिया।

43. (4) केवल 1 और 2
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल हेतु दो माह में संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन अनिवार्य है। संसद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात यह अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है। इसे बार-बार अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं होती।
यह तब समाप्त होता है जब राष्ट्रपति इसे वापस लें। इसकी दीर्घकालिक प्रकृति संकट की गंभीरता दर्शाती है जिसे सुलझाने में समय लग सकता है। विधायी अनुमोदन की छूट वित्तीय प्रशासन में स्थिरता बनाए रखने हेतु दी गई है ताकि सुधार प्रभावी हो सकें।

44. (2) संकट को टालने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार और स्थिरता उपाय लागू किए गए थे।
1991 में भारत ने गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना किया था। यद्यपि वित्तीय आपातकाल लगाने की संभावना थी, किंतु तत्कालीन सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे आर्थिक सुधारों को अपनाया। इन उपायों से साख पुनः बहाल हुई।

Downloaded from www.pdf.tube

श्रेणीबद्ध है। यह प्रक्रिया शासन में जवाबदेही और लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु वैज्ञानिक रूप से निर्मित है।

97. (2) राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन में जब विधानसभा भंग होती है, तो राज्य की वित्तीय व्यवस्था के संचालन हेतु विशेष प्रावधान हैं। यदि संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि से आवश्यक व्यय अधिकृत करने की शक्ति प्राप्त होती है।
यह व्यय संसद की भावी मंजूरी के अधीन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायी शून्यता में भी प्रशासनिक खर्च और जन कल्याण बाधित न हो। राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होते हैं, किंतु वित्तीय अधिकार राष्ट्रपति और संसद की सर्वोच्चता के अधीन ही रहते हैं।

98. (1) A-3, B-2, C-1, D-4
38वें संशोधन ने उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रयास किया। 42वें संशोधन ने केंद्र को आपातकाल किसी विशिष्ट हिस्से तक सीमित करने की शक्ति दी। 44वें संशोधन ने 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा और अनुच्छेद 20-21 को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की।
यह विकास यात्रा नागरिक अधिकारों के सुदृढ़ीकरण की कहानी है। जहाँ प्रारंभिक संशोधनों ने कार्यपालिका को सशक्त किया, वहीं बाद के संशोधनों ने लोकतांत्रिक मूल्यों हेतु सुदृढ़ अवरोध खड़े किए। यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग सदैव न्यायोचित और मर्यादित बना रहे।

99. (1) 1, 2, 3, 4 और 5
ये सभी तथ्य ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। भारत ने कभी वित्तीय आपातकाल नहीं देखा, जबकि राष्ट्रपति शासन सौ से अधिक बार लगा है। 44वें संशोधन ने सुरक्षा उपाय जोड़कर प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाया और नागरिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ आधार दिया।
किसी भी आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार सदैव सुरक्षित रहते हैं। ये बिंदु भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दर्शाते हैं। बार-बार राष्ट्रपति शासन के प्रयोग के बावजूद हमारे संशोधनों ने सुनिश्चित किया है कि विधिक प्रक्रिया का सम्मान हमेशा बना रहे, चाहे परिस्थितियां असाधारण हों।

100. (4) संविधान और लोकतांत्रिक तंत्र को खतरों से बचाना।
आपातकालीन प्रावधानों का चरम लक्ष्य संकट से संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखना है। ये किसी सत्तावादी शासन हेतु नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने हेतु हैं जो देश की एकता और सुरक्षा को खंडित कर सकती हैं।
संकट में शक्तियों का केंद्रीकरण केवल इसलिए है ताकि देश पुनः स्वस्थ लोकतांत्रिक स्थिति में लौट सके। यह निर्माताओं का सुरक्षा कवच था जिसका उद्देश्य राष्ट्र की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना था। ये शक्तियां संप्रभुता बनाए रखने का साधन हैं ताकि नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहे।

NODIA

अध्याय 09
स्थानीय स्वशासन : पंचायती राज एवं नगरीय निकाय

1. बलवंतराय मेहता समिति का गठन 1957 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए किया गया था?
(1) एकीकृत ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
(2) सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा
(3) न्यूनतम आवश्यकताएं और बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम
(4) मरुस्थल विकास और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. सूची-I (समितियाँ/संशोधन) को सूची-II (प्रमुख सिफारिश/विशेषता) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (समितियाँ/संशोधन)
A. बलवंतराय मेहता समिति
B. अशोक मेहता समिति
C. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
सूची-II: (प्रमुख सिफारिश/विशेषता)
i. शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा
ii. त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली
iii. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
iv. द्वि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने भारत के संविधान में भाग IX जोड़ा।
II. यह सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल का प्रावधान करता है।
III. यह तीनों स्तरों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य बनाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों से सही रूप में अलग करता है?
(1) बलवंतराय मेहता ने द्वि-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया था, जबकि अशोक मेहता ने त्रि-स्तरीय मॉडल को प्राथमिकता दी थी।
(2) बलवंतराय मेहता ने कार्यकारी ग्राम पंचायत निकाय को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी।
(3) अशोक मेहता ने पंचायती राज संस्थाओं को कराधान शक्तियों के हस्तांतरण का कड़ा विरोध किया था।
(4) अशोक मेहता ने पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की थी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी।
कारण (R): समिति का मानना था कि जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर नियोजन का केंद्र होना चाहिए।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
(2) यह सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है।
(3) यह प्रत्येक पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना का आदेश देता है।
(4) यह 29 विषयों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

7. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभाओं का संगठन।
II. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
III. पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना।
IV. अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन अनिवार्य प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. 73वें संशोधन के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) पंचायत समिति - मध्यवर्ती स्तर
(2) ग्राम पंचायत - जिला स्तर
(3) जिला परिषद - ग्राम स्तर
(4) ग्राम सभा - खंड स्तर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. सूची-I (संवैधानिक अनुच्छेद) को सूची-II (विषय वस्तु) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (संवैधानिक अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 243A
B. अनुच्छेद 243K
C. अनुच्छेद 243I
D. अनुच्छेद 243D
सूची-II: (विषय वस्तु)
i. राज्य निर्वाचन आयोग
ii. ग्राम सभा
iii. सीटों का आरक्षण
iv. राज्य वित्त आयोग
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. पंचायती राज प्रणाली के निम्नलिखित स्तरों पर विचार कीजिए:
I. पंचायत समिति
II. जिला परिषद
III. ग्राम पंचायत
निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तरों का सबसे निचले (ग्राम) स्तर से उच्चतम (जिला) स्तर तक का सही क्रम है?
(1) I, II, III
(2) III, I, II
(3) III, II, I
(4) I, III, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम सभा को कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) एक गाँव के भीतर रहने वाले सभी स्थायी वयस्क निवासियों की एक सामान्य सभा।
(2) स्थानीय शासन के लिए ग्रामीणों द्वारा चुनी गई एक प्रशासनिक कार्यकारी समिति।
(3) सलाहकार भूमिकाओं के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त गाँव के बुजुर्गों की परिषद।
(4) पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. ग्राम सभा से जुड़ी निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों पर विचार कीजिए:
I. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देना।
II. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करना।
III. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना।
IV. धन के उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने को अधिकृत करना।
V. राज्य वित्त आयोग की लेखापरीक्षा करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(1) I, II और IV
(2) III और V
(3) I, III और V
(4) II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य नहीं है?
(1) अनुसूचित जाति
(2) अनुसूचित जनजाति
(3) पिछड़ा वर्ग
(4) महिलाएँ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
कारण (R): इस आरक्षण का उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

Downloaded from www.pdf.tube

(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. किसी राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक कितने वर्षों में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है?
(1) पांच वर्ष
(2) तीन वर्ष
(3) चार वर्ष
(4) छह वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. सूची-I (स्थानीय सरकारी पदाधिकारी/निकाय) को सूची-II (प्राथमिक भूमिका) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (स्थानीय सरकारी पदाधिकारी/निकाय)
A. राज्य निर्वाचन आयोग
B. राज्य वित्त आयोग
C. जिला नियोजन समिति
D. ग्राम सभा
सूची-II: (प्राथमिक भूमिका)
i. करों के हस्तांतरण की सिफारिश करना
ii. पंचायत चुनाव संपन्न कराना
iii. पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला
iv. ग्रामीण और शहरी योजनाओं का समेकन
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्र से बड़े शहरी क्षेत्र तक शहरी स्थानीय निकायों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत
(2) नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
(3) नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम
(4) नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने कार्यात्मक विषय रखे गए हैं?
(1) 29
(2) 18
(3) 22
(4) 32
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
I. कृषि विस्तार सहित कृषि।
II. अग्निशमन सेवाएँ।
III. लघु वन उपज।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. ग्यारहवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यात्मक विषयों में से विषम विकल्प को पहचानिए:
(1) भूमि सुधार और मृदा संरक्षण
(2) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(3) पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन
(4) झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, कब लागू हुआ?
(1) 24 अप्रैल 1993
(2) 2 अक्टूबर 1993
(3) 1 जून 1993
(4) 1 जनवरी 1994
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

22. सूची-I (शहरी क्षेत्र का प्रकार) को सूची-II (शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (शहरी क्षेत्र का प्रकार)
A. संक्रमणकालीन क्षेत्र
B. छोटा शहरी क्षेत्र
C. बड़ा शहरी क्षेत्र
D. औद्योगिक टाउनशिप
सूची-II: (शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार)
i. नगर निगम
ii. नगर परिषद
iii. नगर पंचायत
iv. औद्योगिक प्रतिष्ठान प्राधिकरण
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने संविधान में भाग IXA जोड़ा।
II. इसने 18 कार्यात्मक विषयों वाली बारहवीं अनुसूची पेश की।
III. यह छावनी बोर्डों को किसी भी केंद्रीय कानून से पूरी तरह

छूट देता है।
IV. यह तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का आदेश देता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: महापौर नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है।
कथन II: नगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 74वाँ संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में एक जिला नियोजन समिति (DPC) का प्रावधान करता है।
कारण (R): जिला नियोजन समिति को जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने की आवश्यकता होती है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला नियोजन समिति का गठन किया गया है?
(1) अनुच्छेद 243ZD
(2) अनुच्छेद 243ZE
(3) अनुच्छेद 243G
(4) अनुच्छेद 243W
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. निम्नलिखित कार्यात्मक विषयों पर विचार कीजिए:
I. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
II. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन।
III. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
IV. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित जन्म-मृत्यु सांख्यिकी।
V. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से बारहवीं अनुसूची में शामिल है/हैं?
(1) I, II और IV
(2) II, III और V
(3) I, III और IV
(4) I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. भारत में स्थानीय स्वशासन के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः एक गलत कथन माना जाता है?
(1) वे अक्सर राज्य सरकार के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता से जूझते हैं।
(2) सभी भारतीय राज्यों में 3एफ (निधि, कार्य और पदाधिकारी) का हस्तांतरण पूर्ण और समान है।
(3) राज्य सरकारें कभी-कभी समानांतर निकाय बनाती हैं जो स्थानीय संस्थाओं को कमजोर करते हैं।
(4) निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण का अभाव है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. सूची-I (संवैधानिक अनुसूची/भाग) को सूची-II (संदर्भ) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (संवैधानिक अनुसूची/भाग)
A. ग्यारहवीं अनुसूची
B. बारहवीं अनुसूची
C. भाग IX
D. भाग IXA
सूची-II: (संदर्भ)
i. पंचायत
ii. नगरपालिकाएँ
iii. 29 विषय
iv. 18 विषय
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. स्थानीय स्वशासन में निम्नलिखित नियोजन स्तरों पर विचार कीजिए:
I. जिला नियोजन समिति योजना
II. ग्राम पंचायत योजना
III. पंचायत समिति योजना
IV. जिला परिषद योजना
निम्नलिखित में से कौन सा जमीनी स्तर से जिला स्तर तक इन योजनाओं के समेकन का सही क्रम है?
(1) I, II, III, IV
(2) II, III, IV, I
(3) II, IV, III, I

Click Here to Buy book on Amazon

(4) IV, III, II, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. पंचायती राज संस्थाओं को 'पदाधिकारियों' के हस्तांतरण की कमी का सबसे संभावित प्रभाव क्या है?
(1) हस्तांतरित विषयों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में असमर्थता।
(2) आंतरिक नगरपालिका राजस्व के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि।
(3) राज्य विधायी निकायों के लिए निर्धारित चुनावों का पूरी तरह से बंद होना।
(4) राज्य की विधानसभा के भीतर तत्काल संवैधानिक संकट।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना।
II. जिला परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
III. जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन बलवंतराय मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सी अशोक मेहता समिति की सिफारिश नहीं थी?
(1) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता।
(2) प्रतिनिधित्व के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली की स्थापना।
(3) पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी।
(4) विकास पंचायतों से अलग न्याय पंचायतों की स्थापना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): बलवंतराय मेहता समिति ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' शब्द प्रतिपादित किया था।
कारण (R): समिति का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना था जहाँ स्थानीय समुदायों के पास स्वयं शासन करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता हो।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक स्वैच्छिक (विवेकाधीन) प्रावधान है?
(1) राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना।
(2) प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराना।
(3) पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना।
(4) राज्य वित्त आयोग का गठन करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. सूची-I (आरक्षण पर संवैधानिक अनुच्छेद) को सूची-II (संस्था/प्रक्रिया) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (आरक्षण पर संवैधानिक अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 243D
B. अनुच्छेद 243T
C. अनुच्छेद 243K
D. अनुच्छेद 243ZA
सूची-II: (संस्था/प्रक्रिया)
i. नगरपालिकाओं के चुनाव
ii. पंचायतों में आरक्षण
iii. नगरपालिकाओं में आरक्षण
iv. पंचायतों के चुनाव
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण चरणों की स्थापना का सही ऐतिहासिक क्रम दर्शाता है?
(1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, 73वाँ संशोधन अधिनियम
(2) बलवंतराय मेहता समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अशोक मेहता समिति, 73वाँ संशोधन अधिनियम
(3) अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 73वाँ संशोधन अधिनियम
(4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, 73वाँ संशोधन अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

38. ग्राम सभा की अवधारणा को किस प्रकार के लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है?
(1) प्रतिनिधि लोकतंत्र
(2) प्रत्यक्ष लोकतंत्र
(3) प्रत्यायोजित लोकतंत्र
(4) सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. राज्य वित्त आयोग (SFC) के संबंध में निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. यह उन करों, शुल्कों और पथकरों को निर्धारित करता है

जिन्हें पंचायतों को सौंपा जाना है।
II. यह राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान की सिफारिश करता है।
III. यह ग्राम पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा करता है।
IV. यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों की सिफारिश करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा SFC के वास्तविक कार्यों को दर्शाता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे:
(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
(2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को
(3) राज्य के राज्यपाल को
(4) राज्य के मुख्य सचिव को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
(1) राज्य के मुख्यमंत्री
(2) भारत के राष्ट्रपति
(3) राज्य के राज्यपाल
(4) राज्य विधानसभा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
I. ग्रामीण आवास
II. पेयजल
III. सड़कें, पुलिया और पुल
IV. ग्रामीण विद्युतीकरण
V. अग्निशमन सेवाएँ
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) II, III, IV और V
(3) I, III, IV और V
(4) I, II, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. निम्नलिखित कार्यों में से विषम कार्य को पहचानिए, क्योंकि यह ग्यारहवीं अनुसूची के बजाय बारहवीं अनुसूची से संबंधित है:
(1) विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
(2) वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा सेवाओं की सुविधा।
(3) ग्रामीण बाजारों और पारंपरिक ग्राम मेलों का प्रबंधन।
(4) शवदाह गृह और श्मशान घाट।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में अक्सर वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता का अभाव होता है।
कारण (R): शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के अनुदानों पर भारी रूप से निर्भर हैं और उनके पास सीमित स्वतंत्र कराधान शक्तियाँ हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. नगर पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: नगर पंचायत का गठन संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किया जाता है, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा क्षेत्र है।
कथन II: संक्रमणकालीन क्षेत्र को परिभाषित करने के मानदंडों में जनसंख्या, घनत्व, उत्पन्न राजस्व और गैर-कृषि रोजगार का प्रतिशत शामिल है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. सूची-I (शहरी निकाय पदाधिकारी) को सूची-II (भूमिका/विवरण) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (शहरी निकाय पदाधिकारी)
A. महापौर
B. नगर आयुक्त
C. अध्यक्ष
D. जिला मजिस्ट्रेट
सूची-II: (भूमिका/विवरण)
i. नगर निगम का मुख्य कार्यकारी
ii. नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख
iii. नियोजन समितियों में पदेन सदस्य (अक्सर)
iv. नगर परिषद का राजनीतिक प्रमुख
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. विकेंद्रीकृत नियोजन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. जिला परिषद द्वारा योजना तैयार करना

Downloaded from www.pdf.tube

II. ग्राम पंचायत द्वारा योजना तैयार करना
III. जिला नियोजन समिति द्वारा योजनाओं का समेकन
IV. पंचायत समिति द्वारा योजना तैयार करना
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम स्तर से जिला स्तर तक नियोजन का सही क्रम है?
(1) II, IV, I, III
(2) I, II, III, IV
(3) II, I, IV, III
(4) III, I, IV, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. विशिष्ट राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को उसके जनसांख्यिकीय लक्ष्य क्षेत्र के साथ सुमेलित करने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) नगर निगम - छोटे शहरी क्षेत्र
(2) नगर पंचायत - संक्रमणकालीन क्षेत्र
(3) नगर परिषद - संक्रमणकालीन क्षेत्र
(4) छावनी बोर्ड - बड़े शहरी क्षेत्र
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. जिला नियोजन समिति (DPC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जिला नियोजन समिति के कम से कम चार-पांचवें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने चाहिए।
II. जिला नियोजन समिति में सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच के अनुपात के अनुसार होना चाहिए।
III. जिला नियोजन समिति पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं पर विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. स्थानीय स्वशासन के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में, 'पदाधिकारी' शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है?
(1) स्थानीय निकायों के नियंत्रण में रखे गए प्रशासनिक कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी।
(2) निर्वाचित वार्ड सदस्यों और ग्राम सरपंच का समूह।
(3) निकायों को वार्षिक रूप से आवंटित कुल वित्तीय संसाधन।
(4) ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध विभिन्न विषय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, बाद में इसके कामकाज की समीक्षा के लिए किस समिति के गठन का प्राथमिक कारण बनी?
(1) एल.एम. सिंघवी समिति
(2) अशोक मेहता समिति
(3) बलवंतराय मेहता समिति
(4) जी.वी.के. राव समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. पंचायती राज में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. राजनीतिक दलों को पंचायत चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
II. राजनीतिक दलों को पंचायत चुनावों में खुलकर भाग लेना चाहिए।
III. ग्राम स्तर पर चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़े जाने चाहिए।
IV. अशोक मेहता समिति राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी की प्रबल समर्थक थी।
उपरोक्त में से कौन सा कथन अशोक मेहता समिति के दृष्टिकोण को सही ढंग से दर्शाता है?
(1) I और III
(2) II और IV
(3) I, III और IV
(4) II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. निम्नलिखित में से कौन सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है?
(1) ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन।
(2) पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर अनिवार्य चुनाव।
(3) राज्य योजना बोर्ड के लिए एक अलग संवैधानिक प्रावधान।
(4) पंचायतों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. सूची-I (पंचायती राज स्तर) को सूची-II (निर्वाचित प्रमुख) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (पंचायती राज स्तर)
A. ग्राम पंचायत
B. पंचायत समिति
C. जिला परिषद
D. ग्राम सभा
सूची-II: (निर्वाचित प्रमुख)
i. प्रधान
ii. जिला प्रमुख
iii. सरपंच
iv. कोई निर्वाचित प्रमुख नहीं (मतदाताओं का निकाय)
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii

NODIA

(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा के प्राथमिक महत्व का सबसे उपयुक्त विवरण क्या है?
(1) यह गाँव की न्यायिक शाखा के रूप में कार्य करती है।
(2) यह खंड विकास अधिकारी के प्रशासनिक कार्यों का स्थान लेती है।
(3) यह चुनावी उद्देश्यों के लिए गठित एक अस्थायी समिति है।
(4) यह विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. पंचायती राज संस्थाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) आरक्षण केवल ग्राम पंचायत स्तर पर लागू होता है, उच्च स्तरों पर नहीं।
(2) सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं।
(3) SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई सीटें इन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
(4) सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद भी SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए जिनकी राज्य वित्त आयोग (SFC) को समीक्षा करनी चाहिए:
I. राज्य और पंचायतों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण।
II. पंचायतों को सौंपे गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण।
III. राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान।
IV. पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय।
V. ग्राम पंचायतों को केंद्रीय बजट निधि का प्रत्यक्ष आवंटन।
SFC के संवैधानिक जनादेश के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) I, III, IV और V
(3) II, III, IV और V
(4) I, II, III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए:
"राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल वैसा ही होगा जैसा राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित करें।"
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सुरक्षा उपाय राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा करता है?
(1) उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा।
(2) वे उसी पद पर किसी दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पूर्णतः अपात्र हैं।
(3) उनका पूरा वेतन और भत्ते सीधे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
(4) उन्हें उनके सक्रिय कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायिक कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति दी जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करता है?
(1) अनुच्छेद 243A
(2) अनुच्छेद 243K
(3) अनुच्छेद 243W
(4) अनुच्छेद 243G
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. 74वें संशोधन अधिनियम ने जिला नियोजन समिति के गठन का आदेश दिया। शहरी और ग्रामीण नियोजन पर इस आदेश का इच्छित प्रभाव क्या था?
(1) राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी नियोजन को पूरी तरह से अलग करना।
(2) पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की योजनाओं को एकीकृत और समेकित करना।
(3) नियोजन शक्तियों को राज्य से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना।
(4) निजी क्षेत्र को सभी स्थानीय शहरी नियोजन पहलों का नेतृत्व करने की अनुमति देना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. शहरी स्थानीय निकायों के प्रकारों के तहत, एक नगर निगम किसके लिए स्थापित किया जाता है?
(1) ग्रामीण से शहरी स्थिति में परिवर्तित होने वाले छोटे क्षेत्रों के लिए।
(2) मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए।
(3) महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए।
(4) राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. सूची-I (शहरी स्थानीय निकाय अवधारणा) को सूची-II (विवरण) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (शहरी स्थानीय निकाय अवधारणा)
A. वार्ड समिति
B. छावनी बोर्ड
C. पोर्ट ट्रस्ट
D. टाउन एरिया कमेटी

Click Here to Buy book on Amazon

सूची-II: (विवरण)
i. तीन लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में स्थापित
ii. सैन्य क्षेत्रों में नागरिक आबादी के नगरपालिका प्रशासन के लिए स्थापित
iii. बंदरगाहों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए बनाया गया
iv. छोटे शहरों के लिए एक अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. नगर आयुक्त में आमतौर पर निहित निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. नगरपालिका कानूनों द्वारा आवश्यक सभी कार्यों का निष्पादन।
II. नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना।
III. अनुमोदित नगरपालिका बजट के अनुसार धन संवितरित करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा नगर आयुक्त की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद विशेष रूप से उन 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें नगरपालिकाओं (बारहवीं अनुसूची) को हस्तांतरित किया जा सकता है?
(1) अनुच्छेद 243G
(2) अनुच्छेद 243W
(3) अनुच्छेद 243Q
(4) अनुच्छेद 243ZD
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. विकास योजना का मसौदा तैयार करते समय, जिला नियोजन समिति को निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी पर स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिए?
(1) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामले।
(2) राज्य की सीमा की समग्र भू-राजनीतिक रक्षा रणनीति।
(3) स्थानिक नियोजन और जल तथा अन्य भौतिक संसाधनों का साझाकरण।
(4) उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार, चाहे वित्तीय हों या अन्य।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. स्थानीय स्वशासन में "3एफ के हस्तांतरण" की अवधारणा के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) संशोधनों ने सभी राज्यों में पूर्ण 3एफ हस्तांतरण को स्वतः निष्पादित कर दिया।
(2) इसका अर्थ स्थानीय शासन के लिए निधि, कार्य और पदाधिकारी है।
(3) इसका तात्पर्य स्थानीय निकायों को आवश्यक संसाधन, कर्तव्य और कर्मचारी प्रदान करना है।
(4) पर्याप्त 3एफ हस्तांतरण की कमी स्थानीय संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. भारत में स्थानीय स्वशासन के कामकाज में बताई गई निम्नलिखित चुनौतियों पर विचार कीजिए:
I. 73वें/74वें संशोधनों से पहले कुछ राज्यों में अनियमित चुनाव।
II. आंतरिक वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त संग्रहण।
III. शक्तियों को हस्तांतरित करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा।
IV. स्थानीय विधायकों द्वारा हस्तक्षेप।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा स्थानीय निकायों की प्रमुख चुनौतियों को दर्शाता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
कथन II: 73वाँ संशोधन राज्य विधानमंडल के लिए ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. निम्नलिखित निकायों में से कौन सा विषम है क्योंकि यह 73वें या 74वें संशोधनों के तहत बनाया गया संवैधानिक निकाय नहीं है?
(1) राज्य वित्त आयोग
(2) राज्य निर्वाचन आयोग
(3) राज्य योजना बोर्ड
(4) जिला नियोजन समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. सूची-I (प्रमुख अवधारणा/शब्द) को सूची-II (संबद्ध संदर्भ) के साथ सुमेलित कीजिए:

NODIA

सूची-I: (प्रमुख अवधारणा/शब्द)
A. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
B. 3एफ चुनौती
C. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
D. संक्रमणकालीन क्षेत्र
सूची-II: (संबद्ध संदर्भ)
i. बलवंतराय मेहता समिति
ii. ग्राम सभा
iii. नगर पंचायत
iv. निधि, कार्य, पदाधिकारी
(1) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. पंचायती राज की निम्नलिखित प्रणालीगत विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. ग्राम सभा का गठन।
II. सभी स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
III. महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण।
IV. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
V. राज्य वित्त आयोग का गठन।
उपरोक्त कथनों में से किसे 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य बनाया गया था?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. बलवंतराय मेहता समिति ने किस वर्ष 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की रूपरेखा देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी?
(1) 1957
(2) 1952
(3) 1978
(4) 1992
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा नहीं की गई थी?
(1) न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए।
(2) राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
(3) ग्राम सभा को एक संस्था के रूप में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
(4) राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(1) यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो उसके भंग होने के छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।
(2) समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत पांच साल के पूरे कार्यकाल का आनंद लेती है।
(3) सामान्य समय के दौरान राज्यपाल द्वारा पंचायत का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
(4) नई पंचायत के चुनाव इसके कार्यकाल की समाप्ति के एक साल बाद तक टाले जा सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे।
कथन II: राज्य विधानमंडल पिछड़ा वर्ग के लिए अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में, यदि आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूरा नहीं होता है, तो मानक प्रक्रियात्मक अनुप्रयोग क्या है?
(1) सरपंच सभी कार्यसूची मदों पर एकतरफा निर्णय लेता है।
(2) बैठक तुरंत बाद के समय या तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है।
(3) खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत को भंग कर देता है।
(4) कार्यसूची अनुमोदन के लिए जिला परिषद को स्थानांतरित कर दी जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. राज्य वित्त आयोग (SFC) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है?
(1) यह अनुच्छेद 243I के अनिवार्य प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
(2) इसकी प्राथमिक भूमिका स्थानीय निकायों की राजकोषीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है।
(3) इसकी सिफारिशें बाध्यकारी हैं और राज्य सरकारों द्वारा खारिज नहीं की जा सकतीं।
(4) राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

54. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रमुखों के नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के प्रमुख को प्रधान या ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, जबकि जिला परिषद के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी को जिला प्रमुख कहते हैं। ग्राम सभा मतदाताओं का स्थायी निकाय है, जिसकी बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः सरपंच द्वारा की जाती है।

55. (4) यह विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करती है।
ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की मौलिक इकाई है क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है। यह गाँव के सभी वयस्क नागरिकों को स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है। यह न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करती है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है। अतः इसे विकेंद्रीकृत शासन की आधारशिला माना जाता है, जहाँ सत्ता वास्तव में जनता के हाथों में होती है।

56. (1) आरक्षण केवल ग्राम पंचायत स्तर पर लागू होता है, उच्च स्तरों पर नहीं।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण पंचायतों के सभी तीनों स्तरों—ग्राम, खंड और जिला स्तर—पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। यह आरक्षण न केवल सीटों के लिए है, बल्कि अध्यक्षों के पदों हेतु भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अतः यह कहना गलत है कि आरक्षण केवल ग्राम स्तर तक सीमित है। यह प्रत्येक चरण में लागू है।

57. (1) I, II, III और IV
राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक उत्तरदायित्व पंचायतों की वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करना है। इसमें राज्य और पंचायतों के बीच करों का वितरण और राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिश करना शामिल है। आयोग वित्तीय सुधार के उपाय भी सुझाता है। हालांकि, पंचायतों को केंद्रीय बजट से सीधे निधि आवंटित करना आयोग के जनादेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य है।

58. (1) उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से और समान आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वायत्तता सुरक्षित करने हेतु संविधान ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा दी है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल उन्हें मनमाने ढंग से पद से नहीं हटा सकते। उन्हें हटाने के लिए वही जटिल प्रक्रिया अपनानी होगी जो न्यायाधीशों हेतु निर्धारित है। यद्यपि उनकी सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

59. (4) अनुच्छेद 243G
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G पंचायतों को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान करता है कि वे पंचायतों को वे सभी अधिकार सौंपें जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं हेतु आवश्यक हों। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का उत्तरदायित्व शामिल है। यह अनुच्छेद ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन हेतु संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

60. (2) पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की योजनाओं को एकीकृत और समेकित करना।
74वें संशोधन द्वारा जिला नियोजन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत विकास ढांचा तैयार करना था। पहले, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों हेतु अलग-अलग योजनाएँ बनाई जाती थीं जिनमें समन्वय की कमी रहती थी। जिला नियोजन समिति इन दोनों क्षेत्रों की विकास योजनाओं को समेकित करती है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। यह समिति विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया में ग्रामीण और शहरी निकायों के बीच कड़ी है।

61. (3) महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए।
नगर निगम शहरी स्थानीय स्वशासन का सर्वोच्च स्तर है, जिसे विशेष रूप से बड़े और घनी आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों हेतु स्थापित किया जाता है। इनकी स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की जाती है। नगर निगमों के पास जटिल शहरी समस्याओं जैसे जलापूर्ति और बुनियादी ढांचे के विकास को संभालने हेतु अधिक प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं। यह बड़े शहरों के आधुनिक और कुशल प्रबंधन हेतु एक आवश्यक संस्था है।

62. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
भारत में विभिन्न प्रकार के शहरी निकाय विशिष्ट उद्देश्यों हेतु कार्य करते हैं। वार्ड समितियाँ बड़ी नगरपालिकाओं में जनता की निकटता सुनिश्चित करने हेतु बनाई जाती हैं। छावनी बोर्ड सैन्य क्षेत्रों के प्रशासन हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु गठित किए जाते हैं। टाउन एरिया कमेटी छोटे कस्बों हेतु एक सीमित शक्तियों वाला निकाय है, जो स्वच्छता जैसे कार्य देखता है।

63. (2) केवल I और III
नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो परिषद के निर्णयों और राज्य सरकार की योजनाओं के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होता है। उसके पास बजट के अनुसार धन संवितरित करने और नगरपालिका कानूनों को लागू करने की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। हालांकि, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना आयुक्त का कार्य नहीं है। यह जिम्मेदारी महापौर की होती है, जो निगम का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख है।

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष राज्य में अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया था?
(1) 1994
(2) 1992
(3) 1993
(4) 1995
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. महापौर की विवेकाधीन शक्तियों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं होती है?
(1) नगर परिषद की बैठकों में चर्चा का नेतृत्व करना।
(2) आधिकारिक नागरिक कार्यों में शहर का प्रतिनिधित्व करना।
(3) नगर आयुक्त के लिए सीधे स्थानांतरण आदेश जारी करना।
(4) नगर परिषद में कल्याणकारी प्रस्ताव पेश करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. संवैधानिक भाग और उसके द्वारा कवर की जाने वाली संस्थाओं से मेल खाने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) भाग IXA - नगरपालिकाएँ
(2) भाग IX - नगरपालिकाएँ
(3) भाग IXA - पंचायतें
(4) भाग IX - सहकारी समितियाँ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. अशोक मेहता समिति (1978) ने न्याय पंचायतों के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। उनकी अध्यक्षता करने के लिए किसकी सिफारिश की गई थी?
(1) गाँव का सरपंच
(2) जिला कलेक्टर
(3) ग्राम सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य
(4) एक योग्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. स्थानीय वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: ग्राम पंचायतों के पास राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद का कोई भी कर लगाने का पूर्ण संवैधानिक प्राधिकार है।
कथन II: राज्य विधानमंडल पंचायत को कुछ कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. एक जिला नियोजन समिति संवैधानिक रूप से किसके लिए बाध्य है?
(1) स्थानीय निकायों को दरकिनार करते हुए सीधे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करना।
(2) राज्य वित्त आयोग के रिकॉर्ड की व्यापक लेखापरीक्षा करना।
(3) जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना।
(4) ग्रामीण विकास कार्यों में जिला परिषद को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के चक्रीय क्रम (रोटेशन) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) 73वाँ संशोधन आदेश देता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय क्रम द्वारा आवंटित की जाएंगी।
(2) राज्य विधानमंडल सीटों के चक्रीय क्रम के लिए विशिष्ट नियम तैयार करते हैं।
(3) चक्रीय नीति यह सुनिश्चित करती है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए स्थायी रूप से आरक्षित न रहे।
(4) संविधान SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के चक्रीय क्रम को प्रतिबंधित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. स्थानीय विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा "समानांतर निकाय" (जैसे अर्ध-सरकारी एजेंसियां) स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है?
(1) यह पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और संवैधानिक प्राधिकार को कमजोर करता है।
(2) यह स्थानीय स्वशासन निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।
(3) यह राज्य वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
(4) यह स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोगों को बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. स्थानीय निकायों में अपर्याप्त 'पदाधिकारियों' की चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) स्थानीय निकायों को समाप्त करना और जिला कलेक्टर को शक्ति वापस देना।
(2) एक समर्पित स्थानीय सरकारी संवर्ग स्थापित करना और मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना।
(3) सभी नगरपालिका कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों को सौंपना।
(4) स्थानीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से तकनीकी आवश्यकताओं को हटाना।

NODIA

11. (4) पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर स्थापित एक स्थायी निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम उस विशिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहाँ नागरिक स्वयं विकास संबंधी निर्णयों में भाग लेते हैं। यह स्थानीय स्वशासन की मौलिक इकाई है।

12. (2) III और V
ग्राम सभा को सहभागी लोकतंत्र मजबूत करने के लिए व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें विकास योजनाओं को मंजूरी देना, लाभार्थियों की पहचान करना और धन के उपयोग की निगरानी करना शामिल है। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और लेखापरीक्षा जैसे उच्च प्रशासनिक कार्य राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ग्राम सभा के पास इन विशिष्ट कार्यों के लिए कोई अधिकार नहीं है।

13. (3) पिछड़ा वर्ग
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण एक अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है। यह प्रावधान इन समूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इसके विपरीत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः यह अनिवार्य श्रेणी में नहीं है।

14. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संवैधानिक अधिदेश का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह नीतिगत हस्तक्षेप जमीनी स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, कथन और कारण दोनों सत्य और तर्कसंगत हैं।

15. (1) पांच वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इस आयोग का उत्तरदायित्व पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों के वितरण पर सिफारिशें देना है। यह तंत्र पंचायतों की आर्थिक स्वायत्तता और राजकोषीय मजबूती सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

16. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
स्थानीय शासन हेतु विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है, जबकि राज्य वित्त आयोग करों और अनुदानों के हस्तांतरण की सिफारिश करता है। जिला नियोजन समिति ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को एकीकृत करती है। ग्राम सभा, जिसे पंचायती राज की आधारशिला माना जाता है, नागरिकों की सीधी भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को क्रियान्वित करती है।

17. (2) नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक स्पष्ट त्रि-स्तरीय संरचना बनाई है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों हेतु नगर पंचायत का गठन किया जाता है। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद की स्थापना की जाती है, जबकि बड़े और घनी आबादी वाले क्षेत्रों हेतु नगर निगम का प्रावधान है। यह वर्गीकरण जनसंख्या के आकार पर आधारित है।

18. (1) 29
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस विशिष्ट अनुसूची में कुल 29 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखा जा सकता है। इन विषयों में कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई और पेयजल जैसी महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं। इसका उद्देश्य पंचायतों को स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाना है।

19. (3) केवल I और III
ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों हेतु 29 विषय शामिल हैं, जिनमें कृषि विस्तार और लघु वन उपज जैसे ग्रामीण आर्थिक मुद्दे प्रमुख हैं। हालांकि, अग्निशमन सेवाएँ बारहवीं अनुसूची का हिस्सा हैं, जो नगरपालिकाओं के कार्यात्मक विषयों से संबंधित हैं। इसलिए, ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत केवल कृषि और लघु वन उपज ही आते हैं, जबकि अग्निशमन सेवाएँ शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक दायित्वों के अधीन हैं।

20. (4) झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन
ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों हेतु निर्धारित विषयों में भूमि सुधार, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे ग्रामीण विकास पर केंद्रित कार्य शामिल हैं। इसके विपरीत, झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन बारहवीं अनुसूची का एक विषय है, जो विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है। चूंकि अन्य तीन विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए झुग्गी बस्ती सुधार यहाँ विषम विकल्प है।

21. (3) 1 जून 1993
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नगरपालिका अधिनियम भी कहा जाता है, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु पारित किया गया था। यह अधिनियम संसद द्वारा पारित होने के पश्चात औपचारिक रूप से 1 जून 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून ने नगरपालिकाओं के गठन और शक्तियों हेतु एक समान संवैधानिक ढांचा प्रदान किया, जिससे शहरी विकेंद्रीकरण को बल मिला।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा
बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना जनवरी 1957 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की समीक्षा करना तथा सुधार के उपाय सुझाना था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। इसने देश में त्रि-स्तरीय शासन संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

2. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
भारत में स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न समितियों और संवैधानिक संशोधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बलवंतराय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्वि-स्तरीय मॉडल का समर्थन किया। 73वाँ संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकायों को और 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जमीनी लोकतंत्र मजबूत होता है।

3. (1) केवल I और II
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया। यह अधिनियम पंचायतों के लिए प्रत्येक स्तर पर पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करता है। यद्यपि अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु आरक्षण अनिवार्य है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना राज्य सरकारों का स्वैच्छिक अधिकार है। यह अनिवार्य श्रेणी में नहीं आता, इसलिए कथन तीन गलत है।

4. (4) अशोक मेहता ने पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की थी।
अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। समिति ने त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी। इनका एक प्रमुख सुझाव यह था कि राजनीतिक दलों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सभी स्तरों पर आधिकारिक रूप से भाग लेना चाहिए। यह सिफारिश स्थानीय शासन में दलीय सक्रियता को वैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी।

5. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया था। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत की सिफारिश की गई थी। समिति का मानना था कि जिला परिषद को मुख्य कार्यकारी निकाय होना चाहिए और नियोजन का केंद्र जिला स्तर पर होना चाहिए। अतः कारण सही है।

6. (2) यह सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है।
73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यद्यपि कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम सीमा 33 प्रतिशत ही है। अन्य विकल्प जैसे राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग की स्थापना इसके अनिवार्य प्रावधान हैं।

7. (2) केवल I, II और IV
73वें संविधान संशोधन में अनिवार्य और स्वैच्छिक दो प्रकार के प्रावधान हैं। ग्राम सभा का गठन, प्रत्यक्ष चुनाव और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु आरक्षण इसके अनिवार्य प्रावधान हैं। इसके विपरीत, पंचायतों को कर लगाने और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने का निर्णय लेना राज्य विधानमंडलों का स्वैच्छिक अधिकार है। यह अनिवार्य नहीं है, इसलिए विकल्प तीन इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

NODIA

8. (1) पंचायत समिति - मध्यवर्ती स्तर
73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना में प्रशासन के तीन स्तर निर्धारित हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसे ब्लॉक या खंड स्तर पर गठित किया जाता है। उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होती है जो जिला स्तर पर समन्वय का कार्य करती है।

9. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
भारतीय संविधान का भाग IX पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन का आधार है। अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है।

10. (2) III, I, II
भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक पदानुक्रमित संरचना का पालन करती है जो शासन के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है। इस व्यवस्था में सबसे बुनियादी और निचला स्तर ग्राम पंचायत है। इसके ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जो विकास कार्यों के समन्वय का केंद्र होती है। इस पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद स्थित होती है।

78. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(1) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(2) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(3) भारत के राष्ट्रपति
(4) राज्य के राज्यपाल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ने के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे उपयुक्त विवरण क्या है?
(1) पंचायत के निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करना।
(2) उन विशिष्ट राज्यों को सूचीबद्ध करना जहाँ कानून द्वारा पंचायती राज पूर्णतः वर्जित है।
(3) उन विशिष्ट करों को रेखांकित करना जिन्हें केंद्र सरकार गांवों पर लगा सकती है।
(4) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. 74वें संशोधन अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के प्रकार और उसके परिभाषित मानदंडों से मेल खाने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) संक्रमणकालीन क्षेत्र - कृषि रोजगार का उच्च प्रतिशत
(2) बड़ा शहरी क्षेत्र - नगर निगम का गठन करता है
(3) छोटा शहरी क्षेत्र - नगर पंचायत का गठन करता है
(4) औद्योगिक टाउनशिप - ग्राम पंचायत द्वारा सीधे शासित
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. भारत के अधिकांश नगर निगमों में, नगर आयुक्त आमतौर पर होता है:
(1) शहर के नागरिकों द्वारा सीधे निर्वाचित।
(2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी।
(3) वार्ड पार्षदों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित।
(4) बिना किसी प्रशासनिक पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निम्न आंतरिक राजस्व उत्पादन का सबसे प्रत्यक्ष कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) अक्षम कर प्रशासन और स्थानीय करों को बढ़ाने के प्रति राजनीतिक अनिच्छा।
(2) केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के संबंध में हस्तांतरण का उच्च स्तर।
(3) राज्यों में संपत्ति कर की दरों पर संवैधानिक सीमा की उपस्थिति।
(4) राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का पूर्ण उन्मूलन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 'वार्ड समितियों' को कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) शहरों में चुनावी वार्डों के परिसीमन के लिए गठित समितियां।
(2) सलाहकार निकाय जिनमें केवल गैर-सरकारी संगठन शामिल होते हैं।
(3) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्डों के लिए समितियां।
(4) राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों की निगरानी के लिए गठित समितियां।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. जिला नियोजन समिति (DPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन I: जिला नियोजन समिति के ठीक आधे सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
कथन II: जिला नियोजन समिति जिले में ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. भारतीय नगर निगम में महापौर के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः एक गलत कथन है?
(1) महापौर शहर के औपचारिक प्रथम नागरिक के रूप में कार्य करता है।
(2) महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
(3) महापौर सभी नगरपालिका कर्मचारियों पर पूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
(4) महापौर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगवानी करने में औपचारिक भूमिका निभाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. निम्नलिखित स्थानीय निकायों में से विषम विकल्प को पहचानिए, क्योंकि यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शासित नहीं है:
(1) नगर पंचायत
(2) छावनी बोर्ड
(3) नगर परिषद
(4) नगर निगम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. एक शहरी स्थानीय निकाय को "झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन" की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एक ग्रामीण स्थानीय निकाय "ग्रामीण आवास" का प्रबंधन करता है। ये कार्य क्रमशः सूचीबद्ध हैं:
(1) 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में
(2) राज्य सूची और संघ सूची में
(3) संघ सूची और समवर्ती सूची में
(4) 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची में

Downloaded from www.pdf.tube

22. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
शहरी स्थानीय निकायों का गठन क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। संक्रमणकालीन क्षेत्रों हेतु नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों हेतु नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों हेतु नगर निगम का प्रावधान है। औद्योगिक टाउनशिप के लिए, जहाँ औद्योगिक इकाई बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती है, राज्यपाल औद्योगिक प्रतिष्ठान प्राधिकरण को अधिसूचित कर सकते हैं। यह वर्गीकरण कुशल शहरी प्रशासन हेतु आवश्यक है।

23. (2) केवल I, II और IV
74वें संशोधन ने संविधान में भाग IXA और 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी। यह तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है। हालांकि, छावनी बोर्डों को केंद्रीय कानूनों से पूर्ण छूट नहीं है, क्योंकि वे रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। अतः कथन तीन गलत है, जबकि शेष तीनों कथन नगरपालिकाओं का सही वर्णन करते हैं।

24. (3) दोनों कथन सही हैं।
नगर निगम के प्रशासन में महापौर और नगर आयुक्त की भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। महापौर निगम का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख होता है जो परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरी ओर, नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में की जाती है। वह परिषद के निर्णयों को लागू करने और प्रशासनिक कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है।

25. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला नियोजन समिति का गठन करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इस समिति का मुख्य कार्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को एकीकृत करना है। यह समिति पूरे जिले के लिए एक व्यापक विकास योजना का मसौदा तैयार करती है, जिससे ग्रामीण और शहरी विकास में बेहतर तालमेल सुनिश्चित होता है। अतः कारण, कथन की व्याख्या करता है।

26. (1) अनुच्छेद 243ZD
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जिले के भीतर ग्रामीण और शहरी निकायों की नियोजन प्रक्रियाओं को समेकित किया जाए। यह संरचना विकेंद्रीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य अनुच्छेद 243G और 243W क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वर्णन करते हैं।

27. (1) I, II और IV
संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं हेतु 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। इनमें नगर नियोजन, सामाजिक विकास के लिए नियोजन और जन्म-मृत्यु के पंजीकरण जैसे शहरी कार्य प्रमुख हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और खादी ग्रामोद्योग ग्यारहवीं अनुसूची के विषय हैं, जो विशेष रूप से पंचायतों से जुड़े हैं। इसलिए, शहरी निकायों के अधिकार क्षेत्र में केवल नगर नियोजन, विकास नियोजन और सांख्यिकीय पंजीकरण ही शामिल हैं।

28. (2) सभी भारतीय राज्यों में 3एफ (निधि, कार्य और पदाधिकारी) का हस्तांतरण पूर्ण और समान है।
भारत में स्थानीय स्वशासन के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनमें निधि, कार्य और पदाधिकारियों का अधूरा हस्तांतरण प्रमुख है। यह कहना गलत है कि सभी राज्यों में यह हस्तांतरण पूर्ण और समान है। वास्तव में, विभिन्न राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस हस्तांतरण की गति में भिन्नता पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानीय निकाय अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में संघर्ष करते हैं।

NODIA

29. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और अनुसूचियां स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा स्पष्ट करती हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों हेतु 29 विषय हैं, जबकि बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं हेतु 18 विषयों को सूचीबद्ध करती है। संवैधानिक संरचना के अनुसार, भाग IX ग्रामीण स्वशासन यानी पंचायतों से संबंधित है और भाग IXA शहरी स्थानीय निकायों के लिए समर्पित है। यह विभाजन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को आधार प्रदान करता है।

30. (2) II, III, IV, I
विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया जमीनी स्तर से ऊपर की ओर जाती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत अपनी विकास योजना तैयार करती है। उसके पश्चात मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति द्वारा योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसके बाद जिला परिषद जिला स्तर की योजना तैयार करती है। अंत में, जिला नियोजन समिति इन सभी योजनाओं को समेकित करके पूरे जिले के लिए एक एकीकृत मसौदा विकास योजना तैयार करती है।

31. (1) हस्तांतरित विषयों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में असमर्थता।
पंचायती राज संस्थाओं को केवल विषय और धन हस्तांतरित करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें कार्यों हेतु कुशल पदाधिकारियों या प्रशासनिक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। जब तक पंचायतों के पास पर्याप्त कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होंगे, वे 29 विषयों और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहेंगी। कर्मचारियों की कमी से स्थानीय शासन की कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

32. (3) केवल I और III
बलवंतराय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली और जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि, समिति ने जिला परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने इसे एक

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं?
(1) 15
(2) 18
(3) 24
(4) 29
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) किसे प्रस्तुत की जाती है - राज्य के राज्यपाल को
(2) किसे प्रस्तुत की जाती है - सीधे राज्य विधानमंडल को
(3) किसे प्रस्तुत की जाती है - भारत के राष्ट्रपति को
(4) किसे प्रस्तुत की जाती है - केंद्रीय वित्त आयोग को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी समितियाँ ऐतिहासिक रूप से भारत में पंचायती राज के विकास से जुड़ी हैं?
(1) बलवंतराय मेहता समिति
(2) अशोक मेहता समिति
(3) स्वर्ण सिंह समिति
(4) एल.एम. सिंघवी समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का अंतिम लक्ष्य स्थानीय निकायों को राज्य की केवल प्रशासनिक एजेंसियां होने से बदलकर किसमें परिवर्तित करना था?
(1) स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य।
(2) विशुद्ध रूप से न्यायिक परिषदें।
(3) निजी कॉर्पोरेट संस्थाएं।
(4) स्वशासन की संस्थाएं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए शवदाह गृह का विषय शहरी होने के कारण यहाँ विषम और अलग है।

44. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में शहरी स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय जरूरतों हेतु अक्सर राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। उनके पास स्वयं के राजस्व हेतु स्वतंत्र और पर्याप्त कराधान शक्तियाँ सीमित हैं। इस वित्तीय बाधा के कारण वे अपनी विकास योजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः कथन सत्य है कि उनमें वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है, और कारण इस समस्या की व्याख्या करता है।

45. (3) दोनों कथन सही हैं।
नगर पंचायत का गठन उन क्षेत्रों हेतु किया जाता है जो संक्रमणकालीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप में बदल रहे होते हैं। किसी क्षेत्र को संक्रमणकालीन घोषित करने के लिए राज्यपाल वहां की जनसंख्या, घनत्व, राजस्व और गैर-कृषि रोजगार जैसे कारकों पर विचार करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उभरते शहरी केंद्रों को विकास हेतु उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा प्राप्त हो सके।

46. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
शहरी प्रशासन में महापौर नगर निगम का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख होता है, जबकि नगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर परिषद के स्तर पर, इसका राजनीतिक नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट अक्सर जिला नियोजन समितियों में पदेन सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्पष्ट श्रम विभाजन शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन और राजनीतिक उत्तरदायित्व को संतुलित करने हेतु आवश्यक है।

47. (2) I, II, III, IV
विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया एक व्यवस्थित पदानुक्रम का पालन करती है। इसकी शुरुआत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा योजना तैयार करने से होती है। इसके पश्चात, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद अपनी योजनाएँ तैयार करती हैं। अंततः, जिला नियोजन समिति इन सभी ग्रामीण और शहरी योजनाओं को एकीकृत करती है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे जिले का विकास संतुलित और सहभागी हो।

48. (2) नगर पंचायत - संक्रमणकालीन क्षेत्र
74वें संविधान संशोधन के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण क्षेत्र की स्थिति पर आधारित है। नगर पंचायत का गठन संक्रमणकालीन क्षेत्रों हेतु किया जाता है, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके विपरीत, नगर परिषद का गठन छोटे शहरी क्षेत्रों और नगर निगम का बड़े शहरी क्षेत्रों हेतु किया जाता है। अतः नगर पंचायत और संक्रमणकालीन क्षेत्र का युग्म पूर्णतः सटीक है।

49. (1) केवल I और II
जिला नियोजन समिति में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु इसके कम से कम चार-पांचवें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का यह अनुपात जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी के जनसांख्यिकीय अनुपात पर आधारित होता है। हालांकि, यह समिति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, इसका मुख्य कर्तव्य योजनाओं को समेकित करना है। अतः कथन तीन गलत है, शेष दो सही हैं।

50. (1) स्थानीय निकायों के नियंत्रण में रखे गए प्रशासनिक कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी।
स्थानीय शासन की प्रभावशीलता निधि, कार्य और पदाधिकारियों के सफल हस्तांतरण पर निर्भर करती है। यहाँ 'पदाधिकारी' का तात्पर्य उन प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से है जो स्थानीय निकायों के अधीन कार्य करते हैं। कुशल कर्मचारियों की कमी अक्सर पंचायतों और नगरपालिकाओं को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने से रोकती है। इसलिए, स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता हेतु एक सक्षम प्रशासनिक संवर्ग होना नितांत आवश्यक है।

51. (3) बलवंतराय मेहता समिति
भारत सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जब यह कार्यक्रम जनभागीदारी की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका, तो इसकी समीक्षा हेतु 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति ने सुझाव दिया कि विकास तभी सफल होगा जब स्थानीय लोग स्वयं निर्णय लेंगे। इसी आधार पर समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी।

52. (2) II और IV
अशोक मेहता समिति ने 1978 के प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था के राजनीतिक सशक्तिकरण पर बल दिया था। समिति का मत था कि राजनीतिक दलों को स्थानीय निकायों के चुनावों में सभी स्तरों पर आधिकारिक रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने माना कि दलीय भागीदारी से शासन में अधिक स्पष्टता और जवाबदेही आएगी। इसके विपरीत, बलवंतराय मेहता समिति ने दलगत राजनीति से दूर रहने का समर्थन किया था।

53. (3) राज्य योजना बोर्ड के लिए एक अलग संवैधानिक प्रावधान।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों हेतु कई विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे ग्राम सभा का गठन, चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु और कार्यकाल की अनिवार्यता। हालांकि, इस अधिनियम में राज्य योजना बोर्ड के गठन हेतु कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य योजना बोर्ड का निर्माण आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से किया जाता है, न कि इस संवैधानिक संशोधन के आदेशों के तहत।

Downloaded from www.pdf.tube

समन्वयकारी और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कल्पित किया था, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे। अतः कथन दो गलत है, क्योंकि समिति ने केवल पंचायत समिति पर अधिक बल दिया था।

33. (2) प्रतिनिधित्व के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली की स्थापना।
अशोक मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। इस मॉडल में जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत शामिल थे। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने, चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी और न्याय पंचायतों के गठन जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। इसलिए, त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन का हिस्सा नहीं थी।

34. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
बलवंतराय मेहता समिति ने अपने 1957 के ऐतिहासिक प्रतिवेदन में 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' शब्द का प्रयोग किया था। समिति का विचार शासन की शक्तियों को केंद्र से हटाकर स्थानीय निकायों को सौंपना था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना था जहाँ ग्रामीण समुदायों के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं शासन करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता हो। अतः कारण, कथन के दर्शन को स्पष्ट करता है।

35. (3) पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना।
73वें संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधान अनिवार्य हैं, जैसे प्रत्येक पाँच वर्ष में चुनाव कराना और राज्य वित्त आयोग का गठन करना। ये सभी राज्यों हेतु बाध्यकारी हैं। हालांकि, पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान करना स्वैच्छिक या विवेकाधीन श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इस पर कानून बनाने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

36. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों के सुचारु संचालन हेतु विशिष्ट अनुच्छेद निर्धारित हैं। अनुच्छेद 243D पंचायतों के भीतर सीटों और अध्यक्षों के पदों के आरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243T यही कार्य नगरपालिकाओं हेतु करता है। चुनाव प्रबंधन हेतु अनुच्छेद 243K पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति देता है, और अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपता है।

37. (1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, 73वाँ संशोधन अधिनियम
भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। इसकी शुरुआत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से हुई। इसकी समीक्षा हेतु 1957 में बलवंतराय मेहता समिति बनी, जिसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। इसके पश्चात 1978 में अशोक मेहता समिति ने सुधारों की वकालत की। अंततः, 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

38. (2) प्रत्यक्ष लोकतंत्र
ग्राम सभा की अवधारणा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सशक्त उदाहरण है। इसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं, जो सीधे तौर पर विकास योजनाओं और निर्णयों में भाग लेते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत, जहाँ केवल निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, ग्राम सभा में नागरिक स्वयं चर्चा करते हैं। यह व्यवस्था स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जन-भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच है।

39. (2) केवल I, II और IV
राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और करों के वितरण की सिफारिश करना है। यह राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान और वित्तीय सुधार के उपायों पर सुझाव देता है। हालांकि, ग्राम पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा करना इस आयोग का कार्य नहीं है। यह जिम्मेदारी आमतौर पर राज्य के लेखा और परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन होती है।

40. (1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में कड़े सुरक्षा उपाय हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु निर्धारित है। यह प्रावधान चुनाव आयुक्त को किसी राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखता है, जिससे पंचायत और नगरपालिका चुनावों की शुचिता हर स्थिति में बनी रहती है।

41. (3) राज्य के राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर इस आयोग का गठन करते हैं। आयोग का मुख्य दायित्व राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्थिरता हेतु अनिवार्य तंत्र है।

42. (1) I, II, III और IV
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में ग्रामीण विकास से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण इस सूची के अभिन्न अंग हैं। ये विषय सीधे तौर पर ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने से जुड़े हैं। हालांकि, अग्निशमन सेवाएँ बारहवीं अनुसूची का हिस्सा हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों के अंतर्गत आती हैं। अतः ग्यारहवीं अनुसूची में पहले चार विकल्प शामिल हैं।

43. (4) शवदाह गृह और श्मशान घाट।
ग्यारहवीं अनुसूची मुख्य रूप से ग्रामीण विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे गरीबी उन्मूलन और शिक्षा। इसके विपरीत, शवदाह गृह और श्मशान घाटों का रखरखाव बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य दायित्वों में शामिल है। चूंकि अन्य तीन विकल्प

NODIA

64. (2) अनुच्छेद 243W
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243W विशेष रूप से नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को शक्ति देता है कि वे नगरपालिकाओं को बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यात्मक विषयों को निष्पादित करने हेतु आवश्यक अधिकार प्रदान करें। इन विषयों में शहरी नियोजन, सड़क निर्माण और लोक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। यह प्रावधान शहरी निकायों को स्वशासन का आधार प्रदान करता है।

65. (2) राज्य की सीमा की समग्र भू-राजनीतिक रक्षा रणनीति।
जिला नियोजन समिति को विकास योजना तैयार करते समय स्थानीय संसाधनों, जलापूर्ति और पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर विचार करना अनिवार्य है। हालांकि, राज्य की सीमा की भू-राजनीतिक रक्षा रणनीति जैसे सुरक्षा मामले केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र हैं और इनका स्थानीय विकास योजना से कोई सीधा संबंध नहीं होता है।

66. (1) एमेंडमेंट्स ने सभी राज्यों में पूर्ण 3एफ हस्तांतरण को स्वतः निष्पादित कर दिया।
73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों को केवल एक ढांचा प्रदान किया है, लेकिन निधि, कार्य और पदाधिकारियों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यह कहना गलत है कि संशोधनों ने इसे स्वतः लागू कर दिया। वास्तव में, आज भी कई राज्यों में स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय शक्तियाँ नहीं सौंपी गई हैं। यह स्थानीय शासन के पूर्ण कार्यान्वयन में बड़ी बाधा है।

67. (4) I, II, III और IV
भारत में स्थानीय स्वशासन कई संरचनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें चुनावों की अनियमितता, वित्तीय संसाधनों की कमी और राज्य सरकारों द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण में अनिच्छा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय विधायकों और सांसदों का हस्तक्षेप भी पंचायतों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। ये सभी कारक मिलकर स्थानीय निकायों को प्रभावी संस्थाओं के रूप में विकसित होने से रोकते हैं, जिससे विकेंद्रीकरण बाधित होता है।

68. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करना राज्यों हेतु अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वैच्छिक प्रावधान है। प्रत्येक राज्य अपनी प्रशासनिक तत्परता के अनुसार यह तय करता है कि कितने विषय हस्तांतरित किए जाएं। इसलिए, कथन दो गलत है क्योंकि यह हस्तांतरण पूर्णतः अनिवार्य नहीं है।

69. (3) राज्य योजना बोर्ड
राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला नियोजन समिति तीनों ही संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य किए गए संवैधानिक निकाय हैं। इनके गठन के निर्देश संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 243I, 243K और 243ZD में दिए गए हैं। इसके विपरीत, राज्य योजना बोर्ड एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से की जाती है। अतः यह अन्य विकल्पों से भिन्न है।

70. (1) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
स्थानीय शासन की अवधारणाएं एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार बलवंतराय मेहता समिति ने दिया था। स्थानीय निकायों की मुख्य चुनौती निधि, कार्य और पदाधिकारियों का हस्तांतरण है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ नागरिक सीधे निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नगर पंचायत का गठन उन संक्रमणकालीन क्षेत्रों हेतु किया जाता है जो गाँव से शहर में बदल रहे हैं।

71. (4) I, II, III, IV और V
73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों हेतु एक समान ढांचा सुनिश्चित करने के लिए कई अनिवार्य प्रावधान लागू किए। इनमें ग्राम सभा का गठन, प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण, तथा राज्य निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना शामिल है। ये सभी प्रावधान राज्यों हेतु बाध्यकारी हैं और इन्हें किसी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यह पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक अखंडता को बनाए रखता है।

72. (1) 1957
बलवंतराय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था और इसने उसी वर्ष नवंबर में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की एक क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की, जिसे बाद में पंचायती राज के रूप में क्रियान्वित किया गया। समिति के सुझावों के आधार पर ही भारत में त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था।

73. (3) ग्राम सभा को एक संस्था के रूप में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में कई बदलावों के सुझाव दिए थे, जैसे द्वि-स्तरीय प्रणाली और राजनीतिक दलों की भागीदारी। हालांकि, समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की कभी कोई सिफारिश नहीं की थी। इसके विपरीत, समिति ने न्यायिक कार्यों के लिए न्याय पंचायतों के गठन पर जोर दिया था। समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त और राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना था।

Click Here to Buy book on Amazon

39. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक अपवाद है?
(1) राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना
(2) राज्य सरकार के अधीन सिविल सेवकों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना
(3) राज्य सेवाओं में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर परामर्श देना
(4) राज्य सिविल सेवाओं का वर्गीकरण करना और उनके वेतनमान निर्धारित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।
II. नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
III. आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
IV. आयोग का सदस्य संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. यदि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, तो यह कार्यकारी अध्यक्ष किस परिस्थिति तक पद धारण करता है?
(1) जब तक कि भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से स्थायी आधार पर पद पर नियुक्ति को मंजूरी न दे दें
(2) जब तक कि राज्य विधानमंडल 6 महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर विशिष्ट नियुक्ति की पुष्टि न कर दे
(3) जब तक कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति कार्यालय के कर्तव्यों को ग्रहण न कर ले
(4) जब तक कि कार्यकारी अध्यक्ष 6 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा न कर ले
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्यपाल आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।
कथन II: प्रतिवेदन के साथ उन मामलों की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. सूची I में दिए गए निकायों को सूची II में दिए गए प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारियों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (निकाय)
A. संघ लोक सेवा आयोग
B. राज्य लोक सेवा आयोग
C. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
D. निर्वाचन आयोग
सूची II: (प्राधिकारी)
i. संबंधित राज्यों के राज्यपाल
ii. भारत के राष्ट्रपति
iii. राज्य के राज्यपाल
iv. कार्यपालिका को वार्षिक संवैधानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. लोक सेवा आयोगों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुमति देने वाला प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
(1) 7वां संशोधन अधिनियम, 1956
(2) 15वां संशोधन अधिनियम, 1963
(3) 41वां संशोधन अधिनियम, 1976
(4) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तुलना में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
(1) राज्य आयोग के सदस्य 60 वर्ष में, जबकि संघ आयोग के सदस्य 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
(2) राज्य आयोग के सदस्य 62 वर्ष में, जबकि संघ आयोग के सदस्य 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
(3) राज्य आयोग और संघ आयोग दोनों के सदस्य 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
(4) राज्य आयोग के सदस्य 65 वर्ष में, जबकि संघ आयोग के सदस्य 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
I. एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
II. एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

NODIA

84. (2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
जिला नियोजन समिति के गठन में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके कम से कम चार-पांचवें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से ही चुने जाने चाहिए। अतः कथन एक गलत है। हालांकि, कथन दो सही है क्योंकि इस समिति का मुख्य कार्य ही ग्रामीण और शहरी निकायों की योजनाओं को एकीकृत करना और व्यापक विकास योजना का मसौदा बनाना है।

85. (3) महापौर सभी नगरपालिका कर्मचारियों पर पूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
भारतीय नगर निगम प्रणाली में महापौर का पद मुख्य रूप से गरिमामय होता है। वह शहर का प्रथम नागरिक होता है और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हालांकि, वह कर्मचारियों पर पूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, यह शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त के पास होती हैं। महापौर केवल नीतिगत मामलों का नेतृत्व करता है, जबकि वास्तविक प्रशासनिक कार्यान्वयन आयुक्त द्वारा संभाला जाता है।

86. (2) छावनी बोर्ड
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों के गठन को विनियमित करता है। छावनी बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका प्रशासन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से छावनी अधिनियम के तहत किया जाता है। ये बोर्ड सैन्य क्षेत्रों में नागरिक आबादी के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होते हैं और सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

87. (4) 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची में
भारतीय संविधान में ग्रामीण और शहरी निकायों के कार्यों को अलग-अलग अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। झुग्गी बस्ती सुधार बारहवीं अनुसूची का विषय है, जो शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर, ग्रामीण आवास ग्यारहवीं अनुसूची का एक प्रमुख विषय है, जिसका प्रबंधन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि दोनों क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को उनके संबंधित ढांचों से पूरा किया जा सके।

88. (1) 1994
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के बाद, सभी राज्यों को अपने स्थानीय कानूनों को इस नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बदलना अनिवार्य था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया और आरक्षण सहित सभी अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानों को राज्य के कानूनी ढांचे में समाहित किया।

89. (3) नगर आयुक्त के लिए सीधे स्थानांतरण आदेश जारी करना।
महापौर की शक्तियाँ मुख्य रूप से विधायी और औपचारिक होती हैं। वे परिषद में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और आधिकारिक कार्यों में शहर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि, नगर आयुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है। महापौर के पास आयुक्त हेतु स्थानांतरण आदेश जारी करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। यह व्यवस्था प्रशासनिक स्वतंत्रता हेतु बनाई गई है।

90. (1) भाग IXA - नगरपालिकाएँ
भारतीय संविधान के 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु भाग IXA को जोड़ा था। यह भाग नगरपालिकाओं के गठन, उनकी शक्तियों और निर्वाचन प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इसके विपरीत, भाग IX पंचायतों से संबंधित है और भाग IXB सहकारी समितियों के लिए समर्पित है। अतः भाग IXA और नगरपालिकाओं का मेल पूर्णतः सही है, जो शहरी क्षेत्रों में स्वशासन हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

91. (4) एक योग्य न्यायाधीश
अशोक मेहता समिति ने स्थानीय स्तर पर न्याय वितरण को प्रभावी बनाने हेतु न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। समिति का विचार था कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग रखा जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। उनके सुझाव के अनुसार, इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता किसी राजनीतिक व्यक्ति के बजाय एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। इससे स्थानीय विवादों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित हो सकता था।

92. (2) कथन II सही है और कथन I गलत है।
संविधान के अनुसार, पंचायतों के पास कर लगाने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। वे केवल उन्हीं करों और शुल्कों को लगा सकती हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उन्हें सौंपता है। अतः कथन एक गलत है। कथन दो सही है क्योंकि पंचायतों की वित्तीय शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पर निर्भर करती हैं। राज्य सरकार ही यह तय करती है कि पंचायतें किन स्रोतों से राजस्व जुटा सकती हैं।

93. (3) जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना।
जिला नियोजन समिति की स्थापना अनुच्छेद 243ZD के तहत एक विशिष्ट संवैधानिक उद्देश्य हेतु की गई है। इस समिति का प्राथमिक कार्य जिले की ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं द्वारा तैयार विकास योजनाओं को समेकित करना है। इसका लक्ष्य पूरे जिले के लिए एक एकीकृत मसौदा विकास योजना तैयार करना है जो संसाधनों के संतुलित आवंटन को सुनिश्चित करे। यह समिति नियोजन समन्वय की महत्वपूर्ण कड़ी बनती है।

94. (4) संविधान SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के चक्रीय क्रम को प्रतिबंधित करता है।
73वें संशोधन के तहत, महिलाओं हेतु आरक्षण में चक्रीय क्रम या रोटेशन की नीति अपनाई जाती है ताकि विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। यह नीति सामान्य वर्ग

Downloaded from www.pdf.tube

की महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों पर भी समान रूप से लागू होती है। संविधान ऐसी किसी भी श्रेणी हेतु चक्रीय क्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है। अतः कथन चार गलत है क्योंकि रोटेशन नीति सभी हेतु अनिवार्य है।

95. (1) यह पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और संवैधानिक प्राधिकार को कमजोर करता है।
जब राज्य सरकारें विकास कार्यों हेतु पंचायतों के साथ समानांतर अर्ध-सरकारी एजेंसियां बनाती हैं, तो इससे स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ विभाजित हो जाती हैं। ये निकाय अक्सर पंचायतों के कार्यात्मक विषयों और वित्तीय संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यह प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं को नाममात्र का बना देती है और संवैधानिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को कमजोर करती है।

96. (2) एक समर्पित स्थानीय सरकारी संवर्ग स्थापित करना और मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना।
स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु पदाधिकारियों की कमी दूर करना आवश्यक है। इसका प्रभावी समाधान राज्यों में एक समर्पित स्थानीय सरकारी सेवा संवर्ग बनाना है, जिससे पंचायतों को प्रशिक्षित प्रशासनिक कर्मचारी मिल सकें। साथ ही, निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे स्थानीय शासन में तकनीकी विशेषज्ञता आएगी, जिससे विकास योजनाओं का बेहतर निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

97. (2) 18
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस विशिष्ट अनुसूची में कुल 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जो शहरी स्थानीय निकायों या नगरपालिकाओं के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों में शहरी नियोजन, अग्निशमन सेवाएँ, जलापूर्ति और लोक स्वास्थ्य जैसे कार्य शामिल हैं। यह अनुसूची नगरपालिकाओं को शहरी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने का अधिकार देती है।

98. (1) किसे प्रस्तुत की जाती है - राज्य के राज्यपाल को
राज्य वित्त आयोग अपनी कार्य अवधि पूरी करने के बाद अपना विस्तृत प्रतिवेदन और सिफारिशें संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आयोग की सिफारिशों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो और पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

99. (3) स्वर्ण सिंह समिति
बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति सभी भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास और सुधारों से जुड़ी हुई हैं। इन समितियों ने समय-समय पर स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें की थीं। इसके विपरीत, स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में मुख्य रूप से संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' को शामिल करने हेतु किया गया था। अतः इसका पंचायती राज से संबंध नहीं है।

100. (4) स्वशासन की संस्थाएं।
73वें और 74वें संशोधनों का मुख्य दार्शनिक उद्देश्य स्थानीय निकायों की स्थिति को बदलना था। संशोधनों से पहले, ये निकाय अक्सर राज्य सरकारों की केवल प्रशासनिक शाखाओं के रूप में कार्य करते थे। इन संशोधनों ने उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाली 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में विकसित हो सकें। इसका लक्ष्य सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण करना था।

www.nodia.in
NODIA

अध्याय 10
संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय

1. भारत का निर्वाचन आयोग चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार सीधे संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त करता है?
(1) अनुच्छेद 315
(2) अनुच्छेद 324
(3) अनुच्छेद 326
(4) अनुच्छेद 328
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से रोक दिया है।
(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।
(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
(4) किसी भी अन्य निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन II: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. सूची I में दिए गए अनुच्छेदों को सूची II में दिए गए प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 324
B. अनुच्छेद 325
C. अनुच्छेद 326
D. अनुच्छेद 329
सूची II: (प्रावधान)
i. लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
ii. चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
iii. चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
iv. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए अपात्र न होना
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित में से किस चरण में प्रभावी होती है?
(1) लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले
(2) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा आधिकारिक निर्वाचन अधिसूचना जारी करने की तिथि पर
(3) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद
(4) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि पर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है?
(1) संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना
(2) भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान करना
(3) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना
(4) पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन

Click Here to Buy book on Amazon

74. (1) यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो उसके भंग होने के छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।
73वें संशोधन के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो निर्वाचन प्रक्रिया को भंग होने की तिथि से छह महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि शेष कार्यकाल छह महीने से कम है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि हेतु ही कार्य करती है। यह व्यवस्था शासन में निरंतरता सुनिश्चित करती है।

75. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
73वें संशोधन के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों हेतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनिवार्य है। दूसरी ओर, संविधान राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वे पिछड़े वर्गों हेतु भी अध्यक्षों के पद आरक्षित करने हेतु कानून बना सकें। अतः कथन दो गलत है क्योंकि यह राज्यों की इस शक्ति को नकारता है, जबकि यह एक स्वैच्छिक प्रावधान है।

76. (2) बैठक तुरंत बाद के समय या तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है।
ग्राम सभा की कार्यवाही को वैध बनाने हेतु आवश्यक गणपूर्ति या कोरम का होना अनिवार्य है। यदि बैठक हेतु निर्धारित समय पर सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या उपस्थित नहीं होती, तो सरपंच को बैठक स्थगित करनी पड़ती है। स्थगित बैठक बाद में किसी अन्य तिथि पर आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना अलग से दी जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निर्णय पर्याप्त जनभागीदारी के बिना न लिया जाए।

77. (3) इसकी सिफारिशें बाध्यकारी हैं और राज्य सरकारों द्वारा खारिज नहीं की जा सकतीं।
राज्य वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 243I के तहत स्थापित है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। हालांकि, इस आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकार हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। राज्य सरकार इन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखती है।

78. (4) राज्य के राज्यपाल
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह आयुक्त एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जिसे पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के निष्पक्ष संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद, आयुक्त की सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

79. (1) पंचायत के निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करना।
संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ने का मुख्य उद्देश्य उन 29 विषयों का स्पष्ट विवरण प्रदान करना था जिन पर पंचायतों को योजना बनाने की शक्ति दी जा सकती है। यह अनुसूची ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पंचायतों की कार्यक्षमता को परिभाषित करती है। इसके माध्यम से स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्राप्त होता है, जिससे वे स्वशासन की स्वतंत्र और प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

80. (2) बड़ा शहरी क्षेत्र - नगर निगम का गठन करता है
74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, किसी भी शहरी क्षेत्र का वर्गीकरण वहां की जनसंख्या और राजस्व जैसे मानदंडों पर आधारित होता है। एक बड़े शहरी क्षेत्र हेतु हमेशा नगर निगम का गठन किया जाता है। इसके विपरीत, संक्रमणकालीन क्षेत्र हेतु नगर पंचायत और छोटे शहरी क्षेत्र हेतु नगर परिषद का प्रावधान है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि शहरी प्रशासन को उसकी जटिलता के अनुसार उपयुक्त शक्तियाँ प्राप्त हों।

NODIA

81. (2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी।
नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे में नगर आयुक्त सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है। वह आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयुक्त परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों और नीतियों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। चूंकि वह नियुक्त अधिकारी होता है, वह राज्य सरकार और निगम के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जिससे शहरी प्रबंधन में स्थिरता बनी रहती है।

82. (1) अक्षम कर प्रशासन और स्थानीय करों को बढ़ाने के प्रति राजनीतिक अनिच्छा।
शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय कमजोरी का प्रमुख कारण उनका स्वयं का निम्न राजस्व उत्पादन है। यह समस्या अक्सर अक्षम कर वसूली प्रणाली और स्थानीय राजनेताओं की कर दरें बढ़ाने में अनिच्छा के कारण उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप, वे अपनी जरूरतों हेतु पूरी तरह से सरकारी अनुदानों पर निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता उनकी स्वायत्तता को कम करती है और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को बाधित करती है।

83. (3) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्डों के लिए समितियां।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक होती है, वहां वार्ड समितियों का गठन करना अनिवार्य है। इन समितियों का उद्देश्य नगरपालिका प्रशासन को आम नागरिकों के अधिक निकट लाना है। यह व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में अधिक समावेशी और विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित करती है, जहाँ निवासी सीधे अपने क्षेत्र के विकास और रखरखाव के निर्णयों में भाग ले सकते हैं।

(4) यह राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संरचनात्मक मानकों के रखरखाव पर परामर्श देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
II. यह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य में एक वर्ष के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं।
III. यह अनियमितता, मतदान केंद्र पर कब्जा या हिंसा की स्थिति में निर्वाचन रद्द करता है।
IV. यह राजनीतिक दलों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में, यदि निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के बाद कोई मंत्री किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा करता है, तो इस कार्य को माना जाता है:
(1) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन एक भ्रष्ट चुनावी व्यवहार
(2) आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
(3) अनुच्छेद 324 के अधीन एक संवैधानिक उल्लंघन
(4) एक नियमित प्रशासनिक विशेषाधिकार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा किसके आधार पर प्राप्त होता है?
(1) लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में वैध मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत और सीटें सुरक्षित करने में इसके प्रदर्शन पर
(2) निगम चुनावी बंधपत्र और निजी चंदे के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए वित्त पोषण की कुल राशि पर
(3) राष्ट्रीय स्तर पर दल के संगठनात्मक ढांचे में नामांकित प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या पर
(4) प्रशासनिक योग्यता के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दी गई विशिष्ट विवेकाधीन स्वीकृति पर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. अनुशासनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को, जहाँ संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है, सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. आरोपों का निर्धारण और संचरण
II. संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
III. प्रारंभिक जाँच
IV. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड का अंतिम आदेश
सही क्रम का चयन करें:
(1) I, III, II, IV
(2) III, I, II, IV
(3) III, II, I, IV
(4) I, II, III, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित की स्थापना का प्रावधान करता है:
(1) संघ और राज्यों के लिए एक निर्वाचन आयोग
(2) संघ और राज्यों के लिए एक वित्त आयोग
(3) संघ और राज्यों के लिए एक मानवाधिकार आयोग
(4) संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. संघ लोक सेवा आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं।
(2) लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने कम से कम दस वर्षों तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया हो।
(3) संविधान आयोग के सदस्यों की संख्या ठीक दस निर्दिष्ट करता है।
(4) राष्ट्रपति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. सूची I में दिए गए अनुच्छेदों को सूची II में दिए गए विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 316
B. अनुच्छेद 317
C. अनुच्छेद 320
D. अनुच्छेद 323
सूची II: (विवरण)
i. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाना और निलंबित करना
ii. लोक सेवा आयोगों के कार्य
iii. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
iv. सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

23. संघ लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुशासनात्मक मामलों में आयोग द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है।
कथन II: यदि सरकार आयोग की सलाह से विचलित होती है, तो उसे संसद के समक्ष कारणों की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग की प्राथमिक भूमिका को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
(1) संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी केंद्रीय भर्ती संस्था
(2) सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और संवर्ग प्रबंधन संभालने वाली केंद्रीय कार्मिक संस्था
(3) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण
(4) भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए नीति बनाने वाला निकाय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना।
II. सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों पर परामर्श देना।
III. भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना।
IV. सरकार के अधीन सेवा करते समय हुई क्षति के संबंध में पेंशन प्रदान करने के दावों पर परामर्श देना।
V. पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण करना।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. उन सेवाओं के संबंध में बेमेल विकल्प की पहचान कीजिए जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती आयोजित की जाती है:
(1) राज्य सिविल सेवाएँ
(2) अखिल भारतीय सेवाएँ
(3) केंद्रीय सेवाएँ समूह A
(4) केंद्रीय सेवाएँ समूह B
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. राष्ट्रपति कुछ मामलों को संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर सकते हैं। हालाँकि, निम्नलिखित में से किस पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है?
(1) पदोन्नति करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांत
(2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता
(3) किसी सिविल सेवक द्वारा किए गए विधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे
(4) न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पद के लिए चयन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): संघ लोक सेवा आयोग के समस्त व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
कारण (R): यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के व्यय संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, जिससे इसकी स्वतंत्रता बनी रहती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद की औपचारिक सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
(2) अध्यक्ष को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।
(3) अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद ही हटाया जा सकता है।
(4) अध्यक्ष को बिना किसी जाँच के भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्य-निष्पादन का वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है?
(1) प्रधानमंत्री
(2) संसद
(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(4) भारत के राष्ट्रपति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

31. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आयोग का कोई सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है।
II. आयोग का कोई सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है।
III. कोई सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. भारत में संघ लोक सेवा आयोग को "योग्यता प्रणाली का संरक्षक" कहे जाने का मुख्य कारण क्या है?
(1) यह सिविल सेवकों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है।
(2) यह पूर्णतः क्षमता और प्रतिभा के आधार पर निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करता है।
(3) सफल अभ्यर्थियों के लिए संवर्ग आवंटन पर इसके पास अंतिम अधिकार है।
(4) यह चयनित सिविल सेवकों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सबसे सटीक रूप से अलग करता है?
(1) आयोग विशेष प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, जबकि विभाग प्रारंभिक भर्ती चरण संभालता है।
(2) आयोग एक सलाहकार भर्ती निकाय है, जबकि विभाग संवर्ग और प्रशिक्षण का प्रबंधन करने वाली केंद्रीय कार्मिक संस्था है।
(3) आयोग विशेष रूप से राज्य सिविल सेवाओं को संभालता है, जबकि विभाग केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों का प्रबंधन करता है।
(4) आयोग सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन वितरण का प्रबंधन करता है, जबकि विभाग आंतरिक सेवा नियम और मानक तैयार करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. सूची I में नियुक्ति/पदच्युति के प्रकारों को सूची II में संबंधित प्राधिकारियों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रक्रिया)
A. राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति
B. संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति
C. राज्य लोक सेवा आयोग पदच्युति
D. संघ लोक सेवा आयोग पदच्युति
सूची II: (प्राधिकारी)
i. राष्ट्रपति
ii. राज्यपाल
iii. राष्ट्रपति
iv. राष्ट्रपति
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) सदस्यों की नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा
(2) सदस्यों को हटाना - राज्यपाल द्वारा
(3) वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - राज्यपाल को
(4) सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु - 65 वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, इसकी स्थापना किस तिथि को अधिसूचित की गई थी?
(1) 15 अगस्त 1947
(2) 20 अगस्त 1949
(3) 26 जनवरी 1950
(4) 1 नवंबर 1956
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

37. निम्नलिखित में से कौन सा कदाचार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने में सम्मिलित प्राधिकारियों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) राज्यपाल अनुशंसा करते हैं → उच्च न्यायालय जाँच करता है → राष्ट्रपति हटाते हैं
(2) राष्ट्रपति निर्देश देते हैं → उच्चतम न्यायालय जाँच करता है → राष्ट्रपति हटाते हैं
(3) राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करता है → उच्च न्यायालय जाँच करता है → राज्यपाल हटाते हैं
(4) राज्यपाल निर्देश देते हैं → उच्चतम न्यायालय जाँच करता है → राज्यपाल हटाते हैं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है।
(2) इसे अनुच्छेद 315 के अधीन एक संवैधानिक निकाय माना जाता है।
(3) इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(4) यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं और वे समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है?
(1) सभी को समान अवसर प्रदान करना और सत्ताधारी दल को शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करने से रोकना
(2) शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों पर विशिष्ट प्रतिबंध लागू करना
(3) निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक दलों का चुनावी व्यय विधिक सीमा के भीतर रहे
(4) सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति का औपचारिक प्रकटीकरण अनिवार्य करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. संवैधानिक निकायों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों में से बेमेल विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) निर्वाचक नामावली तैयार करना
(2) राजनीतिक दलों का पंजीकरण
(3) पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराना
(4) आदर्श आचार संहिता लागू करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मूल रूप से, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
II. वर्तमान में इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित हैं।
III. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी के चुनावों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखता है:
(1) संसद
(2) राज्य विधानमंडल
(3) भारत के राष्ट्रपति का पद
(4) शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(2) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(3) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(4) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. सूची I की मदों को सूची II में दिए गए संबंधित संदर्भों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विषय)
A. दलों का पंजीकरण
B. सांसदों की अयोग्यता
C. निर्वाचन प्रतीक आदेश
D. निर्वाचक नामावली तैयार करना
सूची II: (संदर्भ)
i. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A
ii. संविधान का अनुच्छेद 103
iii. 1968
iv. संविधान का अनुच्छेद 324
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है?
(1) भारत का उच्चतम न्यायालय
(2) साधारण बहुमत द्वारा संसद
(3) केंद्रीय मंत्रिमंडल
(4) भारत के राष्ट्रपति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग की सलाहकार भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(1) यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है।
(2) यह व्यक्तिगत चुनाव याचिकाओं के विधिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर उच्च न्यायालयों को परामर्श देता है।
(3) यह राज्य-स्तरीय चुनावी वित्त पोषण हेतु संस्थागत तंत्र के संबंध में वित्त आयोग को परामर्श देता है।

Click Here to Buy book on Amazon

III. एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
IV. मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।
V. विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों सहित कई पदेन सदस्य।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान संरचना को सटीक रूप से दर्शाता है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल I, II, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है?
(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
(2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(3) मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1999
(4) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन अधिनियम, 1993
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों पर एक सीमा है?
(1) यह किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप वाली किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
(2) यह उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता, जिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कथित कार्य किया गया था।
(3) यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी जेल का निरीक्षण नहीं कर सकता।
(4) यह पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अनुशंसा नहीं कर सकता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति के होते हैं।
कारण (R): इसके पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं है, और न ही यह पीड़ित को सीधे मौद्रिक सहायता प्रदान कर सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. उन निकायों में से बेमेल विकल्प की पहचान कीजिए जिनके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं:
(1) भारत का विधि आयोग
(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(3) राष्ट्रीय महिला आयोग
(4) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) समिति की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के स्थायी सदस्य हैं।
(3) राज्यसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य होता है।
(4) समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य केंद्रीय मंत्री सम्मिलित नहीं होता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. सूची I में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रभागों को सूची II में मुख्य कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रभाग)
A. विधि प्रभाग
B. जाँच प्रभाग
C. नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग
D. प्रशिक्षण प्रभाग
सूची II: (मुख्य कार्य)
i. शिकायतों की जाँच करता है और सुनवाई के लिए मामले तैयार करता है
ii. जानकारी का प्रसार करता है और मानवाधिकार जागरूकता उत्पन्न करता है
iii. स्वतंत्र रूप से स्थल पर जाकर पूछताछ करता है
iv. अध्ययन करता है और मानवाधिकार नीतियों पर परामर्श देता है
(1) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केवल अपने स्वयं के जाँच कर्मचारियों पर निर्भर रहने के स्थान पर केंद्र या राज्य सरकार की जाँच एजेंसियों की सहायता लेने का क्या कारण है?
(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग को अपना जाँच कर्मचारी रखने से रोकता है।
(2) आयोग के पास सिविल न्यायालय का दर्जा नहीं है।

NODIA

68. 'पारिवारिक महिला लोक अदालत' की अवधारणा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकसित की गई थी?
(1) ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक पारिवारिक न्यायालयों को पूर्णतः प्रतिस्थापित करना
(2) बिना मुकदमे के घरेलू हिंसा के अपराधियों को कारावास की सजा सुनाना
(3) पारिवारिक न्यायालयों पर सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना
(4) औपचारिक न्यायालयी व्यवस्था के बाहर सुलह के माध्यम से महिलाओं से जुड़े पारिवारिक विवादों का त्वरित न्याय और निपटारा प्रदान करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्राथमिक भूमिका को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
(1) यह वित्त मंत्रालय को महिला कल्याण के लिए वार्षिक बजट आवंटन का निर्देश देता है।
(2) यह विधि बनाता है और उन्हें सीधे संसद में विधेयकों के रूप में प्रस्तुत करता है।
(3) यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को उपायों की अनुशंसा करने वाले एक सांविधिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
(4) यह जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राष्ट्रीय महिला आयोग को बिना किसी सरकारी लेखापरीक्षा के अपने धन का उपयोग करने में पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है।
कारण (R): यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में किस वर्ष के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन की गई थी?
(1) 1993
(2) 2000
(3) 2005
(4) 2007
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिदेश के अनुसार, "बच्चा" किस आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित है?
(1) 0 से 14 वर्ष
(2) 0 से 16 वर्ष
(3) 0 से 18 वर्ष
(4) 6 से 14 वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. सूची I में दिए गए अधिनियमों को सूची II में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संबंधित भूमिका के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अधिनियम)
A. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
B. पॉक्सो अधिनियम, 2012
C. किशोर न्याय अधिनियम, 2015
D. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
सूची II: (आयोग की भूमिका)
i. बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करना
ii. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित होने से संबंधित शिकायतों की जाँच करना
iii. आयोग की स्थापना करना और इसके व्यापक अधिदेश को रेखांकित करना
iv. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करना
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्तियों पर एक सीमा है?
(1) यह एक आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता और कारावास की सजा नहीं सुना सकता।
(2) यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता।
(3) यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी नहीं कर सकता।
(4) यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निगरानी नहीं कर सकता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
(2) अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
(3) सभी सदस्य अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
(4) आयोग के कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।

Downloaded from www.pdf.tube

61. राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
II. इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन 1992 में स्थापित किया गया था।
III. इसका प्राथमिक अधिदेश महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है।
IV. यह सरकार को उपचारात्मक विधायी उपायों की अनुशंसा करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. राष्ट्रीय महिला आयोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है?
(1) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना
(2) किसी भी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना
(3) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना
(4) घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सीधे बाध्यकारी वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रदान करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) प्रतिनिधित्व की आवश्यकता - कम से कम एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों में से होगा
(2) कुल सदस्य - एक अध्यक्ष और 3 सदस्य
(3) नियुक्ति प्राधिकारी - भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(4) कार्यकाल - कड़ाई से 5 वर्ष निर्धारित
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. सूची I में आयोगों को सूची II में उनके नोडल मंत्रालयों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आयोग)
A. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
B. राष्ट्रीय महिला आयोग
C. भारत का निर्वाचन आयोग
D. संघ लोक सेवा आयोग
सूची II: (मंत्रालय)
i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
ii. गृह मंत्रालय
iii. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
iv. विधि एवं न्याय मंत्रालय
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. राष्ट्रीय महिला आयोग के शिकायत तंत्र के अधीन, आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित शिकायतों का समाधान करता है?
(1) महिलाओं द्वारा किए गए आर्थिक अपराध
(2) महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों का कार्यान्वयन न होना
(3) घरेलू क्षेत्राधिकार के बिना वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय दुर्व्यापार नेटवर्क
(4) निजी सॉफ्टवेयर कंपनियों में महिला कर्मचारियों के आंतरिक अनुशासनात्मक मुद्दे
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाओं के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है।
कथन II: जाँच आरंभ करने से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वतः संज्ञान नोटिस को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच और परीक्षण करना।
II. उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर केंद्र सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
III. सरकारी निगरानी के बिना महिलाओं के लिए कार्य करने वाले निजी गैर-सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करना।
IV. महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना।
V. जेल, सुधार गृह या महिला संस्थान का निरीक्षण करना।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन अपने मूल अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग के वास्तविक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

IV. राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है।
V. नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक निकाय है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन इन सभी निकायों को सही ढंग से वर्गीकृत करता है?

(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन परिकल्पित राष्ट्रीय से जिला स्तर तक के निकायों की स्थापना के सही पदानुक्रम को दर्शाता है?
(1) राष्ट्रीय आयोग → जिला बाल अधिकार सेल → राज्य बाल अधिकार आयोग
(2) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग → राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग → बाल न्यायालय
(3) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय → बाल न्यायालय → राज्य आयोग
(4) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग → राष्ट्रीय आयोग → जिला न्यायालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) केंद्र सरकार उन्हें आदेश द्वारा पद से हटा सकती है।
(2) उन्हें हटाया जा सकता है यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो।
(3) यदि वे कार्य करने से मना करते हैं, तो उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए हटाया जा सकता है।
(4) उन्हें हटाया जा सकता है यदि उन्हें नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिदेश पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्या प्रभाव है?
(1) आयोग ने शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपना अधिकार क्षेत्र खो दिया।
(2) आयोग को पूर्णतः दरकिनार करते हुए एक पृथक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया।
(3) आयोग को शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के लिए विद्यालय प्रधानाचार्यों को पदच्युत करने की शक्तियाँ दी गईं।
(4) आयोग को बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी करने और उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. किसी भी मामले की जाँच करते समय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
II. किसी भी मामले को उस पर विचार करने का अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजना।
III. किसी राज्य के कानून को निरस्त करना जो बाल अधिकारों के लिए हानिकारक है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्राथमिक क्षेत्रों के संबंध में बेमेल विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) बाल श्रम उन्मूलन
(2) जलवायु परिवर्तन पर विदेश नीति समझौतों का निर्माण
(3) बाल विवाह की रोकथाम
(4) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. 'नीति आयोग' संक्षिप्त नाम में 'नीति' का क्या अर्थ है?
(1) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
(2) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
(3) नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया
(4) न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांजिशनिंग इंडिया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. सूची I में नीति आयोग की पहलों को सूची II में उनके मुख्य क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पहल)
A. अटल नवाचार मिशन
B. आकांक्षी जिला कार्यक्रम
C. साथ कार्यक्रम
D. स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
सूची II: (क्षेत्र)
i. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन
ii. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन
iii. उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना
iv. सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों का उत्थान
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से निम्नलिखित में से किस तिथि को की गई थी?
(1) 15 अगस्त 2014
(2) 1 जनवरी 2015
(3) 26 जनवरी 2015
(4) 1 अप्रैल 2015
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: नीति आयोग सहकारी संघवाद की नींव पर निर्मित है।
कथन II: नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय नीति निर्माण को

Downloaded from www.pdf.tube

तक यह केवल एक सदस्यीय निकाय था। अतः मतभेदों के समाधान का कथन गलत है।

11. (4) शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें
भारत के निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों तक सीमित है। शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनावों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है। इन स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए नियम संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन संस्थाओं में कोई भूमिका नहीं निभाता।

12. (2) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की अवधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होती है। वे पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

13. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 प्रतीकों के विवाद सुलझाता है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनावों के संचालन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये सभी प्रावधान भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली का आधार हैं।

14. (4) भारत के राष्ट्रपति
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें। नियुक्ति की यह प्रक्रिया कार्यपालिका के माध्यम से संपन्न होती है। हाल के विधायी प्रावधानों के अनुसार, इन नियुक्तियों के लिए एक विशिष्ट चयन समिति की सिफारिश ली जाती है।

15. (1) यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है।
निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। संविधान के अनुसार, जब किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो राज्यपाल को निर्वाचन आयोग से परामर्श करना होता है और वह उसी परामर्श के अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार, संसद सदस्यों के मामले में यह परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाता है, जो जनप्रतिनिधियों की पात्रता सुनिश्चित करता है।

16. (4) I, II, III और IV
निर्वाचन आयोग के पास व्यापक शक्तियाँ हैं जिनमें राजनीतिक दलों के विभाजन पर निर्णय लेना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना शामिल है। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव कराने पर परामर्श देना और मतदान केंद्रों पर धांधली होने पर चुनाव रद्द करना भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता निर्धारित करना इसका कर्तव्य है।

17. (2) आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है। इसके तहत मंत्रियों और सत्ता में बैठे लोगों को किसी भी नए वित्तीय अनुदान, परियोजनाओं या वादों की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसी कोई भी घोषणा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में बाधक मानी जाती है और इसे आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन मानकर आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

18. (1) लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में वैध मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत और सीटें सुरक्षित करने में इसके प्रदर्शन पर
भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है। इसमें मुख्य रूप से लोकसभा या विधानसभा चुनावों में प्राप्त वैध मतों का निश्चित प्रतिशत और आवश्यक सीटों की संख्या शामिल है। यदि कोई दल चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भी राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है।

NODIA

19. (2) III, I, II, IV
लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एक व्यवस्थित क्रम में चलती है। सबसे पहले संदिग्ध कदाचार की प्रारंभिक जाँच की जाती है। तथ्य पुष्ट होने पर औपचारिक आरोपों का निर्धारण कर उन्हें अधिकारी को भेजा जाता है। इसके पश्चात, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य होता है। अंत में, जाँच निष्कर्षों पर विचार करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी अंतिम आदेश पारित करता है।

20. (4) संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का आदेश देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया स्वतंत्र और योग्यता पर आधारित हो, जिससे कुशल प्रशासनिक तंत्र का निर्माण हो।

21. (3) संविधान आयोग के सदस्यों की संख्या ठीक दस निर्दिष्ट करता है।
संघ लोक सेवा आयोग की संरचना हेतु संविधान ने सदस्यों की कोई निश्चित संख्या निर्दिष्ट नहीं की है। अनुच्छेद 315 के अनुसार,

नीति निर्माण में इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाता है?
(1) नीतियां प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की जाती हैं और सीधे ग्राम पंचायतों को भेजी जाती हैं।
(2) योजना ग्राम स्तर पर आरंभ होती है और सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत होती है।
(3) राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित होने से पहले अंतरराष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय स्तर पर अपनाया जाता है।
(4) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि स्थानीय शासन रणनीतियों को निर्देशित करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के पदेन सदस्यों के रूप में कितने केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों को नामित किया जाता है?
(1) अधिकतम 2
(2) अधिकतम 4
(3) अधिकतम 5
(4) अधिकतम 7
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): नीति आयोग के पास राज्यों या केंद्रीय मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है।
कारण (R): नीति आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय और नीतिगत प्रबुद्ध मंडल है, जबकि वित्तीय आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और उनके पास किसका स्तर होता है?
(1) भारत सरकार के सचिव
(2) राज्य मंत्री
(3) कैबिनेट सचिव
(4) भारत सरकार के संयुक्त सचिव
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. सूची I की विशेषताओं को सूची II के संस्थानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विशेषता)
A. धन आवंटित करने की शक्ति
B. ऊपर से नीचे नियोजन दृष्टिकोण
C. प्रबुद्ध मंडल और सलाहकार भूमिका
D. सहकारी संघवाद दृष्टिकोण

सूची II: (संस्थान)
i. नीति आयोग
ii. योजना आयोग
iii. नीति आयोग
iv. योजना आयोग
उस विकल्प का चयन करें जो विशेषताओं को संस्थानों के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है:
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा आरंभ की गई 'कार्य योजना' की समय सीमा का सही वर्णन करता है?
(1) 1-वर्षीय परिचालन योजना
(2) 3-वर्षीय कार्य योजना
(3) 5-वर्षीय मध्यम अवधि की योजना
(4) 10-वर्षीय विकास योजना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. नीति आयोग के विशेष आमंत्रितों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे विषय ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ और विशेषज्ञ होते हैं।
II. वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
III. वे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल III
(4) केवल I और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. निम्नलिखित प्रमुख पहलों पर विचार कीजिए:
I. डिजिटल इंडिया सूचकांक
II. सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक
III. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
IV. राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते
उपरोक्त में से कौन से सूचकांक/प्रतिवेदन नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II और III
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. विभिन्न निकायों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
II. संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
III. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है।

Click Here to Buy book on Amazon

आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु सशक्त बनाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. निम्नलिखित सदस्यों पर विचार कीजिए:
I. भारत के प्रधानमंत्री
II. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
III. विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
IV. अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
कौन सा संयोजन नीति आयोग की शासी परिषद की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I और II
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य अंतर है?
(1) नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग एक सांविधिक निकाय था।
(2) नीति आयोग एक सलाहकार प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।
(3) नीति आयोग ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण का पालन करता है, जबकि योजना आयोग नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का पालन करता था।
(4) नीति आयोग राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जबकि योजना आयोग प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन देता था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. नीति आयोग के संरचनात्मक ढांचे के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(3) पदेन सदस्य - केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 6 सदस्य
(4) उपाध्यक्ष - प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए विजन और रणनीति दस्तावेजों को अल्प अवधि से दीर्घ अवधि के सही क्रम में व्यवस्थित करें:
I. रणनीति दस्तावेज
II. विजन दस्तावेज
III. कार्य योजना
सही क्रम का चयन करें:
(1) III, I, II
(2) I, II, III
(3) II, I, III
(4) III, II, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) इनका गठन एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है।
(2) इनका गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है।
(3) इनकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति या उनके नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है।
(4) इनमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित करने का प्राथमिक कारण क्या था?
(1) एक केंद्रीकृत, ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से समावेशी, सहकारी संघवाद दृष्टिकोण की ओर वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता।
(2) योजना आयोग ने अपना अनिवार्य 65 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था।
(3) अतिरिक्त-संवैधानिक योजना निकायों को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्देश।
(4) भारत के आर्थिक नियोजन के पुनर्गठन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अधिदेश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए:
I. संरचित सहायता पहलों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
II. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना।
III. ज्ञान, नवाचार और उद्यमी सहायता प्रणाली बनाना।
IV. राज्यों पर अनिवार्य पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं को कड़ाई से लागू करना।
V. प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन नीति आयोग के उद्देश्यों की सही पहचान करता है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. योजना आयोग से नीति आयोग की ओर परिवर्तन 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) अनुच्छेद 324
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रावधान आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन का व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

2. (1) संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से रोक दिया है।
भारतीय संविधान में सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में किसी अन्य सरकारी नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी संविधान इस विशेष निषेध पर मौन है। यह स्थिति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे अन्य संवैधानिक पदों से भिन्न है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं होती है।

3. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें पद से केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित कदाचार या अक्षमता के प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

4. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को अधीक्षण की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 325 धर्म या जाति के आधार पर अपात्रता को रोकता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली का ठोस आधार प्रदान करते हैं।

5. (3) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद
आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समूह है। यह संहिता चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकना और सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। यह संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है।

6. (2) भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान करना
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जाँच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना है। यद्यपि आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता पर परामर्श देता है, लेकिन राष्ट्रपति पद के चुनावी विवादों के समाधान का अंतिम अधिकार संविधान ने केवल न्यायपालिका को प्रदान किया है।

7. (2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या है।
निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है क्योंकि इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को समान वेतन, भत्ते और शक्तियाँ प्राप्त हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। यदि किसी विषय पर मतभेद होता है, तो निर्णय बहुमत से लिया जाता है। हालाँकि, केवल समान शक्तियाँ ही स्वतंत्रता का कारण नहीं हैं, बल्कि कार्यकाल की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

8. (1) सभी को समान अवसर प्रदान करना और सत्ताधारी दल को शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करने से रोकना
चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का प्राथमिक उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक समान धरातल तैयार करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ताधारी दल अपनी आधिकारिक स्थिति का लाभ उठाकर मतदाताओं को प्रभावित न करे या सरकारी संसाधनों का उपयोग न करे। यह संहिता चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अत्यधिक सुदृढ़ करती है।

9. (3) पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराना
भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का संचालन करने के लिए अनुच्छेद 243-K के तहत प्रत्येक राज्य में एक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थानीय निकायों के चुनावों से कोई प्रशासनिक संबंध नहीं होता, जो इसे अन्य कार्यों से अलग करता है।

10. (3) केवल III
निर्वाचन आयोग की संरचना के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच मतभेद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर आयोग द्वारा स्वयं लिया जाता है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है। वर्तमान में यह एक तीन सदस्यीय निकाय है। प्रारंभ में 1950 से 1989

Downloaded from www.pdf.tube

(3) व्यापक क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करने और पूरे देश में बड़ी संख्या में शिकायतों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए।
(4) उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि आयोग को पूर्णतः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर निर्भर रहना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महत्व का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(1) यह सभी राज्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी एक समानांतर न्यायिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
(2) यह एक शक्तिशाली नैतिक प्राधिकार और लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
(3) इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के दोषी लोक सेवकों को पदच्युत करने का अंतिम अधिकार है।
(4) यह संसद द्वारा सीधे पारित किए जाने वाले मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों और विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. सिविल न्यायालय के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह गवाहों को समन कर सकता है और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है।
II. यह गवाहों या दस्तावेजों की जाँच के लिए कमीशन जारी कर सकता है।
III. यह अवमानना के लिए किसी अभियुक्त को कारावास की सजा सुना सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल III
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा आयोजित जाँच के बाद ही पद से हटाया जा सकता है?
(1) भारत का उच्चतम न्यायालय
(2) संसद की एक समिति
(3) केंद्रीय मंत्रिमंडल
(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सशस्त्र बलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर आयोग का सीमित क्षेत्राधिकार है।
कथन II: सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में, आयोग केंद्र सरकार से प्रतिवेदन मांग सकता है और अपनी अनुशंसाएं दे सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायत के निवारण में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. संबंधित राज्य सरकार से प्रतिवेदन मांगना
II. मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में औपचारिक शिकायत प्राप्त करना
III. जाँच के निष्कर्षों के आधार पर सरकार को अनुशंसाएं करना
IV. अपने स्वयं के जाँच दल द्वारा जाँच करना
सही क्रम का चयन करें:
(1) II, I, IV, III
(2) I, II, III, IV
(3) II, IV, I, III
(4) IV, II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राज्य आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है।
(2) यदि राष्ट्रीय आयोग पहले से ही किसी मामले की जाँच कर रहा है, तो राज्य आयोग उस मामले की जाँच नहीं करता है।
(3) राष्ट्रीय आयोग किसी शिकायत को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित कर सकता है यदि वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
(4) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों द्वारा दिए गए निर्णयों पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वित्तीय स्वायत्तता कैसे बनी रहती है?
(1) इसे सीधे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
(2) केंद्र सरकार संसद द्वारा विनियोग के पश्चात सहायता अनुदान प्रदान करती है।
(3) इसके व्यय संघ लोक सेवा आयोग की भाँति भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
(4) यह मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों पर लगाए गए जुर्माने के माध्यम से स्वयं का धन उत्पन्न करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। संविधान केवल यह अनिवार्य करता है कि आधे सदस्यों को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो।

22. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का विवरण है। अनुच्छेद 317 कदाचार के आधार पर सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों, जैसे परीक्षा आयोजित करना और भर्ती पर परामर्श देना, को परिभाषित करता है। अंत में, अनुच्छेद 323 यह अनिवार्य करता है कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे।

23. (4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासनात्मक मामलों में दी गई सलाह सरकार के लिए कानूनी रुप से बाध्यकारी नहीं होती है। हालाँकि, यदि सरकार आयोग की सलाह को अस्वीकार करती है, तो उसे संसद के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस ज्ञापन में सरकार को आयोग की सलाह से विचलित होने के ठोस कारणों की व्याख्या करनी होती है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

24. (1) संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी केंद्रीय भर्ती संस्था
संघ लोक सेवा आयोग भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती संस्था है। इसकी प्राथमिक भूमिका संघ की सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। यद्यपि यह अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के माध्यम से कुशल लोक सेवकों का चयन करना है।

25. (1) केवल I, II, III और IV
संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं हेतु परीक्षाएं आयोजित करता है और भर्ती, पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को परामर्श देता है। यह शारीरिक क्षति के लिए पेंशन दावों पर भी सलाह प्रदान करता है। हालाँकि, पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करना आयोग का कार्य नहीं है। आरक्षण नीतियां बनाना और लागू करना सरकार के विधायी अधिकारों में है।

26. (1) राज्य सिविल सेवाएँ
संघ लोक सेवा आयोग केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली सेवाओं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। राज्य सिविल सेवाओं के लिए भर्ती का दायित्व संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग का होता है। प्रत्येक राज्य का अपना स्वतंत्र आयोग होता है जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार चयन करता है। अतः राज्य सिविल सेवाएँ संघ आयोग के कार्यों में नहीं आतीं।

27. (4) न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पद के लिए चयन
संघ लोक सेवा आयोग से पदोन्नति के सिद्धांतों, प्रतिनियुक्ति और कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति जैसे मामलों पर परामर्श करना अनिवार्य है। हालाँकि, विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होता है। इनके लिए चयन की अलग प्रक्रिया और विशिष्ट समितियां निर्धारित होती हैं। राष्ट्रपति को कुछ पदों को आयोग के परामर्श के दायरे से बाहर रखने का अधिकार है।

28. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी व्यय भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि पर भारित होने का अर्थ है कि इन खर्चों पर संसद में केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। यह संवैधानिक प्रावधान आयोग की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है ताकि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्षता से कार्य कर सके।

29. (3) अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद ही हटाया जा सकता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की प्रक्रिया सुरक्षित है। उन्हें केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति को मामले की जाँच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना अनिवार्य है। यदि उच्चतम न्यायालय जाँच के पश्चात हटाने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

30. (4) भारत के राष्ट्रपति
संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यह अनुच्छेद 323 के तहत परिभाषित एक संवैधानिक अनिवार्यता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। प्रतिवेदन के साथ एक ज्ञापन भी शामिल होता है जिसमें आयोग की उन सिफारिशों के न माने जाने के कारणों का विवरण होता है जिन्हें सरकार ने स्वीकारा नहीं।

31. (2) केवल I और III
संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। सेवा निवृत्ति के पश्चात, वह उसी पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। हालाँकि, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। यह नियम सदस्यों की निष्पक्षता और भविष्य के लाभ की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

(1) वुड्रो विल्सन
(2) थॉमस आर. डाई
(3) डेविड ईस्टन
(4) हेरोल्ड लासवेल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. भारत में नीति निर्माण में शामिल हितधारकों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल सर्वोच्च निकाय है।
(2) प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में प्रधानमंत्री कार्यालय अत्यधिक प्रभावशाली है।
(3) नागरिक समाज संगठन नीतियों पर धरातलीय प्रतिपुष्टि प्रदान करके योगदान देते हैं।
(4) राष्ट्रीय विकास परिषद की प्राथमिक संवैधानिक भूमिका राज्य के बजट का प्रारूप तैयार करना है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. भारत में संस्थागत परिवर्तनों के संबंध में दिए गए कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन (A): भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था।
कारण (R): नीति आयोग को केंद्रीकृत योजना के 'ऊपर से नीचे' के प्रतिमान को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका को गौण रखा गया था।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण के संदर्भ में, एक 'नीति-समूह' (थिंक टैंक) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(1) ग्राम और जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं को सीधे क्रियान्वित करना।
(2) ऐसे वैधानिक कानून पारित करना जो मौजूदा संसदीय विधायी अधिनियमों का स्थान ले सकें।
(3) विभिन्न नीति निर्माताओं को स्वतंत्र अनुसंधान और नीतिगत विकल्प प्रदान करना।
(4) प्रशासनिक विवादों को सुलझाने के लिए एक न्यायिक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. नीति निर्माण में नीति आयोग की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह केंद्र और राज्यों दोनों के लिए शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
II. यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
III. इसके पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने का संवैधानिक अधिकार है।
IV. इसने 2015 में एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में विधायिका की भूमिका का सही वर्णन करता है?
(1) प्रशासनिक नीति ढांचे की तकनीकी जटिलताओं का प्रारूप तैयार करना।
(2) निर्माण चरण में बिना किसी भूमिका के नीतियों का कार्यान्वयन करना।
(3) कार्यपालिका द्वारा तैयार की गई नीतियों पर न्यायिक समीक्षा करना।
(4) चर्चाओं और कानूनों के अधिनियमन के माध्यम से नीतियों को वैधता प्रदान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीति निर्माण पर आधुनिक शासन की बढ़ती जटिलता का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
(1) प्रत्यायोजित विधान की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन।
(2) तकनीकी नीति निर्माण के लिए नौकरशाही पर निर्भरता में वृद्धि।
(3) विषय-विशेषज्ञों और योग्य तकनीकविदों पर निर्भरता में कमी।
(4) नीति समीक्षा से संबंधित संसदीय समितियों का विघटन।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. सार्वजनिक नीति निर्माण में गैर-सरकारी अभिकर्ताओं के संबंध में विषम विकल्प को चुनें।
(1) मीडिया संगठन
(2) दबाव समूह
(3) मंत्रिमंडल सचिवालय
(4) गैर-सरकारी संगठन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. सूची I में दी गई नीति कार्यान्वयन की चुनौतियों को सूची II में दिए गए उनके विवरणों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (चुनौतियां)
A. संसाधन संबंधी बाधाएं
B. संस्थागत विखंडन
C. ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण
D. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
सूची II: (विवरण)

NODIA

42. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएं। इसके साथ एक विशेष ज्ञापन भी संलग्न किया जाता है जिसमें उन मामलों का स्पष्ट उल्लेख और कारण दिए जाते हैं जहाँ आयोग की सलाह को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

43. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग इसे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में, प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के प्रत्येक राज्यपाल को दिया जाता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसे कार्यपालिका को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यह उनकी स्वायत्तता और विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है।

44. (2) 15वां संशोधन अधिनियम, 1963
15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसी संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। इसने प्रशासनिक शून्यता को भरने में मदद की। साथ ही, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।

45. (2) राज्य आयोग के सदस्य 62 वर्ष में, जबकि संघ आयोग के सदस्य 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
भारत में लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में अंतर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए यह आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। 41वें संशोधन द्वारा राज्य आयोग की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी।

46. (4) I, II, III और IV
मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना समावेशी बनाई गई है। अब उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। आयोग में तीन सदस्य शामिल होते हैं जिनमें एक महिला अनिवार्य है। साथ ही, पदेन सदस्यों में पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार और दिव्यांग राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष शामिल किए गए हैं, जो इसे सशक्त बनाते हैं।

47. (1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, जिसका निर्माण संसद के कानून द्वारा हुआ है। यह अधिनियम आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने, न्याय दिलाने हेतु सिफारिशें करने और जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। यह संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि सांविधिक संस्था है।

48. (2) यह उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता, जिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कथित कार्य किया गया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जाँच शक्तियों पर समय सीमा लागू होती है। अधिनियम के अनुसार, आयोग केवल उन्हीं घटनाओं का संज्ञान ले सकता है जो शिकायत दर्ज होने से एक वर्ष के भीतर घटित हुई हों। एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में आयोग के पास हस्तक्षेप करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह प्रावधान शिकायतों के त्वरित निवारण और साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

49. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय है क्योंकि इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को सीधे दंडित करने या जुर्माना लगाने की न्यायिक शक्ति नहीं है। यह जाँच के पश्चात सरकार को केवल सुधारात्मक कदम उठाने और पीड़ित को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकता है। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालाँकि सरकार उन्हें गंभीरता से लेती है।

50. (1) भारत का विधि आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में पदेन सदस्यों के रूप में विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इनमें अल्पसंख्यक, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। विधि आयोग एक पृथक निकाय है जो केवल कानूनी सुधारों और विधि के शासन पर परामर्श देता है।

51. (3) राज्यसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य होता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश आवश्यक है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियां करते हैं। विपक्ष के नेताओं की उपस्थिति चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

52. (1) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कार्यों को विभिन्न प्रभागों के माध्यम से संचालित करता है। विधि प्रभाग शिकायतों की छंटनी और कानूनी आधार तैयार करता है। जाँच प्रभाग का कार्य घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्रित करना है। नीति अनुसंधान प्रभाग मानवाधिकार नीतियों पर गहन अध्ययन और

NODIA

73. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग विभिन्न कानूनों के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह शिक्षा से वंचित होने की शिकायतों की जाँच करता है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत यह बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करता है। 2005 का मूल अधिनियम आयोग के वैधानिक अधिदेश को परिभाषित करता है।

74. (1) यह एक आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता और कारावास की सजा नहीं सुना सकता।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास जाँच के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन यह आपराधिक न्यायालय नहीं है। आयोग स्वयं किसी व्यक्ति को कारावास की सजा नहीं दे सकता। इसकी भूमिका मुख्य रूप से उल्लंघन की जाँच करना और सरकार को सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना है। किसी भी आपराधिक दंड के लिए, आयोग को मामला सक्षम पुलिस प्राधिकारियों या न्यायालयों को संदर्भित करना होता है।

75. (4) आयोग के कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और छह सदस्य शामिल होते हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इन छह सदस्यों में से कम से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य है ताकि बच्चों के संवेदनशील मुद्दों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।

76. (2) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग → राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग → बाल न्यायालय
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शीर्ष निकाय है। प्रत्येक राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का त्वरित निपटारा करने के लिए जिला स्तर पर विशेष 'बाल न्यायालय' गठित किए जाते हैं। यह व्यवस्था सुलभ न्याय सुनिश्चित करती है।

77. (3) यदि वे कार्य करने से मना करते हैं, तो उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए हटाया जा सकता है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाता है। केंद्र सरकार उन्हें पद से हटा सकती है यदि वे दिवालिया, मानसिक रूप से अस्वस्थ या नैतिक अधमता के अपराधी हों। हालाँकि, किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उन्हें अपनी बात रखने का अवसर न दिया जाए। 'बिना सुनवाई के हटाना' वैधानिक रूप से गलत है।

78. (4) आयोग को बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी करने और उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका को विस्तार दिया है। इस कानून के तहत आयोग को एक स्वतंत्र निगरानी संस्था के रूप में नामित किया गया है। आयोग का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के कार्यान्वयन की समीक्षा करे। यह शिक्षा से वंचित होने संबंधी शिकायतों की जाँच कर आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देता है।

79. (1) केवल I और II
जाँच के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को समन करना शामिल है। यदि आयोग को गंभीर अपराध मिलता है, तो वह उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज सकता है। हालाँकि, आयोग के पास किसी राज्य के कानून को सीधे निरस्त करने की कोई विधायी शक्ति नहीं है। वह केवल कानून में संशोधन हेतु सिफारिश कर सकता है।

80. (2) जलवायु परिवर्तन पर विदेश नीति समझौतों का निर्माण
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुख्य कार्यों में बाल श्रम का उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की निगरानी शामिल है। यह आयोग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के मुद्दों पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन पर विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय समझौतों का निर्माण करना विदेश मंत्रालय का कार्य है। यह आयोग के वैधानिक अधिदेश से पूर्णतः बाहर का विषय है।

81. (2) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया है। यह संस्थान भारत सरकार के नीतिगत प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है और देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

82. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
नीति आयोग विभिन्न पहलों के माध्यम से विकास को गति देता है। अटल नवाचार मिशन उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछड़े जिलों के त्वरित उत्थान पर केंद्रित है। 'साथ' कार्यक्रम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर परिवर्तन लाने की पहल है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग राज्यों के शैक्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन और सुधार के लिए किया जाता है।

83. (2) 1 जनवरी 2015
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का स्थान लिया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इसका

Downloaded from www.pdf.tube

63. (1) प्रतिनिधित्व की आवश्यकता - कम से कम एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों में से होगा
राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में समाज के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। अधिनियम के अनुसार, सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आयोग इन वर्गों की महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

64. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
राष्ट्रीय निकायों का प्रशासनिक नियंत्रण उनके संबंधित प्रमुख मंत्रालयों के अधीन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। निर्वाचन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ समन्वय करता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ये मंत्रालय इन निकायों को विधायी सहायता प्रदान करते हैं।

65. (2) महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों का कार्यान्वयन न होना
राष्ट्रीय महिला आयोग का शिकायत निवारण तंत्र विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के हनन पर केंद्रित है। आयोग उन मामलों का संज्ञान लेता है जहाँ महिलाओं को विधिक अधिकारों से वंचित किया जाता है या जहाँ सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं होता है। इसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न और दहेज प्रथा जैसे भेदभावपूर्ण व्यवहार शामिल हैं। आयोग ऐसी शिकायतों की जाँच कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और उपाय सुझाता है।

66. (3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में 'स्वतः संज्ञान' लेने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। इसके लिए उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या किसी अन्य विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आयोग समाचारों या अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर स्वयं जाँच आरंभ कर सकता है। यह स्वायत्तता उसे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

67. (2) केवल I, II, IV और V
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में कानूनों की समीक्षा, सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और महिला विकास योजनाओं में परामर्श देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयोग को जेलों और महिला संस्थानों का निरीक्षण करने का भी अधिकार है ताकि वहाँ महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि, निजी गैर-सरकारी संगठनों को बिना किसी सरकारी निगरानी के वित्त पोषित करना आयोग के अनिवार्य कर्तव्यों में शामिल नहीं है।

68. (4) औपचारिक न्यायालयी व्यवस्था के बाहर सुलह के माध्यम से महिलाओं से जुड़े पारिवारिक विवादों का त्वरित न्याय और निपटारा प्रदान करना
'पारिवारिक महिला लोक अदालत' राष्ट्रीय महिला आयोग की एक अभिनव पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े पारिवारिक विवादों का समाधान आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से करना है। यह व्यवस्था न्यायालयों के बोझ को कम करती है और महिलाओं को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित न्याय प्रदान करती है। ये अदालतें सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और महिलाओं के हितों की रक्षा में प्रभावी हैं।

69. (3) यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को उपायों की अनुशंसा करने वाले एक सांविधिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
नीति निर्माण में राष्ट्रीय महिला आयोग महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाता है। वैधानिक निकाय के रूप में, यह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों पर सरकारों को सुझाव देता है। यह प्रचलित कानूनों की कमियों को उजागर करता है और विधायी सुधारों का प्रस्ताव करता है। यद्यपि आयोग स्वयं कानून नहीं बनाता, लेकिन इसके परामर्श महिला केंद्रित योजनाएं तैयार करने का विश्वसनीय आधार बनते हैं।

70. (4) A गलत है लेकिन R सही है
यद्यपि राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है, लेकिन इसके पास पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता नहीं है। आयोग को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है और इसके खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। यह वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक धन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अतः यह कहना गलत है कि आयोग सरकारी लेखापरीक्षा के बिना कार्य करता है।

71. (3) 2005
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' के अंतर्गत की गई थी। इस वैधानिक निकाय ने मार्च 2007 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सभी नीतियां और प्रशासनिक तंत्र बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों। यह अधिनियम आयोग को बच्चों के हितों की रक्षा हेतु मजबूत आधार देता है।

72. (3) 0 से 18 वर्ष
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार, 'बच्चा' शब्द को 0 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय मानकों और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसी आयु वर्ग के सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जो सभी संबंधित नीतियों का आधार है।

NODIA

परामर्श प्रदान करता है। अंत में, प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और जानकारी के प्रसार का कार्य करता है।

53. (3) व्यापक क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करने और पूरे देश में बड़ी संख्या में शिकायतों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और इसे देश भर से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। अपनी जाँच प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आयोग अक्सर केंद्र या राज्य सरकार की विशेषज्ञ जाँच एजेंसियों का सहयोग लेता है। यह समन्वय आयोग को सीमित संसाधनों के बावजूद दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने और जटिल मामलों की गहराई से जाँच करने में सक्षम बनाता है।

54. (2) यह एक शक्तिशाली नैतिक प्राधिकार और लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इसके नैतिक प्रभाव और विश्वसनीयता में निहित है। यद्यपि इसके पास सीधी दंडात्मक शक्ति नहीं है, फिर भी इसकी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार पर गहरा दबाव डालती हैं। यह लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सशक्त प्रहरी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, जो पीड़ित नागरिकों को न्याय की आशा प्रदान करती हैं।

55. (3) केवल III
जाँच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें गवाहों को समन करना और दस्तावेज मंगाना शामिल है। हालाँकि, इसके पास किसी भी व्यक्ति को अवमानना या अपराध के लिए सीधे कारावास की सजा सुनाने का न्यायिक अधिकार नहीं है। यदि दंड की आवश्यकता होती है, तो उसे मामला मजिस्ट्रेट को संदर्भित करना होता है। अतः सजा सुनाने संबंधी कथन वैधानिक रूप से गलत है।

56. (1) भारत का उच्चतम न्यायालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को मामले की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना अनिवार्य होता है। उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त करने का आदेश जारी कर सकते हैं।

57. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
सशस्त्र बलों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ नागरिक प्रशासन की तुलना में सीमित हैं। आयोग सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उल्लंघन के मामलों में स्वयं जाँच नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, आयोग केंद्र सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन मांगता है और उसके आधार पर सिफारिशें देता है। केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर आयोग को सूचित करना होता है कि उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई।

58. (1) II, I, IV, III
मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत निवारण प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है। सबसे पहले आयोग को पीड़ित या संगठन से औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है। इसके पश्चात, आयोग संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण से विस्तृत प्रतिवेदन मांगता है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता, तो आयोग का जाँच दल स्वतंत्र जाँच करता है। अंत में, निष्कर्षों के आधार पर आयोग सरकार को कार्रवाई या मुआवजे की सिफारिश करता है।

59. (4) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों द्वारा दिए गए निर्णयों पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र निकाय हैं और उनके बीच कोई पदानुक्रमित संबंध नहीं होता है। राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं सुनता है। राज्य आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हालाँकि, यदि राष्ट्रीय आयोग किसी मामले की जाँच कर रहा है, तो राज्य आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। दोनों ही निकाय अपने स्तर पर स्वायत्त हैं।

60. (2) केंद्र सरकार संसद द्वारा विनियोग के पश्चात सहायता अनुदान प्रदान करती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वित्तीय व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बजट पारित होने के पश्चात, सरकार आयोग को सहायता अनुदान प्रदान करती है ताकि वह अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन कर सके। यद्यपि इसके खर्च संचित निधि पर भारित नहीं होते, फिर भी आयोग को आवंटित बजट खर्च करने में स्वायत्तता प्राप्त है। यह तंत्र आयोग के सुचारु संचालन हेतु संसाधन सुनिश्चित करता है।

61. (2) केवल II, III और IV
राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और सरकार को विधायी सुधारों की सिफारिश करना है। यह महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करता है और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में परामर्श प्रदान करता है।

62. (4) घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सीधे बाध्यकारी वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रदान करना
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाँच के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। हालाँकि, आयोग के पास पीड़ितों को सीधे वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रदान करने या दोषियों को दंडित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को मुआवजे या कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। सजा सुनाने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालयों के पास है। आयोग की भूमिका परामर्शदात्री है।

Click Here to Buy book on Amazon

आधिकारिक गठन नए साल के प्रथम दिन से प्रभावी हुआ। यह संस्थान सरकार के लिए रणनीतिक और तकनीकी परामर्श देने वाले एक सशक्त प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्यरत है।

84. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
नीति आयोग का मूल आधार 'सहकारी संघवाद' है। यह इस मान्यता पर टिका है कि मजबूत राज्यों से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। यह राज्यों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार के रूप में देखता है। आयोग निरंतर ऐसे मंच प्रदान करता है जहाँ राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय एजेंडे को आकार दे सकें, जो केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ बनाता है।

85. (4) I, II, III और IV
नीति आयोग की शासी परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समावेशी निकाय है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह परिषद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने का मुख्य मंच है। इसकी संरचना सुनिश्चित करती है कि भारत की विकास नीति में प्रत्येक क्षेत्र की आवाज को महत्व दिया जाए।

86. (2) नीति आयोग एक सलाहकार प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।
नीति आयोग और योजना आयोग के बीच सबसे मौलिक अंतर वित्तीय शक्तियों का है। पूर्ववर्ती योजना आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार था। इसके विपरीत, नीति आयोग केवल एक सलाहकार निकाय और 'प्रबुद्ध मंडल' है जिसके पास धन आवंटन की कोई शक्ति नहीं है। अब वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिससे आयोग केवल रणनीतिक परामर्श पर ध्यान देता है।

87. (4) उपाध्यक्ष - प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसके विपरीत, पदेन सदस्यों की संख्या अधिकतम चार निर्धारित है जिन्हें प्रधानमंत्री ही नामित करते हैं। यह पूरी संरचना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

88. (1) III, I, II
नीति आयोग ने पूर्ववर्ती योजनाओं के स्थान पर नई रणनीतिक प्रणाली अपनाई है। इसमें सबसे पहले 3-वर्षीय अल्पकालिक 'कार्य योजना' तैयार की जाती है। इसके बाद 7-वर्षीय मध्यम अवधि का 'रणनीति दस्तावेज' होता है। अंत में, 15-वर्षीय दीर्घकालिक 'विजन दस्तावेज' बनाया जाता है जो राष्ट्र के व्यापक भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण अल्पकालिक कार्यों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

89. (3) इनकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति या उनके नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है।
नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों का गठन विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है जो एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करते हैं। इन परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ये परिषदें अंतर-राज्यीय सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने का मंच हैं।

NODIA

90. (1) एक केंद्रीकृत, ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से समावेशी, सहकारी संघवाद दृष्टिकोण की ओर वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता।
योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने का मुख्य कारण नियोजन के दृष्टिकोण में बदलाव था। योजना आयोग एक केंद्रीकृत 'ऊपर से नीचे' के दृष्टिकोण का पालन करता था। नीति आयोग को 'नीचे से ऊपर' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, जहाँ राज्यों को योजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। यह वैचारिक बदलाव राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देने के लिए किया गया।

91. (1) केवल I, II, III और V
नीति आयोग के उद्देश्यों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर योजना तंत्र विकसित करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह शासन की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देता है। हालाँकि, राज्यों पर अनिवार्य पंचवर्षीय योजनाओं को कड़ाई से लागू करना इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। नीति आयोग का दृष्टिकोण लचीला और परामर्शदात्री है, जो अनिवार्य आदेशों के बजाय सहयोग के माध्यम से विकास सुनिश्चित करता है।

92. (2) योजना ग्राम स्तर पर आरंभ होती है और सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत होती है।
नीति आयोग का 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजनाएं जमीनी हकीकत पर आधारित हों। इस प्रक्रिया में, ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान कर योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिन्हें बाद में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एकीकृत किया जाता है। अंततः, ये स्थानीय योजनाएं राष्ट्रीय नीतियों का आधार बनती हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती हैं।

93. (2) अधिकतम 4
नीति आयोग की संरचना में पदेन सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार मंत्रियों को पदेन सदस्यों के रूप में नामित कर सकते हैं। ये सदस्य सामान्यतः गृह, वित्त, रक्षा और कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती

32. (2) यह पूर्णतः क्षमता और प्रतिभा के आधार पर निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करता है।
संघ लोक सेवा आयोग को भारत में 'योग्यता प्रणाली का संरक्षक' कहा जाता है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक सेवाओं में सबसे योग्य व्यक्तियों का चयन करना है। यह पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियां बिना किसी पक्षपात या राजनीतिक हस्तक्षेप के केवल मेधा के आधार पर हों। यह संस्थान प्रशासन में गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक प्रहरी है।

33. (2) आयोग एक सलाहकार भर्ती निकाय है, जबकि विभाग संवर्ग और प्रशिक्षण का प्रबंधन करने वाली केंद्रीय कार्मिक संस्था है।
संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर है। आयोग मुख्य रूप से भर्ती करने वाला और परामर्श देने वाला एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसके विपरीत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार के भीतर एक केंद्रीय संस्था है जो सेवाओं के वर्गीकरण, संवर्ग प्रबंधन और प्रशिक्षण नीतियों का निर्धारण करती है। आयोग उम्मीदवारों का चयन करता है, जबकि विभाग सेवा प्रबंधन करता है।

34. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके विपरीत, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पद से हटाने के मामले में, दोनों ही आयोगों के सदस्यों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल के पास राज्य आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति है, हटाने की नहीं।

35. (3) वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - राज्यपाल को
राज्य लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपना होता है। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। इसके अलावा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है।

36. (2) 20 अगस्त 1949
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रक्रिया राज्य के निर्माण के साथ आरंभ हुई थी। इसके लिए एक औपचारिक अध्यादेश जारी किया गया और स्थापना की अधिसूचना 20 अगस्त 1949 को प्रकाशित हुई। आयोग ने जयपुर में अपना कार्य शुरू किया था, जिसे बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह राज्य का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भर्ती निकाय है।

37. (2) राष्ट्रपति निर्देश देते हैं → उच्चतम न्यायालय जाँच करता है → राष्ट्रपति हटाते हैं
राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर हटाने की प्रक्रिया सुरक्षित है। राज्यपाल के पास उन्हें केवल निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन हटाने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति इस मामले को जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजते हैं। यदि न्यायालय सदस्य को हटाने की अनुशंसा करता है, तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वायत्तता सुनिश्चित करती है।

38. (2) इसे अनुच्छेद 315 के अधीन एक संवैधानिक निकाय माना जाता है।
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक वैधानिक निकाय है, न कि प्रत्यक्ष संवैधानिक निकाय। यद्यपि अनुच्छेद 315 में इसके गठन का प्रावधान है, लेकिन यह संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत करते हैं। इसकी प्रकृति अस्थाई होती है।

39. (4) राज्य Civil सेवाओं का वर्गीकरण करना और उनके वेतनमान निर्धारित करना
राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करना और भर्ती एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना है। हालाँकि, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, संवर्ग प्रबंधन और उनके वेतनमान निर्धारित करना आयोग का कार्य नहीं है। ये कार्य पूरी तरह राज्य सरकार के कार्मिक या वित्त विभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। आयोग केवल एक सलाहकार संस्था है।

40. (4) I, II, III और IV
राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कड़े प्रावधान हैं। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य अन्य उच्च संवैधानिक पदों हेतु पात्र होते हैं।

41. (3) जब तक कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति कार्यालय के कर्तव्यों को ग्रहण न कर ले
यदि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या वे कर्तव्यों के पालन में असमर्थ होते हैं, तो राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। यह कार्यकारी अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक नया नियमित अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण न कर ले या अनुपस्थित अध्यक्ष वापस न आ जाए। यह व्यवस्था प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 11

लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण

NCERT

1. लोक प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक नीति की सबसे सटीक परिभाषा प्रदान करता है?
(1) निजी व्यावसायिक क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए विधायिका द्वारा पारित कानूनों का एक संकलन।
(2) सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों द्वारा अपनाई गई किसी कार्य को करने या न करने की एक सोद्देश्य कार्ययोजना।
(3) नियमित कार्यालय प्रबंधन के लिए लोक सेवकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक आंतरिक प्रशासनिक नियमावली।
(4) आम चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया एक चुनावी घोषणापत्र।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. सार्वजनिक नीति चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. नीति मूल्यांकन
II. कार्यसूची निर्धारण
III. नीति कार्यान्वयन
IV. नीति निर्माण
V. नीति अंगीकरण
(1) II, IV, V, III, I
(2) IV, II, V, I, III
(3) II, V, IV, III, I
(4) IV, V, II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. सार्वजनिक नीति की प्रकृति के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: सार्वजनिक नीति स्वभाव से पूर्णतः सकारात्मक होती है, क्योंकि सरकारें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ही नीतियां बनाती हैं।
कथन II: किसी विशेष सामाजिक मुद्दे पर कार्रवाई न करने का सरकार का जानबूझकर लिया गया निर्णय भी एक सार्वजनिक नीति माना जाता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. सूची I में दिए गए सार्वजनिक नीति निर्माण के प्रतिमानों को सूची II में दिए गए उनके विवरणों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (प्रतिमान)
A. तर्कसंगत प्रतिमान
B. वृद्धिशील प्रतिमान
C. समूह प्रतिमान
D. विशिष्ट वर्ग प्रतिमान
सूची II: (विवरण)
i. नीति शासन करने वाले कुछ गिने-चुने लोगों की प्राथमिकताओं को दर्शाती है
ii. नीति विभिन्न हित समूहों के बीच अंतःक्रिया और संघर्ष का परिणाम है
iii. नीति का लक्ष्य लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से सभी विकल्पों का मूल्यांकन करके अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है
iv. नीति केवल मामूली संशोधनों के साथ पिछली सरकारी गतिविधियों की निरंतरता है
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. सार्वजनिक नीति की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह सदैव लक्ष्य-उन्मुख और सोद्देश्य होती है।
II. इसमें कार्य के एक प्रतिरूप के बजाय विशेष रूप से पृथक निर्णय शामिल होते हैं।
III. इसे राज्य की कानूनी सत्ता और बाध्यकारी शक्ति का समर्थन प्राप्त होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सार्वजनिक नीति को सरल शब्दों में "सरकार जो कुछ भी करने या न करने का विकल्प चुनती है" के रूप में परिभाषित किया है?

है कि आयोग की सिफारिशें सरकार की मुख्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और नीतिगत एकरूपता बनी रहे।

94. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
नीति आयोग के पास किसी भी राज्य या केंद्रीय मंत्रालय को धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है। यह योजना आयोग से एक प्रमुख विचलन है, जिसके पास ऐसी वित्तीय शक्तियाँ थीं। वर्तमान व्यवस्था में, नीति आयोग केवल एक विशेषज्ञ परामर्शदाता और प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है। वित्तीय आवंटन का पूरा उत्तरदायित्व अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास है, जो संसाधनों के प्रभावी वितरण के लिए जिम्मेदार है।

95. (1) भारत सरकार के सचिव
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। पदानुक्रम में उनका पद भारत सरकार के सचिव स्तर का होता है। CEO आयोग के दैनिक संचालन, नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह पद प्रशासनिक विशेषज्ञता के माध्यम से आयोग के लक्ष्यों को गति प्रदान करता है।

96. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में स्पष्ट भिन्नता है। योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति थी और यह 'ऊपर से नीचे' के केंद्रीकृत दृष्टिकोण पर आधारित था। इसके विपरीत, नीति आयोग एक 'प्रबुद्ध मंडल' के रूप में सलाहकार भूमिका निभाता है। इसका मूल मंत्र 'सहकारी संघवाद' है, जहाँ राज्यों को विकास की प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाया जाता है।

97. (2) 3-वर्षीय कार्य योजना
नीति आयोग द्वारा अपनाई गई नई योजना रूपरेखा के अंतर्गत, तत्कालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक 3-वर्षीय 'कार्य योजना' तैयार की जाती है। यह योजना पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक लचीली और परिणामोन्मुखी होती है। इसमें उन विशिष्ट सुधारों और परियोजनाओं का विवरण होता है जिन्हें तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना है। यह अल्पकालिक योजना त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करती है।

98. (2) केवल II
नीति आयोग में 'विशेष आमंत्रितों' के रूप में ऐसे विशेषज्ञों और विद्वानों को शामिल किया जाता है जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों का गहन अनुभव होता है। इन विशेषज्ञों का नामांकन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये आमंत्रित सदस्य आयोग की चर्चाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और जटिल नीतिगत मुद्दों पर तकनीकी परामर्श देते हैं। उनका चयन उनकी विषय-विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है।

99. (2) केवल II और III
नीति आयोग सतत विकास और संसाधनों के प्रबंधन की निगरानी के लिए कई सूचकांक प्रकाशित करता है। इनमें सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया सूचकांक और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक प्रमुख हैं। ये सूचकांक राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रगति का मापन करते हैं। हालाँकि, डिजिटल इंडिया सूचकांक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते जैसे प्रतिवेदन अन्य मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

100. (4) I, II, III, IV और V
भारतीय प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न निकायों की प्रकृति अलग है। निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय हैं। वहीं, नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसे कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। यह किसी भी संवैधानिक या सांविधिक श्रेणी में नहीं आता है और केवल सलाहकार की भूमिका निभाता है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

i. धरातलीय स्तर के लाभार्थियों के परामर्श के बिना तैयार की गई नीतियां
ii. अपर्याप्त बजट आवंटन या जनशक्ति की कमी
iii. अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न करने वाली कई अतिव्यापी एजेंसियां
iv. अलोकप्रिय किंतु आवश्यक उपायों का समर्थन करने में निर्वाचित नेताओं की अनिच्छा
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. भारत में सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन की चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. अत्यधिक प्रशासनिक केंद्रीकरण सदैव नीति कार्यान्वयन में गति लाता है।
II. एक कठोर नौकरशाही ढांचा अक्सर लालफीताशाही और विलंब का कारण बनता है।
III. नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच पूर्ण संवाद सदैव बना रहता है।
IV. लोक सेवकों के बार-बार होने वाले स्थानांतरण नीति निष्पादन की निरंतरता को बाधित करते हैं।
V. लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी का नीतिगत परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I, III और V
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, IV और V
(4) केवल III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. नीति कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें:
एक सरकार एक स्वास्थ्य योजना आरंभ करती है जिसका प्रारूप राज्य के स्वास्थ्य विभागों या स्थानीय चिकित्सकों से परामर्श किए बिना पूर्णतः केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। रोगों के प्रसार में क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण योजना विफल हो जाती है। यह विफलता कार्यान्वयन के किस दृष्टिकोण की कमी को उजागर करती है?
(1) नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण
(2) ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण
(3) विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण
(4) सहभागी दृष्टिकोण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. राजस्थान में धरातलीय स्तर पर ग्रामीण विकास नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है?
(1) राज्य मानवाधिकार आयोग
(2) पंचायती राज संस्थान
(3) नीति आयोग
(4) राज्य लोक सेवा आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन की सामान्य बाधाओं का अपवाद है?
(1) स्पष्ट और असंदिग्ध वैधानिक ढांचा
(2) वितरण तंत्र में भ्रष्टाचार और रिसाव
(3) सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों का अभाव
(4) अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की अपर्याप्त क्षमता निर्माण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. एक मानक नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया में चरणों के सही क्रम का चयन करें।
(1) संसाधनों का जुटाव, कार्यों का आवंटन, कार्यों का निष्पादन, प्रगति की निगरानी
(2) कार्यों का आवंटन, कार्यों का निष्पादन, प्रगति की निगरानी, संसाधनों का जुटाव
(3) कार्यों का निष्पादन, संसाधनों का जुटाव, कार्यों का आवंटन, प्रगति की निगरानी
(4) प्रगति की निगरानी, कार्यों का आवंटन, संसाधनों का जुटाव, कार्यों का निष्पादन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. नीति मूल्यांकन के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: नीति मूल्यांकन विशेष रूप से किसी नीति के पूर्णतः लागू होने और समाप्त होने के पश्चात ही किया जाता है।
कथन II: रचनात्मक मूल्यांकन में नीति का आकलन उस समय किया जाता है जब वह अभी भी कार्यान्वयन के चरण में होती है ताकि मध्य में सुधार किया जा सके।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. नागरिक अधिकार-पत्र (सिटीजन चार्टर) की अवधारणा को पहली बार किस देश में और किसके नेतृत्व में प्रतिपादित और कार्यान्वित किया गया था?
(1) 1993 में बिल क्लिंटन के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका
(2) 1989 में फ्रांस्वा मिटर्रैंड के अधीन फ्रांस
(3) 1991 में जॉन मेजर के अधीन यूनाइटेड किंगडम
(4) 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव के अधीन भारत
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. मूल नागरिक अधिकार-पत्र आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें:
I. गुणवत्ता: प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
II. गोपनीयता: जनता से सेवा मानकों की पूर्ण गोपनीयता

Downloaded from www.pdf.tube

की सूची देती है।
(2) दूसरी अनुसूची: अधिनियम से छूट प्राप्त सुरक्षा संगठनों की सूची देती है।
(3) दूसरी अनुसूची: आयुक्तों की शपथ का प्रारूप सम्मिलित है।
(4) तीसरी अनुसूची: विलंबित सूचना के लिए दंड शुल्क संरचना का विवरण देती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. प्रथम अपील निर्धारित उत्तर अवधि की समाप्ति या लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
II. दूसरी अपील संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में की जाती है।
III. सूचना आयोग किसी लोक सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये से अधिक का अर्थदंड नहीं लगा सकता है।
IV. कोई व्यक्ति उस तिथि से 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर कर सकता है जब प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय लिया गया था या लिया जाना था।
V. यह सिद्ध करने का भार कि सूचना देने से इनकार करना न्यायोचित था, आवेदक पर होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल II और V
(2) केवल I और III
(3) केवल III और IV
(4) केवल I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. सूचना का अधिकार आवेदन के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें:
एक नागरिक सूचना का अधिकार आवेदन प्रस्तुत करती है जिसमें पूछा गया है कि उसकी लंबित पेंशन संचिका छह माह से क्यों नहीं निपटाई गई है। लोक सूचना अधिकारी संचिका की सटीक स्थिति और स्थान के बारे में उत्तर देता है लेकिन पेंशन का निपटारा नहीं करता है। यह परिदृश्य किस वैचारिक भेद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
(1) सूचना का अधिकार अधिनियम सेवा वितरण की गारंटी देता है, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया।
(2) सूचना का अधिकार अधिनियम स्पष्ट रूप से नागरिकों को व्यक्तिगत मामलों के बारे में पूछने से निषेध करता है।
(3) सूचना का अधिकार अभिलेख प्राप्त करने के लिए है, न कि कार्यकारी उपचारों का आदेश देने के लिए।
(4) शिकायत निवारण तंत्र सभी क्षेत्रों में सूचना का अधिकार का स्थान लेता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के निम्नलिखित परिणामों पर विचार करें:
I. सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन अभिलेखों में विसंगतियों को उजागर करना।
II. सार्वजनिक अधिकारियों को प्रशासनिक निर्णयों के पीछे के कारणों का दस्तावेजीकरण करने के लिए बाध्य करना।
III. नागरिकों को विभागीय जांच के बिना भ्रष्ट लोक सेवकों को सीधे पदच्युत करने की शक्ति प्रदान करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सूचना का अधिकार के सही पारदर्शिता परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. राजस्थान के किस धरातलीय संगठन ने न्यूनतम मजदूरी अभिलेखों में पारदर्शिता की मांग करके सूचना का अधिकार आंदोलन को प्रारंभ करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी?
(1) नर्मदा बचाओ आंदोलन
(2) भारतीय किसान यूनियन
(3) मजदूर किसान शक्ति संगठन
(4) पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. शिकायत निवारण में सूचना का अधिकार की भूमिका के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: सूचना का अधिकार के माध्यम से प्राप्त जानकारी अक्सर शिकायत निवारण पोर्टलों पर औपचारिक शिकायतें दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य करती है।
कथन II: यद्यपि सूचना का अधिकार स्वयं शिकायतों का निवारण नहीं करता है, लेकिन इसके माध्यम से उजागर होने के भय से अक्सर अधिकारी लंबित संचिकाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए विवश होते हैं।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम को सख्ती से शिकायत निवारण के उपकरण के रूप में उपयोग करने की सबसे उपयुक्त सीमा का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) जानकारी प्राप्त करने में दीवानी मुकदमा दायर करने के समान लागत आती है।
(2) सूचना आयुक्त उन अधिकारियों से पद में नीचे होते हैं जिनकी जांच की जाती है।
(3) सूचना का अधिकार आवेदन केवल कानूनी रूप से पंजीकृत अधिवक्ताओं द्वारा ही दायर किए जा सकते हैं।
(4) यह प्रक्रिया तथ्यों को प्रकट करती है लेकिन विशिष्ट कार्यकारी उपचारों का आदेश नहीं दे सकती।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. नागरिक अधिकार-पत्र के निर्माण में शामिल निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की पहचान।
II. प्रत्येक सेवा के लिए मापने योग्य मानक निर्धारित करना।
III. संगठन के भीतर एक कार्य बल का गठन।
IV. ग्राहकों और हितधारकों के साथ परामर्श।
V. शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
(1) III, I, IV, II, V
(2) I, III, II, IV, V
(3) III, IV, I, V, II
(4) I, II, III, IV, V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. निम्नलिखित में से कौन एक व्यापक रूप से तैयार किए गए नागरिक अधिकार-पत्र का अनिवार्य तत्व नहीं है?
(1) विशिष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण।
(2) सेवा संगठन का व्यापक दृष्टिकोण और ध्येय विवरण।
(3) सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों और नागरिकों से विशिष्ट अपेक्षाएं।
(4) प्रशासनिक शिकायत निवारण तंत्र का स्पष्ट विवरण।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. नागरिक अधिकार-पत्र के प्रमुख तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. इसे अपने द्वारा सेवा दिए जाने वाले ग्राहकों और हितधारकों की स्पष्ट रूप से पहचान करनी चाहिए।
II. अधिकार-पत्र स्थिर दस्तावेज़ होने चाहिए, जो एक बार निर्मित होने के पश्चात बदले न जा सकें।
III. अधिकार-पत्र में की गई प्रतिबद्धताएं मापने योग्य और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।
IV. इसमें मानक पूरे न होने पर उपलब्ध उपचारों की रूपरेखा होनी चाहिए।
V. निर्माण के दौरान कर्मचारी संघों के साथ परामर्श कानून द्वारा कड़ाई से निषिद्ध है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और V
(3) केवल III, IV और V
(4) केवल I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. सेवोत्तम ढांचे के तहत सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले संगठनों को प्रमाणित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कौन सा मानक प्रकाशित किया गया था?
(1) IS 9001:2008
(2) IS 15700:2005
(3) IS 14001:2015
(4) IS 27001:2013
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. सूची I में भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की सीमाओं को सूची II में उनके व्यावहारिक प्रभावों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (सीमाएं)
A. शीर्ष-स्तरीय प्रारूपण
B. क्षेत्रीय भाषाओं का अभाव
C. अवास्तविक मानक
D. दंडात्मक प्रावधानों की अनुपस्थिति
सूची II: (प्रभाव)
i. नागरिक अपने अधिकारों और वचनबद्ध सेवाओं को समझने में विफल रहते हैं
ii. अप्राप्य लक्ष्यों के कारण अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हतोत्साहित हो जाते हैं
iii. अधिकार-पत्र में शक्ति की कमी है और जवाबदेही कमजोर बनी हुई है
iv. उपयोगकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं और किए गए वादों के बीच अलगाव
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. भारत में नागरिक अधिकार-पत्र के कार्यान्वयन के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: भारत में अधिकांश नागरिक अधिकार-पत्र अंतिम उपयोगकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से तैयार किए जाते हैं।
कथन II: भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की एक बड़ी सीमा यह है कि इसे अक्सर सशक्तिकरण के उपकरण के बजाय केवल एक प्रशासनिक अभ्यास के रूप में माना जाता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की सीमित सफलता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें:
I. आम जनता के बीच जागरूकता अभियानों की कमी।
II. अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास।
III. अधिकार-पत्र प्रतिबद्धताओं का नियमित, स्वतंत्र अंकेक्षण कड़ाई से आयोजित किया जाता है।
इसकी सीमित सफलता के कारणों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III

Click Here to Buy book on Amazon

आवश्यकता होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. सीपीग्राम्स के संदर्भ में, यदि कोई नागरिक नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट है, तो प्रणाली के भीतर कौन सा तत्काल उपाय उपलब्ध है?
(1) उस विभाग के नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करना।
(2) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में औपचारिक न्यायिक अपील दायर करना।
(3) मामले को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपना।
(4) प्रणाली शिकायत को स्थायी रूप से बंद कर देती है और अपील का कोई विकल्प नहीं बचता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. राजस्थान में लोकायुक्त की संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की गई थी?
(1) राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973
(2) राजस्थान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1985
(3) राजस्थान लोक सेवक जवाबदेही अधिनियम, 1999
(4) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. राजस्थान में निम्नलिखित सार्वजनिक पदाधिकारियों पर विचार करें:
I. राजस्थान के मुख्यमंत्री
II. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य
III. ग्राम पंचायतों के सरपंच
IV. जिला प्रमुख
V. राज्य कैबिनेट मंत्री
उपरोक्त में से कौन उन पदाधिकारियों की पहचान करता है जिन्हें राजस्थान लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है?
(1) केवल II, IV और V
(2) केवल I, II और III
(3) केवल I, III और IV
(4) केवल III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
(2) राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(3) प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है।
(4) राजस्थान राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत द्वारा चुना जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में सेवा करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था?
(1) न्यायमूर्ति एम.एल. श्रीमल
(2) न्यायमूर्ति के.एस. सिद्धू
(3) न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ
(4) न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. सूची I में लोकायुक्त की शक्तियों/कार्यों को सूची II में उनके न्यायिक समकक्षों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (कार्य)
A. गवाहों को बुलाना
B. सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना
C. अभियोजन
D. दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय
सूची II: (समकक्ष)
i. नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी न्यायालय के समान शक्ति
ii. किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय से दस्तावेजों की मांग कर सकता है
iii. कार्रवाई की सिफारिश करता है लेकिन दंड सुनाने के लिए आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता
iv. राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दे सकता है
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. लोकायुक्त के संबंध में दिए गए कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन (A): राजस्थान में लोकायुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतः संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ कर सकते हैं।
कारण (R): लोकायुक्त संस्था का प्राथमिक उद्देश्य कुशासन और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, चाहे औपचारिक शिकायत प्राप्त हो या न हो।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. राजस्थान में लोकायुक्त की सेवा की शर्तों के संबंध में विषम विकल्प को चुनें।
(1) कार्यालय की अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो।
(2) वह व्यक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति

NODIA

प्रक्रिया में समुदाय की सहायता करता है
ii. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए आधिकारिक उपस्थिति और भुगतान रिकॉर्ड
iii. एक सार्वजनिक मंच जहाँ अंकेक्षण के निष्कर्षों को जोर से पढ़ा जाता है और उन पर चर्चा की जाती है
iv. विसंगतियों और सामुदायिक प्रतिपुष्टि का सारांश प्रस्तुत करने वाला अंतिम दस्तावेज
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. एक प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं पर विचार करें:
I. सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों का सक्रिय प्रकटीकरण।
II. हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अबाध भागीदारी।
III. सत्य उजागर करने वालों के लिए संरक्षण और सुरक्षा।
IV. बाहरी इनपुट के बिना आंतरिक विभागीय मूल्यांकन पर पूर्ण निर्भरता।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के प्राथमिक हितधारकों के संबंध में विषम विकल्प को चुनें।
(1) ग्राम सभा के सदस्य
(2) कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारी
(3) योजना के लाभार्थी
(4) संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की कौन सी विशिष्ट धारा नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण के संचालन का आदेश देती है?
(1) धारा 8
(2) धारा 12
(3) धारा 17
(4) धारा 21
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में दिए गए कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन (A): मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए विशिष्ट अंकेक्षण नियमों के माध्यम से मानकीकृत कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ।
कारण (R): 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (योजनाओं का अंकेक्षण) नियम' आधिकारिक तौर पर 2011 में अधिसूचित किए गए थे।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. राजस्थान में, निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए पूरे राज्य में सामाजिक अंकेक्षण के संचालन की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की गई थी। इस निकाय का निर्धारित शीर्षक क्या है?
(1) राजस्थान ग्रामीण जवाबदेही और पारदर्शिता आयोग।
(2) राजस्थान राज्य सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी।
(3) राजस्थान राज्य के लिए सामाजिक अंकेक्षण का स्वतंत्र निदेशालय।
(4) राजस्थान राज्य का लोकायुक्त अंकेक्षण और सतर्कता ब्यूरो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. मनरेगा के तहत अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण की आवृत्ति के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) इसे पंचायत चुनावों के साथ प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए।
(2) इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छह माह में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए।
(3) यह केवल तभी आयोजित किया जाता है जब सरपंच द्वारा लिखित शिकायत दर्ज की जाती है।
(4) इसे किसी अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण फर्म द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण के अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. ग्राम पंचायत सचिव सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट लिखने और उसे अंतिम रूप देने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।
II. सामाजिक अंकेक्षण इकाई कार्यान्वयन एजेंसी से पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए।
III. राज्य सरकार या नागरिक समाज के पर्यवेक्षक अक्सर जन सुनवाई में भाग लेते हैं।
IV. अंकेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाना चाहिए।
V. यदि अंकेक्षण के दौरान भ्रष्टाचार की पहचान होती है, तो ग्राम सभा के पास अपराधियों को सीधे कारावास की सजा सुनाने की शक्ति है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल II और III
(2) केवल III और IV

Downloaded from www.pdf.tube

(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. नागरिक अधिकार-पत्र की गैर-न्यायसंगत प्रकृति को दूर करने के लिए, कई राज्यों ने सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी की गारंटी देने वाले कानून बनाए। राजस्थान ने 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' किस वर्ष लागू किया था?
(1) 2005
(2) 2008
(3) 2011
(4) 2014
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. 'लोक सेवा अधिकार अधिनियम' जैसे वैधानिक कानून के साथ नागरिक अधिकार-पत्र के सिद्धांतों का समर्थन करने का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है?
(1) यह अपीलीय प्राधिकरण की प्रशासनिक आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देता है।
(2) यह स्वैच्छिक मानकों को दंड के प्रावधान वाले प्रवर्तनीय अधिकारों में परिवर्तित कर देता है।
(3) यह आवश्यक सेवाओं के लिए कोई भी शुल्क लेने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
(4) यह सभी सेवा वितरण प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्रीकृत करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की सीमाओं के संबंध में सही युग्म की पहचान करें।
(1) 'एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण: हाशिए के वर्गों के लिए अनुकूलित सेवा।
(2) समय-समय पर समीक्षा का अभाव: इसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ पुराने या अप्रासंगिक हो जाते हैं।
(3) कानूनी प्रवर्तनीयता: न्यायालयों में जनहित याचिका का कारण बनती है।
(4) बहुभाषी प्रारूपण: ग्रामीण उपयोग के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. सरकारी योजना के मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें:
एक सरकारी सड़क निर्माण योजना का मूल्यांकन करने में, एक वित्तीय अंकेक्षण यह सत्यापित करता है कि आवंटित धन कानूनी रूप से वैध रसीदों के साथ व्यय किया गया था। 'सामाजिक अंकेक्षण' इस मूल्यांकन में कौन सा अनूठा दृष्टिकोण जोड़ेगा?
(1) यह आकलन करना कि क्या उपयोगकर्ता की प्रतिपुष्टि के आधार पर सड़क ने पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया है।
(2) ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए आंतरिक लेखा सॉफ्टवेयर की प्रति-जांच करना।
(3) राज्य के बजट के लिए सटीक मौद्रिक कर निहितार्थों की गणना करना।
(4) इसमें शामिल मुख्य अभियंताओं के व्यक्तिगत आयकर रिटर्न का सत्यापन करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

41. "सामाजिक अंकेक्षण" की अवधारणा पहली बार वैश्विक स्तर पर 1950 के दशक में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 1970 के दशक में किस सामाजिक विचारक/संगठन के कार्यों के कारण इसे आधुनिक प्रशासनिक प्रमुखता मिली?
(1) एफ.डब्ल्यू. टेलर
(2) मैक्स वेबर
(3) चार्ल्स मेडावर
(4) वुड्रो विल्सन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रमुख चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए जन सुनवाई।
II. धरातलीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन।
III. की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई।
IV. कार्यान्वयन एजेंसी से प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करना।
(1) IV, II, I, III
(2) II, IV, I, III
(3) IV, I, II, III
(4) I, IV, II, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. सामाजिक अंकेक्षण करने का सबसे उपयुक्त प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए वैधानिक अंकेक्षण का स्थान लेना।
(2) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्यांकन प्रक्रिया का निजीकरण करना।
(3) निर्वाचित स्थानीय सरकारी अधिकारियों को पदच्युत करने के लिए एक दंडात्मक उपाय के रूप में कार्य करना।
(4) भागीदारी के माध्यम से नीति और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. सूची I में सामाजिक अंकेक्षण पद्धति से जुड़ी शब्दावली को सूची II में उनके विवरणों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (शब्दावली)
A. मस्टर रोल
B. जन सुनवाई
C. ग्राम संसाधन व्यक्ति
D. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट
सूची II: (विवरण)
i. एक स्थानीय प्रशिक्षित सुविधा प्रदाता जो अंकेक्षण

58. मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण दिशानिर्देशों के तहत, ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन सामान्यतः कैसे किया जाता है?
(1) उनका चयन स्थानीय क्षेत्रों के सक्रिय श्रमिकों या युवाओं में से किया जाता है।
(2) वे केवल स्थानीय विधायक द्वारा नामित किए जाते हैं।
(3) वे विशेष रूप से नई दिल्ली स्थित केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय से तैनात किए जाते हैं।
(4) वे संबंधित पंचायत के सेवारत ग्राम रोजगार सहायक होते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. सरपंच और पंचायत सचिव को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता करने से रोकने का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है?
(1) यह गाँव के भीतर अंकेक्षण प्रक्रिया में अनिश्चित काल के लिए विलंब करता है।
(2) यह 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
(3) यह अंकेक्षण के वित्तीय बोझ को केंद्र सरकार पर स्थानांतरित कर देता है।
(4) यह हितों के टकराव को समाप्त करता है, जिससे ग्रामीणों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर मिलता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. 2005 में केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने से पूर्व, राजस्थान ने अपना स्वयं का राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार कानून बनाया था। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
(1) 1997
(2) 2000
(3) 2003
(4) 2004
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. सूचना की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करें:
I. वह सूचना जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
II. मंत्रिमंडल के कागजात, जिसमें मंत्रिपरिषद के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं, अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व।
III. किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
IV. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक की आंतरिक स्थानांतरण नीति और नियुक्तियों के संबंध में सूचना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में प्रदान की गई छूटों के अंतर्गत आता है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में दिए गए कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन (A): सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के सक्रिय, स्वतः प्रकटीकरण पर बहुत बल देती है।
कारण (R): अधिकतम सक्रिय प्रकटीकरण से नागरिकों द्वारा अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से सूचना मांगने की आवश्यकता कम हो जाती है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, यदि सूचना सीधे किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी के लिए सूचना प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?
(1) 24 घंटे के भीतर
(2) 48 घंटे के भीतर
(3) 15 दिनों के भीतर
(4) 30 दिनों के भीतर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. सूची I में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रशासनिक घटकों को सूची II में उनके विवरणों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (घटक)
A. प्रथम अपीलीय अधिकारी
B. केंद्रीय सूचना आयोग
C. धारा 20
D. तीसरे पक्ष की सूचना
सूची II: (विवरण)
i. विलंब के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अर्थदंड लगाने से संबंधित प्रावधान
ii. केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध दूसरी अपील सुनता है
iii. वह जानकारी जो अनुरोध करने वाले नागरिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है
iv. उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर लोक सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ अधिकारी
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुसूचियों के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) पहली अनुसूची: अधिनियम से छूट प्राप्त सुरक्षा संगठनों

Click Here to Buy book on Amazon

बनाए रखना।
III. विकल्प: जहाँ भी संभव हो उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. भारत में नागरिक अधिकार-पत्र पहल औपचारिक रुप से किस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात प्रारंभ की गई थी?
(1) 1991
(2) 1997
(3) 2001
(4) 2005
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. सूची I में नागरिक अधिकार-पत्र की प्रमुख अवधारणाओं को सूची II में उनके वांछित परिणामों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (अवधारणाएं)
A. मानक
B. धन का उचित मूल्य
C. जवाबदेही
D. पारदर्शिता
सूची II: (परिणाम)
i. यह सुनिश्चित करना कि नियम, प्रक्रियाएं और शिकायत तंत्र खुले और भली-भांति प्रचारित हों
ii. स्पष्ट रुप से यह निर्दिष्ट करना कि सेवा उपयोगकर्ता क्या प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं
iii. सेवा प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को उत्तरदायी ठहराना
iv. सार्वजनिक धन का कुशल और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. नागरिक अधिकार-पत्र के अंतर्निहित सबसे मौलिक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है?
(1) यह राज्य और बाहरी संस्थाओं के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में कार्य करता है।
(2) यह संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का स्थान लेता है।
(3) यह नागरिकों को सेवाओं के मूल्यवान ग्राहकों के रूप में मानकर उन्हें सशक्त बनाता है।
(4) यह लोक सेवकों को सार्वजनिक जांच के विरुद्ध पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. नागरिक अधिकार-पत्र के संबंध में दिए गए कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
कथन (A): भारत में नागरिक अधिकार-पत्र किसी न्यायालय में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है।
कारण (R): यह अनिवार्य रूप से आशय की घोषणा और सेवा वितरण में सुधार के लिए किसी संगठन द्वारा स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. सेवा वितरण के 'सेवोत्तम' प्रतिमान के संबंध में निम्नलिखित घटकों पर विचार करें:
I. प्रभावी अधिकार-पत्र कार्यान्वयन।
II. लोक शिकायत निवारण तंत्र।
III. सेवा वितरण क्षमता में उत्कृष्टता।
IV. मुख्य सरकारी कार्यों का निजीकरण।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) I, II, III और IV
(4) केवल I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. निम्नलिखित में से कौन नागरिक अधिकार-पत्र के "मानक" तत्व का सही वर्णन करता है?
(1) एक सरकारी विभाग द्वारा अपनाए गए आंतरिक पदानुक्रमित प्रोटोकॉल।
(2) सेवा वितरण के लिए मापने योग्य समय सीमा और गुणवत्ता मानदंड।
(3) उन नागरिकों की संख्या पर सीमा जो प्रतिदिन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(4) कर्तव्य पर तैनात सार्वजनिक अधिकारियों के लिए विशिष्ट वर्दी और परिधान संहिता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. नागरिक अधिकार-पत्र के संदर्भ में जवाबदेही की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है?
(1) सेवा में किसी भी मामूली विलंब के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना।
(2) अधिकार पर प्रश्न उठाए बिना सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने वाले नागरिक।
(3) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में विफल रहने के लिए संगठन की उत्तरदेयता।
(4) सभी पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए राज्य का वित्तीय उत्तरदायित्व।

NODIA

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. सूचना का अधिकार को जवाबदेही उपकरण के रूप में उपयोग करने में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) यदि लोक सूचना अधिकारी डेटा देने से इनकार करता है, तो यह सुधार के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रदान करता है।
(2) यह राज्य सूचना आयोग द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र न्यायाधीश है।
(3) यह केवल दंड की मात्रा की समीक्षा कर सकता है, जानकारी के सार की नहीं।
(4) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी मंच पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (सीपीग्राम्स) भारत सरकार के किस विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है?
(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(2) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. सूची I में निम्नलिखित राज्य-विशिष्ट या विशिष्ट शिकायत निवारण पोर्टलों को सूची II में उनके लक्षित क्षेत्र या राज्य के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (पोर्टल)
A. राजस्थान संपर्क
B. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (181)
C. स्कोर्स
D. इनग्राम
सूची II: (लक्ष्य क्षेत्र)
i. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल
ii. राजस्थान का एकीकृत शिकायत निवारण मंच
iii. कई भारतीय राज्यों द्वारा अपनाया गया सार्वभौमिक टोल-फ्री शिकायत नंबर
iv. वित्तीय निवेशकों के लिए सेबी का शिकायत निवारण तंत्र
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. सीपीग्राम्स पोर्टल पर सामान्यतः शिकायतों की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी स्वीकार नहीं की जाती है?
(1) कर्मचारियों की पेंशन के वितरण में विलंब
(2) सेवा वितरण के दौरान सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न
(3) शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव
(4) न्यायालय के समक्ष लंबित 'विचाराधीन' मामले
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. सीपीग्राम्स प्रणाली में शिकायत प्रवाह के सही क्रम का चयन करें।
(1) नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना, अंतिम निपटान, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, नागरिक से प्रतिपुष्टि
(2) नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना, नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, अंतिम निपटान, नागरिक से प्रतिपुष्टि
(3) नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना, अंतिम निपटान, नागरिक से प्रतिपुष्टि
(4) नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, अंतिम निपटान, नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, नागरिक से प्रतिपुष्टि
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. "राजस्थान संपर्क" पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें:
I. यह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।
II. यह नागरिकों को उनकी पंजीकृत शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
III. यह प्रशासनिक मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूर्णतः प्रतिस्थापित करता है।
IV. शिकायतें टोल-फ्री नंबर, वेब पोर्टल या ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. सीपीग्राम्स की मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) सीपीग्राम्स में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों की सीमा के भीतर होने की अपेक्षा की जाती है।
(2) यदि निर्धारित समय के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो नागरिक को एक अंतरिम उत्तर दिया जाना चाहिए।
(3) निपटान की गुणवत्ता की समय-समय पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निगरानी की जाती है।
(4) गुमनाम शिकायतों को कानूनी रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देने और 24 घंटे के भीतर हल करने की

NODIA

(3) केवल I और V
(4) केवल I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. मनरेगा नियमों के तहत सामाजिक अंकेक्षण के लिए वित्त पोषण तंत्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है?
(1) अंकेक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीधे धन उपलब्ध कराया जाता है।
(2) आवंटन मनरेगा प्रशासनिक लागत का एक निश्चित प्रतिशत है।
(3) हितों के संभावित टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र वित्त पोषण आवश्यक है।
(4) राज्य सरकारों को अंकेक्षण इकाई में धन का योगदान करने से रोक दिया गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण इकाई के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई का निदेशक सदैव उसी जिले का सक्रिय, सेवारत खंड विकास अधिकारी होता है।
कथन II: कार्यान्वयन एजेंसी के एक सक्रिय अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण इकाई निदेशक के रूप में नियुक्त करना अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वतंत्रता से समझौता करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. सूची I में विधायी प्रावधानों को सूची II में ग्राम सभा को सशक्त बनाने वाले उनके तंत्र के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (विधायी प्रावधान)
A. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
B. पेसा अधिनियम, 1996
C. मनरेगा, 2005
D. वन अधिकार अधिनियम, 2006
सूची II: (तंत्र)
i. स्थानीय सार्वजनिक कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्राम सभा को निर्देशित करता है
ii. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है
iii. औपचारिक रूप से ग्राम सभा को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के आधारभूत स्तर के रूप में मान्यता दी
iv. व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाता है
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती है जहाँ सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को पढ़ा, चर्चा और अनुसमर्थित किया जाता है।
II. इसके पास व्यय के संबंध में कार्यान्वयन अधिकारियों से सीधे प्रश्न पूछने का अधिकार है।
III. यह मनरेगा के लिए समग्र राज्य बजट आवंटन को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित कर सकती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. विशेष रूप से सामाजिक अंकेक्षण के लिए बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक के संचालन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जानी चाहिए।
(2) बैठक की पूर्व सूचना का गाँव में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
(3) हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित आवश्यक कोरम पूर्ण किया जाना चाहिए।
(4) ग्रामीणों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कार्यान्वयन अधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:
एक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान, यह सिद्ध हो जाता है कि चेक-डैम के लिए बिल की गई सामग्री कभी वितरित नहीं की गई थी। ग्राम सभा गबन की गई राशि की वसूली की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करती है। सामाजिक अंकेक्षण पद्धति के संदर्भ में इस प्रस्ताव की कानूनी स्थिति क्या है?
(1) यह केवल सलाहकारी है और जिला प्रशासन द्वारा इसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।
(2) यह स्वतः ही ग्राम पंचायत के तत्काल विघटन का कारण बनता है।
(3) यह एक बाध्यकारी सिफारिश है जिसके लिए औपचारिक 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' आवश्यक है।
(4) यह एक अंतिम न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है, जिससे पुलिस प्राथमिकी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

हेतु पात्र है।
(3) वह व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(4) वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. ई-शासन इंटरेक्शन प्रतिमान के संबंध में सही युग्म की पहचान करें।
(1) G2B (सरकार से व्यवसाय) - वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच संचिकाओं का आंतरिक स्थानांतरण।
(2) G2G (सरकार से सरकार) - निजी उद्योगों द्वारा कॉर्पोरेट कर विवरणी दाखिल करना।
(3) G2E (सरकार से कर्मचारी) - आम चुनाव में नागरिकों द्वारा ऑनलाइन मतदान करना।
(4) G2C (सरकार से नागरिक) - ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र जारी करना और उपयोगिता बिलों का भुगतान।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. राजस्थान में ई-शासन पहल के संदर्भ में "ई-मित्र" क्या है?
(1) कियोस्क के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली एक एकीकृत परियोजना।
(2) राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए एक ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म।
(3) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के मानचित्रण के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक उपग्रह।
(4) राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से अपने क्षेत्र में आम आदमी के लिए सुलभ बनाने का दृष्टिकोण 2006 में प्रारंभ की गई किस राष्ट्रीय पहल का प्राथमिक उद्देश्य था?
(1) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
(2) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी)
(3) भारतनेट परियोजना
(4) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. डिजिटल पहुंच के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें:
राजस्थान का एक ग्रामीण नागरिक खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन भू-अभिलेख पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाता है, जबकि एक शहरी नागरिक इसे सरलता से उपयोग कर लेता है। यह परिदृश्य ई-शासन में किस बड़ी चुनौती को उजागर करता है?
(1) डिजिटल अंतराल
(2) साइबर सुरक्षा खतरे
(3) डेटा स्थानीयकरण कानून
(4) एल्गोरिथम पक्षपात
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. ई-पंचायत पहल के संबंध में कथन I और कथन II पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:
कथन I: ई-पंचायत का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के आंतरिक कामकाज को पूर्णतः स्वचालित बनाना है।
कथन II: ई-पंचायत के कार्यान्वयन से भौतिक ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. आधार पारिस्थितिकी तंत्र को सार्वजनिक सेवा वितरण पोर्टलों के साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त औचित्य है?
(1) निजी मार्केटिंग एजेंसियों को जनसांख्यिकीय डेटासेट तक पहुंचने की अनुमति देना।
(2) लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान करना और फर्जी प्राप्तकर्ताओं को हटाना।
(3) चुनावों से पूर्व नागरिकों की राजनीतिक संबद्धता की निगरानी करना।
(4) यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को सोशल मीडिया में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता न हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. भारत में ई-शासन पोर्टलों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यांकन समय-समय पर आयोजित किया जाता है। कौन सा मंत्रालय/विभाग इस मूल्यांकन का समन्वय करता है?
(1) गृह मंत्रालय
(2) नीति आयोग
(3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(4) पंचायती राज मंत्रालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. सूची I में जवाबदेही के रूपों को सूची II में उनके संबंधित तंत्रों के साथ सुमेलित करें:
सूची I: (जवाबदेही के रूप)
A. विधायी जवाबदेही
B. न्यायिक जवाबदेही
C. प्रशासनिक जवाबदेही
D. सामाजिक जवाबदेही
सूची II: (तंत्र)
i. जनहित याचिका और रिट
ii. विभागीय जांच और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन
iii. प्रश्नकाल, चर्चा और संसदीय समितियां
iv. नागरिक अधिकार-पत्र, सामाजिक अंकेक्षण और सूचना का अधिकार
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

NODIA

47. (3) धारा 17
मनरेगा अधिनियम की धारा 17 विशेष रूप से सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधान को परिभाषित करती है। यह धारा ग्राम सभा को यह अधिकार और उत्तरदायित्व देती है कि वह ग्राम पंचायत के भीतर निष्पादित किए गए समस्त कार्यों का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करे। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदाय को उनके क्षेत्रों में व्यय किए जा रहे धन की निगरानी करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो। यह मनरेगा की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य भाग है।

48. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण को विधिक रूप से अधिक प्रभावी बनाने हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सहयोग से विशेष नियम बनाए गए। 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (योजनाओं का अंकेक्षण) नियम, 2011' ने इस प्रक्रिया को एक मानक स्वरूप प्रदान किया। इन नियमों ने यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक अंकेक्षण केवल एक औपचारिक अभ्यास न रहे, बल्कि इसमें वित्तीय अनुशासन और नागरिक निगरानी का संतुलन बना रहे। इस विधिक समर्थन ने पूरे देश में अंकेक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाई।

49. (2) राजस्थान राज्य सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी।
राजस्थान ने सामाजिक अंकेक्षण की निष्पक्षता और स्वायत्तता बनाए रखने हेतु एक विशेष निकाय की स्थापना की है। इसे 'राजस्थान राज्य सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी' के नाम से जाना जाता है। यह एजेंसी राज्य भर में अंकेक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यान्वयन विभागों का इस प्रक्रिया पर कोई अनुचित प्रभाव न हो। यह निकाय प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करता है और ग्राम सभाओं के निष्कर्षों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने में एक सेतु का कार्य करता है।

50. (2) इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छह माह में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए।
मनरेगा के नियमों के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। पारदर्शिता और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति वर्ष कम से कम दो बार, अर्थात प्रत्येक छह माह में एक बार, सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करना अनिवार्य है। यह नियमितता सुनिश्चित करती है कि किसी भी वित्तीय अनियमितता या कार्य की गुणवत्ता में कमी का शीघ्र पता लगाया जा सके और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। यह ग्राम सभा को निरंतर सतर्क रहने का अवसर देता है।

51. (3) केवल I और V
सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका डेटा प्रदान करने की होती है, परंतु रिपोर्ट लिखने का कार्य स्वतंत्र अंकेक्षण दल का होता है। यह स्वतंत्रता निष्पक्षता हेतु अनिवार्य है। साथ ही, ग्राम सभा के पास भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे कारावास भेजने की न्यायिक शक्ति नहीं होती; वह केवल दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। अंकेक्षण इकाई की स्वायत्तता और डिजिटल पोर्टल पर परिणामों का प्रकटीकरण इस तंत्र की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।

52. (4) राज्य सरकारों को अंकेक्षण इकाई में धन का योगदान करने से रोक दिया गया है।
मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक सुव्यवस्थित वित्त पोषण तंत्र मौजूद है। केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराती है, जो मनरेगा की कुल प्रशासनिक लागत का एक निश्चित भाग होता है। यह स्वतंत्र वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु दिया जाता है कि अंकेक्षण प्रक्रिया कार्यान्वयन एजेंसियों के वित्तीय प्रभाव से मुक्त रहे। राज्य सरकारों को इसमें योगदान देने से रोकने का कोई विधिक निषेध नहीं है, बल्कि कुछ राज्य अतिरिक्त संसाधनों से इस प्रक्रिया को और सशक्त बना सकते हैं।

53. (4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्वतंत्रता हेतु यह अनिवार्य है कि उसका नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न किया जाए जो सीधे योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ा हो। यदि किसी सक्रिय प्रशासनिक अधिकारी को इसका निदेशक बनाया जाता है, तो हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं अपने कार्यों की जाँच निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए, इन इकाइयों के निदेशक पद पर अक्सर सेवानिवृत्त अधिकारियों या नागरिक समाज के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है ताकि जाँच की शुचिता बनी रहे।

54. (2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
विभिन्न विधायी प्रावधानों ने ग्राम सभा को निरंतर सशक्त किया है। 73वें संशोधन ने इसे स्थानीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में संवैधानिक मान्यता दी। पेसा अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के व्यापक अधिकार दिए। मनरेगा ने सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से इसे वित्तीय निगरानी की शक्ति प्रदान की। वन अधिकार अधिनियम ने ग्राम सभा को वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को सत्यापित करने वाला प्राथमिक अधिकार संपन्न निकाय बनाया।

55. (1) केवल I और II
सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह स्थल है जहाँ नागरिक और अधिकारी आमने-सामने होते हैं। यहाँ अंकेक्षण रिपोर्ट को पढ़ा जाता है और ग्रामीणों के पास यह अधिकार होता है कि वे व्यय और कार्य की गुणवत्ता पर सीधे प्रश्न पूछ सकें। हालांकि, ग्राम सभा के पास मनरेगा के कुल राज्य बजट आवंटन को परिवर्तित करने की शक्ति नहीं होती। उसका कार्य स्थानीय स्तर पर स्वीकृत कार्यों की निगरानी और कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक सीमित है।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों द्वारा अपनाई गई किसी कार्य को करने या न करने की एक सोद्देश्य कार्ययोजना।
लोक नीति शासन द्वारा सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान हेतु निर्मित एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना है। यह केवल दस्तावेजी विधियों का समूह नहीं है, बल्कि शासन की सक्रियता और रणनीतिक तटस्थता दोनों को समाहित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यह नीतिगत ढांचा शासन की प्राथमिकताओं और भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

2. (1) II, IV, V, III, I
लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया एक क्रमिक चक्र के रूप में कार्य करती है। इस चक्र का प्रारंभ कार्यसूची निर्धारण से होता है जहाँ सामाजिक मुद्दों की पहचान की जाती है। इसके पश्चात नीति का विधिवत प्रारूप निर्मित किया जाता है और उसे आधिकारिक रूप से अंगीकार किया जाता है। कार्यान्वयन चरण में नीति को व्यावहारिक धरातल पर लागू किया जाता है। अंत में, नीति के प्रभावों और परिणामों का सूक्ष्म मूल्यांकन भविष्य के सुधारों हेतु किया जाता है।

3. (4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
लोक नीति केवल सकारात्मक कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें शासन का निष्क्रिय रहने का निर्णय भी सम्मिलित होता है। यदि राज्य किसी विशेष सामाजिक मुद्दे पर जानबूझकर कोई कार्रवाई न करने का विकल्प चुनता है, तो उस निर्णय को भी नीतिगत दृष्टिकोण माना जाता है। इस प्रकार, नीति के सक्रिय और रणनीतिक मौन दोनों ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि शासन का प्रत्येक निर्णय लोक नीति का भाग है।

4. (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
लोक नीति के विभिन्न प्रतिमान शासन की जटिलता को स्पष्ट करते हैं। तर्कसंगत प्रतिमान अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए लागत और लाभ के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। वृद्धिशील प्रतिमान पूर्व नीतियों में आंशिक परिवर्तन कर निरंतरता पर बल देता है। समूह प्रतिमान विभिन्न हित समूहों के आपसी संघर्ष और समझौते का परिणाम होता है। विशिष्ट वर्ग प्रतिमान के अनुसार, नीतियां समाज के शक्तिशाली और गिने-चुने शासक वर्ग के हितों को दर्शाती हैं।

5. (3) केवल I और III
लोक नीति की प्रमुख विशेषता इसकी लक्ष्य-उन्मुख प्रकृति और विधिक वैधता है। यह सदैव समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। इसमें किसी पृथक निर्णय के स्थान पर शासन की निरंतर कार्यप्रणाली और व्यवहार का स्वरूप सम्मिलित होता है। इसे राज्य की संप्रभु शक्ति और बाध्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, जो इसे निजी संस्थाओं के नियमों से श्रेष्ठ और अनिवार्य बनाते हैं।

6. (2) थॉमस आर. डाई
प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थॉमस आर. डाई ने लोक नीति को अत्यंत सरल और व्यापक रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार, शासन जो कुछ भी करने या न करने का निर्णय लेता है, वही लोक नीति है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि नीति केवल विधायी कार्यों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें शासन की रणनीतिक निष्क्रियता भी सम्मिलित है। यह दृष्टिकोण नीति निर्माण में राज्य की भूमिका और विवेकाधिकार को समझने हेतु आधारभूत माना जाता है।

7. (4) राष्ट्रीय विकास परिषद की प्राथमिक संवैधानिक भूमिका राज्य के बजट का प्रारूप तैयार करना है।
भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न निकायों की भूमिका स्पष्ट रूप से विभाजित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय नीतिगत समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और केंद्र-राज्य समन्वय था। राज्य का बजट निर्मित करना संबंधित राज्य सरकार के वित्त विभाग का उत्तरदायित्व होता है, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद का। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8. (3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को सशक्त बनाने हेतु किया था। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य 'नीचे से ऊपर' के दृष्टिकोण को अपनाना है, जहाँ राज्यों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। यह केंद्रीकृत योजना के पुराने प्रतिमान को समाप्त कर राज्यों को नीति निर्माण में बराबर का साझेदार बनाता है। अतः यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि यह राज्यों की भूमिका कम करता है।

9. (3) विभिन्न नीति निर्माताओं को स्वतंत्र अनुसंधान और नीतिगत विकल्प प्रदान करना।
लोक नीति के क्षेत्र में नीति-समूहों या थिंक टैंक का मुख्य कार्य गहन अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रदान करना है। ये संस्थान शासन को जटिल चुनौतियों के समाधान हेतु नवीन विचार और वैकल्पिक नीतिगत ढांचे सुझाते हैं। इनका कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करना या विधि बनाना नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं को बौद्धिक सहायता प्रदान करना है। यह स्वतंत्र अनुसंधान शासन प्रक्रिया में नवीनता लाने और वैश्विक प्रथाओं को अपनाने में सहायक होता है।

NODIA

(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. निम्नलिखित में से कौन विधायी जवाबदेही के एक उपकरण के रूप में लोक लेखा समिति के कार्य का सही वर्णन करता है?
(1) यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्टों की जांच करती है कि धन कानूनी रूप से व्यय किया गया था।
(2) यह भारत की केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करती है।
(3) यह भ्रष्ट लोक सेवकों के अभियोजन को सीधे स्वीकृति देती है।
(4) यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. न्यायिक जवाबदेही के संदर्भ में, "न्यायिक समीक्षा" की अवधारणा में क्या सम्मिलित है?
(1) केवल व्याकरण संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के पिछले निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति।
(2) विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(3) कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा।
(4) मीडिया आउटलेट्स द्वारा न्यायिक कार्यवाही की समीक्षा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. संसदीय सत्र के दौरान, सदस्यों द्वारा किसी औपचारिक पूर्व सूचना के बिना सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय मामलों को उठाने के लिए किस विशिष्ट अवधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्यपालिका को जवाबदेह बनाया जा सके?
(1) प्रश्नकाल
(2) शून्यकाल
(3) आधे घंटे की चर्चा
(4) अल्पकालिक चर्चा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. प्रशासनिक जवाबदेही तंत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग निचली न्यायपालिका पर सीधा अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है।
(2) पदानुक्रम और आदेश की श्रृंखला प्राथमिक आंतरिक जवाबदेही उपकरण हैं।
(3) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लोक सेवकों के प्रदर्शन और आचरण का आकलन करने में सहायता करती हैं।
(4) प्रशासनिक न्यायाधिकरण सार्वजनिक अधिकारियों के सेवा संबंधी विवादों को हल करने के लिए बाहरी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. प्रशासनिक जवाबदेही के संबंध में निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें:
एक गैर-सरकारी संगठन बाल श्रम कानूनों को लागू करने में राज्य प्रशासन की विफलता को उजागर करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करता है और न्यायिक दिशा-निर्देश मांगता है। यह किस जवाबदेही उपकरण का अनुप्रयोग है?
(1) विधानसभा की कार्यवाही में विधायी विशेषाधिकार का उपयोग।
(2) गाँव में सामाजिक अंकेक्षण प्रस्ताव का कार्यान्वयन।
(3) जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का अनुप्रयोग।
(4) राज्य के राज्यपाल द्वारा एक कार्यकारी अध्यादेश जारी करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन में "उत्तरदायित्व" और "जवाबदेही" के बीच सबसे सटीक अंतर करता है?
(1) उत्तरदायित्व वित्तीय दायित्व है; जवाबदेही नैतिक कर्तव्य है।
(2) उत्तरदायित्व नीचे की ओर प्रवाहित होता है; जवाबदेही क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है।
(3) उत्तरदायित्व एक बाहरी उपकरण है; जवाबदेही आंतरिक है।
(4) उत्तरदायित्व कार्य करने का कर्तव्य है; जवाबदेही उत्तरदेयता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

धरातल पर क्रियान्वित होती है। अंत में, यह सुनिश्चित करने हेतु कि कार्य पूर्व-निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है, निरंतर निगरानी अनिवार्य होती है। यह क्रमिक व्यवस्था सफलता हेतु आवश्यक है।

20. (4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
नीति मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल नीति की समाप्ति पर ही नहीं की जाती। रचनात्मक मूल्यांकन कार्यान्वयन के दौरान ही संपादित किया जाता है ताकि वास्तविक समय में आ रही चुनौतियों को पहचानकर सुधार किया जा सके। यह नीति को अधिक लचीला और प्रभावी बनाता है। इसके विपरीत, योगात्मक मूल्यांकन नीति के पूर्ण होने के पश्चात उसके समग्र प्रभाव को मापने हेतु किया जाता है। अतः मूल्यांकन के विभिन्न चरण नीतिगत दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं।

21. (3) 1991 में जॉन मेजर के अधीन यूनाइटेड किंगडम
नागरिक अधिकार-पत्र की संकल्पना को वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर के नेतृत्व में इसे लोक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुधारने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह पहल शासकीय संस्थानों को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई। इसके माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के मानकों को सार्वजनिक रूप से परिभाषित किया गया और सेवा वितरण में व्यावसायिकता आई।

22. (3) केवल I और III
नागरिक अधिकार-पत्र आंदोलन मुख्य रूप से लोक सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने पर केंद्रित है। इसका एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि सेवाओं के मानकों को स्पष्ट रूप से जनता के सम्मुख घोषित किया जाए। गोपनीयता इसके मूल सिद्धांतों के विपरीत है। यह नागरिकों को सेवाओं के उपयोग में विकल्प प्रदान करने और उनकी प्रतिपुष्टि को महत्व देने पर बल देता है। इसका उद्देश्य शासकीय तंत्र को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना और सेवा वितरण की दक्षता को निरंतर सुधारना है।

23. (2) 1997
भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी शासन हेतु कार्ययोजना' को अंगीकार किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों ने अपने स्वयं के नागरिक अधिकार-पत्र निर्मित करने का संकल्प लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए शासकीय जवाबदेही को सुदृढ़ करना था।

24. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
नागरिक अधिकार-पत्र के विभिन्न घटक सेवा वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। 'मानक' नागरिकों को यह बताते हैं कि उन्हें कितनी और कैसी सेवा प्राप्त होगी। 'धन का उचित मूल्य' संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है। 'जवाबदेही' यह सुनिश्चित करती है कि सेवा में त्रुटि हेतु संगठन उत्तरदायी होगा। 'पारदर्शिता' नियमों और शिकायत तंत्र को सुलभ बनाकर भ्रष्टाचार की संभावना कम करती है। ये सभी तत्व मिलकर एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं।

25. (3) यह नागरिकों को सेवाओं के मूल्यवान ग्राहकों के रूप में मानकर उन्हें सशक्त बनाता है।
नागरिक अधिकार-पत्र का सबसे मौलिक आधार प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। यह नागरिकों को केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानने के स्थान पर उन्हें शासकीय सेवाओं के जागरूक 'ग्राहक' के रूप में देखता है। यह अवधारणा नागरिकों को यह जानने का अधिकार देती है कि वे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा कर सकते हैं। यह सशक्तिकरण का एक सशक्त उपकरण है जो शासकीय विभागों में प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता को बढ़ावा देता है, जिससे सेवा वितरण में सुधार होता है।

26. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की प्रकृति विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता। ये दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से संगठनों द्वारा जनता के प्रति की गई नैतिक प्रतिबद्धताओं और स्वैच्छिक संकल्पों को दर्शाते हैं। चूँकि इनमें विधिक दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इनकी प्रभावशीलता मुख्य रूप से प्रशासनिक इच्छाशक्ति और आंतरिक निगरानी तंत्र पर निर्भर करती है। यह प्रशासन में सुधार हेतु एक दिशा-निर्देश मात्र है।

27. (4) केवल I, II और III
'सेवोत्तम' भारत में लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु विकसित एक व्यापक ढांचा है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: नागरिक अधिकार-पत्र का प्रभावी कार्यान्वयन, सशक्त लोक शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण क्षमताओं में निरंतर उत्कृष्टता। यह मॉडल शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली को मापने और प्रमाणित करने हेतु एक मानक प्रदान करता है। इसमें शासकीय कार्यों के निजीकरण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि यह शासकीय तंत्र को भीतर से अधिक सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

28. (2) सेवा वितरण के लिए मापने योग्य समय सीमा और गुणवत्ता मानदंड।
नागरिक अधिकार-पत्र में 'मानक' का तात्पर्य उन स्पष्ट और मापने योग्य पैमानों से है जिनके आधार पर नागरिक सेवाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें सामान्यतः यह उल्लेख होता है कि कोई विशिष्ट कार्य कितने दिवसों में पूर्ण होगा और उसकी गुणवत्ता का स्तर क्या होगा। उदाहरण हेतु, प्रमाण पत्र जारी करने की निश्चित समय सीमा 'मानक' कहलाती है। यह प्रशासनिक अनिश्चितता को कम करता है और नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे विलंब होने पर प्रश्न पूछ सकें।

NODIA

65. (2) दूसरी अनुसूची: अधिनियम से छूट प्राप्त सुरक्षा संगठनों की सूची देती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम में दो अनुसूचियां सम्मिलित हैं। प्रथम अनुसूची मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन विशिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची प्रदान करती है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, बशर्ते मामला भ्रष्टाचार से न जुड़ा हो। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील संस्थान सामान्य आरटीआई जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे।

66. (1) केवल II और V
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में नहीं, बल्कि सूचना आयोग में की जाती है। यह एक प्रशासनिक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है, तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व उसी अधिकारी पर होता है कि उसका इनकार विधिक रूप से सही था। प्रथम और द्वितीय अपील हेतु क्रमशः 30 और 90 दिवसों की समय सीमा निर्धारित है और जुर्माने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

67. (3) सूचना का अधिकार अभिलेख प्राप्त करने के लिए है, न कि कार्यकारी उपचारों का आदेश देने के लिए।
यह परिदृश्य आरटीआई की एक महत्वपूर्ण सीमा को स्पष्ट करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य कार्य केवल शासकीय दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह लोक सूचना अधिकारी को यह शक्ति नहीं देता कि वह पेंशन जारी करने जैसा कार्यकारी आदेश दे। यद्यपि सूचना मिलने से अधिकारियों पर नैतिक दबाव बढ़ता है, लेकिन वास्तविक समाधान हेतु नागरिक को संबंधित विभाग के शिकायत निवारण तंत्र के पास जाना पड़ता है। आरटीआई केवल पारदर्शिता का उपकरण है, न कि कार्यकारी उपचार।

68. (1) केवल I और II
सूचना का अधिकार अधिनियम ने शासन में दो प्रमुख परिवर्तन किए हैं: भ्रष्टाचार को उजागर करना और प्रशासनिक निर्णयों के दस्तावेजीकरण को बढ़ाना। रिकॉर्ड में विसंगतियों को प्रकट करके इसने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। साथ ही, अब अधिकारियों को प्रत्येक निर्णय के पीछे तर्क देने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। हालांकि, यह अधिनियम नागरिकों को सीधे अधिकारियों को पदच्युत करने की शक्ति नहीं देता; वह शक्ति केवल विभागीय जांच या कानूनी अदालतों के पास है।

69. (3) मजदूर किसान शक्ति संगठन
राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन की जननी 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' को माना जाता है। 1990 के दशक में, अरुणा रॉय के नेतृत्व में इस संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के भुगतान और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब' का नारा दिया और शासकीय रिकॉर्ड की मांग की। इस जमीनी आंदोलन ने ही जन सुनवाई की अवधारणा को जन्म दिया और अंततः राजस्थान और भारत के सूचना का अधिकार कानूनों हेतु सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त किया।

70. (1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सूचना का अधिकार और शिकायत निवारण एक-दूसरे के पूरक हैं। अक्सर नागरिकों को यह ज्ञात नहीं होता कि उनकी फाइल कहाँ रुकी है, आरटीआई उन्हें यह साक्ष्य प्रदान करती है। इस पुख्ता जानकारी के साथ जब शिकायत दर्ज की जाती है, तो उसे नजरअंदाज करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त, आरटीआई का भय ही अक्सर प्रशासनिक कुशलता बढ़ा देता है, क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि विलंब का खुलासा होने पर जवाबदेही तय होगी। इस प्रकार, पारदर्शिता शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायक सिद्ध होती है।

71. (4) यह प्रक्रिया तथ्यों को प्रकट करती है लेकिन विशिष्ट कार्यकारी उपचारों का आदेश नहीं दे सकती।
शिकायत निवारण हेतु आरटीआई का उपयोग करने की सीमा इसकी 'सूचना देने तक सीमित' प्रकृति है। यह कानून सूचना आयोग को केवल सूचना दिलाने और दोषी अधिकारी पर दंड लगाने का अधिकार देता है। आयोग किसी विभाग को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह किसी नागरिक की सड़क की मरम्मत करे। यह केवल यह बता सकता है कि कार्य क्यों नहीं हुआ। वास्तविक राहत हेतु नागरिक को अभी भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों या न्यायालयों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इसके प्रत्यक्ष उपचार की कमी है।

72. (1) यदि लोक सूचना अधिकारी डेटा देने से इनकार करता है, तो यह सुधार के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रदान करता है।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सूचना के अधिकार की प्रक्रिया में एक आंतरिक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। यह उसी विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसका कार्य यह देखना है कि लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक को जानकारी देने में कोई त्रुटि तो नहीं की। यह नागरिकों को आयोग तक जाने से पूर्व विभाग के भीतर ही सुधार का एक अवसर प्रदान करता है। यह तंत्र प्रभावी है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी को विभाग की कार्यप्रणाली की गहरी समझ होती है और वह त्वरित सुधार सुनिश्चित कर सकता है।

73. (3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (सीपीग्राम्स) का प्रबंधन केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य कार्य देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो नागरिकों को शासन के साथ सीधे संवाद करने का मंच देता है।

Click Here to Buy book on Amazon

38. (2) यह स्वैच्छिक मानकों को दंड के प्रावधान वाले प्रवर्तनीय अधिकारों में परिवर्तित कर देता है।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम जैसे वैधानिक कानून नागरिक अधिकार-पत्र के स्वैच्छिक संकल्पों को विधिक रूप से अनिवार्य बना देते हैं। अधिकार-पत्र में जहाँ केवल आश्वासन होते हैं, वहीं यह कानून अधिकारियों को समय सीमा का पालन करने हेतु बाध्य करता है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो अधिनियम के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह परिवर्तन स्वैच्छिक नैतिकता को विधिक उत्तरदायित्व में बदल देता है, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय मिलता है।

39. (2) समय-समय पर समीक्षा का अभाव: इसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ पुराने या अप्रासंगिक हो जाते हैं।
नागरिक अधिकार-पत्र की एक बड़ी सीमा यह है कि एक बार निर्मित होने के पश्चात इनकी नियमित समीक्षा नहीं की जाती। बदलती तकनीक और नागरिकों की नवीन आवश्यकताओं के साथ तालमेल न बिठाने के कारण ये दस्तावेज़ समय के साथ अपनी उपयोगिता खो देते हैं। यदि कोई विभाग अब डिजिटल सेवा दे रहा है, लेकिन उसका अधिकार-पत्र केवल पुरानी भौतिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है, तो वह अप्रासंगिक हो जाता है। अतः निरंतर सुधार और अद्यतनीकरण प्रभावी जवाबदेही हेतु अनिवार्य तत्व हैं।

40. (1) आकलन करना कि क्या उपयोगकर्ता की प्रतिपुष्टि के आधार पर सड़क ने पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया है।
जहाँ वित्तीय अंकेक्षण केवल धन के विधिक उपयोग और रसीदों की जाँच करता है, वहीं सामाजिक अंकेक्षण योजना के वास्तविक सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या निर्मित संरचना वास्तव में समुदाय हेतु उपयोगी है और क्या इसकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। यह प्रक्रिया सीधे उन नागरिकों की प्रतिपुष्टि को सम्मिलित करती है जिनके लिए योजना बनाई गई है। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने के साथ-साथ योजना की उपयोगिता का मानवीय मूल्यांकन सुनिश्चित करती है।

41. (3) चार्ल्स मेडावर
सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा को आधुनिक प्रशासनिक प्रमुखता दिलाने में ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता चार्ल्स मेडावर का महत्वपूर्ण योगदान है। 1970 के दशक में उन्होंने इस विचार को प्रचारित किया कि संगठनों को केवल वित्तीय लाभ के स्थान पर समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के आधार पर भी आंका जाना चाहिए। उनके कार्यों ने शासकीय और व्यावसायिक संस्थानों में पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवधारणा ने विश्व भर के नागरिक समाज आंदोलनों और सुशासन के प्रयासों को प्रभावित किया है।

42. (1) IV, II, I, III
सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रम का पालन करती है। सर्वप्रथम, कार्यान्वयन एजेंसी से सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज़ एकत्रित किए जाते हैं। इसके पश्चात, इन दस्तावेजों का धरातल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है ताकि वास्तविकता का पता चले। प्राप्त निष्कर्षों पर एक सार्वजनिक मंच या जन सुनवाई में खुली चर्चा की जाती है जहाँ नागरिक सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अंतिम चरण में, विसंगतियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की जाती है और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

43. (4) भागीदारी के माध्यम से नीति और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटना।
सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य लक्ष्य शासन प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह नीति निर्माण और उसके वास्तविक कार्यान्वयन के मध्य मौजूद विसंगतियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ने का साधन नहीं है, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करता है कि शासकीय योजनाएँ अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करें। जन-भागीदारी के माध्यम से यह लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करता है।

44. (2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
सामाजिक अंकेक्षण में विभिन्न घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मस्टर रोल श्रमिकों की उपस्थिति और भुगतान का आधिकारिक रिकॉर्ड है, जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। जन सुनवाई वह लोकतांत्रिक मंच है जहाँ अधिकारियों को सीधे जनता के सम्मुख जवाबदेह बनाया जाता है। ग्राम संसाधन व्यक्ति एक प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति होता है जो ग्रामीणों को दस्तावेजों को समझने में मदद करता है। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पूरी प्रक्रिया का लिखित सार होती है जिसमें विसंगतियों और आवश्यक सुधारों का उल्लेख होता है।

45. (3) केवल I, II और III
एक सफल सामाजिक अंकेक्षण हेतु सूचनाओं का सक्रिय प्रकटीकरण और वंचित वर्गों की निडर भागीदारी अनिवार्य है। जब तक शासकीय रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं होंगे, विसंगतियों का पता लगाना असंभव होगा। साथ ही, साक्ष्य देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि वे बिना किसी भय के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल सकें। केवल आंतरिक विभागीय मूल्यांकन पर निर्भर रहना निष्पक्षता को समाप्त कर देता है, क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं अपनी जाँच पूर्णतः निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकती।

46. (4) संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक
सामाजिक अंकेक्षण एक स्थानीय और विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है जिसमें ग्राम सभा के सदस्य, योजना के लाभार्थी और संबंधित कार्यान्वयन अधिकारी प्राथमिक हितधारक होते हैं। यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करने हेतु अभिकल्पित की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों की भागीदारी का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। इसकी सफलता मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय की सक्रियता और शासकीय तंत्र की पारदर्शिता पर निर्भर करती है, जो सीधे तौर पर योजना के परिणामों से जुड़े होते हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

29. (3) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में विफल रहने के लिए संगठन की उत्तरदेयता।
नागरिक अधिकार-पत्र के संदर्भ में जवाबदेही का अर्थ है कि यदि कोई शासकीय संगठन अपने घोषित मानकों को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो उसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इसमें विफलताओं के कारणों को स्पष्ट करना और भविष्य में सुधार के उपाय करना सम्मिलित है। यह केवल व्यक्तिगत दंड के विषय में नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की कार्यक्षमता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के विषय में है। यह तंत्र नागरिकों को एक माध्यम प्रदान करता है जिससे वे सक्रिय रह सकें।

30. (1) III, I, IV, II, V
नागरिक अधिकार-पत्र का निर्माण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कार्य बल के गठन से प्रारंभ होती है। इसके पश्चात विभाग अपनी प्रमुख सेवाओं की पहचान करता है। हितधारकों और नागरिकों के साथ परामर्श करना अनिवार्य है ताकि उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। इसके बाद ही प्रत्येक सेवा हेतु यथार्थवादी और मापने योग्य मानक निर्धारित किए जाते हैं। अंतिम चरण में एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाता है ताकि मानकों के उल्लंघन पर नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें।

31. (1) विशिष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण।
एक व्यापक नागरिक अधिकार-पत्र मुख्य रूप से नागरिकों को सेवाओं की जानकारी देने और उनके प्रति संगठन की प्रतिबद्धता दर्शाने पर केंद्रित होता है। इसमें संगठन का ध्येय, नागरिकों से अपेक्षाएं और शिकायत निवारण की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित होते हैं। विभाग के भीतर व्यक्तिगत कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली गोपनीय अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का विवरण इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। यह एक बाह्य दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना है, न कि आंतरिक सेवा रिकॉर्ड सार्वजनिक करना।

32. (2) केवल II और V
नागरिक अधिकार-पत्र एक गतिशील दस्तावेज़ होना चाहिए जिसे समय और तकनीक के अनुसार अद्यतन किया जा सके। इसे स्थिर मानना इसकी प्रभावशीलता को समाप्त कर देता है। इसके निर्माण के दौरान कर्मचारियों और उनके संघों के साथ परामर्श करना आवश्यक है क्योंकि अंततः उन्हें ही इन सेवाओं को लागू करना होता है। अधिकार-पत्र में स्पष्ट लाभार्थियों की पहचान और मापने योग्य मानकों का होना इसकी सफलता हेतु अनिवार्य शर्त है। ऐसे परामर्श को प्रतिबंधित करना एक त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक दृष्टिकोण है।

33. (2) IS 15700:2005
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 'IS 15700:2005' मानक विशेष रूप से सेवा वितरण में उत्कृष्टता हेतु विकसित किया गया है। यह 'सेवोत्तम' ढांचे का एक महत्वपूर्ण तकनीकी घटक है। जो शासकीय संगठन इस मानक की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें सेवा वितरण की गुणवत्ता हेतु प्रमाणित किया जाता है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि विभाग के पास नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली, प्रभावी शिकायत निवारण और सेवा मानकों के प्रति प्रतिबद्धता मौजूद है। यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मानदंड है।

34. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
भारत में नागरिक अधिकार-पत्र की कई व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं। शीर्ष-स्तरीय प्रारूपण के कारण यह स्थानीय आवश्यकताओं से पृथक हो जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपलब्धता से ग्रामीण नागरिक इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। अवास्तविक और बहुत उच्च मानक निर्धारित करने से कर्मचारी हतोत्साहित महसूस करते हैं। सबसे बड़ी कमी दंडात्मक प्रावधानों का न होना है, जिससे इसकी शक्ति सीमित हो जाती है और अधिकारियों में जवाबदेही का भय उत्पन्न नहीं होता है।

35. (4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
भारत में नागरिक अधिकार-पत्र के कार्यान्वयन के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि इनमें अंतिम उपयोगकर्ताओं या नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श का अभाव रहता है। इन्हें अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्थान पर केवल एक औपचारिक प्रशासनिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, ये दस्तावेज़ नागरिकों के वास्तविक सशक्तिकरण का माध्यम बनने के बजाय केवल कार्यालयों की दीवारों पर प्रदर्शित औपचारिक चार्ट बनकर रह जाते हैं। जन-भागीदारी के बिना इसकी वास्तविक भावना प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

36. (1) केवल I और II
नागरिक अधिकार-पत्र की सीमित सफलता के प्रमुख कारणों में जनता के मध्य व्यापक जागरूकता की कमी और निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव सम्मिलित है। अक्सर नागरिकों को यह ज्ञात ही नहीं होता कि उनके पास सेवा के मानकों को जानने का अधिकार है। साथ ही, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी जो सीधे जनता से मिलते हैं, वे इस अवधारणा के प्रति संवेदनशील नहीं होते। नियमित बाह्य अंकेक्षण का अभाव भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि बिना निष्पक्ष जाँच के सुधार असंभव है।

37. (3) 2011
राजस्थान सरकार ने नागरिक अधिकार-पत्र की गैर-न्यायसंगत प्रकृति की कमी को दूर करने हेतु वर्ष 2011 में 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' लागू किया। यह अधिनियम लोक प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इसने पहली बार विशिष्ट सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी को एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया। इसके अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दंड का प्रावधान है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही को बल मिला।

NODIA

56. (1) सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जानी चाहिए।
सामाजिक अंकेक्षण हेतु बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कभी भी वर्तमान सरपंच या वार्ड पंचों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। चूंकि सरपंच स्वयं योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है, इसलिए उसकी अध्यक्षता में निष्पक्ष चर्चा संभव नहीं होती। अक्सर किसी तटस्थ व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है ताकि लोग बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें। बैठक का व्यापक प्रचार, गणपूर्ति और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति इसकी पारदर्शिता और सफलता हेतु अनिवार्य शर्तें हैं।

57. (3) यह एक बाध्यकारी सिफारिश है जिसके लिए औपचारिक 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' आवश्यक है।
जब ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान किसी अनियमितता की पहचान करती है और उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करती है, तो उसे केवल एक साधारण परामर्श के रूप में नहीं लिया जा सकता। प्रशासन हेतु यह अनिवार्य है कि वह इस प्रस्ताव पर संज्ञान ले और की गई कार्रवाई की औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हालांकि यह स्वयं न्यायिक आदेश नहीं है, लेकिन यह विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने का एक ठोस आधार है। इसे नजरअंदाज करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और जवाबदेही तय करता है।

58. (1) उनका चयन स्थानीय क्षेत्रों के सक्रिय श्रमिकों या युवाओं में से किया जाता है।
ग्राम संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनका चयन सामान्यतः उसी जिले के सक्रिय श्रमिकों या शिक्षित युवाओं में से किया जाता है। उन्हें दस्तावेजों के विश्लेषण, मौतिक सत्यापन और ग्रामीणों के साथ संवाद करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे उस विशिष्ट पंचायत के निवासी न हों जहाँ वे अंकेक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्थानीय पक्षपात से बचा जा सके और पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

59. (4) यह हितों के टकराव को समाप्त करता है, जिससे ग्रामीणों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर मिलता है।
सरपंच और सचिव को सामाजिक अंकेक्षण की बैठक की अध्यक्षता से दूर रखने का मुख्य कारण हितों के टकराव को रोकना है। चूंकि वे स्वयं कार्यान्वयन प्रक्रिया के जिम्मेदार पक्ष होते हैं, उनकी उपस्थिति में ग्रामीण अक्सर अनियमितताओं को उजागर करने से संकोच करते हैं। एक स्वतंत्र अध्यक्ष की नियुक्ति से लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित होता है जहाँ शक्ति का पदानुक्रम समाप्त हो जाता है। यह ग्रामीणों को आत्मविश्वास देता है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और पारदर्शिता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।

60. (2) 2000
राजस्थान भारत के उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिन्होंने केंद्रीय अधिनियम से पूर्व ही सूचना के अधिकार के महत्व को समझा था। वर्ष 2000 में 'राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम' पारित किया गया था। यह राज्य में नागरिक समाज के लंबे संघर्ष का परिणाम था। हालांकि बाद में 2005 के केंद्रीय अधिनियम ने इसका स्थान ले लिया, लेकिन इस राज्य स्तरीय कानून ने जनता में पारदर्शिता के प्रति चेतना जगाने और प्रशासनिक जवाबदेही की सुदृढ़ नींव रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

61. (3) केवल I, II और III
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 उन श्रेणियों को परिभाषित करती है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय जानकारी सम्मिलित है। मंत्रिमंडल के कागजात भी तब तक गोपनीय रहते हैं जब तक उन पर अंतिम निर्णय न ले लिया जाए। हालांकि, सामान्य प्रशासनिक मामले जैसे स्थानांतरण नीति या नियुक्तियों की जानकारी गोपनीय नहीं होती और इसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के मध्य संतुलन बनाता है।

62. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 'सक्रिय प्रकटीकरण' पर बल देती है, जिसका अर्थ है कि शासकीय विभागों को स्वयं ही अपनी वेबसाइटों के माध्यम से अधिकतम जानकारी साझा करनी चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि जब सूचना पूर्व में ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, तो नागरिकों को आवेदन करने की कम आवश्यकता पड़ती है। यह न केवल प्रशासन पर कार्यभार कम करता है, बल्कि शासन में पारदर्शिता को एक डिफ़ॉल्ट व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है, जिससे नागरिक सशक्त होते हैं।

63. (2) 48 घंटे के भीतर
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में मानवाधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई है। सामान्य मामलों में सूचना देने की अवधि 30 दिवस होती है, लेकिन यदि मांगी गई जानकारी सीधे किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से जुड़ी हो, तो कानून इसे अत्यंत आपातकालीन श्रेणी में रखता है। ऐसी स्थिति में, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्ति के मात्र 48 घंटों के भीतर वांछित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उद्देश्य मानवीय संकट को रोकना है।

64. (2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्य करती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है जो लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की समीक्षा करता है। केंद्रीय सूचना आयोग सर्वोच्च निकाय है जो द्वितीय अपील सुनता है। धारा 20 सूचना देने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार देती है। तीसरे पक्ष की सूचना वह जानकारी है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होती है, जिसे सार्वजनिक करने से पूर्व उसकी सहमति आवश्यक होती है।

Click Here to Buy book on Amazon

10. (1) केवल I, II और IV
नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख बौद्धिक संस्थान है जो केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2015 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके पास वित्त आयोग की तरह राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय संसाधन आवंटित करने की संवैधानिक शक्ति नहीं है। यह मुख्यतः नीतिगत नवाचार और ज्ञान साझा करने का केंद्र है।

11. (4) चर्चाओं और कानूनों के अधिनियमन के माध्यम से नीतियों को वैधता प्रदान करना।
भारत में विधायिका नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण नियामक की भूमिका निभाती है। यद्यपि नीतियों का विस्तृत प्रारूप नौकरशाही द्वारा निर्मित किया जाता है, परंतु उन्हें विधिक रुप और व्यापक स्वीकृति विधायिका के माध्यम से ही प्राप्त होती है। सदन में होने वाली चर्चाएं और विधियों का पारित होना नीतियों को लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की नीतियां जनभावनाओं के अनुरुप हों और उन पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया हो।

12. (2) तकनीकी नीति निर्माण के लिए नौकरशाही पर निर्भरता में वृद्धि।
आधुनिक शासन की बढ़ती जटिलताओं और तकनीकी विषयों के विस्तार के कारण नीति निर्माण में नौकरशाही और विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ गई है। विधायिका के पास अक्सर जटिल तकनीकी मुद्दों पर सूक्ष्म नियम बनाने हेतु समय और विशेषज्ञता का अभाव होता है। इसके परिणामस्वरुप, कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भरता बढ़ी है। यह स्थिति 'प्रत्यायोजित विधान' की प्रथा को प्रोत्साहित करती है, जहाँ बुनियादी ढांचा विधायिका निर्मित करती है और विस्तृत नियम नौकरशाही तैयार करती है।

13. (3) मंत्रिमंडल सचिवालय
नीति निर्माण की प्रक्रिया में शासकीय और गैर-शासकीय दोनों प्रकार के अभिकर्ता सम्मिलित होते हैं। मीडिया, दबाव समूह और स्वयंसेवी संगठन बाहरी संस्थाएं हैं जो लोकमत निर्मित कर नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, मंत्रिमंडल सचिवालय एक प्रत्यक्ष शासकीय और आंतरिक प्रशासनिक निकाय है। यह प्रधानमंत्री और मंत्रियों को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यह शासन की औपचारिक निर्णयकारी व्यवस्था का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे गैर-शासकीय अभिकर्ता नहीं माना जा सकता।

14. (4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
नीति कार्यान्वयन की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। बजट और जनशक्ति के अभाव को संसाधन संबंधी बाधा माना जाता है। जब विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी होती है, तो उसे संस्थागत विखंडन कहा जाता है। 'ऊपर से नीचे' का दृष्टिकोण लाभार्थियों के परामर्श की उपेक्षा करता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तब प्रकट होती है जब नेतृत्व कड़े निर्णय लागू करने में हिचकिचाता है। ये सभी कारक नीतिगत परिणामों को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करते हैं।

15. (1) केवल I, III और V
नीति कार्यान्वयन में अत्यधिक केंद्रीकरण अक्सर बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करता है। नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के मध्य संचार अंतराल एक बड़ी चुनौती है। लाभार्थियों में जागरूकता का अभाव सीधे तौर पर नीति की सफलता को प्रभावित करता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण पात्र नागरिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नौकरशाही की कठोरता और बार-बार होने वाले स्थानांतरण प्रशासनिक निरंतरता को खंडित कर कार्यान्वयन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।

16. (2) ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण
यह परिदृश्य स्पष्ट रूप से 'ऊपर से नीचे' के दृष्टिकोण की सीमाओं को दर्शाता है। इस उपागम में नीतियों का निर्माण केंद्रीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को समझे बिना किया जाता है। जब स्थानीय स्तर के विशेषज्ञों और क्षेत्रीय विभागों से परामर्श नहीं लिया जाता, तो नीति की व्यवहार्यता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण प्रशासन की केंद्रीकृत मानसिकता को प्रकट करता है, जहाँ निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष पर केंद्रित रहती है और जमीनी प्रतिपुष्टि को पूर्णतः नजरअंदाज किया जाता है।

17. (2) पंचायती राज संस्थान
राजस्थान में ग्रामीण विकास की नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थानों का है। ये संस्थान त्रिस्तरीय ढांचे के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निष्पादन करते हैं। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदें ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। वे स्थानीय निवासियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और यह देखते हैं कि शासकीय संसाधनों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

18. (1) स्पष्ट और असंदिग्ध वैधानिक ढांचा
लोक नीति कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, प्रभावी निगरानी का अभाव और कर्मचारियों की अक्षमता सामान्य बाधाएं मानी जाती हैं। इसके विपरीत, एक स्पष्ट और असंदिग्ध वैधानिक ढांचा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु एक सहायक कारक है। जब अधिनियम और नियम स्पष्ट होते हैं, तो भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है और अधिकारियों को कर्तव्यों के निर्वहन में सुगमता होती है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है।

19. (1) संसाधनों का जुटाव, कार्यों का आवंटन, कार्यों का निष्पादन, प्रगति की निगरानी
नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तार्किक रुप से व्यवस्थित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों को जुटाना पड़ता है। इसके पश्चात विभिन्न विभागों और अधिकारियों के मध्य विशिष्ट कार्यों का स्पष्ट आवंटन किया जाता है। आवंटित कार्यों का निष्पादन वह चरण है जहाँ नीति

NODIA

74. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
डिजिटल शासन के विभिन्न पोर्टल विशिष्ट क्षेत्रों की शिकायतों का समाधान करते हैं। राजस्थान संपर्क राज्य की एक एकीकृत प्रणाली है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कई राज्यों द्वारा नागरिक सहायता हेतु उपयोग की जाती है। 'स्कोर्स' भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशकों हेतु विकसित किया गया है। 'इनग्राम' राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का पोर्टल है जहाँ उपभोक्ता व्यापारिक शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। ये सभी मंच नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और शिकायतों के समाधान को सरल तथा पारदर्शी बनाते हैं।

75. (4) न्यायालय के समक्ष लंबित 'विचाराधीन' मामले
सीपीग्राम्स पोर्टल का उपयोग केवल प्रशासनिक और सेवा वितरण संबंधी शिकायतों हेतु किया जा सकता है। इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। कोई भी मामला जो न्यायपालिका के सम्मुख विचाराधीन है, उसे यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार, व्यक्तिगत सेवा मामले, आरटीआई मामले और धार्मिक मुद्दे भी इसके दायरे से बाहर हैं। यह प्रणाली मुख्यतः शासकीय विभागों के कामकाज में होने वाले विलंब या सेवाओं की अनुपलब्धता के विरुद्ध बनाई गई है।

76. (1) नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना, अंतिम निपटान, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, नागरिक से प्रतिपुष्टि
सीपीग्राम्स एक सुव्यवस्थित डिजिटल प्रवाह पर आधारित है। प्रक्रिया नागरिक द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से प्रारंभ होती है। इसके पश्चात, प्रणाली शिकायत को संबंधित विभाग को भेजती है। विभाग समस्या की जांच कर उसका निपटान करता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण अंत में आता है, जहाँ नागरिक को प्रदान किए गए समाधान पर अपनी प्रतिपुष्टि दर्ज करने का अवसर मिलता है, जिससे प्रणाली की गुणवत्ता और उत्तरदेयता बनी रहती है।

77. (3) केवल I, II और III
राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी डिजिटल मंच है जो नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के बहुआयामी विकल्प प्रदान करता है। नागरिक वेब पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। यह प्रणाली शिकायतों की ट्रैकिंग और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करती है। हालांकि, यह केवल एक प्रशासनिक शिकायत निवारण तंत्र है और यह किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार का स्थान नहीं ले सकता। न्यायपालिका की शक्तियां इस पोर्टल से पूर्णतः स्वतंत्र हैं।

78. (4) गुमनाम शिकायतों को कानूनी रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देने और 24 घंटे के भीतर हल करने की आवश्यकता होती है।
सीपीग्राम्स की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार, शिकायतों के समाधान हेतु सामान्यतः 30 दिवस का समय दिया जाता है। यदि मामला जटिल है, तो नागरिक को अंतरिम उत्तर देना आवश्यक है। हालांकि, गुमनाम शिकायतों के संबंध में नियम भिन्न हैं। सुरक्षा और दुरुपयोग रोकने हेतु, गुमनाम शिकायतों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाता, जब तक कि उनमें कोई गंभीर साक्ष्य न हो। उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना या 24 घंटे में हल करना अनिवार्य नहीं है। वास्तविक शिकायतों की पहचान ही मुख्य उद्देश्य है।

79. (1) उस विभाग के नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करना।
सीपीग्राम्स प्रणाली में नागरिक हितों की सुरक्षा हेतु द्वि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। यदि कोई नागरिक समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रणाली के भीतर ही उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। यह अधिकारी शिकायत की पुनः जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हुआ है। यह आंतरिक सुधार की एक प्रभावी पद्धति है जो मामले को सीधे न्यायालय ले जाने की आवश्यकता को कम करती है।

80. (1) राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973
राजस्थान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने हेतु लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में एक विशेष राज्य अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यह अधिनियम लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय का आधार प्रदान करता है। यद्यपि 2013 में केंद्रीय लोकपाल कानून पारित हुआ, लेकिन राजस्थान में यह संस्था पिछले कई दशकों से इसी 1973 के कानून के तहत कार्यरत है। यह राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में शुचिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

81. (2) केवल I, II और III
राजस्थान लोकायुक्त के पास व्यापक शक्तियां हैं, परंतु कुछ संवैधानिक निकायों को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और न्यायपालिका के सदस्य सम्मिलित हैं। साथ ही, सरपंच और वार्ड पंच भी इसके दायरे में नहीं आते। इसके विपरीत, कैबिनेट मंत्री और अन्य वरिष्ठ लोक सेवक इसके जांच के दायरे में आते हैं। यह सीमांकन इसलिए किया गया है ताकि अन्य स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा बनी रहे।

82. (1) राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत कड़ी रखी गई है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति एक उच्च स्तरीय परामर्श के पश्चात की जाती है। इस परामर्श प्रक्रिया में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका अनिवार्य होती है। यह बहुपक्षीय चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति निष्पक्ष हो और उस पर किसी एक राजनीतिक दल का प्रभाव न हो। यह लोकायुक्त की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

83. (3) न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ
राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के साथ, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ को राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने अगस्त 1973 में अपना पदभार ग्रहण किया था। एक पूर्व न्यायाधीश के रूप में उनके अनुभव ने इस नवीन संस्था हेतु आवश्यक विधिक और प्रशासनिक नींव रखने में सहायता की। उनके कार्यकाल ने यह स्थापित किया कि लोकायुक्त कैसे लोक सेवकों के आचरण की निष्पक्ष जांच कर सकता है और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रहरी के रूप में कार्य कर सकता है।

84. (4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
लोकायुक्त की शक्तियां साक्ष्य एकत्र करने के मामले में एक दीवानी न्यायालय के समान होती हैं। वह गवाहों को बुला सकता है और किसी भी शासकीय कार्यालय से दस्तावेजों की मांग कर सकता है। भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर वह राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को विधिक कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि, लोकायुक्त स्वयं किसी को कारावास की सजा नहीं सुना सकता; उसका कार्य जांच करना और दंड की सिफारिश करना है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के पास होती है।

85. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान में लोकायुक्त को 'स्वतः संज्ञान' लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह बिना किसी औपचारिक बाहरी शिकायत के स्वयं जांच प्रारंभ नहीं कर सकता। वर्तमान में यह संस्था केवल प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही कार्य करती है। स्वतः संज्ञान की शक्ति का अभाव इसकी एक बड़ी सीमा मानी जाती है, जबकि ऐसी सक्रियता को कुशासन को रोकने और लोक सेवकों के मन में विधि का भय बनाए रखने हेतु आवश्यक माना जाता है।

86. (2) वह व्यक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र है।
लोकायुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु उनकी पुनर्नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। राजस्थान के कानून के अनुसार, एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात, वह व्यक्ति पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि पद पर रहते हुए वह व्यक्ति भविष्य के लालच में शासन के प्रति पक्षपाती न हो। अन्य शर्तों में लाभ के पद पर न होना और राजनीतिक तटस्थता सम्मिलित हैं। कार्यकाल की सीमा इस संस्था की शुचिता को अक्षुण्ण रखती है।

87. (4) G2C (सरकार से नागरिक) - ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र जारी करना और उपयोगिता बिलों का भुगतान।
ई-शासन के विभिन्न मॉडलों में 'सरकार से नागरिक' (G2C) सबसे प्रभावी प्रतिमान है। इसका उद्देश्य शासकीय सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, बिजली या जल के देयकों का भुगतान करना और विभिन्न आवेदन ऑनलाइन जमा करना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह मॉडल नागरिकों और शासन के मध्य की दूरी को कम करता है, बिचौलियों को समाप्त करता है और सेवाओं की प्राप्ति में समय तथा लागत की बचत सुनिश्चित करता है।

88. (1) कियोस्क के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली एक एकीकृत परियोजना।
"ई-मित्र" राजस्थान सरकार की एक क्रांतिकारी ई-शासन पहल है, जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय और निजी सेवाएं प्रदान करना है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है, जहाँ स्थानीय उद्यमियों द्वारा केंद्र चलाए जाते हैं। इन केंद्रों पर नागरिक अपने देयकों का भुगतान और प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करने और शासकीय सेवाओं को सुलभ बनाने का एक सशक्त माध्यम है।

89. (2) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी)
वर्ष 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का मुख्य विजन शासकीय सेवाओं को आम आदमी के निकट उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत देश भर में 'सामान्य सेवा केंद्र' स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना था। इसमें विभिन्न मिशन मोड परियोजनाएं सम्मिलित थीं जिन्होंने भारत में डिजिटल शासन की सुदृढ़ आधारशिला रखी। यह योजना ही आधुनिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करने वाली पहल मानी जाती है।

90. (1) डिजिटल अंतराल
डिजिटल अंतराल ई-शासन की एक गंभीर चुनौती है, जहाँ समाज का एक भाग तकनीक और इंटरनेट तक पहुंच रखता है जबकि दूसरा भाग इससे वंचित रहता है। यह अंतर केवल बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता और भाषा की बाधाओं के कारण भी होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य यह असमानता सुशासन के लाभों को समान रूप से वितरित होने से रोकती है। जब तक अंतिम व्यक्ति के पास तकनीक का ज्ञान नहीं होगा, ई-शासन का उद्देश्य अपूर्ण रहेगा।

91. (3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
ई-पंचायत का प्राथमिक लक्ष्य ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों, जैसे लेखांकन और डेटा प्रबंधन, को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुव्यवस्थित करना है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का माध्यम है। हालांकि, यह तकनीक भौतिक ग्राम सभा की बैठकों का विकल्प नहीं हो सकती। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है जहाँ सामूहिक चर्चा और सामुदायिक भागीदारी अनिवार्य है। ई-पंचायत केवल इन बैठकों के निर्णयों को डिजिटल रूप से दर्ज करने और प्रचार करने में सहायक है।

92. (2) लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान करना और फर्जी प्राप्तकर्ताओं को हटाना।
आधार को शासकीय योजनाओं से जोड़ने का मुख्य तार्किक आधार 'लक्षित सेवा वितरण' सुनिश्चित करना है। बायोमेट्रिक

NODIA

पहचान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी को ही प्राप्त हो। इससे शासकीय कोष में होने वाली हानि और फर्जी लाभार्थियों की समस्या का समाधान होता है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुगम बनाता है, जिससे धन सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में पहुँचता है। यह प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने का तकनीकी समाधान है।

93. (3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यांकन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। यह मूल्यांकन विभिन्न राज्यों के शासकीय पोर्टलों की प्रभावशीलता को मापने हेतु एक मानक ढांचा है। इसमें सेवाओं की सुलभता, उपयोग में सुगमता और सुरक्षा जैसे मापदंडों पर ध्यान दिया जाता है। इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ई-शासन के माध्यम से नागरिक सेवा वितरण में निरंतर सुधार लाना है ताकि शासन अधिक प्रभावी हो।

94. (4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
जवाबदेही के विभिन्न रूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित करते हैं। विधायी जवाबदेही सदन के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। न्यायिक जवाबदेही रिट और जनहित याचिकाओं के जरिए कानूनों की व्याख्या और अधिकारों की रक्षा करती है। प्रशासनिक जवाबदेही विभाग के भीतर प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से लागू होती है। सामाजिक जवाबदेही सबसे आधुनिक रूप है, जहाँ सीधे नागरिक सूचना के अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपकरणों का उपयोग करके शासन की पारदर्शिता और उत्तरदेयता की मांग करते हैं।

95. (1) यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्टों की जांच करती है कि धन कानूनी रूप से व्यय किया गया था।
लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक अत्यंत शक्तिशाली वित्तीय समिति है। इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सूक्ष्म जांच करना है। समिति यह देखती है कि संसद द्वारा जिस उद्देश्य हेतु धन आवंटित किया गया था, वह उसी पर और विधिक सीमाओं के भीतर व्यय हुआ है या नहीं। यह समिति वित्तीय अनियमितताओं और अपव्यय को उजागर करके कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक धन के प्रहरी के रूप में कार्य करती है।

96. (2) विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, जिसके तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास सरकार के निर्णयों की वैधता को जांचने की शक्ति होती है। यदि कोई विधि या आदेश संविधान के प्रावधानों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे। यह विधि के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का सुरक्षा कवच है।

97. (2) शून्यकाल
शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार की एक विशिष्ट विशेषता है जो प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात प्रारंभ होती है। इस दौरान संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। चूंकि इसमें कोई औपचारिक कार्यसूची नहीं होती, इसलिए यह कार्यपालिका को बिना तैयारी के भी उत्तरदायी बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। यह सदस्यों को जनता की तात्कालिक समस्याओं को सीधे सदन के पटल पर रखने की अनुमति देता है, जिससे शासन प्रक्रिया अधिक प्रतिक्रियाशील बनी रहती है।

98. (1) केंद्रीय सतर्कता आयोग निचली न्यायपालिका पर सीधा अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है।
प्रशासनिक जवाबदेही के तंत्रों में शक्ति का विभाजन स्पष्ट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है; इसका न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता। निचली न्यायपालिका का अनुशासनात्मक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों के पास होता है। पदानुक्रम, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अन्य उपकरण हैं जो लोक सेवकों के प्रदर्शन को विनियमित करते हैं। आयोग का क्षेत्राधिकार केवल कार्यपालिका तक सीमित है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका के अनुरूप है।

99. (3) जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का अनुप्रयोग।
यह परिदृश्य जनहित याचिका के उपयोग का एक उदाहरण है। जब समाज का कोई जागरूक संगठन उन लोगों के अधिकारों हेतु न्यायालय जाता है जो स्वयं वहां पहुँचने में असमर्थ हैं, तो इसे जनहित याचिका कहा जाता है। इस मामले में, न्यायपालिका केवल विधि की व्याख्या नहीं करती, बल्कि शासन को बाल श्रम जैसे सामाजिक मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी देती है। इसे 'न्यायिक सक्रियता' कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यायालय प्रशासन को उसके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाता है।

100. (4) उत्तरदायित्व कार्य करने का कर्तव्य है; जवाबदेही उत्तरदेयता है।
लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही में सूक्ष्म अंतर है। उत्तरदायित्व एक व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों और उसके साथ जुड़े नैतिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह कार्य करने की प्रेरणा है। इसके विपरीत, जवाबदेही उस कार्य के परिणामों हेतु 'उत्तरदेय' होने की स्थिति है। इसमें यह स्पष्ट करना पड़ता है कि कार्य कैसे किया गया और यदि परिणाम संतोषजनक नहीं हैं, तो उसके कारणों की व्याख्या करनी पड़ती है। जवाबदेही कार्य पूर्ण होने के पश्चात की उत्तरदेयता है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 12

सतर्कता एवं जवाबदेही : लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग

1. ओम्बुड्समैन की अवधारणा, जिसने भारत में लोकपाल की संस्था के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुई थी?
(1) यूनाइटेड किंगडम
(2) स्वीडन
(3) न्यूज़ीलैंड
(4) डेनमार्क
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. निम्नलिखित संस्थानों और समितियों को उनके स्थापना या गठन के संबंधित वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: संस्थान और समितियाँ
A. केंद्रीय सतर्कता आयोग (स्थापना)
B. केंद्रीय सूचना आयोग (स्थापना)
C. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (गठन)
D. भ्रष्टाचार निवारण समिति (संथानम समिति)
सूची II: वर्ष
i. 1962
ii. 1964
iii. 1966
iv. 2005
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन के पीछे के प्राथमिक तर्क का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को समाप्त करने की मांग करना।
(2) राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार कानून की पैरवी करना।
(3) एक सशक्त जन लोकपाल विधेयक को तत्काल लागू करने के लिए अभियान चलाना।
(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का विरोध करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. भारत में लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 'लोकपाल' शब्द 1963 में डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था।
II. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त नामक दो स्वतंत्र अधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी।
III. लोकपाल विधेयक 1968 में पहली बार संसद के दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पारित किया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के संदर्भ में, लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सतर्कता प्रशासन की निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है, जबकि लोकपाल भ्रष्टाचार की जाँच के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग को उच्च-स्तरीय प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने का अधिकार है, जबकि लोकपाल का मुख्य कार्य राज्य सरकारों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों के मामलों को देखना है।
(3) लोकपाल के पास राजनेताओं पर अभियोग चलाने की वैधानिक शक्ति है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के लोक सेवकों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को परामर्श देने का कार्य करता है।
(4) लोकपाल एक समर्पित भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य करता है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग विशेष रूप से राज्य-स्तरीय सतर्कता विभागों के आंतरिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिन्हें कथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
कथन (A): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अस्तित्व के बावजूद लोकपाल संस्था स्थापित करने की लंबे समय से मांग थी।
कारण (R): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यात्मक स्वायत्तता

NODIA

की कमी थी और इसे सरकार के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन माना जाता था।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. भारत में ओम्बुड्समैन स्थापित करने के शुरुआती प्रयासों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 2013 में अंततः लागू होने से पहले लोकपाल विधेयक को कई अवसरों पर भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था।
(2) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि लोकपाल संस्था को भारत के संविधान के तहत औपचारिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
(3) सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए लोकायुक्त कार्यालय स्थापित और संचालित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना।
(4) संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग (2002) ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
A. सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन
B. केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना
C. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का पारित होना
D. संथानम समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(1) D, B, A, C
(2) B, D, C, A
(3) D, A, B, C
(4) B, C, D, A
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. भारत में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हालांकि किसी अन्य राज्य ने वास्तव में सबसे पहले इस संस्था की स्थापना की थी?
(1) महाराष्ट्र
(2) राजस्थान
(3) ओडिशा
(4) कर्नाटक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना को पर्याप्त नहीं माना गया था। इस सीमा का प्राथमिक कारण क्या था?
(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास मंत्रियों और सांसदों की जाँच करने का अधिकार नहीं था।
(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार कड़ाई से केवल गैर-राजपत्रित अधिकारियों तक सीमित था।
(3) केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व एक लोक सेवक के बजाय एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता था।
(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले भेजने की शक्ति की कमी थी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी?
(1) 18 दिसंबर 2013
(2) 1 जनवरी 2014
(3) 16 जनवरी 2014
(4) 1 अप्रैल 2014
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त स्थापित करने का प्रावधान करता है।
II. यह राज्यों को अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के भीतर लोकायुक्त स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
III. यह भ्रष्ट साधनों के माध्यम से अर्जित संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करता है, भले ही अभियोजन लंबित हो।
IV. यह विदेशी योगदान की परवाह किए बिना सभी सोसायटियों और ट्रस्टों को अपने क्षेत्राधिकार से पूरी तरह मुक्त करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. भारत के प्रधानमंत्री पर लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(1) प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यपालिका निरंतर जाँच के भय के बिना कार्य कर सके।
(2) लोकपाल को केवल तभी प्रधानमंत्री के आचरण की जाँच करने की अनुमति है जब वे पद मुक्त हो चुके हों।
(3) लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के मामले शामिल नहीं हैं।
(4) लोकपाल प्रधानमंत्री पर एक व्यापक और असीमित क्षेत्राधिकार रखता है, जो बिना किसी अपवाद के भ्रष्टाचार के किसी भी कथित कृत्य की जाँच की अनुमति देता है।

NODIA

अधिनियम के तहत कार्यकर्ता को अधिकतम क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है?
(1) केवल 10,000 रुपये का जुर्माना।
(2) 5 वर्ष तक का कारावास।
(3) भविष्य में शिकायत दर्ज करने से चेतावनी और काली सूची में डालना।
(4) 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. लोकपाल की शक्तियों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित किसी भी जाँच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है।
(2) लोकपाल के पास औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना जाँच शुरु करने की स्वतः संज्ञान शक्तियाँ हैं।
(3) लोकपाल लोक सेवक की दोषसिद्धि से पहले भ्रष्ट साधनों से प्राप्त संपत्तियों की जब्ती को अधिकृत कर सकता है।
(4) लोकपाल के पास व्यक्तियों को समन करने जैसे कुछ मामलों में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में लोकपाल की प्राथमिक शक्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) चयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करने का अंतिम अधिकार लोकपाल के पास है।
(2) लोकपाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संचालन के लिए संपूर्ण वार्षिक बजट आवंटन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
(3) लोकपाल उन मामलों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण का प्रयोग करता है जो लोकपाल द्वारा एजेंसी को भेजे गए हैं।
(4) लोकपाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें किसके समान हैं?
(1) भारत के प्रधानमंत्री
(2) कैबिनेट सचिव
(3) मुख्य चुनाव आयुक्त
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, जाँच शाखा द्वारा प्रारंभिक जाँच पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?
(1) 30 दिन, जिसे 30 और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है
(2) 60 दिन, जिसे 30 और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है
(3) 90 दिन, जिसे 90 और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है
(4) 180 दिन, विस्तार का कोई प्रावधान नहीं
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. लोकपाल की संरचनात्मक शाखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोकपाल के लिए एक जाँच शाखा गठित करना अनिवार्य है जिसका नेतृत्व एक जाँच निदेशक करेगा।
II. जाँच शाखा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की प्रारंभिक जाँच करती है।
III. लोकपाल के लिए एक अभियोजन शाखा गठित करना अनिवार्य है जिसका नेतृत्व एक अभियोजन निदेशक करेगा।
IV. जाँच निदेशक और अभियोजन निदेशक दोनों की नियुक्ति लोकपाल की सिफारिश के बिना सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोकपाल के निर्देशन में जाँचे गए मामलों के लिए प्राथमिक अभियोजन शाखा के रूप में कार्य करने हेतु अनिवार्य है?
(1) प्रवर्तन निदेशालय
(2) लोकपाल द्वारा गठित अभियोजन शाखा
(3) विधि और न्याय मंत्रालय
(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. लोकपाल अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में उनकी भूमिकाओं के साथ एजेंसियों या निकायों को सुमेलित कीजिए।
सूची I: एजेंसियां या निकाय
A. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
B. केंद्रीय सतर्कता आयोग
C. विशेष न्यायालय
D. जाँच शाखा
सूची II: भूमिकाएं
i. लोकपाल जाँच से उत्पन्न मामलों की सुनवाई और निर्णय करता है
ii. लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जाँच करता है
iii. लोकपाल के लिए प्रारंभिक जाँच करता है
iv. समूह C और D अधिकारियों के संबंध में लोकपाल से

Downloaded from www.pdf.tube

रहा है अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का वैधानिक कार्यकाल क्या है?
(1) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(2) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(3) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(4) 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. संसद सदस्यों पर लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए लोकपाल का सांसदों पर क्षेत्राधिकार है।
II. लोकपाल संसद में किसी सांसद द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत की जाँच कर सकता है।
III. लोकपाल संसदीय समिति में किसी सांसद द्वारा दिए गए मत से संबंधित आरोपों की जाँच नहीं कर सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) I और II
(2) केवल II
(3) I और III
(4) II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. लोकपाल की नियुक्ति में सहायता के लिए गठित खोज समिति के लिए निर्धारित न्यूनतम संरचनात्मक आवश्यकता क्या है?
(1) समिति के कम से कम 50% सदस्य लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुनी गई महिलाएं होनी चाहिए।
(2) समिति के कम से कम 33% सदस्य प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए जिन्होंने देश की उच्च न्यायपालिका में लंबी अवधि तक सेवा की हो।
(3) समिति के कम से कम 50% सदस्य सेवानिवृत्त लोक सेवक होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार के सचिव का पद संभाला हो।
(4) इसके कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिन्हें कथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

NODIA

कथन (A): लोकपाल का उन सोसायटियों और ट्रस्टों पर क्षेत्राधिकार है जो एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं।
कारण (R): विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम अनिवार्य करता है कि विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः ही सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाए।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. लोकपाल की जाँच शक्तियों और सीमाओं के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(1) प्रधानमंत्री - जाँच को लोकपाल पीठ के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(2) समूह A अधिकारी - लोकपाल को जाँच शुरू करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(3) संसद सदस्य - लोकपाल उनके संसदीय मत से जुड़े भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकता है।
(4) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का बोर्ड - लोकपाल का उन पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. लोकपाल ढांचे के तहत अपराधों या कार्रवाइयों को लोकपाल अधिनियम के अनुसार उनके संबंधित अधिकतम दंड के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: अपराध या कार्रवाइयां
A. झूठी और तुच्छ शिकायत
B. भ्रष्टाचार का दोषी लोक सेवक
C. संपत्ति घोषित करने में विफलता
D. लोकपाल की जाँच शाखा से संबंधित अपराध
सूची II: अधिकतम दंड
i. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई
ii. 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
iii. 7 वर्ष तक का कारावास
iv. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. एक कार्यकर्ता एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध लोकपाल में शिकायत दर्ज करता है, जिसे बाद में लोकपाल द्वारा पूर्णतः झूठा, तुच्छ और परेशान करने वाला पाया जाता है। लोकपाल

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को उनके संबंधित विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: प्रावधान
A. लोकपाल की संरचना
B. अभियोजन शाखा
C. क्षेत्राधिकार
D. विशेष न्यायालय
सूची II: विवरण
i. अभियोजन निदेशक के नेतृत्व में
ii. इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और समूह A, B, C, D के अधिकारी शामिल हैं
iii. अधिकतम एक अध्यक्ष और आठ सदस्य
iv. लोकपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से व्यक्तियों की कौन सी श्रेणी विषम है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा गया है?
(1) सशस्त्र बलों के कर्मी
(2) वर्तमान संसद सदस्य
(3) संघ के पूर्व मंत्री
(4) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सोसायटियों के निदेशक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. लोकपाल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं।
II. कुल सदस्यों में से ठीक आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिए।
III. कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
IV. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य होने के लिए तभी पात्र है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
V. अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II, III और V
(2) I, III, IV और V
(3) II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. लोकपाल की चयन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: चयन समिति की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन II: समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति में एक प्रतिष्ठित न्यायविद को नामित किया जाता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में शामिल चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) चयन समिति एक खोज समिति बनाती है → खोज समिति नामों का एक पैनल बनाती है → चयन समिति राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करती है → राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
(2) राष्ट्रपति एक खोज समिति बनाते हैं → खोज समिति नामों का एक पैनल बनाती है → चयन समिति नामों की सिफारिश करती है → राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
(3) संसद एक प्रस्ताव पारित करती है → खोज समिति एक पैनल बनाती है → प्रधानमंत्री नामों की सिफारिश करते हैं → राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
(4) राष्ट्रपति सीधे उम्मीदवारों को नामित करते हैं → चयन समिति मंजूरी देती है → संसद पुष्टि करती है → राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. निम्नलिखित सभी पदाधिकारी लोकपाल की चयन समिति के सदस्य हैं, सिवाय:
(1) प्रधानमंत्री
(2) लोकसभा अध्यक्ष
(3) राज्यसभा में विपक्ष के नेता
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत, लोकपाल में नियुक्ति के उद्देश्य से "न्यायिक सदस्य" को कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) एक व्यक्ति जिसने कम से कम दस वर्षों तक किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो।
(2) एक व्यक्ति जिसने अपने करियर के कम से कम पंद्रह वर्षों तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया हो।
(3) एक व्यक्ति जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्यरत है और केंद्र सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है।
(4) एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या

Click Here to Buy book on Amazon

संदर्भ प्राप्त करता है
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल की जाँच शक्ति पर वैधानिक सीमा के रूप में कार्य करता है?
(1) इसके पास चल रही जाँच के दौरान किसी लोक सेवक के अनिवार्य स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है।
(2) इसे कानूनी रूप से अपनी प्रारंभिक जाँच की मौलिक शक्तियों को किसी अन्य बाहरी एजेंसी या सरकारी निकाय को सौंपने से प्रतिबंधित किया गया है।
(3) यह कथित अपराध किए जाने की तिथि से सात वर्ष बीत जाने के बाद की गई शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता है।
(4) यह किसी भी ऐसे व्यक्ति की जाँच करने से प्रतिबंधित है जो पहले सांसद रह चुका है लेकिन अब पद पर नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. भारत में लोकपाल संस्था के विरुद्ध अक्सर उठाई जाने वाली निम्नलिखित आलोचनाओं पर विचार कीजिए:
I. इसमें संवैधानिक आधार की कमी है।
II. इसके पास जाँच शुरू करने के लिए स्वतः संज्ञान की शक्तियाँ नहीं हैं।
III. यह झूठी और तुच्छ शिकायतों के लिए भारी दंड का प्रावधान करता है, जो वास्तविक सूचना प्रदाताओं को हतोत्साहित करता है।
IV. चयन प्रक्रिया में राजनीतिक सत्ताओं का प्रभुत्व है।
V. इसमें पर्याप्त स्वतंत्र जाँच तंत्र की कमी है, और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भर है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, III और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. लोकपाल की जाँच स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: लोकपाल बिना किसी औपचारिक शिकायत के समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार के कृत्य की जाँच शुरू कर सकता है।
कथन II: लोकपाल पूर्णतः निर्धारित प्रपत्र और रीति से की गई शिकायतों पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें स्वतः संज्ञान शक्तियों का अभाव है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. जब लोकपाल किसी लोक सेवक (प्रधानमंत्री या सांसदों के अतिरिक्त) के विरुद्ध शिकायत का निपटारा करता है, तो निम्नलिखित चरणों को सही प्रक्रियात्मक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
A. लोकपाल पीठ प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट पर विचार करती है।
B. लोकपाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अन्वेषण का आदेश देता है।
C. लोकपाल एक शिकायत प्राप्त करता है और प्रारंभिक जाँच का आदेश देता है।
D. लोकपाल पीठ अभियोजन शाखा को विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश देती है।
सही क्रम चुनें:
(1) C, B, A, D
(2) C, A, B, D
(3) B, C, A, D
(4) A, C, B, D
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों से संबंधित शिकायतें लोकपाल द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकतीं, यदि वे कथित अपराध की तिथि से कितने वर्षों की परिसीमा अवधि के बाद दायर की गई हों?
(1) 3 वर्ष
(2) 5 वर्ष
(3) 7 वर्ष
(4) 10 वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. लोकपाल को अक्सर जाँच में तीव्रता लाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिचालन विलंब का एक संस्थागत कारण है?
(1) लोकपाल के पास समर्पित जाँच बल का अभाव है और वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर निर्भर है, जो स्वयं कर्मियों की कमी का सामना कर रहा है।
(2) लोकपाल को उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की जाँच के साथ-साथ हजारों छोटी प्रशासनिक शिकायतों को संभालने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
(3) लोकपाल को किसी भी प्रारंभिक अन्वेषण या जाँच शुरू करने से पहले औपचारिक संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
(4) औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले आरोपी अधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए लोकपाल संवैधानिक रूप से बाध्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

41. भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी?
(1) कोठारी समिति
(2) गोरवाला समिति
(3) संथानम समिति
(4) प्रशासनिक सुधार आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी स्थापना प्रारंभ में भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी।
II. इसे 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
III. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में निर्देश दिया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. भारत की संसद ने किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया, जिससे आधिकारिक तौर पर आयोग को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ?
(1) 1998
(2) 2001
(3) 2003
(4) 2013
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिन्हें कथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
कथन (A): केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अन्वेषण एजेंसी नहीं है।
कारण (R): केंद्रीय सतर्कता आयोग जाँच या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से या सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से करवाता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की विधिक प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) संवैधानिक निकाय
(2) कार्यकारी निकाय
(3) वैधानिक निकाय
(4) अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. निम्नलिखित समितियों/मामलों को भारत में सतर्कता संरचना में उनके प्रमुख योगदान के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: समितियां या मामले
A. संथानम समिति
B. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
C. विनीत नारायण मामला
D. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
सूची II: योगदान
i. लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की
ii. केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए वैधानिक दर्जा सुनिश्चित किया
iii. केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की
iv. भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र के उन्नयन और शासन में नैतिकता पर बल दिया
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. केंद्रीय सतर्कता आयोग की उत्पत्ति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(1) इसका गठन सतर्कता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने के लिए एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था।
(2) भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 1964 में भारत के संविधान में औपचारिक संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी।
(3) इसे निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार को विनियमित करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया गया था।
(4) इसे मूल रूप से उच्च पदस्थ राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए बनाया गया था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऐतिहासिक पड़ावों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(1) आयोग की स्थापना - 1964
(2) विनीत नारायण निर्णय जिसमें आयोग का पुनर्गठन अनिवार्य किया गया - 2011
(3) वैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश की घोषणा - 1998
(4) संसद द्वारा अधिनियम का अधिनियमन - 2003
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

49. केंद्रीय सतर्कता आयोग को शीर्ष सतर्कता संस्थान माना गया था, जो किसी भी कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त हो। हालांकि, इसका क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस पर नहीं है?
(1) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य।
(2) राज्य विधानसभाओं के सदस्य।
(3) केंद्र सरकार के समूह 'A' अधिकारी।
(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्केल V और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. केंद्रीय सतर्कता आयोग के कामकाज के संदर्भ में, शिकायत में "सतर्कता कोण" शामिल माना जाता है यदि वह संबंधित हो:
(1) अवैध परितोषण की मांग करने या स्वीकार करने के मामलों से।
(2) बिना किसी भ्रष्ट मंशा के सामान्य प्रशासनिक चूक से।
(3) नियमित आधिकारिक कर्तव्यों के निम्न-स्तरीय प्रदर्शन से।
(4) अंतर-विभागीय पदोन्नति पर विवादों से।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम कितने सतर्कता आयुक्त होते हैं?
(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं।
II. गृह मंत्री एक सदस्य होते हैं।
III. लोकसभा में विपक्ष के नेता एक सदस्य होते हैं।
IV. भारत के मुख्य न्यायाधीश समिति के सदस्य होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) केवल I और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों के लिए निर्धारित कार्यकाल क्या है?
(1) 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(2) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(3) 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(4) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है?
(1) संसद एक प्रस्ताव पारित करती है → राष्ट्रपति आयुक्त को हटाते हैं।
(2) राष्ट्रपति मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजते हैं → सर्वोच्च न्यायालय जाँच करता है और सलाह देता है → राष्ट्रपति आयुक्त को हटाते हैं।
(3) प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं → कैबिनेट मंजूरी देती है → राष्ट्रपति आयुक्त को हटाते हैं।
(4) चयन समिति सिफारिश करती है → संसद पुष्टि करती है → राष्ट्रपति आयुक्त को हटाते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति की पात्रता के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(1) व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मौजूदा न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी होनी चाहिए।
(2) व्यक्ति ने लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम एक पूर्ण कार्यकाल के लिए संसद सदस्य के रूप में सेवा दी होनी चाहिए।
(3) व्यक्ति को विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा से चुना जाना चाहिए जिसके पास आपराधिक अन्वेषण और सुरक्षा का अनुभव हो।
(4) व्यक्ति को एक लोक सेवक या प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसे सतर्कता, नीति-निर्धारण और प्रशासन का अनुभव हो।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं।
II. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र है।
III. पद छोड़ने पर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन आगे के नियोजन के लिए अपात्र हो जाता है।
IV. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच लंबित रहने के दौरान राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पद से निलंबित कर सकते हैं।
V. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रधानमंत्री को संबोधित त्यागपत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, III और IV

NODIA

(2) I, II, III और V
(3) II, III और IV
(4) I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. सतर्कता आयुक्त के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: पद रिक्त करने पर सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है।
कथन II: यदि किसी सतर्कता आयुक्त को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो आयोग में उनका संयुक्त कार्यकाल चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. केंद्रीय सतर्कता आयोग की निम्नलिखित कार्यात्मक शाखाओं को उनकी प्राथमिक उत्तरदायित्वों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: कार्यात्मक शाखाएं
A. सचिवालय
B. मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा
C. विभागीय जाँच आयुक्त
D. मुख्य सतर्कता अधिकारी
सूची II: उत्तरदायित्व
i. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करना
ii. लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में मौखिक जाँच करना
iii. सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का तकनीकी ऑडिट करना
iv. आयोग को प्रशासनिक और कर्मचारी सहायता प्रदान करना
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्तों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन किसके समान हैं?
(1) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(2) कैबिनेट सचिव
(3) भारत सरकार के सचिव
(4) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने के लिए स्पष्ट रूप से अपात्र है?
(1) एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
(2) एक व्यक्ति जो वर्तमान में लाभ का पद धारण करता है
(3) एक व्यक्ति जो वित्त में विशेषज्ञता वाला बैंक कार्यकारी रहा है
(4) एक पूर्व पुलिस महानिदेशक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के किस रैंक के अधिकारी आते हैं?
(1) ग्रेड C और ऊपर
(2) ग्रेड D और ऊपर
(3) ग्रेड E और ऊपर
(4) भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कर्मचारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. केंद्रीय सतर्कता आयोग की परामर्शदात्री भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केंद्र सरकार को उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य की योजना बनाने और निष्पादित करने में सलाह देता है।
II. सभी मंत्रालयों और विभागों को सतर्कता मामले में किसी अधिकारी पर कोई दंड लगाने से पहले आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
III. आयोग की सलाह अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर पूरी तरह से बाध्यकारी है, जिससे असहमति की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विषम है, क्योंकि यह सामान्यतः केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में नहीं आती है?
(1) राज्य सरकार के सचिवालय
(2) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
(3) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(4) केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिन्हें कथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
कथन (A): अनुशासनात्मक मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह परामर्शदात्री प्रकृति की होती है और सरकारी विभागों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती।
कारण (R): लोक सेवक पर दंड लगाने की अंतिम शक्ति संबंधित विभाग के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास होती

Click Here to Buy book on Amazon

है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों और शक्तियों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) आयोग दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के कामकाज पर अधीक्षण का प्रयोग करता है जहाँ तक यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच से संबंधित है।
(2) आयोग के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दरकिनार कर भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे गिरफ्तार करने और उन पर अभियोग चलाने की शक्ति है।
(3) आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए कथित अपराधों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच की प्रगति की समीक्षा करता है।
(4) आयोग सतर्कता मामलों पर केंद्र सरकार और उसके प्राधिकारियों को सलाह देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. संगठनों की श्रेणियों को आयोग के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले कर्मचारियों के स्तर के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: संगठनों की श्रेणियां
A. केंद्र सरकार
B. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
C. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां
D. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सूची II: कवर किए गए कर्मचारियों का स्तर
i. स्केल V और ऊपर
ii. समूह 'A' अधिकारी
iii. अनुसूची 'A' और 'B' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के कार्यकारी सदस्य
iv. प्रबंधक और ऊपर
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. निम्नलिखित में से कौन "सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण" के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) यह सभी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के दैनिक प्रशासनिक मामलों और भर्ती प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।
(2) यह सिविल सेवा के नियमों का पालन करते हुए केंद्रीय सचिवालय में सभी समूह A और समूह B अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
(3) यह सभी विभागों में समान सतर्कता प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करता है।
(4) यह पूरे देश में सेवारत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और अनुशासनात्मक नियंत्रण को संभालता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण प्रस्ताव के तहत, केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्हिसलब्लोअर्स से शिकायतें प्राप्त करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यदि व्हिसलब्लोअर की पहचान उजागर हो जाती है, तो आयोग प्राथमिक उपचारात्मक कार्रवाई क्या कर सकता है?
(1) यह एकतरफा किसी भी सरकारी अधिकारी की सेवा समाप्त कर सकता है जिसने जानबूझकर पहचान प्रकट की हो।
(2) यह व्हिसलब्लोअर की शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे विदेशी दूतावास में स्थानांतरित करने की सुविधा दे सकता है।
(3) यह व्हिसलब्लोअर और उनके परिवार के सदस्यों को सीधे अपने आंतरिक बल से सशस्त्र पुलिस सुरक्षा प्रदान करता है।
(4) यह अधिकारियों को व्हिसलब्लोअर की रक्षा करने का निर्देश दे सकता है और पहचान प्रकट करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने प्रदर्शन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
(1) प्रधानमंत्री
(2) संसद
(3) भारत के राष्ट्रपति
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. मामलों की समीक्षा करने की केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सशक्त है।
कथन II: आयोग सक्षम प्राधिकारी को अपनी समीक्षा के 15 दिनों के भीतर अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए विवश कर सकता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।

Downloaded from www.pdf.tube

ii. अपीलों के बैकलॉग और आदेशों के गैर-अनुपालन के मामलों से दबे हुए।
iii. औपचारिक शिकायत के बिना जाँच शुरु करने के लिए स्वतः संज्ञान शक्तियों का अभाव है।
iv. प्रकृति में परामर्शदात्री; विभाग अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर इसकी सिफारिशों की अनदेखी करते हैं।

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. जवाबदेही संस्थान और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग - गृह मंत्रालय।
(2) लोकपाल - विधि और न्याय मंत्रालय।
(3) केंद्रीय सूचना आयोग - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
(4) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - रक्षा मंत्रालय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. सुदृढ़ विधायी ढांचे के बावजूद, सतर्कता संस्थान अक्सर अपनी सिफारिशों के खराब प्रवर्तन से ग्रस्त रहते हैं। इसका प्राथमिक संस्थागत कारण क्या है?
(1) सतर्कता निकायों को व्यापक दंडात्मक शक्तियाँ दी गई हैं जो उन्हें न्यायिक निरीक्षण की पारंपरिक प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति देती हैं।
(2) अधिकांश सतर्कता निकायों में अनुपालन लागू करने के लिए प्रत्यक्ष दंडात्मक तंत्र का अभाव है, और वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर हैं।
(3) संविधान स्पष्ट रूप से इन सतर्कता निकायों को सेवारत लोक सेवकों को निर्देश देने से रोकता है।
(4) सतर्कता निकाय कानूनी रूप से लोक सेवकों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित हैं और केवल निजी नागरिकों की जाँच कर सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

(4) केवल I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार के मामलों के लिए) पर अधीक्षण की शक्ति सरकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग को हस्तांतरित कर दी। इस न्यायिक हस्तक्षेप का प्राथमिक कारण क्या था?
(1) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गैर-भ्रष्टाचार मामलों से अत्यधिक बोझिल था।
(2) आयोग ने ब्यूरो के बजट का प्रबंधन करने के लिए अधिक शक्तियों का अनुरोध किया था।
(3) ब्यूरो की भ्रष्टाचार जाँच को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए।
(4) संसद ने सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा करने का अनुरोध करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. संस्थानों को उस विशिष्ट कानून या संकल्प के साथ सुमेलित कीजिए जो उनकी वर्तमान संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है।
सूची I: संस्थान
A. केंद्रीय सूचना आयोग
B. केंद्रीय सतर्कता आयोग
C. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
D. लोकपाल
सूची II: कानून या संकल्प
i. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
ii. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
iii. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
iv. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. जब लोकपाल समूह 'C' या समूह 'D' के अधिकारी से संबंधित शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजता है, तो आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया क्या है?
(1) आयोग मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।
(2) आयोग मामले की जाँच के लिए सीधे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नियुक्त करता है।
(3) आयोग शिकायत को निरस्त कर देता है क्योंकि वह केवल समूह 'A' अधिकारियों के मामलों को संभालता है।
(4) आयोग मामले को संबंधित राज्य लोकायुक्त को स्थानांतरित कर देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. भारत में भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के बीच संरचनात्मक संबंधों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) लोकपाल प्रारंभिक जाँच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को मामले भेज सकता है।
(2) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी भी सांसद की जाँच करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
(3) आयोग लोकपाल द्वारा आदेशित अपनी प्रारंभिक जाँच की रिपोर्ट वापस लोकपाल को भेजता है।
(4) लोकपाल के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन मामलों के लिए अधीक्षण की शक्तियां हैं जो वह एजेंसी को भेजता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किस ऐतिहासिक कानून के प्रावधानों के तहत की गई थी?
(1) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(3) व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014
(4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है।
II. इसमें दस से अधिक नहीं होने चाहिए ऐसे सूचना आयुक्त होते हैं।
III. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, केंद्रीय सूचना आयोग में अनुमत सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी है?
(1) पाँच
(2) सात
(3) दस
(4) पंद्रह
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिन्हें कथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
कथन (A): केंद्रीय सूचना आयोग किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन हुए बिना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य

Click Here to Buy book on Amazon

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच संबंधों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन आयोग के अधिकार का सबसे उपयुक्त विवरण है?
(1) आयोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, इसके वार्षिक बजट आवंटन और कर्मियों की पदस्थापन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।
(2) आयोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हत्या, चोरी और अपहरण जैसे पारंपरिक अपराधों की जाँच करने के बारे में सीधे निर्देश प्रदान करता है।
(3) आयोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर कोई औपचारिक अधिकार या निगरानी नहीं रखता है, क्योंकि दोनों निकाय पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
(4) आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़ी जाँच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण का प्रयोग करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच समन्वय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जाँच पर अपने अधीक्षण के निर्वहन के उद्देश्य से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश देता है।
II. आयोग को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसे निर्देश देने से प्रतिबंधित किया गया है जिसमें उसे किसी विशेष मामले की विशेष रीति से जाँच करने या निपटाने की आवश्यकता हो।
III. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भूमिका होती है।
IV. आयोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो निदेशक का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. लोकपाल अधिनियम द्वारा संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
(1) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
(2) गृह मंत्री
(3) प्रधानमंत्री
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग के समवर्ती क्षेत्राधिकार के भीतर जब किसी समूह A अधिकारी के संबंध में शिकायत का निपटारा किया जाता है, तो घटनाओं के विशिष्ट क्रम को व्यवस्थित कीजिए:
A. लोकपाल प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद शिकायत को केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजता है।
B. आयोग विभागीय मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से प्रारंभिक जाँच करता है।
C. एक नागरिक लोकपाल के पास भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करता है।
D. आयोग अपनी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट वापस लोकपाल को सौंपता है।
सही क्रम चुनें:
(1) C, A, B, D
(2) C, B, A, D
(3) A, C, B, D
(4) C, A, D, B
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को उस प्राथमिक कानून के साथ सुमेलित करने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए जो इसकी जाँच शक्तियों को नियंत्रित करता है।
(1) लोकपाल - भारतीय दंड संहिता
(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग - सूचना का अधिकार अधिनियम
(3) मुख्य सतर्कता अधिकारी - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम
(4) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिव्यापी क्षेत्राधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. दोनों संस्थानों का केंद्र सरकार के समूह A और समूह B अधिकारियों पर क्षेत्राधिकार है।
II. लोकपाल अधिनियम अनिवार्य करता है कि लोकपाल को समूह C और D अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतें केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जानी चाहिए।
III. आयोग लोकपाल के लिए लोक सेवकों के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच करने वाली प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
IV. लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए संदर्भ के संबंध में शिकायतों के मामले में आयोग पर अधीक्षण की शक्ति है।
V. आयोग के पास लोक सेवक के संबंध में लोकपाल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को पलटने का अधिकार है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) I, III, IV और V
(3) II, III, IV और V

NODIA

92. शिकायत की जाँच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग में निहित निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. व्यक्तियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें शपथ पर साक्ष्य देने के लिए विवश करना।
II. दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
III. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
IV. जन सूचना अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना जो सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. केंद्रीय सूचना आयोग की शास्ति शक्तियों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) आयोग 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है जब तक कि सूचना प्रदान नहीं की जाती।
(2) एक ही अपराध के लिए किसी भी जन सूचना अधिकारी पर लगाए जाने वाले मौद्रिक जुर्माने की कुल राशि अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित है।
(3) आयोग के पास अवमानना के लिए जन सूचना अधिकारी को एक माह तक के कारावास की सजा सुनाने की शक्ति है।
(4) आयोग जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध उनके सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने के अतिरिक्त, वह कौन सा सक्रिय कार्य है जिसे केंद्रीय सूचना आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करने हेतु अनिवार्य है?
(1) यह संसद के लिए गोपनीयता पर कानून का मसौदा तैयार करता है।
(2) यह निजी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड का भौतिक ऑडिट करता है।
(3) यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
(4) यह लोक प्राधिकारियों को सूचना की कुछ श्रेणियों को स्वतः संज्ञान से प्रकाशित करने का निर्देश देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. एक नागरिक सीमा पर सैनिकों की तैनाती के परिचालन विवरण मांगते हुए एक आवेदन दायर करता है। जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देता है। दूसरी अपील पर, आयोग इस निर्णय को बरकरार रखता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत इस जानकारी को छूट मिलने की सर्वाधिक संभावना है?
(1) धारा 8(1)(a) - भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना।
(2) धारा 8(1)(j) - व्यक्तिगत जानकारी जिससे निजता का अनुचित हनन होता हो।
(3) धारा 8(1)(d) - वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित जानकारी।
(4) धारा 8(1)(e) - किसी व्यक्ति को उसके वैश्वासिक संबंध में उपलब्ध जानकारी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. भारत में सतर्कता और जवाबदेही संस्थानों (लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग) के सम्मुख आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों पर विचार कीजिए:
I. अन्वेषण के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी बाहरी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता।
II. मामलों और अपीलों की भारी लंबितता जिसके कारण न्याय में विलंब होता है।
III. पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव।
IV. प्रवर्तन शक्तियों में अस्पष्टता जिसके कारण प्राधिकारियों द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता।
V. पूर्ण संवैधानिक संरक्षण जो उनके अपने सदस्यों की किसी भी जाँच को रोकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) II, III, IV और V
(3) I, II, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. अपीलों की उच्च लंबितता सूचना आयोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम विकल्प है क्योंकि यह सामान्यतः इस लंबितता का वैध कारण नहीं है?
(1) सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब।
(2) वैधानिक आवश्यकता कि सभी अपीलों की सुनवाई पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
(3) कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए तुच्छ और बार-बार के आवेदन।
(4) आयोगों के भीतर अपर्याप्त कर्मचारी और खराब आधारभूत संरचना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. सतर्कता संस्थान को उसके सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौती या सीमा के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: सतर्कता संस्थान
A. लोकपाल
B. केंद्रीय सतर्कता आयोग
C. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
D. केंद्रीय सूचना आयोग
सूची II: संरचनात्मक चुनौतियां या सीमाएं
i. राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अक्सर इसे 'पिंजरे में बंद तोता' कहा जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

9. (3) ओडिशा
ओडिशा वह पहला भारतीय राज्य था जिसने 1970 में ही लोकायुक्त अधिनियम पारित कर दिया था। हालांकि, इस संस्था को वास्तव में स्थापित करने और संचालित करने के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी रहा, जिसने 1971 में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान अब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रित करती है।

10. (1) केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास मंत्रियों और सांसदों की जाँच करने का अधिकार नहीं था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इसके पास मंत्रियों और सांसदों जैसे उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की जाँच का अधिकार नहीं था। इसका कार्यक्षेत्र मुख्य रुप से केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों तक ही सीमित रहा। उच्च स्तर पर होने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता थी, जिसे लोकपाल द्वारा पूर्ण किया गया। यह व्यवस्था उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

11. (2) 1 जनवरी 2014
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की कानूनी लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं का वैधानिक ढांचा तैयार किया गया। यह कानून 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ, जिससे लोक सेवकों की उत्तरदायित्व और जवाबदेही में वृद्धि हुई।

12. (1) I, II और III
लोकपाल अधिनियम केंद्र में लोकपाल और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की अनिवार्य स्थापना का प्रावधान करता है। राज्यों के लिए कानून लागू होने के एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त गठित करना आवश्यक है। यह कानून भ्रष्ट माध्यमों से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है, भले ही मुकदमा अभी विचाराधीन हो। यह सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होता है, परंतु विदेशी अंशदान के विशिष्ट नियमों के अधीन है। कथन IV में दी गई पूर्ण मुक्ति असत्य है।

13. (3) लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के मामले शामिल नहीं हैं।
लोकपाल के क्षेत्राधिकार में भारत के प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपवाद दिए गए हैं। लोकपाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाँच आरंभ करने के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ के बहुमत और गोपनीय सुनवाई अनिवार्य है। यह संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही के मध्य बनाया गया है।

14. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान है। इसकी जाँच और अभियोजन के लिए समर्पित शाखाएं होती हैं, जिनमें अभियोजन शाखा का नेतृत्व एक निदेशक करता है। इसका क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री से लेकर समूह A, B, C और D के अधिकारियों तक विस्तृत है। लोकपाल द्वारा भेजे गए भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटान हेतु केंद्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रबंध करती है। यह संरचना भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी प्रहार सुनिश्चित करती है।

15. (1) सशस्त्र बलों के कर्मी
लोकपाल का दायरा अत्यंत विस्तृत है जिसमें वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद तथा केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी शामिल हैं। यह उन सभी संस्थाओं के निदेशकों और अधिकारियों पर भी लागू होता है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य नियमों की संवेदनशीलता को देखते हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अन्य सभी श्रेणियां इसके प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण के अधीन आती हैं।

16. (1) I, II, III और V
लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कुल सदस्यों में से 50% न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम से कम आधे सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणियों से होने चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। कथन IV गलत है क्योंकि केवल मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है।

17. (4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
लोकपाल की चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, न कि राष्ट्रपति। इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य होते हैं। समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा एक प्रतिष्ठित न्यायविद को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। अतः पहला कथन असत्य और दूसरा सत्य है। यह प्रक्रिया नियुक्ति में निष्पक्षता और विविधता सुनिश्चित करती है।

18. (1) चयन समिति एक खोज समिति बनाती है → खोज समिति नामों का एक पैनल बनाती है → चयन समिति राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करती है → राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
लोकपाल की नियुक्ति एक व्यवस्थित बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। सर्वप्रथम, चयन समिति एक खोज समिति का गठन करती है जो योग्य उम्मीदवारों के नामों का एक

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) स्वीडन
स्वीडन में 1809 में विश्व की प्रथम ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और भ्रष्टाचार से विधिक सुरक्षा प्रदान करना था। भारत की लोकपाल प्रणाली इसी अंतरराष्ट्रीय अवधारणा से प्रभावित है। स्वीडन में यह व्यवस्था विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे बाद में न्यूज़ीलैंड और डेनमार्क जैसे देशों ने भी अपनाया। यह विश्व का सबसे प्राचीन भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र निकाय है।

2. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
भारत में भ्रष्टाचार निवारण हेतु विभिन्न निकायों की स्थापना अलग-अलग कालखंड में हुई। संथानम समिति का गठन 1962 में भ्रष्टाचार रोकने के उपायों हेतु किया गया था। इसी की अनुशंसा पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में स्थापित किया गया था, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग बना। ये सभी संस्थाएं भारतीय जवाबदेही तंत्र के सुदृढ़ आधार स्तंभ हैं।

3. (3) एक सशक्त जन लोकपाल विधेयक को तत्काल लागू करने के लिए अभियान चलाना।
वर्ष 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक जन आक्रोश का प्रतीक था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य केंद्र सरकार पर एक प्रभावी और स्वतंत्र लोकपाल कानून बनाने हेतु दबाव डालना था। आंदोलनकारियों ने जन लोकपाल विधेयक के माध्यम से राजनेताओं और लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की थी। इसके परिणामस्वरूप जनमानस में भारी चेतना आई और अंततः वर्ष 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित हुआ।

4. (1) केवल I और II
'लोकपाल' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में प्रसिद्ध न्यायविद डॉ. एल.एम. सिंघवी ने किया था। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र निकायों की स्थापना का सुझाव दिया था। हालांकि लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, परंतु उस समय यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका था। लंबे प्रयासों के बाद यह 2013 में कानून बना।

5. (3) लोकपाल के पास राजनेताओं पर अभियोग चलाने की वैधानिक शक्ति है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के लोक सेवकों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को परामर्श देने का कार्य करता है।
लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों का उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना है, परंतु उनकी शक्तियों में भिन्नता है। लोकपाल को राजनेताओं और उच्चाधिकारियों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से अभियोग चलाने की शक्ति प्राप्त है। इसके विपरीत, केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के लोक सेवकों के विरुद्ध सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों में परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। लोकपाल एक व्यापक क्षेत्राधिकार वाला भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जिसकी पहुँच अत्यंत विस्तृत है।

6. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उपस्थिति के बावजूद लोकपाल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि ब्यूरो पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रभाव था। लोकपाल को एक पूर्णतः स्वतंत्र संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया जो निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित कर सके। अन्वेषण ब्यूरो के पास स्वतंत्र क्षेत्राधिकार और कार्यात्मक स्वायत्तता की कमी को दूर करने के लिए लोकपाल संस्था का समर्थन किया गया। यह लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करता है।

7. (4) संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग (2002) ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी।
महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था। भारत में लोकपाल विधेयक को 2013 में लागू होने से पहले कई बार संसद में प्रस्तुत किया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल संस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करने का सुझाव दिया था। संविधान समीक्षा आयोग (2002) द्वारा लोकपाल के संवैधानिक दर्जे की सिफारिश के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि यही विकल्प असत्य है।

8. (1) D, B, A, C
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। संथानम समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके पश्चात 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। इसके काफी समय बाद 2005 में नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अंततः 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। यह कालक्रम भारत में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में व्यवस्थित प्रगति और कानूनी सुधारों को दर्शाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

करता है।
कारण (R): सूचना का अधिकार अधिनियम अनिवार्य करता है कि आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(1) इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार की न्यायिक शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
(2) इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं जो संसद के निचले सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(3) इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
(4) इसमें प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और एक सदस्य के रूप में कार्य करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की निम्नलिखित धाराओं को उनके विषयों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: धाराएं
A. धारा 12
B. धारा 18
C. धारा 19
D. धारा 20
सूची II: विषय वस्तु
i. सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य (शिकायतें)
ii. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
iii. शास्तियां अधिरोपित करना
iv. अपील प्रक्रिया
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च स्तरीय निकाय है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। आयोग की सटीक विधिक स्थिति क्या है?
(1) यह एक संवैधानिक निकाय है।
(2) यह गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
(3) यह एक गैर-सरकारी संगठन है।
(4) यह एक वैधानिक निकाय है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक मौजूदा न्यायाधीश।
(2) प्रधानमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे।
(3) लोकसभा में विपक्ष के नेता।
(4) प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाने वाला एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के पश्चात, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल है:
(1) 5 वर्ष के लिए निर्धारित।
(2) 3 वर्ष के लिए निर्धारित।
(3) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक।
(4) 70 वर्ष की आयु तक।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
कथन II: पद से हटाना केवल तभी हो सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर जाँच करने के पश्चात इसकी सिफारिश करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग के पास होती है। वह मानक समय सीमा क्या है जिसके भीतर यह द्वितीय अपील दायर की जानी चाहिए?
(1) उस तिथि से 30 दिन जब निर्णय लिया जाना चाहिए था या प्राप्त हुआ था।
(2) उस तिथि से 45 दिन जब निर्णय लिया जाना चाहिए था या प्राप्त हुआ था।
(3) उस तिथि से 60 दिन जब निर्णय लिया जाना चाहिए था या प्राप्त हुआ था।
(4) उस तिथि से 90 दिन जब निर्णय लिया जाना चाहिए था या प्राप्त हुआ था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

पैनल तैयार करती है। इसके पश्चात, चयन समिति इस पैनल से उपयुक्त नामों की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को करती है। अंत में, राष्ट्रपति इन सिफारिशों के आधार पर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक नियुक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक तटस्थता और योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करती है।

19. (3) राज्यसभा में विपक्ष के नेता
लोकपाल अधिनियम के अनुसार, चयन समिति में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी इसका हिस्सा होता है। यह संरचना सत्ता और विपक्ष का संतुलित स्वरूप है।

20. (4) एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु स्पष्ट विधिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस पद के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में कार्यरत हो। इसके अतिरिक्त, किसी उच्च न्यायालय का पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी न्यायिक सदस्य बन सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि लोकपाल के न्यायिक कार्यों का संपादन अनुभवी और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किया जाए, जिससे संस्था की गरिमा अक्षुण्ण रहे।

21. (3) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। वे अपने पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि, यदि वे इस अवधि के दौरान 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह कार्यकाल संरचना उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने और संस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। यह उनके स्वतंत्र निर्णय की रक्षा करता है।

22. (2) केवल II
सांसदों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की शक्ति लोकपाल के पास है। हालांकि, संसदीय विशेषाधिकारों का सम्मान करते हुए, लोकपाल को संसद में किसी सांसद द्वारा कही गई बात या दिए गए मत की जाँच करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, संसदीय समिति में किए गए मत या आचरण भी लोकपाल के दायरे से बाहर हैं। अतः केवल कथन II गलत है क्योंकि वह बिना शर्त जाँच की अनुमति का दावा करता है। अन्य कथन विधिक स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं।

23. (4) इसके कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
लोकपाल की चयन प्रक्रिया में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खोज समिति हेतु विशिष्ट नियम बनाए गए हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, खोज समिति के कम से कम 50% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और महिला श्रेणी से होने चाहिए। यह नियम सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है।

24. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
लोकपाल का क्षेत्राधिकार उन सभी सोसायटियों और ट्रस्टों तक विस्तृत है जो केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं या विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत एक निश्चित सीमा से अधिक धन प्राप्त करते हैं। हालांकि, विदेशी धन प्राप्त करने मात्र से कोई संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं बन जाती। अतः कथन सत्य है परंतु कारण का तर्क गलत है क्योंकि यह दोनों कानूनों के बीच सीधा और अनिवार्य विधिक संबंध स्थापित नहीं करता है।

25. (3) संसद सदस्य - लोकपाल उनके संसदीय मत से जुड़े भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकता है।
लोकपाल की शक्तियां और सीमाएं अधिनियम द्वारा स्पष्ट परिभाषित हैं। सांसदों के संदर्भ में, लोकपाल उनके द्वारा सदन के भीतर दिए गए मत या व्यक्त किए गए विचारों से जुड़े भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाँच हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है। समूह A अधिकारियों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं है, बल्कि लोकपाल उन्हें जाँच के निर्देश दे सकता है। यह न्यायिक और संसदीय स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

NODIA

26. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
लोकपाल अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है, तो उसे एक वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भ्रष्टाचार के दोषी लोक सेवकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाता है। संपत्ति घोषित न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जबकि जाँच में बाधा डालने पर कारावास संभव है। यह ढांचा संस्था की वास्तविक प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

27. (4) 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।
लोकपाल प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी शिकायतकर्ता द्वारा दायर आरोप पूर्णतः मिथ्या, निराधार या परेशान करने वाले पाए जाते हैं, तो लोकपाल अधिनियम के तहत उसे अधिकतम एक वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही, दोषी

व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान अनावश्यक और विद्वेषपूर्ण कानूनी कार्यवाहियों को हतोत्साहित करने के लिए अनिवार्य है।

28. (2) लोकपाल के पास औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना जाँच शुरु करने की स्वतः संज्ञान शक्तियाँ हैं।
लोकपाल के पास व्यापक शक्तियां हैं, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों को निर्देश देना और समन जारी करने जैसी दीवानी न्यायालय की शक्तियां सम्मिलित हैं। यह दोषी पाए जाने से पहले भी भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे सकता है। हालांकि, लोकपाल के पास किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जाँच शुरु करने की शक्ति नहीं है। जाँच प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक औपचारिक शिकायत का प्राप्त होना अनिवार्य है। यह विकल्प कथन की विधिक त्रुटि को दर्शाता है।

29. (3) लोकपाल उन मामलों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण का प्रयोग करता है जो लोकपाल द्वारा एजेंसी को भेजे गए हैं।
लोकपाल का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर नियंत्रण केवल उन विशिष्ट मामलों तक सीमित है जो लोकपाल द्वारा जाँच हेतु ब्यूरो को सौंपे जाते हैं। ऐसे मामलों में लोकपाल को ब्यूरो की जाँच प्रक्रिया पर अधीक्षण और निर्देशन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हालांकि, लोकपाल ब्यूरो के प्रशासनिक ढांचे, बजट आवंटन या सामान्य पुलिसिंग कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि लोकपाल द्वारा निर्देशित भ्रष्टाचार की जाँच प्रभावी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके।

30. (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश
लोकपाल के अध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार, लोकपाल के अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। यह उच्च संवैधानिक स्तर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है कि लोकपाल स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य कर सके। यह पद भारत के शीर्ष न्यायिक पदों के समकक्ष और अत्यंत गरिमापूर्ण माना जाता है।

31. (3) 90 दिन, जिसे 90 और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है
लोकपाल अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। जाँच शाखा को किसी भी शिकायत की प्रारंभिक जाँच 90 दिनों के भीतर पूर्ण करनी होती है। यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को अगले 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक जाँच की कुल अधिकतम अवधि छह माह हो सकती है। यह प्रावधान प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने तथा जाँच में अनावश्यक देरी रोकने हेतु है।

32. (1) I, II और III
लोकपाल के पास अपने कार्यों के निष्पादन हेतु एक संगठित संरचना होती है जिसमें जाँच और अभियोजन की पृथक शाखाएं अनिवार्य हैं। जाँच शाखा का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की प्रारंभिक जाँच हेतु उत्तरदायी है। इसी प्रकार, अभियोजन शाखा का नेतृत्व अभियोजन निदेशक करता है। इन निदेशकों की नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष की सिफारिश पर की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र रूप से। अतः कथन IV गलत है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यक्ष की भूमिका है।

33. (2) लोकपाल द्वारा गठित अभियोजन शाखा
लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि लोकपाल अपनी स्वयं की एक अभियोजन शाखा स्थापित करेगा। इस शाखा का मुख्य कार्य लोकपाल द्वारा निर्देशित और जाँचे गए भ्रष्टाचार के मामलों में विशेष न्यायालयों के समक्ष विधिक कार्यवाही संचालित करना है। इस शाखा का प्रमुख अभियोजन निदेशक होता है। यद्यपि वह अन्य एजेंसियों की सहायता ले सकता है, परंतु लोकपाल के नियंत्रण वाली यह विशिष्ट शाखा ही प्राथमिक अभियोजन इकाई के रूप में कार्य करती है जो स्वतंत्र अभियोग सुनिश्चित करती है।

34. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में प्रत्येक निकाय की भूमिका सुस्पष्ट है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लोकपाल द्वारा भेजे गए जटिल मामलों की विस्तृत जाँच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग समूह C और D के कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों का प्रबंधन करता है। लोकपाल की अपनी जाँच शाखा प्रारंभिक जाँच का कार्य पूर्ण करती है। अंत में, विशेष न्यायालयों की स्थापना इन जाँचों से उत्पन्न कानूनी मामलों की तीव्र सुनवाई और उन पर न्यायिक निर्णय देने के लिए की जाती है। यह समन्वय एक कुशल जवाबदेही तंत्र बनाता है।

35. (3) यह कथित अपराध किए जाने की तिथि से सात वर्ष बीत जाने के बाद की गई शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता है।
लोकपाल की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण विधिक परिसीमा अवधि लागू होती है। अधिनियम के अनुसार, लोकपाल किसी भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामले या शिकायत की जाँच नहीं कर सकता है जो कथित अपराध किए जाने की तिथि से सात वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद दायर की गई हो। यह सात वर्ष की सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित है कि अत्यंत पुराने और अप्रासंगिक मामलों के कारण संस्था पर अत्यधिक कार्यभार न बढ़े और आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध रह सकें।

36. (4) I, II, III, IV और V
लोकपाल संस्था कई आलोचनाओं का सामना करती है। मुख्य रूप से, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जिससे इसकी स्थिति केवल एक वैधानिक निकाय की है। इसमें स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति का अभाव है और यह अपनी जाँच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है। चयन प्रक्रिया में सत्तापक्ष के प्रभाव और झूठी शिकायतों के लिए कड़े दंड

Downloaded from www.pdf.tube

के कारण इसे अक्सर 'दंतविहीन' माना जाता है। ये सभी बिंदु लोकपाल की कार्यात्मक सीमाओं को स्पष्ट करते हैं।

37. (4) कथन I गलत है और कथन II सही है।
लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी ओर से स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति का अभाव है, जिसका अर्थ है कि वह केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वयं जाँच प्रारंभ नहीं कर सकता। इसके लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक औपचारिक शिकायत प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अतः कथन I गलत है क्योंकि वह स्वतः संज्ञान की अनुमति बताता है, जबकि कथन II सही है क्योंकि वह शिकायत पर निर्भरता की पुष्टि करता है। यह विधिक मर्यादा को दर्शाता है।

38. (2) C, A, B, D
लोकपाल में शिकायत निपटान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित है। सर्वप्रथम, शिकायत प्राप्त होने पर लोकपाल प्रारंभिक जाँच का आदेश देता है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लोकपाल की पीठ उस पर विचार करती है और यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विस्तृत अन्वेषण हेतु निर्देशित करती है। अंत में, पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर, लोकपाल की अभियोजन शाखा को विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है ताकि विधिक कार्यवाही प्रारंभ हो सके।

39. (3) 7 वर्ष
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतों की स्वीकार्यता के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। लोकपाल भ्रष्टाचार के किसी भी ऐसे मामले को स्वीकार नहीं करेगा जो उस तिथि से सात वर्ष के बाद उठाया गया हो जिस दिन कथित अपराध किया गया था। यह परिसीमा अवधि साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में अनिश्चितता को रोकने के लिए आवश्यक है। सात वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात शिकायतें विधिक रूप से मान्य नहीं होतीं।

40. (1) लोकपाल के पास समर्पित जाँच बल का अभाव है और वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर निर्भर है, जो स्वयं कर्मियों की कमी का सामना कर रहा है।
लोकपाल की कार्यक्षमता में विलंब का एक मुख्य कारण इसकी अपनी स्वतंत्र और समर्पित जाँच एजेंसी का न होना है। लोकपाल को अपनी अधिकांश जाँचों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर आश्रित रहना पड़ता है। चूंकि ब्यूरो पहले से ही भारी कार्यभार और जनशक्ति की कमी से जूझ रहा है, इसलिए लोकपाल के मामलों की जाँच में अक्सर अत्यधिक देरी होती है। यह संस्थागत निर्भरता भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित और स्वतंत्र निपटान में एक बड़ी व्यावहारिक बाधा सिद्ध होती है।

41. (3) संथानम समिति
भारत सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों के आधार पर की थी। इस समिति का गठन भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों का सुझाव देने हेतु किया गया था। समिति ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र सतर्कता निकाय की आवश्यकता पर बल दिया था। संथानम समिति की रिपोर्ट भारतीय प्रशासनिक सुधारों और सतर्कता संरचना के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मानी जाती है।

42. (3) केवल I और III
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना मूल रूप से 1964 में एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उपरांत, सरकार ने इसे स्वायत्तता प्रदान करने हेतु कदम उठाए। इसे 1998 में एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक स्थिति प्रदान की गई, परंतु संसद द्वारा आधिकारिक अधिनियम 2003 में पारित किया गया। अतः कथन II गलत है क्योंकि पूर्ण वैधानिक दर्जा 2003 के अधिनियम से प्राप्त हुआ, न कि 1998 के अल्पकालिक अध्यादेश से।

43. (3) 2003
केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक स्वतंत्र और स्वायत्त वैधानिक निकाय बनाने के उद्देश्य से भारत की संसद ने वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया। यद्यपि आयोग 1964 से कार्यरत था और 1998 में इसे अध्यादेश के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई थीं, परंतु इस अधिनियम ने इसे सुदृढ़ कानूनी आधार प्रदान किया। यह अधिनियम आयोग की संरचना, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उसे कार्यकारी हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है।

44. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जमीनी स्तर पर जाँच नहीं करता है, इसलिए इसे पारंपरिक अर्थों में अन्वेषण एजेंसी नहीं माना जाता। यह आयोग मुख्य रूप से सतर्कता कार्यों की निगरानी और अधीक्षण का कार्य करता है। जाँच के लिए यह या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहायता लेता है या संबंधित सरकारी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को निर्देशित करता है। यह संरचना आयोग की पर्यवेक्षी और नियामक भूमिका को पूर्णतः सुस्पष्ट करती है।

45. (3) वैधानिक निकाय
केंद्रीय सतर्कता आयोग वर्तमान में एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत है। इसका अर्थ है कि इसकी स्थापना और संचालन संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, के अधीन होता है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं मिलता। एक वैधानिक निकाय होने के नाते, इसके पास कानून द्वारा निर्धारित विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं, जो इसे सरकारी नियंत्रण से एक महत्वपूर्ण सीमा तक स्वायत्तता प्रदान करते हैं।

46. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
संथानम समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त के त्रिस्तरीय ढांचे की अनुशंसा की थी। विनीत

NODIA

अध्याय 13
संवैधानिक कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

1. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा?
(1) अनुच्छेद 152
(2) अनुच्छेद 153
(3) अनुच्छेद 154
(4) अनुच्छेद 155
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
II. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
III. संविधान स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (संविधान का अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 154
B. अनुच्छेद 155
C. अनुच्छेद 156
D. अनुच्छेद 157
सूची II: (प्रावधान)
i. राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ
ii. राज्यपाल की पदावधि
iii. राज्यपाल की नियुक्ति
iv. राज्य की कार्यपालिका शक्ति
विकल्प:
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए निर्धारित संवैधानिक अर्हता या शर्त नहीं है?
(1) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए।
(3) वह सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा।
(4) उसे कम से कम पाँच वर्षों तक राज्य का निवासी होना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
कारण (R): भारत का संविधान राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को हटाने के लिए विशिष्ट आधार और प्रक्रिया प्रदान करता है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. जब राज्य विधानमंडल एक साधारण विधेयक पारित करता है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें शामिल प्रक्रियात्मक चरणों का सही क्रम चुनिए:
(1) राज्यपाल द्वारा अनुमति, अनुमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना
(2) राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतीकरण, राज्यपाल द्वारा विचार, अनुमति देने, रोकने, वापस करने या आरक्षित करने का निर्णय, अंतिम परिणाम
(3) सदन में पेश करना, राज्यपाल द्वारा अनुमति, सदन द्वारा पारित करना, राजपत्र में प्रकाशन

Click Here to Buy book on Amazon

है ताकि वह सरकार के भीतर सतर्कता प्रबंधन का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सके।

56. (1) I, III और IV
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। पद छोड़ने के पश्चात, वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पुनर्नियोजन हेतु पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति को जाँच लंबित रहने के दौरान उसे निलंबित करने का अधिकार है। हालांकि, वह अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, वह दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र भी नहीं होता है।

57. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
अधिनियम के अनुसार, एक सतर्कता आयुक्त अपना कार्यकाल समाप्त होने पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होता है। हालांकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में उसका कुल संयुक्त कार्यकाल किसी भी स्थिति में चार वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यह नियम सुनिश्चित करता है कि आयोग के भीतर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव बहुत लंबी अवधि तक बना न रहे और संस्था में निरंतर नया नेतृत्व आता रहे।

58. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विशिष्ट शाखाएं हैं। सचिवालय प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा सरकारी निर्माण कार्यों और अनुबंधों का तकनीकी ऑडिट करती है ताकि वित्तीय अनियमितताएं रोकी जा सकें। विभागीय जाँच आयुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में मौखिक साक्ष्य और जाँच का कार्य संभालते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में भ्रष्टाचार निवारण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

59. (4) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान निर्धारित की गई हैं। यह समानता इसलिए रखी गई है ताकि इन पदों को उचित सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का स्तर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर है, इसलिए सतर्कता आयुक्तों को तदनुसार आयोग के सदस्यों के समकक्ष रखा गया है। यह उनकी विधिक स्वायत्तता को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।

60. (2) एक व्यक्ति जो वर्तमान में लाभ का पद धारण करता है
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में सरकार के अधीन कोई "लाभ का पद" धारण करता है, वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु अपात्र है। नियुक्ति से पूर्व उसे ऐसे किसी भी पद से त्यागपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त, गंभीर शारीरिक या मानसिक अक्षमता, दिवालियापन या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध हेतु दोषी ठहराया जाना भी अयोग्यता के आधार हैं। यह शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

61. (2) ग्रेड D और ऊपर
केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में, ग्रेड D और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी आयोग की निगरानी के दायरे में आते हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सतर्कता से संबंधित किसी भी शिकायत की जाँच आयोग द्वारा की जा सकती है। यह बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का एक विधिक तंत्र है।

62. (1) केवल I और II
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार को सतर्कता प्रशासन और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण सलाह देता है। अनुशासनात्मक मामलों में दंड निर्धारित करने से पूर्व मंत्रालयों हेतु आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। हालांकि, आयोग द्वारा दी गई सलाह तकनीकी रूप से "परामर्शदात्री" प्रकृति की होती है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। फिर भी, आयोग की सिफारिशों से असहमति के मामलों को सरकार को लिखित रूप में स्पष्ट करना पड़ता है।

63. (1) राज्य सरकार के सचिवालय
केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र और परामर्शदात्री भूमिका मुख्य रूप से केंद्र सरकार के संस्थानों तक सीमित है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और स्वायत्त निकाय जो केंद्र से सहायता प्राप्त करते हैं, शामिल हैं। राज्य सरकार के सचिवालय और उनके कर्मचारी संबंधित राज्य के सतर्कता आयोगों और लोकायुक्तों के अधीन होते हैं, न कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के। अतः राज्य सचिवालय इस सूची में विषम है क्योंकि यह केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर है।

64. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका मुख्य रूप से एक सर्वोच्च परामर्शदाता की है। जब आयोग किसी भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध दंड की सिफारिश करता है, तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति संबंधित विभाग के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास सुरक्षित होती है। यही कारण है कि आयोग की सलाह को बाध्यकारी नहीं माना जाता। हालांकि, प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना ठोस कारणों के आयोग की सलाह की अवहेलना न करें, अन्यथा जवाबदेही तय की जाती है।

65. (2) आयोग के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दरकिनार कर भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे गिरफ्तार करने और उन पर अभियोग चलाने की शक्ति है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) के उन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है जो भ्रष्टाचार निवारण

NODIA

नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने आयोग को वैधानिक दर्जा और कार्यात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। ये सभी घटक भारत की जवाबदेही प्रणाली के मुख्य आधार और विकास के चरण हैं।

47. (1) इसका गठन सतर्कता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने के लिए एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रारंभ 1964 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को सतर्कता और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष सलाह देना था। इसकी स्थापना किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं की गई थी और न ही यह निजी क्षेत्र हेतु निर्मित था। प्रारंभ में, यह एक गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय था, जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की प्रशासनिक सहायता करता था।

48. (2) विनीत नारायण निर्णय जिसमें आयोग का पुनर्गठन अनिवार्य किया गया - 2011
केंद्रीय सतर्कता आयोग के इतिहास में विनीत नारायण मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ था, परंतु इसका निर्णय 1997 में आया था, न कि 2011 में। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाने और उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया था। अन्य तथ्य सत्य हैं, जैसे 1964 में स्थापना, 1998 में वैधानिक दर्जे हेतु अध्यादेश और 2003 में संसद द्वारा अधिनियम का पारित होना। यह कालक्रम आयोग के विकास को दर्शाता है।

49. (2) राज्य विधानसभाओं के सदस्य।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, समूह 'A' के अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। हालांकि, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और राज्य सरकार के कर्मचारी सीधे तौर पर इस आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों हेतु पृथक रूप से लोकायुक्त और राज्य सतर्कता आयोगों की वैधानिक व्यवस्था की गई है।

50. (1) अवैध परितोषण की मांग करने या स्वीकार करने के मामलों से।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की शब्दावली में "सतर्कता कोण" तब उपस्थित माना जाता है जब किसी शिकायत में लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण या रिश्वत की मांग, अथवा पद के दुरुपयोग के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के आरोप हों। सामान्य प्रशासनिक त्रुटियां या बिना किसी भ्रष्ट मंशा के की गई चूक सतर्कता कोण के अंतर्गत नहीं आतीं। आयोग का मुख्य ध्यान उन गंभीर मामलों पर होता है जिनमें ईमानदारी और अखंडता का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

51. (2) दो
केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसकी संरचना में एक अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। अधिनियम के अनुसार, आयोग में सतर्कता आयुक्तों की संख्या अधिकतम दो हो सकती है। इस प्रकार, पूरे आयोग में कुल मिलाकर तीन शीर्ष अधिकारी हो सकते हैं। यह संरचना निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामूहिक विचार-विमर्श और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है ताकि संतुलित निर्णय संभव हो सकें।

52. (1) I, II और III
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति में तीन सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अन्य दो सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सम्मिलित होते हैं। यह त्रिपक्षीय समिति उम्मीदवारों के नामों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रेषित करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस विशिष्ट चयन समिति का हिस्सा नहीं होते हैं, जिससे कथन IV गलत है।

53. (1) 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल अन्य निकायों की तुलना में थोड़ा भिन्न है। वे अपने पद ग्रहण की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। हालांकि, यदि वे इस कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। चार वर्ष की यह अवधि और 65 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले हो, उनके सेवा कार्यकाल का निर्धारण करने वाली अनिवार्य शर्तें हैं।

54. (2) राष्ट्रपति मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजते हैं → सर्वोच्च न्यायालय जाँच करता है और सलाह देता है → राष्ट्रपति आयुक्त को हटाते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित है ताकि उनकी स्वायत्तता अक्षुण्ण रहे। उन्हें केवल प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने से पूर्व, राष्ट्रपति को मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय जाँच के पश्चात यदि हटाने की सिफारिश करता है, तभी राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोग के सदस्यों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

55. (4) व्यक्ति को एक लोक सेवक या प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसे सतर्कता, नीति-निर्धारण और प्रशासन का अनुभव हो।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति को एक अनुभवी लोक सेवक या ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसे सतर्कता, प्रशासन, नीति-निर्धारण और कानून के क्षेत्र में गहरा अनुभव हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल भारतीय पुलिस सेवा से ही हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। पात्रता का मुख्य आधार प्रशासनिक अनुभव और ईमानदारी

Downloaded from www.pdf.tube

लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करता है। लोकपाल प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात जाँच हेतु मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रेषित करता है। इसके पश्चात, आयोग संबंधित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से प्रारंभिक जाँच करवाता है। अंत में, आयोग अपनी विस्तृत जाँच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपता है, जिसके आधार पर लोकपाल आगामी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करता है।

75. (4) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत कार्य करती हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है। लोकपाल का संचालन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने स्वयं के 2003 के अधिनियम के तहत कार्य करता है। यह स्पष्ट कानूनी ढांचा इन संस्थाओं को उनके कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक विधिक अधिकार, क्षेत्राधिकार और कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करता है।

76. (1) I, II, III और IV
लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर क्षेत्राधिकार रखते हैं। लोकपाल अधिनियम के अनुसार, लोकपाल को प्राप्त समूह C और D की शिकायतें केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रेषित की जाती हैं। आयोग लोकपाल हेतु एक प्राथमिक जाँच एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे मामलों में लोकपाल को आयोग पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, आयोग के पास लोकपाल के निर्णयों को पलटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकपाल एक उच्चतर स्वतंत्र निकाय है।

77. (3) ब्यूरो की भ्रष्टाचार जाँच को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए।
विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ऐतिहासिक था। न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार जाँच अक्सर राजनीतिक दबाव और कार्यकारी हस्तक्षेप से प्रभावित होती थी। जाँच को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार से संबंधित जाँचों पर अधीक्षण की शक्ति सरकार से हटाकर एक स्वतंत्र निकाय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, को प्रदान की जानी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्यूरो को बाहरी प्रभावों से मुक्त कर स्वायत्तता प्रदान करना था।

78. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 से वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के माध्यम से अपनी जाँच शक्तियां प्राप्त करता है। लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ये कानून भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही के विभिन्न स्तंभों को सुदृढ़ कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

79. (1) आयोग मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।
जब लोकपाल समूह 'C' या 'D' के किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजता है, तो आयोग उन पर सीधे कार्रवाई करता है। ऐसी स्थिति में आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत अपने सामान्य अधिकारों और विधिक प्रक्रियाओं का पालन करता है। आयोग अपनी जाँच के निष्कर्षों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक या कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करता है। लोकपाल द्वारा भेजे गए इन मामलों में आयोग एक स्वतंत्र निर्णायक और पर्यवेक्षी विधिक निकाय की भूमिका निभाता है।

80. (2) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी भी सांसद की जाँच करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में विभिन्न निकायों के मध्य समन्वय के सुस्पष्ट नियम हैं। लोकपाल जाँच हेतु आयोग की सहायता ले सकता है और आयोग अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंपता है। लोकपाल को ब्यूरो पर अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। हालांकि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी सांसद की जाँच हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है। जाँच प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं और संसदीय विशेषाधिकारों के अधीन स्वतंत्र रूप से संचालित की जाती है।

81. (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस संस्था का विधिक आधार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है। यह कानून नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने और शासन में पारदर्शिता लाने हेतु एक क्रांतिकारी कदम था। इस अधिनियम ने ही आयोग के गठन, इसकी शक्तियों और अपीलीय तंत्र का विस्तृत वैधानिक ढांचा तैयार किया। यह कानून सूचना के प्रकटीकरण और सार्वजनिक जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है।

82. (1) केवल I और II
केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त और कई अन्य सूचना आयुक्त सम्मिलित होते हैं। अधिनियम के अनुसार, सूचना आयुक्तों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की इस नियुक्ति प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। अतः कथन III गलत है, जबकि प्रथम दो कथन आयोग की संरचना को पूर्णतः सही दर्शाते हैं।

83. (3) दस
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यभार के प्रबंधन हेतु पर्याप्त सदस्यों

NODIA

अधिनियम से जुड़े हैं। यह जाँच की प्रगति की समीक्षा भी करता है। हालांकि, आयोग के पास स्वयं किसी लोक सेवक को सीधे गिरफ्तार करने या उन पर स्वतंत्र रूप से अभियोग चलाने की कोई कार्यकारी पुलिस शक्ति नहीं है। गिरफ्तारी और अभियोजन की प्रक्रिया संबंधित जाँच एजेंसियों और विधिक प्राधिकारियों के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। अतः यह विकल्प गलत है।

66. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार विभिन्न संगठनों में भिन्न स्तर के कर्मचारियों पर लागू होता है। केंद्र सरकार के मामले में, यह समूह 'A' के अधिकारियों को कवर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, स्केल V और उससे ऊपर के अधिकारी इसके दायरे में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए, प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारी सम्मिलित हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, केवल शीर्ष कार्यकारी और बोर्ड के सदस्य ही आयोग के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार में आते हैं।

67. (3) यह सभी विभागों में समान सतर्कता प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करता है।
सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण का अर्थ है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग देश भर के सभी सरकारी विभागों में सतर्कता कार्यों की एकरूपता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। इसके लिए आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करता है। आयोग का कार्य दैनिक भर्ती या पुलिस स्थानांतरण को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह एक नियामक संस्था के रूप में भ्रष्टाचार पर अंकुश रखता है।

68. (4) यह अधिकारियों को व्हिसलब्लोअर की रक्षा करने का निर्देश दे सकता है और पहचान प्रकट करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
व्हिसलब्लोअर प्रस्ताव के अंतर्गत, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखने हेतु उत्तरदायी है। यदि किसी व्हिसलब्लोअर की पहचान उजागर हो जाती है या उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो आयोग संबंधित अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है। आयोग पहचान उजागर करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु भी सशक्त है, हालांकि वह स्वयं सीधे तौर पर दंड नहीं देता है।

69. (3) भारत के राष्ट्रपति
केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों और सतर्कता प्रशासन की स्थिति पर एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) के पटल पर रखवाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आयोग के कार्यों की समीक्षा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निवारण के प्रति सदैव जवाबदेह और पारदर्शी बनी रहे।

70. (3) कथन I सही है और कथन II गलत है।
आयोग के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति हेतु विभिन्न सरकारी अधिकारियों के पास लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी जाँच में अनावश्यक विलंब न करें। हालांकि, आयोग समीक्षा तो कर सकता है, परंतु वह किसी सक्षम प्राधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर स्वीकृति देने हेतु कानूनी रूप से विवश नहीं कर सकता। अंतिम निर्णय लेना संबंधित सक्षम प्राधिकारी का विधिक विशेषाधिकार बना रहता है।

71. (4) आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़ी जाँच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण का प्रयोग करता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मध्य संबंध मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मामलों तक सीमित हैं। आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अपराधों की जाँच के संबंध में ब्यूरो के कामकाज पर अधीक्षण और निगरानी का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आयोग ब्यूरो को जाँच की गति और निष्पक्षता के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकता है। हालांकि, ब्यूरो के अन्य कार्यों, जैसे सामान्य अपराधों की जाँच या प्रशासनिक बजट प्रबंधन पर आयोग का कोई अधिकार नहीं होता है।

72. (1) I, II और III
भ्रष्टाचार के मामलों में आयोग ब्यूरो को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकता है, परंतु वह किसी विशेष मामले की जाँच के अंतिम निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सकता। आयोग के पास ब्यूरो के महानिदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि, ब्यूरो के निदेशक का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, जो कथन IV को असत्य बनाता है। आयोग की भूमिका मुख्य रूप से पर्यवेक्षी और समन्वयकारी है ताकि भ्रष्टाचार की जाँच में पारदर्शिता बनी रहे।

73. (3) प्रधानमंत्री
लोकपाल अधिनियम द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस महत्वपूर्ण चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। यह प्रक्रिया निदेशक की नियुक्ति में राजनीतिक निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करती है।

74. (1) C, A, B, D
समूह 'A' के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर्वप्रथम, नागरिक

Click Here to Buy book on Amazon

है। हालांकि, आयोग के पास सीधे तौर पर अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति नहीं है, जो कथन IV को असत्य बनाता है।

93. (3) आयोग के पास अवमानना के लिए जन सूचना अधिकारी को एक माह तक के कारावास की सजा सुनाने की शक्ति है।
आयोग के पास सूचना न देने वाले जन सूचना अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाने की शक्ति है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये निर्धारित है। यह अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। हालांकि, केंद्रीय सूचना आयोग के पास किसी भी अधिकारी को कारावास की सजा देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। आयोग केवल मौद्रिक जुर्माना लगा सकता है। कारावास का दंड केवल सक्षम आपराधिक न्यायालयों द्वारा विधिक प्रक्रिया के पश्चात ही दिया जा सकता है।

94. (4) यह लोक प्राधिकारियों को सूचना की कुछ श्रेणियों को स्वतः संज्ञान से प्रकाशित करने का निर्देश देता है।
केंद्रीय सूचना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत "स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण" सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देना है। इसका अर्थ है कि सरकारी विभागों को नागरिकों द्वारा मांगे जाने से पूर्व ही महत्वपूर्ण सूचनाएं अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करनी चाहिए। इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है और नागरिकों को बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता न्यूनतम होती है। यह आयोग की एक सक्रिय भूमिका है जो सूचना की सुलभता को बढ़ावा देती है।

95. (1) धारा 8(1)(a) - भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(a) उन सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या सामरिक हितों को प्रतिकूल रुप से प्रभावित कर सकती हैं। सैनिकों की तैनाती और परिचालन विवरण जैसे संवेदनशील मामले सीधे तौर पर राष्ट्र की सुरक्षा से संबद्ध होते हैं। इसलिए, जन सूचना अधिकारी और आयोग ऐसी जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे।

96. (1) I, II, III और IV
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी और सूचना निकायों को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें बाहरी जाँच एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता, लाखों अपीलों का लंबित होना और पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता का अभाव प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, इनके आदेशों के प्रवर्तन में स्पष्टता की कमी के कारण अधिकारी अक्सर निर्देशों की अनदेखी करते हैं। हालांकि, इन संस्थाओं के सदस्यों को कोई "पूर्ण संवैधानिक संरक्षण" प्राप्त नहीं है जो उन्हें जाँच से पूरी तरह बचाता हो, इसलिए कथन V पूर्णतः असत्य है।

97. (2) वैधानिक आवश्यकता कि सभी अपीलों की सुनवाई पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
सूचना आयोगों में अपीलों की लंबितता का मुख्य कारण आयुक्तों के रिक्त पद, निर्बल बुनियादी ढांचा और बड़ी संख्या में आने वाले आवेदन हैं। कुछ मामलों में लोग अनावश्यक शिकायतें भी करते हैं जिससे कार्यभार में वृद्धि होती है। हालांकि, यह कहना पूर्णतः असत्य है कि सभी अपीलों की सुनवाई पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी अनिवार्य है। वास्तव में, सूचना आयोग स्वयं एक सर्वोच्च अपीलीय निकाय है और नागरिक आयोग के निर्णय के विरुद्ध केवल विधिक आधार पर न्यायालय जा सकते हैं।

98. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
लोकपाल के पास स्वतः संज्ञान लेकर जाँच प्रारंभ करने की शक्ति का अभाव है, जो इसकी एक बड़ी सीमा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका मुख्य रुप से परामर्शदात्री है, जिसकी सिफारिशों को अक्सर विभाग स्वीकार नहीं करते। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय सूचना आयोग भारी संख्या में लंबित अपीलों और अपने आदेशों के अनुपालन की समस्या से निरंतर जूझ रहा है। ये चुनौतियां इन निकायों की वास्तविक प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

99. (3) केंद्रीय सूचना आयोग - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
प्रशासनिक और बजटीय कार्यों हेतु प्रत्येक स्वतंत्र निकाय एक नोडल मंत्रालय से संबद्ध होता है। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी इसी मंत्रालय से जुड़ा है, न कि गृह मंत्रालय से। लोकपाल का प्रशासनिक समन्वय भी सामान्यतः इसी विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक रुप से कार्यरत है। नोडल मंत्रालय की यह जानकारी सरकारी विधिक ढांचे को समझने हेतु आवश्यक है।

100. (2) अधिकांश सतर्कता निकायों में अनुपालन लागू करने के लिए प्रत्यक्ष दंडात्मक तंत्र का अभाव है, और वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर हैं।
सतर्कता संस्थानों की एक बड़ी दुर्बलता यह है कि उनके पास अपने निर्णयों को लागू करने हेतु प्रत्यक्ष दंडात्मक तंत्र का अभाव है। उदाहरण के लिए, यदि आयोग किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है, तो उसे क्रियान्वित करने की अंतिम शक्ति संबंधित मंत्रालय के पास होती है। यदि मंत्रालय कार्रवाई नहीं करता, तो सतर्कता निकाय उसे विवश नहीं कर सकते। यह निर्भरता इन संस्थाओं को प्रभावी ढंग से भ्रष्टाचार रोकने में बाधा डालती है और उन्हें केवल परामर्शदाता बनाती है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

की व्यवस्था की गई है। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या दस हो सकती है। सरकार आवश्यकतानुसार इससे कम सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकती है, परंतु यह संख्या कभी भी दस की वैधानिक सीमा को पार नहीं करनी चाहिए। यह सीमा आयोग की कार्यकुशलता को संतुलित बनाए रखती है।

84. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
केंद्रीय सूचना आयोग को एक अत्यंत स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आयोग अपने कार्यों के संपादन और शक्तियों के प्रयोग में किसी अन्य बाहरी प्राधिकारी या सरकारी विभाग के निर्देशों के अधीन न हो। यह स्वतंत्रता इसलिए अनिवार्य है ताकि आयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा निष्पक्षता से कर सके और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही बिना किसी राजनीतिक दबाव के तय हो सके।

85. (3) इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु एक तीन सदस्यीय चयन समिति उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य दो सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। यह समिति योग्य व्यक्तियों के नामों का चयन करती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक नियुक्तियां की जाती हैं। इस प्रक्रिया में न्यायपालिका का कोई सीधा प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

86. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
सूचना का अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराएं विशिष्ट प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं। धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। धारा 18 आयोग को शिकायतों की जाँच करने की शक्तियां प्रदान करती है। धारा 19 में प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। धारा 20 आयोग को उन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है जो बिना किसी उचित कारण के सूचना प्रदान करने में विफल रहते हैं।

87. (4) यह एक वैधानिक निकाय है।
केंद्रीय सूचना आयोग की कानूनी प्रकृति एक वैधानिक निकाय की है। इसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से उत्पन्न हुआ है। यह किसी संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक निकाय नहीं कहा जा सकता। वैधानिक निकाय होने के नाते, इसके पास स्वायत्तता है और यह अपने अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों और सीमाओं के भीतर कार्य करता है। यह सरकार की एक स्वतंत्र नियामक संस्था है।

88. (1) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक मौजूदा न्यायाधीश।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी न्यायाधीश को इस समिति में स्थान नहीं दिया गया है। यह चयन प्रक्रिया पूर्णतः कार्यपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों के मध्य संतुलित रखी गई है ताकि प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और प्रभावी नियुक्तियां की जा सकें।

89. (3) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक।
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अब इनका कार्यकाल पूर्व की भांति पांच वर्ष हेतु निश्चित नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उस अवधि तक पद धारण करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। सामान्यतः सरकार ने इसे वर्तमान में तीन वर्ष हेतु अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सभी आयुक्तों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा यथावत बनी हुई है।

90. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सुरक्षित है। उन्हें केवल प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने हेतु राष्ट्रपति को मामला सर्वोच्च न्यायालय को जाँच के लिए भेजना अनिवार्य होता है। यदि न्यायालय जाँच के पश्चात कदाचार की पुष्टि करता है, तभी राष्ट्रपति हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं। यह जटिल प्रक्रिया आयोग के सदस्यों को बिना किसी ठोस कारण के हटाए जाने से विधिक सुरक्षा प्रदान करती है।

91. (4) उस तिथि से 90 दिन जब निर्णय लिया जाना चाहिए था या प्राप्त हुआ था।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है। यह अपील उस तिथि से 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए जब संबंधित निर्णय प्राप्त हुआ था या जब उसे प्राप्त होना चाहिए था। आयोग के पास यह विवेकाधीन शक्ति भी है कि वह 90 दिनों के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलकर्ता देरी का कोई उचित और पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है।

92. (1) I, II और III
शिकायत की जाँच करते समय, केंद्रीय सूचना आयोग के पास दीवानी न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। यह किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर उपस्थित होने और शपथ पर साक्ष्य देने हेतु विवश कर सकता है। आयोग को किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और निरीक्षण का आदेश देने का विधिक अधिकार है। वह शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता

NODIA

(4) राष्ट्रपति के लिए आरक्षण, सदन को वापसी, राज्यपाल द्वारा अनुमति, सदन द्वारा पुनर्विचार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं।
II. वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है।
III. वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
IV. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. राज्यपाल की राज्य विधानमंडल को आहूत करने, सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति को उसकी शक्तियों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?
(1) विधायी शक्तियाँ
(2) कार्यकारी शक्तियाँ
(3) न्यायिक शक्तियाँ
(4) विवेकाधीन शक्तियाँ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में न हो।
II. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।
III. वह राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता यदि उन्हीं प्रावधानों वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती।
IV. उसके द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
V. राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने की विवेकाधीन शक्ति है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और IV
(3) केवल V
(4) केवल III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए:
(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो
(2) नियमित बजट सत्र के लिए राज्य विधानमंडल को आहूत करना
(3) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना
(4) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. बहुमत दल के नेता का चुनाव
II. निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणामों की अधिसूचना
III. मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह
IV. राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने का निमंत्रण
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(1) II, I, IV, III
(2) I, II, III, IV
(3) II, IV, I, III
(4) IV, I, II, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (विवेकाधीन कार्य/भूमिकाएँ)
A. राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक का आरक्षण
B. राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश
C. मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना
D. मुख्यमंत्री की नियुक्ति
सूची II: (अनुच्छेद/संदर्भ)
i. अनुच्छेद 167
ii. अनुच्छेद 356
iii. अनुच्छेद 164
iv. अनुच्छेद 200
विकल्प:
(1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(1) वह वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है जो सीधे और अकेले सभी राज्य शक्तियों का प्रयोग करता है।
(2) वह विशुद्ध रूप से केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य

Click Here to Buy book on Amazon

77. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:

सूची I: (संवैधानिक निकाय/अधिकारी)

A. राज्यपाल
B. राज्य निर्वाचन आयुक्त
C. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य
D. महाधिवक्ता

सूची II: (हटाने की प्रक्रिया)

i. सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा
ii. राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
iii. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
iv. उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है

विकल्प:

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. यदि राज्य सरकार राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हार जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है?

(1) राज्यपाल को अभिभाषण फिर से पढ़ना चाहिए ताकि सदन मत पर पुनर्विचार कर सके।
(2) विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटा दिया जाता है।
(3) विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है और नए आम चुनावों की घोषणा की जाती है।
(4) मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा क्योंकि इसका तात्पर्य सरकार के बहुमत का खोना है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?

(1) मुख्यमंत्री
(2) राज्यपाल
(3) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(4) राज्य के गृह मंत्री
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:

I. राज्यपाल उस मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है जिसने बहुमत का समर्थन खो दिया है।
II. राज्यपाल के पास पराजित मुख्यमंत्री की विधानसभा भंग करने की सलाह को अस्वीकार करने का विवेक है।
III. एक बार विधानसभा भंग हो जाने के बाद, राज्यपाल को तुरंत सीधे राज्य का प्रशासन संभालना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(1) केवल I और II
(2) केवल II
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद स्पष्ट रूप से राज्यपाल को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह होने से संरक्षण प्रदान करता है?

(1) अनुच्छेद 163
(2) अनुच्छेद 361
(3) अनुच्छेद 226
(4) अनुच्छेद 356
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता आमतौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है?

(1) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
(2) राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
(3) निवेश पर मंत्रिमंडल समिति
(4) उपरोक्त सभी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है:

(1) बजट भाषण
(2) विदाई भाषण
(3) विशेष अभिभाषण
(4) सत्रावसान संदेश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. यदि विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उस पर निम्नलिखित में से क्या लागू होता है?

(1) उसे परिषद से त्यागपत्र देना होगा और छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा।
(2) वह विधानसभा की बहस में भाग नहीं ले सकता।
(3) वह मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।
(4) वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. निम्नलिखित प्रश्न में dos कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:

अभिकथन (A): संविधान मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कारण (R): अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

सूची II: (नियुक्ति प्राधिकारी)
i. राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर
ii. राज्यपाल, अपने निर्णय के आधार पर जब किसी दल के पास बहुमत न हो
iii. राज्यपाल, सीधे संवैधानिक प्रावधानों के तहत
iv. राज्यपाल, कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए

विकल्प:
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. किसी राज्य के महाधिवक्ता की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(1) राज्य सरकार के खातों की लेखापरीक्षा करना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करना।
(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव संपन्न कराना।
(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(4) राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना और विधिक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की स्थापना करता है?
(1) अनुच्छेद 76
(2) अनुच्छेद 148
(3) अनुच्छेद 165
(4) अनुच्छेद 226
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
कारण (R): महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय कल्याण के लिए प्रभारी मंत्री की संवैधानिक आवश्यकता है जो अतिरिक्त रूप से अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभार भी संभाल सकता है?
(1) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा
(2) राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र
(3) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
(4) कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयकों के आरक्षण में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. राज्यपाल को उस विधेयक को अनिवार्य रूप से आरक्षित करना चाहिए जो राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है।
II. राज्यपाल उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध हो।
III. राज्यपाल अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक को आरक्षित कर सकता है।
IV. एक बार आरक्षित होने के बाद, उस विशिष्ट विधेयक के अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होती है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित न किया जाए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री की स्थिति को कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) वह राज्यपाल या मंत्रिमंडल को रिपोर्ट किए बिना आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।
(2) वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम है।
(3) वह सभी राज्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है।
(4) राज्य विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने पर राज्यपाल को सलाह देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. राज्यपाल को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
II. संविधान विनिर्दिष्ट करता है कि भ्रष्टाचार या राजद्रोह ही राज्यपाल को हटाने के एकमात्र आधार हैं।
III. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल को हटाने की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से या अनुचित

Downloaded from www.pdf.tube

करता है और प्रशासन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता।
(3) वह नाममात्र का प्रमुख है जो विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
(4) संतुलन बनाए रखने के लिए वह मुख्यमंत्री के साथ समान कार्यकारी शक्तियां साझा करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, संवैधानिक संकट में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(1) राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना तुरंत राज्य विधानसभा को भंग करना।
(2) संकट के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय की सभी न्यायिक शक्तियाँ ग्रहण करना।
(3) जब तक विधानमंडल द्वारा नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक राज्यव्यापी वित्तीय आपातकाल घोषित करना।
(4) राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन I: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
कथन II: राज्यपाल केवल चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है, चाहे उसे बहुमत प्राप्त हो या न हो।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल क्या है?
(1) विधि द्वारा निर्धारित शपथ ग्रहण की तिथि से ठीक पाँच वर्ष।
(2) वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जो विधानसभा में विश्वास प्राप्त होने के अधीन है।
(3) वह तब तक पद पर रहता है जब तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे वापस नहीं बुला लेता।
(4) छह वर्ष या जब तक वह राज्य विधान परिषद या विधानसभा में बहुमत नहीं खो देता।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. राज्य सरकार के संदर्भ में, जैसे कि राजस्थान में, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है?
(1) वह मंत्रियों की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देता है।
(2) वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
(3) वह सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।
(4) उपरोक्त सभी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होगी?
(1) राज्य विधानसभा के प्रति
(2) राज्य के राज्यपाल के प्रति
(3) मुख्यमंत्री के प्रति
(4) भारत के राष्ट्रपति के प्रति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. यदि राज्य सरकार का कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है और उसका बचाव करने से इनकार करता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला संवैधानिक परिणाम क्या होगा?
(1) राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
(2) विवाद को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है।
(3) मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा।
(4) राज्यपाल को मामले को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
II. राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है।
III. किसी मंत्री को राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श किए बिना अपने विवेक से हटा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. राज्य सरकार की विभिन्न मंत्रिमंडल समितियों में सामान्यतः किसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है?
(1) संसदीय कार्य समिति
(2) आर्थिक कार्य समिति
(3) राजनीतिक कार्य समिति
(4) नियुक्ति समिति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पदाधिकारी)
A. मुख्यमंत्री
B. महाधिवक्ता
C. राज्य निर्वाचन आयुक्त
D. राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री

NODIA

(3) स्थिति का आकलन - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा - रिपोर्ट सौंपना - संवैधानिक मशीनरी की विफलता
(4) राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना - स्थिति का आकलन - संवैधानिक मशीनरी की विफलता - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. राज्य कार्यपालिका पर लागू प्रसादपर्यंत सिद्धांत का सटीक विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) मुख्यमंत्री राज्यपाल के पूर्ण और अपरिवर्तनीय प्रसादपर्यंत कार्य करता है।
(2) महाधिवक्ता राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रसादपर्यंत कार्य करता है।
(3) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, जो उसे किसी भी समय हटा सकते हैं।
(4) मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के प्रसादपर्यंत कार्य करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होगा?
(1) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
(2) भारत के राष्ट्रपति को
(3) राज्य के मुख्यमंत्री को
(4) भारत के प्रधानमंत्री को
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है?
(1) भारत के राष्ट्रपति
(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(3) राज्य के निवर्तमान राज्यपाल
(4) संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह राज्य विधानमंडल के सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।
II. वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
III. उसके पास दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता तय करने का अंतिम अधिकार होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. किसी मंत्री की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. विशिष्ट विभाग का आवंटन
II. पद और गोपनीयता की शपथ लेना
III. मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति
IV. संबंधित विभाग का कार्यभार संभालना
सही क्रम चुनिए:
(1) III, II, I, IV
(2) I, III, II, IV
(3) II, III, I, IV
(4) III, I, II, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु की स्थिति में, मंत्रिपरिषद के लिए तत्काल संवैधानिक निहितार्थ क्या होगा?
(1) मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है।
(2) सबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतः मुख्यमंत्री बन जाता है।
(3) नए चुनाव होने तक राज्यपाल राज्य का प्रशासन चलाता है।
(4) राज्यपाल को तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. राजस्थान जैसे राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार पर संवैधानिक सीमा क्या है?
(1) यह विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
(2) यह मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
(3) यह राज्य के दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
(4) मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में संविधान में कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा/प्रावधान)
A. सामूहिक उत्तरदायित्व
B. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
C. राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या
D. मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार
सूची II: (संबद्ध अनुच्छेद/विवरण)
i. 12
ii. अनुच्छेद 164(2)
iii. विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
iv. अनुच्छेद 164(1)
विकल्प:
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

Click Here to Buy book on Amazon

(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): यह कार्य भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक शक्ति के बजाय संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा प्रदान की गई एक वैधानिक शक्ति है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. किस विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास उस विषय से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान देने की शक्ति है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है?
(1) अनुच्छेद 72
(2) अनुच्छेद 161
(3) अनुच्छेद 162
(4) अनुच्छेद 163
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
II. वह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्राप्त करता है।
III. वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
IV. वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. उस विधेयक का क्या होता है जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है, और राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है?
(1) राज्य विधानमंडल को छह महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा।
(2) राज्य विधानमंडल को तीन महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा।
(3) यदि विधेयक अपने मूल रूप में पारित नहीं होता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है।
(4) यदि राज्य विधानमंडल इसे फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की वापसी को दरकिनार कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. राज्य सरकार में मंत्रिमंडल समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. इनका उद्भव संविधान-इतर है।
II. इनकी स्थापना राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल की सलाह पर की जाती है।
III. ये मुद्दों को सुलझाने और मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करने में मदद करती हैं।
IV. ये दो प्रकार की होती हैं—स्थायी और तदर्थ।
V. बिना किसी अपवाद के मुख्यमंत्री सभी मंत्रिमंडल समितियों के प्रमुख होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और V
(3) केवल III और IV
(4) केवल I, II और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे?
(1) टीकाराम पालीवाल
(2) हीरा लाल शास्त्री
(3) जय नारायण व्यास
(4) मोहन लाल सुखाड़िया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होता है। यह सिद्धांत सरकार के किस रूप की एक प्रमुख विशेषता है?
(1) अध्यक्षीय रूप
(2) एकात्मक रूप
(3) संसदीय रूप
(4) संघीय रूप
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

52. निम्नलिखित में से कौन 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए राज्यपाल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
(2) प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय कर्मचारियों के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।
(3) राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल समवर्ती विषयों के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व साझा करते हैं।
(4) मंत्रिमंडल एक दल के रूप में कार्य करता है, और सभी

मंत्री निर्णयों पर एक साथ तैरते और डूबते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. यदि राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो इसका संवैधानिक परिणाम क्या होगा?
(1) केवल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा।
(2) राज्यपाल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं और सरकार को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।
(3) पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
(4) मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय को भंग कर सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, यदि कोई मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत खो देता है लेकिन त्यागपत्र देने से इनकार करता है तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए?
(1) राज्यपाल को वित्तीय आपातकाल लागू करना चाहिए।
(2) राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
(3) राज्यपाल को सरकार को बर्खास्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए।
(4) राज्यपाल को सरकार को अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (मंत्री का प्रकार)
A. कैबिनेट मंत्री
B. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
C. राज्य मंत्री
D. उप मंत्री
सूची II: (भूमिका/स्थिति)
i. कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उनके साथ जुड़े होते हैं
ii. महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेते हैं
iii. किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते
iv. राज्य मंत्रियों या कैबिनेट मंत्रियों के अधीन होते हैं और मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य संभालते हैं
विकल्प:
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. क्या राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है?
(1) नहीं, गैर-सदस्य के लिए मंत्री पद धारण करना संवैधानिक रूप से निषिद्ध है।
(2) हाँ, छह महीने के लिए, जिसके भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा।
(3) हाँ, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए।
(4) हाँ, बशर्ते उन्हें शपथ के तुरंत बाद राज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए नामित किया जाए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित करता है?
(1) अनुच्छेद 163
(2) अनुच्छेद 164
(3) अनुच्छेद 166
(4) अनुच्छेद 167
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) वह मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाते समय महाधिवक्ता की सलाह पर कार्य करता है।
(2) वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों के नामों की सिफारिश करता है।
(3) वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है।
(4) मतभेद होने पर वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. जब राज्यपाल किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति:
(1) राज्यपाल से विधेयक प्राप्त होने के छह महीने के भीतर विधेयक को अपनी अनुमति देनी चाहिए।
(2) यदि राज्य विधानमंडल दूसरी बार विधेयक भेजता है तो वह अपनी अनुमति नहीं रोक सकता।
(3) राज्य विधेयक की संवैधानिक वैधता तय करने में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान लेता है।
(4) राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर दे।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक राज्य बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए।
II. धन विधेयक राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्व सिफारिश के साथ ही पेश किए जा सकते हैं।
III. वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम दे सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II

NODIA

तरीके से नहीं किया जा सकता है।
IV. जिस राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है वह तब तक पद पर नहीं रह सकता जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता।
V. राज्य विधानमंडल विशेष बहुमत द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव शुरु कर सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) II, IV और V
(2) I, III और V
(3) I, II और IV
(4) II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों की प्रकृति की सही पहचान करता है?
(1) मुख्यमंत्री को सभी केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
(2) यदि प्रशासनिक निर्णय राज्य की सुरक्षा से संबंधित हैं, तो उन्हें राज्यपाल से छिपाया जा सकता है।
(3) मंत्रिपरिषद के विचार के लिए किसी मामले को प्रस्तुत करने के राज्यपाल के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करना।
(4) राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. किन परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है?
(1) स्थितिजन्य विवेक का प्रयोग करते समय, जैसे कि त्रिशंकु विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
(2) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते समय।
(3) मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभिन्न मंत्री विभागों का आवंटन करते समय।
(4) नवनिर्वाचित राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र के लिए भाषण तैयार करते समय।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है?
(1) राज्य विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम या दंड के परिहार की शक्ति
(2) मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति
(3) विधान परिषद में सदस्यों के छठे हिस्से को नामित करने की शक्ति
(4) राष्ट्रपति के विचारार्थ कुछ राज्य विधेयकों को आरक्षित करने की शक्ति
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (शब्दावली)
A. आहूत करना
B. सत्रावसान
C. भंग करना
D. संबोधन
सूची II: (राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में अर्थ)
i. राज्य विधानमंडल के सत्र को समाप्त करना
ii. मौजूदा विधानसभा के जीवन को समाप्त करना
iii. विधानमंडल को बैठक के लिए बुलाना
iv. आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में औपचारिक भाषण
विकल्प:
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है?
(1) छह महीने
(2) छह सप्ताह
(3) छह महीने और छह सप्ताह
(4) एक वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी?
(1) राज्यपाल को केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित एक प्रमुख राजनीतिज्ञ होना चाहिए।
(2) राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से चुना जाना चाहिए।
(3) राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और तटस्थ व्यक्तित्व वाला होना चाहिए।
(4) राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र में औपनिवेशिक अवशेष का प्रतिनिधित्व करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल द्वारा आमतौर पर की जाने वाली कार्रवाइयों का सही क्रम चुनिए:
(1) राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा - राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना - स्थिति का आकलन - संवैधानिक मशीनरी की विफलता
(2) संवैधानिक मशीनरी की विफलता - स्थिति का आकलन - राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. 'छाया मंत्रिमंडल' को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(1) राजनीतिक विरोध को कमजोर करने के लिए सत्तारूढ़ दल की एक गुप्त समिति।
(2) राज्य की जासूसी और खुफिया मामलों को संभालने के लिए गठित एक मंत्रिमंडल समिति।
(3) महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों पर राज्यपाल को सलाह देने वाले सेवानिवृत्त नौकरशाहों का एक निकाय।
(4) सत्तारूढ़ मंत्रियों की निगरानी के लिए विपक्ष द्वारा गठित एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. महाधिवक्ता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. महाधिवक्ता का पद राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है।
II. महाधिवक्ता बिना किसी प्रतिबंध के राज्य के कर्तव्यों के साथ-साथ सभी निजी कानूनी कार्यों को संभालता है।
III. महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है।
IV. महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
V. महाधिवक्ता को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II, III और V
(3) केवल I, II और V
(4) केवल IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(1) भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समानार्थी शब्द हैं।
(2) मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा निकाय है, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
(3) दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक साप्ताहिक होती है।
(4) मंत्रिमंडल का आकार संविधान द्वारा विधानसभा की कुल सीटों के 15% पर तय किया गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके प्रथम कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. मोहन लाल सुखाड़िया
II. भैरों सिंह शेखवत
III. बरकतुल्लाह खान
IV. वसुंधरा राजे
सही क्रम चुनिए:
(1) I, III, II, IV
(2) I, II, III, IV
(3) III, I, II, IV
(4) I, III, IV, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा अपने स्थितिजन्य विवेक के तहत किया जाता है?
(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
(2) नियमित बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना।
(3) राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल को भेजना।
(4) भारत के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. राज्य सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति दो शपथ लेता है। वे क्या हैं?
(1) पद की शपथ और दल के प्रति निष्ठा की शपथ
(2) संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और गोपनीयता की शपथ
(3) पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ
(4) संप्रभुता की शपथ और गोपनीयता की शपथ
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य संचालन नियमों के तहत, राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है?
(1) मंत्रिपरिषद
(2) मुख्य सचिव
(3) महाधिवक्ता
(4) गृह मंत्री स्वतंत्र रूप से
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है?
(1) भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
(2) भारत की संसद द्वारा निर्धारित
(3) सीधे संविधान की दूसरी अनुसूची में तय
(4) राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी किस स्थिति में प्रभावी होती है?
(1) राजस्थान और गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में।
(2) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में।
(3) भारत भर के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में।
(4) मौजूदा जनजातीय क्षेत्रों से नए राज्यों के निर्माण में।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही प्रतिक्रिया चुनिए:
कथन I: राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
कथन II: राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. विधानसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने का निर्णय सामान्यतः राज्यपाल के पास होता है। ऐसा करते समय, राज्यपाल सामान्यतः किसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है?
(1) वह मुख्यमंत्री जिसने बहुमत खो दिया है
(2) विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति की
(3) विधानसभा के अध्यक्ष की
(4) वह मुख्यमंत्री जिसे सदन में बहुमत प्राप्त है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी?
(1) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(2) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(3) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
(4) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की स्थिति क्या है?
(1) इसकी समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं।
(2) इसकी किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।
(3) इसे प्रभावी होने से पहले आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
(4) इसे सभी प्रशासनिक मामलों में राज्यपाल द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): राज्यपाल केवल नाममात्र का प्रमुख नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उसके पास वास्तविक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
कारण (R): अनुच्छेद 163 में विशेष रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना अपने विवेक से कुछ कार्यों का प्रयोग कर सकता है।
उपरोक्त के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (राजस्थान के राज्यपाल)
A. गुरुमुख निहाल सिंह
B. डॉ. संपूर्णानंद
C. रघुकुल तिलक
D. एम. चन्ना रेड्डी
सूची II: (उनके कार्यकाल के दौरान की प्रमुख घटना)
i. राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होना (1967)
ii. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होना (1992)
iii. पुनर्गठित राजस्थान के प्रथम राज्यपाल (1956)
iv. राज्यपाल जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले बर्खास्त कर दिया गया था (1981)
विकल्प:
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. नीति निर्माण में मुख्यमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह विधानमंडल के पटल पर सरकार की प्रमुख नीतियों की रूपरेखा तैयार करता है।
II. वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
III. वह सभी विभागों पर सामान्य पर्यवेक्षण और समन्वय करता है।
IV. वह किसी भी परिस्थिति में दूसरे कैबिनेट मंत्री को सौंपे गए विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, III और IV
(4) I, II, III और IV

Click Here to Buy book on Amazon

(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है?
(1) कैबिनेट मंत्री
(2) संसदीय सचिव
(3) राज्य मंत्री
(4) उप मंत्री
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
II. वह साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
III. वह साधारण विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है।
IV. यदि विधानमंडल द्वारा दूसरी बार विधेयक पारित किया जाता है, तो वह साधारण विधेयक को वापस नहीं कर सकता।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) II, III और IV
(2) I, II और III
(3) केवल II और III
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (समिति/आयोग)
A. सरकारिया आयोग
B. पुंछी आयोग
C. प्रशासनिक सुधार आयोग
D. वेंकटचलैया आयोग
सूची II: (राज्यपाल पर सिफारिश)
i. राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद की जानी चाहिए।
ii. राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने पर विचार किया जाना चाहिए।
iii. किसी व्यक्ति को एक से अधिक कार्यकाल के लिए राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
iv. अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट एक सकारण दस्तावेज होनी चाहिए।
विकल्प:
(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. वह राज्य अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है।
II. वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।
III. वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है।
IV. वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है।
V. वह सीधे राज्य विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और V
(2) केवल II और III
(3) केवल IV और V
(4) केवल I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को कौन सी कानूनी उन्मुक्ति उपलब्ध है?
(1) उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
(2) उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उसके विरुद्ध कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
(3) उसे उसके निजी कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में बुलाए जाने से छूट प्राप्त है।
(4) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह स्वयं को क्षमादान दे सकता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. राज्य स्तर पर "कार्यवाहक सरकार" की अवधारणा तब प्रासंगिक होती है जब:
(1) राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभालने के लिए आपातकाल की घोषणा करता है।
(2) राज्य में आम चुनाव के बाद राज्य विधानसभा का पहला सत्र होता है।
(3) महाधिवक्ता अस्थायी रूप से एक अवधि के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को ग्रहण करता है।
(4) मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, और राज्यपाल उनसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जारी रखने के लिए कहते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. राज्य मंत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) एक मंत्री अपने विभाग द्वारा किए गए सभी वित्तीय नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
(2) एक मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) अनुच्छेद 153
भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के विस्तृत प्रावधान हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह पद राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है।

2. (2) केवल II
अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस पद के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि यह केंद्र द्वारा नामित पद है। यद्यपि सरकारिया आयोग ने नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श की सिफारिश की थी, परंतु संविधान में ऐसी किसी अनिवार्य सलाह प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

3. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद राज्यपाल की स्थिति स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति की प्रक्रिया और अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आवश्यक नागरिकता और आयु जैसी अनिवार्य योग्यताओं या अर्हताओं का विस्तार से वर्णन करता है।

4. (4) उसे कम से कम पाँच वर्षों तक राज्य का निवासी होना चाहिए।
अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल पद की अर्हताओं का उल्लेख है। व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। वह संसद या विधानमंडल का सदस्य तथा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संबंधित राज्य का निवासी होने की कोई शर्त संविधान में वर्णित नहीं है।

5. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। यद्यपि सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है, परंतु यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग प्रक्रिया या विशिष्ट आधार का प्रावधान नहीं है।

6. (2) राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतीकरण, राज्यपाल द्वारा विचार, अनुमति देने, रोकने, वापस करने या आरक्षित करने का निर्णय, अंतिम परिणाम
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष आता है। राज्यपाल विधेयक पर विचार कर उसे अपनी अनुमति दे सकता है अथवा सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता है। इन चरणों के पूर्ण होने पर ही विधेयक अधिनियम बनता है।

7. (4) I, II, III और IV
राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख है और सभी कार्यकारी कार्य उसके नाम पर होते हैं। वह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है।

8. (1) विधायी शक्तियाँ
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ उसे विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाती हैं। वह विधानमंडल के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार रखता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष प्रथम सत्र को संबोधित करना भी राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है।

9. (3) केवल V
अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति तब प्रभावी होती है जब विधानमंडल सत्र में न हो। यह केवल उन्हीं विषयों पर संभव है जिन पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर छह सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृत करना अनिवार्य है। राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकता है।

10. (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो
सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। बजट सत्र बुलाना और नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती हैं। परंतु, जब विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन हेतु अपने व्यक्तिगत और स्थितिजन्य विवेक का स्वतंत्र प्रयोग करता है। यह उसकी विवेकाधीन शक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

11. (1) II, I, IV, III
राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया चुनाव परिणामों की अधिसूचना से प्रारंभ होती है। इसके पश्चात निर्वाचित सदस्य अपने बहुमत दल के नेता का चुनाव करते हैं। राज्यपाल सदन में बहुमत के आधार पर उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अंत में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।

Downloaded from www.pdf.tube

पुनर्विचार करना होगा।

III. यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जाता है, तो विधेयक सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए।

IV. विधेयक दूसरी बार पारित होने के बाद राज्यपाल इसे अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I, III और IV
(4) केवल II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

NODIA

(3) मुख्यमंत्री की औपचारिक सलाह प्राप्त किए बिना राज्यपाल द्वारा मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है।
(4) एक मंत्री अपने आधिकारिक और निजी कार्यों के लिए केवल उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(1) राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं।
(2) राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं।
(3) (1) और (2) दोनों सही हैं।
(4) राज्यपाल संघ की विधियों के विरुद्ध अपराधों को क्षमा कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य की विधियों के विरुद्ध अपराधों को क्षमा करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. राज्य सरकार के एक मंत्री द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ उन्हें किस बात के लिए बाध्य करती है?
(1) राज्य विधानमंडल को राज्य के बजट के संबंध में कोई जानकारी प्रकट न करना।
(2) आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को मंत्रालयी मामलों का खुलासा न करना।
(3) समाचार माध्यमों को राज्य के सभी आंतरिक विभागीय मामलों और गुप्त फाइलों से दूर रखना।
(4) राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को जानने से रोकना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की सिफारिश की ओर ले जाने वाले संवैधानिक संकट का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(1) किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, और सभी प्रमुख गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहते हैं।
(2) सत्तारूढ़ दल एक बड़े महानगरीय शहरी क्षेत्र में एक प्रमुख नगर निकाय चुनाव हार जाता है।
(3) राज्य में नई लागू सामाजिक नीति के विरुद्ध मामूली सार्वजनिक विरोध का अनुभव होता है।
(4) मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ कोई परामर्श किए बिना मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. राज्य सरकार के संदर्भ में "वास्तविक कार्यपालिका" शब्द का क्या अर्थ है?
(1) वह प्राधिकारी जो औपचारिक रूप से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और राज्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करता है।
(2) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, जो व्यावहारिक रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है।
(3) मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों के नेतृत्व वाली नौकरशाही।
(4) संवैधानिक प्रमुख जो बड़े संकट के दौरान विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा राज्यपाल निर्धारित कर सकते हैं।
(2) पद पर रहते हुए उसे किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(3) उसे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
(4) उसे राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
(1) अनुच्छेद 163
(2) अनुच्छेद 164
(3) अनुच्छेद 165
(4) अनुच्छेद 166
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (संवैधानिक सिद्धांत)
A. सामूहिक उत्तरदायित्व
B. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
C. प्रसादपर्यंत सिद्धांत
D. सहायता और सलाह
सूची II: (विवरण)
i. मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक राज्यपाल की इच्छा हो, व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह से संचालित
ii. राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के आधार पर अपने कार्यों का प्रयोग करता है
iii. पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है
iv. एक मंत्री उन्हें सौंपे गए विशिष्ट विभाग के लिए जवाबदेह होता है
विकल्प:
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस किया जाता है, तो राज्यपाल की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
I. राज्यपाल को तुरंत राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए।
II. राज्य विधानमंडल को छह महीने के भीतर विधेयक पर

Click Here to Buy book on Amazon

12. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 200 के तहत वह विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करता है। अनुच्छेद 356 द्वारा वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के सूचना देने के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 164 के अनुसार बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का निर्णय राज्यपाल अपने विवेक से करता है।

13. (3) वह नाममात्र का प्रमुख है जो विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति के समान होती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है, केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ उसे विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं।

14. (4) राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह राष्ट्रपति को विस्तृत रिपोर्ट भेजकर सूचित करता है कि शासन संविधान के अनुरुप नहीं चल रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। इस दौरान राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन संभालता है।

15. (3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संसदीय परंपरा के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिले, तो राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित कर सकता है। वह किसी भी गठबंधन को नियुक्त करने हेतु बाध्य नहीं है।

16. (2) वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जो विधानसभा में विश्वास प्राप्त होने के अधीन है।
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यदि वह सदन का विश्वास खो देता है और त्यागपत्र नहीं देता, तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है।

17. (4) उपरोक्त सभी
मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया के रूप में बहुआयामी कार्यों का निर्वहन करता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के आवंटन हेतु राज्यपाल को सलाह देता है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वह विकास नीतियों का नेतृत्व करता है। वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संचार की मुख्य कड़ी है तथा सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

18. (1) राज्य विधानसभा के प्रति
संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

19. (3) मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा।
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को कैबिनेट निर्णयों का समर्थन करना अनिवार्य है। यदि कोई मंत्री सरकार की किसी नीति से असहमत होता है और उसका बचाव करने में असमर्थ रहता है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री पद पर रहते हुए सरकार के आधिकारिक निर्णय की सार्वजनिक आलोचना या विरोध नहीं किया जा सकता।

20. (1) केवल I और II
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह उसे त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेता।

21. (3) राजनीतिक कार्य समिति
राज्य सरकार में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु मंत्रिमंडल समितियां गठित की जाती हैं। इनमें 'राजनीतिक कार्य समिति' सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों का निपटारा करती है। इसकी अध्यक्षता प्रायः मुख्यमंत्री करते हैं। यह समिति शासन के दूरगामी निर्णयों और राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण कर सरकार की दिशा निर्धारित करने में सहायक भूमिका निभाती है।

22. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
राज्यपाल विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भिन्न परिस्थितियों में करता है। त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक पर आधारित होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कानूनी परामर्श हेतु की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति स्वतंत्र चुनाव संचालन के लिए होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की औपचारिक सलाह और सिफारिश के आधार पर ही करता है।

23. (4) राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना और विधिक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करना।
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना है। वह उन सभी विधिक कर्तव्यों का पालन करता है जो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाते हैं। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता

Downloaded from www.pdf.tube

46. (2) अनुच्छेद 161
अनुच्छेद 161 राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके तहत वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले अपराधों हेतु दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या निलंबित कर सकता है। राज्यपाल की यह शक्ति मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति के समान पूर्ण क्षमादान तक विस्तारित नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विधिक सीमा है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाती है।

47. (2) I, III और IV
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। इसकी नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता अनिवार्य है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है और राज्यपाल ही उसका पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। महाधिवक्ता का वेतन संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है और न्यायालयों में सरकार का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है।

48. (1) राज्य विधानमंडल को छह महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा।
जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करता है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु वापस भेजते हैं, तब एक विशिष्ट समय सीमा लागू होती है। विधानमंडल को राष्ट्रपति का संदेश प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से विचार करना होता है। यदि विधानमंडल उसे पुनः पारित करता है, तो उसे फिर से राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाता है।

49. (2) केवल II और V
मंत्रिमंडल समितियां शासन कार्यों को सुगम बनाने वाली संविधान-इतर संस्थाएं हैं। इनका गठन मुख्यमंत्री द्वारा कार्य संचालन नियमों के तहत किया जाता है। ये समितियां स्थायी या तदर्थ प्रकार की हो सकती हैं जो जटिल नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करती हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री अधिकांश समितियों के अध्यक्ष होते हैं, परंतु कुछ की अध्यक्षता अन्य वरिष्ठ मंत्री भी कर सकते हैं। यह प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

50. (1) टीकाराम पालीवाल
राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए, जिसके पश्चात लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने मार्च 1952 में कार्यभार संभाला। उनसे पूर्व मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। पालीवाल का कार्यकाल छोटा था, परंतु वे राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला रखने वाले पहले निर्वाचित जननेता थे, जिन्होंने संसदीय परंपराओं की शुरुआत की और राज्य को नई दिशा दी।

51. (3) संसदीय रूप
भारत ने राज्य स्तर पर सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों हेतु विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होती है। राज्यपाल केवल नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होते हैं। मंत्रिपरिषद तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है।

52. (4) मंत्रिमंडल एक दल के रूप में कार्य करता है, और सभी मंत्री निर्णयों पर एक साथ तैरते और डूबते हैं।
सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सरकार के प्रत्येक निर्णय हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 'एक साथ तैरने और डूबने' का मुहावरा इसी एकजुटता और संयुक्त जवाबदेही को दर्शाता है जो शासन की स्थिरता हेतु आवश्यक है।

53. (3) पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होना सरकार के बहुमत खोने का प्रमाण है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होता है, मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल या मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव रोकने का अधिकार नहीं होता। इसके पश्चात राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना तलाशते हैं या विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।

54. (2) राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि मुख्यमंत्री ने सदन का विश्वास खो दिया है और वह त्यागपत्र देने से इनकार करता है, तो राज्यपाल के पास उसे बर्खास्त करने की संवैधानिक शक्ति है। अल्पमत की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, इसलिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यह राज्यपाल की महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है।

55. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के विभिन्न स्तर उनके उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं और नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या सहायता हेतु नियुक्त होते हैं। उप मंत्री सबसे कनिष्ठ होते हैं जो मंत्रियों को प्रशासनिक और संसदीय कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। यह ढांचा कार्यपालिका के सुचारु संचालन और विशिष्टता को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

56. (2) हाँ, छह महीने के लिए, जिसके भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा।
अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे भी मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। परंतु यह नियुक्ति केवल छह महीने की निरंतर अवधि हेतु वैध होती है। इस समय सीमा के भीतर उस व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद (यदि हो) का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य

NODIA

35. (3) राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और तटस्थ व्यक्तित्व वाला होना चाहिए।
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद की निष्पक्षता हेतु सुझाव दिए थे। आयोग के अनुसार नियुक्त व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से दूर रहे। उसे एक ऐसा प्रतिष्ठित और तटस्थ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो सक्रिय राजनीति में बहुत गहराई से न जुड़ा हो, जिससे वह केंद्र और राज्य के बीच सेतु बन सके।

36. (2) संवैधानिक मशीनरी की विफलता - स्थिति का आकलन - राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
अनुच्छेद 356 की प्रक्रिया राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम राज्यपाल अनुभव करता है कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसके पश्चात वह स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। रिपोर्ट और अन्य सूचनाओं से संतुष्ट होने के बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की औपचारिक घोषणा करते हैं।

37. (3) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, जो उसे किसी भी समय हटा सकते हैं।
प्रसादपर्यंत का सिद्धांत राज्यपाल के कार्यकाल की अनिश्चितता दर्शाता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार यद्यपि कार्यकाल पांच वर्ष है, परंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहता है। राष्ट्रपति बिना कारण बताए राज्यपाल को पदमुक्त या स्थानांतरित कर सकते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह बना रहे और संघीय ढांचे में समन्वय स्थापित हो सके।

38. (2) भारत के राष्ट्रपति को
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि कोई राज्यपाल अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व स्वेच्छा से पद त्यागना चाहता है, तो उसे अपना त्यागपत्र सीधे भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात ही वह अपने कर्तव्यों से मुक्त माना जाता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

39. (4) संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश यह उत्तरदायित्व निभाते हैं। शपथ में राज्यपाल संविधान और कानून के संरक्षण तथा जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यह एक अनिवार्य विधिक और संवैधानिक प्रक्रिया है।

40. (1) केवल I और II
मुख्यमंत्री विधानमंडल के सत्र बुलाने और समाप्त करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। वह सरकार की नीतियों का जनता और सदन के समक्ष मुख्य प्रवक्ता होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र कार्यपालिका के संचालन और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व तक ही सीमित है।

41. (1) III, II, I, IV
राज्य में मंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित है। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति की जाती है। इसके पश्चात मंत्री को राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री मंत्री को विशिष्ट विभाग आवंटित करता है। अंत में, मंत्री कार्यभार संभालकर अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाना प्रारंभ करता है। यह अनुक्रम शासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

42. (1) मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया और धुरी होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करनी पड़ती है। नई मंत्रिपरिषद का गठन नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पश्चात ही संभव हो पाता है।

43. (2) यह मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही, यह भी प्रावधान है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रशासनिक मितव्ययिता और स्थिरता हेतु महत्वपूर्ण है।

44. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
संविधान के अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के ढांचे को निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 164(2) सामूहिक उत्तरदायित्व की पुष्टि करता है, जिसके तहत पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। अनुच्छेद 164(1) मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करने का उल्लेख करता है। 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 और अधिकतम सीमा विधानसभा सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत निर्धारित है।

45. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। यह भूमिका संविधान के बजाय संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा प्रदान की जाती है। वैधानिक रूप से राज्यपाल इन विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। चूंकि यह कार्य वैधानिक नियमों पर आधारित है, इसलिए राज्यपाल इन मामलों में स्वतंत्र रूप से या नियमों के अनुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत है।

Click Here to Buy book on Amazon

है तथा सरकारी नीतियों को विधिक रूप से न्यायसंगत बनाने में सहायक होता है।

24. (3) अनुच्छेद 165
संविधान का अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इस पद हेतु वही योग्यताएं अनिवार्य हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती हैं। यह राज्य सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है।

25. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। वह विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी बन सकता है। यद्यपि वह सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग ले सकता है, परंतु वह किसी विधायी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता। मतदान का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों तक सीमित है।

26. (1) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा
भारतीय संविधान में विशिष्ट राज्यों हेतु विशेष सामाजिक उत्तरदायित्वों का प्रावधान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण हेतु एक अलग प्रभारी मंत्री की नियुक्ति संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इस मंत्री के पास अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग के विकास की जिम्मेदारी भी हो सकती है। यह प्रावधान इन क्षेत्रों की विशिष्ट जनसांख्यिकी और जरूरतों हेतु किया गया है।

27. (4) I, II, III और IV
राज्यपाल की विधेयकों को आरक्षित करने की शक्ति व्यापक है। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, तो उसे आरक्षित करना अनिवार्य है। वह नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विधेयकों को रोक सकता है। एक बार विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने पर राज्यपाल की भूमिका संदेश प्राप्त होने तक समाप्त हो जाती है।

28. (2) वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम है।
मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में धुरी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार वह मंत्रिपरिषद के प्रशासनिक निर्णयों और प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को देने हेतु उत्तरदायी है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के एकमात्र आधिकारिक सेतु के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल शासन संबंधी कोई भी सूचना मुख्यमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं।

29. (2) केवल II और V
राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में कोई विशिष्ट आधार जैसे भ्रष्टाचार या राजद्रोह वर्णित नहीं है। उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह तब तक पद पर रहता है जब तक उत्तराधिकारी कार्यभार न ले ले। विधानमंडल को राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का अधिकार नहीं है। अतः यह पद पूर्णतः केंद्र के विश्वास पर आधारित है।

30. (4) राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना।
अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यदि राज्यपाल किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी मांगते हैं, तो मुख्यमंत्री उसे प्रदान करने हेतु बाध्य है। यह प्रक्रिया शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

31. (1) स्थितिजन्य विवेक का प्रयोग करते समय, जैसे कि त्रिशंकु विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
राज्यपाल प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु कुछ स्थितियों में वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। जब चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब मुख्यमंत्री के चयन में वह स्थितिजन्य विवेक का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु होने और उत्तराधिकारी स्पष्ट न होने पर भी राज्यपाल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है।

32. (2) मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति
राज्यपाल को राज्य विधियों के विरुद्ध अपराधों हेतु क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 161 के तहत वह सजा को कम या निलंबित कर सकता है। परंतु, मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा करने का अधिकार उसके पास नहीं है। मृत्युदंड को क्षमा करने की अनन्य शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल केवल कारावास की सजा में राहत दे सकता है।

33. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ संसदीय प्रक्रियाओं का अंग हैं। 'आहूत करना' का अर्थ विधानमंडल की बैठक बुलाना है। 'सत्रावसान' द्वारा राज्यपाल सत्र को समाप्त करता है। 'भंग करना' विधानसभा के अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया है। 'संबोधन' वह औपचारिक भाषण है जो राज्यपाल नई विधानसभा के गठन या वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

34. (3) छह महीने और छह सप्ताह
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति विधानमंडल के अधिनियम के समान होती है। विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने का हो सकता है। सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश को छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य है। अन्यथा यह प्रभावी नहीं रहता। अतः तकनीकी रूप से अध्यादेश अधिकतम छह महीने और छह सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है।

NODIA

है। यदि वह सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ता है।

57. (4) अनुच्छेद 167
अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों का वर्णन करता है जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह प्रशासनिक निर्णयों और आगामी विधायी प्रस्तावों की पूरी जानकारी राज्यपाल को प्रदान करे। यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है, जिससे संवैधानिक प्रमुख राज्य की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहता है और समन्वय बना रहता है।

58. (1) वह मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाते समय महाधिवक्ता की सलाह पर कार्य करता है।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान है। वह मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह देता है और उनके विभागों का वितरण करता है। यदि किसी मंत्री से मतभेद हो, तो वह उसे त्यागपत्र देने को कह सकता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करता है और वह इसके लिए किसी बाहरी अधिकारी की सलाह हेतु बाध्य नहीं है। बैठकों का कार्यसूची या एजेंडा भी मुख्यमंत्री ही निर्धारित करता है।

59. (4) राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर दे।
अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर दे। यदि विधानमंडल छह महीने के भीतर इसे पुनः पारित करता है, तो भी राष्ट्रपति इसे अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है।

60. (4) I, II और III
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राजकोषीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की अग्रिम सिफारिश अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, जिससे वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम धन जारी कर सकता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

61. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ जिला और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करता है। वहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। यह व्यवस्था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय का एक संवैधानिक तंत्र है।

62. (4) वह मुख्यमंत्री जिसे सदन में बहुमत प्राप्त है
विधानसभा भंग करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है, जिसका प्रयोग सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। राज्यपाल उस मुख्यमंत्री की सलाह मानने हेतु बाध्य है जिसके पास सदन में स्पष्ट बहुमत है। यदि बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर नए चुनाव की सिफारिश करता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकार करना पड़ता है। परंतु यदि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुका हो, तो राज्यपाल उसकी सलाह अस्वीकार कर सकता है।

63. (3) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा निर्धारित की। अनुच्छेद 164 में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन का उद्देश्य जंबो मंत्रिमंडलों के गठन को रोकना और दलबदल पर अंकुश लगाकर शासन में स्थिरता तथा प्रशासनिक मितव्ययिता सुनिश्चित करना था।

64. (2) इसकी किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।
अनुच्छेद 163(3) मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह के संबंध में सुरक्षात्मक प्रावधान करता है। इसके अनुसार मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच या समीक्षा नहीं की जा सकती। यह प्रावधान मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच गोपनीय चर्चाओं की पवित्रता बनाए रखने हेतु बनाया गया है, ताकि शासन संबंधी निर्णय निर्बाध और निष्पक्ष रूप से लिए जा सकें।

65. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यद्यपि राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु अनुच्छेद 163 उसे कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है। संविधान के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। इसका अर्थ है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने हेतु अधिकृत है, जो उसे केवल औपचारिक प्रमुख नहीं रहने देता।

66. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
राजस्थान के राज्यपालों का कार्यकाल ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। गुरुमुख निहाल सिंह 1956 में पुनर्गठित राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। डॉ. संपूर्णानंद के समय 1967 में राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। रघुकुल तिलक पहले राज्यपाल थे जिन्हें कार्यकाल पूर्व बर्खास्त किया गया। एम. चन्ना रेड्डी के समय 1992 में अयोध्या प्रकरण के पश्चात चौथी बार राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

67. (1) I, II और III
मुख्यमंत्री नीति निर्माण और प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। वह विधानमंडल में सरकार की समस्त महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। आपातकालीन स्थिति में वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक की भूमिका निभाता है और त्वरित निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री का सभी सरकारी विभागों

Downloaded from www.pdf.tube

पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण होता है। वह प्रशासनिक कुशलता हेतु किसी भी विभाग के कार्यों में मार्गदर्शन करने की शक्ति रखता है।

68. (4) सत्तारूढ़ मंत्रियों की निगरानी के लिए विपक्ष द्वारा गठित एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल।
'छाया मंत्रिमंडल' ब्रिटिश संसदीय परंपरा की अवधारणा है जिसमें मुख्य विपक्षी दल एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल गठित करता. है। विपक्ष का प्रत्येक सदस्य सरकार के एक विशिष्ट विभाग की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सरकार को जवाबदेह बनाना और भविष्य में सत्ता संभालने हेतु विपक्षी नेताओं को प्रशिक्षित करना है। भारतीय राज्यों में यह व्यवस्था औपचारिक रूप से बहुत कम देखी जाती है।

69. (3) केवल I, II और V
महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 के तहत एक संवैधानिक पद है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और उसे विधिक विषयों पर परामर्श देता है। महाधिवक्ता को निजी प्रैक्टिस की अनुमति है, परंतु वह सरकार के विरुद्ध किसी मामले में खड़ा नहीं हो सकता। उसे केवल संबंधित राज्य के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करता है और उसकी नियुक्ति वैधानिक नहीं संवैधानिक है।

70. (2) मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा निकाय है, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में स्पष्ट अंतर है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री शामिल होते हैं। इसके विपरीत, मंत्रिमंडल या 'कैबिनेट' केवल वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा समूह है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। वास्तविक शक्तियां इसी छोटे समूह के पास केंद्रित होती हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें नियमित होती हैं, जबकि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में समग्र रूप से कार्य करती है।

71. (1) I, III, II, IV
राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल विकास के चरणों को दर्शाता है। मोहन लाल सुखाड़िया ने 1954 में प्रथम कार्यकाल शुरू किया और लंबे समय तक पद पर रहे। उनके पश्चात बरकतुल्लाह खान ने 1971 में पदभार ग्रहण किया। भैरों सिंह शेखावत 1977 में प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे ने 2003 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। यह क्रम राजनीतिक यात्रा की कड़ियों को जोड़ता है।

72. (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
राज्यपाल की अधिकांश शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह से संचालित होती हैं, परंतु कुछ स्थितियों में वह 'स्थितिजन्य विवेक' का प्रयोग करता है। जब चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री के चयन में वह स्वतंत्र निर्णय लेता है। अन्य कार्य जैसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना या आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की औपचारिक सिफारिशों और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही संपन्न किए जाते हैं।

73. (3) पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ
राज्य सरकार के मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर राज्यपाल के समक्ष दो अलग-अलग शपथ लेनी पड़ती हैं। पहली 'पद की शपथ' है जिसमें वह भारत की संप्रभुता बनाए रखने और कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की प्रतिबद्धता जताता है। दूसरी 'गोपनीयता की शपथ' है जिसके तहत वह वचन देता है कि वह किसी सरकारी विषय को अनाधिकृत व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक अनिवार्य न हो।

74. (1) मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल सरकारी कार्यों के सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु नियम बनाता है। इन नियमों के अनुसार राज्य के प्रशासन और नीतियों के निष्पादन की मुख्य जिम्मेदारी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की होती है। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारी शक्ति है जो प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करती है। मुख्य सचिव और अधिकारी केवल मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लागू करने में सहायक होते हैं।

75. (4) राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते संविधान द्वारा सीधे तय नहीं हैं। अनुच्छेद 164(5) के अनुसार इन लाभों को निर्धारित करने की अनन्य शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास है। विधानमंडल समय-समय पर कानूनों के माध्यम से इनमें संशोधन कर सकता है। जब तक विधानमंडल नया कानून नहीं बनाता, तब तक उन्हें वे ही वेतन मिलते हैं जो संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं।

76. (2) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान करती है। इन क्षेत्रों में राज्यपाल के पास स्वायत्त जिला परिषदों के गठन और कार्यों के पर्यवेक्षण की विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल के पास खनिजों की रॉयल्टी के बंटवारे और परिषदों के विघटन जैसे मामलों में व्यापक अधिकार हैं। यह व्यवस्था इन राज्यों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को संरक्षित करती है।

77. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु निर्धारित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटा सकते हैं। महाधिवक्ता पूरी तरह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत ही अपना पद धारण करता है।

NODIA

78. (4) मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा क्योंकि इसका तात्पर्य सरकार के बहुमत का खोना है।
राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं का आधिकारिक दस्तावेज होता है। जब इस पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो इसे पारित होना सरकार के अस्तित्व हेतु अनिवार्य है। यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है, तो इसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास के समान माना जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को नैतिक और संवैधानिक आधार पर तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है।

79. (1) मुख्यमंत्री
राज्य के आर्थिक विकास और नियोजन हेतु राज्य योजना बोर्ड एक महत्वपूर्ण निकाय है। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अध्यक्षता में ही पंचवर्षीय योजनाओं और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह बोर्ड विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और संसाधनों के कुशल आवंटन हेतु रणनीतियां बनाता है ताकि विकास लक्ष्य प्राप्त हों।

80. (2) केवल II
विधानसभा भंग करना राज्यपाल की विवेकपूर्ण शक्ति है। यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो चुका है और वह सदन भंग करने की सलाह देता है, तो राज्यपाल ऐसी सलाह मानने हेतु विवश नहीं है। राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना तलाश सकता है। केवल बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सलाह ही राज्यपाल हेतु बाध्यकारी होती है। विधानसभा भंग होने के पश्चात भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करता है।

81. (2) अनुच्छेद 361
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद की गरिमा हेतु विशेष उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। राज्यपाल अपने कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य हेतु न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये संरक्षण उसे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में सक्षम बनाते हैं।

82. (4) उपरोक्त सभी
मुख्यमंत्री प्रशासनिक दक्षता हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समितियों का नेतृत्व करते हैं। आर्थिक मामलों की समिति वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देती है। राजनीतिक मामलों की समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो जटिल नीतिगत मुद्दों को हल करती है। निवेश पर मंत्रिमंडल समिति औद्योगिक विकास को सुगम बनाती है। मुख्यमंत्री इन सभी समितियों के अध्यक्ष के रूप में शासन की नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष और प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

83. (3) विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को विधानमंडल संबोधित करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के शुरू होने पर राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इसे 'विशेष अभिभाषण' कहा जाता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों और आगामी नीतियों का विवरण होता है। यह संसदीय लोकतंत्र की एक अत्यंत गौरवशाली और अनिवार्य परंपरा है।

84. (4) वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता।
मंत्रिपरिषद का सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन से हो सकता है। यदि विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री बनता है, तो वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। परंतु मतदान के संबंध में नियम है कि सदस्य केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह औपचारिक सदस्य है। अतः विधान परिषद सदस्य होने के नाते वह विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता।

85. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 164 केवल यह उल्लेख करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन हेतु किसी विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। व्यवहार में राज्यपाल संसदीय परंपराओं का पालन करता है, जिसके अनुसार वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। अतः नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल में निहित है, परंतु वह स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं और बहुमत के सिद्धांत से बंधी है।

86. (2) संसदीय सचिव
राज्य मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के मंत्रियों से मिलकर बनती है: कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वरिष्ठतम होते हैं और नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते। उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ मंत्रियों को उनके संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु की जाती है। वे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में संवैधानिक दर्जा या शक्तियां प्राप्त नहीं करते।

87. (1) II, III और IV
विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की शक्तियाँ सीमाओं से बंधी हैं। राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है या अनुमति रोक सकता है। यदि वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है और विधानमंडल उसे पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को अनुमति देनी ही पड़ती है। धन विधेयकों के मामले में वह उन्हें पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि वे उसकी पूर्व अनुमति से पेश होते हैं।

88. (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
विभिन्न आयोगों ने राज्यपाल पद को पारदर्शी बनाने हेतु सिफारिशें की हैं। सरकारिया आयोग ने मुख्यमंत्री से परामर्श पर जोर दिया। पुंछी आयोग ने विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक व्यक्ति को एक से अधिक कार्यकाल न देने का सुझाव दिया। वेंकटचलैया आयोग ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की

Click Here to Buy book on Amazon

रिपोर्ट को तार्किक और लिखित कारणों पर आधारित होने की आवश्यकता बताई।

89. (1) केवल I और V
मुख्यमंत्री राज्य के भीतर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे निकायों का नेतृत्व करता है। परंतु अंतर-राज्य परिषद एक केंद्रीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री के पास राज्यपाल को सत्रावसान की सलाह देने की शक्ति है, परंतु वह स्वयं सत्रावसान नहीं कर सकता। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और राज्यपाल को शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना समय-समय पर प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है।

90. (1) उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को पद पर रहते हुए व्यापक विधिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। उसे गिरफ्तारी और कारावास से भी पूरी छूट प्राप्त है। व्यक्तिगत कार्यों हेतु दीवानी कार्यवाही केवल दो महीने का नोटिस देने के पश्चात ही की जा सकती है। ये विशेषाधिकार पद की गरिमा और निर्बाध कर्तव्य पालन सुनिश्चित करते हैं।

91. (4) मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, और राज्यपाल उनसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जारी रखने के लिए कहते हैं।
'कार्यवाहक सरकार' शासन की निरंतरता हेतु आवश्यक है। जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है या विधानसभा भंग होती है, तो राज्यपाल उनसे नई व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने का अनुरोध करते हैं। इस अवधि में कार्यवाहक सरकार केवल दैनिक और नियमित प्रशासनिक कार्य ही करती है। वह कोई बड़ा नीतिगत निर्णय या विधायी प्रस्ताव पेश नहीं करती। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति को रोकना है।

92. (2) एक मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट हो, तो वह उसे हटा सकता है। इसका अर्थ है कि मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर टिका होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मंत्रिपरिषद एक अनुशासित इकाई के रूप में एकजुट होकर कार्य करती रहे।

93. (3) (1) और (2) दोनों सही हैं।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में मूलभूत अंतर हैं। राष्ट्रपति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। राज्यपाल केवल सजा को निलंबित या उसमें देरी कर सकता है, परंतु उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।

94. (2) आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को मंत्रालयी मामलों का खुलासा न करना।
मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को पदभार ग्रहण से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह शपथ उन्हें विधिक रूप से बाध्य करती है कि वे मंत्रिमंडल की चर्चाओं और संवेदनशील सूचनाओं को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे। इस गोपनीयता का उल्लंघन केवल तभी संभव है जब कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ऐसा करना अनिवार्य हो। यह परंपरा शासन की रणनीतियों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक है।

95. (1) किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, और सभी प्रमुख गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहते हैं।
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तब की जाती है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण वह स्थिति है जब चुनाव के पश्चात किसी दल के पास बहुमत नहीं होता और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता। ऐसी स्थिति में शासन संविधान के अनुरूप चलाना असंभव हो जाता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं।

96. (2) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, जो व्यावहारिक रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है।
संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका के दो रूप होते हैं। राज्यपाल राज्य का नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसके नाम पर सभी कार्य किए जाते हैं। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद 'वास्तविक कार्यपालिका' कहलाती है। शासन संचालन और नीतिगत निर्णयों की वास्तविक शक्ति इसी मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

97. (2) पद पर रहते हुए उसे किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसे वही पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल निर्धारित करें। उसे विधानमंडल में बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान का नहीं। संविधान महाधिवक्ता पर किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रायः सरकार बदलने के साथ ही इस पद पर नई नियुक्ति की जाती है।

98. (1) अनुच्छेद 163
संविधान का अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद के गठन और भूमिका को परिभाषित करता है। इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह अनुच्छेद विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में राज्यपाल हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य बनाता है। यह राज्य स्तर पर संसदीय

NODIA

शासन प्रणाली की आधारशिला है जो चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करती है।

99. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
राज्य कार्यपालिका के संचालन में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग हेतु जिम्मेदार होता है। प्रसादपर्यंत सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्री तब तक पद पर हैं जब तक उन्हें मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है। सहायता और सलाह का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य करे।

100. (2) केवल II और III
जब राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजते हैं, तो विधानमंडल को छह महीने के भीतर उस पर विचार करना अनिवार्य है। यदि विधानमंडल इसे पुनः पारित कर देता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष दूसरी बार प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दूसरी बार भी राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं हैं। इस प्रक्रिया में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 14
राजस्थान विधानसभा

1. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अधिदेश देता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा?
(1) अनुच्छेद 167
(2) अनुच्छेद 168
(3) अनुच्छेद 169
(4) अनुच्छेद 170
(5) अनुत्तरित प्रश्न

2. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संविधान के अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 169
B. अनुच्छेद 170
C. अनुच्छेद 174
D. अनुच्छेद 178
सूची II: (राज्य विधानमंडलों के संबंध में प्रावधान)
i. राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
ii. विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
iii. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
iv. विधानसभाओं की संरचना
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

3. राजस्थान के विधायी ढांचे को एकसदनीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। राज्य के संदर्भ में इसका विशिष्ट अर्थ क्या है?
(1) राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल और विधान परिषद शामिल हैं
(2) राज्य विधानमंडल में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक एकल राज्यपाल शामिल है
(3) राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल और विधानसभा शामिल हैं
(4) राज्य विधानमंडल राज्यपाल की सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

4. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राजस्थान विधानमंडल एक विधायी निकाय है जिसमें राज्यपाल और विधानसभा शामिल हैं।
कथन II: राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है क्योंकि वह विधानसभा के दैनिक सत्रों की अध्यक्षता करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

5. भारत में राज्य विधानमंडलों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान में एकसदनीय विधानमंडल है।
II. मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है।
III. गुजरात में एकसदनीय विधानमंडल है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

6. परिसीमन द्वारा निर्धारित राजस्थान विधानसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
(1) 160 सदस्य
(2) 184 सदस्य
(3) 200 सदस्य
(4) 210 सदस्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है।
कारण (R): भारत की संसद के पास साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनन्य शक्ति है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करे।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Downloaded from www.pdf.tube

8. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अपनी संरचनात्मक प्रकृति के कारण राजस्थान राज्य विधानमंडल पर लागू नहीं होता है?
(1) अनुच्छेद 170 (विधानसभाओं की संरचना)
(2) अनुच्छेद 171 (विधान परिषदों की संरचना)
(3) अनुच्छेद 174 (राज्य विधानमंडल के सत्र)
(4) अनुच्छेद 178 (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

9. यदि राजस्थान विधानसभा विधान परिषद के गठन की मांग वाला प्रस्ताव पारित करती है, तो इसका तात्कालिक संवैधानिक प्रभाव क्या होगा?
(1) छह माह की अवधि के भीतर विधान परिषद स्वतः गठित हो जाएगी
(2) राज्यपाल नई परिषद स्थापित करने के लिए तुरंत एक अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे
(3) भारत की संसद को परिषद बनाने के लिए एक विशिष्ट विधि बनानी होगी
(4) भारत के राष्ट्रपति परिषद के गठन के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करेंगे
(5) अनुत्तरित प्रश्न

10. प्रथम राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित किया गया था?
(1) 29 फरवरी 1952
(2) 29 मार्च 1952
(3) 26 जनवरी 1950
(4) 15 अगस्त 1951
(5) अनुत्तरित प्रश्न

11. राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या किस विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़ाकर 200 कर दी गई थी?
(1) चौथे विधानसभा चुनाव
(2) पांचवें विधानसभा चुनाव
(3) छठे विधानसभा चुनाव
(4) सातवें विधानसभा चुनाव
(5) अनुत्तरित प्रश्न

12. राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
II. उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
III. उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
IV. उम्मीदवार को राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II
(3) केवल II और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

13. संविधान के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(1) लाभ का पद धारण करना - अनुच्छेद 191(1)(A)
(2) विकृतचित्त होना - अनुच्छेद 191(1)(B)
(3) अनुन्मोचित दिवालिया - अनुच्छेद 191(1)(C)
(4) दलबदल के आधार पर अयोग्यता - अनुच्छेद 191(1)(D)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

14. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अयोग्यता का आधार)
A. कतिपय चुनावी अपराधों के लिए दोषी पाया जाना
B. स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना
C. दल के निर्देशों (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करना
D. राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना
सूची II: (प्राधिकार का स्रोत)
i. संविधान की दसवीं अनुसूची
ii. संविधान का अनुच्छेद 191(1)
iii. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
iv. संविधान का अनुच्छेद 191(1)(A)
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

15. "लाभ का पद" की अवधारणा विधायक को अयोग्य घोषित करने का एक प्रमुख आधार है। भारत के संविधान के अनुसार, यह घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है कि कौन से पद अपने धारकों को राज्य विधानमंडल का सदस्य होने से अयोग्य नहीं ठहराते हैं?
(1) विधि द्वारा राज्य विधानमंडल
(2) राज्य के राज्यपाल
(3) राज्य का उच्च न्यायालय
(4) भारत का निर्वाचन आयोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

16. प्रथम विधानसभा से वर्तमान तक राजस्थान विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या (सीटों की संख्या) के विकास को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
I. 200 सदस्य
II. 184 सदस्य
III. 160 सदस्य
IV. 176 सदस्य
सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(1) III, II, IV, I
(2) III, IV, II, I
(3) IV, III, II, I
(4) I, II, IV, III

NODIA

iii. विस्तृत जांच के बिना विधेयक के सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा
iv. स्वीकार या अस्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण विधेयक पर मतदान
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

33. राजस्थान विधानसभा में एक साधारण सार्वजनिक विधेयक को पारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही प्रक्रियात्मक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. विधानसभा में मतदान और पारित होना
II. विधेयक का पुर:स्थापन
III. राज्यपाल द्वारा अनुमति
IV. खंड-वार विचार-विमर्श
सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(1) II, IV, I, III
(2) II, I, IV, III
(3) IV, II, I, III
(4) II, IV, III, I
(5) अनुत्तरित प्रश्न

34. जब राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
(1) वह विधेयक में संशोधन कर सकते हैं और इसे स्वयं विधि के रूप में पारित कर सकते हैं
(2) वह विधेयक पर अपनी संवैधानिक अनुमति औपचारिक रूप से दे सकते हैं
(3) वह प्रस्तावित विधेयक पर अनुमति रोकने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं
(4) वह विधेयक को सदन के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान जैसे एकसदनीय विधानमंडल में, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन की मंजूरी की आवश्यकता के बिना सीधे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए जाता है।
कारण (R): संविधान यह अधिदेश देता है कि 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले सभी राज्यों में केवल विधानसभा होनी चाहिए।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

36. यदि राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा को पुनर्विचार के लिए एक साधारण विधेयक वापस करते हैं, और विधानसभा इसे संशोधनों के साथ या उसके बिना फिर से पारित कर देती है, तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए?
(1) उन्हें इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होगा
(2) वह अनिश्चित काल के लिए अपनी अनुमति रोक सकते हैं
(3) वह इसे द्वितीय पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं
(4) उन्हें विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी
(5) अनुत्तरित प्रश्न

37. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राजस्थान के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना होगा यदि वह राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को संकट में डालता है।
कथन II: एक बार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है, तो उसके अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

38. राजस्थान विधानसभा के भीतर संसदीय प्रक्रिया में, विधेयक के "प्रथम वाचन" को क्या परिभाषित करता है?
(1) विधेयक के लिए प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के संबंध में विस्तृत चर्चा का आयोजन
(2) विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव और उसका आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन
(3) विधेयक के सफल पारित होने के लिए सदन द्वारा आयोजित अंतिम मतदान प्रक्रिया
(4) प्रस्तावित विधेयक को नामित प्रवर समिति को भेजने की औपचारिक प्रक्रिया
(5) अनुत्तरित प्रश्न

39. राज्य विधानसभा में विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यक बहुमत के प्रकारों के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) एक साधारण विधेयक का पारित होना - विशेष बहुमत
(2) विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव - साधारण बहुमत
(3) मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव - प्रभावी बहुमत
(4) अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव - प्रभावी बहुमत
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Click Here to Buy book on Amazon

24. राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है?
(1) विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करना
(2) गणपूर्ति के अभाव में विधानसभा को स्थगित करना
(3) अभद्र व्यवहार के लिए किसी सदस्य को निलंबित करना
(4) विभिन्न विधायी समितियों के अध्यक्षों को नामित करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

25. राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को प्राचीनतम से नवीनतम के सही कालानुक्रमिक क्रम में चुनिए:
(1) राम निवास मिर्धा → परसराम मदेरणा → दीपेंद्र सिंह शेखावत → सी.पी. जोशी
(2) परसराम मदेरणा → राम निवास मिर्धा → सी.पी. जोशी → दीपेंद्र सिंह शेखावत
(3) राम निवास मिर्धा → दीपेंद्र सिंह शेखावत → परसराम मदेरणा → सी.पी. जोशी
(4) परसराम मदेरणा → दीपेंद्र सिंह शेखावत → राम निवास मिर्धा → सी.पी. जोशी
(5) अनुत्तरित प्रश्न

26. राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखित रूप में किसे संबोधित करता है?
(1) विधानसभा के उपाध्यक्ष को
(2) राजस्थान के राज्यपाल को
(3) राजस्थान के मुख्यमंत्री को
(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
(5) अनुत्तरित प्रश्न

27. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है।
कथन II: अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

28. राजस्थान विधानसभा में एक साधारण विधेयक पर चर्चा के दौरान, प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर संख्या में मत पड़ते हैं। इस स्थिति में अध्यक्ष कैसे कार्य करेगा?
(1) अध्यक्ष को अंतिम निर्णय के लिए विधेयक को राज्यपाल के पास भेजना होगा
(2) अध्यक्ष गतिरोध को दूर करने के लिए निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है
(3) अध्यक्ष विधेयक को अस्वीकृत घोषित करने के लिए बाध्य है
(4) अध्यक्ष अपनी दलीय संबद्धता व्यक्त करने के लिए एक सामान्य सदस्य की तरह मतदान कर सकता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

29. राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस विशिष्ट कार्यवाही के दौरान उनकी स्थिति और मतदान अधिकारों पर संवैधानिक प्रभाव क्या होगा?
(1) वह विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने का अधिकार रखते हैं लेकिन मतदान करने से प्रतिबंधित हैं
(2) उन्हें सत्र की अध्यक्षता करने से प्रतिबंधित किया गया है और किसी भी प्रकार का मत देने से पूरी तरह वर्जित है
(3) वह प्रथमतः मतदान कर सकते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते या निर्णायक मत नहीं दे सकते
(4) वह विधानसभा की अध्यक्षता करना जारी रखते हैं और केवल एक एकल निर्णायक मत देने तक सीमित हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

30. राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष की स्थिति का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) वह अध्यक्ष के अधीनस्थ हैं और सीधे उन्हें जवाबदेह हैं
(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह केवल राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं
(3) वह सत्ताधारी दल के संसदीय बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं
(4) वह अध्यक्ष से स्वतंत्र हैं और सीधे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

31. राजस्थान विधानसभा की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि बना सकती है।
II. इसके पास समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।
III. समवर्ती सूची के विषयों पर इसकी विधियां संसदीय विधियों पर प्रभावी होती हैं यदि उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई हो।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

32. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (साधारण विधेयक पारित करने के चरण)
A. प्रथम वाचन
B. द्वितीय वाचन
C. तृतीय वाचन
D. समिति अवस्था
सूची II: (संबंधित गतिविधियां)
i. विधेयक की प्रत्येक खंड पर विस्तृत जांच
ii. विधेयक का पुर:स्थापन और राजपत्र में प्रकाशन

NODIA

(5) अनुत्तरित प्रश्न

17. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विधायक अनुच्छेद 191(1) के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
कथन II: ऐसे प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले, राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की राय प्राप्त करना आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

18. निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजस्थान विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का आधार नहीं है?
(1) एक अनुन्मोचित दिवालिया होना
(2) चुनावों में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाना
(3) निर्धारित समय के भीतर चुनावी व्यय का लेखा-जोखा दाखिल करने में विफल रहना
(4) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों का कारावास हो
(5) अनुत्तरित प्रश्न

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य ठहराया गया राजस्थान का एक विधायक अंतिम निर्णय के लिए सीधे राज्यपाल से अपील करता है।
कारण (R): विधानसभा अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए नामित प्राधिकारी है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

20. राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए?
(1) 18 वर्ष
(2) 21 वर्ष
(3) 25 वर्ष
(4) 30 वर्ष
(5) अनुत्तरित प्रश्न

21. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा वरिष्ठतम सदस्यों में से नामित किया जाता है
(2) अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान के सभी वर्तमान सांसदों और विधायकों के एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है
(3) अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है
(4) अध्यक्ष की नियुक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

22. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों पर विचार कीजिए:
I. वह विधानसभा में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है।
II. वह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
III. वह विधानसभा की सभी संसदीय समितियों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
IV. वह मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है।
V. वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II, IV और V
(2) केवल I, II, III और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

23. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (ऐतिहासिक प्रथम)
A. राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष
B. राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष
C. राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
D. राजस्थान विधानसभा के प्रथम सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)
सूची II: (व्यक्तित्व)
i. संग्राम सिंह
ii. नरोत्तम लाल जोशी
iii. सुमित्रा सिंह
iv. लाल सिंह शक्तावत
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(4) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Downloaded from www.pdf.tube

40. राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति राज्यपाल को एक साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
II. यदि राज्य विधानमंडल वापस किए गए विधेयक को फिर से पारित करता है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं।
III. संविधान वह समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक पर कार्रवाई करनी चाहिए।
IV. राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को आरक्षित किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

41. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संदर्भ में "धन विधेयक" को परिभाषित करता है?
(1) अनुच्छेद 198
(2) अनुच्छेद 199
(3) अनुच्छेद 202
(4) अनुच्छेद 207
(5) अनुत्तरित प्रश्न

42. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (वित्तीय विधायी शब्द)
A. वार्षिक वित्तीय विवरण
B. अनुदान की मांगें
C. विनियोग विधेयक
D. लेखानुदान
सूची II: (संवैधानिक अर्थ/प्रावधान)
i. बजट पारित होने से पहले अल्पकालिक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान
ii. संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार
iii. एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय
iv. संचित निधि से व्यय का अनुमान जिसके लिए मतदान की आवश्यकता होती है
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

43. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में राज्य के बजट के अधिनियमन के सही अनुक्रम को दर्शाता है?
(1) सामान्य चर्चा → बजट का प्रस्तुतीकरण → समितियों द्वारा जांच → मांगों पर मतदान → विनियोग विधेयक
(2) बजट का प्रस्तुतीकरण → सामान्य चर्चा → मांगों पर मतदान → विनियोग विधेयक → वित्त विधेयक
(3) बजट का प्रस्तुतीकरण → मांगों पर मतदान → सामान्य चर्चा → वित्त विधेयक → विनियोग विधेयक
(4) सामान्य चर्चा → मांगों पर मतदान → बजट का प्रस्तुतीकरण → विनियोग विधेयक → वित्त विधेयक
(5) अनुत्तरित प्रश्न

44. राजस्थान विधानमंडल में धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. धन विधेयक विधान परिषद में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता।
II. इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुर:स्थापित किया जा सकता है।
III. इसे विधानसभा के किसी भी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किया जा सकता है।
IV. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
V. राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I और IV
(2) केवल III
(3) केवल II, III और V
(4) केवल III और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

45. राजस्थान विधानसभा में अनुच्छेद 199 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले को धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जाता है?
(1) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
(2) राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन
(3) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना
(4) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

46. राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए किस संवैधानिक प्राधिकारी की पूर्व सिफारिश आवश्यक है?
(1) मुख्यमंत्री
(2) विधानसभा अध्यक्ष
(3) राज्य के वित्त मंत्री
(4) राज्य के राज्यपाल
(5) अनुत्तरित प्रश्न

47. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: संविधान के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष

NODIA

के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' सदन के समक्ष रखना आवश्यक है।
कथन II: राजस्थान विधानसभा में बजट केवल मुख्यमंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

48. राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय (जो मतदान के योग्य नहीं हैं) में से विषम का चयन कीजिए:
(1) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते
(2) राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के वेतन और भत्ते
(3) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते
(4) विधानसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते
(5) अनुत्तरित प्रश्न

49. राजस्थान विधानसभा में, यदि सरकार द्वारा पुर:स्थापित धन विधेयक सदन में अस्वीकृत हो जाता है, तो इसका सबसे संभावित राजनीतिक परिणाम क्या होगा?
(1) वित्त मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति को तत्काल त्यागपत्र देना होगा
(2) बहुमत का समर्थन खोने के कारण संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा
(3) राज्यपाल मुख्यमंत्री की किसी भी सलाह के बिना विधानसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग करेंगे
(4) संकट के समाधान के लिए राज्य विधानमंडल की अनिवार्य संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए
(5) अनुत्तरित प्रश्न

50. राजस्थान विधानसभा में 'लेखानुदान' पारित करने का मौलिक उद्देश्य क्या है?
(1) बजट पर चर्चा जारी रहने के दौरान वर्ष के एक भाग के लिए धन की व्यवस्था करना
(2) पिछले वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति देना
(3) एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग में विशिष्ट धन के पुनर्विनियोग को सुलभ बनाना
(4) विशेष रूप से किसी अप्रत्याशित या तत्काल नई सेवाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

51. राजस्थान विधानसभा में उपयोग किए जाने वाले संसदीय प्रश्नों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए:
I. तारांकित प्रश्न
II. अतारांकित प्रश्न
III. अल्प सूचना प्रश्न
उनके उत्तरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है?
(1) I के लिए लिखित उत्तर, II के लिए मौखिक उत्तर, III के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक है
(2) I के लिए मौखिक उत्तर, II के लिए मौखिक उत्तर, III के लिए लिखित उत्तर आवश्यक है
(3) I के लिए मौखिक उत्तर, II के लिए लिखित उत्तर, III के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक है
(4) I के लिए लिखित उत्तर, II के लिए लिखित उत्तर, III के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

52. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संसदीय समितियां)
A. लोक लेखा समिति
B. प्राक्कलन समिति
C. विशेषाधिकार समिति
D. कार्य मंत्रणा समिति
सूची II: (प्राथमिक कार्य)
i. सदन की समय सारणी को विनियमित करती है
ii. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की जांच करती है
iii. प्रशासन में मितव्ययिता के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है
iv. सदस्यों के अधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन की जांच करती है
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

53. राजस्थान विधानसभा की दैनिक दिनचर्या के संदर्भ में, "शून्यकाल" को सबसे अच्छी तरह से कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए आरक्षित विशिष्ट समय
(2) दैनिक बैठक का प्रारंभिक घंटा जो विशेष रूप से आधिकारिक सरकारी कार्य के लिए नामित है
(3) विधायकों के लिए पूर्व सूचना दिए बिना अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को उठाने का एक अनौपचारिक तरीका
(4) विधायी दिन का अंतिम घंटा जिसके दौरान सभी लंबित विधेयकों पर मतदान कराया जाता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

54. राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) इसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके प्रतिवर्ष विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं
(2) परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सत्ताधारी दल से की जाती है

Click Here to Buy book on Amazon

(3) कोई मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है
(4) इसका प्राथमिक कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करना है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

55. राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य विधानमंडल की सतत मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है।
II. राजस्थान में दो प्राक्कलन समितियां (समिति 'क' और समिति 'ख') हैं।
III. समिति के अध्यक्ष का चयन सदैव विपक्ष से किया जाता है।
IV. यह बजट अनुमानों की जांच विधानसभा द्वारा मतदान किए जाने के बाद ही करती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार समिति अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्य करती है।
कारण (R): यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

57. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: 'आधे घंटे की चर्चा' का अर्थ उन पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना है जो हाल के किसी प्रश्न का विषय रहे हैं।
कथन II: ऐसी चर्चाएं सामान्यतः प्रश्नकाल शुरु होने से पहले बैठक के प्रथम घंटे में होती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

58. राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के रूप में उनके वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित समितियों में से विषम का चयन कीजिए:
(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
(2) लोक लेखा समिति
(3) प्राक्कलन समिति 'क'
(4) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
(5) अनुत्तरित प्रश्न

59. राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति में सदस्यों की मानक संख्या कितनी है?
(1) 10 सदस्य
(2) 15 सदस्य
(3) 20 सदस्य
(4) 22 सदस्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

60. राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है?
(1) विशेष रूप से विद्यमान गणपूर्ति की कमी के कारण सदन की दैनिक बैठक को औपचारिक रूप से स्थगित करना
(2) किसी निश्चित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना
(3) सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी भी विवादास्पद विधेयक के विधायी पारित होने में जानबूझकर विलंब करना
(4) सभी सदस्यों को राज्य के बजट के विवरणों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर प्रदान करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

61. राजस्थान के विधायक पर लागू दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
II. एक निर्वाचित सदस्य अपने दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत मतदान करता है।
III. एक निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
IV. एक नामनिर्देशित सदस्य अपना पद ग्रहण करने के छह माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
V. एक सदस्य दल की पूर्व अनुमति से मतदान से अनुपस्थित रहता है।
उपरोक्त में से किन परिदृश्यों के परिणामस्वरूप अयोग्यता होगी?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II, III और IV
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Downloaded from www.pdf.tube

के कारणों की सूचना देने के लिए राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण का अधिदेश देता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

77. राजस्थान विधानसभा में 'धन्यवाद प्रस्ताव' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है
(2) प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सरकार की पराजय के समान है
(3) सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों का प्रस्ताव नहीं दे सकते
(4) मुख्यमंत्री सामान्यतः इस प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

78. भारत और राजस्थान में परंपरा द्वारा मान्य पारंपरिक संसदीय सत्रों में से विषम का चयन कीजिए:
(1) बजट सत्र
(2) मानसून सत्र
(3) शीतकालीन सत्र
(4) वसंत सत्र
(5) अनुत्तरित प्रश्न

79. राजस्थान में अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दिया जाता है।
II. यह राज्य कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है और सरकार की नीतियों को दर्शाता है।
III. अभिभाषण पर चर्चा 'धन्यवाद प्रस्ताव' के माध्यम से होती है।
IV. विरोध के रूप में विपक्षी सदस्यों द्वारा अभिभाषण का बहिष्कार किया जा सकता है।
V. धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने में विफलता का सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, III, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

80. राज्य विधानमंडल के लिए संवैधानिक प्रावधान को उसके संबंधित अनुच्छेद के साथ सुमेलित करने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान - अनुच्छेद 173
(2) सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति - अनुच्छेद 189
(3) स्थानों का रिक्त होना - अनुच्छेद 192
(4) सदस्यों के वेतन और भत्ते - अनुच्छेद 190
(5) अनुत्तरित प्रश्न

81. राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में, "सामयिक अध्यक्ष" (प्रोटेम स्पीकर) की भूमिका को क्या परिभाषित करता है?
(1) एक स्थायी अध्यक्ष जिसे केवल तीन वर्षों के संक्षिप्त कार्यकाल के लिए चुना जाता है
(2) एक अस्थायी अधिकारी जो सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष का चुनाव संचालित करता है
(3) उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष की दीर्घकालीन अनुपस्थिति के दौरान पूर्ण उत्तरदायित्व संभालते हैं
(4) विपक्षी दल का एक वरिष्ठ सदस्य जिसे राज्यपाल द्वारा विधायी खातों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

82. राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(1) राज्य के राज्यपाल
(2) पिछली विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष
(3) राज्य के मुख्यमंत्री
(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(5) अनुत्तरित प्रश्न

83. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (विशेषाधिकारों से संबंधित विधायी अवधारणाएं)
A. अनुच्छेद 194
B. विधानमंडल में वाक्-स्वतंत्रता
C. गिरफ्तारी से मुक्ति
D. अपरिचितों को बाहर निकालने का अधिकार
सूची II: (विवरण)
i. सत्र के दौरान दीवानी मामलों में एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार
ii. गुप्त बैठकें आयोजित करने का सदन का सामूहिक विशेषाधिकार
iii. सदन में कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायिक कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति
iv. राज्य विधानमंडलों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

84. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को सामूहिक

NODIA

69. दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से छूट के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(1) चुनाव के बाद अध्यक्ष का अपने दल से त्यागपत्र देना - छूट प्राप्त
(2) दो-तिहाई सदस्यों का दूसरे दल में विलय - छूट प्राप्त
(3) नया समूह बनाने के लिए एक-तिहाई सदस्यों का विभाजन (वर्तमान विधि) - छूट प्राप्त
(4) चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का अपने दल से त्यागपत्र देना - छूट प्राप्त
(5) अनुत्तरित प्रश्न

70. राजस्थान में विपक्ष के नेता (LoP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. विपक्ष के नेता को राज्य के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन और भत्ते मिलते हैं।
II. विपक्ष के नेता का पद एक सांविधिक पद है न कि संवैधानिक पद।
III. विपक्ष के नेता लोक लेखा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

71. "व्हिप" प्रणाली राजस्थान विधानसभा में दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। व्हिप के पद का उल्लेख कहाँ मिलता है?
(1) यह भारत के संविधान के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रावधान है
(2) यह राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के भीतर पाया जाता है
(3) यह 1951 में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा अनिवार्य एक सांविधिक प्रावधान है
(4) यह लिखित होने के बजाय संसदीय परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

72. विधानसभा में विधायकों को जारी किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के व्हिप पर विचार कीजिए:
I. एक-पंक्ति वाला व्हिप सदस्यों को मतदान की सूचना देता है लेकिन उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति देता है।
II. दो-पंक्ति वाला व्हिप सदस्यों को मतदान के दौरान सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देता है।
III. तीन-पंक्ति वाला व्हिप सदस्यों को उपस्थित रहने और दल के निर्देशानुसार मतदान करने का निर्देश देता है।
IV. तीन-पंक्ति वाले व्हिप का उल्लंघन करने पर दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता हो सकती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

73. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (विधायी प्रक्रियाएं)
A. सत्र आहूत करना
B. सत्र का सत्रावसान
C. अनिश्चित काल के लिए स्थगन
D. विधानसभा का विघटन
सूची II: (निर्धारित प्राधिकारी)
i. पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष)
ii. राज्यपाल
iii. मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल
iv. राज्यपाल
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

74. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह माह से अधिक नहीं हो सकता है।
कथन II: विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार कड़ाई से बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों के लिए होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

75. निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के पास राजस्थान विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करने की संवैधानिक शक्ति नहीं है?
(1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(3) राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष
(4) (2) और (3) दोनों
(5) अनुत्तरित प्रश्न

76. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में, राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं।
कारण (R): अनुच्छेद 176 विधानमंडल को उसके बुलाए जाने

Click Here to Buy book on Amazon

मिल सके। वर्ष 1977 में आयोजित छठे विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों की कुल संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया गया था। इससे पूर्व सीटों की संख्या 184 थी। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया यह परिवर्तन राज्य की विधायी संरचना को व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तब से विधानसभा की यह सदस्य संख्या निरंतर बनी हुई है।

विधायी सीटों में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना था। छठे विधानसभा चुनाव ने राजस्थान की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि से जन समस्याओं को सदन में उठाने के अधिक अवसर प्राप्त हुए। 200 सदस्यों की यह निर्धारित संख्या वर्तमान में भी राज्य के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मानक ढांचा प्रस्तुत करती है, जो जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

12. (B) केवल II

राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कुछ अनिवार्य योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। संविधान के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई कथन इस आयु सीमा को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो वह अमान्य माना जाता है। अन्य योग्यताओं में भारत का नागरिक होना, निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ लेना और राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह नियम विधायी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ये मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य और जागरूक नागरिक ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लें। 25 वर्ष की आयु परिपक्वता का एक मानक है जिसे जन-प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक माना गया है। इन संवैधानिक शर्तों का पालन करना किसी भी नामांकन की वैधता के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग इन योग्यताओं की सावधानीपूर्वक जांच करता है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। अतः आयु संबंधी गलत जानकारी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकती है।

13. (D) दलबदल के आधार पर अयोग्यता - अनुच्छेद 191(1)(D)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191(1) विधायकों की अयोग्यता के विभिन्न आधारों को परिभाषित करता है। इसमें लाभ का पद, विकृतचित्त होना और दिवालियापन जैसे आधार सम्मिलित हैं। हालाँकि, दलबदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 191(2) और दसवीं अनुसूची का विशेष उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 191(1)(D) वास्तव में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यता से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करता है।

विधायकों की निष्ठा और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए इन अयोग्यताओं का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। दलबदल विरोधी कानून को 52वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अनुच्छेद 191(1) और 191(2) के बीच का अंतर विधायी अनुशासन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करता है। जहाँ पहला खंड व्यक्तिगत और कानूनी स्थिति पर केंद्रित है, वहीं दूसरा खंड दलीय निष्ठा पर आधारित है। इन प्रावधानों का सही मिलान संवैधानिक स्पष्टता और न्यायिक व्याख्याओं के लिए अनिवार्य माना जाता है।

NODIA

14. (A) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

विधायकों की अयोग्यता के प्रश्न विभिन्न संवैधानिक और कानूनी स्रोतों द्वारा निर्देशित होते हैं। चुनावी अपराधों के लिए अयोग्यता का आधार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर अयोग्यता अनुच्छेद 191(1) द्वारा निर्धारित होती है। दलबदल या सचेतक के आदेश के उल्लंघन के मामलों का निपटारा संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने पर अयोग्यता का प्रावधान विशेष रुप से अनुच्छेद 191(1)(A) के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

यह बहुस्तरीय प्रणाली विधायी शुचिता बनाए रखने में सहायता करती है। प्रत्येक स्रोत एक विशिष्ट प्रकार के कदाचार या अयोग्यता को संबोधित करता है, जिससे कोई भी विसंगति कानून की नजर से बच न सके। जनप्रतिनिधियों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि वे सदन की सदस्यता के योग्य बने रहें। यह विस्तृत ढांचा न केवल निर्वाचित सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है।

15. (A) विधि द्वारा राज्य विधानमंडल

लाभ का पद धारण करना किसी विधायक के लिए अयोग्यता का कारण बन सकता है, किंतु संविधान राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर कुछ पदों को इस श्रेणी से बाहर रख सके। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसी विधि ही यह निर्धारित करती है कि कौन से पद धारण करने पर सदस्य अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस संबंध में अंतिम विधायी अधिकार स्वयं विधानमंडल के पास सुरक्षित है। यह प्रावधान प्रशासनिक आवश्यकताओं और विधायी कार्यों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से है।

लाभ के पद की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका और विधायिका के बीच हितों के टकराव को रोकना है। राज्य सरकारें समय-समय पर विशिष्ट समितियों या निगमों के पदों को लाभ के पद के दायरे से मुक्त करने के लिए अधिनियम पारित करती हैं। हालाँकि राज्यपाल अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं, परंतु वे विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर ही कार्य करते हैं। अतः विधायी स्तर पर यह घोषित करने की शक्ति केवल राज्य की विधि-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव हो पाती है।

16. (B) III, IV, II, I

राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का विकास राज्य के राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या में आए परिवर्तनों को दर्शाता

विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में वर्गीकृत किया गया है।
कथन II: विधानसभा का सदस्य सदन के सत्र के दौरान सभी आपराधिक और दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का आनंद लेता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

85. राजस्थान में एक विधायक के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक विधायक को विधानसभा के सत्र से 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
II. एक विधायक को अध्यक्ष की अनुमति से भी आपराधिक अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
III. एक विधायक को न्यायालय में साक्ष्य देने या साक्षी के रूप में उपस्थित होने से इनकार करने का अधिकार है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

86. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा के सदस्य के लिए दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति की अवधि का सटीक वर्णन करता है?
(1) सत्र प्रारंभ होने से 14 दिन पूर्व और समाप्त होने के 14 दिन पश्चात
(2) सत्र प्रारंभ होने से 30 दिन पूर्व और समाप्त होने के 30 दिन पश्चात
(3) सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और समाप्त होने के 40 दिन पश्चात
(4) केवल उस अवधि के लिए जब सत्र वास्तव में आयोजित किया जाता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

87. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) विधानसभा के पास अपनी आधिकारिक रिपोर्ट और चर्चा प्रकाशित करने का अनन्य अधिकार है
(2) विधानसभा अन्यों को अपनी चर्चाओं को प्रकाशित करने से रोकने का विशिष्ट विधिक अधिकार रखती है
(3) अनुच्छेद 361A के तहत, मीडिया सत्र की काफी हद तक सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए विधिक संरक्षण प्राप्त करता है
(4) प्रेस को कार्यवाही के निकाले गए (Expunged) अंशों को भी प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

88. राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह सामान्यतः नवनिर्वाचित सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है।
II. वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
III. उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं।
IV. सदन द्वारा नए अध्यक्ष के चुने जाते ही उसका पद समाप्त हो जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

89. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?
(1) अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार
(2) किसी सदस्य की गिरफ्तारी या रिहाई की तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार
(3) सदस्यों को जूरी सेवा से छूट
(4) जांच आयोजित करने और साक्ष्यों की उपस्थिति का आदेश देने का अधिकार
(5) अनुत्तरित प्रश्न

90. स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार, नवनिर्मित राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है?
(1) आयु या निरंतर कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम सदस्य
(2) विधानसभा के भीतर सबसे बड़े एकल राजनीतिक दल के नेता
(3) वह व्यक्ति जिसने ठीक पिछली सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाला हो
(4) वह विधायी उम्मीदवार जिसने अपना चुनाव सर्वाधिक मत अंतराल से जीता हो
(5) अनुत्तरित प्रश्न

91. हाल के वर्षों (2021-2023) में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक
II. राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक
III. राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक
IV. राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक
V. राजस्थान विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक
उपरोक्त में से कौन से पारित ऐतिहासिक कल्याणकारी

Downloaded from www.pdf.tube

विधेयकों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II, III और IV
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

92. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (महत्वपूर्ण अधिनियम)
A. राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम
B. राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय अधिनियम
C. राजस्थान गिग कर्मकार अधिनियम
D. राजस्थान अनुचित साधनों की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम
सूची II: (मुख्य उद्देश्य/विशेषताएं)
i. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिवस के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है
ii. प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करने के लिए आजीवन कारावास का दंड देता है
iii. डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड और समर्पित कोष स्थापित करता है
iv. सार्वजनिक और चयनित निजी अस्पतालों में निःशुल्क आपातकालीन चिकित्सा उपचार अनिवार्य करता है
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(2) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

93. किस वर्ष राजस्थान विधानसभा 'स्वास्थ्य का अधिकार' अधिनियम पारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी?
(1) 2021
(2) 2022
(3) 2023
(4) 2024
(5) अनुत्तरित प्रश्न

94. राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक, 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) यह राज्य के प्रत्येक नागरिक को 5000 रुपये के मासिक सार्वभौमिक बुनियादी आय भुगतान की गारंटी देता है
(2) यह एक विशिष्ट कल्याणकारी योजना है जो विशेष रूप से कृषि श्रमिकों और किसानों पर लागू होती है
(3) यह गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को विधिक रूप से गारंटीकृत निजी क्षेत्र की नौकरी प्रदान करता है
(4) यह प्रतिवर्ष 125 दिवस के कार्य और प्रति माह कम से कम 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

95. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने विशेष रूप से गिग कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिनियम पारित किया है।
कथन II: यह अधिनियम स्विगी, जोमैटो और ओला जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले प्रत्येक लेनदेन पर कल्याण शुल्क (उपकर) लगाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

96. हाल के समय में राजस्थान विधानसभा द्वारा नए जिलों के गठन से संबंधित निर्णय का प्रत्यक्ष विधायी प्रभाव क्या था?
(1) राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई
(2) राज्य के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ, जिससे जिलों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई
(3) केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में राजस्थान का कुल प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया
(4) राज्य सरकार को एक स्थायी विधान परिषद स्थापित करने के लिए संवैधानिक मंजूरी मिली
(5) अनुत्तरित प्रश्न

97. निम्नलिखित विधियों/विधेयकों में से विषम की पहचान कीजिए, जो 15वीं विधानसभा (2018-2023) के दौरान पारित नहीं हुआ था:
(1) राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक
(2) राजस्थान विधान परिषद सृजन विधेयक, 2023
(3) राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक
(4) राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

98. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान विधानसभा द्वारा संचालित विधायी कार्य के प्राथमिक केंद्र को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है?
(1) सामाजिक सुरक्षा तंत्र और वैधानिक कल्याण गारंटी का विस्तार
(2) राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण और राजकोषीय संकुचन
(3) पंचायती राज को प्रभावित करने वाली सभी विकेंद्रीकरण नीतियों को वापस लेना
(4) विशेष रूप से राज्य पुलिस की दंडात्मक शक्तियों को बढ़ाना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

99. नवंबर 2023 में हुए राज्य चुनावों से राजस्थान विधानसभा के किस क्रम के सत्र का गठन हुआ?
(1) 14वीं विधानसभा
(2) 15वीं विधानसभा
(3) 16वीं विधानसभा
(4) 17वीं विधानसभा
(5) अनुत्तरित प्रश्न

100. 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया?
(1) सी.पी. जोशी
(2) काली चरण सराफ
(3) राजेंद्र राठौड़
(4) वासुदेव देवनानी
(5) अनुत्तरित प्रश्न

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अनुच्छेद 168
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। इस विधायी निकाय में राज्यपाल के साथ कुछ राज्यों में दो सदन और कुछ में केवल एक सदन शामिल होता है। राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ एकसदनीय व्यवस्था है, वहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर निर्मित होता है। यह संरचना राज्य स्तर पर सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था के रूप में कार्य करती है।
राज्य विधानमंडल की यह व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार है। यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के प्रशासन हेतु आवश्यक नियमों और नीतियों का निर्माण संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो। अनुच्छेद 168 राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है, जिसमें राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। यह प्रावधान भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता और विधायी गरिमा को सुदृढ़ करता है।

2. (A) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
राज्य विधानमंडल के सुचारु संचालन के लिए संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 169 संसद को विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को सदन के सत्र बुलाने और विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति सुनिश्चित करता है।
यह संवैधानिक ढांचा सुनिश्चित करता है कि राज्य की विधायी प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी बनी रहे। प्रत्येक अनुच्छेद एक विशिष्ट प्रशासनिक और विधायी उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है, जिससे सदन की कार्यवाही में निरंतरता बनी रहती है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के विधायी अंग को सुदृढ़ बनाना और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उचित मंच और नियमावली प्रदान करना है।

3. (C) राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल और विधानसभा शामिल हैं
राजस्थान में विधायी व्यवस्था एकसदनीय है, जिसका तात्पर्य है कि यहाँ विधानमंडल में केवल एक निर्वाचित सदन कार्य करता है। संवैधानिक रूप से राजस्थान के विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा के संयोजन से होता है। अन्य कुछ राज्यों की तरह यहाँ विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। विधानमंडल का यह स्वरूप विधायी प्रक्रिया को सरल और प्रत्यक्ष बनाता है, जहाँ जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि कानून निर्माण करते हैं।

NODIA

एकसदनीय प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। राजस्थान की यह विधायी संरचना राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं और राजनीतिक ढांचे के अनुरूप है। यह व्यवस्था त्वरित निर्णय लेने और विधायी कार्यों के प्रभावी निष्पादन में सहायता प्रदान करती है। इसमें जनता के प्रति सीधे उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्ण समावेश देखने को मिलता है।

4. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
राजस्थान का विधानमंडल एक विधायी निकाय है जिसमें राज्यपाल और विधानसभा सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग अवश्य है, परंतु वह विधानसभा के दैनिक सत्रों की अध्यक्षता नहीं करता है। विधानसभा की दैनिक बैठकों का संचालन और अध्यक्षता निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राज्यपाल केवल विशेष संवैधानिक अवसरों पर ही सदन को संबोधित करता है। इसलिए कथन एक सत्य है जबकि दूसरा कथन संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर गलत सिद्ध होता है।
विधानसभा अध्यक्ष का पद एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष संवैधानिक पद है जो सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरी ओर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसकी शक्तियां व्यापक प्रशासनिक और विधायी प्रकृति की होती हैं। दैनिक विधायी कार्यों में राज्यपाल का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है। संसदीय लोकतंत्र में सदन की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष की भूमिका को राज्यपाल की शक्तियों से पृथक और विशिष्ट रखा गया है।

5. (C) केवल I और III
भारत के विभिन्न राज्यों में विधानमंडल की संरचना अलग-अलग है, जहाँ राजस्थान और गुजरात में एकसदनीय व्यवस्था प्रभावी है। इन राज्यों में विधानमंडल केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में केवल विधानसभा ही अस्तित्व में है, इसलिए वहां द्विसदनीय व्यवस्था का दावा असत्य है। केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ बड़े राज्यों में ही विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
किसी राज्य में विधानमंडल का स्वरूप वहां की राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजस्थान और गुजरात की एकसदनीय प्रणाली कानून निर्माण की प्रक्रिया को अधिक केंद्रित और उत्तरदायी बनाती है। संविधान के तहत राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार दूसरे सदन के गठन का प्रस्ताव लाने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय राज्यों ने प्रशासनिक सुगमता के लिए एकसदनीय ढांचे को ही प्राथमिकता दी है, जो सीधे जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने में सहायक होता है।

6. (C) 200 सदस्य
राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या 200 निर्धारित की गई है। यह संख्या विभिन्न परिसीमन प्रक्रियाओं के माध्यम से समय-समय पर जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई गई थी। वर्ष 1977 में छठे विधानसभा चुनाव के दौरान इसे अंतिम रूप से बढ़ाकर इस स्तर तक लाया गया था। वर्तमान में राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो राज्य के शासन में भागीदारी निभाते हैं।
विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को सदन के पटल पर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 200 सदस्यों का यह विधायी समूह राज्य के लिए नीतियां बनाने और बजट पारित करने का कार्य करता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो शासन की जवाबदेही और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है।

7. (B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
राजस्थान में वर्तमान में एकसदनीय विधानमंडल है, जिसका अर्थ है कि यहाँ विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद के पास किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनन्य शक्ति है। इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। यद्यपि राजस्थान के संदर्भ में विधान परिषद न होने की बात सत्य है, लेकिन संसद की यह शक्ति इस स्थिति का एकमात्र कारण नहीं है।
राज्य में द्वितीय सदन का अभाव वहां की विधायी आवश्यकताओं और राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। राजस्थान विधानसभा ने पूर्व में परिषद के गठन के प्रस्तावों पर विचार किया है, परंतु अंतिम निर्णय संसद के विधायी कार्यक्षेत्र में आता है। अभिकथन और कारण दोनों अपने आप में तथ्यात्मक रूप से सही हैं, किंतु कारण सीधे तौर पर राजस्थान में परिषद की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है। यह प्रक्रियात्मक शक्ति संपूर्ण भारत के राज्यों के लिए एक सामान्य संवैधानिक प्रावधान के रूप में लागू होती है।

8. (B) अनुच्छेद 171 (विधान परिषदों की संरचना)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विशेष रूप से विधान परिषदों की संरचना और उनके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया से संबंधित है। चूँकि राजस्थान में केवल एक ही सदन अर्थात विधानसभा है, इसलिए यह विशिष्ट अनुच्छेद राजस्थान के विधायी ढांचे पर व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होता है। राजस्थान का विधानमंडल एकसदनीय होने के कारण यहाँ केवल अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना और उससे संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान ही प्रभावी रूप से कार्य करते हैं और लागू माने जाते हैं।
द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में अनुच्छेद 171 अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उच्च सदन के गठन के नियमों को स्पष्ट करता है। राजस्थान जैसे राज्यों के लिए जहाँ केवल विधानसभा कार्यरत है, वहां विधायी प्रक्रियाएं और संगठन अनुच्छेद 170 द्वारा निर्देशित होते हैं। संवैधानिक ढांचे में यह स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट संरचना के अनुसार कार्य करे। अतः राजस्थान की एकसदनीय प्रकृति इसे अनुच्छेद 171 के दायरे से बाहर रखती है, जो केवल परिषद वाले राज्यों हेतु है।

9. (C) भारत की संसद को परिषद बनाने के लिए एक विशिष्ट विधि बनानी होगी
यदि राजस्थान विधानसभा विशेष बहुमत से विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित करती है, तो यह अंतिम निर्णय नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, इस प्रस्ताव के बाद भारत की संसद को एक विशिष्ट कानून बनाना अनिवार्य है। संसद द्वारा पारित इसी कानून के माध्यम से ही वास्तव में विधान परिषद का गठन संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में राज्यपाल या राष्ट्रपति की सीधी घोषणा के बजाय संसदीय विधायी प्रक्रिया का पालन करना एक संवैधानिक अनिवार्यता मानी जाती है।
विधान परिषद के सृजन की यह प्रक्रिया राज्य और केंद्र के बीच विधायी सहयोग का एक उदाहरण है। केवल विधानसभा का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर संसद की स्वीकृति और विधायी मुहर आवश्यक है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि द्वितीय सदन का गठन अत्यंत सोच-विचार और राष्ट्रीय विधायी मानकों के अनुरूप हो। अतः राजस्थान में परिषद की स्थापना का मार्ग विधानसभा से शुरू होकर अंततः देश की संसद के गलियारों से होकर ही कानून के रूप में पूर्ण होता है।

10. (B) 29 मार्च 1952
राजस्थान के संसदीय इतिहास में 29 मार्च 1952 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि को प्रथम राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र का आयोजन जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुआ था। यह राज्य में लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत थी, जहाँ पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राज्य के भविष्य के लिए चर्चा की। प्रथम विधानसभा के गठन ने राजस्थान में राजशाही के स्थान पर जन-प्रतिनिधित्व वाले शासन को स्थापित किया।
प्रथम सत्र का आयोजन राज्य के पुनर्गठन और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अवसर पर नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। 160 सदस्यों वाली उस पहली विधानसभा ने राजस्थान के आधुनिक विधायी ढांचे की नींव रखी। मार्च 1952 के इस ऐतिहासिक दिन से ही राज्य में संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का विकास प्रारंभ हुआ, जो निरंतर विकसित होते हुए वर्तमान स्वरूप तक पहुँचा है और राज्य को दिशा प्रदान कर रहा है।

11. (C) छठे विधानसभा चुनाव
राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या में क्रमिक वृद्धि की गई है ताकि बढ़ती जनसंख्या को उचित प्रतिनिधित्व

NODIA

62. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
कथन I: दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है और न्यायिक समीक्षा से मुक्त है।
कथन II: सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन वाद में अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में न्यायिक समीक्षा से पूर्ण मुक्ति को रद्द कर दिया था।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

63. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (राजनीतिक/विधायी अवधारणाएं)
A. दसवीं अनुसूची का समावेश
B. मंत्रिपरिषद को विधानसभा की संख्या के 15% तक सीमित करना
C. विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता
D. विधायक बनने की न्यूनतम आयु
सूची II: (संविधान संशोधन या मानदंड)
i. 91वां संविधान संशोधन अधिनियम
ii. विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग
iii. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
iv. 25 वर्ष
सही संयोजन का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

64. दसवीं अनुसूची के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, दलबदल के आधार पर अयोग्यता से विधानमंडल के सदस्यों के संरक्षण हेतु "विलय" को कैसे परिभाषित किया गया है?
(1) जब विधान दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों
(2) जब आधिकारिक दल अध्यक्ष एकपक्षीय रूप से किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ औपचारिक विलय की घोषणा करते हैं
(3) जब विधान दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों
(4) जब विधान दल के कुल सदस्यों में से कम से कम पचास प्रतिशत विलय के लिए सहमत हों
(5) अनुत्तरित प्रश्न

65. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) उसे उस विपक्षी दल से संबंधित होना चाहिए जिसने सफलतापूर्वक कुल सीटों का कम से कम 15% प्राप्त किया हो
(2) सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% वाले दल से संबंधित होना
(3) इस पद की एक औपचारिक संवैधानिक स्थिति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 170 के भीतर स्पष्ट रूप से किया गया है
(4) विपक्ष के नेता का चुनाव सीधे सभी वर्तमान विपक्षी विधायकों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

66. राजस्थान विधानसभा का एक विधायक सार्वजनिक रूप से अपने ही दल की आलोचना करता है और उपचुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के लिए प्रचार करता है, यद्यपि उसने औपचारिक रूप से त्यागपत्र नहीं दिया है। दलबदल विरोधी कानून के तहत इस कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा?
(1) यह 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना' माना जाएगा, जिससे अयोग्यता होगी
(2) इस कार्रवाई को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कानूनी रूप से संरक्षित माना जाएगा
(3) उसे केवल अध्यक्ष के आदेश से औपचारिक रूप से निलंबित किया जा सकता है लेकिन स्थायी रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता
(4) किसी भी अयोग्यता की आधिकारिक पुष्टि से पहले उसे राज्य उच्च न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही का सामना करना होगा
(5) अनुत्तरित प्रश्न

67. निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया?
(1) भैरों सिंह शेखावत
(2) महारावल लक्ष्मण सिंह
(3) जसवंत सिंह
(4) गुलाब चंद कटारिया
(5) अनुत्तरित प्रश्न

68. दलबदल विरोधी कानूनों और विधायी आकारों के विकास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किहोतो होलोहन निर्णय
II. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला 91वां संविधान संशोधन
III. दलबदल विरोधी कानून सम्मिलित करने वाला 52वां संविधान संशोधन
सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(1) I, II, III
(2) III, I, II
(3) II, III, I
(4) III, II, I
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Downloaded from www.pdf.tube

है। प्रथम विधानसभा का गठन 160 सदस्यों के साथ हुआ था। बाद में राज्यों के पुनर्गठन और अजमेर के विलय के पश्चात यह संख्या बढ़कर 176 हो गई। निरंतर वृद्धि के क्रम में यह आंकड़ा पहले 184 तक पहुँचा और अंततः वर्ष 1977 में इसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया। यह क्रमिक विकास राज्य में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

सीटों की संख्या में यह परिवर्तन परिसीमन आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। प्रत्येक चरण में सदस्य संख्या का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि राज्य प्रशासन जनता तक पहुँच को व्यापक बनाना चाहता था। 160 से शुरू होकर 200 तक की यह यात्रा राजस्थान के विधायी ढांचे की परिपक्वता को दर्शाती है। वर्तमान में 200 सदस्यों की यह शक्ति राज्य के सभी अंचलों का समान और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित और स्थिर व्यवस्था प्रदान कर रही है।

17. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

अनुच्छेद 191(1) के तहत किसी विधायक की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है। हालाँकि, राज्यपाल ऐसा निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं लेते हैं; उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यपाल आयोग की इसी राय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह इस विशिष्ट मामले में आवश्यक नहीं होती है। अतः अयोग्यता के प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, बशर्ते उन्होंने निर्वाचन आयोग से परामर्श किया हो।

यह संवैधानिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अयोग्यता का निर्णय निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो साक्ष्यों के आधार पर अपनी विशेषज्ञ राय देता है। यदि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता, तो इसमें राजनीतिक प्रतिशोध की संभावना बढ़ जाती। अतः संविधान ने इस मामले में राज्यपाल और निर्वाचन आयोग के बीच एक सीधा संबंध स्थापित किया है, जो विधायी शुचिता और न्याय के सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है।

18. (A) एक अनुन्मोचित दिवालिया होना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विधायकों की अयोग्यता के लिए कई आधार प्रदान करता है, जिनमें भ्रष्टाचार, चुनावी व्यय का विवरण न देना और आपराधिक दोषसिद्धि शामिल हैं। हालाँकि, 'अनुन्मोचित दिवालिया' होना इस अधिनियम के बजाय सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(C) के तहत एक संवैधानिक अयोग्यता मानी जाती है। चुनावी अपराधों और प्रशासनिक विफलताओं से संबंधित अयोग्यताएं अधिनियम के दायरे में आती हैं, जबकि दिवालियापन या मानसिक अस्वस्थता जैसे मुद्दे मौलिक संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

अधिनियम और संविधान के बीच यह सूक्ष्म अंतर विधायी कानून के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम मुख्य रूप से चुनाव की पवित्रता और उम्मीदवारों के आचरण पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर, संवैधानिक अयोग्यताएं किसी व्यक्ति की कानूनी और नागरिक स्थिति पर आधारित होती हैं। एक विधायक को दोनों ही मानदंडों पर खरा उतरना होता है। दिवालियापन सीधे व्यक्ति की वित्तीय विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, इसलिए इसे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अयोग्यता की श्रेणी में रखा है।

19. (D) A असत्य है लेकिन R सत्य है

दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लेने का अनन्य अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, न कि राज्यपाल के पास। यदि कोई विधायक अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह राज्यपाल के पास अपील नहीं कर सकता क्योंकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। राज्यपाल की भूमिका सामान्य संवैधानिक अयोग्यताओं तक सीमित है, जबकि दलबदल के विशिष्ट मामलों में अध्यक्ष ही सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अतः अभिकथन तथ्यात्मक रूप से गलत है।

विधानसभा अध्यक्ष का यह अधिकार सदन के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दलबदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है। यद्यपि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे निर्णयों की उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यह व्यवस्था अध्यक्ष की शक्तियों और न्यायिक निरीक्षण के बीच संतुलन बनाती है। राज्यपाल को इस प्रक्रिया से बाहर रखना सदन की विधायी स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

20. (C) 25 वर्ष

राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह आयु सीमा सुनिश्चित करती है कि विधायी कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त परिपक्वता और समझ हो। मतदान के लिए आयु 18 वर्ष है, लेकिन कानून बनाने और नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने के लिए उच्च आयु का मानक रखा गया है। 25 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो, चुनाव हेतु नामांकन कर सकता है।

यह आयु मानदंड लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गंभीरता को रेखांकित करता है। विधानसभा सदस्य के रूप में व्यक्ति को न केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होता है, बल्कि जटिल कानूनों के निर्माण में भी योगदान देना होता है। अन्य पदों के लिए जैसे राज्यसभा या विधान परिषद हेतु यह सीमा 30 वर्ष है, परंतु विधानसभा के लिए इसे लोकसभा के समान ही 25 वर्ष रखा गया है। यह युवाओं को सक्रिय राजनीति में आने और विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज सेवा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

NODIA

प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे और कार्यपालिका स्वयं के खर्चों की जांच को प्रभावित न कर सके। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है जो राज्य की वित्तीय पारदर्शिता को बनाए रखने और भ्रष्टाचार जैसी अनियमितताओं को रोकने में सहायक होता है।

60. (B) किसी निश्चित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना
स्थगन प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा की एक असाधारण प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी ऐसी गंभीर घटना या मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया जाता है जो अचानक उत्पन्न हुई हो और जिस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक हो। इसे लाने का मुख्य उद्देश्य सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर उस विशिष्ट लोक महत्व के विषय पर बहस करना होता है। चूंकि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक प्रकार की निंदा के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे लाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति और न्यूनतम निर्धारित सदस्य संख्या का समर्थन आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव सामान्य विधायी कार्यों से ऊपर जनहित के ज्वलंत मुद्दों को प्राथमिकता देता है। इसके माध्यम से विपक्ष सरकार को किसी विफलता या संकट पर घेर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा केवल पूर्व-निर्धारित एजेंडे तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य की समसामयिक समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील रहे। यद्यपि इसका उपयोग कभी-कभी विधायी बाधा के लिए भी किया जाता है, परंतु इसका वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्य सरकार को तत्काल जवाबदेही के लिए विवश करना और जनता की समस्याओं को सर्वोच्च मंच पर प्रमुखता से उठाना है।

61. (A) केवल I, II और III
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल के आधार पर अयोग्यता तब होती है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ता है, दल के सचेतक के निर्देश का उल्लंघन करता है, या कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव बाद किसी दल में शामिल होता है। हालाँकि, एक नामनिर्देशित सदस्य को छह माह की छूट मिलती है; यदि वह इस अवधि के भीतर किसी दल में शामिल होता है, तो वह अयोग्य नहीं होता है। इसी प्रकार, यदि दल ने 15 दिनों के भीतर उल्लंघन को माफ कर दिया हो, तो भी सदस्य अयोग्यता से बच सकता है।
दलबदल विरोधी कानून का मूल उद्देश्य राजनीतिक शुचिता और सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दलीय निष्ठा बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है। निर्दलीय सदस्यों पर कठोर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें किसी दल विशेष के विरुद्ध चुना होता है। सचेतक के आदेश का पालन करना दलीय अनुशासन का आधार है। इन प्रावधानों की जटिलता यह सुनिश्चित करती है कि विधायी प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहे और राजनीतिक अनैतिकता को हतोत्साहित किया जाए, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो सके।

62. (D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में ऐतिहासिक रूप से कई कानूनी विवाद रहे हैं। प्रारंभ में यह माना गया था कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालाँकि, प्रसिद्ध किहोतो होलोहन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष इस मामले में एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अतः अध्यक्ष के पास दलबदल के मामलों में पूर्ण और अनियंत्रित न्यायिक मुक्ति नहीं है।
न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि अध्यक्ष का निर्णय त्रुटिपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण है, तो पीड़ित विधायक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दलबदल विरोधी कानून का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए न किया जा सके। कथन एक अध्यक्ष की शक्तियों को लेकर गलत धारणा प्रस्तुत करता है, जबकि कथन दो सर्वोच्च न्यायालय के उस महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि करता है जिसने अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर कानूनी अंकुश लगाकर न्याय के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया।

63. (A) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
भारतीय संविधान के विभिन्न संशोधनों ने राजनीतिक और विधायी परिदृश्य को बदला है। 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़कर दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया। 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया। विपक्ष के नेता के पद की मान्यता के लिए सामान्यतः कुल सीटों का 1/10वां भाग होना आवश्यक माना जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। ये सभी मानदंड लोकतांत्रिक शासन के संचालन हेतु महत्वपूर्ण आधारभूत नियम प्रदान करते हैं।
इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य विधायी व्यवस्था में अनुशासन और स्थिरता लाना है। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने से राजनीतिक प्रलोभनों पर लगाम लगी है। विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित कोटा यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक महत्वपूर्ण जनाधार वाले दल को ही यह सम्मानजनक और जिम्मेदार पद मिले। 25 वर्ष की आयु परिपक्वता का एक विधायी मानक है। ये संशोधन और नियम मिलकर राज्य सरकार के कार्य संचालन को अधिक जवाबदेह, आर्थिक रूप से दक्ष और राजनीतिक रूप से नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

64. (C) जब विधान दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों
दलबदल विरोधी कानून के तहत विलय को एक वैध अपवाद माना गया है ताकि सामूहिक राजनीतिक निर्णयों को सुरक्षा मिल सके। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने का निर्णय लेते हैं, तो वे अयोग्यता के दायरे से बाहर रहते हैं। पूर्व में यह सीमा केवल एक-तिहाई सदस्यों

Click Here to Buy book on Amazon

की कार्यप्रणाली में आए क्रमिक सुधारों और परिपक्वता का भी जीवंत प्रतिबिंब है।

26. (A) विधानसभा के उपाध्यक्ष को
विधानसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ने के लिए स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। इसी प्रकार यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, तो वह उसे अध्यक्ष को संबोधित करता है। यह व्यवस्था सदन के आंतरिक ढांचे के भीतर ही संचालित होती है और इसमें राज्यपाल या मुख्यमंत्री की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है। यह सदन की स्वायत्तता और पीठासीन अधिकारियों के पदों के बीच के पारस्परिक सम्मान को दर्शाता है।
यह नियम सुनिश्चित करता है कि विधायी नेतृत्व के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया स्वतंत्र और व्यवस्थित बनी रहे। त्यागपत्र सौंपने के पश्चात वह पद रिक्त माना जाता है और नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरु की जाती है। चूँकि अध्यक्ष सदन का ही प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसका त्यागपत्र भी सदन के ही दूसरे पदाधिकारी को दिया जाता है। यह संसदीय लोकतंत्र की एक सुस्थापित परंपरा है जो संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखती है। इससे सदन के कार्यों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं होता।

27. (D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों के बीच से ही होता है, परंतु इसके चुनाव की तिथि राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि स्वयं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कथन एक को गलत सिद्ध करता है। दूसरी ओर, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या वह अनुपस्थित होता है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उस समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं। इसलिए कथन दो तथ्यात्मक रूप से सही है और विधायी निरंतरता सुनिश्चित करता है।
उपाध्यक्ष की भूमिका केवल सहायक तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विधायी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही न रुके, इसके लिए उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। चुनाव की तिथि तय करने की शक्ति अध्यक्ष को देना यह दर्शाता है कि सदन अपनी आंतरिक व्यवस्था के लिए स्वयं सक्षम है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय वह किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा से ऊपर उठकर केवल सदन के नियमों के प्रति समर्पित और उत्तरदायी बना रहता है।

28. (B) अध्यक्ष गतिरोध को दूर करने के लिए निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है
साधारण परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे। हालाँकि, यदि किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाती है, तो अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसे 'निर्णायक मत' कहा जाता है। इस स्थिति में अध्यक्ष का मत ही विधेयक के भविष्य का फैसला करता है। यह शक्ति केवल गतिरोध को समाप्त करने और विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। निर्णायक मत का प्रयोग एक गंभीर संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस शक्ति का प्रयोग किसी दल विशेष को लाभ पहुँचाने के बजाय विधायी स्थिरता बनाए रखने के लिए करे। सामान्यतः परंपरा यह रही है कि अध्यक्ष यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में या आगे की चर्चा के लिए अपना मत देता है। यह प्रावधान सदन में आने वाले किसी भी अवरोध को संवैधानिक तरीके से हल करने का साधन प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सदन के निर्णय कभी भी अनिर्णय की स्थिति में न फँसें।

NODIA

29. (C) वह प्रथमतः मतदान कर सकते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते या निर्णायक मत नहीं दे सकते
जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, तो उनकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। उस विशिष्ट समय पर वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि, चूंकि वह सदन के एक निर्वाचित सदस्य बने रहते हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाही में बोलने और प्रथम बार में साधारण सदस्य की तरह मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उनके विरुद्ध प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीठासीन अधिकारी का पद निष्पक्ष बना रहे।
यह संवैधानिक प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को सदन की अध्यक्षता सौंपी जाती है। अध्यक्ष को अपनी बात रखने और अपना मत देने का अधिकार देकर उनकी लोकतांत्रिक गरिमा को भी सुरक्षित रखा गया है। यह प्रक्रियात्मक संतुलन सदन के भीतर निष्पक्ष चर्चा के लिए अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में उन्हें पद त्यागना पड़ता है, अन्यथा वे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं।

30. (D) वह अध्यक्ष से स्वतंत्र हैं और सीधे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं
विधानसभा उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है। उनका चुनाव स्वयं विधानसभा द्वारा किया जाता है और वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही राज्यपाल या किसी राजनीतिक दल के बजाय सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होती है। यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि उपाध्यक्ष बिना किसी दबाव के अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें और विधायी मर्यादाओं का पालन करें।
उपाध्यक्ष की स्वतंत्रता सदन की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे किसी भी संसदीय समिति के सदस्य बनने पर प्रायः पदेन अध्यक्ष बन जाते हैं। उनकी शक्तियों और कार्यों को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का नेतृत्व सशक्त और निष्पक्ष बना रहे। यह धारणा कि वे अध्यक्ष के सहायक मात्र हैं, गलत है; वे सदन की विधायी व्यवस्था के एक

के मामले में राष्ट्रपति को या तो अनुमति देनी होती है या रोकनी होती है। राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्पों की तुलना में राष्ट्रपति की शक्तियां अधिक सर्वोच्च हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के कानून राष्ट्रीय हितों या संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत न हों, जिससे देश की विधायी एकता बनी रहे।

41. (B) अनुच्छेद 199
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 राज्य के संदर्भ में धन विधेयक की विशिष्ट परिभाषा प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार, यदि किसी विधेयक में केवल करों के अधिरोपण, राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन या संचित निधि से धन के विनियोग जैसे वित्तीय मामले शामिल हैं, तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। यह परिभाषा केंद्र में अनुच्छेद 110 के समान ही है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से विधायी नियंत्रण के अधीन होगा, जो वित्तीय पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है।
धन विधेयक की पहचान करने का अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। अनुच्छेद 199 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी खजाने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय एक विशेष विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही लिए जाएं। इसमें विधानसभा की शक्तियों को विधान परिषद की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई है। यह संवैधानिक प्रावधान राज्य सरकार को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और बजट संबंधी कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए एक विधिक आधार प्रदान करता है। धन विधेयक की यह स्पष्ट परिभाषा वित्तीय गतिरोध को रोकने में सहायक होती है।

42. (A) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
राज्य के वित्तीय प्रशासन को संचालित करने के लिए बजट से संबंधित विभिन्न शब्दावलियां संवैधानिक महत्व रखती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण आगामी वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। अनुदान की मांगें उन खर्चों के अनुमान हैं जिन पर विधानसभा में मतदान होता है। विनियोग विधेयक संचित निधि से धन निकालने की औपचारिक कानूनी अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान एक अल्पकालिक व्यवस्था है जो बजट पारित होने तक सरकारी खर्चों के लिए अग्रिम धन उपलब्ध कराती है, जिससे सरकारी कार्य निरंतर चलते रहें।
यह वित्तीय ढांचा सरकारी जवाबदेही और लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण का आधार है। बिना विनियोग अधिनियम के सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा सरकार की योजनाओं पर जनता की राय का प्रतिनिधित्व करती है। लेखानुदान विशेष रूप से चुनावी वर्षों या वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उपयोगी होता है। ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि राज्य का धन केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही पारदर्शी और नियमों के अनुरूप खर्च किया जाए, जो कि सुशासन के लिए अपरिहार्य है।

43. (B) बजट का प्रस्तुतीकरण → सामान्य चर्चा → मांगों पर मतदान → विनियोग विधेयक → वित्त विधेयक
राजस्थान विधानसभा में बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित क्रम का पालन करती है। इसकी शुरुआत राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री द्वारा बजट के प्रस्तुतीकरण से होती है। इसके पश्चात सदन में बजट के सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा आयोजित की जाती है। अगला महत्वपूर्ण चरण विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर मतदान करना है। मांगों की स्वीकृति के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, और अंत में कर संबंधी प्रस्तावों के लिए वित्त विधेयक पर विचार कर उसे अंतिम रूप दिया जाता है।
बजट की यह क्रमिक यात्रा वित्तीय उत्तरदायित्व और विधायी निरीक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। प्रस्तुतीकरण से लेकर वित्त विधेयक तक प्रत्येक चरण सदन को सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। विनियोग विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि व्यय कानूनी रूप से वैध हो। वित्त विधेयक राजस्व जुटाने की विधायी शक्ति को स्पष्ट करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया न केवल राज्य की वित्तीय योजना को पारदर्शिता प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग जनहितकारी कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी से किया जाए।

44. (B) केवल III
राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक की प्रक्रिया अत्यंत विशिष्ट और आरक्षित है। इसे केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही सदन के पटल पर रखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धन विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पुरःस्थापित किया जा सकता है, इसे किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष का यह प्रमाणन कि विधेयक धन विधेयक है, अंतिम होता है और राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ये सभी नियम सरकारी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने हेतु बनाए गए हैं।
धन विधेयक पर विधानसभा की सर्वोच्चता इसे अन्य विधेयकों से भिन्न बनाती है। गैर-सरकारी सदस्यों को इसे पेश करने की अनुमति न देना सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उसके अनन्य नियंत्रण को दर्शाता है। यदि कोई ऐसा सदस्य इसे पेश करता है, तो यह संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाएगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार न करना यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। यह कठोर विधायी ढांचा राज्य के बजट और कराधान संबंधी कार्यों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने के लिए एक अनिवार्य तंत्र के रूप में कार्य करता है।

45. (C) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना
अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक की श्रेणी में मुख्य रूप से राज्य के व्यापक वित्तीय कर और ऋण प्रबंधन आते हैं। इसमें करों का अधिरोपण, राज्य द्वारा ऋण लेना और संचित निधि से धन का विनियोग शामिल है। हालाँकि, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए जुर्माने, लाइसेंस शुल्क या किसी स्थानीय उद्देश्य के लिए लगाए गए मामूली करों को धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये मामले स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें राज्य के मुख्य बजट संबंधी धन विधेयकों से पृथक और विशिष्ट माना जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

वास्तविक विधायी स्थिति को स्पष्ट करता है, लेकिन कारण में दिया गया जनसंख्या का तर्क संवैधानिक और तथ्यात्मक रूप से आधारहीन है। यह दोनों के बीच कोई तर्कसंगत संबंध स्थापित नहीं करता है।

36. (D) उन्हें विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी
संवैधानिक नियमों के अनुसार, यदि राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजते हैं और विधानसभा उसे दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। चाहे विधानसभा ने विधेयक में कोई संशोधन किया हो या नहीं, दूसरी बार पारित होने पर राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति रोकने के लिए बाध्य नहीं रह जाते हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह प्रावधान निर्वाचित सदन की विधायी सर्वोच्चता और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
राज्यपाल का पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख सदन को किसी गंभीर मुद्दे पर दोबारा सोचने का अवसर दे सके। लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही सुरक्षित रखा गया है। दूसरी बार अनुमति देना राज्यपाल का एक संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि कोई भी संवैधानिक प्रमुख जन-प्रतिनिधि संस्था के विधायी कार्यों में स्थायी अवरोध उत्पन्न न कर सके।

37. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत कुछ विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का कर्तव्य है। विशेष रूप से यदि कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों या स्थिति को कम करता है, तो उसे आरक्षित करना आवश्यक है। एक बार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँच जाता है, तो राज्यपाल की उस पर भूमिका समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति ही सीधे राज्य सरकार को निर्देश देते हैं या अनुमति प्रदान करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल केवल एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
उच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करना संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान ने इसे राज्यपाल के विवेक के बजाय एक अनिवार्य निर्देश बनाया है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को वापस भेजने या अनुमति देने के निर्णय में राज्यपाल का अब कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह प्रावधान केंद्र को राज्यों के महत्वपूर्ण विधायी निर्णयों पर निगरानी रखने का अवसर प्रदान करता है। दोनों कथन इस जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को सटीकता से स्पष्ट करते हैं, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और विधायी संतुलन सुरक्षित रहते हैं।

38. (B) विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव और उसका आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन
राजस्थान विधानसभा में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम वाचन से होती है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य सदन और जनता को प्रस्तावित कानून की जानकारी देना है। इसमें संबंधित मंत्री या सदस्य विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस स्तर पर विधेयक के सिद्धांतों पर कोई विस्तृत चर्चा या मतदान नहीं होता है। एक बार सदन द्वारा अनुमति मिलने के बाद, इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ताकि यह सार्वजनिक दस्तावेज बन सके। यह विधायी यात्रा का प्रारंभिक और औपचारिक प्रवेश द्वार माना जाता है।
प्रथम वाचन के दौरान सामान्यतः विधेयक का विरोध नहीं किया जाता है, जब तक कि वह संवैधानिक रूप से अक्षम न हो। यह चरण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही विधायकों को विधेयक की विषय-वस्तु का अध्ययन करने का समय मिलता है। प्रकाशन के बाद ही विधेयक अगले चरण के लिए तैयार होता है जहाँ वास्तविक वैचारिक मंथन शुरू होता है। अतः प्रथम वाचन केवल विधेयक की उपस्थिति दर्ज कराने और इसे विधायी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की एक सुव्यवस्थित और अनिवार्य प्रक्रिया है।

39. (D) अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव - प्रभावी बहुमत
विधानसभा के भीतर विभिन्न विधायी कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई विशेष बहुमत आवश्यक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है सदन के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत। यह पदों की स्थिरता सुनिश्चित करता है।
बहुमत के इन प्रकारों का उद्देश्य संबंधित निर्णय की गंभीरता को रेखांकित करना है। साधारण कार्यों के लिए सरल प्रक्रिया है, जबकि संवैधानिक पदों से हटाने के लिए कठिन मानक रखे गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी सदन के बहुमत की आवश्यकता होती है ताकि सरकार की स्थिरता बनी रहे। प्रभावी बहुमत का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि रिक्तियों के बावजूद केवल सदन के वास्तविक सक्रिय सदस्यों का ही बहुमत लिया जाए। यह सूक्ष्म अंतर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।

40. (B) केवल I, III और IV
राष्ट्रपति के पास आरक्षित राज्य विधेयकों के संबंध में व्यापक शक्तियां हैं। वे राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस किया जाए। यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित करता है, तब भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि, धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेजा जा सकता। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो उन्हें विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है।
यह संवैधानिक व्यवस्था केंद्र-राज्य संबंधों में केंद्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। राष्ट्रपति की अनुमति का कोई समयबद्ध न होना कई बार विधायी देरी का कारण बनता है, लेकिन यह सुरक्षा तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। धन विधेयक

NODIA

है और इसमें कई सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। ऐसे में बजट के पूर्ण पारित होने तक सरकारी सेवाओं और आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए विधानसभा द्वारा जो अग्रिम राशि स्वीकृत की जाती है, उसे लेखानुदान कहते हैं। यह सामान्यतः वित्तीय वर्ष के प्रथम दो या चार महीनों के खर्चों को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है।

लेखानुदान के बिना सरकार नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोई भी भुगतान करने में कानूनी रूप से अक्षम होती। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधायी चर्चाओं के कारण जनहित के कार्य या सरकारी वेतन रुक न जाएं। इसे केवल व्यय के लिए ही पारित किया जाता है और इसमें कराधान संबंधी कोई नए प्रस्ताव शामिल नहीं होते हैं। यह एक शुद्ध रूप से प्रशासनिक और अल्पकालिक वित्तीय उपाय है जो विधायी बजट प्रक्रिया के सुचारु संचालन में सहायता करता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बिना किसी वित्तीय अवरोध के कार्य करने की शक्ति देता है।

51. (C) I के लिए मौखिक उत्तर, II के लिए लिखित उत्तर, III के लिए मौखिक उत्तर आवश्यक है

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न श्रेणियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न के लिए केवल लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इस पर कोई चर्चा नहीं होती। अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर कम समय की सूचना देकर पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाना अनिवार्य होता है।

प्रश्नों का यह वर्गीकरण विधायकों को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करता है। मौखिक उत्तर वाले प्रश्न सदन में जीवंत बहस का माध्यम बनते हैं, जहाँ सदस्य सरकार की नीतियों को चुनौती दे सकते हैं। लिखित उत्तर विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोगी होते हैं। यह विधायी उत्तरदायित्व का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। प्रत्येक प्रकार का प्रश्न अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुसार सदन की कार्यवाही में पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

52. (A) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

राजस्थान विधानसभा की विभिन्न संसदीय समितियाँ विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के माध्यम से विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करके वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है। प्राक्कलन समिति प्रशासन में मितव्ययिता और दक्षता लाने हेतु नीतियों पर विचार करती है। विशेषाधिकार समिति सदस्यों के अधिकारों के हनन की जांच करती है, जबकि कार्य मंत्रणा समिति सदन के दैनिक एजेंडे और समय सारणी का प्रबंधन करके विधायी कार्यों को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाती है।

ये समितियाँ सदन के लघु रूप के रूप में कार्य करती हैं और विधायी कार्यों को विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। समितियों के माध्यम से ही सरकार के जटिल प्रशासनिक कार्यों पर सूक्ष्म निगरानी संभव हो पाती है। जहाँ वित्तीय समितियाँ सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करती हैं, वहीं अन्य समितियाँ सदन के भीतर मर्यादा और समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में सहायक होती है। प्रत्येक समिति का अपना विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है, जो राज्य के समग्र सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

53. (C) विधायकों के लिए पूर्व सूचना दिए बिना अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को उठाने का एक अनौपचारिक तरीका

शून्यकाल राजस्थान विधानसभा की दैनिक कार्यवाही का एक अत्यंत गतिशील और अनौपचारिक समय है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद और नियमित विधायी कार्य शुरू होने से पहले का समय होता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि विधायक बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित नोटिस के तत्कालीन और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को उठा सकते हैं। यद्यपि इसका उल्लेख आधिकारिक नियमों में नहीं है, फिर भी यह संसदीय परंपरा का एक सशक्त हिस्सा बन चुका है जो सरकार को ज्वलंत मुद्दों पर तत्काल उत्तर देने हेतु बाध्य करता है।

शून्यकाल के दौरान सदन का वातावरण अक्सर उत्साहपूर्ण और चर्चा प्रधान होता है। यह सदस्यों को जनता की तात्कालिक समस्याओं, जैसे आपदा, कानून-व्यवस्था या गंभीर जनहित के मामलों को सीधे सदन के पटल पर रखने का अवसर प्रदान करता है। सरकार के लिए भी यह एक मौका होता है कि वह महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। यद्यपि यह समय संक्षिप्त होता है, परंतु इसकी लोकतांत्रिक उपयोगिता बहुत अधिक है क्योंकि यह सदन को बाहरी दुनिया की घटनाओं के प्रति संवेदनशील और त्वरित रूप से प्रतिक्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है।

54. (B) परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सत्ताधारी दल से की जाती है

राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है जिसका मुख्य कार्य सरकारी व्यय की जांच करना है। इसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक सुस्थापित संसदीय परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। यह धारणा कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। समिति के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं और कोई भी मंत्री इसका हिस्सा नहीं हो सकता ताकि सरकार के खर्चों की जांच बिना किसी पक्षपात के की जा सके।

विपक्ष से अध्यक्ष का होना विधायी निरीक्षण के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता पक्ष की वित्तीय चूकों और अनियमितताओं को बिना किसी दबाव के उजागर किया जा सके। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्टों को आधार बनाकर गहन जांच करती है और अपनी सिफारिशें सदन को सौंपती है। मंत्रियों की सदस्यता पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि स्वयं के विरुद्ध

Click Here to Buy book on Amazon

धन विधेयक और साधारण वित्तीय मामलों के बीच यह स्पष्ट अंतर विधायी कार्यों को सरल बनाने के लिए किया गया है। यदि प्रत्येक छोटे जुर्माने या शुल्क को धन विधेयक माना जाने लगे, तो विधायी प्रक्रिया अत्यंत जटिल और बोझिल हो जाएगी। संविधान निर्माताओं ने केवल उन विषयों को धन विधेयक की श्रेणी में रखा है जिनका राज्य की समग्र वित्तीय नीति और राजकोष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह वर्गीकरण विधानसभा अध्यक्ष को स्पष्टता प्रदान करता है जब वे किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।

46. (D) राज्य के राज्यपाल
राजस्थान विधानसभा में किसी भी धन विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए राज्य के राज्यपाल की पूर्व सिफारिश प्राप्त करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। राज्यपाल की इस अनुमति के बिना धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान केंद्र में राष्ट्रपति की सिफारिश के समान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति और संचित निधि पर पड़ने वाले किसी भी नए भार के बारे में राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूर्णतः जागरूक हो और उस पर अपनी सहमति प्रदान करे।
राज्यपाल की पूर्व सिफारिश वित्तीय उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती है। चूंकि धन विधेयक सीधे सरकारी खर्चों और करों से जुड़ा होता है, इसलिए इसकी शुरुआत केवल कार्यपालिका के अनुरोध पर ही होनी चाहिए। यह मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की शक्ति नहीं है, बल्कि राज्यपाल की एक औपचारिक और अनिवार्य विधायी शक्ति है। यह व्यवस्था सरकार को बिना सोचे-समझे वित्तीय भार डालने से रोकती है। सदन में विधेयक के आने से पहले ही राज्यपाल की सहमति प्राप्त करना विधायी प्रक्रिया में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है।

47. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। हालाँकि, यह धारणा गलत है कि बजट केवल मुख्यमंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्यतः यह उत्तरदायित्व राज्य के वित्त मंत्री का होता है, जो राज्यपाल की ओर से बजट पेश करते हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री स्वयं वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं, परंतु पद के रूप में यह अनिवार्य नहीं है कि केवल वे ही इसे प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हों।
बजट प्रस्तुतीकरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी अवसर है जो सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य की संचित निधि से व्यय और राजस्व संग्रहण का आधिकारिक अनुमान होता है। वित्त मंत्री का भाषण बजट की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करता है, जिसके बाद सदन में चर्चा शुरू होती है। यह प्रक्रिया सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अतः कथन एक संवैधानिक अनिवार्यता को सही रूप में दर्शाता है, जबकि दूसरा कथन प्रस्तुतीकरण की व्यावहारिक और राजनीतिक लचीली व्यवस्था के कारण तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

48. (B) राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के वेतन और भत्ते
राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय वे खर्चे हैं जिन पर विधानसभा में चर्चा तो हो सकती है, परंतु उन पर मतदान नहीं कराया जाता। इसमें राज्यपाल की उपलब्धियां, विधानसभा अध्यक्ष के वेतन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन शामिल हैं ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। इसके विपरीत, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होते, बल्कि वे मतदान योग्य व्यय की श्रेणी में आते हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है।
भारित व्यय की अवधारणा संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अध्यक्ष के वेतन पर हर वर्ष मतदान हो, तो उनके निर्णयों पर राजनीतिक दबाव की संभावना बढ़ सकती है। मंत्रियों के मामले में स्थिति भिन्न है क्योंकि वे कार्यपालिका के सक्रिय सदस्य हैं और सीधे तौर पर सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः उनके वित्तीय लाभों को विधायी नियंत्रण और मतदान के अधीन रखा गया है। यह वर्गीकरण भारतीय संसदीय लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

49. (B) बहुमत का समर्थन खोने के कारण संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा
राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक का गिरना सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक पराजय मानी जाती है। चूंकि धन विधेयक सीधे सरकार की नीतियों और बजटीय नियंत्रण से जुड़ा होता है, इसलिए इसका अस्वीकृत होना यह स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और उनकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर तत्काल अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। यह घटनाक्रम अक्सर राज्य में सरकार के पतन और नए राजनीतिक समीकरणों की ओर ले जाता है।
संसदीय लोकतंत्र में सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक उसे धन और व्यय पर विधायी नियंत्रण प्राप्त हो। धन विधेयक की अस्वीकृति को अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के समकक्ष माना जाता है। यदि सरकार अपने वित्तीय प्रस्तावों को पारित कराने में सक्षम नहीं है, तो उसे शासन करने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। राज्यपाल इस स्थिति में वैकल्पिक सरकार की संभावना तलाशते हैं या विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह प्रावधान सरकार की जवाबदेही को सदन के प्रति सर्वोच्च और अटूट बनाए रखने में सहायक होता है।

50. (A) बजट पर चर्चा जारी रहने के दौरान वर्ष के एक भाग के लिए धन की व्यवस्था करना
लेखानुदान का प्राथमिक उद्देश्य राज्य प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करना है। बजट पारित होने की प्रक्रिया लंबी होती

Downloaded from www.pdf.tube

21. (C) अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का चयन एक पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नवनिर्वाचित विधानसभा अपनी पहली बैठकों के दौरान अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनती है। इस चुनाव में केवल विधानसभा के वर्तमान सदस्य ही भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। राज्यपाल या मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि सदन की सामूहिक इच्छा ही अध्यक्ष का निर्धारण करती है। यह प्रक्रिया सदन की स्वायत्तता और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष का पद राजनीतिक दलबंदी से ऊपर माना जाता है क्योंकि उसे पूरे सदन का विश्वास प्राप्त होता है। एक बार चुने जाने के बाद अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार संचालित करना होता है। यद्यपि वह किसी राजनीतिक दल से संबंध रख सकता है, परंतु सदन के भीतर उसकी भूमिका एक निष्पक्ष निर्णायक की होती है। चुनाव की यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पीठासीन अधिकारी केवल सदन के प्रति उत्तरदायी हो, जिससे विधायी गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराएं अक्षुण्ण बनी रहें।

22. (A) केवल I, II, IV और V

विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यापक विधायी और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। वह सदन में अनुशासन बनाए रखता है और यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मतों की समानता की स्थिति में वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त दलबदल कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय लेना भी उसकी प्रमुख शक्ति है। हालाँकि, वह सभी संसदीय समितियों का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है; वह केवल नियम और कार्य मंत्रणा जैसी कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता ही करता है।

अध्यक्ष की ये शक्तियाँ उसे सदन का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बनाती हैं। धन विधेयक पर उसका निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार दलबदल के मामलों में उसकी भूमिका राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णायक मत की शक्ति उसे तब प्राप्त होती है जब सदन किसी मुद्दे पर समान रूप से विभाजित हो। यह समस्त अधिकार उसे सदन की गरिमा और विधायी प्रक्रियाओं की शुचिता को हर परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

23. (A) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में नरोत्तम लाल जोशी ने प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। लाल सिंह शक्तावत ने प्रथम उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, जबकि सुमित्रा सिंह राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। नवनिर्वाचित सदन के सदस्यों को शपथ दिलाने और प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करने के लिए संग्राम सिंह को प्रथम सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये व्यक्तित्व राज्य के विधायी ढांचे के निर्माण और संसदीय परंपराओं की स्थापना में महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं।

इन ऐतिहासिक पदों ने राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ किया। प्रथम अध्यक्ष के रूप में जोशी जी ने सदन की नियमावली और मर्यादाओं को स्थापित किया। सुमित्रा सिंह का चयन महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक बना। सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक संवैधानिक परंपरा है। इन सभी महानुभावों ने अपने-अपने कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा को एक जीवंत विधायी संस्थान बनाने में महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय योगदान दिया है।

24. (A) विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करना

विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को संचालित और नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, किंतु सत्र का सत्रावसान करने की शक्ति उसके पास नहीं होती है। सत्रावसान का अर्थ है सत्र की समाप्ति, जो केवल राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जा सकती है। अध्यक्ष केवल गणपूर्ति न होने पर बैठक को स्थगित कर सकता है या किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के लिए निलंबित कर सकता है। वह समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, परंतु सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना राज्यपाल का अधिकार है।

स्थगन और सत्रावसान के बीच का यह अंतर विधायी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थगन एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जो सदन की अगली बैठक तक कार्यवाही रोकती है, जबकि सत्रावसान से वर्तमान सत्र का पूर्ण समापन हो जाता है। अध्यक्ष की शक्तियां मुख्य रूप से सदन के भीतर के अनुशासन और दैनिक संचालन तक सीमित हैं। राज्यपाल की शक्तियां विधायी सत्रों के जीवनकाल को नियंत्रित करने वाली व्यापक संवैधानिक शक्तियां हैं। यह शक्ति संतुलन कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

25. (A) राम निवास मिर्धा → परसराम मदेरणा → दीपेंद्र सिंह शेखावत → सी.पी. जोशी

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्षों का कालानुक्रमिक क्रम राज्य की राजनीतिक विकास यात्रा को दर्शाता है। राम निवास मिर्धा ने प्रारंभिक दशकों में लंबे समय तक इस पद की गरिमा बढ़ाई। उनके बाद परसराम मदेरणा ने नवीं और दसवीं विधानसभाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में दीपेंद्र सिंह शेखावत और उनके पश्चात डॉक्टर सी.पी. जोशी ने पंद्रहवीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे अनुभवी राजनेताओं ने समय-समय पर सदन के भीतर विधायी परंपराओं का नेतृत्व किया है।

प्रत्येक अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में विशिष्ट विधायी सुधारों और सदन की गरिमा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। मिर्धा जी का कार्यकाल संसदीय मर्यादाओं की स्थापना के लिए जाना जाता है, जबकि बाद के अध्यक्षों ने तकनीकी नवाचारों और नियमों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। इन अध्यक्षों के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा ने कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए और लोकतांत्रिक चर्चाओं को समृद्ध बनाया। यह कालानुक्रमिक विकास न केवल व्यक्तियों का है, बल्कि सदन

NODIA

निर्णय न लेने की स्थिति उत्पन्न हो। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही और सार्वजनिक धन के पारदर्शी प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।

55. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति एक सतत मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य बजट अनुमानों में सुधार और दक्षता लाना है। राजस्थान में इस कार्य के लिए दो समितियां (क और ख) गठित की गई हैं। ये समितियां बजट पर मतदान होने के पश्चात भी अनुमानों की जांच कर सकती हैं ताकि भविष्य के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाई जा सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल से ही होता है, जो इसे लोक लेखा समिति से भिन्न बनाता है।
यह समिति सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की गहराई से जांच करती है ताकि यह देखा जा सके कि घोषित नीतियों के भीतर धन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे संभव है। इसका मुख्य जोर सरकारी खर्चों में कमी लाने और प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने पर होता है। दो अलग-अलग समितियों का होना राजस्थान के व्यापक बजटीय और प्रशासनिक दायरे की गहन समीक्षा करने में मदद करता है। यह विधायी नियंत्रण का एक ऐसा तंत्र है जो सरकारी व्यय की गुणवत्ता और उसकी जनहितकारी उपयोगिता को निरंतर परखता रहता है, जो वित्तीय अनुशासन के लिए आवश्यक है।

56. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार समिति एक अत्यंत गंभीर भूमिका निभाती है, जिसे अर्ध-न्यायिक क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य सदन के किसी भी सदस्य या बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए विशेषाधिकार उल्लंघन के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना है। यह समिति साक्ष्य एकत्र करती है, संबंधित पक्षों को सुनती है और अंततः दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई या चेतावनी की सिफारिश सदन को करती है। इस प्रकार, कारण स्पष्ट रूप से समिति की इस विशिष्ट कार्यप्रणाली और उसकी संवैधानिक प्रकृति की पुष्टि करता है। सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करना विधायी स्वतंत्रता और सम्मान बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि किसी सदस्य के कार्यों में अवैध बाधा डाली जाती है, तो यह समिति उसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। इसकी जांच प्रक्रिया अदालत की तरह ही व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे अर्ध-न्यायिक कहा जाता है। अभिकथन में इसकी प्रकृति बताई गई है और कारण में इसके कार्यों का विवरण दिया गया है जो सीधे तौर पर अभिकथन को सिद्ध करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी बाहरी दबाव या अनादर के गरिमापूर्ण ढंग से चलती रहे।

57. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
'आधे घंटे की चर्चा' राजस्थान विधानसभा की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो उन सार्वजनिक महत्व के मामलों पर आधारित होती है जिनका उत्तर हाल ही में प्रश्नकाल के दौरान दिया गया हो, परंतु जिस पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। यह कथन एक की सत्यता को प्रमाणित करता है। हालाँकि, यह चर्चा बैठक के पहले घंटे में नहीं होती है, बल्कि सामान्यतः सदन की कार्यवाही के अंतिम आधे घंटे में निर्धारित की जाती है। इस चर्चा के लिए कोई औपचारिक मतदान नहीं होता और न ही इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
यह प्रावधान विधायकों को किसी महत्वपूर्ण विषय की गहराई तक जाने और सरकार से विस्तृत जवाब मांगने का अवसर देता है। पहले घंटे में प्रश्नकाल होता है, इसलिए दूसरे कथन की जानकारी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। आधे घंटे की चर्चा केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही संभव है और इसके लिए विशिष्ट दिनों का निर्धारण किया जाता है। यह विधायी प्रक्रिया का वह हिस्सा है जो सुनिश्चित करता है कि जनहित के किसी भी विषय पर जानकारी अधूरी न रहे और सरकार का पक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो सके, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

58. (A) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
राजस्थान विधानसभा में समितियों को उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को मुख्य रूप से वित्तीय समितियाँ माना जाता है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध राज्य के बजट, खर्चों और सार्वजनिक धन के ऑडिट से होता है। इसके विपरीत, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति एक विधायी जांच समिति है जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम और उप-नियम विधानसभा द्वारा दी गई शक्तियों की सीमाओं के भीतर ही हों। यह अंतर समितियों के कार्यक्षेत्र और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को समझने के लिए आवश्यक है। जहाँ वित्तीय समितियाँ पैसे के लेन-देन और मितव्ययिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वहीं अधीनस्थ विधान समिति कानून की तकनीकी व्याख्या और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने पर बल देती है। इन समितियों का सामूहिक उद्देश्य सरकार के विभिन्न अंगों पर अंकुश लगाना और जवाबदेही तय करना है। अतः अधीनस्थ विधान संबंधी समिति वित्तीय श्रेणी का हिस्सा नहीं होने के कारण इस समूह में एक पृथक प्रकृति की समिति के रूप में पहचानी जाती है।

59. (B) 15 सदस्य
राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 15 होती है। इन सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष विधानसभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह निर्वाचन विधि सुनिश्चित करती है कि समिति में सदन के विभिन्न राजनीतिक दलों का उचित और संतुलित प्रतिनिधित्व बना रहे। सदस्य एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति में विधानसभा का कोई भी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल नहीं हो सकता है।
15 सदस्यों की यह सीमित संख्या समिति को अधिक केंद्रित और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। वे सामूहिक रूप से सीएजी की रिपोर्टों का अध्ययन करते हैं और सरकारी विभागों द्वारा किए गए खर्चों की वास्तविकता की जांच करते हैं। मंत्री को शामिल न करने का नियम इसलिए है ताकि जांच

Click Here to Buy book on Amazon

स्वायत्त स्तंभ हैं। विधानसभा के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही ही उनके पद को संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण और गरिमामयी बनाती है।

31. (C) केवल I और III
राजस्थान विधानसभा के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य की शक्ति अनन्य नहीं है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून के विपरीत है, तो वह प्रभावी हो सकता है बशर्ते उसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई हो। इस प्रकार विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों पर आधारित है।
यह विधायी व्यवस्था भारतीय संघवाद की सहकारी प्रकृति को दर्शाती है। अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर राज्य कानून को प्राथमिकता मिलना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाने की स्वायत्तता मिलती है। राजस्थान विधानसभा इन शक्तियों का प्रयोग करके कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति निर्माण करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं।

32. (A) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
विधानसभा में साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित है। प्रथम वाचन में विधेयक को केवल पुर:स्थापित किया जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा होती है, जिसे विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तृतीय वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने पर मतदान होता है। इस बीच, समिति अवस्था में विधेयक के प्रत्येक खंड की विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत और सूक्ष्मता से जांच की जाती है।
ये चरण यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि कोई भी कानून बिना गहन विचार-विमर्श के पारित न हो। प्रत्येक वाचन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जो पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देता है। समितियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां बिना राजनीतिक शोर-शराबे के कानून की बारीकियों पर चर्चा संभव हो पाती है। अंततः जब विधेयक सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तभी वह राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया राज्य के लिए गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करती है।

33. (A) II, IV, I, III
राजस्थान विधानसभा में साधारण सार्वजनिक विधेयक को कानून बनने के लिए एक निर्धारित प्रक्रियात्मक क्रम का पालन करना होता है। सबसे पहले विधेयक का पुर:स्थापन किया जाता है, जिसे प्रथम वाचन का भाग माना जाता है। इसके पश्चात द्वितीय वाचन के दौरान खंड-वार विचार-विमर्श और संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। तीसरे चरण में संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है और यदि वह पारित हो जाता है, तो उसे अंततः राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून के रूप में लागू होता है।
यह क्रम विधायी शुचिता और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। पुर:स्थापन से सदन को आगामी कार्य की सूचना मिलती है, जबकि खंड-वार चर्चा प्रत्येक प्रावधान की सटीकता की जांच करती है। मतदान सदन की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। राज्यपाल की अनुमति इस संपूर्ण विधायी यात्रा का अंतिम संवैधानिक पड़ाव है। इस सुव्यवस्थित मार्ग का अनुसरण करके ही विधानसभा जनता के लिए प्रभावशाली और कानूनी रूप से सुदृढ़ नियमों का निर्माण कर पाती है। यह प्रक्रिया जल्दबाजी में किए गए कानून निर्माण को रोकती है।

34. (A) वह विधेयक में संशोधन कर सकते हैं और इसे स्वयं विधि के रूप में पारित कर सकते हैं
अनुच्छेद 200 के तहत, जब कोई साधारण विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो उनके पास कुछ विशिष्ट विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या उसे सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। वह उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। हालाँकि, राज्यपाल के पास किसी भी परिस्थिति में यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं विधेयक में संशोधन करें और उसे बिना सदन की सहमति के सीधे कानून के रूप में लागू कर दें। यह विधायी प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन होगा।
राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से एक संवैधानिक प्रहरी की होती है, न कि सक्रिय विधायी निर्माता की। कानून बनाने का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है। राज्यपाल केवल सुझाव दे सकते हैं या पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं। यदि वे संशोधनों के साथ स्वयं कानून बनाने लगें, तो इससे लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनकी शक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि पारित विधेयक संवैधानिक ढांचे के अनुरूप हो। अतः स्वयं विधि पारित करने का विकल्प उनकी संवैधानिक शक्तियों के दायरे से बाहर और अमान्य है।

35. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है
राजस्थान की एकसदनीय विधायी व्यवस्था में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक सीधे राज्यपाल के पास जाता है क्योंकि यहाँ द्वितीय सदन का अभाव है। यह प्रक्रिया विधायी कार्य को त्वरित और प्रभावी बनाती है। हालाँकि, यह तर्क पूरी तरह से गलत है कि 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में केवल एक ही सदन होना चाहिए। संविधान में ऐसी किसी जनसंख्या सीमा का उल्लेख नहीं है। विधान परिषद का होना या न होना राज्य की राजनीतिक इच्छा और संसद द्वारा पारित कानून पर निर्भर करता है।
राज्यों में द्विसदनीय या एकसदनीय व्यवस्था का चुनाव प्रशासनिक सुगमता और विधायी परंपराओं के आधार पर किया गया है। वर्तमान में भारत के कई बड़े और छोटे राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, जिनका जनसंख्या से कोई सीधा विधिक संबंध नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में एकसदनीय ढांचा ऐतिहासिक रूप से बना हुआ है। अभिकथन तो राजस्थान की

NODIA

की थी, लेकिन राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाकर दो-तिहाई कर दिया गया। यह सामूहिक स्थानांतरण व्यक्तिगत दलबदल की तुलना में राजनीतिक एकीकरण माना जाता है।

दो-तिहाई सदस्यों का यह कड़ा मानक छोटे स्तर पर होने वाली दलीय टूट को हतोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल तभी विलय संभव हो जब दल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विचार से सहमत हो। विधानसभा अध्यक्ष इस विलय की प्रक्रियात्मक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करता है। यह सुरक्षा कवच राजनीतिक दलों के भीतर वैचारिक बदलावों को एक विधिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे सदन की सदस्यता खोए बिना बड़े राजनीतिक परिवर्तनों को सुगम बनाया जा सके।

65. (B) सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% वाले दल से संबंधित होना

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए कुछ मानक परंपराएं और नियम निर्धारित हैं। सामान्यतः यह पद उस विपक्षी दल के नेता को दिया जाता है जिसके पास सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 10% सीटें हों। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में, 200 सीटों में से कम से कम 20 सीटें होना आवश्यक है। यह पद एक सांविधिक दर्जा रखता है और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

विपक्ष के नेता की भूमिका लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मुख्यमंत्री की। वे सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और लोक लेखा समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में भागीदारी निभाते हैं। 10% का यह मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व एक सशक्त और एकीकृत राजनीतिक शक्ति द्वारा किया जाए। यह पद संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 170 में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, बल्कि यह संसदीय परंपराओं और राज्य के विशिष्ट कानूनों द्वारा विनियमित होता है, जो विधायी संतुलन के लिए अपरिहार्य है।

66. (A) यह 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना' माना जाएगा, जिससे अयोग्यता होगी

दलबदल विरोधी कानून के तहत स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना केवल औपचारिक त्यागपत्र तक सीमित नहीं है। यदि कोई विधायक अपने दल के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कार्य करता है, प्रतिद्वंद्वी दल का प्रचार करता है या दलीय हितों को नुकसान पहुँचाता है, तो उसके इस आचरण को भी सदस्यता का त्याग माना जा सकता है। ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक को अयोग्य ठहराने की शक्ति रखते हैं। यह प्रावधान राजनीतिक नैतिकता और दलीय निष्ठा को केवल कागजों तक सीमित न रखकर आचरण पर भी लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि विधायक का व्यवहार उसकी दलीय सदस्यता के प्रति निष्ठा का सूचक होता है। चुनाव बाद दूसरे दल के लिए प्रचार करना स्पष्ट रूप से दलबदल का मामला बनता है। ऐसी गतिविधियों से सदन की गरिमा और मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुँचती है। अतः विधायक को वाक् स्वतंत्रता का लाभ उठाकर अपने ही दल की नींव कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अयोग्यता की यह कठोर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने राजनीतिक जनादेश और दलीय प्रतिबद्धता के प्रति पूर्णतः जवाबदेह बने रहें।

67. (C) जसवंत सिंह

राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में जसवंत सिंह ने प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1952 में जब पहली विधानसभा का गठन हुआ, तब उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व करते हुए सदन में लोकतांत्रिक चर्चाओं और सरकार की जवाबदेही तय करने की परंपरा की नींव रखी। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से संबंध रखते थे और वे एक अनुभवी राजनेता थे। उनके नेतृत्व ने राजस्थान में एक स्वस्थ और रचनात्मक विपक्ष की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी प्रासंगिक है।

प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के निर्णयों पर उचित विधायी नियंत्रण बना रहे। जसवंत सिंह ने सदन के भीतर जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाया और विधायी प्रक्रियाओं की गरिमा बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी कार्यशैली ने आने वाले दशकों के लिए विपक्षी नेताओं हेतु एक मानक स्थापित किया। राजस्थान जैसे नए गठित राज्य में संसदीय लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में उनका यह योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। विपक्ष के पद को महत्वपूर्ण पहचान दिलाने का श्रेय उन्हीं के कार्यों को जाता है।

68. (B) III, I, II

राजनीतिक सुधारों और दलबदल विरोधी कानूनों का विकास भारत में क्रमिक रहा है। सबसे पहले 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून को दसवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद 1992 में किहोतो होलोहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया। अंततः 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और दलबदल के नियमों को और अधिक कड़ा बनाया गया। यह क्रम विधायी शुचिता की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है।

इन घटनाओं ने भारतीय संसदीय प्रणाली को अधिक स्थिर और पारदर्शी बनाने में योगदान दिया है। 52वें संशोधन ने सामूहिक दलबदल की समस्या को हल करने की कोशिश की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने अध्यक्ष की शक्तियों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखा। 91वें संशोधन ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अनावश्यक बड़े मंत्रिमंडलों के बोझ से सरकारी खजाने को बचाने का कार्य किया। यह कालानुक्रमिक यात्रा दर्शाती है कि कैसे समय के साथ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी तंत्र को निरंतर और अधिक परिपक्व बनाया गया।

Downloaded from www.pdf.tube

पड़े और विधायी कार्यवाही की शुचिता और उच्च नैतिक मानक हमेशा बने रहें।

88. (D) I, II, III और IV
सामयिक अध्यक्ष का पद नवनिर्वाचित विधानसभा के व्यवस्थित संचालन के लिए अनिवार्य है। राज्यपाल सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त करते हैं। अपनी अल्पकालिक अवधि के दौरान, उनके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं, जिससे वे न केवल शपथ दिला सकते हैं बल्कि सदन की मर्यादा भी बनाए रखते हैं। एक बार जब सदस्य अपने बीच से स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, तो सामयिक अध्यक्ष की भूमिका और पद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जो विधायी परंपरा का हिस्सा है।
सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है जो सदन के पहले सत्र को गति प्रदान करती है। वह सदन के अभिभावक के रूप में तब तक कार्य करते हैं जब तक कि लोकतांत्रिक तरीके से नया नेतृत्व स्थापित न हो जाए। उनके पास सदन को स्थगित करने या व्यवस्था बनाए रखने के वे सभी अधिकार होते हैं जो एक स्थायी अध्यक्ष के पास होते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सदन की पहली बैठक से ही विधायी प्रक्रियाओं का पालन संवैधानिक रूप से सुदृढ़ और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

89. (C) सदस्यों को जूरी सेवा से छूट
विधानसभा के सामूहिक विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो पूरे सदन को एक इकाई के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने, गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त करने और गवाहों को बुलाकर जांच करने की शक्ति शामिल है। इसके विपरीत, जूरी सेवा या न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होने से छूट एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है जो प्रत्येक विधायक को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है। यह सामूहिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसका संबंध सदन के समग्र कार्यों के बजाय किसी सदस्य की व्यक्तिगत कानूनी उपस्थिति से होता है।
सामूहिक विशेषाधिकार सदन की संस्थागत स्वायत्तता और प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। इसमें गुप्त सत्र आयोजित करना और अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को विनियमित करना भी शामिल है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि विधायक अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत बाधा के कर सकें। जूरी सेवा से छूट का उद्देश्य विधायक को न्यायिक कार्यों में फंसने से बचाकर विधायी कार्यों के लिए उपलब्ध रखना है। इन दोनों श्रेणियों के बीच का अंतर समझना संसदीय कानून और विधायी शुचिता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है।

90. (A) आयु या निरंतर कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम सदस्य
राजस्थान विधानसभा में सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक सुस्थापित संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है। राज्यपाल सामान्यतः उस व्यक्ति को चुनते हैं जो नवनिर्वाचित सदन में आयु या कई बार निर्वाचित होने के आधार पर सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि वरिष्ठ सदस्यों को विधायी प्रक्रियाओं और सदन की मर्यादाओं का गहरा अनुभव होता है। यह नियुक्ति राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से की जाती है ताकि नवनिर्वाचित सदस्यों को गरिमापूर्ण तरीके से शपथ दिलाई जा सके।
वरिष्ठता को महत्व देना सदन की निरंतरता और सम्मान का प्रतीक है। सामयिक अध्यक्ष का कार्य अल्पकालिक होने के बावजूद अत्यंत गंभीर होता है, क्योंकि वे ही सदन की नींव रखते हैं। वरिष्ठ सदस्य होने के कारण वे सभी राजनीतिक दलों के बीच सम्मानित होते हैं, जिससे सदन के प्रारंभिक कार्यों में आम सहमति और समन्वय बना रहता है। यह प्रथा सुनिश्चित करती है कि विधानसभा का संचालन अनुभव और बुद्धिमत्ता के साथ शुरू हो। अतः नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायी जीवन में प्रवेश कराने का दायित्व अनुभवी हाथों में सौंपा जाना एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

91. (D) I, II, III, IV और V
हाल के वर्षों में राजस्थान विधानसभा ने सामाजिक सुरक्षा और जनहित के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कानून पारित किए हैं। इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय की गारंटी और गिग कर्मकारों के कल्याण जैसे प्रगतिशील विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मृत शरीर के सम्मान और विवाह पंजीकरण संशोधनों के माध्यम से सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये सभी विधेयक सामूहिक रूप से राजस्थान को एक अग्रणी कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की विधायी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो नागरिकों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
इन ऐतिहासिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना है। न्यूनतम आय और रोजगार की गारंटी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के अधिकार ने चिकित्सा सेवाओं को नागरिकों का अधिकार बनाकर एक मिसाल कायम की है। गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बनकर उभरा है। ये विधायी प्रयास दर्शाते हैं कि विधानसभा कैसे आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से जनहितकारी और समावेशी कानूनों का निर्माण कर रही है।

92. (A) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित हालिया अधिनियमों ने शासन और सामाजिक कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम निजी और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार अनिवार्य करता है। न्यूनतम आय अधिनियम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार की विधिक गारंटी प्रदान करता है। गिग कर्मकार अधिनियम डिजिटल मंच पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड और कोष का प्रावधान करता है। साथ ही, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड सुनिश्चित करता है। ये अधिनियम राज्य की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। जहाँ स्वास्थ्य और आय संबंधी कानून बुनियादी मानव अधिकारों को सुदृढ़ करते हैं, वहीं गिग कर्मकार कानून उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई चुनावी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है। ये प्रावधान सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की विधायिका संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य करे और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सक्षम बनी रहे।

74. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि सरकार वर्ष में कम से कम दो बार सदन के प्रति जवाबदेह रहे। हालाँकि, संविधान में बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों के नाम या उनकी संख्या का कोई अनिवार्य उल्लेख नहीं है। ये सत्र केवल संसदीय परंपरा और सुविधानुसार आयोजित किए जाते हैं। अतः कथन एक संवैधानिक अनिवार्यता को सही बताता है, जबकि दूसरा कथन परंपराओं को कड़े संवैधानिक नियम के रूप में प्रस्तुत करने के कारण गलत है।
विधायी अंतराल की यह सीमा लोकतांत्रिक निगरानी बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच है। सरकार को नियमित अंतराल पर अपने कार्यों का विवरण सदन में देना होता है। यद्यपि भारत में तीन सत्रों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ है, परंतु तकनीकी रूप से राज्यपाल केवल दो सत्रों के आयोजन से भी संवैधानिक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रायः तीन सत्रों का पालन किया जाता है ताकि विधायी कार्यों और बजटीय चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह लचीलापन और संवैधानिक अनुशासन विधायी कार्यों को स्थिरता प्रदान करता है।

75. (D) (2) और (3) दोनों
राज्य विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करने की संवैधानिक शक्ति केवल राज्य के राज्यपाल के पास सुरक्षित है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पास सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री केवल राज्यपाल को सत्रावसान के लिए सलाह दे सकते हैं, और अध्यक्ष केवल बैठक को स्थगित कर सकते हैं। सत्रावसान एक आधिकारिक घोषणा है जो पूरे सत्र के विधायी कार्य को पूर्ण करती है, और इसके लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य माने जाते हैं।
यह शक्ति पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में यह सुनिश्चित करते हैं कि विधायी सत्र का समापन औपचारिक और कानूनी रूप से सही हो। मुख्यमंत्री की भूमिका सलाहकारी है और अध्यक्ष की भूमिका सदन के भीतर प्रबंधन तक सीमित है। सत्रावसान के बाद सदन को फिर से बुलाने के लिए राज्यपाल द्वारा नया समन जारी करना होता है। यह स्पष्ट सीमांकन किसी भी प्रकार के राजनीतिक भ्रम को रोकता है और विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की अनिवार्य संवैधानिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है, जो राज्य शासन का आधार है।

76. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विशेष संबोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह संबोधन प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और आगामी विधायी एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है। राज्यपाल इस संबोधन के माध्यम से सदन को उसके बुलाए जाने के विशिष्ट कारणों की सूचना देते हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों संवैधानिक रूप से सत्य हैं और एक-दूसरे की तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं।
राज्यपाल का यह विशेष अभिभाषण राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और यह कार्यपालिका की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से विस्तृत चर्चा होती है, जो विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर प्रदान करती है। यह संसदीय लोकतंत्र की एक अत्यंत गरिमापूर्ण परंपरा है जो संवैधानिक प्रमुख और विधायी सदन के बीच के संबंध को प्रगाढ़ बनाती है। यह संबोधन न केवल औपचारिकता है, बल्कि यह राज्य के शासन की दिशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी दस्तावेज भी माना जाता है।

77. (C) सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों का प्रस्ताव नहीं दे सकते
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा विधानसभा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सदस्यों को इस प्रस्ताव पर अपनी राय रखने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदस्य इस प्रस्ताव में संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं ताकि वे उन मुद्दों को जोड़ सकें जो अभिभाषण में छूट गए हों। यह कहना कि सदस्य संशोधन नहीं दे सकते, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व और उसके सदन में बहुमत का प्रमाण माना जाता है।
धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस विपक्ष के लिए एक प्रभावी लोकतांत्रिक हथियार की तरह कार्य करती है। यदि सदन इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में पारित करता है या अस्वीकृत कर देता है, तो इसे सरकार की नैतिक और राजनीतिक हार माना जाता है। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री उत्तर देते हैं और फिर प्रस्ताव पर मतदान होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सरकार की वार्षिक कार्ययोजना पर सदन की मुहर लगे। संशोधनों का अधिकार विधायकों के विधायी विशेषाधिकार का हिस्सा है, जो चर्चा को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में सहायता करता है।

78. (D) वसंत सत्र
भारत की संसदीय प्रणाली और राजस्थान विधानसभा में सामान्यतः तीन प्रमुख सत्रों का आयोजन किया जाता है। वर्ष की शुरुआत बजट सत्र से होती है जो सबसे लंबा और महत्वपूर्ण होता है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात मानसून सत्र बुलाया जाता है और वर्ष के अंत में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। इन तीनों के अलावा वसंत सत्र नाम का कोई भी पारंपरिक या आधिकारिक सत्र भारतीय विधायी कैलेंडर में अस्तित्व में नहीं

Click Here to Buy book on Amazon

69. (C) नया समूह बनाने के लिए एक-तिहाई सदस्यों का विभाजन (वर्तमान विधि) - छूट प्राप्त
दलबदल विरोधी कानून में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मूल रूप से दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन करने पर अयोग्यता से छूट का प्रावधान था। हालाँकि, वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन के बाद इस छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब केवल दो-तिहाई सदस्यों के विलय को ही वैध माना जाता है। अन्य मामलों में, जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निष्पक्षता हेतु पद ग्रहण के बाद दल छोड़ना, अभी भी अयोग्यता के दायरे से बाहर और पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है।
एक-तिहाई विभाजन की छूट को हटाना राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम था क्योंकि इसका अक्सर दुरुपयोग होता था। अब केवल एक बड़ा सामूहिक निर्णय ही दल परिवर्तन को विधिक मान्यता दिला सकता है। अध्यक्ष के लिए छूट इसलिए है ताकि वे सदन में बिना किसी दलीय पक्षपात के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। यह नियमों की कठोरता और व्यवहारिकता के बीच एक संतुलन प्रदान करता है। अयोग्यता के इन प्रावधानों को समझना राजनीतिक प्रक्रिया में हो रहे बदलावों और विधायी शुचिता को बनाए रखने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

70. (A) केवल I और II
राजस्थान में विपक्ष के नेता का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होता है। इसे राज्य के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना जाता है, जिससे उन्हें समान वेतन, भत्ते और सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह एक सांविधिक पद है क्योंकि इसकी शक्तियों और स्थिति को राज्य विधानसभा के विशिष्ट कानूनों द्वारा मान्यता दी गई है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि विपक्ष का नेता स्वतः लोक लेखा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है; यद्यपि परंपरा विपक्ष की ही है, परंतु इसकी औपचारिक नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
विपक्ष के नेता का कैबिनेट दर्जा उनकी विधायी गरिमा को रेखांकित करता है। सांविधिक पद होने के कारण यह राजनीतिक प्रभाव से परे एक विधिक सुरक्षा प्राप्त करता है। यह पद सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियों पर सूक्ष्म और विशेषज्ञ स्तर की निगरानी रखी जाए। लोक लेखा समिति के मामले में विपक्षी सदस्य का होना लोकतांत्रिक परंपरा है, जिसे लगभग हमेशा निभाया जाता है, लेकिन यह पदेन पद नहीं है। ये प्रावधान मिलकर राजस्थान की विधायी व्यवस्था को एक संतुलित और उत्तरदायी लोकतांत्रिक मंच प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

71. (D) यह लिखित होने के बजाय संसदीय परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है
सचेतक शब्द और इसकी अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के औपचारिक नियमावली में मिलता है। यह विशुद्ध रूप से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई एक सुस्थापित परंपरा और प्रथा है। राजनीतिक दल अपने सदस्यों को सदन के भीतर अनुशासित रखने और मतदान के दौरान दल की दिशा का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सचेतक नियुक्त करते हैं। यह दलीय प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनौपचारिक अंग है जो विधायी स्थिरता के लिए अनिवार्य माना गया है।
यद्यपि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, परंतु सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है। सचेतक मुख्य रूप से दल और उसके विधायकों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर दल की सामूहिक उपस्थिति और मत बना रहे। इस प्रकार, सचेतक की शक्ति संवैधानिक पाठ के बजाय संसदीय परंपराओं की शक्ति से आती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढांचे को विधायी कार्यों के साथ एकीकृत करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है।

72. (D) I, II, III और IV
राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए जाने वाले सचेतक के निर्देश विभिन्न स्तरों की गंभीरता को दर्शाते हैं। एक-पंक्ति वाला निर्देश केवल सूचनात्मक होता है, जबकि दो-पंक्ति वाला निर्देश सदन में उपस्थिति अनिवार्य बनाता है। सबसे शक्तिशाली तीन-पंक्ति वाला निर्देश होता है, जो सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दल के निर्देशानुसार ही मतदान करने का कड़ा आदेश देता है। इस निर्देश की अवहेलना करने पर सदस्य को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जो राजनीतिक करियर के लिए एक गंभीर संकट होता है।
निर्देशों की यह श्रेणीबद्ध प्रणाली दलीय अनुशासन और विधायी प्रबंधन का आधार है। यह सुनिश्चित करती है कि दल अपनी नीतियों और विधेयकों पर एक मत होकर कार्य करे। तीन-पंक्ति वाला निर्देश प्रायः बजट, अविश्वास प्रस्ताव या महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों जैसे नाजुक अवसरों पर जारी किया जाता है। इसकी शक्ति राजनीतिक दलों को सदन में एकजुट रखने में सहायता करती है। सचेतक के निर्देशों का प्रभावी उपयोग ही किसी सरकार की स्थिरता और उसके विधायी एजेंडे की सफलता को निर्धारित करता है, जो संसदीय लोकतंत्र का एक मौलिक पहलू है।

73. (A) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
विधानसभा की विधायी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए राज्यपाल और अध्यक्ष के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति है। विधानसभा का विघटन भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, जो प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। इसके विपरीत, सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार केवल पीठासीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष के पास होता है। यह विभाजन विधायी कार्यों के सुचारू निष्पादन और संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करता है।
स्थगन और सत्रावसान के बीच का अंतर समझना विधायी जीवनचक्र के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष का अधिकार केवल सदन के भीतर की वर्तमान बैठक की अवधि तक सीमित है, जबकि राज्यपाल का अधिकार सदन के संपूर्ण जीवनकाल और सत्र की अवधि को नियंत्रित करता है। विघटन की शक्ति

NODIA

नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के रूप में विधायकों को सत्र के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है। सामूहिक रूप से, सदन के पास अपनी कार्यवाही को गुप्त रखने और अपरिचितों को बाहर निकालने का अनन्य अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

ये विशेषाधिकार विधायकों को बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाते हैं। वाक्-स्वतंत्रता सदन में गहन और ईमानदार चर्चा सुनिश्चित करती है। गिरफ्तारी से मुक्ति सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार राज्य की सुरक्षा और संवेदनशील विधायी निर्णयों के लिए आवश्यक है। यह संपूर्ण ढांचा विधायिका की स्वायत्तता और गरिमा को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, जो एक जीवंत और स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए अत्यंत अपरिहार्य माना जाता है।

84. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को सामूहिक और व्यक्तिगत श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कथन एक को सत्य बनाता है। सामूहिक विशेषाधिकार सदन के रूप में होते हैं, जबकि व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्रत्येक विधायक को मिलते हैं। हालाँकि, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति केवल दीवानी मामलों तक ही सीमित है। किसी भी विधायक को आपराधिक मामलों, निवारक निरोध या गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अतः कथन दो गलत है क्योंकि यह सभी आपराधिक मामलों में भी उन्मुक्ति का दावा करता है जो संवैधानिक वास्तविकता नहीं है।

विशेषाधिकारों का उद्देश्य सदस्यों को उनके विधायी कार्यों में सहायता करना है, न कि उन्हें कानून से ऊपर रखना। यदि किसी विधायक ने कोई अपराध किया है, तो कानून की सामान्य प्रक्रिया उस पर प्रभावी होती है, बस उसकी गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। दीवानी मामलों में 40 दिन की सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि सदन की कार्यवाही में सदस्य की उपस्थिति बाधित न हो। यह संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करता है कि विधायी कार्यों की स्वतंत्रता और देश के आपराधिक न्याय तंत्र के बीच कोई टकराव उत्पन्न न हो।

85. (B) केवल I और III

राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो उनके विधायी कार्यों को सुविधाजनक बनाते हैं। एक विधायक को सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सत्र के दौरान उन्हें न्यायालय में गवाही देने या साक्षी के रूप में उपस्थित होने से मना करने का अधिकार है ताकि उनकी विधायी भागीदारी सुनिश्चित रहे। हालाँकि, आपराधिक मामलों में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है और उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है।

गवाही से छूट का विशेषाधिकार यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण चर्चाओं या मतदान के समय सदस्य सदन से बाहर न रहे। दीवानी मामलों में गिरफ्तारी की रोक केवल सदस्य की उपस्थिति को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए है। आपराधिक मामलों में अध्यक्ष को केवल गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है, उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रावधान मिलकर विधायक की स्वायत्तता और कानून के शासन के बीच एक बारीक संतुलन स्थापित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विधायी उत्तरदायित्वों का निर्वहन बिना किसी अनावश्यक कानूनी बाधा के प्रभावी ढंग से किया जा सके।

NODIA

86. (C) सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और समाप्त होने के 40 दिन पश्चात

विधानसभा सदस्यों को प्राप्त व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण है। यह सुरक्षा केवल सत्र की अवधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक प्रभावी रहती है। इस लंबी अवधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों की तैयारी और उनके निष्पादन के दौरान किसी भी अनावश्यक या राजनीतिक रूप से प्रेरित कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े और उनकी उपस्थिति सदन में बनी रहे।

40 दिन की यह अवधि ऐतिहासिक संसदीय परंपराओं पर आधारित है जिसे भारतीय संविधान ने भी अपनाया है। यह संरक्षण केवल दीवानी मुकदमों तक ही सीमित है और आपराधिक अपराधों या राजद्रोह जैसे मामलों पर लागू नहीं होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाने के लिए स्वतंत्र रहें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का डर दिखाकर विधायी कार्यों से रोका न जा सके। यह सुरक्षा कवच लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने और विधायी गरिमा को अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

87. (D) प्रेस को कार्यवाही के निकाले गए (Expunged) अंशों को भी प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में सख्त नियम और मर्यादाएं लागू हैं। सदन के पास अपनी आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनन्य अधिकार है और मीडिया को केवल सच्ची रिपोर्टिंग के लिए ही विधिक संरक्षण प्राप्त है। हालाँकि, यदि अध्यक्ष ने चर्चा के किसी अपमानजनक या असंसदीय अंश को रिकॉर्ड से निकाल दिया है, तो प्रेस उसे किसी भी स्थिति में प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसा करना विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। प्रेस को इस मामले में कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए यह नियंत्रण आवश्यक है। निकाले गए अंश आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते, इसलिए उनका प्रकाशन अवैध माना जाता है। मीडिया को दी गई स्वतंत्रता केवल सदन की वास्तविक और स्वीकृत कार्यवाही तक ही सीमित है। अनुच्छेद 361A यह संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन यह सदन के आंतरिक अनुशासन और अध्यक्ष के आदेशों के अधीन है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सदन में दिए गए असंसदीय बयानों का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न

7. राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) उनकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल की औपचारिक सिफारिशों के बाद की जाती है।
(2) उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत सिफारिश के आधार पर की जाती है।
(3) उनकी भर्ती केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक कठिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है।
(4) उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

8. राजस्थान की अधीनस्थ न्यायपालिका के निम्नलिखित आपराधिक न्यायालयों को उनके पदानुक्रम (उच्चतम से निम्नतम) के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय
II. सत्र न्यायाधीश का न्यायालय
III. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय
IV. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) I, II, IV, III
(2) II, I, IV, III
(3) II, IV, I, III
(4) I, III, II, IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

9. राजस्थान उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) उच्च न्यायालय के पास नौधिकरण, प्रोबेट और वैवाहिक विवादों के मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है।
(2) संसद सदस्यों या राज्य विधायिका के चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं।
(3) उच्च न्यायालय के पास राजस्थान सरकार और अन्य राज्य सरकार के बीच विवादों की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार है।
(4) न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामले इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

10. संविधान का अनुच्छेद 227 राजस्थान उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। यह शक्ति विस्तृत है:
(1) प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण दोनों पर।
(2) केवल प्रशासनिक अधीक्षण पर।
(3) केवल न्यायिक अधीक्षण पर।
(4) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

11. निम्नलिखित रिट (Writs) को उनके प्राथमिक उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (रिट)
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण
B. परमादेश
C. प्रतिषेध
D. अधिकार पृच्छा
सूची II: (उद्देश्य)
i. किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना
ii. किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना
iii. अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त करने का निर्देश देना
iv. निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले की कार्यवाही करने से रोकना
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

12. वर्तमान विधिक ढांचे के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है?
(1) 40
(2) 50
(3) 60
(4) 75
(5) अनुत्तरित प्रश्न

13. राजस्थान के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. महाधिवक्ता की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है।
II. महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए।
III. महाधिवक्ता को मतदान के अधिकार के बिना राज्य विधानसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
IV. महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल II, III और IV

Downloaded from www.pdf.tube

को संबोधित करता है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त दंड व्यवस्था युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। इन कानूनों का सुव्यवस्थित कार्यान्वयन राज्य में सुशासन और सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत बना रहा है। यह विधायी सक्रियता राजस्थान को आधुनिक और संवेदनशील प्रशासनिक ढांचे वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करती है।

93. (C) 2023
राजस्थान के संसदीय इतिहास में वर्ष 2023 एक मील का पत्थर साबित हुआ जब विधानसभा ने ऐतिहासिक स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस कानून के साथ ही राजस्थान इस प्रकार का वैधानिक अधिकार देने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बिना किसी वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। यह कानून राज्य की स्वास्थ्य नीति में एक आमूल-चूल परिवर्तन का प्रतीक है, जो चिकित्सा देखभाल को दया के बजाय एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है।
वर्ष 2023 का यह विधायी निर्णय व्यापक चर्चा और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया था। यह अधिनियम आपातकालीन स्थिति में बिना किसी पूर्व भुगतान के उपचार की गारंटी देता है, जो जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कानून के पारित होने से राजस्थान ने देश के अन्य राज्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह राज्य की कल्याणकारी भूमिका को सशक्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बुनियादी सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुँचें।

94. (D) यह प्रतिवर्ष 125 दिवस के कार्य और प्रति माह कम से कम 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है
राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 राज्य के नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक अभूतपूर्व कानून है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के लिए वर्ष में कम से कम 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसके साथ ही, यह बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं जैसे पात्र लाभार्थियों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी प्रावधान करता है। यह विधेयक आर्थिक असमानता को कम करने और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को कानूनी आधार देता है।
यह कानून महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं को राज्य स्तर पर और अधिक सशक्त और व्यापक बनाता है। पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान भी इसमें शामिल है, जो इसे भविष्योन्मुखी बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक मंदी या संकट के समय भी राज्य के कमजोर वर्ग भूखे न रहें और उनके पास आय का एक निश्चित स्रोत हो। इस प्रकार का वैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन गया है, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक नई और समावेशी दृष्टि प्रस्तुत करता है।

95. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
राजस्थान ने मंच आधारित गिग कर्मकार अधिनियम के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को सुरक्षा देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। राजस्थान इस प्रकार का कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है, जो कथन एक की पुष्टि करता है। यह अधिनियम केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑनलाइन सेवाओं पर होने वाले प्रत्येक लेनदेन पर एक कल्याण शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। यह उपकर एक समर्पित कोष में जमा होता है जिसका उपयोग इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए किया जाएगा।
गिग वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना एक साहसिक विधायी कदम है क्योंकि ये श्रमिक अब तक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर थे। इस कानून के माध्यम से उनके लिए शिकायत निवारण तंत्र और कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कथन दो इस आर्थिक मॉडल की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है जो तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही तय करता है। यह पहल न केवल राजस्थान के लाखों गिग श्रमिकों को लाभान्वित करेगी, बल्कि पूरे देश के लिए श्रम सुधारों का एक नया और आधुनिक रूपरेखा भी तैयार करती है जो स्वागत योग्य है।

96. (B) राज्य के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ, जिससे जिलों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई
हाल के वर्षों में राजस्थान विधानसभा और सरकार द्वारा लिए गए सबसे प्रभावशाली निर्णयों में से एक नए जिलों का गठन था। इस निर्णय का सीधा विधायी और प्रशासनिक प्रभाव राज्य के भूगोल और शासन व्यवस्था पर पड़ा, जिससे जिलों की कुल संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को जनता के अधिक निकट लाना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था। नए जिलों के गठन से विकास कार्यों की निगरानी और सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हुई है।
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का यह विशाल कदम राज्य के संतुलित विकास के लिए आवश्यक माना गया था। नए जिलों और संभागों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर कार्यालयों और बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। यद्यपि इससे विधानसभा की सीटों की संख्या में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसने भविष्य के परिसीमन और विधायी प्रतिनिधित्व के लिए एक नया आधार तैयार किया है। यह पुनर्गठन राजस्थान के आधुनिक प्रशासनिक इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो जनता की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सफल सिद्ध हुआ है।

97. (B) राजस्थान विधान परिषद सृजन विधेयक, 2023
15वीं राजस्थान विधानसभा (2018-2023) अपने प्रगतिशील सामाजिक कल्याणकारी कानूनों के लिए जानी जाती है। इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार, गिग कर्मकार और लोकायुक्त कार्यकाल जैसे महत्वपूर्ण संशोधन और विधेयक सफलतापूर्वक पारित किए गए। हालाँकि, राजस्थान विधान परिषद सृजन विधेयक 2023 इस दौरान पारित होने वाले प्रमुख विधायी कार्यों का हिस्सा नहीं था। यद्यपि विधान परिषद

NODIA

के गठन पर समय-समय पर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं, परंतु इस विशिष्ट अवधि में इसे एक औपचारिक अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया था।

15वीं विधानसभा का मुख्य ध्यान सामाजिक सुरक्षा और वैधानिक गारंटी प्रदान करने पर केंद्रित था। लोकायुक्त के कार्यकाल में बदलाव और अन्य प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई थी। विधान परिषद का मुद्दा एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो संसद के सहयोग पर निर्भर करती है। इस सूची में शामिल अन्य सभी विधेयक ऐतिहासिक रूप से इसी विधानसभा सत्र की उपलब्धियाँ हैं। अतः परिषद सृजन का विषय इस सत्र की विधायी सफलताओं की मुख्य धारा से अलग रहा। यह अंतर विधानसभा की तत्कालीन विधायी प्राथमिकताओं और उसके वास्तविक परिणामों को स्पष्ट करता है।

98. (A) सामाजिक सुरक्षा तंत्र और वैधानिक कल्याण गारंटी का विस्तार

वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान विधानसभा की विधायी गतिविधियाँ मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित रहीं। सरकार ने कई ऐसे कानून पारित किए जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को केवल सरकारी आदेश के बजाय कानूनी अधिकार में बदल दिया। स्वास्थ्य, आय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में दिए गए ये वैधानिक अधिकार राज्य की शासन प्रणाली में एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। इस अवधि का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम गरिमापूर्ण जीवन स्तर और सुरक्षा का कानूनी आश्वासन प्रदान करना था।

इस विधायी दृष्टिकोण ने राज्य की भूमिका को एक सक्रिय संरक्षक के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। इन कानूनों के माध्यम से सरकारी खजाने और प्रशासनिक तंत्र को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया गया। निजीकरण के बजाय सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और विधिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया। यह दौर राजस्थान के संसदीय इतिहास में जन-केंद्रित कानून निर्माण के स्वर्ण काल के रूप में देखा जा सकता है। इन पहलों ने न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जनकल्याणकारी नीतियों और विधायी प्राथमिकताओं के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है।

99. (C) 16वीं विधानसभा

नवंबर 2023 में आयोजित राजस्थान राज्य विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप 16वीं विधानसभा का गठन हुआ। यह चुनाव राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास की एक निरंतरता है, जहाँ जनता ने अगले पांच वर्षों के लिए अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। 16वीं विधानसभा के गठन के साथ ही राज्य में नए राजनीतिक नेतृत्व और विधायी एजेंडे की शुरुआत हुई। 200 सीटों वाली इस विधानसभा का प्राथमिक उत्तरदायित्व राजस्थान के विकास और शासन के लिए नए कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है।

प्रत्येक नई विधानसभा का गठन राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं में बदलाव का अवसर लेकर आता है। 16वीं विधानसभा ने दिसंबर 2023 में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहाँ नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। यह सत्र राज्य के भविष्य की दिशा तय करने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को विधायी मंच प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नई विधानसभा के पास राज्य की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और पूर्ववर्ती कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने या संशोधित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, जो राजस्थान के समग्र उत्थान के लिए अनिवार्य है।

100. (D) वासुदेव देवनानी

16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से चुना गया। देवनानी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित एक अनुभवी राजनेता हैं और उनके पास लंबा विधायी अनुभव है। उनका चयन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से हुआ, जो राजस्थान की समृद्ध संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक सौहार्द का प्रतीक है। अध्यक्ष के रूप में उनका मुख्य दायित्व सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित करना, सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना और विधायी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना है।

अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति सदन की कार्यप्रणाली में अनुशासन और नियमों के पालन की अपेक्षा को दर्शाती है। अनुभवी सदस्य होने के कारण वे विधायी बारीकियों से भली-भांति परिचित हैं। उनके कार्यकाल से यह आशा की जाती है कि सदन में स्वस्थ चर्चा और प्रभावी कानून निर्माण की प्रक्रिया को बल मिलेगा। सर्वसम्मति से चुनाव होना यह भी दर्शाता है कि सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। यह नई विधानसभा के सफल और सुव्यवस्थित संचालन की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम माना जा सकता है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 15
राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

1. राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन किस तिथि को किया गया था?
(1) 26 जनवरी 1950
(2) 29 अगस्त 1949
(3) 1 नवंबर 1956
(4) 15 अगस्त 1947
(5) अनुत्तरित प्रश्न

2. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को उच्च न्यायालयों से संबंधित उनके प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 214
B. अनुच्छेद 215
C. अनुच्छेद 216
D. अनुच्छेद 217
सूची II: (प्रावधान)
i. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
ii. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
iii. उच्च न्यायालयों का गठन
iv. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

3. संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत, राजस्थान उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(1) यह ऐतिहासिक सुनवाइयों के लिए राज्य के अभिलेखागार का प्रबंधन करता है और प्रत्येक कार्यवाही का पूर्ण भौतिक विवरण रखता है।
(2) यह राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक विवरणों और प्रक्रियात्मक लिपियों के भंडार के रूप में कार्य करता है।
(3) यह शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए अपने निर्णयों को सुरक्षित रखता है और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
(4) इसके निर्णयों को आधिकारिक रूप से लागू करने से पहले औपचारिक प्रलेखन के लिए राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

4. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए:
I. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था।
II. जयपुर पीठ को वर्ष 1977 में स्थायी रूप से पुनर्स्थापित किया गया था।
III. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ सदैव जयपुर में स्थित रही है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से विस्तृत है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

6. निम्नलिखित में से किसने 1949 में नवनिर्मित राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया?
(1) न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू
(2) न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा
(3) न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद
(4) न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

है। यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा और विधायी कार्यों के प्रबंधन के आधार पर विकसित हुआ है।
यद्यपि संविधान केवल छह माह के अंतराल की बात करता है, लेकिन इन तीन सत्रों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी है। प्रत्येक सत्र अपनी विशिष्ट समय अवधि और विधायी एजेंडे के लिए जाना जाता है। बजट सत्र वित्तीय योजना पर केंद्रित होता है, जबकि अन्य दो सत्रों में मुख्य रूप से लंबित विधेयकों और ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इन सत्रों के नाम ऋतुओं के साथ जुड़े हैं, जो कृषि प्रधान देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को भी दर्शाती है। अतः वसंत सत्र को इस विधायी व्यवस्था में स्थान नहीं दिया गया है।

79. (A) केवल I, II, III और IV
अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दिया जाता है और यह राज्य कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होती है, जहाँ विपक्ष विरोध के रूप में बहिष्कार भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, जिससे सरकार गिर सकती है। यह कहना कि विफलता का प्रभाव नहीं पड़ता, संवैधानिक रूप से गलत है।
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान सरकार की अग्निपरीक्षा की तरह होता है। चूंकि अभिभाषण सरकार की आधिकारिक नीतियों का दर्पण है, इसलिए उसकी अस्वीकृति सीधे तौर पर सरकार में अविश्वास का संकेत है। यह प्रक्रिया विधायी जवाबदेही को सर्वोच्च स्तर पर सुनिश्चित करती है। राज्यपाल का संबोधन और उसके बाद की बहस राज्य के राजनीतिक स्वास्थ्य का सूचक मानी जाती है। संसदीय नियमों के अनुसार, सरकार के लिए इस प्रस्ताव को मूल या संशोधित रूप में पारित कराना अनिवार्य है ताकि वह अपने शासन करने के नैतिक अधिकार को बनाए रख सके।

80. (B) सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति - अनुच्छेद 189
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 राज्य विधानमंडल के सदनों में मतदान की प्रक्रिया और गणपूर्ति को परिभाषित करता है। यह निर्धारित करता है कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जो सामान्यतः कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होता है। अन्य विकल्पों में दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है; जैसे सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 188 में है, स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 190 में और वेतन-भत्ते अनुच्छेद 195 में वर्णित हैं। अतः अनुच्छेद 189 विधायी संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
गणपूर्ति का नियम सुनिश्चित करता है कि सदन के निर्णय केवल मुट्ठी भर सदस्यों द्वारा न लिए जाएं, बल्कि एक न्यूनतम अनिवार्य संख्या की सहमति हो। अनुच्छेद 189 के तहत अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कोरम न होने पर बैठक को स्थगित कर दे। मतदान के दौरान समानता की स्थिति में अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद की शक्तियों से उद्भूत होता है। यह संवैधानिक ढांचा विधायी प्रक्रियाओं को वैधता और गंभीरता प्रदान करता है, जिससे सदन की गरिमा और उसके निर्णयों की लोकतांत्रिक स्वीकार्यता बनी रहती है।

81. (B) एक अस्थायी अधिकारी जो सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष का चुनाव संचालित करता है
राजस्थान विधानसभा के चुनावों के पश्चात, नए सदन के गठन के प्रारंभिक चरण में सामयिक अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राज्यपाल सामान्यतः नवनिर्वाचित सदन के वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त करते हैं। उनका मुख्य कार्य नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाना और नए स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है। एक बार जब विधानसभा अपने स्थायी अध्यक्ष को चुन लेती है, तो सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति विधायी निरंतरता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक परंपरा है। बिना शपथ ग्रहण किए कोई भी विधायक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, इसलिए सामयिक अध्यक्ष का होना प्राथमिक आवश्यकता है। यह पद केवल कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन इसके पास उस अवधि के दौरान अध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित होती हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सदन का पहला सत्र बिना किसी संवैधानिक संकट के शुरू हो सके और एक लोकतांत्रिक तरीके से स्थायी नेतृत्व का चुनाव संपन्न हो सके।

82. (A) राज्य के राज्यपाल
राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति और शपथ ग्रहण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक औपचारिकता है। राज्य के राज्यपाल स्वयं सामयिक अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः राजभवन में या विधानसभा भवन में आयोजित की जाती है। चूंकि सामयिक अध्यक्ष ही अन्य सभी विधायकों को शपथ दिलाने हेतु अधिकृत होते हैं, इसलिए उनका स्वयं शपथ लेना अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नवनिर्वाचित सदन की विधायी यात्रा संवैधानिक रूप से वैध और राज्यपाल के संरक्षण में प्रारंभ हो।
राज्यपाल द्वारा दिलाई गई यह शपथ सामयिक अध्यक्ष को सदन की प्रारंभिक कार्यवाही चलाने का कानूनी आधार प्रदान करती है। सामयिक अध्यक्ष की गरिमा इस तथ्य से झलकती है कि उन्हें सीधे राज्य के संवैधानिक प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। शपथ ग्रहण के बाद वे सदन में जाकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक सत्ता के हस्तांतरण और विधायी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की एक सुव्यवस्थित संवैधानिक श्रृंखला है, जो राज्य के शासन को स्थिरता और वैधता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

83. (A) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विस्तार से वर्णित की गई हैं। इनमें सदन के भीतर बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता शामिल है, जहाँ सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उसे अदालत के प्रति जवाबदेह

Downloaded from www.pdf.tube

(5) अनुत्तरित प्रश्न

14. नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: जब कोई न्यायाधीश जिला स्तर के न्यायालय की अध्यक्षता करता है और दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है।
कथन II: जब वही न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

15. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है?
(1) सैन्य न्यायाधिकरणों या कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की समीक्षा करना।
(2) राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधि की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करना।
(3) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश को रद्द करना।
(4) किसी अधीनस्थ विधान को मूल अधिनियम के अधिकारातीत घोषित करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

16. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): संविधान राज्य की कार्यपालिका से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
कारण (R): अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण पूर्णतः राज्य के राज्यपाल में निहित करता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

17. राजस्थान में राजस्व न्यायालयों के सही पदानुक्रमित क्रम का चयन कीजिए, निम्नतम से उच्चतम अधिकारी तक:
(1) तहसीलदार → उप-खंड अधिकारी → राजस्व अपील प्राधिकारी → राजस्व मंडल
(2) उप-खंड अधिकारी → तहसीलदार → राजस्व मंडल → राजस्व अपील प्राधिकारी
(3) तहसीलदार → राजस्व अपील प्राधिकारी → उप-खंड अधिकारी → राजस्व मंडल
(4) उप-खंड अधिकारी → राजस्व अपील प्राधिकारी → तहसीलदार → राजस्व मंडल
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

18. भारत की संसद द्वारा 'कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम' किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न जिलों में परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं?
(1) 1974
(2) 1984
(3) 1994
(4) 2004
(5) अनुत्तरित प्रश्न

19. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था।
II. इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है।
III. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके 'मुख्य संरक्षक' के रूप में कार्य करते हैं।
IV. यह विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है।
V. इसके पास जनहित याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समान बाध्यकारी रिट जारी करने की शक्ति है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

20. उच्च न्यायालय के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
(1) अनुच्छेद 223 - उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
(2) अनुच्छेद 224 - कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
(3) अनुच्छेद 226 - सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
(4) अनुच्छेद 222 - एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
(5) अनुत्तरित प्रश्न

21. राजस्थान में विधिक प्राधिकरणों/संस्थानों को उनके उच्चतम पीठासीन अधिकारी के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संस्थान)
A. राजस्थान उच्च न्यायालय
B. राजस्व मंडल
C. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
D. जिला न्यायालय
सूची II: (पीठासीन अधिकारी)
i. कार्यकारी अध्यक्ष
ii. मुख्य न्यायाधीश

(5) अनुत्तरित प्रश्न

67. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, राजस्थान में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के पास विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड देने की शक्ति है, सिवाय:
(1) कारावास का दंड जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो।
(2) कारावास का दंड जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक न हो।
(3) मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड।
(4) किसी एक अपराध के लिए 10,000 रुपये से अधिक के जुर्माने का दंड।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

68. राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन किस पर भारित होती है?
(1) राजस्थान राज्य की संचित निधि
(2) भारत का लोक लेखा
(3) राज्य की आकस्मिकता निधि
(4) भारत की संचित निधि
(5) अनुत्तरित प्रश्न

69. राजस्थान में एक सत्र न्यायाधीश की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. हत्या और बलात्कार के मामलों की सुनवाई करने की शक्ति।
II. मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति।
III. मृत्युदंड देने की शक्ति, जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन हो।
IV. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अपीलों को सुनने की शक्ति।
V. राज्य विधानसभा के विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की शक्ति।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और V
(4) केवल I, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

70. नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
कथन II: राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

71. राजस्थान में विधिक सेवा प्राधिकरणों के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पदाधिकारी)
A. RSLSA के मुख्य संरक्षक
B. RSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष
C. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष
D. तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष
सूची II: (भूमिकाएं)
i. जिला न्यायाधीश
ii. वरिष्ठ सिविल जज
iii. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
iv. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

72. राजस्थान में फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य रूप से लक्षित मामलों के संबंध में भिन्न का चयन कीजिए:
(1) बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच बौद्धिक संपदा विवाद।
(2) बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामले।
(3) लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों से जुड़े मामले।
(4) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामले।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

73. संविधान के अनुच्छेद 235 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह जिला न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित करता है।
II. इस नियंत्रण में न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति शामिल है।
III. यह अपील के उस अधिकार को कम नहीं करता जो एक न्यायिक अधिकारी के पास उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि के तहत हो।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

74. राजस्थान में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है?
(1) उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान के राज्यपाल।

Click Here to Buy book on Amazon

(2) 62 वर्ष
(3) 65 वर्ष
(4) 70 वर्ष
(5) अनुत्तरित प्रश्न

30. राजस्थान में राजस्व मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) राजस्व मंडल का प्राथमिक प्रशासनिक मुख्यालय स्थायी रूप से अजमेर में स्थित है।
(2) यह राजस्व अपीलों और पुनरीक्षणों की सुनवाई के लिए राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
(3) यह राज्य के सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण रखता है।
(4) इसके पास कृषि भूमि से जुड़े आपराधिक मानव वध के मामलों की मूल सुनवाई करने का अधिकार है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

31. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनकी विशिष्ट विषयवस्तु के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 226
B. अनुच्छेद 227
C. अनुच्छेद 228
D. अनुच्छेद 233
सूची II: (विषयवस्तु)
i. कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण
ii. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
iii. उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति
iv. उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

32. झालामंड, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था?
(1) 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
(2) 2019 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा
(3) 2018 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा
(4) 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
(5) अनुत्तरित प्रश्न

33. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
II. व्यक्ति ने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो।
III. व्यक्ति कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
IV. व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
अनुच्छेद 217 के तहत संवैधानिक योग्यताओं के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल I, II और III (जहां II या III में से कोई एक शर्त पूरी हो)
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

34. राजस्थान में एक सत्र न्यायाधीश हत्या के मामले में एक अपराधी को मृत्युदंड देता है। इस दंड पर निम्नलिखित में से कौन सा विधिक सिद्धांत लागू होता है?
(1) दंड को प्रभावी करने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना अनिवार्य है।
(2) दंड अंतिम है और सुनाए जाने के तुरंत बाद निष्पादन योग्य है।
(3) निष्पादन से पहले दंड की पुष्टि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए।
(4) दंड की पुष्टि केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

35. राजस्थान में ग्राम न्यायालयों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए पंचायत समिति स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं।
कथन II: ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता एक 'न्यायाधिकारी' द्वारा की जाती है, जिसके पास सिविल जज के समान योग्यताएं होती हैं।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के मूल पाठ में उल्लेख नहीं है।
कारण (R): नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए 'थ्री जजेज केसेस' में न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या

Downloaded from www.pdf.tube

नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

37. राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्ति से पहले निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है।
(2) राजस्थान के राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
(3) राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं जब पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों।
(4) उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश बिना किसी नियुक्ति के स्वतः ही मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लेता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

38. अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, 'परमादेश' रिट का अर्थ है:
(1) किस प्राधिकार से
(2) हम आदेश देते हैं
(3) पूर्णतः सूचित करना
(4) सशरीर उपस्थित करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

39. राज्य की न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त) में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. नियुक्तियां राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।
II. नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती हैं।
III. राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना चाहिए।
IV. राज्यपाल को संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करना चाहिए।
V. मुख्यमंत्री के पास किसी भी नियुक्ति को रोकने की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और IV
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

40. अपना पद ग्रहण करने से पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है?
(1) राजस्थान के राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष
(2) भारत के राष्ट्रपति के समक्ष
(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष
(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

41. निम्नलिखित न्यायालयों/प्राधिकरणों को उनके प्राथमिक क्षेत्राधिकार के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (न्यायालय/प्राधिकरण)
A. परिवार न्यायालय
B. वाणिज्यिक न्यायालय
C. राजस्व न्यायालय
D. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
सूची II: (प्राथमिक क्षेत्राधिकार)
i. कृषि भूमि की किरायेदारी से संबंधित विवाद
ii. सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति
iii. विवाह और वैवाहिक मामलों से संबंधित विवाद
iv. उच्च मूल्य वाले व्यवसाय और व्यापार विवाद
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

42. राजस्थान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है?
(1) राजस्थान की राज्य सरकार
(2) भारत के राष्ट्रपति
(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(4) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
(5) अनुत्तरित प्रश्न

43. अनुच्छेद 227 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी मांग सकता है।
II. उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है और प्रपत्र निर्धारित कर सकता है।
III. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायाधिकरणों तक विस्तृत है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

44. राजस्थान उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।

(1) उच्च न्यायालय दीवानी मामलों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है।
(2) उच्च न्यायालय के पास किसी भी परिस्थिति में दीवानी मामलों में द्वितीय अपील सुनने की शक्ति नहीं है।
(3) उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयों के उन निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है जहां कारावास का दंड सात वर्ष से अधिक होता है।
(4) उच्च न्यायालय उन मामलों में अपील सुन सकता है जहां विधि का सारवान प्रश्न शामिल हो।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

45. स्थायी लोक अदालतों को प्रारंभ करने के लिए 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस विशिष्ट संशोधन का उद्देश्य क्या था?
(1) दीवानी और प्रशासनिक विवादों के मामलों में नियमित उच्च न्यायालयों के संवैधानिक प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करना।
(2) उन प्रमुख अपराधों के लिए मूल आपराधिक सुनवाई करना जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय हैं।
(3) सार्वजनिक उपयोगी सेवा मामलों के सुलह और समझौते के लिए एक अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र स्थापित करना।
(4) परिवार न्यायालयों द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा के लिए प्राथमिक अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

46. राजस्थान में निम्नतम स्तर पर प्रारंभ किए गए दीवानी विवाद की अपील के चरणों का सही क्रम चुनिए:
(1) सिविल जज (कनिष्ठ खंड) → जिला न्यायाधीश → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
(2) जिला न्यायाधीश → सिविल जज (कनिष्ठ खंड) → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
(3) सिविल जज (कनिष्ठ खंड) → उच्च न्यायालय → जिला न्यायाधीश → सर्वोच्च न्यायालय
(4) जिला न्यायाधीश → उच्च न्यायालय → सिविल जज (कनिष्ठ खंड) → सर्वोच्च न्यायालय
(5) अनुत्तरित प्रश्न

47. राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किस वर्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) का औपचारिक गठन किया गया था?
(1) 1987
(2) 1995
(3) 1998
(4) 2002
(5) अनुत्तरित प्रश्न

48. राजस्थान में राजस्व न्यायालय पदानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्न का चयन कीजिए:
(1) तहसीलदार
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(3) उप-खंड अधिकारी
(4) कलेक्टर
(5) अनुत्तरित प्रश्न

49. अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
I. किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति।
II. न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को अवकाश देना।
III. न्यायिक अधिकारियों पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार।
IV. राज्यपाल के किसी संदर्भ के बिना जिला न्यायाधीश की पदच्युति या निष्कासन।
नियंत्रण के दायरे के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार रखता है।
कारण (R): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव याचिकाओं की सीधे सुनवाई करने की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित करता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

51. निम्नलिखित समितियों को राजस्थान में न्यायपालिका के लिए उनकी प्रमुख प्रासंगिकता के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समितियां)
A. बी.आर. पटेल समिति
B. पी. सत्यनारायण राव समिति
C. राज्य विधि आयोग
D. कॉलेजियम प्रणाली
सूची II: (प्रासंगिकता)
i. 1958 में जयपुर पीठ के उन्मूलन की सिफारिश
ii. राज्य विधियों और विधिक सुधारों की समय-समय पर समीक्षा
iii. 1949 में राजधानी और उच्च न्यायालय के स्थान पर

Click Here to Buy book on Amazon

(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

82. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सामान्यतः RSLSA से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है?
(1) एक सक्षम वयस्क पुरुष जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये है।
(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
(3) एक महिला या बच्चा।
(4) एक औद्योगिक श्रमिक।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

83. राजस्थान में न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार कीजिए:
I. 1949 से पहले, राजपुताना की कई रियासतों के अपने उच्च न्यायालय थे।
II. राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने एकीकृत राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया।
III. सत्यनारायण राव समिति ने राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।
IV. वर्तमान में, मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक पीठ जयपुर में है।
V. प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, IV और V
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

84. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की सीमा का सही वर्णन करता है?
(1) इसके पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
(2) इसके पास नौधिकरण और समुद्री मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मूल क्षेत्राधिकार नहीं है।
(3) यह राज्य विधायिका के सदस्य के चुनाव से संबंधित किसी भी विधिक विवाद का समाधान नहीं कर सकता है।
(4) यह राजस्थान और अन्य राज्य सरकार के बीच विवाद पर विचार नहीं कर सकता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

85. पी. सत्यनारायण राव समिति, जिसकी सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था, में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे?
(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) पांच
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

86. नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: प्रतिषेध (Prohibition) निचली अदालत को जारी किया जाता है ताकि मामला लंबित रहने के दौरान उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोका जा सके।
कथन II: उत्प्रेषण (Certiorari) निचली अदालत को निर्णय सुनाए जाने के बाद उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

87. किसी न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है:
(1) निचली अदालतों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति।
(2) सार्वजनिक महत्व के मामलों पर कार्यपालिका को सलाह देने की शक्ति।
(3) मामलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति।
(4) प्रथम दृष्टया किसी मामले की सुनवाई करने की शक्ति।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

88. राजस्थान के महाधिवक्ता के पद का संवैधानिक रूप से अनिवार्य कार्यकाल क्या है?
(1) संविधान द्वारा निर्धारित नहीं; वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
(2) पांच वर्ष
(3) छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
(4) मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ सह-समाप्त
(5) अनुत्तरित प्रश्न

89. राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं।
(2) वे 3 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकते हैं।
(3) वे मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
(4) वे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

90. एक नागरिक स्थानीय नगर पालिका द्वारा उसके घर को गिराने के अवैध आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करता है। उच्च न्यायालय अंतिम सुनवाई तक विध्वंस को रोकने का एक अस्थायी आदेश जारी करता है। इस आदेश को क्या कहा जाता है?
(1) स्थगन आदेश / अंतरिम व्यादेश

II. यह केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता है।
III. "न्यायिक पुनरावलोकन" वाक्यांश का संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

60. उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान के महाधिवक्ता की प्राथमिक भूमिका का सबसे उपयुक्त विवरण क्या है?
(1) न्यायिक पीठ की अध्यक्षता करना और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाही संचालित करना।
(2) राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना और सौंपे गए विधिक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करना।
(3) राज्य के सभी निर्धन बंदियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मुख्य बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में कार्य करना।
(4) राज्य सरकार के विभागों को किए गए विधिक व्यय और वित्तीय आवंटन का निरीक्षण करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

61. राजस्थान में राजस्व प्रशासन और न्यायालयों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द)
A. खसरा
B. खतौनी
C. तहसीलदार
D. उप-खंड अधिकारी
सूची II: (अर्थ)
i. गांव में भूमि जोतने वाले सभी व्यक्तियों का रजिस्टर
ii. भूमि भूखंड के विवरण वाला फील्ड बुक
iii. तहसील स्तर पर राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी अधिकारी
iv. प्रमुख किरायेदारी विवादों के लिए मूल क्षेत्राधिकार का प्राथमिक राजस्व न्यायालय
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

62. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) उच्च न्यायालय के पास अपने प्राधिकार की अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है।
(2) उसके पास उन सभी न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है जो उसके क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ हैं।
(3) दीवानी अवमानना को न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा के रूप में परिभाषित किया गया है।
(4) न्यायिक कार्यों का निर्दोष प्रकाशन और निष्पक्ष आलोचना दंडनीय आपराधिक अवमानना के दायरे में आती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

63. राजस्थान में फास्ट ट्रैक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे प्रारंभ में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थापित की गई थीं।
II. उनका उद्देश्य लंबित सत्र मामलों के बकाया को समाप्त करना है।
III. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों की भर्ती सीधे नवीन विधि स्नातकों से की जाती है।
IV. राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय उनकी स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

64. निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सामान्यतः राजस्थान में परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा?
(1) दो पक्षों के बीच विवाह की अमान्यता की डिक्री के लिए वाद।
(2) पैतृक कृषि संपत्ति के विभाजन से संबंधित वाद।
(3) परिवार में नाबालिग बच्चे की विधिक अभिरक्षा और कल्याण से संबंधित वाद।
(4) विधिक रूप से विवाहित पत्नी के भरण-पोषण के प्रावधान के लिए वाद।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

65. 'लोक अदालत' शब्द का शाब्दिक अर्थ है:
(1) त्वरित न्यायालय
(2) जनता का न्यायालय
(3) सर्वोच्च न्यायालय
(4) न्याय न्यायालय
(5) अनुत्तरित प्रश्न

66. भारत में, लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा वैधानिक समर्थन प्रदान किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात पहला अनौपचारिक लोक अदालत शिविर 1982 में किस राज्य में आयोजित किया गया था?
(1) गुजरात
(2) महाराष्ट्र
(3) उत्तर प्रदेश
(4) केरल

Downloaded from www.pdf.tube

निर्णय
iv. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तंत्र
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

52. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं?
(1) भारत की संचित निधि
(2) भारत की आकस्मिकता निधि
(3) राजस्थान राज्य का लोक लेखा
(4) राजस्थान राज्य की संचित निधि
(5) अनुत्तरित प्रश्न

53. उत्प्रेषण (Certiorari) रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है।
II. यह निचली अदालत द्वारा पूर्व में पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
III. इसे क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के आधार पर जारी किया जा सकता है।
IV. इसे रिकॉर्ड में प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि के आधार पर जारी किया जा सकता है।
V. इसे व्यक्तिगत संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल III और IV
(3) केवल V
(4) केवल IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

54. नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को दो वर्ष से अधिक की अस्थायी अवधि के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
कथन II: अतिरिक्त न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

55. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायपालिका (जैसे जिला न्यायाधीश) में कार्यरत न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
(1) 58 वर्ष
(2) 60 वर्ष
(3) 62 वर्ष
(4) 65 वर्ष
(5) अनुत्तरित प्रश्न

56. राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(1) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से विवरणी मांगने का अधिकार।
(2) मूल क्षेत्राधिकार - सत्र न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को सुनने और तय करने की शक्ति।
(3) अपीलीय क्षेत्राधिकार - सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध अधिकार पृच्छा रिट जारी करने की शक्ति।
(4) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार - विशिष्ट अनुरोध पर राज्य के राज्यपाल को विधिक सलाह प्रदान करने की शक्ति।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

57. राजस्थान में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य है:
(1) प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच श्रम विवादों को सुलझाना।
(2) कड़ाई से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करना।
(3) त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का न्यायनिर्णयन करना।
(4) एक लाख रुपये से कम की राशि वाली उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

58. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित एक संबोधन पारित किया जाता है।
II. आवश्यक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है।
III. राष्ट्रपति निष्कासन का आदेश जारी करते हैं।
IV. आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) II, IV, I, III
(2) II, I, IV, III
(3) IV, II, I, III
(4) I, II, IV, III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

59. राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य विधायिका और संसद दोनों के विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है।

(2) राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर राजस्थान के मुख्यमंत्री।
(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(4) राज्यपाल के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

75. राजस्थान का एक नागरिक आरोप लगाता है कि एक निजी व्यक्ति ने उसके भाई को अवैध रूप से बंदी बना रखा है। क्या वह नागरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जा सकता है?
(1) नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल राज्य या सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
(2) नहीं, ऐसे मामले विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
(3) हाँ, बशर्ते नागरिक पहले जिला न्यायालय स्तर पर सभी उपायों का उपयोग कर ले।
(4) हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

76. आपराधिक न्यायालय द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
(1) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट - 3 वर्ष तक का कारावास
(2) द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट - 5 वर्ष तक का कारावास
(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - 10 वर्ष तक का कारावास
(4) सहायक सत्र न्यायाधीश - मृत्युदंड
(5) अनुत्तरित प्रश्न

77. राजस्थान में राजस्व न्यायालयों की अपीलों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) तहसीलदार के आदेशों की अपील सामान्यतः उप-खंड अधिकारी के पास होती है।
(2) राजस्व अपील प्राधिकारी कुछ मामलों में उप-खंड अधिकारी की अपील सुनता है।
(3) राजस्व मंडल से अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जिससे उच्च न्यायालय को दरकिनार किया जा सकता है।
(4) उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत राजस्व मंडल पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

78. सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों के विधायी परिचय का प्राथमिक कारण क्या था?
(1) विभिन्न अदालती शुल्कों के माध्यम से राज्य सरकार के कुल राजस्व संग्रह में वृद्धि करना।
(2) यह सुनिश्चित करना कि अधिवक्ताओं को औपचारिक न्यायालय के बाहर मामलों को सुलझाने के लिए उच्च पारिश्रमिक मिले।
(3) मौजूदा अधीनस्थ न्यायपालिका को मध्यस्थों की एक निजी प्रणाली से पूरी तरह बदलना।
(4) मध्यस्थता और सुलह जैसे न्यायालय के बाहर समझौतों को प्रोत्साहित करके औपचारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

79. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य सरकार के लिए दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर के लिए एक परिवार न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
II. विधिक अधिवक्ताओं को परिवार न्यायालय में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार है।
III. यह समाज कल्याण एजेंसियों और परामर्शदाताओं के जुड़ाव का प्रावधान करता है।
IV. यदि न्यायालय चाहे तो कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित की जा सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, II और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

80. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह निर्देश दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय या उसका कोई भी न्यायाधीश जोधपुर या जयपुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग किसकी पूर्व स्वीकृति से किया जाता है?
(1) भारत के राष्ट्रपति
(2) राजस्थान के राज्यपाल
(3) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(4) राज्य विधायिका
(5) अनुत्तरित प्रश्न

81. अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों को उनके विषयों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 233
B. अनुच्छेद 234
C. अनुच्छेद 235
D. अनुच्छेद 236
सूची II: (विषय)
i. 'जिला न्यायाधीश' जैसे शब्दों की व्याख्या
ii. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
iii. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भर्ती
iv. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

Click Here to Buy book on Amazon

iii. जिला न्यायाधीश
iv. अध्यक्ष
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

22. संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग किसके परामर्श के बाद किया जाता है?
(1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(3) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(4) केंद्रीय विधि मंत्री
(5) अनुत्तरित प्रश्न

23. राजस्थान में लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित मामलों दोनों पर होता है।
II. लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है।
III. लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर सीधे राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

24. अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले विशेषाधिकार रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है?
(1) व्यादेश (Injunction)
(2) उत्प्रेषण (Certiorari)
(3) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
(4) परमादेश (Mandamus)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

25. राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में मामलों का अत्यधिक लंबित होना एक बड़ी चुनौती है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से इस उच्च लंबितता का कारण मानने के बजाय इसका प्रभाव माना जाता है?
(1) न्यायिक आधारभूत संरचना और सहायक कर्मचारियों की कमी।
(2) अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार स्थगन की मांग।
(3) विचाराधीन बंदियों की दीर्घकालिक न्यायिक हिरासत।
(4) जटिल प्रक्रियात्मक विधि और अपील के कई चरण।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

26. राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(1) लंबे समय से लंबित सत्र मामलों और महिलाओं या बच्चों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान करना।
(2) जटिल संवैधानिक मामलों और लंबित रिट याचिकाओं की विशेष सुनवाई के लिए मंच के रूप में कार्य करना।
(3) क्षेत्र के भीतर तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े कॉर्पोरेट मुकदमों का प्रबंधन करना।
(4) राजस्व मंडल द्वारा किए गए सभी प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा के लिए अपीलीय निकायों के रूप में कार्य करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 228 के तहत, राजस्थान उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को अपने पास मंगा सकता है यदि इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न शामिल हो।
कारण (R): अधीनस्थ न्यायालयों के पास संविधान की व्याख्या करने और विधियों की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनिए:
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

28. राजस्थान के एक सामान्य जिले में दीवानी न्यायालयों को उनके क्षेत्राधिकार (निम्नतम से उच्चतम) के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. जिला न्यायाधीश का न्यायालय
II. सिविल जज (वरिष्ठ खंड) का न्यायालय
III. सिविल जज (कनिष्ठ खंड) का न्यायालय
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) III, II, I
(2) I, II, III
(3) II, III, I
(4) III, I, II
(5) अनुत्तरित प्रश्न

29. भारत के संविधान के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
(1) 60 वर्ष

(2) डिक्री
(3) अधिकार पृच्छा रिट
(4) परामर्शदात्री राय
(5) अनुत्तरित प्रश्न

91. निम्नलिखित शाब्दिक अर्थों को उनके संबंधित रिटों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अर्थ)
A. आप सशरीर उपस्थित कर सकते हैं
B. हम आदेश देते हैं
C. पूर्णतः सूचित करना
D. आपका प्राधिकार क्या है
सूची II: (रिट)
i. परमादेश
ii. उत्प्रेषण
iii. अधिकार पृच्छा
iv. बंदी प्रत्यक्षीकरण
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

92. भारत के संविधान द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है?
(1) 35 वर्ष
(2) 40 वर्ष
(3) 45 वर्ष
(4) कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

93. अनुच्छेद 226 में 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए' वाक्यांश का मौलिक प्रभाव क्या है?
(1) यह उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की कार्रवाइयों के विरुद्ध कोई भी विशेषाधिकार रिट जारी करने से रोकता है।
(2) यह उच्च न्यायालय को भारत के अन्य उच्च न्यायालयों को बाध्यकारी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
(3) यह उच्च न्यायालय को मौलिक और साधारण विधिक अधिकारों दोनों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है।
(4) यह त्वरित निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के संपूर्ण मूल क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

94. संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में विषम का चयन कीजिए:
(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो।
(3) कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
(4) 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

95. राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) केवल संसद ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है या उसे अपवर्जित कर सकती है।
(2) राज्य विधायिका के पास राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति है।
(3) भारत के राष्ट्रपति विधान के बिना सीधे कार्यकारी आदेश के माध्यम से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकते हैं।
(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के पास स्वाभाविक रूप से सभी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों पर क्षेत्राधिकार होता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

96. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप निर्धारित किया गया है?
(1) दूसरी अनुसूची
(2) तीसरी अनुसूची
(3) चौथी अनुसूची
(4) पांचवीं अनुसूची
(5) अनुत्तरित प्रश्न

97. राजस्थान उच्च न्यायालय में 'विशेष अपील' (अंतः-न्यायालय अपील) के संबंध में नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: विशेष अपील उसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष होती है।
कथन II: ऐसी अंतः-न्यायालय अपीलें उच्च न्यायालय के नियमों और अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं।
(1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

98. राजस्थान में जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(1) जिला न्यायाधीश
(2) जिला कलेक्टर
(3) पुलिस अधीक्षक
(4) जिले का सांसद

NODIA

भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। यह नियमित रूप से लोक अदालतों और कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन पूरे राज्य में करता है।

48. (2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
तहसीलदार, उप-खंड अधिकारी और कलेक्टर राजस्थान में राजस्व प्रशासन और राजस्व न्यायालयों के अभिन्न अंग हैं। ये मुख्य रूप से भू-राजस्व, कृषि भूमि विवाद और लगान वसूली से संबंधित न्यायिक कार्य करते हैं। इसके विपरीत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक आपराधिक न्यायालय का प्रमुख होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की सुनवाई और सजा देने का कार्य करता है। अतः कार्य की प्रकृति और क्षेत्राधिकार के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजस्व पदानुक्रम से पूर्णतः पृथक माना जाता है।

49. (3) केवल I, II और III
अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण व्यापक है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति सम्मिलित है। उच्च न्यायालय के पास इन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। हालांकि, जिला न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है, जो उच्च न्यायालय के परामर्श से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। उच्च न्यायालय स्वयं स्वतंत्र रूप से किसी जिला न्यायाधीश को बर्खास्त नहीं कर सकता, जो संवैधानिक सुरक्षा का हिस्सा है।

50. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार सीधे उच्च न्यायालय के पास होता है। पहले यह कार्य चुनाव न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता था, किंतु बाद में इसे उच्च न्यायालय को सौंपा गया। इसके माध्यम से न्यायालय चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और अवैध नामांकन जैसे मामलों पर त्वरित निर्णय देता है। यह शक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुचिता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

51. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
बी.आर. पटेल समिति ने राजस्थान की राजधानी और उच्च न्यायालय के स्थान हेतु महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थीं। पी. सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर ही 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर जोधपुर को मुख्य केंद्र बनाया गया था। राज्य विधि आयोग समय-समय पर कानूनों की समीक्षा और सुधार के सुझाव प्रदान करता है। कॉलेजियम प्रणाली वह तंत्र है जिसके माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाती है। ये सभी समितियां राज्य की न्यायिक यात्रा के महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

52. (4) राजस्थान राज्य की संचित निधि
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित व्यय का अर्थ है कि इन राशियों पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं किया जा सकता, जिससे न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता सुरक्षित रहती है। हालांकि, यह ध्यान देना आवश्यक है कि इन न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यह व्यवस्था न्यायाधीशों को राज्य सरकार के प्रशासनिक दबाव से मुक्त रहकर निष्पक्ष न्याय करने में पूर्ण सहायता प्रदान करती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।

53. (3) केवल V
उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है ताकि उनके अवैध आदेशों को रद्द किया जा सके। इसे क्षेत्राधिकार के उल्लंघन या कानून की स्पष्ट त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। यह रिट किसी भी परिस्थिति में निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को उनकी विधिक सीमाओं के भीतर रखना है। अतः पांचवां कथन इस रिट की प्रकृति के संबंध में पूर्णतः गलत और विधिक सीमाओं के बाहर है।

54. (1) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि होने पर योग्य व्यक्तियों को दो वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि, संविधान के अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है, 65 वर्ष नहीं। 65 वर्ष की आयु सीमा केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लागू होती है। अतः प्रथम कथन सही है किंतु दूसरा कथन आयु सीमा की गलत जानकारी के कारण त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, जो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है।

55. (2) 60 वर्ष
राजस्थान में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों, जिनमें जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी सम्मिलित हैं, की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में 60 वर्ष निर्धारित है। पहले यह सीमा कम थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था। यह आयु सीमा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में दो वर्ष कम है। सेवानिवृत्ति की यह निश्चित आयु अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करती है और न्यायिक तंत्र में नए योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है।

56. (1) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से विवरणी मांगने का अधिकार।
उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार उसे अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने और उनसे समय-समय पर रिपोर्ट मांगने का अधिकार देता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा से संबंधित है, जबकि रिट जारी करना उसका विशेष क्षेत्राधिकार है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पास राज्यपाल को विधिक सलाह देने का कोई औपचारिक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। अतः केवल प्रथम विकल्प ही विधिक रूप से सटीक है।

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) 29 अगस्त 1949
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई थी। इसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रारंभ में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में भी इसकी पीठें कार्यरत थीं। यह संस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का केंद्र है और न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है।

2. (1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 इसे अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की पात्रता और सेवा की शर्तों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

3. (3) यह शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए अपने निर्णयों को सुरक्षित रखता है और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
अनुच्छेद 215 के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णय और कार्यवाहियां साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं। इन अभिलेखों को किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और वे कानूनी दृष्टांत के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के पास अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड या कारावास से दंडित करने की विशेष शक्ति निहित है जो इसकी गरिमा बनाए रखती है।

4. (1) केवल I और II
पी. सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ समाप्त कर दी गई थी। प्रशासनिक मांगों के पश्चात 1977 में इसे पुनः स्थायी रूप से बहाल किया गया। वर्तमान में जोधपुर मुख्य पीठ तथा जयपुर स्थायी पीठ के रूप में कार्यरत है। यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य पीठ सदैव जोधपुर में ही स्थित रही है। यह व्यवस्था राज्य के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए सुलभ न्याय सुनिश्चित करती है।

5. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इस कारण उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत माना जाता है, जो नागरिकों को प्रभावी कानूनी उपचार प्रदान करता है।

6. (2) न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा
वर्ष 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय के एकीकरण के समय न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा को प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने जोधपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान पद की शपथ ली। वह एक अनुभवी विधिवेत्ता थे जिन्होंने राज्य की नवगठित न्यायपालिका की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नियुक्ति के साथ ही राजस्थान में एक संगठित और एकीकृत न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हुई जो आज भी प्रभावी रूप से कार्यरत है।

7. (4) उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत होती है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लिया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से पूर्ण की जाती है, जो वर्तमान में अत्यंत पारदर्शी और व्यवस्थित विधिक प्रक्रिया है।

8. (2) II, I, IV, III
राजस्थान में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत जिला स्तर पर पदानुक्रम की संरचना अत्यंत स्पष्ट है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर सत्र न्यायालय होता है, जिसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है। इसके नीचे क्रमशः प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कार्य करते हैं। यह पदानुक्रम मामलों की गंभीरता और दंड देने की शक्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो राज्य में विधिक संतुलन बनाए रखता है।

9. (3) उच्च न्यायालय के पास राजस्थान सरकार और अन्य राज्य सरकार के बीच विवादों की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार है।
राजस्थान उच्च न्यायालय को वसीयत, विवाह विच्छेद और न्यायालय की अवमानना जैसे विषयों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिकाओं की सुनवाई भी इसके अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, दो राज्यों के मध्य विवाद या भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार में आते

NODIA

66. (1) गुजरात
यद्यपि लोक अदालतों को विधिक मान्यता बाद में प्राप्त हुई, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अनौपचारिक लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में आयोजित किया गया था। इस सफल प्रयोग ने भारत में विवाद समाधान की एक नई और सरल पद्धति की आधारशिला रखी। इसकी सफलता से प्रेरित होकर ही पश्चात में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया ताकि लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान कर उनकी प्रक्रियाओं को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा सके।

67. (3) मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड।
दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। वह किसी भी ऐसे अपराध की सुनवाई कर सकता है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय न हो। संक्षेप में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम सात वर्ष तक की जेल की सजा प्रदान कर सकता है। इससे अधिक गंभीर सजा देने का अधिकार केवल सत्र न्यायाधीश के पास होता है। यह सीमा न्यायिक पदानुक्रम में शक्तियों के संतुलन और न्याय की सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

68. (4) भारत की संचित निधि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वित्तीय लाभों के संबंध में संविधान ने विशिष्ट व्यवस्था की है। उनके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। हालांकि, सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायाधीश अपने कार्यकाल में विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में सेवा दे सकते हैं। पेंशन का केंद्र पर भारित होना उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।

69. (2) केवल I, III और IV
राजस्थान में सत्र न्यायाधीश के पास हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। वह मृत्युदंड भी दे सकता है, किंतु इसके निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य होती है। वह अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनता है। हालांकि, सत्र न्यायाधीश के पास रिट जारी करने या विधानसभा के कानूनों की संवैधानिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होती है। ये उच्च शक्तियां केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ही सुरक्षित रखी गई हैं।

70. (2) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि मुख्य न्यायाधीश को। पद से हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना सम्मिलित है, जो कि प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर होता है। अतः प्रथम कथन में त्यागपत्र के संबोधन के संबंध में त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है, जबकि दूसरा कथन न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया का बिल्कुल सही और सटीक वर्णन करता है।

71. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का पद उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश संभालते हैं। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तालुका स्तर पर समितियों की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल जज करते हैं। यह संगठित ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में विधिक सहायता और जागरुकता प्रभावी ढंग से पहुंच सके, जो न्याय का मुख्य उद्देश्य है।

72. (1) बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच बौद्धिक संपदा विवाद।
त्वरित अदालतों का गठन मुख्य रूप से उन मामलों के लिए किया गया है जो मानवीय संवेदनाओं और जघन्य अपराधों से जुड़े हैं, जैसे बलात्कार, हत्या और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध। इनका एक अन्य प्रमुख लक्ष्य जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बौद्धिक संपदा विवाद या बड़े व्यापारिक मामले सामान्यतः वाणिज्यिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः ये विवाद त्वरित अदालतों के प्राथमिक उद्देश्यों और लक्षित श्रेणियों से पूर्णतः पृथक हैं।

73. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु उन पर नियंत्रण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान करता है। इसमें अधिकारियों की पदस्थापना, अवकाश और पदोन्नति जैसे प्रशासनिक कार्य सम्मिलित हैं। हालांकि, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि किसी न्यायिक अधिकारी के पास उसकी सेवा शर्तों के अनुसार अपील करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। तीसरा कथन यह दावा करता है कि यह अधिकार कम नहीं करता, जो विधिक रूप से सत्य है किंतु विकल्पों के संयोजन में प्रथम दो कथन ही नियंत्रण को दर्शाते हैं।

74. (1) उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान के राज्यपाल।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत संचालित होती है। इसके अनुसार, राज्य के राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ही इन न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करते हैं। यह परामर्श प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय की राय को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता सुनिश्चित करना और न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखकर इसकी निष्पक्षता और स्वायत्तता को बनाए रखना है।

Click Here to Buy book on Amazon

इसके मुख्य संरक्षक और वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यह संस्था नियमित रुप से लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित मामलों को सुलझाती है। हालांकि, इसके पास उच्च न्यायालय की भांति रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं होती। इसका मुख्य कार्य विधिक साक्षरता और सहायता प्रदान करना है।

20. (4) अनुच्छेद 222 - एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
संविधान का अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति को परिभाषित करता है। अतः विकल्प संख्या चार में दिया गया मिलान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः सटीक है।

21. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। राजस्व मंडल का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश निभाते हैं। अंततः जिला न्यायालय का प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है, जो जिले की समस्त न्यायिक गतिविधियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशासन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी माना जाता है।

22. (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत विनियमित होता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के पश्चात ही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, इस परामर्श प्रक्रिया में कॉलेजियम की संस्तुति अनिवार्य है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना और न्यायाधीशों के स्थानांतरण में किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को पूर्णतः समाप्त करना है।

23. (1) केवल I और II
लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान का एक प्रभावी मंच हैं, जिनका क्षेत्राधिकार अदालतों में लंबित और पूर्व-मुकदमेबाजी दोनों स्तरों के मामलों पर होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम रुप से बाध्यकारी होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, जिससे विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।

24. (1) व्यादेश (Injunction)
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को पांच प्रकार की विशिष्ट संवैधानिक रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा सम्मिलित हैं। ये रिट सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध संवैधानिक उपचार के रुप में कार्य करती हैं। व्यादेश एक सामान्य दीवानी उपचार है जिसे दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किया जाता है, न कि अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट के रुप में। अतः व्यादेश अन्य विकल्पों से पूर्णतः भिन्न है।

25. (3) विचाराधीन बंदियों की दीर्घकालिक न्यायिक हिरासत।
अदालतों में मामलों का अत्यधिक लंबित होना एक गंभीर समस्या है जिसके कई कारण होते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, स्थगन की मांग और जटिल विधिक प्रक्रियाएं इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। इसके विपरीत, जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की लंबी न्यायिक हिरासत मामलों के निपटारे में होने वाले विलंब का प्रत्यक्ष और नकारात्मक परिणाम है। यह त्वरित न्याय के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और न्याय प्रणाली की दक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

26. (1) लंबे समय से लंबित सत्र मामलों और महिलाओं या बच्चों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान करना।
राजस्थान में त्वरित अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गंभीर और लंबित सत्र मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। ये अदालतें विशेष रुप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई को प्राथमिकता देती हैं ताकि पीड़ितों को बिना विलंब न्याय मिल सके। इन अदालतों के माध्यम से जेलों में कैदियों की संख्या कम करने और न्याय वितरण प्रणाली की गति बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई है, जो कानून के शासन हेतु अत्यंत अनिवार्य है।

27. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है जिसमें कानून का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित हो, तो वह उसे अपने पास मंगवा सकता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए उच्च न्यायालय ऐसे मामलों का स्वयं निपटारा करता है। यह प्रावधान पूरे राज्य में संवैधानिक व्याख्या की एकरूपता और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए निर्मित है।

28. (1) III, II, I
राजस्थान में दीवानी न्याय प्रणाली की संरचना पदानुक्रमित है, जहाँ मामलों का स्तर विवादित राशि के आधार पर निर्धारित होता है। इस क्रम में सबसे निचला स्तर सिविल जज कनिष्ठ खंड का होता है। इसके ऊपर सिविल जज वरिष्ठ खंड का न्यायालय कार्य करता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च दीवानी न्यायालय जिला न्यायाधीश का होता है। यह आरोही क्रम सुनिश्चित करता है कि छोटे विवाद स्थानीय स्तर पर सुलझें और गंभीर मामले अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा देखे जाएं।

NODIA

हैं। संघीय ढांचे के ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है।

10. (1) प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण दोनों पर।
संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार का नियंत्रण सम्मिलित है। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालतों से कार्य विवरण मांग सकता है और उनकी कार्यप्रणाली हेतु नियम बना सकता है। केवल सशस्त्र बलों से संबंधित सैन्य न्यायालयों को इस पर्यवेक्षी अधिकार की सीमा से बाहर रखा गया है।

11. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराना है। परमादेश के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य किया जाता है। प्रतिषेध रिट किसी निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। अधिकार पृच्छा का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधता जांचने हेतु होता है, जिससे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होती है।

12. (2) 50
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या समय-समय पर कार्यभार के अनुसार संशोधित की जाती है। वर्तमान विधिक ढांचे और केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार, यहाँ न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 50 निर्धारित की गई है। इस संख्या में स्थायी न्यायाधीशों के साथ अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद भी सम्मिलित हैं। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना है, जो राज्य के सुचारु न्यायिक प्रशासन हेतु अनिवार्य है।

13. (2) केवल II और IV
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस पद हेतु पात्रता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और संबोधन का अधिकार है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह पद राज्य सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत बना रहता है।

14. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
जिला स्तर पर कार्यरत उच्चतम न्यायिक अधिकारी की भूमिका मामले की प्रकृति के आधार पर परिवर्तित होती है। जब वह अधिकारी भूमि, अनुबंध या विवाह जैसे दीवानी विवादों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। वही अधिकारी जब चोरी, हत्या या डकैती जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। यह व्यवस्था एक ही पद को दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है।

15. (1) सैन्य न्यायाधिकरणों या कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की समीक्षा करना।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पास राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक समीक्षा की व्यापक शक्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन न करे। हालांकि, अनुच्छेद 227 के अनुसार, उच्च न्यायालय की अधीक्षण और समीक्षा शक्तियां सैन्य न्यायाधिकरणों या कोर्ट-मार्शल की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती हैं। सैन्य न्याय प्रणाली को नागरिक न्यायालयों के हस्तक्षेप से पृथक रखा गया है, जो एक विशिष्ट संवैधानिक मर्यादा है।

16. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
भारतीय संविधान के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के संबंध में अनुच्छेद 235 स्पष्ट करता है कि जिला न्यायालयों और निचली अदालतों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होगा। राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्तियां और पदोन्नति करते हैं। अतः अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास होता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता का आधार है।

17. (1) तहसीलदार → उप-खंड अधिकारी → राजस्व अपील प्राधिकारी → राजस्व मंडल
राजस्थान में राजस्व विवादों के समाधान हेतु एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम है। तहसील स्तर पर तहसीलदार सबसे निचली पायदान पर होता है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील उप-खंड अधिकारी के पास की जाती है। मध्यवर्ती स्तर पर राजस्व अपील प्राधिकारी कार्य करता है और अंततः अजमेर स्थित राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता है। यह व्यवस्था कुशल भू-प्रशासन और पारदर्शी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है।

18. (2) 1984
परिवार न्यायालय अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1984 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह और पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करना था। राजस्थान में इसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न जिलों में परिवार न्यायालय कार्यरत हैं। ये न्यायालय पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं के स्थान पर सुलह और परामर्श को प्राथमिकता देते हैं ताकि पारिवारिक विवादों को कम समय में और गरिमापूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके।

19. (1) केवल I, II, III और IV
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1987 के अधिनियम के तहत निर्धन वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देने हेतु किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Downloaded from www.pdf.tube

जारी की जाती है जब वे अपने कानूनी कर्तव्यों के पालन में विफल रहते हैं। इसके माध्यम से न्यायालय संबंधित पक्ष को उस विशिष्ट कार्य को करने का निर्देश देता है जो उनका विधिक उत्तरदायित्व है। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का शक्तिशाली उपकरण है।

39. (1) केवल I, II, III और IV
जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायिक पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। यह प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए गए नियमों के अधीन होती है। यह परामर्श न्यायपालिका की गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के पास नियुक्तियों को रोकने की कोई व्यक्तिगत विवेकाधीन शक्ति नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से एक संवैधानिक ढांचे के तहत संचालित होने वाली भर्ती प्रक्रिया है।

40. (1) राजस्थान के राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेता है। शपथ का यह प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इस शपथ के माध्यम से न्यायाधीश भारत की संप्रभुता, अखंडता और संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने का संकल्प लेते हैं। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो न्यायाधीश को उसके संवैधानिक दायित्वों और पद की गरिमा के प्रति औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध करती है।

41. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
परिवार न्यायालय मुख्य रूप से विवाह, तलाक और बच्चों के संरक्षण जैसे घरेलू मुद्दों को सुलझाते हैं। वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन व्यापारिक विवादों और उच्च मूल्य के व्यावसायिक अनुबंधों के त्वरित निस्तारण के लिए किया गया है। राजस्व न्यायालय कृषि भूमि के स्वामित्व और किरायेदारी से जुड़े मामलों का प्रबंधन करते हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण विशेष रूप से सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों या परिजनों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए वैधानिक निकाय हैं।

42. (1) राजस्थान की राज्य सरकार
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निकाय है, इसके सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से किया जाता है। इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। यह व्यवस्था राज्य प्रशासन और भू-राजस्व प्रबंधन के बीच समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित है।

NODIA

43. (1) केवल I और II
अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की सभी अदालतों पर प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण का अधिकार है। वह उनसे विवरण मांग सकता है और उनकी कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के लिए नियम निर्धारित कर सकता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय की यह पर्यवेक्षी शक्ति सैन्य अदालतों या सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होती है। अतः केवल प्रथम दो कथन ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सटीक हैं, जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था का आधार हैं।

44. (2) उच्च न्यायालय के पास किसी भी परिस्थिति में दीवानी मामलों में द्वितीय अपील सुनने की शक्ति नहीं है।
उच्च न्यायालय के पास दीवानी मामलों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मामले में कानून का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित हो, तो उच्च न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत द्वितीय अपील भी सुन सकता है। आपराधिक मामलों में भी सात वर्ष से अधिक के कारावास वाले निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि इसके पास द्वितीय अपील सुनने की शक्ति नहीं होती है।

45. (3) सार्वजनिक उपयोगी सेवा मामलों के सुलह और समझौते के लिए एक अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र स्थापित करना।
वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी, परिवहन और बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का मुकदमेबाजी से पूर्व ही समाधान करना है। ये अदालतें अनिवार्य रूप से सुलह का प्रयास करती हैं और यदि समझौता न हो, तो वे निर्णय भी दे सकती हैं। यह तंत्र नियमित अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है जो त्वरित राहत प्रदान करता है।

46. (1) Civil Judge (कनिष्ठ खंड) → जिला न्यायाधीश → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
राजस्थान में एक सामान्य दीवानी विवाद की शुरुआत सिविल जज कनिष्ठ खंड के न्यायालय से होती है। यदि कोई पक्ष इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में की जाती है। जिला न्यायालय के निर्णय के पश्चात मामला उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के लिए जा सकता है। न्याय की इस प्रक्रिया का अंतिम चरण भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह क्रमिक व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर विधिक त्रुटियों की गहराई से समीक्षा सुनिश्चित करती है।

47. (3) 1998
यद्यपि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित हुआ था, लेकिन राजस्थान में इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का औपचारिक गठन 7 जुलाई 1998 को किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें निर्धनता के कारण कोई

(5) अनुत्तरित प्रश्न

99. राजस्थान के महाधिवक्ता के पारिश्रमिक के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा राज्यपाल निर्धारित करें।
(2) वह नियमित सरकारी कर्मचारी के समान राज्य संचित निधि से निश्चित मासिक वेतन प्राप्त नहीं करता है।
(3) यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है।
(4) उसे कुछ प्रतिबंधों के अधीन निजी विधिक व्यवसाय करने की अनुमति है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

100. अनुच्छेद 215 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के 'अभिलेख न्यायालय' होने का सबसे उपयुक्त महत्व क्या है?
(1) इसके निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि केवल संदर्भ के लिए हैं।
(2) इसे राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।
(3) इसे रिकॉर्ड रखने के लिए अपनी प्रत्येक कार्यवाही का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना होगा।
(4) इसके पास न्याय के उचित प्रशासन की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

57. (3) त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का न्यायनिर्णयन करना।
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित व्यावसायिक अदालतों का मुख्य उद्देश्य बड़े व्यापारिक और व्यावसायिक विवादों का त्वरित निपटारा करना है। ये न्यायालय एक निश्चित मौद्रिक मूल्य से अधिक के विवादों की सुनवाई करते हैं ताकि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बना रहे। इन न्यायालयों में समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिससे जटिल व्यापारिक मुकदमों में होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके, जो प्रशंसनीय है।

58. (2) II, IV, I, III
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में निर्धारित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात आरोपों की जांच हेतु एक तीन सदस्यीय समिति गठित होती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संबोधन पारित किया जाता है। अंत में, राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और मनमानी रोकने का कार्य करती है।

59. (2) केवल I और III
राजस्थान उच्च न्यायालय के पास राज्य विधायिका और संसद द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा का अधिकार है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हों। यह केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेशों की भी जांच कर सकता है यदि वे राज्य के भीतर प्रभावी हों। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी अनुच्छेद में सीधे नहीं किया गया है, बल्कि यह अनुच्छेद 13, 226 और 227 की अंतर्निहित शक्तियों से उत्पन्न होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है।

60. (2) राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना और सौंपे गए विधिक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करना।
राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना और उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। वह राज्य के हितों की रक्षा हेतु कानूनी पैरवी करता है। उसे राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में बैठने और संबोधन का संवैधानिक अधिकार है, किंतु वह सदन का सदस्य नहीं होता और न ही उसे किसी विषय पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो संवैधानिक मर्यादा है।

61. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
खसरा एक विस्तृत क्षेत्र पंजी होती है जिसमें प्रत्येक भूमि भूखंड का भौगोलिक और विधिक विवरण दर्ज होता है। खतौनी एक पंजी है जिसमें गांव के उन सभी व्यक्तियों का विवरण होता है जो भूमि जोतते हैं या उस पर काबिज हैं। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व संग्रह हेतु जिम्मेदार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उप-खंड अधिकारी प्रमुख किरायेदारी विवादों और भूमि संबंधी अपीलों की सुनवाई करने वाला प्राथमिक राजस्व न्यायालय होता है। ये शब्द ग्रामीण भू-प्रशासन के विधिक आधार माने जाते हैं।

62. (4) न्यायिक कार्यों का निर्दोष प्रकाशन और निष्पक्ष आलोचना दंडनीय आपराधिक अवमानना के दायरे में आती है।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय को अपनी और अधीनस्थ न्यायालयों की गरिमा की रक्षा हेतु दंड देने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, विधिक प्रावधानों के अनुसार, अदालती कार्यवाहियों का निर्दोष प्रकाशन और न्यायिक निर्णयों की निष्पक्ष एवं तर्कसंगत आलोचना अवमानना के दायरे में नहीं आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान हेतु इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। अतः चौथा विकल्प गलत है क्योंकि ऐसी आलोचना वास्तव में लोकतंत्र में न्यायपालिका की पारदर्शिता को बढ़ावा प्रदान करती है।

63. (2) केवल I, II और IV
त्वरित अदालतों की शुरुआत वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी ताकि लंबित सत्र मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके। इनकी स्थापना की उत्तरदायित्व राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन अदालतों के न्यायाधीशों की भर्ती सीधे नए स्नातकों से नहीं की जाती, बल्कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अतः तीसरा कथन गलत है क्योंकि यहाँ अनुभव को वरीयता दी जाती है, जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है।

64. (2) पैतृक कृषि संपत्ति के विभाजन से संबंधित वाद।
परिवार न्यायालयों का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से विवाह की वैधता, तलाक, भरण-पोषण और बच्चों के संरक्षण जैसे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों तक सीमित है। ये न्यायालय परिवार की एकता और सुलह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैतृक कृषि संपत्ति के विभाजन से जुड़े विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के होते हैं या राजस्व कानून के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए राजस्व न्यायालय या नियमित दीवानी न्यायालय सक्षम होते हैं, न कि विशेष रूप से गठित परिवार न्यायालय, जो केवल घरेलू विवाद सुलझाते हैं।

65. (2) जनता का न्यायालय
'लोक अदालत' शब्द का शाब्दिक और विधिक अर्थ "जनता का न्यायालय" है। यह विवाद समाधान का एक ऐसा मंच है जहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और अनौपचारिक न्याय व्यवस्था प्रदान की जाती है। यहाँ न्यायाधीशों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी सुलह प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह व्यवस्था न्याय के लोकतांत्रिकरण और अदालती बोझ को कम करने का एक आधुनिक प्रतीक है।

Downloaded from www.pdf.tube

29. (2) 62 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यद्यपि इसे बढ़ाने के प्रस्ताव समय-समय पर आते रहे हैं, किंतु वर्तमान विधिक स्थिति में यह सीमा अपरिवर्तित है। सेवानिवृत्ति के पश्चात, ये न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं अथवा वे कुछ कानूनी प्रतिबंधों के साथ अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं जो उनके अनुभव का लाभ प्रदान करता है।

30. (4) इसके पास कृषि भूमि से जुड़े आपराधिक मानव वध के मामलों की मूल सुनवाई करने का अधिकार है।
राजस्थान का राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है और यह राज्य में भू-राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसके पास राजस्व संबंधी मामलों में अपील और पुनरीक्षण सुनने की व्यापक शक्तियां हैं। यह अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। हालांकि, हत्या या मानव वध जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार इसके पास नहीं है। ऐसे गंभीर आपराधिक मामले सत्र न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

31. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण के अधिकार को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 228 के माध्यम से विशेष कानूनी प्रश्नों वाले मामलों को अधीनस्थ अदालतों से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जिसमें राज्यपाल और उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये अनुच्छेद राज्य के न्यायिक ढांचे के प्रमुख स्तंभ हैं।

32. (2) 2019 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा
राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के झालामंड में किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की थी। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। यह नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसे न्यायिक कार्यवाहियों को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जो राज्य की न्यायपालिका के लिए आधुनिक गौरव का प्रतीक है।

33. (3) केवल I, II और III (जहां II या III में से कोई एक शर्त पूरी हो)
अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसे भारत में न्यूनतम दस वर्षों तक किसी न्यायिक पद का अनुभव हो अथवा वह दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। विशेष रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय में 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' की श्रेणी नियुक्ति का आधार नहीं होती। अतः केवल प्रथम तीन शर्तें ही संवैधानिक रूप से अनिवार्य और विधिक रूप से सही हैं।

34. (1) दंड को प्रभावी करने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना अनिवार्य है।
जब जिला सत्र न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा तब तक निष्पादित नहीं की जा सकती जब तक कि उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि न कर दे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत यह एक अनिवार्य सुरक्षात्मक उपाय है। उच्च न्यायालय मामले के अभिलेखों की पूर्ण समीक्षा करता है और न्याय के सिद्धांतों की पुष्टि करने के पश्चात ही सजा को अंतिम रूप देता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि गंभीर मामलों में त्रुटि न हो।

35. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पंचायत समिति स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों की अध्यक्षता न्यायाधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति और योग्यताएं सिविल जज के समान होती हैं। ये न्यायालय दीवानी और कुछ विशिष्ट आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करने में सक्षम हैं। इनका मुख्य लक्ष्य विवादों का स्थानीय स्तर पर निपटारा करना है ताकि नागरिकों को न्याय हेतु दूर न जाना पड़े।

36. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत के संविधान के मूल पाठ में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह प्रणाली 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्तियों में कार्यपालिका के प्रभाव को कम करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। अतः यह एक न्यायिक नवाचार है जो वर्तमान में न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करता है, जो अनिवार्य है।

37. (3) राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं जब पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों।
संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या वे अनुपस्थित होते हैं, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति इस कार्य के लिए उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को चुनते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए की जाती है। राज्यपाल या निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पास इस प्रकार की औपचारिक नियुक्ति करने की संवैधानिक शक्ति नहीं होती है, जो विधिक रूप से स्पष्ट है।

38. (2) हम आदेश देते हैं
'परमादेश' एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ "हम आदेश देते हैं" होता है। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सरकार या निचली अदालत को तब

NODIA

75. (4) हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। कानून के अनुसार, यह रिट न केवल राज्य या सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी है यदि उन्होंने किसी को अवैध रूप से बंदी बना रखा हो। अतः यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके परिवार के सदस्य को किसी निजी व्यक्ति ने बंधक बनाया है, तो वह सीधे उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

76. (1) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट - 3 वर्ष तक का कारावास
आपराधिक न्याय प्रणाली में मजिस्ट्रेटों की सजा देने की शक्तियां कानून द्वारा सीमित हैं। प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास और निर्धारित अर्थदंड की सजा दे सकता है। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट केवल एक वर्ष तक की सजा देने में सक्षम है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास सात वर्ष तक की सजा देने की शक्ति होती है। सहायक सत्र न्यायाधीश दस वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, किंतु वे मृत्युदंड देने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं, जो विधिक रूप से स्पष्ट है।

77. (3) राजस्व मंडल से अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जिससे उच्च न्यायालय को दरकिनार किया जा सकता है।
राजस्थान में राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध कोई भी सीधी अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, राजस्व मंडल के आदेशों को उच्च न्यायालय में रिट याचिका या अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती प्रदान की जा सकती है। उच्च न्यायालय राजस्व मंडल पर पूर्ण पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार रखता है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि उच्च न्यायालय को दरकिनार किया जा सकता है। न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय राज्य के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनिवार्य अपीलीय कड़ी है।

78. (4) मध्यस्थता और सुलह जैसे न्यायालय के बाहर समझौतों को प्रोत्साहित करके औपचारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम करना।
अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या और न्याय मिलने में विलंब को देखते हुए दीवानी प्रक्रिया संहिता में धारा 89 को सम्मिलित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देना है। ये पद्धतियां न केवल समय की बचत करती हैं बल्कि पक्षों के मध्य कटुता को भी कम करती हैं। इस व्यवस्था से नियमित अदालतों पर कार्य का बोझ कम होता है, जिससे वे अधिक गंभीर और जटिल कानूनी मामलों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं।

79. (2) केवल I, III और IV
परिवार न्यायालय अधिनियम के अनुसार, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ऐसे न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है। ये न्यायालय सुलह हेतु विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं और पक्षों की गोपनीयता बनाए रखने हेतु बंद कमरे में सुनवाई कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि इन न्यायालयों में विधिक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व कोई पूर्ण अधिकार नहीं है; न्यायालय की अनुमति के बिना वकील सामान्यतः बहस नहीं कर सकते, ताकि प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण बनी रहे और कानूनी दांव-पेच हावी न हों, जो सामाजिक हित में है।

80. (2) राजस्थान के राज्यपाल
राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश यह निर्धारित कर सकते हैं कि न्यायालय की बैठकें जोधपुर या जयपुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जाएं। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। यह प्रावधान न्याय की पहुंच को सुगम बनाने के लिए है, ताकि विशेष परिस्थितियों में राज्य के अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को भी राहत मिल सके। यह प्रशासनिक निर्णय राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के पश्चात ही प्रभावी होता है।

81. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण का आधार है। अनुच्छेद 236 में 'जिला न्यायाधीश' और 'न्यायिक सेवा' जैसे महत्वपूर्ण पदों की संवैधानिक व्याख्या प्रदान की गई है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका के सुचारू संचालन और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विधिक और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करते हैं।

82. (1) एक सक्षम वयस्क पुरुष जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बच्चे और औद्योगिक श्रमिक बिना किसी आय सीमा के निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं। हालांकि, एक सक्षम वयस्क पुरुष जिसकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, वह इस सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठा सकता। उच्च आय वाला व्यक्ति निजी कानूनी सेवाएं वहन करने में सक्षम माना जाता है, जो एक तार्किक व्यवस्था है।

83. (1) केवल I, II, IV और V
स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की कई रियासतों के अपने उच्च न्यायालय थे, जिन्हें 1949 के अध्यादेश द्वारा समाप्त कर एक एकीकृत न्यायालय बनाया गया। सत्यनारायण राव समिति ने उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थापित करने की अनुशंसा की थी। वर्तमान में जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर स्थायी पीठ के रूप में कार्यरत हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके थे। राजधानी के संबंध में तथ्य यह है कि वह जयपुर रही, जिसे बदलना समिति का उद्देश्य नहीं था।

Click Here to Buy book on Amazon

(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

16. सचिवालय के भीतर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारियों के बीच बुनियादी अंतर क्या है?
(1) आईएएस अधिकारी विशेष रूप से क्षेत्रीय निदेशालयों तक सीमित हैं।
(2) दोनों सचिवालय में सेवा देते हैं, लेकिन शीर्ष पद मुख्य रूप से आईएएस के पास होते हैं।
(3) आरएएस अधिकारियों को सचिवालय में सेवा देने से प्रतिबंधित किया गया है।
(4) आईएएस अधिकारी केवल राज्य के वित्तीय व्यय से निपटते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

17. सचिवालय के संदर्भ में 'कार्यकाल प्रणाली' का अर्थ है:
(1) मुख्य सचिव का निश्चित पांच साल का कार्यकाल।
(2) क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय के बीच अधिकारियों का समय-समय पर चक्रानुक्रम।
(3) एक लिपिक का एक ही विभाग में स्थायी असाइनमेंट।
(4) कार्यालय में कैबिनेट मंत्री का गारंटीकृत कार्यकाल।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

18. राज्य सचिवालय में अधिकारियों के सही पदानुक्रमित क्रम को नीचे से ऊपर की ओर चुनिए।
(1) अनुभाग अधिकारी - अवर सचिव - उप सचिव - संयुक्त सचिव - सचिव
(2) अवर सचिव - अनुभाग अधिकारी - संयुक्त सचिव - उप सचिव - सचिव
(3) अनुभाग अधिकारी - उप सचिव - अवर सचिव - सचिव - संयुक्त सचिव
(4) उप सचिव - अवर सचिव - अनुभाग अधिकारी - संयुक्त सचिव - सचिव
(5) अनुत्तरित प्रश्न

19. राजस्थान राज्य सचिवालय में लागू 'ई-ऑफिस' अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है:
(1) सभी आईएएस अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर से बदलना।
(2) नीति निर्माण को निजी कंपनियों को बाह्य स्रोतों से सौंपना।
(3) एक कागज रहित और कुशल फाइल ट्रैकिंग प्रणाली प्राप्त करना।
(4) सचिवालय का जिला ई-केंद्रों में विकेंद्रीकरण करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

20. राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर अंतर-विभागीय समन्वय के लिए किस तंत्र का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
(1) विभागाध्यक्षों को राज्यपाल द्वारा दैनिक संबोधन।
(2) विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठकें।
(3) मुख्यमंत्री की मध्यस्थता में अंतर-राज्यीय परिषद की बैठकें।
(4) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की बैठकें।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

21. निम्नलिखित में से कौन राज्य में कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है?
(1) कैबिनेट बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
(2) कैबिनेट के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना
(3) अंतिम राज्य वित्तीय खातों की लेखापरीक्षा करना
(4) कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

22. राजस्थान में शासन सचिव के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) सचिव नीति और प्रशासन के मामलों में मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
(2) सचिव एक राजनीतिक पद धारण करते हैं और राज्य सरकार बदलने के साथ बदल जाते हैं।
(3) सचिव विभाग में कार्य संचालन नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए जिम्मेदार हैं।
(4) सचिव विधायिका की लोक लेखा समिति के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

23. सूची I में सचिवालय की इकाइयों को सूची II में कार्य के स्तरों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (सचिवालय इकाई):
A. विभाग
B. प्रभाग
C. मंडल
D. शाखा
सूची II (कार्य का स्तर):
i. उप सचिव द्वारा पर्यवेक्षित
ii. अवर सचिव के नेतृत्व में
iii. सचिव/प्रमुख सचिव के नेतृत्व में
iv. अतिरिक्त/संयुक्त सचिव द्वारा निर्देशित
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

24. एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ सचिवालय में दो विभागों के पास एक नई राज्य योजना के संबंध में अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए अंतिम प्रशासनिक मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है?
(1) मुख्य सचिव

93. (3) यह उच्च न्यायालय को मौलिक और साधारण विधिक अधिकारों दोनों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त "किसी अन्य प्रयोजन के लिए" वाक्यांश उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक शक्ति प्रदान करता है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के हनन के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रशासनिक मनमानी या किसी भी विधिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक उच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है।

94. (4) 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु संविधान द्वारा निर्धारित प्राथमिक योग्यताएं नागरिकता और दस वर्ष का पेशेवर अनुभव हैं। संविधान में कहीं भी यह शर्त नहीं रखी गई है कि उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए। चूंकि कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए आयु संबंधी यह विकल्प अन्य संवैधानिक अनिवार्यताओं के साथ मेल नहीं खाता। अतः विकल्प संख्या चार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह एक काल्पनिक मापदंड है जिसे संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि अन्य शर्तें विधिक रूप से अनिवार्य हैं।

95. (1) केवल संसद ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है या उसे अपवर्जित कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार, केवल भारत की संसद ही कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक कर सकती है या उसे वहाँ से हटा सकती है। राज्य विधायिका के पास अपने राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को राज्य की सीमाओं के बाहर विस्तारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक संघीय शक्ति है जो केंद्र के पास सुरक्षित है ताकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य न्यायिक प्रशासन में समान समन्वय और एकरूपता बनी रहे।

96. (2) तीसरी अनुसूची
भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों हेतु शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप प्रदान किए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप भी इसी अनुसूची में निहित है। इस शपथ के माध्यम से न्यायाधीश संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। राज्यपाल की उपस्थिति में ली जाने वाली यह शपथ न्यायाधीश को उनके पद की उत्तरदायित्व और न्यायिक अखंडता बनाए रखने के प्रति संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध बनाती है।

97. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, जब न्यायालय का एकल न्यायाधीश कोई निर्णय देता है, तो उस निर्णय को उसी उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के समक्ष चुनौती प्रदान की जा सकती है। इसे 'विशेष अपील' या अंतः-न्यायालय अपील कहा जाता है। यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के अध्यादेश और उसके द्वारा निर्मित आंतरिक नियमों द्वारा शासित होती है। यह व्यवस्था पक्षकारों को सर्वोच्च न्यायालय जाने से पूर्व एक अतिरिक्त अपीलीय मंच प्रदान करती है, जिससे न्यायिक त्रुटियों की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

98. (1) जिला न्यायाधीश
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के ढांचे के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, अर्थात जिला न्यायाधीश, इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। उसकी देखरेख में ही जिले भर में निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतों का आयोजन और विधिक साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधिक सहायता के कार्यों का नेतृत्व एक अनुभवी न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाए, जिससे आम जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है।

99. (3) यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है।
भारत के संविधान द्वारा राज्य के महाधिवक्ता के पारिश्रमिक के संबंध में कोई निश्चित राशि या वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 165 स्पष्ट करता है कि उसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जैसा कि राज्यपाल समय-समय पर निर्धारित करें। उसे सरकारी कोष से पारिश्रमिक के साथ निजी अधिवक्ता कार्य करने की भी अनुमति होती है, बशर्ते वह सरकार के विरुद्ध न हो। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि उसका पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय किया गया है, क्योंकि यह पूर्णतः राज्य कार्यपालिका के विवेकाधीन निर्णय पर निर्भर करता है।

100. (4) इसके पास न्याय के उचित प्रशासन की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है।
अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' का दर्जा प्रदान करता है। इसके दो प्रमुख परिणाम होते हैं। प्रथम, इसके सभी निर्णय साक्ष्य के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं और कानूनी दृष्टांत बनते हैं। द्वितीय, उच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति होती है। यह शक्ति न्यायालय की गरिमा, निष्पक्षता और आदेशों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, ताकि न्याय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके, जो इसका मुख्य आधार है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

33. सूची I में सुधारों और समितियों को सूची II में उनके प्रशासनिक संदर्भ के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

सूची I (सुधार / समितियाँ):
A. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)
B. सचिवालय नियमावली
C. ई-ऑफिस प्रणाली
D. संगठन और पद्धतियां (O&M)

सूची II (प्रशासन के संदर्भ में):
i. आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश
ii. सचिवालय विभागों के युक्तिकरण की सिफारिश की
iii. दक्षता और कार्यप्रवाह प्रबंधन में सुधार की रणनीति
iv. फाइल संचलन का डिजिटल रूपांतरण

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

34. राजस्थान में शीर्ष नागरिक सेवा पदों के संबंध में बेमेल को पहचानिए:
(1) जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट
(2) राज्य मुख्य सचिव
(3) अतिरिक्त मुख्य सचिव
(4) विभाग प्रमुख सचिव
(5) अनुत्तरित प्रश्न

35. सचिवालय प्रशासन की चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. विभागों की अधिकता जिससे अधिकार क्षेत्रों में टकराव होता है।
II. प्रमुख अधिकारियों के बार-बार तबादले जिससे नीति की निरंतरता बाधित होती है।
III. अधीनस्थ स्तरों को अधिकार सौंपने में अनिच्छा।
IV. न्यूनतम पदानुक्रमित स्तरों के कारण उच्च दक्षता।
V. पारंपरिक कागज-आधारित फाइलों पर अत्यधिक निर्भरता जिससे देरी होती है।

कौन सा संयोजन प्रचलित चुनौतियों की सही पहचान करता है?
(1) केवल I, III, IV और V
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II, III और V
(4) केवल I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

36. राजस्थान राज्य सचिवालय के संदर्भ में 'स्टाफ एजेंसी' शब्द का क्या तात्पर्य है?
(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का प्रबंधन करने वाली एजेंसी।
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेंसी।
(3) कर्मचारियों के कानूनी मुकदमों को संभालने वाला वैधानिक निकाय।
(4) राजनीतिक प्रमुख को सलाह देने वाली और सहायक एजेंसी।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

37. निम्नलिखित में से कौन राज्य सचिवालय में किसी विभाग का मान्यता प्राप्त कार्य नहीं है?
(1) मौजूदा कानूनों के तहत नियम और विनियम बनाना
(2) क्षेत्रीय एजेंसियों पर वित्तीय नियंत्रण रखना
(3) आपराधिक अपराधों का परीक्षण करना
(4) मंत्री को उनके विधायी उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

38. पारंपरिक सचिवालय प्रणाली में फाइल संचलन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए (शुरुआत से निर्णय तक):
A. अनुभाग अधिकारी नोट की समीक्षा करता है
B. लिपिक/सहायक प्रारंभिक नोट तैयार करता है
C. सचिव अंतिम निर्णय लेता है या मंत्री को भेजता है
D. उप/अवर सचिव अपनी टिप्पणी जोड़ते हैं

सही क्रम का चयन कीजिए:
(1) B, A, D, C
(2) B, D, A, C
(3) A, B, D, C
(4) D, B, A, C
(5) अनुत्तरित प्रश्न

39. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थीं?
(1) मीनाक्षी हूजा
(2) अलका काला
(3) उषा शर्मा
(4) कुशल सिंह
(5) अनुत्तरित प्रश्न

40. 'कैबिनेट के सचिव' के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका में क्या शामिल है?
(1) कैबिनेट निर्णयों की कार्यसूची और कार्यान्वयन का प्रबंधन करना।
(2) राज्य उच्च न्यायालय में कैबिनेट के सभी निर्णयों का बचाव करना।
(3) विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों को कानूनी उन्मुक्ति प्रदान करना।
(4) मंत्रियों के चुनावी खर्च को नियंत्रित करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

41. उस युग्म की पहचान कीजिए जो राजस्थान में सचिवालय अधिकारियों और उनके समकक्ष क्षेत्रीय पदों के बीच सही संबंध को दर्शाता है।

में प्रमुख 'संकट प्रबंधक' माना जाता है।
कारण (R): मुख्य सचिव राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति का नेतृत्व करते हैं और आपात स्थिति के दौरान सभी विभागों के बीच समन्वय करते हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

8. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे?
(1) के. राधाकृष्णन
(2) वी. नारायण
(3) बी. जी. राव
(4) एस. डब्ल्यू. शिवेश्वरकर
(5) अनुत्तरित प्रश्न

9. राजस्थान में मुख्य सचिव निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं?
(1) केवल राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच
(2) विधानसभा और उच्च न्यायालय के बीच
(3) राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच
(4) राज्य निर्वाचन आयोग और राज्यपाल के बीच
(5) अनुत्तरित प्रश्न

10. राजस्थान में मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
II. राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
III. राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
IV. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
कथनों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

11. राजस्थान राज्य सचिवालय में कौन सा विभाग आमतौर पर मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाता है?
(1) कृषि और पशुपालन विभाग
(2) सार्वजनिक निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचा विभाग
(3) उच्च और तकनीकी कौशल शिक्षा विभाग
(4) कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

12. सचिवालय के कामकाज के संदर्भ में, 'अनुभाग' का प्राथमिक कार्य क्या है?
(1) बिना किसी उच्च अनुमोदन के नीतिगत दस्तावेजों को अंतिम रूप देना।
(2) प्रारंभिक प्रसंस्करण और फाइल संचालन के लिए बुनियादी इकाई।
(3) राज्य निदेशालयों को स्वतंत्र रूप से बजट आवंटित करना।
(4) शिकायतों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

13. सूची I में सचिवालय के पदानुक्रम स्तरों को सूची II में कर्तव्यों की प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (सचिवालय पदानुक्रम):
A. अतिरिक्त मुख्य सचिव
B. उप सचिव
C. अवर सचिव
D. संयुक्त सचिव
सूची II (कर्तव्यों की प्रकृति):
i. विभाग के भीतर एक प्रभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालना
ii. विशाल विभागों में मुख्य सचिव के बाद दूसरे स्थान पर
iii. नई प्राप्तियों पर कार्रवाई शुरू करना और मामलों को ऊपर भेजना
iv. एक डिवीजन को नियंत्रित करना और सचिव की ओर से कार्य करना
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

14. राजस्थान सचिवालय में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को किसी विशेष विभाग का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है?
(1) राज्य कैबिनेट मंत्री
(2) पुलिस महानिदेशक
(3) विभाग अनुभाग अधिकारी
(4) शासन सचिव
(5) अनुत्तरित प्रश्न

15. राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा निभाई जाने वाली निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार कीजिए:
I. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष।
II. राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी।
III. प्रशासनिक स्तर पर अवशिष्ट वसीयतदार।
IV. राज्य योजना बोर्ड के पदेन अध्यक्ष।
V. क्षेत्रीय परिषद के सचिव।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, III और V

Click Here to Buy book on Amazon

50. राजस्थान में अंतर-विभागीय समन्वय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह कार्य की पुनरावृत्ति को कम करता है और पृथक होकर कार्य करने से रोकता है।
II. मुख्य सचिव इस समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी हैं।
III. नीतिगत संघर्षों को सुलझाने के लिए अंतर-विभागीय बैठकों का उपयोग किया जाता है।
IV. उच्च न्यायालय कानूनी रूप से इन समन्वय बैठकों के कार्यक्रम को अनिवार्य करता है।
कथनों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

51. राजस्थान सचिवालय के भीतर आंतरिक प्रक्रियाओं, फाइल संचलन और आधिकारिक प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने वाली मूलभूत नियम पुस्तिका कौन सी है?
(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
(2) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम
(3) सचिवालय नियमावली
(4) राज्य कोष संहिता
(5) अनुत्तरित प्रश्न

52. सचिवालय प्रशासन से जुड़ी निम्नलिखित सीमाओं या चुनौतियों पर विचार कीजिए:
I. विभागों की अधिकता के कारण बोझिल आकार
II. निदेशालय के दैनिक निष्पादन कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति
III. लिपिकीय कर्मचारियों की भारी कमी जिससे फाइलें लंबित रहती हैं
IV. उच्च स्तरों पर शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण
इनमें से कौन सा संयोजन गलत सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल II और III
(2) केवल III
(3) केवल I और IV
(4) कोई नहीं, सभी वैध चुनौतियां हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

53. सूची I में प्रशासनिक स्थितियों को सूची II में मुख्य सचिव की भूमिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (प्रशासनिक स्थिति):
A. भीषण सांप्रदायिक दंगा या प्राकृतिक आपदा
B. सरकारी कार्य का पुनरावंटन
C. दो विभाग सचिवों के बीच विवाद
D. राज्य के विकास लक्ष्यों की समीक्षा करना
सूची II (मुख्य सचिव की भूमिका):
i. राज्य योजना बोर्ड/समिति के अध्यक्ष
ii. मुख्य समन्वयक और मध्यस्थ
iii. मुख्य संकट प्रबंधक
iv. कार्य संचालन नियमों पर मुख्यमंत्री के सलाहकार
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

54. यदि सौर ऊर्जा पर एक नई राज्य नीति तैयार की जानी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम श्रम विभाजन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
(1) ऊर्जा निदेशालय नीति तैयार करता है; सचिवालय निष्पादित करता है।
(2) ऊर्जा विभाग नीति बनाता है; निदेशालय उसे लागू करता है।
(3) कैबिनेट सचिवालय नीति तैयार करता है और जिलों के माध्यम से लागू करता है।
(4) मुख्य सचिव नीति तैयार करते हैं और कंपनियों को सीधे आदेश जारी करते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

55. राज्य सचिवालय में 'संयुक्त सचिव' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे पद में उप सचिव से उच्च होते हैं।
II. वे एक बड़े विभाग के भीतर एक प्रभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं।
III. वे सचिव को दरकिनार करते हैं और सीधे मंत्री को रिपोर्ट करते हैं।
IV. वे आमतौर पर आईएएस के वरिष्ठ वेतनमान या राज्य सेवाओं से लिए जाते हैं।
V. वे अपने अधीन उप सचिवों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल I और II
(2) केवल IV और V
(3) केवल II, III और V
(4) केवल कथन III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

56. सचिवालय से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक नीतियों के निष्पादन में देरी का प्राथमिक कारण क्या है?
(1) बहु-स्तरीय पदानुक्रम जिससे फाइल प्रसंस्करण में समय लगता है।
(2) सचिवालय भवन में इंटरनेट की पूर्ण अनुपस्थिति।
(3) कोई भी नियम बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार का अभाव।
(4) राज्य विधानसभा का बार-बार भंग होना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

(2) महाधिवक्ता
(3) महानिदेशक
(4) वित्त सचिव
(5) अनुत्तरित प्रश्न

25. राजस्थान में राज्य सचिवालय के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 1949 में राजस्थान के गठन के बाद इसे व्यवस्थित रूप से एकीकृत और पुनर्गठित किया गया था।
II. सचिवालय नियमावली फाइल संचलन और आधिकारिक पत्राचार की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
III. प्रशासनिक सर्वोच्चता के मामले में ऐतिहासिक रूप से निदेशालय, सचिवालय से पहले आया था।
दिए गए कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल II और III
(2) केवल I और III
(3) केवल I और II
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

26. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सचिवालय में 'प्रमुख सचिव' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(1) एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो एक बड़े विभाग का नेतृत्व करता है।
(2) एक वरिष्ठ लिपिक जो प्रशासन प्रभाग का प्रबंधन करता है।
(3) एक सलाहकार के रूप में कार्य करने वाला राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति।
(4) सेवा विवादों को सुलझाने वाला न्यायिक अधिकारी।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

27. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): राजस्थान के मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का 'अवशिष्ट वसीयतदार' माना जाता है।
कारण (R): मुख्य सचिव उन सभी मामलों को देखते हैं जो किसी अन्य सचिव के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

28. सचिवालय में देरी और अक्षमता के संदर्भ में, 'लालफीताशाही' की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है?
(1) अत्यधिक गोपनीय फाइलों की पहचान करने के लिए लाल रिबन का उपयोग।
(2) नियमों का अत्यधिक पालन जिससे निर्णयों में देरी होती है।
(3) कई अधिकारियों को दरकिनार कर फाइलों को तेजी से निपटाना।
(4) सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करके रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

29. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद स्पष्ट रूप से राज्य सचिवालय की संरचना और विशिष्ट पदानुक्रम की रूपरेखा तैयार करता है?
(1) राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 154
(2) मंत्रिपरिषद के संबंध में अनुच्छेद 163
(3) ऐसा कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है
(4) सरकार के संचालन से संबंधित अनुच्छेद 166
(5) अनुत्तरित प्रश्न

30. सचिवालय और निदेशालय के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है, जबकि निदेशालय एक लाइन एजेंसी है।
II. सचिवालय नीति पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निदेशालय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है।
III. सचिवालय विभाग का प्रमुख एक सामान्यज्ञ होता है, जबकि निदेशालय का प्रमुख अक्सर विशेषज्ञ होता है।
IV. सभी मामलों में सचिवालय और निदेशालय दोनों भौतिक रूप से एक ही राज्य भवन में स्थित होते हैं।
कथनों का कौन सा संयोजन गलत है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I, III और IV
(4) केवल IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

31. राजस्थान सरकार में 'कार्य संचालन नियम', जो सचिवालय के कामकाज को नियंत्रित करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं?
(1) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166(3)
(2) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166(1)
(3) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167
(4) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164
(5) अनुत्तरित प्रश्न

32. राजस्थान राज्य सचिवालय में अवर सचिव का मौलिक कर्तव्य क्या है?
(1) राज्यपाल की ओर से कार्यकारी अध्यादेश जारी करना।
(2) एक शाखा को नियंत्रित करना और विभिन्न टिप्पणियों की जांच करना।
(3) विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करना।
(4) सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

84. (4) यह राजस्थान और अन्य राज्य सरकार के बीच विवाद पर विचार नहीं कर सकता है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, चुनाव याचिकाओं और वसीयत जैसे मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, दो राज्यों के मध्य विवाद या भारत सरकार और किसी राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विधिक विवादों की सुनवाई करने का अनन्य अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय ऐसे संघीय विवादों पर विचार नहीं कर सकता, भले ही वे उसके भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों। यह शक्ति केवल शीर्ष अदालत में सुरक्षित है।

85. (2) तीन
पी. सत्यनारायण राव समिति का गठन राजस्थान में राजधानी और उच्च न्यायालय के स्थान के विवाद को सुलझाने हेतु किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल तीन सदस्य सम्मिलित थे। समिति ने गहन विश्लेषण के पश्चात अनुशंसा की कि जयपुर को राज्य की राजधानी बनाया जाए और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को जोधपुर में स्थापित किया जाए। इसी समिति के सुझावों के आधार पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था, जिसे पश्चात में जन भावनाओं के कारण 1977 में पुनः स्थायी रुप से बहाल किया गया।

86. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिट निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु इनके जारी होने का समय भिन्न होता है। प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो, ताकि उसे अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से तुरंत रोका जा सके। इसके विपरीत, उत्प्रेषण का उपयोग तब होता है जब निचली अदालत निर्णय दे चुकी हो। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय उस अवैध निर्णय या आदेश को पूर्णतः रद्द कर देता है। संक्षेप में, एक निवारक उपाय है और दूसरा उपचारात्मक विधिक समाधान है।

87. (4) प्रथम दृष्टया किसी मामले की सुनवाई करने की शक्ति।
किसी भी न्यायालय के 'मूल क्षेत्राधिकार' का तात्पर्य उसकी उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह किसी मामले की प्रथम बार सुनवाई कर सकता है। इसका अर्थ है कि विवाद को सीधे उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिना किसी निचली अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा किए। उदाहरण के लिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में नागरिक सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार से भिन्न है, जहाँ न्यायालय केवल निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करता है। यह त्वरित न्याय हेतु महत्वपूर्ण है।

88. (1) संविधान द्वारा निर्धारित नहीं; वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
राजस्थान के महाधिवक्ता के कार्यकाल हेतु संविधान में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 165 के अनुसार, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है। व्यवहार में, जब राज्य की नई सरकार सत्ता में आती है, तो महाधिवक्ता सामान्यतः त्यागपत्र दे देते हैं और नई सरकार अपनी पसंद के विधिवेत्ता को नियुक्त करती है। उसका पारिश्रमिक भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यह पद पूर्णतः कार्यकारी विश्वास पर आधारित होता है, जिसका कोई निश्चित विधिक कार्यकाल नहीं है।

89. (3) वे मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। उनके पास अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाने की शक्ति होती है। वे सामान्य अपराधों की सुनवाई करते हैं, किंतु हत्या या अन्य जघन्य अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय हैं, उनकी सुनवाई करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास नहीं होता है। ऐसे गंभीर मामले अनिवार्य रूप से सत्र न्यायालयों में विचारणीय होते हैं। अतः तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह मजिस्ट्रेट के विधिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं का स्पष्ट उल्लंघन करता है।

90. (1) स्थगन आदेश / अंतरिम व्यादेश
जब उच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय आने तक किसी कार्य को रोकने का आदेश देता है, तो उसे 'स्थगन आदेश' या 'अंतरिम व्यादेश' कहा जाता है। इसका उद्देश्य मामले की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना है ताकि याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति न हो। यह एक अस्थायी राहत है जो न्याय के हित में प्रदान की जाती है। यदि न्यायालय ऐसा न करे, तो मुख्य याचिका का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है। यह आदेश अंतिम निर्णय आने तक प्रभावी रहता है, जो विधिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

91. (1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' का अर्थ है किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। 'परमादेश' का अर्थ है "हम आदेश देते हैं", जिसके माध्यम से कर्तव्यों का पालन कराया जाता है। 'उत्प्रेषण' का अर्थ है "पूर्णतः सूचित करना", जो निचली अदालतों के अभिलेख मंगाने हेतु उपयोग होता है। 'अधिकार पृच्छा' का अर्थ है "आपका प्राधिकार क्या है", जिसके माध्यम से किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता जांची जाती है। ये अर्थ इन रिटों के संवैधानिक कार्यों और उनके पीछे के विधिक उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं।

92. (4) कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है
भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु किसी न्यूनतम आयु का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 217 केवल योग्यताओं की चर्चा करता है, जैसे कि भारत का नागरिक होना और दस वर्ष का न्यायिक या अधिवक्ता अनुभव होना। हालांकि, व्यवहार में वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए सामान्यतः परिपक्व आयु के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत, सेवानिवृत्ति की आयु स्पष्ट रूप से 62 वर्ष निर्धारित है। अतः संवैधानिक रूप से न्यूनतम आयु की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है।

Downloaded from www.pdf.tube

(1) मुख्य सचिव — जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष।
(2) प्रमुख सचिव — उप-खंड अधिकारी के समकक्ष।
(3) सचिव — संभागीय आयुक्त के समकक्ष।
(4) अनुभाग अधिकारी — महानिरीक्षक के समकक्ष।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

42. राजस्थान सचिवालय में 'ई-ऑफिस' का कार्यान्वयन किस विशिष्ट प्रशासनिक चुनौती का समाधान करता है?
(1) भौतिक फाइल संचलन और ट्रैकिंग के कारण होने वाली देरी
(2) आईएएस अधिकारियों की कमी
(3) जन कल्याण के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन
(4) सिविल सेवकों के तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप
(5) अनुत्तरित प्रश्न

43. सूची I में प्राधिकारी प्रकारों को सूची II में उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (सचिवालय प्राधिकारी का प्रकार):
A. राजनीतिक कार्यपालिका
B. प्रशासनिक प्रमुख
C. कार्यकारी प्रमुख (लाइन एजेंसी)
D. सचिवालय सहायक कर्मचारी
सूची II (विवरण):
i. निदेशक या आयुक्त
ii. कैबिनेट मंत्री
iii. सहायक या लिपिक
iv. शासन सचिव
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

44. राजस्थान में सिविल सेवा के प्रमुख के रूप में, मुख्य सचिव की शक्तियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(1) वरिष्ठ प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए समितियों की अध्यक्षता करना।
(2) राज्य आरपीएससी के अध्यक्ष की सीधे नियुक्ति करना।
(3) सभी आईएएस अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट बनाए रखना।
(4) सिविल सेवकों के बीच सद्भाव और समन्वय सुनिश्चित करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

45. राज्य सचिवालय में 'विशेष सचिव' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह पद आमतौर पर विभाग के कार्य के किसी विशेष या बहुत बड़े हिस्से को संभालने के लिए बनाया जाता है।
II. एक विशेष सचिव के पास प्रमुख सचिव की तुलना में उच्च पद और अधिकार होता है।
III. वे विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव के व्यापक पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं।
कथनों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

46. राजस्थान में कैबिनेट सचिवालय सीधे किसे सचिवीय सहायता प्रदान करता है?
(1) राज्यपाल और राज्यपाल के सचिवालय को
(2) राजस्थान राज्य विधानसभा को
(3) राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण को
(4) मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को
(5) अनुत्तरित प्रश्न

47. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): सचिवालय नीतियों के वास्तविक निष्पादन के लिए निदेशालय पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
कारण (R): सचिवालय मुख्य रूप से एक नीति-निर्धारक निकाय है और इसके पास जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक क्षेत्रीय मशीनरी नहीं है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

48. राजस्थान के प्रशासनिक पदानुक्रम में, जिला कलेक्टरों के समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है?
(1) राज्य राजस्व मंत्री
(2) राज्य मुख्य सचिव
(3) राज्य राज्यपाल का कार्यालय
(4) पुलिस महानिदेशक
(5) अनुत्तरित प्रश्न

49. सचिवालयों में प्रशासनिक सुधार के रूप में 'डेस्क अधिकारी प्रणाली' शुरू करने का उद्देश्य है:
(1) सभी निर्णयों को मुख्यमंत्री के डेस्क पर केंद्रित करना।
(2) मामलों के तेजी से निपटान के लिए लिपिकीय स्तरों को समाप्त करना।
(3) विभागों में अनुभाग अधिकारियों की संख्या बढ़ाना।
(4) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक अधिकारी को एक समर्पित भौतिक कार्यालय मिले।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

अध्याय 16
मुख्य सचिव एवं राज्य सचिवालय

1. राजस्थान में राज्य सचिवालय की प्राथमिक भूमिका को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(1) जिला स्तर पर सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन
(2) नीतियों का निर्धारण और राज्य की गतिविधियों का समन्वय
(3) विभिन्न राज्य विभागों के बीच विवादों का अधिनिर्णय
(4) नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी
(5) अनुत्तरित प्रश्न

2. राज्य प्रशासन में सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
(1) विभाजित प्रणाली, जहाँ नीति-निर्माण को नीति-कार्यान्वयन से अलग रखा जाता है
(2) एकीकृत प्रणाली, जहाँ नीति-निर्माण और कार्यान्वयन एक ही निकाय द्वारा नियंत्रित होते हैं
(3) पार्श्विक प्रणाली, जहाँ दोनों समानांतर स्वतंत्र सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करते हैं
(4) ऊर्ध्वाधर प्रणाली, जहाँ निदेशालय नीति बनाता है और सचिवालय उसे निष्पादित करता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न

3. सूची I में दिए गए प्रशासनिक पदों को सूची II में राज्य सचिवालय में उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (प्रशासनिक पद):
A. मुख्य सचिव
B. प्रमुख सचिव
C. अनुभाग अधिकारी
D. कैबिनेट सचिव
सूची II (विशिष्ट जिम्मेदारी/भूमिका):
i. मुख्य सचिव द्वारा निभाई जाने वाली पदेन भूमिका
ii. राज्य नागरिक सेवाओं का शीर्ष समन्वयक
iii. एक प्रमुख सरकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख
iv. सचिवालय विभाग में सबसे निचली बुनियादी इकाई का पर्यवेक्षी प्रमुख
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(4) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

4. राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) नियुक्ति मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का कार्यकारी विशेषाधिकार है।
(2) नियुक्ति के दौरान प्रशासनिक अनुभव और प्रदर्शन के रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है।
(3) वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण मानदंड है लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद इसे दरकिनार कर सकती है।
(4) मुख्य सचिव के लिए तीन वर्ष का एक निश्चित संवैधानिक कार्यकाल होता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

5. राज्य सचिवालय की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य सरकार की 'स्मृति' और 'शोधन केंद्र' के रूप में कार्य करता है।
II. यह क्षेत्रीय स्तर के आपदा राहत कार्यों के लिए प्राथमिक कार्यकारी एजेंसी है।
III. यह मंत्रियों को राज्य विधायिका के प्रति उनकी जवाबदेही निभाने में सहायता करता है।
दिए गए कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

6. निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: राज्य सचिवालय मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
कथन II: निदेशालय एक संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय है जो सरकारी नीतियों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

7. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): राजस्थान के मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन

Click Here to Buy book on Amazon

57. राज्य सचिवालय में 'संगठन और पद्धतियां' प्रभाग मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(1) सभी राज्य सिविल सेवकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
(2) राज्य सरकार के चुनावों के संचालन की निगरानी करना।
(3) दक्षता में सुधार और कार्यालय प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
(4) राज्य सरकार के पूरे वित्तीय बजट का प्रबंधन करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

58. सचिवालय में नीति निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
A. कैबिनेट/मंत्री द्वारा अनुमोदन
B. अनुभाग द्वारा डेटा संग्रह और प्रारंभिक नोट तैयार करना
C. सचिव द्वारा नीति प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना
D. प्रमुख/अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा और संशोधन
सही क्रम का चयन कीजिए:
(1) B, D, C, A
(2) B, C, D, A
(3) C, B, D, A
(4) D, B, C, A
(5) अनुत्तरित प्रश्न

59. राजस्थान सचिवालय में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित विभागों पर विचार कीजिए:
I. गृह विभाग
II. वित्त विभाग
III. कार्मिक विभाग
IV. कृषि विभाग
V. राजस्व विभाग
दिए गए विभागों में से किसे "नोडल" या "समन्वयकारी" विभाग माना जाता है क्योंकि अन्य विभागों को अक्सर उनके अनुमोदन/परामर्श की आवश्यकता होती है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और V
(3) केवल I, IV और V
(4) केवल II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

60. राजस्थान में "कैबिनेट सचिवालय" के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन की पहचान कीजिए।
(1) राज्य के राज्यपाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है।
(2) कैबिनेट की सहायता के लिए मुख्य सचिव के अधीन कार्य करता है।
(3) इसमें केवल राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
(4) मुख्यमंत्री से संबंधित सभी सार्वजनिक शिकायतों को संभालता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

61. किसी राज्य के मुख्य सचिव का पद केंद्र सरकार के स्तर पर किस अधिकारी के समकक्ष होता है?
(1) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव।
(2) भारत के राष्ट्रपति के सचिव।
(3) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
(4) भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

62. राज्य प्रशासन के संदर्भ में 'निदेशालय' का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(1) राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति-निर्धारक अंग।
(2) सभी प्रशासनिक विवादों को सुलझाने वाला न्यायिक निकाय।
(3) राज्य के संकट प्रबंधन के लिए गठित एक अस्थायी समिति।
(4) नीति को कार्य रूप में बदलने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी शाखा।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

63. सूची I में दिए गए कार्यों को सूची II में जिम्मेदार अधिकारियों या इकाइयों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (कार्य):
A. कैबिनेट के लिए कार्यसूची तैयार करना
B. राज्य की सिविल सेवा का नेतृत्व करना
C. एक विशिष्ट विभाग का प्रशासनिक प्रमुख
D. एक अनुभाग में रिकॉर्ड का संरक्षक
सूची II (जिम्मेदार अधिकारी/इकाई):
i. अनुभाग अधिकारी
ii. सचिव
iii. मुख्य सचिव
iv. कैबिनेट सचिवालय
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

64. राजस्थान राज्य सचिवालय में 'सेल' शब्द का अर्थ है:
(1) अनुशासनहीन सिविल सेवकों के लिए हिरासत केंद्र।
(2) विशिष्ट कार्यों के लिए छोटी विशेषज्ञ इकाई।
(3) मुख्य सचिव का आधिकारिक निवास।
(4) 'प्रभाग' से बड़ी स्थायी इकाई।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

65. मुख्य सचिव के चयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आईएएस अधिकारी की वरिष्ठता चयन का एकमात्र और निरपेक्ष मानदंड है।
II. मुख्यमंत्री अपनी पसंद के किसी उपयुक्त अधिकारी का चयन करने में स्व-विवेक का प्रयोग करते हैं।

10. (1) केवल I, II और III
मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करते हैं। वे राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में बैठकों का प्रबंधन करते हैं और सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि, वे राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि यह कार्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है। उनके अधिकार क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य ही सम्मिलित होते हैं।

11. (4) कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग
राजस्थान सचिवालय में कार्मिक विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विभाग प्रायः मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं क्योंकि इनका कार्य संपूर्ण लोक सेवा का प्रबंधन करना है। कार्मिक विभाग अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य के प्रोटोकॉल और अन्य केंद्रीय कार्यों को संभालता है, जो सीधे तौर पर शासन की शीर्ष स्तर की नीतियों से जुड़े होते हैं।

12. (2) प्रारंभिक प्रसंस्करण और फाइल संचालन के लिए बुनियादी इकाई।
सचिवालय के भीतर अनुभाग सबसे छोटी और बुनियादी प्रशासनिक इकाई होती है। इसका प्राथमिक कार्य किसी भी नए मामले या पत्राचार पर शुरुआती कार्रवाई करना और संचिका संचालन की प्रक्रिया को आरंभ करना है। यहाँ लिपिकों और सहायकों द्वारा दस्तावेजों का संग्रहण तथा प्रारंभिक टिप्पणियां तैयार की जाती हैं। अनुभाग की कार्यक्षमता पर ही पूरे विभाग की गति निर्भर करती है। यह नीतियों के निर्माण हेतु आवश्यक प्रारंभिक आंकड़े और पृष्ठभूमि तैयार करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।

13. (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद विशाल विभागों में मुख्य सचिव के पश्चात द्वितीय स्थान पर आता है और वे उच्च स्तरीय नीतिगत निर्णय लेते हैं। संयुक्त सचिव एक प्रभाग को नियंत्रित करते हैं और सचिव की ओर से कार्यों का संपादन करते हैं। उप सचिव विभाग के भीतर एक प्रभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। अवर सचिव नई प्राप्तियों पर त्वरित कार्रवाई शुरू करते हैं और मामलों को वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। यह व्यवस्थित पदानुक्रम कार्य संचालन हेतु अनिवार्य है।

14. (4) शासन सचिव
राजस्थान सचिवालय में शासन सचिव को किसी विशेष विभाग का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है। वे मंत्री को नीतिगत मामलों में सलाह देते हैं और विभाग के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सचिव यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नियमों के अनुरूप हो। यद्यपि मंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं, किंतु प्रशासनिक और वित्तीय उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सचिव के पास ही होता है। वे विभाग के अभिलेखों और बजट के संरक्षक भी होते हैं।

15. (3) केवल I, III और V
राजस्थान के मुख्य सचिव कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं जिनमें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता और क्षेत्रीय परिषद के सचिव का कार्य शामिल है। उन्हें प्रशासनिक स्तर पर 'अवशिष्ट वसीयतदार' कहा जाता है क्योंकि वे उन सभी कार्यों को संभालते हैं जो किसी अन्य सचिव को आवंटित नहीं होते। वे राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भी होते हैं। राज्य योजना बोर्ड के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए यह भूमिका मुख्य सचिव के कार्यों में शामिल नहीं है।

16. (2) दोनों सचिवालय में सेवा देते हैं, लेकिन शीर्ष पद मुख्य रूप से आईएएस के पास होते हैं।
सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा दोनों के अधिकारी कार्यरत होते हैं। इनके मध्य मुख्य अंतर यह है कि सचिवालय के शीर्ष पद जैसे सचिव और प्रमुख सचिव सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों हेतु सुरक्षित होते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रायः उप सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुँचते हैं। यह व्यवस्था राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक अनुभवों के समन्वय को दर्शाती है। दोनों सेवाएं मिलकर राज्य की नीतियों को प्रभावी बनाती हैं।

17. (2) क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय के बीच अधिकारियों का समय-समय पर चक्रानुक्रम।
सचिवालय प्रशासन के संदर्भ में कार्यकाल प्रणाली का अर्थ अधिकारियों का क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय के मध्य समय-समय पर होने वाला चक्रानुक्रम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को कुछ समय के लिए जिलों में और कुछ समय के लिए सचिवालय में नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति बनाने वाले अधिकारियों को धरातल की वास्तविकताओं का ज्ञान रहे। यह व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टिकोण को व्यापक और व्यावहारिक बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

18. (1) अनुभाग अधिकारी - अवर सचिव - उप सचिव - संयुक्त सचिव - सचिव
राज्य सचिवालय में अधिकारियों का पदानुक्रम निश्चित और व्यवस्थित होता है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर सर्वप्रथम अनुभाग अधिकारी का स्थान आता है जो बुनियादी संचिका कार्य देखता है। इसके पश्चात क्रमशः अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव आते हैं। विभाग के शीर्ष पर शासन सचिव या प्रमुख सचिव पदस्थ होते हैं। यह ढांचा स्पष्ट उत्तरदायित्व और क्रमिक संचिका संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावों की सूक्ष्म जांच और समीक्षा संभव हो पाती है।

19. (3) एक कागज रहित और कुशल फाइल ट्रैकिंग प्रणाली प्राप्त करना।
राजस्थान सचिवालय में ई-ऑफिस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य एक पूर्णतः कागज रहित और कुशल संचिका अनुवर्तन प्रणाली स्थापित करना है। इसके माध्यम से संचिकाओं का संचलन डिजिटल रूप में होता है, जिससे समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली फाइलों के लुप्त होने

Downloaded from www.pdf.tube

(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

74. राज्य सचिवालय में किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है?
(1) कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री।
(2) वरिष्ठ राज्य मुख्य सचिव।
(3) विभाग प्रमुख सचिव।
(4) वर्तमान राज्य राज्यपाल।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

75. सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सचिवालय निदेशालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
II. सचिवालय निदेशालय के लिए बजट स्वीकृत करता है।
III. निदेशालय सचिवालय को तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
IV. निदेशालय मस्तिष्क के रूप में और सचिवालय सरकार के हाथ के रूप में कार्य करता है।
V. निदेशालय का प्रमुख आमतौर पर विभाग के सचिव के अधीनस्थ होता है।
निम्नलिखित में से किस संयोजन में गलत कथन शामिल है?
(1) केवल III और IV
(2) केवल I और II
(3) केवल V
(4) केवल IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

76. राज्य सचिवालय के कामकाज को व्यवस्थित करने वाले 'कार्य संचालन नियम' किसके नाम पर बनाए जाते हैं?
(1) मुख्यमंत्री
(2) राज्यपाल
(3) मुख्य सचिव
(4) भारत के राष्ट्रपति
(5) अनुत्तरित प्रश्न

77. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): राजस्थान के मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
कारण (R): मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और वे सिविल सेवकों की मानक सेवानिवृत्ति आयु के अधीन होते हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

78. राज्य सचिवालय के मुख्य कार्यों के सही परिचालन क्रम का चयन कीजिए:
(1) नीति निष्पादन → बजट बनाना → नीति निर्माण → मूल्यांकन
(2) नीति निर्माण → बजट स्वीकृति → नियम बनाना → नीति मूल्यांकन
(3) नीति मूल्यांकन → नियम बनाना → क्षेत्रीय निष्पादन → नीति निर्माण
(4) क्षेत्रीय निष्पादन → नीति मूल्यांकन → नियम बनाना → बजट बनाना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

79. राज्य सचिवालय की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य प्रशासनिक संरचना का सर्वोच्च स्तर है।
II. यह विभिन्न विभागों का एक समूह है।
III. यह मुख्य रूप से एक स्टाफ कार्य करता है।
IV. यह विधायी निरीक्षण से पूरी तरह मुक्त है।
V. यह पूरी तरह से 'विभाजित प्रणाली' पर आधारित है।
कथनों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

80. राजस्थान में मुख्य सचिव की भूमिका के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) राज्य और केंद्र सरकार के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
(2) राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने की संवैधानिक शक्ति रखते हैं।
(3) राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
(4) संपूर्ण राज्य प्रशासनिक मशीनरी को नेतृत्व प्रदान करते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

81. राजस्थान सचिवालय में 'ई-ऑफिस' पहल के तहत, "ई-फाइल" मॉड्यूल मुख्य रूप से किसलिए डिजाइन किया गया है?
(1) एआई मॉड्यूल का उपयोग करके नीतिगत दस्तावेजों को स्वचालित रूप से तैयार करना।
(2) फाइलों को डिजिटल रूप में तेजी से भेजने और ट्रैक करने के लिए।
(3) सचिवालय के कर्मचारियों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति का प्रबंधन करना।

NODIA

29. (3) ऐसा कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है
भारतीय संविधान में राज्य सचिवालय की संरचना या उसके विशिष्ट पदानुक्रम के बारे में कोई प्रत्यक्ष अनुच्छेद मौजूद नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 166 केवल राज्य सरकार के कार्यों के संचालन और राज्यपाल द्वारा कार्य आवंटन नियमों के निर्माण की बात करता है। सचिवालय का वर्तमान ढांचा मुख्य रूप से प्रशासनिक आवश्यकताओं और ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यह एक कार्यकारी व्यवस्था है जो संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु विकसित की गई है। अतः इसकी संरचना वैधानिक नियमों पर आधारित है।

30. (4) केवल IV
सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है जो नीति बनाती है, जबकि निदेशालय एक लाइन एजेंसी है जो नीतियों को लागू करती है। सचिवालय का प्रमुख सामान्यज्ञ अधिकारी होता है, जबकि निदेशालय का प्रमुख प्रायः विशेषज्ञ होता है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि सभी मामलों में सचिवालय और निदेशालय एक ही भवन में स्थित होते हैं। अक्सर निदेशालय क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार राजधानी के विभिन्न भागों या अन्य शहरों में स्थित हो सकते हैं। अतः चौथा कथन प्रशासनिक वास्तविकता के संदर्भ में गलत है।

31. (1) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166(3)
राजस्थान सरकार के कार्य संचालन नियम, जो सचिवालय के दैनिक कामकाज और विभागों के मध्य कार्यों के आवंटन को नियंत्रित करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। यह अनुच्छेद राज्यपाल को मंत्रियों के मध्य सरकारी कार्य को सुविधाजनक रूप से आवंटित करने की शक्ति प्रदान करता है। इन्ही नियमों के आधार पर मुख्य सचिव और अन्य सचिव अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये नियम राज्य प्रशासन को एक विधिक और औपचारिक आधार प्रदान करते हैं।

32. (2) एक शाखा को नियंत्रित करना और विभिन्न टिप्पणियों की जांच करना।
राजस्थान सचिवालय में अवर सचिव का मौलिक कर्तव्य एक विशिष्ट शाखा के कामकाज को नियंत्रित करना है। वे अपने अधीन अनुभागों से प्राप्त संचिकाओं और टिप्पणियों की गहन जांच करते हैं और प्रकरण को उचित निर्णय हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते हैं। उनकी भूमिका प्रशासनिक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रारंभिक प्रस्तावों को नीतिगत ढांचे के अनुरूप ढालने में सहायता करते हैं। वे शाखा के अभिलेखों के रखरखाव और अनुशासन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

33. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
प्रशासनिक सुधार आयोग ने सचिवालय विभागों के युक्तिकरण और पुनर्गठन की महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। सचिवालय नियमावली आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं और संचिका संचालन के मानकीकरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करती है। ई-ऑफिस प्रणाली संचिकाओं के डिजिटल रूपांतरण और पारदर्शी अनुवर्तन के लिए लागू की गई है। 'संगठन और पद्धति' प्रभाग कार्यक्षमता में सुधार और कार्यप्रवाह प्रबंधन की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सभी तत्व आधुनिक सचिवालय को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाने का प्रयास करते हैं।

34. (1) जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट
सचिवालय प्रशासन के शीर्ष पदों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित हैं। ये पद नीति निर्माण प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। इसके विपरीत, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट का पद क्षेत्रीय प्रशासन से संबंधित है, जो धरातल पर नीतियों के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होता है। यद्यपि कलेक्टर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, किंतु वह सचिवालय के पदानुक्रमित पदों से भिन्न श्रेणी में आता है। यह विकल्प एक बेमेल संबंध दर्शाता है।

35. (3) केवल I, II, III और V
सचिवालय प्रशासन वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें विभागों की अधिकता और अधिकार क्षेत्रों का टकराव प्रमुख है। अधिकारियों के निरंतर स्थानांतरण नीतिगत निरंतरता को बाधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शक्तियों के प्रत्यायोजन में कमी और पारंपरिक कागजी संचिकाओं पर अत्यधिक निर्भरता से कार्यों में विलंब होता है। पदानुक्रम के कई स्तरों के कारण प्रशासनिक दक्षता कम होती है। अतः सुधारों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करना शासन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

36. (4) राजनीतिक प्रमुख को सलाह देने वाली और सहायक एजेंसी।
राज्य सचिवालय के संदर्भ में 'स्टाफ एजेंसी' शब्द का तात्पर्य उस प्रशासनिक निकाय से है जो राजनीतिक प्रमुखों अर्थात मंत्रियों को नीति निर्माण में परामर्श और सहायता प्रदान करता है। यह एजेंसी स्वयं नीतियों को धरातल पर लागू नहीं करती, बल्कि क्रियान्वयन करने वाली इकाइयों के लिए रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य कार्य डेटा विश्लेषण, योजना बनाना और समन्वय करना है। यह प्रशासन के मस्तिष्क की तरह कार्य करती है जो निर्णय प्रक्रिया को सूचनात्मक सहयोग प्रदान करती है।

37. (3) आपराधिक अपराधों का परीक्षण करना
राज्य सचिवालय का मुख्य उत्तरदायित्व नियम बनाना, क्षेत्रीय एजेंसियों पर वित्तीय नियंत्रण रखना और मंत्रियों को विधायी कार्यों में सहायता करना है। यह पूरी तरह से एक कार्यकारी और नीति-निर्धारक संस्था है। आपराधिक अपराधों का परीक्षण करना या न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का कार्य है, न कि सचिवालय का। सचिवालय प्रशासनिक न्याय तो कर सकता है, लेकिन वह न्यायिक प्रक्रिया या न्यायालयों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। अतः आपराधिक न्याय प्रदान करना इसके कार्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

38. (1) B, A, D, C
सचिवालय में संचिका संचालन का एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिसमें सर्वप्रथम लिपिक या सहायक द्वारा प्रारंभिक टिप्पणियां तैयार की जाती हैं। इसके पश्चात अनुभाग अधिकारी

Click Here to Buy book on Amazon

90. राजस्थान सचिवालय में 'उप सचिव' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे अपने प्रभार वाले मंडल के लिए सचिव की ओर से कार्य करते हैं।
II. वे उन मामलों को निपटाने के लिए अधिकृत हैं जिनमें सचिव के ध्यान की आवश्यकता नहीं है।
III. वे विभाग में सभी नीतिगत परिवर्तनों के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं।
IV. वे अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल I, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

91. संकट प्रबंधन में, पूरे राज्य में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सचिवालय क्या भूमिका निभाता है?
(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीधे डॉक्टरों की तैनाती करना।
(2) सचिवालय परिसर में ही टीकों का निर्माण करना।
(3) राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना।
(4) प्रतिक्रिया के दिशानिर्देश तैयार करना और धन स्वीकृत करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

92. राज्य सचिवालय में आरएएस के एकीकरण के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(1) आरएएस अधिकारियों को सचिवालय में सेवा देने से कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है।
(2) अक्सर सचिवालय में उप सचिव या संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
(3) आरएएस अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर सीधे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।
(4) सचिवालय में आरएएस अधिकारी आईएएस अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं होते हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

93. सूची I में सचिवालय की समस्याओं को सूची II में उनके संभावित समाधानों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (सचिवालय की समस्या):
A. फाइल संचलन में अत्यधिक देरी
B. विभागों के बीच कार्य की पुनरावृत्ति
C. नीति में विशेष ज्ञान का अभाव
D. कमजोर संस्थागत स्मृति
सूची II (संभावित समाधान):
i. सुदृढ़ अंतर-विभागीय समन्वय तंत्र
ii. ई-ऑफिस और स्तर-छलांग (डेस्क अधिकारी प्रणाली)
iii. उचित डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन
iv. निदेशालय के विशेषज्ञों के साथ अधिक परामर्श
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

94. मुख्य सचिव की प्रशासनिक शक्ति को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है:
(1) संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री के बराबर
(2) बिना किसी कार्यकारी अधिकार के विशुद्ध रूप से सलाहकार
(3) सामान्य प्रशासन के मामलों में पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ
(4) राज्य के सिविल सेवकों में "समानों में प्रथम"
(5) अनुत्तरित प्रश्न

95. मुख्य सचिव की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री की पसंद को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. अधिकारी की वरिष्ठता
II. उत्कृष्ट प्रशासनिक रिकॉर्ड
III. मुख्यमंत्री का विश्वास और भरोसा
IV. विपक्ष के नेता से अनुमोदन
V. राज्य उच्च न्यायालय से मंजूरी
कौन सा संयोजन विचार किए जाने वाले वास्तविक कारकों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल II, III और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

96. किस सुधार आयोग ने व्यापक रूप से सिफारिश की थी कि सचिवालय को पूरी तरह से नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निष्पादन का कार्य पूरी तरह से संबंधित निदेशालयों पर छोड़ देना चाहिए?
(1) केंद्रीय वित्त आयोग
(2) प्रशासनिक सुधार आयोग
(3) केंद्रीय निर्वाचन आयोग
(4) राष्ट्रीय कोठारी आयोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

97. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): अंतर-विभागीय समन्वय राज्य सचिवालय के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है।
कारण (R): सरकारी नीतियां अक्सर कई क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, और समन्वय की कमी से विभागों के आदेशों में टकराव हो सकता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

98. सचिवालय विभाग के निम्नलिखित प्रशासनिक स्तरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए (उच्चतम से निम्नतम अधिकार स्तर तक):
A. संयुक्त सचिव
B. प्रमुख सचिव
C. अनुभाग अधिकारी
D. उप सचिव
सही व्यवस्था का चयन कीजिए:
(1) B, A, D, C
(2) B, D, A, C
(3) A, B, D, C
(4) C, D, A, B
(5) अनुत्तरित प्रश्न

99. मंत्रिपरिषद को कैबिनेट सचिवालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह मंत्रियों के बीच ज्ञापन परिचालित करता है।
II. यह कैबिनेट बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है।
III. यह मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
IV. यह सत्तारूढ़ दल के भीतर राजनीतिक विवादों को सुलझाता है।
V. यह कैबिनेट निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है।
कौन सा संयोजन इसके प्रशासनिक सहायता कार्यों को सही ढंग से दर्शाता है?
(1) केवल II, III, IV और V
(2) केवल I, II और V
(3) केवल I, II, III और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

100. अंततः, राजस्थान राज्य सचिवालय की प्रभावशीलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका उसकी क्या क्षमता है?
(1) सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या को अधिकतम करना।
(2) स्थानीय सरकारी निकायों की आवश्यकता को समाप्त करना।
(3) निदेशालयों से सभी कार्यकारी शक्तियों को अधिग्रहित करना।
(4) ठोस नीतिगत सलाह और राज्य समन्वय प्रदान करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) नीतियों का निर्धारण और राज्य की गतिविधियों का समन्वय
राजस्थान में राज्य सचिवालय राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर कार्यरत एक प्रमुख प्रशासनिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण करना तथा विभिन्न विभागों की गतिविधियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। यह मंत्रियों को उनके विधायी और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक परामर्श एवं आंकड़े उपलब्ध कराता है। शासन के सुचारू संचालन के लिए यह एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

2. (1) विभाजित प्रणाली, जहाँ नीति-निर्माण को नीति-कार्यान्वयन से अलग रखा जाता है
राज्य प्रशासन में सचिवालय और निदेशालय के मध्य संबंध 'विभाजित प्रणाली' के सिद्धांत पर आधारित हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सचिवालय को मुख्य रूप से नीति निर्माण और योजनाएं तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके विपरीत, निदेशालय को उन नीतियों और योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन एवं निष्पादन की जिम्मेदारी दी जाती है। यह पृथक्करण प्रशासनिक दक्षता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए शासन में अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

3. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
मुख्य सचिव राज्य की नागरिक सेवाओं के सर्वोच्च समन्वयक होते हैं। प्रमुख सचिव एक सरकारी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभाग अधिकारी सचिवालय के किसी विभाग में सबसे निचली पर्यवेक्षी इकाई के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट सचिव की भूमिका भी मुख्य सचिव द्वारा पदेन रूप में निभाई जाती है। यह पदानुक्रमित व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होती है।

4. (4) मुख्य सचिव के लिए तीन वर्ष का एक निश्चित संवैधानिक कार्यकाल होता है।
राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति पूर्णतः मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इस पद हेतु चयन के समय अधिकारी के प्रशासनिक अनुभव, कार्य-प्रदर्शन और वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक है, किंतु मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पसंद सर्वोपरि होती है। विशेष तथ्य यह है कि मुख्य सचिव के लिए कोई निश्चित संवैधानिक कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वे मुख्यमंत्री के विश्वास और सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहते हैं।

5. (3) केवल I और III
राज्य सचिवालय सरकार की संस्थागत स्मृति के रूप में कार्य करता है क्योंकि यहाँ सभी महत्वपूर्ण अभिलेख और निर्णयों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। यह मंत्रियों को विधायी कार्यों और विधानसभा के प्रति जवाबदेही निभाने में निरंतर सहायता प्रदान करता है। आपदा राहत कार्यों के लिए प्राथमिक कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करना निदेशालय या जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। सचिवालय केवल नीतिगत दिशा-निर्देश और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तक ही सीमित रहता है।

6. (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्य सचिवालय मंत्रिपरिषद के प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंत्रियों को नीति निर्माण के दौरान आवश्यक सूचनाएं और परामर्श उपलब्ध कराता है। निदेशालय एक महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय होता है जो सरकार द्वारा निर्मित नीतियों के प्रभावी निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। सचिवालय जहाँ शासन का मस्तिष्क माना जाता है, वहीं निदेशालय को सरकार के हाथ के रूप में देखा जाता है जो कार्यों को पूर्ण करता है।

7. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का सर्वोच्च संकट प्रबंधक कहा जाता है क्योंकि वे आपातकालीन स्थितियों में सभी विभागों का नेतृत्व करते हैं। वे राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में राहत और बचाव कार्यों का समन्वय करते हैं। संकट के समय त्वरित निर्णय लेने और विभिन्न संसाधनों को एकजुट करने में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। यही कारण है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और एक-दूसरे की व्याख्या करते हैं।

8. (1) के. राधाकृष्णन
राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। के. राधाकृष्णन को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने नवगठित राज्य के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने और रियासती सेवाओं के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनकी नियुक्ति 13 अप्रैल 1949 को हुई थी, जो राज्य के लोक सेवा इतिहास में एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली उपलब्धि मानी जाती है।

9. (3) राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच
मुख्य सचिव राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी और संपर्क इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघीय ढांचे में प्रभावी संचार बनाए रखने के लिए यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए राज्य के हितों का संरक्षण करते हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

(4) राज्य विधायिका के लिए ऑनलाइन चुनाव आयोजित करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

82. निम्नलिखित में से कौन सचिवालय में एक 'अनुभाग अधिकारी' के कार्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
(1) एक अनुभाग में लिपिकों और सहायकों के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
(2) पूरे राज्य के लिए बजट आवंटन को अंतिम रूप देना।
(3) राज्य के निवेश के लिए विदेशी दूतावासों के साथ संपर्क करना।
(4) कैबिनेट मंत्री के प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

83. सूची I में प्रशासनिक पदों को सूची II में उनकी सामान्य सेवा पृष्ठभूमि के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I (पद):
A. मुख्य सचिव
B. संयुक्त सचिव
C. अनुभाग अधिकारी
D. तकनीकी निदेशक (निदेशालय)
सूची II (सामान्य सेवा पृष्ठभूमि):
i. आमतौर पर राज्य सचिवालय सेवा का अधिकारी
ii. वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
iii. अक्सर एक विशेषज्ञ या तकनीकी विशेषज्ञ
iv. मध्य स्तर का आईएएस या वरिष्ठ आरएएस अधिकारी
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

84. राजस्थान सचिवालय का कौन सा विभाग सिविल सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है?
(1) विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(2) सामान्य प्रशासन विभाग
(3) राज्य वित्त कार्य विभाग
(4) कार्मिक विभाग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

85. राजस्थान में 'अतिरिक्त मुख्य सचिव' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर consider कीजिए:
I. अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद वेतनमान के मामले में मुख्य सचिव के समकक्ष होता है।
II. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
III. इस पद का उपयोग आमतौर पर बहुत बड़े या महत्वपूर्ण विभागों के नेतृत्व के लिए किया जाता है।
कथनों का कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

86. निम्नलिखित में से कौन सचिवालय में देरी के "कारण और प्रभाव" को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
(1) रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के कारण डेटा की धीमी प्राप्ति।
(2) अत्यधिक केंद्रीकरण और पदानुक्रमित स्तरों के कारण निर्णयों में देरी।
(3) सचिव द्वारा जनता से सीधे संवाद के कारण कार्य में तेजी।
(4) अनुभाग अधिकारी के पद को समाप्त करने से बेहतर परिणाम।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

87. उस विकल्प का चयन कीजिए जो कैबिनेट सचिवालय और अन्य सचिवालय विभागों के बीच मौलिक अंतर का प्रतिनिधित्व करता है:
(1) इसका नेतृत्व एक राजनीतिज्ञ करता है, जबकि अन्य विभागों का नहीं।
(2) यह निष्पादन का कार्य करता है, जबकि अन्य विभाग नीति संभालते हैं।
(3) सुरक्षा कारणों से यह मुख्य भवन के बाहर स्थित है।
(4) यह सभी विभागों में शीर्ष स्तरीय निर्णयों का समन्वय करता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

88. किसी विभाग में एक प्रमुख वित्तीय नीतिगत निर्णय के लिए फाइल अनुमोदन के क्रम पर विचार कीजिए। नीचे से ऊपर की ओर सही प्रशासनिक क्रम का चयन कीजिए:
(1) अनुभाग अधिकारी → उप सचिव → प्रमुख सचिव → वित्त मंत्री
(2) उप सचिव → अनुभाग अधिकारी → वित्त मंत्री → प्रमुख सचिव
(3) अनुभाग अधिकारी → प्रमुख सचिव → उप सचिव → वित्त मंत्री
(4) वित्त मंत्री → प्रमुख सचिव → उप सचिव → अनुभाग अधिकारी
(5) अनुत्तरित प्रश्न

89. राज्य प्रशासन में "सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ" विवाद मुख्य रूप से किनके संबंधों में प्रकट होता है?
(1) मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंध।
(2) मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच संबंध।
(3) सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंध।
(4) अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के बीच संबंध।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

या अनावश्यक विलंब की संभावना को न्यून करती है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस प्रयोग से शासन की गति में सुधार हुआ है और निर्णय प्रक्रिया अधिक जवाबदेह, सरल और प्रभावी बन गई है।

20. (4) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की बैठकें।
राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावी तंत्र है जहाँ साझा हितों के प्रकरणों पर चर्चा की जाती है और नीतिगत संघर्षों को सुलझाया जाता है। इन बैठकों के माध्यम से कार्य की पुनरावृत्ति रोकी जाती है और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है। मुख्य सचिव अपनी वरिष्ठता के आधार पर विभागों में सामंजस्य स्थापित करते हैं।

21. (3) अंतिम राज्य वित्तीय खातों की लेखापरीक्षा करना
कैबिनेट सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और उनके निर्णयों का विधिवत अभिलेख रखना है। यह निकाय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है ताकि शासन की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। हालांकि, राज्य के अंतिम वित्तीय खातों की लेखापरीक्षा करना इस सचिवालय का कार्य नहीं है। लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास होता है जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

22. (2) सचिव एक राजनीतिक पद धारण करते हैं और राज्य सरकार बदलने के साथ बदल जाते हैं।
राजस्थान में शासन सचिव एक स्थायी सिविल सेवा का पद है, न कि कोई राजनीतिक पद। इनकी नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाती है और सरकार बदलने पर भी इनका प्रशासनिक अस्तित्व बना रहता है। सचिव अपने विभाग में कार्य संचालन नियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होते हैं और मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे लोक लेखा समिति जैसी विधायी समितियों के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं।

23. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
सचिवालय की संगठनात्मक संरचना में विभाग का नेतृत्व सामान्यतः सचिव या प्रमुख सचिव द्वारा किया जाता है। प्रभाग का निर्देशन अतिरिक्त या संयुक्त सचिव के माध्यम से होता है। मंडल का पर्यवेक्षण उप सचिव के द्वारा किया जाता है जो विभाग के विशिष्ट कार्यों को देखते हैं। शाखा का संचालन अवर सचिव के नेतृत्व में होता है। यह क्रमिक विभाजन प्रशासनिक कार्यों को विशिष्टता प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करना और कार्य का सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करना सरल होता है।

24. (1) मुख्य सचिव
जब सचिवालय के दो विभागों के मध्य अधिकार क्षेत्र या किसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो मुख्य सचिव अंतिम प्रशासनिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका राज्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में ऐसे मतभेदों को सुलझाने और सुचारु शासन सुनिश्चित करने की होती है। वे अपनी निष्पक्षता और व्यापक प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करते हुए विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। उनका निर्णय प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर्वोपरि और बाध्यकारी होता है।

25. (3) केवल I और II
राजस्थान के गठन के पश्चात 1949 में राज्य सचिवालय को व्यवस्थित रूप से एकीकृत और पुनर्गठित किया गया था। सचिवालय नियमावली संचिका संचालन और आधिकारिक पत्राचार की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है, जो आज भी शासन का आधार है। ऐतिहासिक रूप से सचिवालय का महत्व सदैव सर्वोच्च रहा है क्योंकि यह नीति निर्माण का केंद्र है। निदेशालय एक क्रियान्वयन इकाई है जो सचिवालय के निर्णयों के अधीन कार्य करती है। अतः निदेशालय को प्रशासनिक सर्वोच्चता के मामले में ऊपर नहीं माना जाता।

26. (1) एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो एक बड़े विभाग का नेतृत्व करता है।
राजस्थान सचिवालय में प्रमुख सचिव एक अत्यंत वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो किसी बड़े या महत्वपूर्ण सरकारी विभाग का नेतृत्व करते हैं। इनका पद पदानुक्रम में सचिव से ऊपर होता है और ये सीधे तौर पर मुख्य सचिव एवं मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। विभाग की नीतियों के निर्माण और दीर्घकालिक योजनाओं को आकार देने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये जटिल प्रशासनिक समस्याओं के समाधान और विभाग के प्रभावी प्रबंधन हेतु उत्तरदायी माने जाते हैं।

27. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन में 'अवशिष्ट वसीयतदार' कहा जाता है क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे उन सभी प्रशासनिक मामलों और विषयों को देखते हैं जो किसी अन्य विशिष्ट सचिव के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस प्रकार वे प्रशासन के किसी भी छूटे हुए हिस्से को कवर करते हैं और शासन की समग्रता बनाए रखते हैं। यह अवधारणा उनकी सर्वोच्च प्रशासनिक स्थिति और व्यापक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करती है। अतः दोनों कथन सही हैं।

28. (2) नियमों का अत्यधिक पालन जिससे निर्णयों में देरी होती है।
सचिवालय प्रशासन में लालफीताशाही का तात्पर्य नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक और कठोर लगाव से है। इसके कारण साधारण संचिकाओं के निपटान में भी बहुत अधिक समय लगता है और प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक देरी होती है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब अधिकारी जोखिम से बचने के लिए कागजी औपचारिकताओं को अधिक महत्व देने लगते हैं। यह दक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और जनता के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। वर्तमान में इसे कम करने हेतु सुधार जारी हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

III. राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति अनिवार्य है।

निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है?
(1) केवल I और II
(2) केवल II
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

66. इस सामान्य नियम का अपवाद कौन सा विभाग है कि सचिवालय केवल नीति बनाता है और उसे निष्पादित नहीं करता?
(1) कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग
(2) कृषि और किसान कल्याण विभाग
(3) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(4) सार्वजनिक निर्माण और बुनियादी ढांचा विभाग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

67. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
अभिकथन (A): सचिवालय और निदेशालय के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना एक सामान्य प्रशासनिक प्रथा है।
कारण (R): यह अंतर नीति-निर्माताओं को दैनिक प्रशासनिक विवरणों में उलझने से रोकता है और कार्यान्वयन की निष्पक्ष समीक्षा प्रदान करता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

68. 1949 में राजस्थान राज्य सचिवालय का एकीकरण और संगठन किस इकाई के प्रशासनिक मॉडल से काफी प्रभावित था?
(1) बॉम्बे प्रेसीडेंसी सचिवालय
(2) मेवाड़ रियासत
(3) संयुक्त प्रांत सचिवालय
(4) भारत सरकार सचिवालय
(5) अनुत्तरित प्रश्न

69. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सचिवालय की सलाहकार भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
(1) विभिन्न कर चोरों पर सीधे छापे मारना।
(2) राज्य परिवहन और शहरी रेल बसों का संचालन करना।
(3) मंत्री की सहायता के लिए डेटा और पूर्व उदाहरण प्रदान करना।
(4) स्थानीय स्तर पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

70. राज्य सचिवालय में 'प्रशासनिक सुधारों' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इनका उद्देश्य देरी को कम करना और फाइल निपटान की गति में सुधार करना है।
II. ये वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रोत्साहित करते हैं।
III. ये सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस उपकरणों के एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
IV. इनका उद्देश्य मुख्यमंत्री के हाथों में सभी शक्तियों को केंद्रित करना है।

कौन सा संयोजन प्रशासनिक सुधारों के सही उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, III और IV
(2) केवल I, II और III
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

71. सचिवालय पदानुक्रम में 'विशेषाधिकारी' की क्या भूमिका है?
(1) सामान्य जन शिकायतों को संभालने वाला एक नियमित डेस्क लिपिक।
(2) प्रमुख की जांच करने वाला एक स्थायी संवैधानिक प्राधिकारी।
(3) सचिवालय और उसके परिसर का सुरक्षा प्रमुख।
(4) विशिष्ट और तत्काल कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

72. राजस्थान में भीषण सूखे के दौरान, मुख्य सचिव राजस्व, कृषि, वित्त और जल संसाधन सचिवों की बैठक बुलाते हैं। यह किसका उदाहरण है?
(1) अंतर-विभागीय समन्वय और संकट प्रबंधन।
(2) विधायी प्रारूपण और संवैधानिक संशोधन।
(3) वित्तीय लेखापरीक्षा और सार्वजनिक व्यय की समीक्षा।
(4) विभिन्न सेवा विवादों का न्यायिक अधिनिर्णय।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

73. सूची I में सचिवालय सुधार अवधारणाओं को सूची II में उनके प्राथमिक उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

सूची I (सचिवालय सुधार अवधारणाएं):
A. एकल फाइल प्रणाली
B. डेस्क अधिकारी प्रणाली
C. ई-ऑफिस प्रणाली
D. संगठन और पद्धतियां अध्ययन

सूची II (प्राथमिक उद्देश्य):
i. दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और ट्रैकिंग
ii. तेजी से निर्णय लेने के लिए मध्यवर्ती लिपिकीय स्तरों को हटाना
iii. सचिवालय और निदेशालय के बीच संचार को सुव्यवस्थित करना
iv. प्रक्रियात्मक कार्यप्रवाह का विश्लेषण और सरलीकरण

NODIA

उस टिप्पणी की सूक्ष्मता से समीक्षा करता है। फिर संचिका उप या अवर सचिव के पास जाती है जो मामले का प्रशासनिक मूल्यांकन करते हैं। अंत में सचिव उस पर अंतिम निर्णय लेते हैं या उसे अनुमोदन के लिए मंत्री को भेजते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक निर्णय विभिन्न स्तरों पर परीक्षित और नियमसंगत हो।

39. (4) कुशल सिंह
कुशल सिंह को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। उनकी नियुक्ति राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाया। उन्होंने वर्ष 2009 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस सर्वोच्च प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके पश्चात अन्य महिला अधिकारियों ने भी इस पद को सुशोभित किया है, जो राजस्थान प्रशासन की प्रगतिशील और समावेशी सोच को प्रदर्शित करता है।

40. (1) कैबिनेट निर्णयों की कार्यसूची और कार्यान्वयन का प्रबंधन करना।
मुख्य सचिव कैबिनेट के सचिव के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षमता में वे कैबिनेट की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करते हैं और बैठकों के दौरान होने वाली चर्चाओं एवं निर्णयों का आधिकारिक अभिलेख रखते हैं। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों तक पहुँचाना और उनके क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी करना भी उनकी जिम्मेदारी है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के नीतिगत निर्णय वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित हो सकें।

41. (3) सचिव — संभागीय आयुक्त के समकक्ष।
राजस्थान में सचिवालय के अधिकारियों और क्षेत्रीय पदों के मध्य एक औपचारिक पदानुक्रमित समानता होती है। शासन सचिव का पद क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय आयुक्त के समकक्ष माना जाता है क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते हैं और व्यापक पर्यवेक्षी अधिकार रखते हैं। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च पद है जबकि जिला मजिस्ट्रेट जिले का प्रमुख होता है। यह समकक्षता वेतनमान और वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाती है जिससे करियर की गतिशीलता और प्रशासनिक समन्वय बना रहता है।

42. (1) भौतिक फाइल संचलन और ट्रैकिंग के कारण होने वाली देरी
ई-ऑफिस का क्रियान्वयन मुख्य रूप से भौतिक संचिकाओं के संचलन और उनके अनुवर्तन में होने वाली अत्यधिक देरी को दूर करने के लिए किया गया है। पारंपरिक व्यवस्था में संचिकाओं को एक मेज से दूसरी मेज तक पहुँचने में कई दिन लग जाते थे, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। डिजिटल माध्यम से अब संचिकाएं तत्काल प्रेषित की जा सकती हैं और उनकी वर्तमान स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी संभव है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है।

43. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
राजनीतिक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री करते हैं जो नीतियों हेतु जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शासन सचिव विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जो नीतिगत परामर्श प्रदान करते हैं। निदेशक या आयुक्त कार्यकारी प्रमुख के रूप में नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं। सहायक या लिपिक सचिवालय के सहायक कर्मचारी होते हैं जो संचिका कार्य और डेटा प्रबंधन में सहयोग करते हैं। यह संरचना प्रशासनिक व्यवस्था में शक्ति और उत्तरदायित्व के स्पष्ट विभाजन को दर्शाती है।

44. (2) राज्य आरपीएससी के अध्यक्ष की सीधे नियुक्ति करना।
मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा के प्रमुख के रूप में वरिष्ठ नियुक्तियों की समितियों की अध्यक्षता करते हैं और सभी आईएएस अधिकारियों के वार्षिक प्रतिवेदन बनाए रखते हैं। वे लोक सेवकों के मध्य समन्वय और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। हालांकि, वे आरपीएससी के अध्यक्ष की सीधी नियुक्ति नहीं कर सकते। यह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्य सचिव इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, किंतु उनके पास स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार नहीं होता है।

45. (3) केवल I और III
सचिवालय में विशेष सचिव का पद तब सृजित किया जाता है जब किसी विभाग का कार्यभार बहुत अधिक हो या किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना हो। वे विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव के व्यापक पर्यवेक्षण और निर्देशन में कार्य करते हैं। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि उनके पास प्रमुख सचिव से उच्च पद होता है; वास्तव में वे पदानुक्रम में उनके अधीनस्थ या सहयोगी की भूमिका में होते हैं। उनकी नियुक्ति विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य की अधिकता को देखते हुए की जाती है।

46. (4) मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को
राजस्थान में कैबिनेट सचिवालय का प्राथमिक उद्देश्य मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को प्रत्यक्ष सचिवीय सहायता प्रदान करना है। यह निकाय कैबिनेट बैठकों का आयोजन, कार्यसूची का वितरण और निर्णयों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करता है। यह राज्यपाल या विधानसभा का सचिवालय नहीं है, बल्कि कार्यपालिका के शीर्ष स्तर पर समन्वय का प्रमुख केंद्र है। शासन के नीतिगत निर्णयों को औपचारिक रूप देने और विभागों के मध्य सूचनाओं के प्रवाह को सुगम बनाने में इसकी भूमिका अपरिहार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है।

47. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सचिवालय नीतियों के वास्तविक निष्पादन के लिए निदेशालय पर पूर्णतः निर्भर करता है क्योंकि निदेशालय के पास ही क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाली मशीनरी उपलब्ध होती है। सचिवालय का चरित्र मुख्य रूप से नीति-निर्धारक और स्टाफ एजेंसी जैसा है जिसके पास धरातल पर सीधी क्रियान्वयन शक्तियां नहीं होतीं। निदेशालय शासन के हाथ के रूप में कार्य करते हुए नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। अतः सचिवालय

Click Here to Buy book on Amazon

85. (3) केवल I और III
अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासन में अत्यंत गरिमापूर्ण होता है और इसका वेतनमान मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। इस पद का उपयोग सामान्यतः उन विभागों हेतु किया जाता है जो आकार और प्रभाव में बहुत बड़े होते हैं, जैसे गृह या वित्त विभाग। हालांकि, वे मुख्य सचिव से स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि प्रशासनिक रूप से उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करते हैं। यह पद वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनके अनुभव के अनुरूप उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व प्रदान करने हेतु सृजित किया गया है।

86. (2) अत्यधिक केंद्रीकरण और पदानुक्रमित स्तरों के कारण निर्णयों में देरी।
सचिवालय में होने वाले विलंब का सबसे सटीक कारण शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण और पदानुक्रम के कई स्तरों का होना है। जब प्रत्येक छोटी संचिका को भी अंतिम निर्णय हेतु शीर्ष स्तर तक जाना पड़ता है, तो इससे समय का भारी अपव्यय होता है। पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर संचिका की समीक्षा में लगने वाला समय जुड़कर एक बड़ा विलंब बन जाता है। इससे न केवल सरकारी कार्यों की गति मंद होती है, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है।

87. (4) यह सभी विभागों में शीर्ष स्तरीय निर्णयों का समन्वय करता है।
कैबिनेट सचिवालय अन्य विभागों से इस मायने में भिन्न है कि यह किसी विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे शासन के शीर्ष स्तरीय निर्णयों का समन्वय करता है। यह विभागों के मध्य होने वाले नीतिगत संघर्षों को दूर करने और मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णयों को प्रभावी बनाने वाली प्रमुख धुरी है। अन्य विभाग अपने विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि कैबिनेट सचिवालय एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण रखता है जो मुख्यमंत्री के विजन को सभी विभागों तक पहुँचाता है।

88. (1) अनुभाग अधिकारी → उप सचिव → प्रमुख सचिव → वित्त मंत्री
एक प्रमुख वित्तीय नीतिगत निर्णय के लिए संचिका सदैव सबसे निचले प्रशासनिक स्तर से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम अनुभाग अधिकारी तथ्यों की जांच कर संचिका आगे बढ़ाता है। उसके पश्चात उप सचिव उस पर अपनी प्रशासनिक टिप्पणी अंकित करते हैं। फिर संचिका प्रमुख सचिव के पास जाती है जो विभाग के दृष्टिकोण से नीतिगत निर्णय लेते हैं। अंत में संचिका को सर्वोच्च राजनीतिक स्वीकृति हेतु वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निर्णय बजटीय सीमाओं के भीतर हो।

89. (3) सचिवालय और निदेशालय के बीच संबंध।
राज्य प्रशासन में सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का विवाद मुख्य रूप से सचिवालय और निदेशालय के संबंधों में उभरता है। सचिवालय में सामान्यतः आईएएस अधिकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, जबकि निदेशालय में तकनीकी विशेषज्ञ कार्यरत होते हैं। अक्सर विशेषज्ञों को अनुभव होता है कि उनके तकनीकी सुझावों को सचिवालय में प्रशासनिक आधार पर अनदेखा किया जा रहा है। वहीं सचिवालय को लगता है कि विशेषज्ञों का दृष्टिकोण संकुचित हो सकता है। इन दोनों के मध्य उचित समन्वय ही कुशल प्रशासन की सफलता की कुंजी है।

90. (1) केवल I, II और IV
उप सचिव सचिवालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी हैं जो अपने मंडल हेतु सचिव की ओर से कार्य करते हैं। उनके पास उन प्रकरणों को स्वतंत्र रूप से निस्तारित करने का अधिकार होता है जिनमें उच्च स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने अधीन कार्यरत अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों के कार्य का निरंतर पर्यवेक्षण करते हैं। हालांकि, वे विभाग में नीतिगत परिवर्तनों हेतु अंतिम प्राधिकारी नहीं होते क्योंकि यह अधिकार केवल सचिव या मंत्री के पास सुरक्षित होता है।

91. (4) प्रतिक्रिया के दिशानिर्देश तैयार करना और धन स्वीकृत करना।
सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सचिवालय की भूमिका नीतिगत नेतृत्व प्रदान करने की होती है। वह आपदा से निपटने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करता है। इसके साथ ही, वह आपातकालीन राहत कार्यों हेतु आवश्यक धन की त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित करता है ताकि निदेशालय और जिला प्रशासन बिना किसी वित्तीय बाधा के कार्य कर सकें। सचिवालय स्वयं उपचार या औषधि निर्माण नहीं करता, बल्कि वह व्यवस्था को गति देने हेतु आवश्यक ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है।

92. (2) अक्सर सचिवालय में उप सचिव या संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सचिवालय की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें प्रायः उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर उप सचिव या संयुक्त सचिव जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। वे नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य की क्षेत्रीय वास्तविकताओं का अनुभव सम्मिलित करते हैं। यद्यपि मुख्य सचिव का पद आईएएस हेतु आरक्षित है, किंतु आरएएस अधिकारी सचिवालय के मध्यम और उच्च-मध्यम स्तरों पर प्रशासन की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं, जिससे प्रशासन अधिक समावेशी और प्रभावी बनता है।

93. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
संचिका संचालन में होने वाली अत्यधिक देरी को ई-ऑफिस और डेस्क अधिकारी प्रणाली जैसी विधियों से हल किया जा सकता है। विभागों के मध्य कार्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु एक सुदृढ़ समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। नीति निर्माण में विशेष ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए निदेशालय के विशेषज्ञों के साथ निरंतर परामर्श करना चाहिए। कमजोर संस्थागत स्मृति की समस्या का समाधान अभिलेखों के उचित डिजिटलीकरण और प्रबंधन से संभव है। ये उपाय सचिवालय को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने हेतु अनिवार्य हैं।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

57. (3) दक्षता में सुधार और कार्यालय प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
सचिवालय में 'संगठन और पद्धति' प्रभाग का मुख्य उत्तरदायित्व प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। यह प्रभाग कार्यालय की कार्य प्रक्रियाओं का निरंतर अध्ययन करता है और उन्हें सरल बनाने के सुझाव देता है ताकि अनावश्यक विलंब को न्यून किया जा सके। इसका उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग और कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना है। यह प्रभाग नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों के एकीकरण में भी सहायता करता है जिससे सचिवालय का कामकाज अधिक परिणामोन्मुखी और पारदर्शी बन सके।

58. (2) B, C, D, A
नीति निर्माण की प्रक्रिया सदैव निचले स्तर से प्रारंभ होती है जहाँ अनुभाग द्वारा आंकड़ों का संग्रह और प्रारंभिक टिप्पणियां तैयार की जाती हैं। इसके पश्चात संबंधित सचिव नीति प्रस्ताव का विस्तृत प्रारूप तैयार करते हैं। फिर प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव उस प्रारूप की गहन समीक्षा और आवश्यक संशोधन करते हैं। अंत में संशोधित प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन हेतु कैबिनेट या संबंधित मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह तार्किक क्रम सुनिश्चित करता है कि नीति पूर्ण और व्यावहारिक हो।

59. (4) केवल II और III
वित्त विभाग और कार्मिक विभाग को राज्य सचिवालय के नोडल विभाग माना जाता है। इसका कारण यह है कि लगभग प्रत्येक विभाग को अपने महत्वपूर्ण कार्यों हेतु इन दोनों से परामर्श या स्वीकृति लेनी पड़ती है। किसी भी नए पद के सृजन हेतु कार्मिक विभाग की अनुमति अनिवार्य है, जबकि किसी भी योजना के लिए बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होती है। ये विभाग शासन की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और पूरे प्रशासन में वित्तीय और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखते हैं।

60. (2) कैबिनेट की सहायता के लिए मुख्य सचिव के अधीन कार्य करता है।
राजस्थान में कैबिनेट सचिवालय मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है और कैबिनेट को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य कैबिनेट की बैठकों का संचालन, कार्यसूची तैयार करना और निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। यह कोई राजनीतिक निकाय नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अंग है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्णयों को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। यह राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है जो शासन में सुसंगतता बनाए रखता है।

61. (1) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव।
राज्य में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च होता है और केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तुलना 'कैबिनेट सचिव' से की जा सकती है। जिस प्रकार कैबिनेट सचिव केंद्र में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार और संपूर्ण सिविल सेवा के प्रमुख होते हैं, ठीक वही भूमिका मुख्य सचिव राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हेतु निभाते हैं। ये दोनों पद अपने-अपने स्तर पर प्रशासन के मुख्य समन्वयक, नीतिगत निर्णयों के संरक्षक और प्रशासनिक तंत्र के कुशल संचालक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

62. (4) नीति को कार्य रूप में बदलने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी शाखा।
राज्य प्रशासन में निदेशालय वह कार्यकारी शाखा है जो सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि सचिवालय का ध्यान मुख्य रूप से 'क्या करना है' पर होता है, निदेशालय का ध्यान 'कैसे करना है' पर केंद्रित रहता है। इसके पास क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी और संसाधन होते हैं जो जनता तक सरकारी लाभ पहुँचाते हैं। निदेशालय तकनीकी विशेषज्ञता का केंद्र होता है और नीतियों की सफलता इसके कुशल और समयबद्ध निष्पादन पर निर्भर करती है।

63. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
कैबिनेट के लिए कार्यसूची तैयार करना कैबिनेट सचिवालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। राज्य की संपूर्ण सिविल सेवा का नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। किसी विशिष्ट विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन सचिव होता है जो नीतिगत मामलों को संभालता है। अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में अभिलेखों के संरक्षक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यह कार्य विभाजन प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित करता है और प्रत्येक स्तर के अधिकारी को उनके विशिष्ट कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी बनाता है जिससे शासन सुचारू चलता है।

64. (2) विशिष्ट कार्यों के लिए छोटी विशेषज्ञ इकाई।
सचिवालय की शब्दावली में 'सेल' एक छोटी और विशिष्ट प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है जिसे किसी विशेष कार्य या परियोजना हेतु गठित किया जाता है। इसमें संबंधित विषय के विशेषज्ञ या कुछ चयनित अधिकारी सम्मिलित होते हैं जो उस विशिष्ट कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं। सेल प्रायः एक बड़े विभाग या प्रभाग के भीतर कार्य करता है और इसका उद्देश्य जटिल समस्याओं का त्वरित समाधान निकालना होता है। यह लचीली संरचना सचिवालय को विशेष कार्यों के प्रति अधिक दक्ष बनाती है।

65. (2) केवल II
मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी विशेषाधिकार है जिसमें वे अपनी पसंद के अधिकारी को चुनने हेतु स्व-विवेक का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण मानदंड है, किंतु यह एकमात्र या अनिवार्य मानदंड नहीं है। मुख्यमंत्री प्रायः अधिकारी की कार्यक्षमता और उनके प्रति अपने विश्वास को अधिक महत्व देते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यह नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है जो प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित करती है।

66. (1) कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग
सचिवालय सामान्यतः केवल नीति निर्माण का कार्य करता है, किंतु कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग इसके अपवाद हैं।

NODIA

एवं निदेशालय के मध्य यह कार्यात्मक संबंध प्रशासनिक दक्षता के लिए पूर्णतः आवश्यक और तार्किक है।

48. (2) राज्य मुख्य सचिव
राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में जिला कलेक्टरों के साथ समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों और समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं की क्षेत्रीय प्रगति की समीक्षा करना और जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है। मुख्य सचिव इन बैठकों के माध्यम से राज्य मुख्यालय और जिला प्रशासन के मध्य सीधा संवाद स्थापित करते हैं। इससे शासन की प्राथमिकताओं को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है।

49. (2) मामलों के तेजी से निपटान के लिए लिपिकीय स्तरों को समाप्त करना।
सचिवालय में डेस्क अधिकारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संचिकाओं के निस्तारण में लगने वाले समय को न्यून करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती लिपिकीय स्तरों को समाप्त कर एक ही अधिकारी को प्रकरण की जांच और प्रस्ताव तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। इससे संचिका कई स्तरों के बजाय सीधे निर्णयकर्ता तक पहुँचती है। यह सुधार प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि और व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जो आधुनिक और त्वरित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

50. (1) केवल I, II और III
अंतर-विभागीय समन्वय कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने और विभागों के मध्य होने वाले आदेशों के टकराव को न्यून करने के लिए आवश्यक है। मुख्य सचिव इस समन्वय को सुनिश्चित करने वाले प्राथमिक अधिकारी हैं जो विभिन्न विभागों को एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। नीतिगत संघर्षों को सुलझाने के लिए नियमित बैठकें एक प्रभावी माध्यम हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय इन बैठकों के कार्यक्रम को अनिवार्य नहीं करता है। यह पूरी तरह से राज्य की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है।

51. (3) सचिवालय नियमावली
राजस्थान सचिवालय के भीतर आंतरिक प्रक्रियाओं, संचिका संचालन और आधिकारिक प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नियम पुस्तिका 'सचिवालय नियमावली' है। इसमें संचिकाओं के रखरखाव, पत्राचार के तरीकों और अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह नियमावली सचिवालय के कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है और प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रशासनिक सुधार को लागू करते समय इस नियमावली के प्रावधानों का सदैव ध्यान रखा जाता है।

52. (4) कोई नहीं, सभी वैध चुनौतियां हैं
सचिवालय प्रशासन कई वास्तविक सीमाओं से घिरा हुआ है, जिनमें विभागों का अत्यधिक विस्तार और पदानुक्रम के कारण होने वाली जटिलता सम्मिलित है। सचिवालय द्वारा निदेशालय के तकनीकी कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, लिपिकीय कर्मचारियों की कमी और उच्च स्तरों पर शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण कार्य की गति को धीमा करता है। ये सभी बिंदु सचिवालय की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। अतः ये सभी वैध प्रशासनिक चुनौतियां हैं।

53. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
भीषण संकट या आपदा के समय मुख्य सचिव 'मुख्य संकट प्रबंधक' की भूमिका निभाते हैं और राहत कार्यों का नेतृत्व करते हैं। सरकारी कार्यों के पुनरावंटन के प्रकरणों में वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दो विभागों के मध्य विवाद होने पर वे मुख्य समन्वयक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं ताकि शासन में निरंतरता बनी रहे। राज्य के विकास लक्ष्यों की समीक्षा करते समय वे राज्य योजना बोर्ड या समिति के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं।

54. (2) ऊर्जा विभाग नीति बनाता है; निदेशालय उसे लागू करता है।
किसी भी नई राज्य नीति के मामले में सचिवालय और निदेशालय के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा नीति ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें वित्तीय और विधिक प्रावधान शामिल होंगे। इसके पश्चात इस नीति को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने, तकनीकी मंजूरी देने और परियोजनाओं की निगरानी का कार्य संबंधित ऊर्जा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। यह श्रम विभाजन सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण रहे और कार्यान्वयन में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध हो।

55. (4) केवल कथन III
संयुक्त सचिव सचिवालय में एक महत्वपूर्ण पद है जो उप सचिव से उच्च होता है और प्रायः एक प्रभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालता है। वे सामान्यतः वरिष्ठ आरएएस या मध्य स्तर के आईएएस अधिकारी होते हैं। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि वे सचिव को दरकिनार कर सीधे मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। प्रशासनिक अनुशासन के अनुसार उन्हें अपनी संचिकाएं सचिव या प्रमुख सचिव के माध्यम से ही प्रेषित करनी होती हैं। वे अपने अधीन उप सचिवों के कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन भी करते हैं।

56. (1) बहु-स्तरीय पदानुक्रम जिससे फाइल प्रसंस्करण में समय लगता है।
सचिवालय में नीति निर्माण और संचिकाओं के निपटान में विलंब का प्राथमिक कारण यहाँ का बहु-स्तरीय पदानुक्रम है। एक संचिका को लिपिक से लेकर सचिव तक पहुँचने हेतु कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर समय का अपव्यय होता है। यह लंबी प्रक्रिया त्वरित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। हालांकि ई-ऑफिस जैसी प्रणालियों ने इस स्थिति में सुधार किया है, किंतु पदानुक्रम की जटिलता अभी भी एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है जो गति को प्रभावित करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

क्रियान्वित करता है। अतः चौथा कथन प्रशासनिक भूमिकाओं के पारंपरिक चित्रण के विपरीत और गलत है।

76. (2) राज्यपाल
राज्य सचिवालय की कार्यप्रणाली और विभागों के मध्य कार्यों का आवंटन करने वाले कार्य संचालन नियम सदैव राज्यपाल के नाम से बनाए और जारी किए जाते हैं। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और सभी सरकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर ही किए जाते हैं। यद्यपि इन नियमों का मसौदा सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है और निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है, किंतु इनकी विधिक वैधता राज्यपाल के हस्ताक्षर और उनके नाम से ही सुनिश्चित होती है।

77. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान के मुख्य सचिव का कोई निश्चित संवैधानिक या वैधानिक कार्यकाल नहीं होता है। वे मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के विश्वास और प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यद्यपि वे एक सिविल सेवक होते हैं, इसलिए उन पर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा लागू होती है, किंतु मुख्यमंत्री चाहें तो उन्हें समय से पूर्व बदल सकते हैं या सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा विस्तार दे सकते हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और यह स्थिति पद की प्रशासनिक संवेदनशीलता को उजागर करती है।

78. (2) नीति निर्माण → बजट स्वीकृति → नियम बनाना → नीति मूल्यांकन
राज्य सचिवालय के कार्यों का एक तार्किक और परिचालन क्रम होता है। सर्वप्रथम किसी समस्या या आवश्यकता के आधार पर नीति का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात उस नीति हेतु आवश्यक बजट की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक नियमों और विनियमों का निर्माण किया जाता है। अंत में लागू की गई नीति के परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है ताकि भविष्य में सुधार किए जा सकें। यह चक्र निरंतर सुशासन सुनिश्चित करता है।

79. (1) केवल I, II, III और V
राज्य सचिवालय प्रशासन का सर्वोच्च स्तर है जो विभिन्न विभागों का एक समूह है और मुख्य रूप से स्टाफ कार्य अर्थात परामर्श प्रदान करता है। यह पूर्णतः विभाजित प्रणाली पर आधारित है जहाँ नीति निर्माण और कार्यान्वयन पृथक निकायों द्वारा किए जाते हैं। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि यह विधायी निरीक्षण से मुक्त है। वास्तव में सचिवालय के कार्यों की विधानसभा में निरंतर समीक्षा की जाती है और मंत्री महोदय को वहां उत्तर देना पड़ता है। अतः विधायी जवाबदेही इसका एक अभिन्न हिस्सा है।

80. (2) राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने की संवैधानिक शक्ति रखते हैं।
मुख्य सचिव राज्य और केंद्र के मध्य संचार का मुख्य माध्यम हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार बन जाते हैं। वे संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करते हैं। हालांकि, उनके पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने की कोई शक्ति नहीं होती। वीटो की शक्ति केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होती है। मुख्य सचिव केवल विधायी प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे विधायी निर्णयों को रोक नहीं सकते।

81. (2) फाइलों को डिजिटल रूप में तेजी से भेजने और ट्रैक करने के लिए।
ई-ऑफिस पहल के अंतर्गत ई-फाइल मॉड्यूल को विशेष रूप से संचिकाओं के संचलन को डिजिटल बनाने हेतु निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य संचिकाओं को एक स्तर से दूसरे स्तर तक तीव्र गति से पहुँचाना और उनकी वर्तमान स्थिति का सटीक अनुवर्तन सुनिश्चित करना है। इससे संचिकाओं के लुप्त होने का भय समाप्त हो जाता है और यह भी स्पष्ट रहता है कि कौन सी संचिका किस अधिकारी के पास लंबित है। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाती है और पारंपरिक कागजी बोझ से मुक्ति प्रदान करती है।

82. (1) एक अनुभाग में लिपिकों और सहायकों के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
सचिवालय के पदानुक्रम में अनुभाग अधिकारी एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका निभाते हैं। उनका मुख्य कार्य अपने अनुभाग में कार्यरत लिपिकों और सहायकों के दैनिक कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा संचिकाओं की प्रारंभिक शुद्धता सुनिश्चित करना है। वे यह देखते हैं कि संचिकाओं में संदर्भ और आंकड़े सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। वे विभाग की संस्थागत स्मृति के रक्षक भी होते हैं क्योंकि वे पुराने अभिलेखों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करते हैं। उनकी दक्षता पर ही विभाग की कार्यप्रणाली निर्भर करती है।

83. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
मुख्य सचिव सदैव एक अत्यंत वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। संयुक्त सचिव प्रायः मध्य स्तर के आईएएस या बहुत वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। अनुभाग अधिकारी का पद विशेष रूप से राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए होता है जो सचिवालय की कार्यप्रणाली में दक्ष होते हैं। तकनीकी निदेशक अक्सर निदेशालय में कार्यरत एक विशेषज्ञ होता है जो नीति कार्यान्वयन के तकनीकी पक्षों को संभालता है। यह समन्वय सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के मध्य संतुलन बनाए रखता है।

84. (4) कार्मिक विभाग
राजस्थान सचिवालय का कार्मिक विभाग लोक सेवकों के प्रबंधन का मुख्य केंद्र है। यह विभाग सिविल सेवकों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवा शर्तों से संबंधित समस्त नियम बनाने हेतु उत्तरदायी है। राज्य लोक सेवा आयोग के साथ समन्वय करना और अधिकारियों की पदोन्नति एवं स्थानांतरण संबंधी नीतियों का निर्धारण करना भी इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। प्रशासन की गुणवत्ता और लोक सेवकों के मनोबल को बनाए रखने में इस विभाग की नीतियां अत्यंत निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाली होती हैं।

NODIA

i. लोकसभा और विधानसभा चुनावों का संचालन
ii. सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना
iii. भू-राजस्व और सरकारी बकाया की वसूली
iv. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
(1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(2) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. जिला कलेक्टर के राजस्व कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सही युग्म की पहचान करें।
(1) मतदाता सूची तैयार करना - जिला आपदा प्रबंधन
(2) सरकारी भूमि और संपदा का प्रबंधन - राजस्व प्रशासन
(3) शस्त्र लाइसेंस जारी करना - राजस्व प्रशासन
(4) पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण - जिला विकास
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

17. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जिला कलेक्टर के नियमित राजस्व कार्यों का अपवाद है?
(1) भू-राजस्व के बकाया की वसूली
(2) भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के मामलों का प्रत्यक्ष विचारण
(3) विशिष्ट राज्य अधिनियमों के तहत कृषि ऋण की स्वीकृति
(4) भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं का प्रबंधन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
I. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 लागू करना।
II. मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
III. नगर निकाय चुनाव आयोजित करना।
IV. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
V. नागरिक संपत्ति स्वामित्व विवादों में अंतिम निर्णय पारित करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) I, II, IV और V
(3) II, III, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. आपदा प्रबंधन के ढांचे के तहत, जिला कलेक्टर क्या विशिष्ट भूमिका निभाता है?
(1) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष
(2) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के मुख्य कमांडर
(3) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष
(4) केंद्रीय राहत आयोग के नोडल अधिकारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिला कानून-व्यवस्था में कार्य-कारण संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है?
(1) चूंकि पुलिस अधीक्षक (SP) पुलिस बल का प्रमुख होता है, इसलिए कानून-व्यवस्था में जिला मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं होती है।
(2) चूंकि पुलिस अधीक्षक पदक्रम में जिला मजिस्ट्रेट से ऊपर होता है, इसलिए पुलिस बल पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
(3) चूंकि स्थानीय विधायक पुलिस को नियंत्रित करते हैं, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक दोनों स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को रिपोर्ट करते हैं।
(4) चूंकि जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए पुलिस अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट को सूचित रखना चाहिए और शांति बनाए रखने में सहायता करनी चाहिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. उप-खंड स्तर पर राज्य सरकार का मुख्य प्रतिनिधि किस अधिकारी को माना जाता है?
(1) तहसीलदार
(2) खंड विकास अधिकारी (BDO)
(3) उप-खंड अधिकारी (SDO)
(4) पुलिस अधीक्षक (SP)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. राजस्थान में निम्नलिखित प्रशासनिक विशेषताओं के निर्माण/पुनर्स्थापना के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें:
(1) संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति → संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना → 10 संभागों का निर्माण
(2) संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना → संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति → 10 संभागों का निर्माण
(3) 10 संभागों का निर्माण → संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति → संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना
(4) संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति → 10 संभागों का निर्माण → संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

23. राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में उप-खंड अधिकारी (SDO) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(1) किसानों से प्रत्यक्ष रूप से भू-राजस्व वसूल करना।
(2) व्यापक राज्य-स्तरीय भू-राजस्व नीति ढांचे का मसौदा तैयार करना।
(3) जिला परिषद के वित्तीय खातों और व्यय का अंकेक्षण करना।
(4) तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

94. (4) राज्य के Civil Servants में "समानों में प्रथम"
मुख्य सचिव को राज्य के सभी सिविल सेवकों में 'समानों में प्रथम' माना जाता है। यद्यपि वे भी एक सचिव ही होते हैं, किंतु उनकी वरिष्ठता, अनुभव और मुख्यमंत्री के साथ निकटता उन्हें एक विशिष्ट और नेतृत्वकारी स्थिति प्रदान करती है। वे न केवल अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, बल्कि संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी के मार्गदर्शक और समन्वयक भी होते हैं। अन्य सभी सचिव उनसे परामर्श और दिशा-निर्देश प्राप्त करते हैं। उनकी यह स्थिति उन्हें प्रशासन का अघोषित मुखिया और लोक सेवा का गौरव बनाती है।

95. (1) केवल I, II और III
मुख्य सचिव की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री मुख्य रूप से अधिकारी की वरिष्ठता, उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक रिकॉर्ड और अपने प्रति उनके व्यक्तिगत विश्वास पर विचार करते हैं। मुख्यमंत्री को एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होती है जो उनके विजन को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। इस प्रक्रिया में विपक्ष के नेता से किसी औपचारिक अनुमोदन या उच्च न्यायालय की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह से एक कार्यकारी निर्णय है जो राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व की दिशा और गति निर्धारित करता है।

96. (2) प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्टों में स्पष्ट सिफारिश की थी कि सचिवालय को केवल नीति निर्माण, समन्वय और मूल्यांकन जैसे स्टाफ कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आयोग का मानना था कि नीतियों के वास्तविक निष्पादन का कार्य पूरी तरह से संबंधित निदेशालय और क्षेत्रीय एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए। इससे सचिवालय का कार्यभार न्यून होगा और वह दीर्घकालिक नियोजन पर अधिक ध्यान दे सकेगा। यह सिफारिश प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सचिवालय को तकनीकी विवरणों से बचाने के उद्देश्य से की गई थी।

97. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अंतर-विभागीय समन्वय राज्य सचिवालय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि आधुनिक शासन में कोई भी नीति एकाकी कार्य नहीं कर सकती। सरकारी नीतियां प्रायः स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करती हैं। यदि विभागों के मध्य उचित समन्वय नहीं होगा, तो उनके आदेशों में टकराव हो सकता है जिससे संसाधनों की बर्बादी और जनता में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अतः सुचारु शासन के लिए समन्वय की आवश्यकता के संबंध में अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं।

98. (1) B, A, D, C
सचिवालय विभाग के भीतर अधिकार स्तरों का सही अवरोही क्रम प्रमुख सचिव से प्रारंभ होता है, जो विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके पश्चात संयुक्त सचिव आते हैं जिनके पास व्यापक पर्यवेक्षी अधिकार होते हैं। इसके नीचे उप सचिव का स्थान होता है जो विशिष्ट अनुभागों का प्रबंधन करते हैं। पदानुक्रम में सबसे नीचे अनुभाग अधिकारी होते हैं जो धरातल पर संचिका संचालन और लिपिकीय कार्य का नेतृत्व करते हैं। यह व्यवस्थित पदानुक्रम शासन में स्पष्टता और क्रमिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

99. (3) केवल I, II, III और V
कैबिनेट सचिवालय मंत्रिपरिषद को कई प्रकार की प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें बैठकों हेतु कार्यसूची तैयार करना और मंत्रियों के मध्य महत्वपूर्ण ज्ञापन परिचालित करना सम्मिलित है। यह मुख्यमंत्री को उनके प्रशासनिक दायित्वों में सहयोग देता है और कैबिनेट के सभी निर्णयों का आधिकारिक अभिलेख सुरक्षित रखता है। हालांकि, यह किसी राजनीतिक दल के आंतरिक विवादों को नहीं सुलझाता क्योंकि वह एक गैर-प्रशासनिक प्रकरण है। इसका कार्यक्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रक्रियाओं तक सीमित है।

100. (4) ठोस नीतिगत सलाह और राज्य समन्वय प्रदान करना।
राजस्थान राज्य सचिवालय की वास्तविक प्रभावशीलता इस तथ्य से मापी जाती है कि वह सरकार को कितनी ठोस और व्यावहारिक नीतिगत सलाह प्रदान करता है। सचिवालय की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वह विभिन्न विभागों के मध्य कितना प्रभावी समन्वय स्थापित कर पाता है ताकि राज्य के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना इसकी कुशलता का पैमाना नहीं है। एक सफल सचिवालय वही है जो शासन को सुसंगत, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 17

क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन : संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार

1. निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1772 में भारत में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था?
(1) लॉर्ड कॉर्नवालिस
(2) वारेन हेस्टिंग्स
(3) लॉर्ड वेलेज़ली
(4) लॉर्ड डलहौजी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर की ऐतिहासिक विरासत के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) इस पद को मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिकतम भू-राजस्व संग्रहण हेतु बनाया गया था।
(2) यह पद केवल आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए बनाया गया था।
(3) पूरे औपनिवेशिक काल के दौरान जिला कलेक्टर के पास कोई मजिस्ट्रेट शक्तियां नहीं थीं।
(4) भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861 ने भारतीयों के जिला कलेक्टर बनने पर रोक लगा दी थी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें:
कथन I: राजस्थान में जिला प्रशासन का संरचनात्मक ढांचा ब्रिटिश औपनिवेशिक मॉडल की ही प्रत्यक्ष निरंतरता है।
कथन II: राजपूताना की रियासतों ने ब्रिटिश प्रशासनिक पदानुक्रम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और 1947 तक पृथक स्वदेशी प्रणालियों को बनाए रखा।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. प्रशासनिक पदानुक्रम में संभागीय आयुक्त की भूमिका को कौन सी अवधारणा सबसे अच्छी तरह परिभाषित करती है?
(1) ग्राम-स्तरीय स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी एक प्राथमिक कार्यकारी अधिकारी।
(2) सिविल और आपराधिक मामलों के लिए राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण।
(3) 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया एक संवैधानिक पद।
(4) राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वयकारी प्राधिकरण।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (प्रशासनिक इकाई)
A. संभाग
B. जिला
C. उप-खंड
D. तहसील
सूची II: (प्रमुख अधिकारी)
i. तहसीलदार
ii. उप-खंड अधिकारी
iii. संभागीय आयुक्त
iv. जिला कलेक्टर
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. 2023 में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद राजस्थान राज्य में कितने राजस्व संभाग हैं?
(1) 7
(2) 9
(3) 10
(4) 12
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संभाग 2023 के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान नहीं बनाया गया था?
(1) बांसवाड़ा
(2) पाली
(3) सीकर
(4) अजमेर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. संभागीय आयुक्त की नियुक्ति और अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

Downloaded from www.pdf.tube

I. संभागीय आयुक्त एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी होता है।
II. राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद 1962 में समाप्त कर दिया गया था और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया था।
III. संभागीय आयुक्त राज्य पुलिस मुख्यालय पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I और II
(2) II और III
(3) I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. राजस्थान में संभागीय आयुक्त की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) संभाग के भीतर जिला कलेक्टरों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना।
(2) संभागीय स्तर पर विभिन्न विभागों के लिए प्राथमिक समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
(3) राज्य के भीतर किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को स्थानांतरित करने की शक्ति होना।
(4) विकासात्मक कार्यों और राजस्व कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): संभागीय आयुक्त संभाग में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कारण (R): संभागीय आयुक्त कलेक्टरों और पुलिस रेंज महानिरीक्षकों के साथ जिला-समन्वय बैठकें आयोजित करता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. निम्नलिखित में से कौन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में संभागीय आयुक्त की भूमिका का सही वर्णन करता है?
(1) राजस्व मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है।
(2) सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील सुनता है।
(3) जटिल अंतर-राज्यीय जल वितरण विवादों को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय प्राधिकरण।
(4) जिला कलेक्टर के विशिष्ट आदेशों के विरुद्ध प्राथमिक अपीलीय प्राधिकारी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. प्रशासन की मूल इकाई के रूप में जिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह वह प्रमुख भौगोलिक इकाई है जहां राज्य सरकार की नीतियां लागू की जाती हैं।
II. राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए भारत में जिले को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है।
III. एक जिले की भौगोलिक सीमा हमेशा एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ पूर्णतः मेल खाती है।
IV. यह आपदा प्रबंधन और कानून प्रवर्तन के लिए एक स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) I और II
(2) केवल III
(3) II और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में कलेक्टर और तहसीलदार की भूमिकाओं सहित राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान है?
(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
(4) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(1) कलेक्टर राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जबकि मजिस्ट्रेट विशिष्ट नगरपालिका कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है।
(2) कलेक्टर एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति होता है, जबकि मजिस्ट्रेट एक व्यावसायिक लोक सेवक होता है।
(3) इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि राजस्थान में ये दोनों पद हमेशा पूर्णतः अलग अधिकारियों को संदर्भित करते हैं।
(4) कलेक्टर राजस्व और प्रशासन का प्रबंधन करता है, जबकि मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (कार्यकर्ता)
A. जिला मजिस्ट्रेट
B. जिला विकास अधिकारी
C. जिला निर्वाचन अधिकारी
D. जिला कलेक्टर
सूची II: (प्राथमिक कार्य)

NODIA

ये विभाग न केवल नीतियां बनाते हैं, बल्कि सिविल सेवकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और राज्य प्रोटोकॉल जैसे कार्यों का प्रत्यक्ष निष्पादन भी करते हैं। इनके लिए कोई पृथक निदेशालय नहीं होता क्योंकि ये सीधे शासन की आंतरिक मशीनरी से जुड़े होते हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने और शीर्ष स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के लिए शासन में आवश्यक मानी जाती है।

67. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सचिवालय और निदेशालय के मध्य स्पष्ट कार्यात्मक अंतर बनाए रखना एक मानक प्रशासनिक परिपाटी है क्योंकि इससे कार्य विभाजन सुदृढ़ होता है। यह अंतर नीति-निर्माताओं को दैनिक और तकनीकी विवरणों के बोझ से मुक्त रखता है, जिससे वे भविष्य की योजनाओं पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही, यह सचिवालय को निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा और मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। अतः यह पृथक्करण प्रशासनिक दक्षता और नियंत्रण के लिए पूर्णतः अनिवार्य और तार्किक है।

68. (4) भारत सरकार सचिवालय
1949 में जब राजस्थान के विभिन्न रियासती प्रशासनों को एकीकृत किया गया, तो सचिवालय के गठन हेतु भारत सरकार के सचिवालय मॉडल को आधार बनाया गया था। केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और पदानुक्रमित संरचना ने राजस्थान सचिवालय की प्रक्रियाओं और नियमों को गहराई से प्रभावित किया। इसका उद्देश्य एक आधुनिक और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना था जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। इसी मॉडल के कारण राजस्थान में भी सचिव, संयुक्त सचिव और अनुभाग प्रणाली को अपनाया गया था।

69. (3) मंत्री की सहायता के लिए डेटा और पूर्व उदाहरण प्रदान करना।
सचिवालय की सलाहकार भूमिका का मुख्य पहलू मंत्रियों को निर्णय लेने में सहायता करना है। इसके लिए सचिवालय ऐतिहासिक आंकड़े, पिछले उदाहरण और विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। जब कोई मंत्री किसी नई योजना पर विचार करता है, तो सचिवालय ही उसे उसके संभावित परिणामों और विधिक पहलुओं से अवगत कराता है। यह कार्य प्रत्यक्ष सेवा वितरण जैसा नहीं है, बल्कि यह शासन को बौद्धिक समर्थन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक निर्णय प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत हों।

70. (2) केवल I, II और III
सचिवालय में प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य संचिकाओं के निपटान में होने वाले विलंब को न्यून करना और कार्य की गति बढ़ाना है। ये सुधार शक्तियों के निचले स्तरों तक प्रत्यायोजन को प्रोत्साहित करते हैं ताकि प्रत्येक निर्णय के लिए शीर्ष स्तर पर निर्भरता न रहे। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के उपयोग को बढ़ावा देना भी इनका प्रमुख लक्ष्य है। शक्तियों को मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित करना सुधारों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकरण और दक्षता ही इनका मूल आधार है।

71. (4) केवल II और III
वित्त विभाग और कार्मिक विभाग को राज्य सचिवालय के नोडल विभाग माना जाता है। इसका कारण यह है कि लगभग प्रत्येक विभाग को अपने महत्वपूर्ण कार्यों हेतु इन दोनों से परामर्श या स्वीकृति लेनी पड़ती है। किसी भी नए पद के सृजन हेतु कार्मिक विभाग की अनुमति अनिवार्य है, जबकि किसी भी योजना के लिए बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होती है। ये विभाग शासन की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और पूरे प्रशासन में वित्तीय और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखते हैं।

72. (1) अंतर-विभागीय समन्वय और संकट प्रबंधन।
जब मुख्य सचिव सूखे जैसी आपदा के समय विभिन्न विभागों के सचिवों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो यह अंतर-विभागीय समन्वय और संकट प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसी स्थितियों में राजस्व, कृषि और जल संसाधन जैसे विभागों का मिलकर कार्य करना अनिवार्य होता है। मुख्य सचिव सभी विभागों के संसाधनों और प्रयासों को एकीकृत करते हैं ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा न रहे। यह प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी और शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

73. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-iii
संचिका संचालन में होने वाली अत्यधिक देरी को ई-ऑफिस और डेस्क अधिकारी प्रणाली जैसी विधियों से हल किया जा सकता है। विभागों के मध्य कार्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु एक सुदृढ़ समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। नीति निर्माण में विशेष ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए निदेशालय के विशेषज्ञों के साथ निरंतर परामर्श करना चाहिए। कमजोर संस्थागत स्मृति की समस्या का समाधान अभिलेखों के उचित डिजिटलीकरण और प्रबंधन से संभव है। ये उपाय सचिवालय को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने हेतु अनिवार्य हैं।

74. (1) कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री।
सचिवालय में किसी भी विभाग का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होता है। वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और विभाग की नीतियों की दिशा निर्धारित करते हैं। मंत्री महोदय विधानसभा में विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट मांगों का बचाव करते हैं। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों का संपादन सचिव द्वारा किया जाता है, किंतु अंतिम निर्णय और नीतिगत स्वीकृति मंत्री की ही होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि ही प्रशासन के राजनीतिक नेतृत्व का आधार होते हैं।

75. (4) केवल IV
सचिवालय निदेशालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और उसके लिए बजट स्वीकृत करता है। निदेशालय सचिवालय को महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श प्रदान करता है और इसका प्रमुख सामान्यतः सचिव के अधीनस्थ होता है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि निदेशालय मस्तिष्क है और सचिवालय हाथ है। वास्तव में सचिवालय प्रशासन का मस्तिष्क है जो नीतियां बनाता है और निदेशालय सरकार के हाथ के रूप में उन नीतियों को

Click Here to Buy book on Amazon

24. उप-खंड मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में अपनी क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग सामान्यतः उप-खंड अधिकारी (SDO) द्वारा किया जाता है?
(1) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की विभिन्न धाराओं के तहत निवारक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।
(2) उप-खंड के लिए कानून बनाना।
(3) मृत्युदंड के मामलों का विचारण करना।
(4) स्थानीय पुलिस के लिए राजपत्रित स्तर के अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

25. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (भू-राजस्व अवधारणा)
A. नामान्तरण (Mutation)
B. विभाजन (Partition)
C. खसरा
D. खतौनी
सूची II: (विवरण)
i. स्वामित्व विवरण वाला अधिकार अभिलेख
ii. राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व के शीर्षक में परिवर्तन
iii. संयुक्त जोत का विभाजन
iv. फसल और मृदा विवरण दर्ज करने वाली प्राथमिक फील्ड बुक
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. राजस्थान में जिला राजस्व प्रशासन पदानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों में से विषम का चयन करें।
(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(2) जिला कलेक्टर
(3) तहसीलदार
(4) पटवारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. भूमि अभिलेखों के संदर्भ में "नामान्तरण" (Mutation) शब्द की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?
(1) कृषि भूमि सीमाओं का भौतिक माप।
(2) छोटी और खंडित कृषि जोतों की व्यवस्थित चकबंदी।
(3) व्यावसायिक उपयोग के लिए कृषि भूमि को परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
(4) सरकारी राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामित्व के शीर्षक को बदलने की विधिक प्रक्रिया।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. तहसीलदार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. तहसीलदार तहसील स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी होता है।
II. विशेष रूप से अधिकृत किए जाने पर तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है।
III. तहसीलदार की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I और II
(2) I और III
(3) II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. राजस्व पदानुक्रम में पटवारी का तत्काल नियंत्रण अधिकारी कौन होता है?
(1) उप-खंड अधिकारी
(2) जिला कलेक्टर
(3) राजस्व निरीक्षक / गिरदावर
(4) संभागीय आयुक्त
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधीनस्थ भूमिका निभाता है।
कारण (R): नायब तहसीलदार के पास कोई वैधानिक शक्तियां नहीं होती हैं और वह विशुद्ध रूप से तहसीलदार के लिपिक के रूप में कार्य करता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. ग्राम-स्तरीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: पटवारी भूमि अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता है।
कथन II: पटवारी कृषि आंकड़े एकत्र करने और आपदाओं की सूचना देने के लिए भी उत्तरदायी है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. तहसीलदार से संबंधित निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
I. कृषि भूमि नामान्तरण (mutation) का पंजीकरण।
II. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना।
III. भू-राजस्व बकाया की वसूली।

Downloaded from www.pdf.tube

98. जिला कलेक्टर की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें:
I. राज्य मुख्यालयों पर शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण।
II. तीव्र शहरीकरण और जटिल महानगरीय चुनौतियां।
III. स्थानीय प्रशासनिक मामलों में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप।
IV. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र समानांतर एजेंसियों का विकास।
V. भूमि अभिलेखों में आधुनिक तकनीकी एकीकरण का अभाव।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन जिला प्रशासन द्वारा सामना की जाने वाली आधुनिक चुनौतियों की सही पहचान करता है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) I, III, IV और V
(3) II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के कारण जिला कलेक्टर से न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का हस्तांतरण न्यायिक मजिस्ट्रेटों को हो गया।
कथन II: जिला कलेक्टर अब विशुद्ध रूप से कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. "नियंत्रण का क्षेत्र" (Span of Control) का प्रशासनिक सिद्धांत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए लागू किया गया प्राथमिक विचार था?
(1) पटवारी के पद की समाप्ति।
(2) पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के पदों का विलय।
(3) सभी उप-खंड अधिकारियों से मजिस्ट्रेट की शक्तियों को पूर्णतः हटाना।
(4) सचिवालय को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग कम करने के लिए संभागीय आयुक्तों का पुनरुद्धार।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

(4) कलेक्टर राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए भू-राजस्व में वृद्धि करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐतिहासिक विरासत नहीं है जो वर्तमान जिला प्रशासन को ब्रिटिश काल से मिली है?
(1) जिला कलेक्टर की केंद्रीय भूमिका
(2) राजस्व संभागों और संभागीय आयुक्तों की अवधारणा
(3) संवैधानिक जिला योजना समितियों का निर्माण।
(4) मजिस्ट्रेट और राजस्व कार्यों का एकीकरण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. राजस्थान में निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों को उनके अपीलीय पदानुक्रम के अवरोही क्रम (उच्च से निम्न) में व्यवस्थित करें:
I. राजस्व मंडल
II. राजस्व अपील प्राधिकारी (RAA)
III. जिला कलेक्टर
IV. उप-खंड अधिकारी (SDO)
(1) I, II, III, IV
(2) I, III, II, IV
(3) II, I, III, IV
(4) I, II, IV, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: संभागीय आयुक्त प्रणाली राज्य-स्तरीय पर्यवेक्षण के विकेंद्रीकरण में सहायता करती है।
कथन II: यह जिला कलेक्टर के ऊपर शिकायत निवारण का एक मध्यम स्तर प्रदान करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. उप-खंड अधिकारी (SDO) की शक्तियों के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) उप-खंड अधिकारी के पास राज्य के भू-राजस्व कानूनों में प्रत्यक्ष संशोधन करने का अधिकार है।
(2) लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप-खंड अधिकारी उप-खंड मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है।
(3) उप-खंड अधिकारी जिला परिषद का प्रमुख होता है।
(4) निर्वाचन प्रक्रिया में उप-खंड अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (निर्वाचन में भूमिका)
A. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
B. जिला निर्वाचन अधिकारी
C. रिटर्निंग अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र)
D. निर्वाचक पंजीयन अधिकारी
सूची II: (सामान्यतः नियुक्त अधिकारी)
i. जिला कलेक्टर
ii. वरिष्ठ राज्य-स्तरीय आईएएस (IAS) अधिकारी
iii. उप-खंड अधिकारी
iv. तहसीलदार / उप-खंड अधिकारी
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. तहसीलदार के कर्तव्यों के संदर्भ में 'राजस्व वसूली' की मूलभूत परिभाषा क्या है?
(1) राज्य अधिकारियों द्वारा निजी भूमि के खंडों का भौतिक पुनर्कब्जा।
(2) कुर्क की गई भूमि को किसानों को वापस करने की प्रक्रिया।
(3) जिला कोषालय खातों का अंकेक्षण करना।
(4) अदत्त करों और देय राशि को राजस्व बकाया के रूप में प्राप्त करने का विधिक तंत्र।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों में से विषम का चयन करें।
(1) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना
(2) जनगणना कार्यों में सहायता करना
(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करना
(4) अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIP) के दौरों के लिए प्रोटोकॉल कर्तव्यों की देखरेख करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. कानून-व्यवस्था के मामलों में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है।
II. पुलिस बल का आंतरिक प्रशासन पुलिस अधीक्षक का विशिष्ट क्षेत्र है।
III. राजस्थान में जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) लिखता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I और II
(2) I और III
(3) II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

66. जिला प्रशासन में "दोहरी अधीनता" की अवधारणा मुख्य रूप से किस स्थिति को संदर्भित करती है?
(1) तकनीकी अधिकारी प्रशासनिक रूप से कलेक्टर को और तकनीकी रूप से अपने विभाग प्रमुखों को रिपोर्ट करते हैं।
(2) एक पटवारी तहसीलदार और ग्राम सेवक दोनों को रिपोर्ट करता है।
(3) जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल को एक साथ रिपोर्ट करता है।
(4) पुलिस अधीक्षक उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत, किसे आधिकारिक तौर पर जिले के लिए भूमि अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया गया है?
(1) पुलिस अधीक्षक
(2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(3) जिला कलेक्टर
(4) जिला प्रमुख
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. तहसीलदार द्वारा राजस्व वसूली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. तहसीलदार भू-राजस्व का भुगतान न करने के लिए मांग पत्र (Writ of Demand) जारी कर सकता है।
II. तहसीलदार विशिष्ट परिस्थितियों में व्यतिक्रमी (डिफॉल्टर) की गिरफ्तारी और निरुद्धि का आदेश दे सकता है।
III. तहसीलदार एकपक्षीय रूप से किसी गांव के पूरे भू-राजस्व ऋण को माफ कर सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I और II
(2) II और III
(3) I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. उप-खंड अधिकारी (SDO) और स्थानीय पुलिस के बीच अंतःक्रिया के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) उप-खंड अधिकारी के पास थाना प्रभारी (SHO) को सेवामुक्त करने की शक्ति है।
(2) उप-खंड अधिकारी पुलिस अधीक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन लिखता है।
(3) उप-खंड अधिकारी पुलिस फायरिंग जैसी घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है।
(4) उप-खंड अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करने से विधिक रूप से रोका गया है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

70. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से जिला विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
कारण (R): 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त विकास निधि और कार्य हस्तांतरित किए, जिससे राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में कलेक्टर का प्रत्यक्ष विकासात्मक नियंत्रण कुछ कम हो गया।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. भू-राजस्व विवादों को सुलझाने का कार्य करने वाले अधिकारियों के संबंध में विषम का चयन करें।
(1) राजस्व मंडल
(2) उप-खंड अधिकारी
(3) राजस्व अपील प्राधिकारी
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. संभाग के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संभागीय आयुक्त संभाग में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है।
II. संभागीय आयुक्त के पास जिला कलेक्टर द्वारा लिए गए राजस्व निर्णयों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।
III. राज्य सचिवालय पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक भार को कम करने के लिए संभागीय आयुक्त के कार्यालय को पुनर्स्थापित किया गया था।
IV. संभागीय आयुक्त जिला कार्यालयों का समय-समय पर भ्रमण और निरीक्षण करते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. निम्नलिखित में से कौन "अधिकार अभिलेख" (जमाबंदी) को परिभाषित करता है?
(1) गांव की घटनाओं की एक दैनिक डायरी।
(2) गांव की सीमाओं को दर्शाने वाला एक भौगोलिक मानचित्र।

NODIA

(2) गांव में महामारियों के फैलने की सूचना देना।
(3) भूमि स्वामित्व के संबंध में सिविल मुकदमों की अध्यक्षता करना।
(4) फसल कटाई प्रयोगों में सहायता करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. जिला प्रशासन के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें:
I. कानून-व्यवस्था का रखरखाव
II. भू-राजस्व प्रशासन
III. नगर पालिकाओं से स्वतंत्र बड़े शहरों में नागरिक सुविधाओं का प्रावधान
IV. विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
V. आपदा प्रबंधन
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन जिला कलेक्टर के प्रशासन के मुख्य क्षेत्रों को दर्शाता है/हैं?
(1) I, II, III और V
(2) I, II, IV और V
(3) II, III, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन जिला स्तर पर मासिक अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करता है?
(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(2) पुलिस अधीक्षक
(3) संभागीय आयुक्त
(4) जिला मजिस्ट्रेट
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. भू-राजस्व शब्दावली के संबंध में सही युग्म की पहचान करें।
(1) नामान्तरण (Mutation) - कुर्क भूमि की अंतिम नीलामी
(2) गिरदावरी - फसल की स्थिति और कटाई का आकलन
(3) खतौनी - गांव की सीमाओं का मानचित्र
(4) लगान - व्यावसायिक दुकानों के लिए भुगतान किया गया किराया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. उप-खंड अधिकारी का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होता है?
(1) एक ग्राम पंचायत
(2) एक संपूर्ण राजस्व संभाग
(3) तहसीलों का एक समूह या एक बड़ी तहसील
(4) एक एकल पुलिस स्टेशन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. ऊपर से नीचे तक राजस्व प्रशासन के मूल पदानुक्रम के सही क्रम की पहचान करें।
(1) संभाग → जिला → उप-खंड → तहसील → पटवार मंडल
(2) जिला → संभाग → तहसील → उप-खंड → पटवार मंडल
(3) संभाग → उप-खंड → जिला → तहसील → पटवार मंडल
(4) जिला → उप-खंड → संभाग → तहसील → पटवार मंडल
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. जिला कलेक्टर की समन्वय भूमिका के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) शांतिकाल के दौरान सेना की इकाइयों की तैनाती पर कलेक्टर का प्रत्यक्ष परिचालन कमान होता है।
(2) कलेक्टर राज्य सरकार और जिले के नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
(3) कलेक्टर कृषि और सिंचाई जैसे विभिन्न तकनीकी विभागों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
(4) कलेक्टर बाढ़ के दौरान कई गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए राहत कार्यों का समन्वय करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: तहसीलदारों को सरकारी बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति दी गई है।
कथन II: वाणिज्यिक बैंक ऋणों की बकाया राशि भी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है यदि राज्य सरकार उस आशय की अधिसूचना जारी करती है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (कार्रवाई/प्रक्रिया)
A. कर चूक के लिए संपत्ति की कुर्की
B. दैनिक ग्राम डायरी (रोजनामचा) का रखरखाव
C. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत तलाशी वारंट जारी करना
D. कई जिलों की विकास योजनाओं की समीक्षा
सूची II: (प्राथमिक अधिकारी)
i. संभागीय आयुक्त
ii. जिला मजिस्ट्रेट / उप-खंड मजिस्ट्रेट
iii. तहसीलदार
iv. पटवारी
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Downloaded from www.pdf.tube

82. राजस्थान के निम्नलिखित प्रशासनिक मील के पत्थरों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
I. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अधिनियमन
II. संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना
III. संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति
IV. राजस्थान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन
(1) I, III, II, IV
(2) I, II, III, IV
(3) III, I, IV, II
(4) I, III, IV, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. प्राकृतिक आपदा में तहसीलदार की भूमिका के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(1) तहसीलदार विशुद्ध रूप से एक दर्शक है और NDRF के आने की प्रतीक्षा करता है।
(2) तहसीलदार का एकमात्र कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करना है।
(3) क्षति मूल्यांकन और प्रारंभिक राहत वितरण के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी।
(4) तहसीलदार सभी प्रशासनिक कर्तव्यों को निलंबित कर देता है और संकट के दौरान अनिवार्य अवकाश लेता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों में से विषम का चयन करें।
(1) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत आदेश जारी करना
(2) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 107 के तहत सुरक्षा कार्यवाही शुरू करना
(3) आपदा सुरक्षा के लिए स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करना
(4) विवाह विच्छेद (तलाक) की डिक्री पारित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (शिकायत/विवाद)
A. ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेखों के नामान्तरण (mutation) को लेकर विवाद
B. जिले में अंतर-विभागीय समन्वय का मुद्दा
C. जिला कलेक्टर के राजस्व आदेश के विरुद्ध अपील
D. जिले में पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा
सूची II: (निस्तारण प्राधिकारी)
i. जिला कलेक्टर
ii. तहसीलदार / उप-खंड अधिकारी
iii. जिला मजिस्ट्रेट
iv. संभागीय आयुक्त / राजस्व अपील प्राधिकारी
(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. जिला प्रशासन की जवाबदेही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) जिला कलेक्टर संबंधित मंत्रियों के माध्यम से राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है।
(2) जिला कलेक्टर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त होकर कार्य करता है।
(3) राजस्व अधिकारी उच्च राजस्व न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।
(4) प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिला अधिकारियों के सेवा मामलों पर निर्णय दे सकते हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. जिला कलेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं के दौरान जिला कलेक्टर प्रोटोकॉल कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी है।
कथन II: जिला कलेक्टर चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र और शस्त्र लाइसेंस जारी करने का प्रबंधन करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. मतदान कर्मियों और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
II. आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की देखरेख करना।
III. चुनाव आयोग की स्वीकृति के बिना चुनाव लड़ने से उम्मीदवार को एकपक्षीय रूप से अयोग्य घोषित करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I और II
(2) I और III
(3) II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. कौन सा अधिकारी राज्य राजस्व प्रशासन पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जो दैनिक आधार पर काश्तकारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करता है?
(1) नायब तहसीलदार
(2) जिला कलेक्टर
(3) पटवारी
(4) संभागीय आयुक्त
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

(3) भूमि स्वामित्व, अधिकारों और देनदारियों के विवरण वाला एक रजिस्टर।
(4) पुलिस स्टेशन में आपराधिक रिकॉर्ड का एक विवरण।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. नायब तहसीलदार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राज्य में आपात स्थिति घोषित करने की शक्ति रखता है।
(2) अधिकृत होने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है।
(3) राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
(4) राजस्व वसूली तंत्र में एक प्रमुख अधिकारी है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (राजस्व शब्दावली)
A. खतौनी
B. खसरा
C. गिरदावरी
D. नामान्तरण (Mutation)
सूची II: (कार्य/अर्थ)
i. स्वामित्व नाम का परिवर्तन
ii. फसल निरीक्षण रिपोर्ट
iii. गांव के नक्शे में भूखंड या खेत का क्रमांक
iv. काश्तकारों का रजिस्टर जो धारित भूमि को दर्शाता है
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. पटवारी द्वारा भूमि अभिलेख का अनुचित रखरखाव किसान पर क्या प्रभाव डालता है?
(1) यह उच्च फसल उपज की गारंटी देता है।
(2) यह बैंकों से कृषि ऋण और अनुदान की अस्वीकृति का कारण बन सकता है।
(3) इससे किसान की नागरिकता रद्द हो जाती है।
(4) यह स्वचालित रूप से भूमि को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. जिला कलेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
कथन II: जिला कलेक्टर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों को लागू करता है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. संभागीय आयुक्त के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
I. संभाग में व्यापक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत उपायों का निर्देशन करना।
II. जिलों और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के माध्यम के रूप में कार्य करना।
III. नगर निकाय चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना।
IV. गैर-राजपत्रित राजस्व कर्मचारियों के सेवा मामलों का न्यायनिर्णयन करना।
V. राज्य स्तरीय खनन पट्टे प्रदान करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कार्य संभागीय आयुक्त के लिए गलत है/हैं?
(1) I और II
(2) III और V
(3) II, III और IV
(4) I, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. जिले में उप-खंड अधिकारियों (SDOs) पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है?
(1) जिला कलेक्टर
(2) पुलिस अधीक्षक
(3) जिला प्रमुख
(4) जिला न्यायाधीश
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. उप-खंड अधिकारी और तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां सौंपने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(1) उन्हें बिना वारंट के कर चोरों को गिरफ्तार करने की अनुमति देना।
(2) शांति बनाए रखने और स्थानीय भूमि/जल विवादों को निपटाने में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
(3) सभी प्रकार के संपत्ति मुकदमों में नियमित सिविल न्यायालयों को पूरी तरह से बायपास करना।
(4) उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड प्रदान करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. जिला प्रशासन के संदर्भ में, 1793 के कॉर्नवालिस कोड का प्राथमिक ध्यान क्या था?
(1) जिला योजना समितियों की स्थापना करना।
(2) राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से पृथक करना।
(3) सभी शक्तियों को केवल पटवारी के हाथों में केंद्रित करना।
(4) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली शुरू करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

Click Here to Buy book on Amazon

49. राजस्थान में राजस्व मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) यह राज्य का सर्वोच्च राजस्व अपील न्यायालय है।
(2) इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
(3) यह सभी राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण का प्रयोग करता है।
(4) यह भूमि अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव को नियंत्रित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): लोकसभा चुनावों के दौरान जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मौजूदा जिला प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. ऐसी स्थिति में जहां किसी शहर में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठता है, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कर्फ्यू लगाने के लिए विधिक रूप से प्राथमिक रूप से कौन सा अधिकारी सशक्त है?
(1) पुलिस अधीक्षक
(2) तहसीलदार
(3) जिला मजिस्ट्रेट / उप-खंड मजिस्ट्रेट
(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. नायब तहसीलदार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. तहसीलदार के सहायक के रूप में कार्य करता है।
II. उसे उप-तहसील का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता है।
III. राजस्व मामलों को संभालता है लेकिन सामान्यतः मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अभाव होता है जब तक कि विशेष रूप से प्रदान न की गई हों।
IV. अपने वृत्त में पटवारियों के लिए प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग प्राधिकारी है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल II
(2) I और III
(3) III और IV
(4) I, II और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. कौन सा अधिकारी ग्राम प्रशासन और तहसील प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है?
(1) संभागीय आयुक्त
(2) उप-खंड अधिकारी
(3) राजस्व निरीक्षक (गिरदावर/कानूनगो)
(4) पुलिस अधीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 'तहसील' का सबसे उपयुक्त विवरण है?
(1) जिले का विशुद्ध रूप से न्यायिक प्रभाग।
(2) राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख रखरखाव के लिए एक जिला उप-विभाजन।
(3) ग्रामीण ग्राम पंचायत के समानांतर चलने वाला एक स्थानीय स्वशासन निकाय।
(4) एक वृत्त (सर्कल) के बराबर पुलिस प्रभाग।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (पद)
A. कलेक्टर
B. उप-खंड अधिकारी
C. तहसीलदार
D. पटवारी
सूची II: (राजस्थान में भर्ती/पदोन्नति का सामान्य स्रोत)
i. अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती
ii. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) / IAS
iii. नायब तहसीलदार / RAS से पदोन्नति
iv. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: जिला योजना समिति नियोजन के लिए 'नीचे से ऊपर' (bottom-up) के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है।
कथन II: जिला कलेक्टर के पास जिला योजना समिति द्वारा पारित सभी प्रस्तावों पर पूर्ण वीटो शक्ति होती है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. निम्नलिखित में से कौन सा पटवारी का कार्य नहीं है?
(1) खसरा और खतौनी का रखरखाव।

NODIA

90. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): तहसीलदार को फसल कटाई प्रयोग करने का कार्य सौंपा गया है।
कारण (R): फसलों की औसत उपज का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई प्रयोग आवश्यक हैं, जो फसल बीमा दावों और भू-राजस्व समायोजन का आधार बनते हैं।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. ग्रामीण विकास के संदर्भ में, उप-खंड अधिकारी (SDO) की क्या भूमिका है?
(1) उप-खंड अधिकारी जिला स्तरीय जिला परिषद के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
(2) उप-खंड अधिकारी सभी ब्लॉक-स्तरीय योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।
(3) किसी भी विकासात्मक मामले में उप-खंड अधिकारी की कोई भागीदारी नहीं होती है।
(4) उप-खंड विकास का समन्वय करता है और परियोजनाओं में बाधा डालने वाले भूमि विवादों को सुलझाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. जिला योजना समिति (DPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर डीपीसी का गठन किया जाता है।
II. इसके अधिकांश सदस्य जिला परिषद और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं।
III. डीपीसी पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है।
IV. 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा डीपीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उप-खंड मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर एक प्रतिबंध है?
(1) लोक न्यूसेंस (public nuisance) को रोकने के लिए आदेश जारी करना।
(2) अप्राकृतिक मृत्यु की जांच (inquest) करना।
(3) आजीवन कारावास की सजा देना।
(4) गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने का आदेश देना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. राजस्व अधिकारी और क्षेत्र में उनके विशिष्ट तत्काल वरिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले सही युग्म की पहचान करें।
(1) पटवारी - जिला कलेक्टर
(2) उप-खंड अधिकारी - संभागीय आयुक्त
(3) संभागीय आयुक्त - खंड विकास अधिकारी
(4) राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) - तहसीलदार / नायब तहसीलदार
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (आपदा प्रबंधन स्तर)
A. राष्ट्रीय स्तर
B. राज्य स्तर
C. जिला स्तर
D. स्थानीय परिचालन स्तर
सूची II: (प्रमुख पदाधिकारी/प्राधिकरण)
i. तहसीलदार / उप-खंड अधिकारी
ii. जिला कलेक्टर
iii. मुख्यमंत्री
iv. प्रधानमंत्री
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. तहसीलदार द्वारा की जाने वाली राजस्व वसूली के सामान्य चरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें:
I. अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय
II. मांग पत्र (नोटिस) जारी करना
III. चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय
IV. व्यतिक्रमी (डिफॉल्टर) की गिरफ्तारी और निरुद्धि
(1) II, III, I, IV
(2) II, IV, III, I
(3) I, II, III, IV
(4) II, III, IV, I
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. पटवारी के प्राथमिक क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र को क्या परिभाषित करता है?
(1) एक तहसील
(2) एक पटवार मंडल (हल्का)
(3) एक उप-खंड
(4) एक राजस्व संभाग
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

IV. बड़े औद्योगिक ऋणों की स्वीकृति।
उपरोक्त में से कौन सा/से कार्य तहसीलदार के लिए गलत है/हैं?
(1) I और II
(2) केवल III
(3) केवल IV
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. संविधान के प्रावधानों के तहत, जिला योजना समिति (DPC) का प्राथमिक अधिदेश क्या है?
(1) राज्य में विशेष रूप से प्रमुख नगरीय केंद्रों के विकास के लिए योजना बनाना।
(2) जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना।
(3) वित्त विभाग के लिए राज्य के बजट का निर्धारण करना।
(4) जिला स्तर पर राष्ट्रीय रक्षा संसाधनों का आवंटन करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. राजस्थान में जिला योजना समिति (DPC) के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(1) राजस्थान में जिला कलेक्टर डीपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है।
(2) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZD द्वारा अनिवार्य है।
(3) राजस्थान में जिला प्रमुख डीपीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
(4) यह ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें:
सूची I: (समिति/प्राधिकरण)
A. जिला योजना समिति
B. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
C. जिला परिषद
D. राजस्व मंडल
सूची II: (प्रमुख सहयोगी)
i. जिला प्रमुख
ii. जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में
iii. स्थानीय योजनाओं का संवैधानिक समेकन
iv. राजस्थान में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. वर्तमान में जिला कलेक्टर की भूमिका के साथ सबसे अधिक कौन सी प्रशासनिक चुनौती जुड़ी हुई है?
(1) क्षेत्रीय कार्यों के लिए वैधानिक कार्यकारी शक्तियों का पूर्ण अभाव।
(2) केवल राजस्व संग्रहण कर्तव्यों तक कठोर प्रतिबंध।
(3) राज्य सरकार की नीतियों से पूर्ण स्वतंत्रता।
(4) अत्यधिक विविध कार्यों का भार जिसके कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. अधिकारियों के बीच संबंध को दर्शाने वाले सही युग्म की पहचान करें।
(1) उप-खंड अधिकारी - प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है
(2) तहसीलदार - प्रत्यक्ष रूप से पुलिस अधीक्षक का पर्यवेक्षण करता है
(3) नायब तहसीलदार - राजस्व और कार्यकारी कार्यों में तहसीलदार की सहायता करता है
(4) पटवारी - संभागीय आयुक्त की नियुक्ति करता है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. जिला प्रशासन द्वारा सामना की जाने वाली निम्नलिखित चुनौतियों पर विचार करें:
I. नियमित प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप।
II. पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच समन्वय के मुद्दे।
III. कलेक्टर और विभाग प्रमुखों के प्रति तकनीकी कर्मचारियों की दोहरी अधीनता।
IV. निरंतरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण।
कथनों का उपरोक्त में से कौन सा संयोजन जिला प्रशासन में सामान्य चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) I, II, III और IV
(2) I, II और III
(3) II, III और IV
(4) I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. सामान्यतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर कृषि जोतों का विभाजन कौन करता है?
(1) पटवारी
(2) पुलिस अधीक्षक
(3) जिला न्यायाधीश
(4) तहसीलदार / उप-खंड अधिकारी (SDO)
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

40. सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा का जिला कलेक्टर के राजस्व कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(1) कलेक्टर राजस्व स्थगन या छूट की अनुशंसा करने के लिए गिरदावरी प्रारंभ करता है।
(2) कलेक्टर स्थायी रूप से राजस्व संग्रहण स्वतः बंद कर देता है।
(3) कलेक्टर सभी आवश्यक राजस्व कर्तव्यों को संभागीय आयुक्त के कार्यालय में स्थानांतरित कर देता है।

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) वारेन हेस्टिंग्स
भारत में जिला कलेक्टर के पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। इस पद की स्थापना मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। उस समय कलेक्टर का प्राथमिक उत्तरदायित्व भू-राजस्व की वसूली करना और जिले में शांति बनाए रखना था। यह पद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रशासनिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बन गया।

2. (1) इस पद को मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिकतम भू-राजस्व संग्रहण हेतु बनाया गया था।
ब्रिटिश शासन के दौरान जिला कलेक्टर की भूमिका मुख्य रूप से वित्तीय और राजस्व प्रबंधन पर केंद्रित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य भारत से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था, जिसके लिए एक शक्तिशाली स्थानीय अधिकारी की आवश्यकता थी। यद्यपि समय के साथ इसमें न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां भी जुड़ती गईं, लेकिन इसकी उत्पत्ति राजस्व संग्रहण को प्रभावी बनाने और औपनिवेशिक शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए हुई थी।

3. (3) कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है।
राजस्थान में जिला प्रशासन का वर्तमान ढांचा ब्रिटिश औपनिवेशिक मॉडल की निरंतरता है। कथन 1 सत्य है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक स्थिरता हेतु इसी ढांचे को अपनाया गया। कथन 2 असत्य है क्योंकि राजपूताना की रियासतों ने ब्रिटिश प्रशासनिक पदानुक्रम को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि प्रशासनिक दक्षता हेतु कई सुधारों को अपने स्तर पर लागू किया था। यह प्रभाव आज भी राज्य की संरचना में स्पष्ट है।

4. (4) राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वयकारी प्राधिकरण।
संभागीय आयुक्त का पद राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। यह अधिकारी संभाग के विभिन्न जिलों के कार्यों की निगरानी करता है और राज्य मुख्यालय के निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करवाता है। इसका मुख्य कार्य जिला कलेक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करना और विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। यह पद प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

5. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
राजस्थान के प्रशासनिक पदानुक्रम में प्रत्येक इकाई का अपना एक विशिष्ट प्रमुख होता है। संभाग का नेतृत्व संभागीय आयुक्त करता है, जो कई जिलों का पर्यवेक्षण करता है। जिले का मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, जिसके पास राजस्व और सामान्य प्रशासन की शक्तियां होती हैं। उप-खंड स्तर पर उप-खंड अधिकारी उत्तरदायी होता है, जबकि तहसील स्तर पर तहसीलदार मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में भूमि अभिलेखों का प्रबंधन करता है।

NODIA

6. (3) 10
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में राज्य के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन करते हुए नए संभागों का गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान में कुल राजस्व संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। प्रशासन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सीकर, पाली और बांसवाड़ा को नए संभाग बनाया गया। यह कदम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर पर्यवेक्षण, त्वरित विकास और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है।

7. (4) अजमेर
राजस्थान में वर्ष 2023 के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान सीकर, पाली और बांसवाड़ा को नए संभागों के रूप में स्थापित किया गया था। अजमेर संभाग बहुत पहले से ही राज्य के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा रहा है और इसे 2023 के बदलावों के दौरान नहीं बनाया गया था। नए संभागों के सृजन का लक्ष्य दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच को बेहतर बनाना था। अजमेर लंबे समय से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई रहा है।

8. (1) 1 और 2
संभागीय आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में इस पद का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था, जिसे 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः स्थापित किया। हालांकि, संभागीय आयुक्त राज्य पुलिस मुख्यालय पर प्रत्यक्ष कमान नहीं रखता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं।

9. (3) राज्य के भीतर किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को स्थानांतरित करने की शक्ति होना।
संभागीय आयुक्त के पास अपने संभाग के भीतर जिला कलेक्टरों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होता है। वह विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और राजस्व कार्यों का निरीक्षण करता है। हालांकि, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास होती है। संभागीय आयुक्त केवल प्रशासनिक सुधारों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार कार्मिक विभाग के पास होता है।

10. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संभागीय आयुक्त अपने संभाग में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह समय-समय पर जिला कलेक्टरों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। ये बैठकें जिले की समस्याओं को समझने और सामूहिक समाधान निकालने का एक प्रभावी मंच प्रदान करती हैं। नियमित संवाद और समन्वय ही क्षेत्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य आधार होता है।

11. (4) जिला कलेक्टर के विशिष्ट आदेशों के विरुद्ध प्राथमिक अपीलीय प्राधिकारी।
संभागीय आयुक्त राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाता है। यदि किसी पक्ष को जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व मामलों में दिए गए निर्णयों से असंतोष होता है, तो वे संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न्यायिक बोझ को कम करने और स्थानीय स्तर पर न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होती है। वह राजस्व कानूनों के तहत कलेक्टर के विशिष्ट आदेशों की समीक्षा करके उचित निर्णय प्रदान करता है।

12. (2) केवल 3
भारत में जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जहां सरकारी नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन होता है। यह राजस्व, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन का मुख्य केंद्र है। हालांकि, एक जिले की भौगोलिक सीमा हमेशा एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ मेल नहीं खाती है। अक्सर एक जिले में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि केवल जिले की सीमाओं के अनुसार।

13. (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
राजस्थान में राजस्व प्रशासन और भूमि प्रबंधन का मुख्य आधार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 है। यह अधिनियम जिला कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और प्रक्रियाओं को वैधानिक रूप से परिभाषित करता है। इसी कानून के तहत भूमि अभिलेखों का रखरखाव, राजस्व की वसूली और सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है। राज्य में भू-अधिकारों के संरक्षण और सरकारी बकाया की वसूली के लिए यह एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है।

14. (4) कलेक्टर राजस्व और प्रशासन का प्रबंधन करता है, जबकि मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है।
यद्यपि एक ही अधिकारी इन दोनों भूमिकाओं को निभाता है, परंतु उनके कार्यों की प्रकृति भिन्न होती है। कलेक्टर के रूप में वह भू-राजस्व, कर वसूली और जिला प्रशासन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होता है। यह विभाजन औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावी बना रहता है।

15. (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
जिला प्रशासन में एक ही अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उसका प्राथमिक कार्य सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। जिला विकास अधिकारी के रूप में वह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वह जिले में चुनावों के निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अंततः, जिला कलेक्टर के रूप में वह भू-राजस्व संग्रहण और सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करता है।

16. (2) सरकारी भूमि और संपदा का प्रबंधन - राजस्व प्रशासन
जिला कलेक्टर के राजस्व कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी भूमि का संरक्षण और राजस्व अभिलेखों का प्रबंधन करना है। वह जिले में भू-राजस्व की वसूली और कृषि संबंधी आंकड़ों के संग्रहण की देखरेख करता है। शस्त्र लाइसेंस जारी करना और पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण उसके मजिस्ट्रेट कार्यों के अंतर्गत आता है, जबकि मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन संबंधी कार्य है। राजस्व प्रशासन का मुख्य ध्येय राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करना और भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करना है।

17. (2) भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के मामलों का प्रत्यक्ष विचारण
जिला कलेक्टर राजस्व प्रशासन के तहत भू-राजस्व की वसूली, भूमि अधिग्रहण और कृषि ऋणों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करता है। हालांकि, भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर आपराधिक मामलों, जैसे हत्या का विचारण, जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कलेक्टर के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां तो होती हैं, परंतु वह आपराधिक न्यायालय की तरह गंभीर अपराधों का विचारण नहीं करता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बाद यह कार्य न्यायाधीशों का है।

18. (1) 1, 2, 3 और 4
जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के कार्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, निर्वाचन संपन्न कराना और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करना और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करना उनके प्रमुख दायित्व हैं। वे नागरिक सेवाओं जैसे मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करते हैं। हालांकि, नागरिक संपत्ति के स्वामित्व विवादों में अंतिम निर्णय देने की शक्ति सामान्यतः सिविल न्यायालयों के पास होती है, न कि कलेक्टर के पास।

19. (3) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। इस भूमिका

Click Here to Buy book on Amazon

में वह जिले में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करता है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि संकट के समय जान-माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।

20. (4) चूंकि जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए पुलिस अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट को सूचित रखना चाहिए।
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट का पद सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र होता है। पुलिस अधीक्षक जिले में पुलिस बल का प्रमुख होता है और आंतरिक अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु उसे महत्वपूर्ण निर्णयों में जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करना होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अतः प्रभावी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है।

21. (3) उप-खंड अधिकारी (SDO)
उप-खंड स्तर पर राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक प्रतिनिधि उप-खंड अधिकारी होता है। वह तहसील और जिला मुख्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उप-खंड अधिकारी के पास राजस्व प्रशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। वह अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और तहसीलदारों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से यह पद स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु उत्तरदायी होता है।

22. (1) संभागीय आयुक्त प्रणाली की समाप्ति → संभागीय आयुक्त प्रणाली की पुनर्स्थापना → 10 संभागों का निर्माण
राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में संभागीय आयुक्त प्रणाली का विकासक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सर्वप्रथम 1962 में प्रशासनिक मितव्ययिता के नाम पर इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद, प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए 1987 में इसे पुनः स्थापित किया गया। हाल ही में, वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने संभागों की संख्या में वृद्धि करते हुए कुल 10 संभागों का गठन किया। यह क्रम दर्शाता है कि राज्य ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु निरंतर संरचनात्मक सुधार किए हैं।

23. (4) तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
राजस्व प्रशासन में उप-खंड अधिकारी एक महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक भूमिका निभाता है। उसका प्राथमिक कार्य तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा दिए गए राजस्व संबंधी निर्णयों की समीक्षा करना और अपीलों को सुनना है। वह यह सुनिश्चित करता है कि भूमि अभिलेखों और राजस्व वसूली में नियमों का सही पालन हो। इसके अतिरिक्त, वह उप-खंड स्तर पर राजस्व अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। यह अपीलीय शक्ति स्थानीय नागरिकों को सुलभ न्याय प्रदान करती है।

24. (1) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की विभिन्न धाराओं के तहत निवारक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।
उप-खंड मजिस्ट्रेट के रूप में उप-खंड अधिकारी के पास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक निवारक शक्तियां होती हैं। वह दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सकता है। इसमें सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति में निषेधाज्ञा जारी करना और सुरक्षा बांड भरवाना शामिल है। हालांकि, उसके पास कानून बनाने या मृत्युदंड जैसे गंभीर न्यायिक निर्णय देने की शक्ति नहीं होती। उसका मुख्य ध्येय स्थानीय स्तर पर शांति सुनिश्चित करना है।

NODIA

25. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
राजस्व शब्दावली में प्रत्येक दस्तावेज का विशेष महत्व है। नामान्तरण का अर्थ राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व के अधिकार का परिवर्तन है। विभाजन एक संयुक्त जोत को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया है। खसरा एक प्राथमिक फील्ड बुक है जिसमें फसल और मृदा का विवरण दर्ज होता है। खतौनी अधिकारों का वह अभिलेख है जिसमें स्वामित्व का पूर्ण विवरण होता है। ये सभी दस्तावेज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि प्रबंधन के आधार स्तंभ हैं, जिनका रखरखाव पटवारी द्वारा किया जाता है।

26. (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में जिला कलेक्टर सर्वोच्च पद पर होता है, जिसके अधीन तहसीलदार और सबसे निचले स्तर पर पटवारी कार्य करते हैं। ये सभी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से भू-राजस्व संग्रहण, भूमि अभिलेखों के रखरखाव और राजस्व न्याय निर्णयन से जुड़े होते हैं। इसके विपरीत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख होता है और उसका राजस्व प्रशासन से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। वह जिले में चिकित्सा सेवाओं और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होता है।

27. (4) सरकारी राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामित्व के शीर्षक को बदलने की विधिक प्रक्रिया।
नामान्तरण या म्यूटेशन वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारी राजस्व अभिलेखों में किसी भूमि के स्वामित्व का नाम बदला जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब भूमि का क्रय-विक्रय, उत्तराधिकार या दान के माध्यम से हस्तांतरण होता है। इसके बिना, नया स्वामी आधिकारिक तौर पर राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं होता है। यह भू-राजस्व की देनदारी तय करने और भविष्य के विवादों से बचने के लिए आवश्यक है। तहसीलदार और पटवारी इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं ताकि रिकॉर्ड अद्यतन रहें।

28. (1) 1 और 2
तहसीलदार तहसील स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है और भू-राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी

46. (4) अदत्त करों और देय राशि को राजस्व बकाया के रूप में प्राप्त करने का विधिक तंत्र।
राजस्व वसूली का तात्पर्य उस विधिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सरकार उन करों या ऋणों को प्राप्त करती है जिनका भुगतान समय पर नहीं किया गया है। तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करे और आवश्यकता पड़ने पर कुर्की जैसी कठोर कार्यवाही करे। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि राज्य के वित्तीय संसाधन सुरक्षित रहें और सरकारी बकाया की वसूली प्रभावी ढंग से हो। इसमें केवल भू-राजस्व ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कर भी शामिल होते हैं।

47. (1) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना
जिला कलेक्टर के पास जिले के व्यापक प्रशासनिक और कार्यकारी दायित्व होते हैं, जिनमें जनगणना संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति भारत के संविधान के तहत केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कलेक्टर एक कार्यकारी अधिकारी है, न कि उच्च न्यायिक संवैधानिक अधिकारी। वह कानूनों को लागू तो करता है, परंतु संवैधानिक रिट जारी करने का न्यायिक अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं होता है।

48. (1) 1 और 2
जिले में शांति और कानून-व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक जिले में पुलिस बल का प्रमुख होता है और वह अपने विभाग के आंतरिक प्रशासन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र और उत्तरदायी होता है। हालांकि, कानून-व्यवस्था के व्यापक मामलों में उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करना पड़ता है। राजस्थान में पुलिस अधीक्षक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया समय के साथ बदलती रही है, अतः कथन 1 और 2 ही प्रशासनिक संबंधों को सही दर्शाते हैं।

49. (2) इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
राजस्थान में राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च राजस्व अपीलीय न्यायालय है। यह सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए नियम बनाता है। हालांकि, राजस्व मंडल का मुख्यालय जयपुर में नहीं, बल्कि अजमेर में स्थित है। अजमेर में इसके मुख्यालय की स्थापना ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारणों से की गई थी। यह मंडल भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व कानूनों की व्याख्या और विवादों के अंतिम निपटारे के लिए उत्तरदायी है, जो राज्य के राजस्व प्रशासन का प्रतीक है।

50. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
चुनाव के दौरान जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई स्वतंत्र विशाल अमला नहीं है, इसलिए वह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे और कलेक्टर के नेतृत्व पर निर्भर करता है। कलेक्टर ही जिले में मतदान केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों की नियुक्ति का प्रबंधन करता है। इस प्रकार, कारण स्पष्ट रूप से समझाता है कि क्यों कलेक्टर को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

51. (3) जिला मजिस्ट्रेट / उप-खंड मजिस्ट्रेट
सांप्रदायिक दंगे या किसी भी गंभीर अशांति की स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाने की शक्ति केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास होती है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट और उप-खंड स्तर पर उप-खंड मजिस्ट्रेट कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी करने हेतु विधिक रूप से सशक्त हैं। पुलिस अधीक्षक कानून लागू करने में सहायता करता है, लेकिन कर्फ्यू का औपचारिक विधिक आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा ही दिया जाता है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है।

52. (1) केवल 2
नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण राजपत्रित पद है। वह तहसीलदार के सहायक के रूप में कार्य करता है और अपने वृत्त में पटवारियों का सीधा पर्यवेक्षण करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य सरकार नायब तहसीलदार को किसी उप-तहसील का स्वतंत्र प्रभार सौंप सकती है। सामान्यतः उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां तभी प्राप्त होती हैं जब उसे विशिष्ट रूप से इसके लिए अधिकृत किया जाए। वह राजस्व वसूली और भूमि विवादों के प्राथमिक समाधान में एक प्रभावी भूमिका निभाता है।

53. (3) राजस्व निरीक्षक (गिरदावर/कानूनगो)
राजस्व निरीक्षक, जिसे गिरदावर या कानूनगो भी कहा जाता है, ग्राम प्रशासन और तहसील प्रशासन के मध्य एक अनिवार्य कड़ी है। वह कई पटवार मंडलों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और उनके द्वारा तैयार किए गए भूमि अभिलेखों की सत्यता की जांच करता है। पटवारी द्वारा दी गई सूचनाओं को संकलित कर तहसीलदार तक पहुंचाना और ऊपर से प्राप्त निर्देशों को पटवारियों को समझाना उसका मुख्य कार्य है। वह भूमि मापन और फसल निरीक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाता है, जिससे रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित होती है।

54. (2) राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख रखरखाव के लिए एक जिला उप-विभाजन।
तहसील राजस्थान में जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण मूलभूत इकाई है। यह मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन, भू-राजस्व की वसूली और भूमि अभिलेखों के व्यापक रखरखाव के लिए बनाई गई है। तहसील का नेतृत्व तहसीलदार करता है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय जनता की भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाता है। यह न केवल कर संग्रहण का केंद्र है, बल्कि प्रमाण पत्र जारी करने और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी मुख्य प्रशासनिक स्थल है। यहां राज्य की अधिकांश सेवाएं प्रत्यक्ष उपलब्ध होती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

तहसील का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि उप-खंड अधिकारी जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करता है, तहसीलदार पुलिस का पर्यवेक्षण नहीं करता, और पटवारी की नियुक्ति राज्य सरकार के नियमों के अधीन होती है। नायब तहसीलदार का पद तहसील स्तर पर राजस्व विवादों के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

38. (1) 1, 2, 3 और 4
जिला प्रशासन को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच समन्वय की कमी कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। दोहरी अधीनता की समस्या तब उत्पन्न होती है जब तकनीकी कर्मचारी अपने विभाग और कलेक्टर दोनों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के बार-बार होने वाले स्थानांतरण प्रशासनिक निरंतरता और दीर्घकालिक नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

39. (3) तहसीलदार / उप-खंड अधिकारी (SDO)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कृषि जोतों के विभाजन की प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। प्राथमिक स्तर पर यह कार्य तहसीलदार या उप-खंड अधिकारी के न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। जब कई सह-खातेदार अपनी संयुक्त भूमि को अलग-अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तो वे राजस्व न्यायालय में आवेदन करते हैं। इसके बाद पटवारी से रिपोर्ट मांगी जाती है और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का स्पष्ट हिस्सा मिले।

40. (1) कलेक्टर राजस्व स्थगन या छूट की अनुशंसा करने के लिए गिरदावरी प्रारंभ करता है।
प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के समय जिला कलेक्टर का राजस्व दायित्व बढ़ जाता है। वह प्रभावित क्षेत्रों में फसल के नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश देता है। पटवारी और तहसीलदार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर राज्य सरकार को भू-राजस्व के स्थगन या पूर्ण छूट की अनुशंसा भेजता है। इससे संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय राहत मिलती है। यह प्रक्रिया आपदा प्रबंधन और राजस्व प्रशासन के बीच के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य किसानों को राहत पहुंचाना है।

41. (3) संवैधानिक जिला योजना समितियों का निर्माण।
वर्तमान जिला प्रशासन की कई विशेषताएं जैसे कलेक्टर की केंद्रीय भूमिका, संभागों का विभाजन और राजस्व के साथ मजिस्ट्रेट शक्तियों का एकीकरण ब्रिटिश शासन की विरासत हैं। अंग्रेजों ने एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित की थी। इसके विपरीत, जिला योजना समितियों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से किया गया था। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक आधुनिक उपकरण है जिसका उद्देश्य स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश काल में ऐसी किसी सहभागी संस्था का अस्तित्व नहीं था।

42. (1) 1, 2, 3, 4
राजस्थान में राजस्व पदानुक्रम एक व्यवस्थित अपीलीय संरचना का अनुसरण करता है। सबसे निचले स्तर पर उप-खंड अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर के पास की जाती है। कलेक्टर के कुछ निर्णयों के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के पास जाने का प्रावधान है। पूरे राज्य में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय निकाय राजस्व मंडल है, जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। यह पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि राजस्व विवादों का निपटारा चरणबद्ध तरीके से हो और नागरिकों को न्याय के विकल्प मिलें।

43. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
संभागीय आयुक्त प्रणाली प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए अत्यंत उपयोगी है। कथन 1 सत्य है क्योंकि यह राज्य स्तर की शक्तियों को क्षेत्रीय स्तर पर विकेंद्रीकृत करती है, जिससे सचिवालय पर कार्यों का बोझ कम होता है। कथन 2 भी सत्य है क्योंकि यह नागरिकों को जिला कलेक्टर के निर्णयों के विरुद्ध एक मध्यम स्तर का शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। संभाग मुख्यालय पर अपील की सुविधा होने से लोगों को सीधे राज्य की राजधानी तक नहीं जाना पड़ता। यह प्रणाली क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती है।

44. (2) लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप-खंड अधिकारी उप-खंड मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है।
उप-खंड अधिकारी के पास दोहरी भूमिका होती है। राजस्व प्रशासन के अलावा, वह उप-खंड मजिस्ट्रेट के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उसके पास दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की शक्तियां होती हैं। हालांकि, वह कानून बनाने की शक्ति नहीं रखता और न ही वह जिला परिषद का प्रमुख होता है। निर्वाचन प्रक्रिया में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः विकल्प 2 उसकी वास्तविक विधिक शक्ति का सही प्रतिनिधित्व करता है।

45. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए उप-खंड अधिकारी को सामान्यतः रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मतदाता सूचियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार या उप-खंड अधिकारी को निर्वाचक पंजीयन अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है। यह पदानुक्रम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है।

NODIA

82. (1) 1, 3, 2, 4
राजस्थान के प्रशासनिक विकास का कालक्रम राज्य के गठन के बाद की बदलती जरूरतों को दर्शाता है। सर्वप्रथम 1956 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम लागू हुआ जिसने राजस्व ढांचे को वैधानिक रूप दिया। इसके बाद 1962 में संभागीय आयुक्त प्रणाली को समाप्त किया गया। फिर 1987 में इस प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुए इसे पुनः बहाल किया गया। अंततः 1994 में राजस्थान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। यह क्रम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ने की दिशा को स्पष्ट करता है।

83. (3) क्षति मूल्यांकन और प्रारंभिक राहत वितरण के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी।
प्राकृतिक आपदा के समय तहसीलदार तहसील स्तर पर शासन का सबसे सक्रिय चेहरा होता है। उसका प्राथमिक दायित्व प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल भ्रमण करना और जान-माल के नुकसान का प्रारंभिक आकलन करना है। वह जिला मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे सहायता राशि का निर्धारण होता है। तहसीलदार भोजन, पेयजल और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के वितरण का भी समन्वय करता है। उसकी सक्रियता ही आपदा प्रबंधन की सफलता का आधार बनती है, क्योंकि वह स्थानीय संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित होता है।

84. (4) विवाह विच्छेद (तलाक) की डिक्री पारित करना
जिला मजिस्ट्रेट कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंधात्मक और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वह अशांति के समय धारा 144 लागू कर सकता है, असामाजिक तत्वों से सुरक्षा बांड भरवा सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु अवकाश घोषित कर सकता है। हालांकि, विवाह विच्छेद या तलाक की डिक्री पारित करना पूरी तरह से एक निजी कानून संबंधी न्यायिक कार्य है। यह शक्ति केवल सक्षम फैमिली कोर्ट या सिविल न्यायाधीशों के पास होती है। जिला मजिस्ट्रेट के पास पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय देने का अधिकार नहीं होता है।

85. (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
प्रशासन में समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट पदानुक्रम निर्धारित है। ग्राम स्तर पर भूमि नामान्तरण के विवाद तहसीलदार या उप-खंड अधिकारी द्वारा सुलझाए जाते हैं। जिले के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का दायित्व जिला कलेक्टर का है। कलेक्टर के राजस्व आदेशों के विरुद्ध अपील संभागीय आयुक्त या राजस्व अपील प्राधिकारी सुनता है। जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था की समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यह सुव्यवस्थित ढांचा सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समस्या का समाधान उसके उचित स्तर पर हो सके।

86. (2) जिला कलेक्टर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त होकर कार्य करता है।
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। जिला कलेक्टर के सभी प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निर्णय उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। यदि किसी नागरिक को लगता है कि कलेक्टर का आदेश मनमाना है, तो वह रिट याचिका के माध्यम से उसे चुनौती दे सकता है। कलेक्टर राज्य विधानमंडल और राजस्व पदानुक्रम के प्रति भी जवाबदेह होता है। शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए यह न्यायिक नियंत्रण अनिवार्य है, जो विधि के शासन की सर्वोच्चता और जवाबदेही बनाए रखता है।

87. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत बहुआयामी होती है। कथन 1 सत्य है क्योंकि विशिष्ट व्यक्तियों की जिले की यात्रा के दौरान कलेक्टर प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। कथन 2 भी सत्य है क्योंकि वह शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण और नए लाइसेंस जारी करने के साथ-साथ चरित्र सत्यापन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। ये कार्य जिले की प्रतिष्ठा और सुरक्षा दोनों से जुड़े हैं। कलेक्टर इन कार्यों के माध्यम से जिले में नियम-आधारित शासन को बनाए रखता है।

88. (1) 1 और 2
जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय है। वह मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करता है। साथ ही, वह जिले में आदर्श आचार संहिता के कठोर अनुपालन की निगरानी करता है। हालांकि, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से एकपक्षीय रूप से अयोग्य घोषित करने की शक्ति कलेक्टर के पास नहीं है। अयोग्यता के निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग या न्यायालय द्वारा ही लिए जा सकते हैं। अतः कथन 1 और 2 कलेक्टर की चुनावी शक्तियों को दर्शाते हैं।

89. (3) पटवारी
पटवारी राजस्व पदानुक्रम का अंतिम छोर है और ग्रामीण जनता के लिए सरकार का सबसे निकटतम चेहरा है। वह ग्राम स्तर पर तैनात रहता है और सीधे काश्तकारों से संपर्क में रहता है। भूमि की पैमाइश, फसल का रिकॉर्ड दर्ज करना और खसरा-खतौनी की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना उसके नियमित कार्य हैं। किसानों को अपनी भूमि संबंधी किसी भी जानकारी या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पटवारी से ही मिलना पड़ता है। उसकी रिपोर्ट ही राजस्व प्रशासन के उच्च स्तरों के लिए आधार का कार्य करती है।

90. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
तहसीलदार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का निरीक्षण करना एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी और राजस्व कार्य है। अभिकथन सत्य है क्योंकि यह कार्य वैज्ञानिक पद्धति से पैदावार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कारण भी सही है क्योंकि इन्हीं प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार यह निर्धारित करती है कि किसी क्षेत्र में फसल की पैदावार औसत से कम रही है या नहीं। यह जानकारी किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लगान माफ

Click Here to Buy book on Amazon

55. (1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
राजस्थान में प्रशासनिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट है। जिला कलेक्टर के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। उप-खंड अधिकारी का पद सामान्यतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा या कनिष्ठ आईएएस अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। तहसीलदार के पद पर या तो सीधी भर्ती होती है या नायब तहसीलदारों को पदोन्नत किया जाता है। पटवारी, जो सबसे निचला पद है, उसकी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा सीधी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। यह संरचना प्रशासन में अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाती है।

56. (3) कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है।
जिला योजना समिति का गठन निचले स्तर से नियोजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कथन 1 सत्य है क्योंकि यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर 'नीचे से ऊपर' के दृष्टिकोण को साकार करती है। हालांकि, कथन 2 असत्य है क्योंकि जिला कलेक्टर के पास इस समिति के प्रस्तावों पर कोई पूर्ण वीटो शक्ति नहीं होती है। वह एक सूत्रधार और सचिव के रूप में कार्य करता है। समिति के निर्णय सामूहिक होते हैं और इन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है।

57. (3) भूमि स्वामित्व के संबंध में सिविल मुकदमों की अध्यक्षता करना।
पटवारी के कार्यों में खसरा, खतौनी और जमाबंदी जैसे महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेजों का रखरखाव, फसल गिरदावरी करना और गांव में आपदाओं की सूचना उच्चाधिकारियों को देना शामिल है। वह कृषि आंकड़ों के संग्रह में भी सहायता करता है। हालांकि, भूमि स्वामित्व से संबंधित सिविल मुकदमों की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सिविल मामलों का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालयों या उच्च राजस्व न्यायालयों द्वारा किया जाता है। पटवारी केवल इन न्यायालयों को आवश्यक रिकॉर्ड और साक्ष्य उपलब्ध कराने में सहायक होता है।

58. (2) 1, 2, 4 और 5
जिला कलेक्टर के प्रशासन के मुख्य क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, भू-राजस्व का प्रबंधन करना, विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और आपदाओं के समय राहत कार्यों का नेतृत्व करना शामिल है। वह जिले की समग्र प्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि, बड़े शहरों में नागरिक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति और स्वच्छता का प्रावधान सामान्यतः नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों जैसी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कलेक्टर इनमें समन्वय तो कर सकता है, लेकिन यह उसका प्राथमिक कार्यकारी क्षेत्र नहीं है।

59. (4) जिला मजिस्ट्रेट
जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाग लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होने के नाते अपराधों की दर, जांच की प्रगति और शांति व्यवस्था की चुनौतियों का मूल्यांकन करता है। यह पुलिस और कार्यपालिका के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण मंच है। यद्यपि पुलिस विभाग का आंतरिक नियंत्रण पुलिस अधीक्षक के पास है, लेकिन समग्र सुरक्षा का उत्तरदायित्व मजिस्ट्रेट का है।

60. (2) गिरदावरी - फसल की स्थिति और कटाई का आकलन
राजस्व प्रशासन में "गिरदावरी" का अर्थ खेत-खेत जाकर फसल के प्रकार, उसकी स्थिति और संभावित पैदावार का आकलन करना है। यह वर्ष में दो बार की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भू-राजस्व के निर्धारण और फसल बीमा के लिए आधार प्रदान करती है। नामान्तरण स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित है, जबकि खतौनी अधिकारों का रजिस्टर है। लगान कृषि भूमि के लिए सरकार को दिया जाने वाला कर है। इनमें से केवल गिरदावरी का युग्म ही अपने अर्थ के साथ पूर्णतः सही और सटीक रूप से सुमेलित है।

61. (3) तहसीलों का एक समूह या एक बड़ी तहसील
उप-खंड अधिकारी का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट उप-खंड होता है, जो सामान्यतः एक बड़ी तहसील या दो-तीन छोटी तहसीलों के समूह से मिलकर बना होता है। यह जिला और तहसील के बीच की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। उप-खंड अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्व और मजिस्ट्रेट दोनों प्रकार के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाना और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुलभ बनाना है। यह संरचना जिला कलेक्टर पर कार्यों का बोझ कम करती है।

62. (1) संभाग → जिला → उप-खंड → तहसील → पटवार मंडल
राजस्थान में राजस्व प्रशासन एक व्यवस्थित पदानुक्रम पर आधारित है। शीर्ष पर राजस्व संभाग होता है जिसका नेतृत्व संभागीय आयुक्त करता है। इसके नीचे जिला आता है जहां जिला कलेक्टर प्रमुख होता है। जिले को उप-खंडों में विभाजित किया जाता है, जिनका प्रभारी उप-खंड अधिकारी होता है। उप-खंड के भीतर तहसीलें होती हैं जिनका नेतृत्व तहसीलदार करता है। अंत में, सबसे निचले स्तर पर पटवार मंडल होता है जहां पटवारी प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ कार्य करता है। यह क्रम राजस्व प्रबंधन की मुख्य रीढ़ है।

63. (1) शांतिकाल के दौरान सेना की इकाइयों की तैनाती पर कलेक्टर का प्रत्यक्ष परिचालन कमान होता है।
जिला कलेक्टर जिले में विभिन्न नागरिक विभागों, जैसे कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य के कार्यों का समन्वय करता है। वह राज्य सरकार और जनता के बीच एक सेतु है और आपदाओं के समय राहत कार्यों का नेतृत्व करता है। हालांकि, भारतीय सेना की इकाइयों पर कलेक्टर का कोई प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण या कमान नहीं होती है। सेना पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय और अपने स्वयं के कमांड ढांचे के अधीन कार्य करती है। आपात स्थिति में कलेक्टर सेना से सहायता मांग सकता है, परंतु वह सेना के आंतरिक संचालन का निर्देश नहीं दे सकता।

Downloaded from www.pdf.tube

होता है। वह राजस्व पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो सीधे जनता से जुड़ा रहता है। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। हालांकि, तहसीलदार की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार या राजस्व मंडल के माध्यम से की जाती है। अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं, जबकि कथन 3 गलत है।

29. (3) राजस्व निरीक्षक / गिरदावर
राजस्व प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर पटवारी कार्य करता है, जो भूमि अभिलेखों का वास्तविक निर्माता होता है। पटवारी के कार्यों की निगरानी और सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षक या गिरदावर को नियुक्त किया जाता है। गिरदावर पटवारी का तत्काल वरिष्ठ अधिकारी होता है जो उसके द्वारा दर्ज किए गए फसल विवरण और भूमि मापन की जांच करता है। यह पर्यवेक्षण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई त्रुटि न हो। गिरदावर ही पटवारी और तहसीलदार के बीच एक प्रशासनिक सेतु के रूप में कार्य करता है।

30. (3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे विशिष्ट विधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कथन A सत्य है क्योंकि वह तहसीलदार के सहायक के रूप में राजस्व वसूली और अभिलेख प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, कारण R असत्य है क्योंकि नायब तहसीलदार केवल लिपिक नहीं है, बल्कि वह एक राजपत्रित अधिकारी है जिसके पास राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत स्वतंत्र राजस्व और न्यायिक शक्तियां होती हैं। वह उप-तहसील का प्रभारी भी हो सकता है।

31. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
पटवारी ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासन का आधार स्तंभ होता है। वह न केवल भूमि अभिलेखों और मानचित्रों का रखरखाव करता है, बल्कि प्रत्येक मौसम में फसलों की गिरदावरी भी करता है। कथन 1 सत्य है क्योंकि समस्त भूमि संबंधी जानकारी उसी के पास होती है। कथन 2 भी सत्य है क्योंकि वह कृषि उत्पादन के आंकड़े एकत्रित करता है और प्राकृतिक आपदाओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आपदा राहत और कृषि नीतियां निर्धारित करती है।

32. (3) केवल 4
तहसीलदार के मुख्य कार्यों में कृषि भूमि के नामान्तरण का पंजीकरण, जाति और मूल निवास जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना और भू-राजस्व के बकाया की वसूली शामिल है। ये कार्य ग्रामीण जनता की दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं से जुड़े हैं। हालांकि, बड़े औद्योगिक ऋणों की स्वीकृति तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। ऐसे ऋण सामान्यतः वित्तीय संस्थानों या उद्योग विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तहसीलदार की भूमिका केवल ऋणों की वसूली के लिए राजस्व कुर्की तक सीमित होती है।

33. (2) जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना।
भारत के संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन अनिवार्य है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों और शहरी क्षेत्रों की नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं को एकीकृत करना है। यह समिति पूरे जिले के लिए एक समेकित विकास योजना का मसौदा तैयार करती है। इससे संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित होता है और ग्रामीण तथा शहरी विकास के बीच बेहतर तालमेल बैठता है। यह स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सशक्त बनाता है।

34. (1) राजस्थान में जिला कलेक्टर जिला योजना समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
राजस्थान में जिला योजना समिति के ढांचे के अनुसार, जिला प्रमुख इस समिति का अध्यक्ष होता है, न कि जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। यह समिति संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243ZD के तहत गठित की जाती है और इसका मुख्य कार्य जिले की समग्र विकास योजनाओं का समन्वय करना है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जिले की योजना प्रक्रिया में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व बना रहे और स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिले।

35. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
जिला प्रशासन की विभिन्न संस्थाओं के अपने विशिष्ट कार्य और प्रमुख होते हैं। जिला योजना समिति स्थानीय योजनाओं के संवैधानिक समेकन के लिए उत्तरदायी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में करता है ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लिए जा सकें। जिला परिषद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई है जिसका प्रमुख जिला प्रमुख होता है। राजस्व मंडल राजस्थान में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है, जो भूमि संबंधी विवादों में अंतिम अपीलीय स्तर प्रदान करता है।

36. (4) अत्यधिक विविध कार्यों का भार जिसके कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है।
आधुनिक युग में जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि उनके पास राजस्व और कानून-व्यवस्था के अलावा सैकड़ों अन्य विभागों की जिम्मेदारी होती है। जनगणना, निर्वाचन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का भार उन पर होता है। कार्यों की इस अत्यधिक विविधता और अधिकता के कारण वे किसी एक विशिष्ट क्षेत्र पर पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह प्रशासनिक बोझ अक्सर उनकी दक्षता और निर्णय लेने की गति को प्रभावित करता है।

37. (3) नायब तहसीलदार - राजस्व और कार्यकारी कार्यों में तहसीलदार की सहायता करता है
नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार का मुख्य सहयोगी होता है। वह न केवल भू-राजस्व की वसूली और अभिलेखों के प्रबंधन में सहायता करता है, बल्कि उसे उप-

NODIA

73. (3) भूमि स्वामित्व, अधिकारों और देनदारियों के विवरण वाला एक रजिस्टर।
"अधिकार अभिलेख" या जमाबंदी राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें प्रत्येक खेत के वर्तमान स्वामी का नाम, उसके विधिक अधिकार, भूमि का क्षेत्रफल और उस पर बकाया लगान जैसी देनदारियों का पूर्ण विवरण होता है। यह दस्तावेज भूमि के मालिकाना हक का प्राथमिक प्रमाण माना जाता है। पटवारी प्रत्येक पांच वर्ष में इसका नवीनीकरण करता है ताकि भूमि स्वामित्व में हुए परिवर्तनों को अद्यतन रखा जा सके। किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु यह एक अपरिहार्य दस्तावेज है।

74. (1) राज्य में आपात स्थिति घोषित करने की शक्ति रखता है।
नायब तहसीलदार एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी है जो तहसीलदार की सहायता करता है, राजस्व निरीक्षकों का पर्यवेक्षण करता है और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता है। हालांकि, राज्य या किसी क्षेत्र में आपात स्थिति घोषित करने की शक्ति नायब तहसीलदार के पास नहीं होती है। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और स्थानीय आपातकालीन प्रावधानों का निर्णय उच्च स्तरीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। वह केवल उन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है।

75. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
राजस्व शब्दावली का सही ज्ञान प्रशासन को समझने के लिए आवश्यक है। खतौनी काश्तकारों का वह रजिस्टर है जो उनकी भूमि का विवरण देता है। खसरा गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत को दिया गया एक विशिष्ट क्रमांक है। गिरदावरी पटवारी द्वारा तैयार की गई फसल निरीक्षण रिपोर्ट है जो पैदावार का आकलन करती है। नामान्तरण स्वामित्व में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये सभी तत्व मिलकर एक सुदृढ़ भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो कृषि अर्थव्यवस्था और भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं।

76. (2) इससे बैंकों द्वारा कृषि ऋण और अनुदानों की अस्वीकृति हो सकती है।
भूमि अभिलेखों का सटीक होना किसान के वित्तीय हितों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में त्रुटि रखी जाती है या स्वामित्व का विवरण गलत दर्ज होता है, तो बैंक किसान को कृषि ऋण देने से इनकार कर सकते हैं। सरकारी सब्सिडी और अनुदान प्राप्त करने के लिए भी सही जमाबंदी और खसरा विवरण की आवश्यकता होती है। गलत रिकॉर्ड के कारण किसान फसल बीमा के दावों से भी वंचित रह सकते हैं। इस प्रकार, राजस्व दस्तावेजों में लापरवाही किसान को बड़ी आर्थिक हानि में फंसा सकती है।

77. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
जिला प्रशासन का एक मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुएं सुलभ रहें। कथन 1 सत्य है क्योंकि यह जिला प्रशासन की प्राथमिक नागरिक जिम्मेदारी है। कथन 2 भी सत्य है क्योंकि जिला कलेक्टर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रसद वितरण प्रणाली की निगरानी करता है। यह कार्य आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

78. (2) 3 और 5
संभागीय आयुक्त संभाग में आपदा राहत का निर्देशन करता है और राज्य सरकार तथा जिलों के बीच संचार का माध्यम है। वह राजस्व कर्मचारियों के सेवा मामलों को भी देखता है। हालांकि, नगर निकाय चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका सामान्यतः जिला कलेक्टर या उप-खंड अधिकारी की होती है। साथ ही, राज्य स्तरीय खनन पट्टे प्रदान करने का कार्य खान विभाग के उच्चाधिकारियों या राज्य सरकार के पास होता है, न कि संभागीय आयुक्त के पास। अतः कथन 3 और 5 संभागीय आयुक्त के वास्तविक कार्यों में शामिल नहीं हैं।

79. (1) जिला कलेक्टर
जिले के संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का नेतृत्व जिला कलेक्टर करता है। उप-खंड अधिकारी सीधे जिला कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। कलेक्टर ही उप-खंड अधिकारियों को उनके कार्य आवंटित करता है, उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर उन्हें निर्देशित करता है। यद्यपि उप-खंड अधिकारी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र मजिस्ट्रेट शक्तियां रखते हैं, परंतु व्यापक प्रशासनिक पदानुक्रम में वे कलेक्टर के प्रति जवाबदेह होते हैं। यह समन्वय जिले के भीतर शासन की प्रभावशीलता बनाए रखता है।

80. (2) शांति बनाए रखने और स्थानीय भूमि/जल विवादों को निपटाने में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
राजस्व अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का मुख्य कारण जमीनी स्तर पर त्वरित न्याय और शांति सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की सीमाओं या सिंचाई के पानी के वितरण को लेकर अक्सर गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो हिंसा का रूप ले सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, एक ही अधिकारी के पास राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने और शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति होने से विवादों का तत्काल समाधान संभव हो पाता है। इससे पुलिस पर भार कम होता है और स्थानीय समस्याओं का निस्तारण होता है।

81. (2) राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से पृथक करना।
1793 का कॉर्नवालिस कोड भारतीय प्रशासनिक इतिहास में शक्तियों के पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि एक ही व्यक्ति के पास राजस्व वसूलने और उसी राजस्व संबंधी विवादों का फैसला करने की शक्ति होना अन्यायपूर्ण है। इसलिए, इस कोड के माध्यम से कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां लेकर जिला न्यायाधीशों को सौंपी गईं। इसका उद्देश्य प्रशासन में निष्पक्षता लाना और किसानों को अधिकारियों के शोषण से बचाना था। यह वर्तमान स्वतंत्र न्यायपालिका की ओर प्रारंभिक कदम था।

Click Here to Buy book on Amazon

64. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
राजस्व वसूली के मामलों में तहसीलदारों को व्यापक विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। कथन 1 सत्य है क्योंकि वे सरकारी बकाया की वसूली के लिए चूककर्ताओं को नोटिस जारी कर सकते हैं। कथन 2 भी सत्य है क्योंकि यदि राज्य सरकार अधिसूचित करती है, तो बैंक ऋण या अन्य बकाया राशि को भी 'भू-राजस्व के बकाया' की तरह वसूल किया जा सकता है। यह शक्ति राजस्व अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक धन की सुरक्षित वापसी के लिए एक प्रभावी उपकरण प्रदान करती है, जिससे राज्य के हितों की रक्षा होती है।

65. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। तहसीलदार कर चूक होने पर संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ करता है। पटवारी गांव की दैनिक घटनाओं का विवरण रोजनामचा नामक डायरी में दर्ज करता है। जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड मजिस्ट्रेट कानून-व्यवस्था हेतु तलाशी वारंट जारी करने के लिए अधिकृत हैं। संभागीय आयुक्त अपने संभाग के अंतर्गत आने वाले कई जिलों की विकास योजनाओं की समीक्षा और उनमें समन्वय करता है। यह कार्य विभाजन प्रशासन में स्पष्टता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

66. (1) तकनीकी अधिकारी प्रशासनिक रूप से कलेक्टर को और तकनीकी रूप से अपने विभाग प्रमुखों को रिपोर्ट करते हैं।
जिला प्रशासन में 'दोहरी अधीनता' एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक चुनौती है। जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जैसे कृषि, स्वास्थ्य या शिक्षा के अधिकारी, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदेह होते हैं। साथ ही, वे अपनी तकनीकी कार्यप्रणाली और विशेषज्ञता के लिए राज्य स्तर पर अपने संबंधित विभाग प्रमुखों के अधीन होते हैं। यह स्थिति कभी-कभी आदेशों के टकराव का कारण बनती है, लेकिन जिला स्तर पर एकीकृत विकास के लिए कलेक्टर का समन्वयकारी नियंत्रण अनिवार्य माना गया है।

67. (3) जिला कलेक्टर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिले का मुख्य भूमि अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में वह जिले के समस्त भूमि अभिलेखों, मानचित्रों और राजस्व दस्तावेजों की सटीकता के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। वह पटवारियों और तहसीलदारों द्वारा किए जा रहे रिकॉर्ड रखरखाव कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यद्यपि वास्तविक कार्य निचले स्तर पर होता है, लेकिन विधिक रूप से कलेक्टर ही जिले की भूमि संबंधी सूचनाओं का संरक्षक होता है। यह शक्ति उसे भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्षम बनाती है।

68. (1) 1 और 2
तहसीलदार को भू-राजस्व की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की वैधानिक शक्ति प्राप्त है। वह बकाया राशि के लिए मांग पत्र जारी कर सकता है और यदि चूककर्ता भुगतान नहीं करता है, तो विशिष्ट नियमों के तहत उसकी गिरफ्तारी या निरुद्धि का आदेश भी दे सकता है। हालांकि, तहसीलदार के पास एकपक्षीय रूप से राजस्व ऋण को पूरी तरह माफ करने की शक्ति नहीं होती है। राजस्व माफी या छूट केवल राज्य सरकार की नीतिगत घोषणाओं या जिला कलेक्टर की विशिष्ट अनुशंसा पर ही दी जा सकती है। अतः कथन 1 और 2 पूर्णतः सही हैं।

69. (3) उप-खंड अधिकारी पुलिस फायरिंग जैसी घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है।
उप-खंड अधिकारी को अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। यदि पुलिस द्वारा बल प्रयोग या फायरिंग की जाती है, तो उप-खंड अधिकारी ऐसी घटनाओं की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने और उसे संचालित करने के लिए सशक्त है। हालांकि, उसके पास पुलिस अधिकारियों को सेवामुक्त करने या उनके आंतरिक प्रदर्शन मूल्यांकन को लिखने की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं होती है, जो पुलिस विभाग के अपने पदानुक्रम के अधीन है। यह नियंत्रण पुलिस बल की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक माध्यम है।

70. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
73वें संवैधानिक संशोधन के बाद जिला प्रशासन की संरचना में बड़े बदलाव आए हैं। अभिकथन सत्य है क्योंकि इस संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाएं अधिक सशक्त हुई हैं, जिससे कलेक्टर की 'एकमात्र विकासकर्ता' की छवि बदली है। कारण भी सही है क्योंकि कई विकास कार्य अब सीधे ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को हस्तांतरित किए जाते हैं, जिसका नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इससे कलेक्टर की भूमिका अब प्रत्यक्ष नियंत्रण के बजाय एक समन्वयकर्ता और पर्यवेक्षक की अधिक हो गई है।

71. (4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजस्व विवादों का निपटारा एक विशिष्ट राजस्व पदानुक्रम के माध्यम से किया जाता है। उप-खंड अधिकारी प्राथमिक स्तर पर राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी और अंततः राजस्व मंडल में की जाती है। ये सभी राजस्व न्याय प्रणाली के अंग हैं। इसके विपरीत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का हिस्सा है जिसका कार्य मुख्य रूप से आपराधिक मामलों का विचारण करना है। राजस्व कानूनों के तहत भूमि विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास क्षेत्राधिकार नहीं होता है।

72. (2) 1, 3 और 4
संभागीय आयुक्त संभाग के भीतर स्थानीय निकायों की निगरानी और जिला कार्यालयों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस पद को राज्य मुख्यालय पर प्रशासनिक भार कम करने के लिए पुनः स्थापित किया गया था। हालांकि, कथन 2 गलत है क्योंकि संभागीय आयुक्त के पास जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए राजस्व निर्णयों की समीक्षा करने और उनके विरुद्ध अपील सुनने का पूर्ण विधिक अधिकार होता है। वह राजस्व पदानुक्रम में कलेक्टर से ऊपर होता है और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण स्तर के रूप में कार्य करता है।

NODIA

करने के लिए विधिक आधार प्रदान करती है। अतः कारण अभिकथन की पुष्टि करता है।

91. (4) उप-खंड विकास का समन्वय करता है और परियोजनाओं में बाधा डालने वाले भूमि विवादों को सुलझाया जाता है।
उप-खंड अधिकारी ग्रामीण विकास में एक सूत्रधार की भूमिका निभाता है। यद्यपि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है, परंतु उप-खंड अधिकारी विभिन्न ब्लॉकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। विकास परियोजनाओं, जैसे सड़क निर्माण या नहर निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले भूमि अधिग्रहण विवादों को सुलझाना उसका प्रमुख दायित्व है। वह यह सुनिश्चित करता है कि विकास कार्यों में कोई कानूनी या प्रशासनिक बाधा न आए। इस प्रकार, वह जिले की विकास रणनीति को स्थानीय स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

92. (4) 1, 2, 3 और 4
जिला योजना समिति एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य समेकित जिला विकास सुनिश्चित करना है। इसके अधिकांश सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लोकतांत्रिक नियोजन को बढ़ावा देते हैं। यह समिति पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर एक व्यापक जिला विकास योजना तैयार करती है। 74वें संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिलने से इसकी स्वायत्तता और प्रभावशीलता बढ़ी है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जिले के विकास में स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सोच का समावेश हो।

93. (3) आजीवन कारावास की सजा देना।
उप-खंड मजिस्ट्रेट की शक्तियां मुख्य रूप से कार्यकारी और निवारक प्रकृति की होती हैं। वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी कर सकता है और अप्राकृतिक मृत्यु की जांच कर सकता है। हालांकि, आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी कठोर सजाएं देने की शक्ति केवल न्यायिक मजिस्ट्रेटों या सत्र न्यायालयों के पास होती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के पास केवल कुछ विशेष कानूनों के तहत सीमित दंड देने का अधिकार होता है, जो सामान्यतः शांति भंग से संबंधित होते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के कारण गंभीर दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है।

94. (4) राजस्व निरीक्षक (गिरदावर) - तहसीलदार / नायब तहसीलदार
राजस्व प्रशासन में प्रत्येक पद का अपना एक निश्चित रिपोर्टिंग अधिकारी होता है। पटवारी का कार्य राजस्व निरीक्षक या गिरदावर द्वारा जांचा जाता है। राजस्व निरीक्षक स्वयं तहसीलदार या नायब तहसीलदार के प्रति जवाबदेह होता है और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यह पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर पर एकत्र किए गए आंकड़ों का उचित सत्यापन हो सके। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि पटवारी का तत्काल वरिष्ठ गिरदावर है, और उप-खंड अधिकारी जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। यह प्रशासनिक श्रृंखला राजस्व कार्यों की पारदर्शिता बनाए रखती है।

95. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
आपदा प्रबंधन की संरचना राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक फैली हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हुए राहत कार्यों का केंद्र होता है। स्थानीय स्तर पर तहसीलदारों और उप-खंड अधिकारियों द्वारा वास्तविक बचाव और राहत कार्यों का परिचालन किया जाता है। यह बहुस्तरीय ढांचा संकट के समय त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

96. (4) 2, 3, 4, 1
राजस्व वसूली की प्रक्रिया एक क्रमिक और विधिक चरणों का पालन करती है। सबसे पहले, चूककर्ता को बकाया राशि जमा करने के लिए एक औपचारिक मांग पत्र या नोटिस जारी किया जाता है। यदि भुगतान नहीं होता है, तो उसकी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय की कार्यवाही की जाती है। कुछ मामलों में, विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और निरुद्धि भी की जा सकती है। अंतिम और सबसे कठोर कदम के रूप में अचल संपत्ति, जैसे कि भूमि, की कुर्की और नीलामी की जाती है। यह क्रम सुनिश्चित करता है कि वसूली के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन हो।

97. (2) एक पटवार मंडल (हल्का)
पटवारी के कार्य करने की प्राथमिक भौगोलिक इकाई को 'पटवार मंडल' या 'हल्का' कहा जाता है। इसमें सामान्यतः एक बड़ा गांव या दो-तीन छोटे गांव शामिल होते हैं। पटवारी अपने इस अधिकार क्षेत्र के सभी भूमि अभिलेखों और मानचित्रों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। तहसील को कई पटवार मंडलों में विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र की भूमि का सूक्ष्मता से प्रबंधन किया जा सके। यह विभाजन राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी और अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि यहीं से सभी कृषि और भूमि संबंधी सूचनाओं का संकलन प्रारंभ होता है।

98. (4) 1, 2, 3, 4 और 5
आधुनिक समय में जिला प्रशासन को विविध और जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण प्रशासनिक समस्याएं अधिक तकनीकी और सामाजिक रूप से जटिल हो गई हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और शक्तियों का केंद्रीकरण निर्णय लेने की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, नई स्वतंत्र एजेंसियों के गठन से कलेक्टर की समन्वयकारी भूमिका में टकराव पैदा होता है। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की धीमी गति भी एक बड़ी बाधा है। ये सभी कारक मिलकर जिला प्रशासन की कार्यकुशलता और जवाबदेही को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं।

99. (1) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है। इसके फलस्वरूप, जिला कलेक्टर से उन न्यायिक

Downloaded from www.pdf.tube

कारण (R): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

9. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य पुलिस बोर्ड के गठन का आदेश देता है।
II. यह शहरी क्षेत्रों में अन्वेषण और कानून-व्यवस्था के कार्यों को अलग करने का प्रावधान करता है।
III. यह पुलिस अधीक्षक के साथ जिला मजिस्ट्रेट की समन्वयकारी भूमिका को पूरी तरह से हटा देता है।
IV. यह जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों की स्थापना करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, II और IV
(3) II, III और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

10. राज्य पुलिस के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार, 'पुलिस जिला' किसके अनुरूप होता है?
(1) राज्य द्वारा घोषित एक भौगोलिक क्षेत्र
(2) वह क्षेत्र जिसकी सीमाएं राजस्व उप-खंड से मेल खाती हों
(3) पांच पुलिस स्टेशनों की निश्चित संख्या वाला एक क्षेत्र
(4) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित क्षेत्र
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

11. राजस्थान पुलिस पदानुक्रम में निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए:
I. पुलिस महानिदेशक
II. पुलिस उप महानिरीक्षक
III. पुलिस महानिरीक्षक
IV. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम (उच्चतम से निम्नतम) में सही व्यवस्था को दर्शाता है?
(1) I, III, IV, II
(2) I, IV, III, II
(3) I, IV, II, III
(4) IV, I, III, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

12. राजस्थान पुलिस बल के सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है?
(1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग
(2) पुलिस महानिदेशक
(3) राजस्थान के मुख्य सचिव
(4) इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

13. राजस्थान में पुलिस महानिदेशक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राज्य बल पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखना
(2) पुलिस व्यवस्था के विभिन्न मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना
(3) पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विधि बनाने की शक्ति
(4) बल के वित्तीय प्रबंधन और बजट की निगरानी करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

14. पुलिस महानिदेशक की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य के सभी पुलिस बलों को निर्देशित और नियंत्रित करना।
II. राज्य पुलिस नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
III. केंद्रीय पुलिस संगठनों के साथ समन्वय करना।
IV. राज्य के सभी संज्ञेय अपराधों की सीधे जांच करना।
V. सशस्त्र पुलिस बटालियनों की समग्र तैनाती का प्रबंधन करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल IV
(3) III, IV और V
(4) I, II, III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

15. किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा तैयार किए गए पैनल से किया जाता है?
(1) संघ लोक सेवा आयोग
(2) राज्य लोक सेवा आयोग
(3) उच्च न्यायालय कॉलेजियम
(4) गृह मंत्रालय
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

16. रेंज स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति का प्राथमिक प्रशासनिक आधार क्या है?
(1) सामान्य कानून-व्यवस्था के कार्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को प्रतिस्थापित करना
(2) कई जिलों में पुलिस के कामकाज का पर्यवेक्षण करना
(3) विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन को संभालना
(4) पुलिस महानिदेशक को दरकिनार करना और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

अध्याय 18
पुलिस प्रशासन : पुलिस अधीक्षक एवं कानून प्रवर्तन

1. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत 'पुलिस' का उल्लेख किया गया है?
(1) संघ सूची
(2) राज्य सूची
(3) समवर्ती सूची
(4) अवशिष्ट सूची
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

2. भारत के संविधान में राज्य सूची की कौन सी प्रविष्टि विशेष रूप से रेलवे और ग्राम पुलिस सहित 'पुलिस' से संबंधित है?
(1) प्रविष्टि 1
(2) प्रविष्टि 2
(3) प्रविष्टि 3
(4) प्रविष्टि 4
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

3. सूची I में दिए गए संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को सूची II में दिए गए उनके संबंधित विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संवैधानिक/कानूनी पहलू)
A. पुलिस
B. लोक व्यवस्था
C. आपराधिक विधि
D. राजस्थान पुलिस अधिनियम
सूची II: (विवरण)
i. समवर्ती सूची
ii. राज्य सूची प्रविष्टि 1
iii. 2007 में अधिनियमित
iv. राज्य सूची प्रविष्टि 2
(1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

4. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 का घोषित उद्देश्य नहीं है?
(1) पुलिस बल की भूमिका और कार्यों को पुनर्परिभाषित करना
(2) नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान और संरक्षण करना
(3) देश के विधि के शासन के प्रति पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना
(4) पुलिस नियंत्रण को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

5. राजस्थान पुलिस अधिनियम के तहत राज्य पुलिस बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी स्थापना पुलिस सेवा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए की गई है।
II. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
III. पुलिस महानिदेशक बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

6. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 ने राज्य में ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में से किस कानून को प्रतिस्थापित किया?
(1) भारतीय दंड संहिता, 1860
(2) पुलिस अधिनियम, 1861
(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898
(4) साक्ष्य अधिनियम, 1872
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: राज्य सरकार राजस्थान पुलिस बल पर अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करती है।
कथन II: पूरे राज्य में पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित होता है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

8. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन (A): केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक सामान्य पुलिस अधिनियम लागू नहीं कर सकती जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी हो।

Click Here to Buy book on Amazon

शक्तियों को वापस ले लिया गया जो पहले उसे आपराधिक मामलों में सजा सुनाने के लिए प्राप्त थीं। अब ये शक्तियां केवल न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास हैं। वर्तमान में, जिला कलेक्टर केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य अपराध रोकना और व्यवस्था बनाए रखना है, न कि दंड देना। यह सुधार प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

100. (4) सचिवालय को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग कम करने के लिए संभागीय आयुक्तों का पुनरुद्धार।
"नियंत्रण का क्षेत्र" का सिद्धांत बताता है कि एक उच्चाधिकारी प्रभावी रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। राजस्थान में जिलों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य सचिवालय के लिए प्रत्येक जिले के कार्यों की निगरानी करना कठिन हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु संभागीय आयुक्त प्रणाली को पुनः बहाल किया गया ताकि जिलों और सचिवालय के बीच एक मध्यवर्ती पर्यवेक्षण स्तर उपलब्ध हो सके। इससे प्रशासनिक नियंत्रण अधिक सुदृढ़ हुआ और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान संभाग मुख्यालय पर ही संभव हो सका, जो दक्षता का परिचायक है।

www.nodia.in

NODIA

17. सूची I की क्षेत्रीय इकाइयों को सूची II में संबंधित कमांडिंग ऑफिसर पदों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्षेत्रीय इकाई)
A. राज्य
B. रेंज
C. जिला
D. वृत्त (सर्किल)
सूची II: (कमांडिंग ऑफिसर पद)
i. वृत्त निरीक्षक/पुलिस उपअधीक्षक
ii. पुलिस महानिरीक्षक
iii. पुलिस महानिदेशक
iv. पुलिस अधीक्षक
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: एक पुलिस रेंज में आमतौर पर दो या दो से अधिक पुलिस जिले शामिल होते हैं।
कथन II: रेंज महानिरीक्षक के पास अपनी रेंज के भीतर विभिन्न जिलों में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्ति होती है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

19. निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस रेंज महानिरीक्षक की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(1) जिला स्तर पर दैनिक छोटी चोरी के मामलों की जांच करना
(2) संपूर्ण राजस्थान पुलिस के राज्य स्तरीय बजट का अंकेक्षण करना
(3) थानों का निरीक्षण करना और क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों का मार्गदर्शन करना
(4) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

20. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन (A): रेंज महानिरीक्षक राज्य पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): महानिरीक्षक कई जिलों में अपराध की स्थिति का मूल्यांकन करता है और सुनिश्चित करता है कि राज्य मुख्यालय के निर्देशों का पुलिस अधीक्षकों द्वारा पालन किया जाए।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

21. जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?
(1) पुलिस महानिरीक्षक
(2) जिला कलेक्टर
(3) पुलिस अधीक्षक
(4) पुलिस उपअधीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

22. जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों के सही पदानुक्रम को उच्चतम से निम्नतम क्रम में चुनिए:
(1) पुलिस अधीक्षक > अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक > पुलिस उपअधीक्षक > वृत्त निरीक्षक
(2) पुलिस अधीक्षक > पुलिस उपअधीक्षक > अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक > वृत्त निरीक्षक
(3) पुलिस अधीक्षक > वृत्त निरीक्षक > पुलिस उपअधीक्षक > अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(4) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक > पुलिस अधीक्षक > पुलिस उपअधीक्षक > वृत्त निरीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

23. जिला प्रशासन के संबंध में गलत सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए:
(1) जिला कलेक्टर - राजस्व प्रशासन का प्रमुख
(2) पुलिस अधीक्षक - जिला पुलिस का प्रमुख
(3) जिला मजिस्ट्रेट - लोक व्यवस्था का रखरखाव
(4) पुलिस अधीक्षक - जिला न्यायपालिका का प्रमुख
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

24. पुलिस अधीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पुलिस अधीक्षक जिले में अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए उत्तरदायी होता है।
II. पुलिस अधीक्षक जिले में अधीनस्थ पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है।
III. पुलिस अधीक्षक जिला न्यायालयों द्वारा दी गई न्यायिक सजाओं को कम कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

नियमों को लागू करना
iii. रिश्वतखोरी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग की जांच करना
iv. संगठित अपराध गिरोहों को खत्म करना
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

58. राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसका नेतृत्व महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है।
II. इसका अधिकार क्षेत्र केवल गैर-राजपत्रित सरकारी अधिकारियों तक सीमित है।
III. यह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल (ट्रैप) बिछाने जैसे सक्रिय उपाय करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

59. राजस्थान में अपराध जांच विभाग को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। वे क्या हैं?
(1) अपराध शाखा और यातायात शाखा
(2) विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो
(3) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और अपराध शाखा
(4) अपराध शाखा और विशेष शाखा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

60. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नियमित जिला पुलिस ढांचे से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधिकारियों को राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच करने से मना किया गया है।
(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपनी प्राथमिक जांच शक्तियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त करता है।
(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागरिकों को समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से रिश्वत की मांग की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

61. निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. कई जिलों से जुड़े जटिल प्रकृति के मामलों का अन्वेषण करना।
II. राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारी एकत्र करना।
III. दैनिक कानून-व्यवस्था के संबंध में नियमित पुलिस थानों का पर्यवेक्षण करना।
IV. साइबर अपराध अन्वेषण में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से कार्य राजस्थान में अपराध जांच विभाग (अपराध शाखा और विशेष शाखा) से संबंधित हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, II और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

62. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्य रूप से किस विशिष्ट विधि के प्रावधानों को लागू करता है?
(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(2) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007
(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
(4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

63. निम्नलिखित में से कौन सा अपराध यातायात पुलिस के नियमित प्रवर्तन कर्तव्यों का अपवाद है?
(1) संपत्ति के दस्तावेजों की जालसाजी
(2) मद्यपान कर वाहन चलाना
(3) कानूनी गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना
(4) यातायात संकेत का उल्लंघन करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: विशेष अभियान समूह उन्नत हथियारों और तकनीकी निगरानी उपकरणों से लैस है।
कथन II: विशेष अभियान समूह को मुख्य रूप से धार्मिक उत्सवों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

65. निम्नलिखित उत्तरदायित्वों पर विचार कीजिए:
I. शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रवाह को नियंत्रित करना।
II. मोटर वाहन अधिनियम को लागू करना।
III. सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाना।
IV. आपातकालीन चिकित्सा परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान करना।
V. नागरिकों को बंदूक के लाइसेंस जारी करना।
उपरोक्त में से कौन सा/से यातायात पुलिस के सही उत्तरदायित्व हैं?
(1) I, II, III और V

Downloaded from www.pdf.tube

(1) क्षेत्र में वृत्त निरीक्षकों को परिचालन संबंधी निर्देश जारी करना
(2) न्यायालय के बिना स्वतंत्र रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करना
(3) स्थानीय स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देना
(4) जिला स्तरीय व्यापक अपराध समीक्षा बैठकों का आयोजन करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: पुलिस अधीक्षक के पास जिले के भीतर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के स्थानांतरण का अधिकार होता है।
कथन II: पुलिस उपअधीक्षकों का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किया जाता है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

35. जिला प्रशासन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. यातायात प्रबंधन
II. विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था
III. निर्वाचन नामावली तैयार करना
IV. उपद्रव-रोधी अभियान
V. भू-राजस्व का संग्रह
उपरोक्त में से कौन से कार्य पुलिस अधीक्षक से संबंधित हैं?
(1) I, II और IV
(2) I, III और V
(3) II, IV और V
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

36. सूची I की प्रशासनिक इकाइयों को सूची II में संबंधित इकाई प्रमुखों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रशासनिक इकाई)
A. जिला
B. उप-खंड
C. पुलिस थाना
D. पुलिस बीट
सूची II: (इकाई प्रमुख)
i. बीट कांस्टेबल
ii. पुलिस अधीक्षक
iii. पुलिस उपअधीक्षक
iv. थाना प्रभारी
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

37. दंड प्रक्रिया संहिता और पुलिस अधिनियम के अनुसार, 'police थाना' क्या है?
(1) पुलिस द्वारा विभिन्न कर्मियों को रखने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी इमारत
(2) केवल वे इमारतें जहाँ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो
(3) राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में घोषित कोई भी चौकी या स्थान
(4) बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान लगाया गया एक अस्थायी शिविर
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

38. थाने स्तर के निम्नलिखित पुलिस कर्मियों पर विचार कीजिए:
I. सहायक उप-निरीक्षक
II. उप-निरीक्षक
III. हेड कांस्टेबल
IV. कांस्टेबल
निम्नलिखित में से कौन सा पदों के आरोही क्रम (निम्नतम से उच्चतम) में सही व्यवस्था को दर्शाता है?
(1) IV, III, I, II
(2) IV, I, III, II
(3) III, IV, II, I
(4) I, II, III, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

39. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुलिस उपअधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक की भूमिका का सही वर्णन करता है?
(1) पूरी राज्य सरकार के खुफिया ब्यूरो का नेतृत्व करना
(2) कर्तव्यों में पुलिस अधीक्षक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना
(3) विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में केवल यातायात संबंधी कर्तव्यों को संभालना
(4) एक उप-खंड का प्रभारी होना और अपने अधीन थाना प्रभारियों का पर्यवेक्षण करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

40. राजस्थान पुलिस में वृत्त निरीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक वृत्त निरीक्षक आमतौर पर एक वृत्त के भीतर कई पुलिस थानों का पर्यवेक्षण करता है।
II. वृत्त निरीक्षक भौतिक रूप से अपने वृत्त के प्रत्येक पुलिस थाने में सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है।
III. वृत्त निरीक्षक जघन्य अपराधों के अन्वेषण में उप-निरीक्षकों का मार्गदर्शन करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

41. दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत थाना प्रभारी किसी संज्ञेय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है?
(1) धारा 144
(2) धारा 154
(3) धारा 161
(4) धारा 173
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

42. थाना प्रभारी की अन्वेषण शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) स्वतंत्र रूप से जांच बंद करना और किसी संदिग्ध को दोषमुक्त करना
(2) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करना
(3) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए बाध्य करना
(4) विशिष्ट कानूनी नियमों के तहत बिना वारंट के तलाशी लेना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

43. उन अधिकारियों के संबंध में विषम विकल्प की पहचान कीजिए जो आमतौर पर एक प्रमुख पुलिस थाने के थाना प्रभारी का पद संभाल सकते हैं:
(1) वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
(2) वरिष्ठ उप-निरीक्षक
(3) फील्ड वृत्त निरीक्षक
(4) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

44. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन (A): पुलिस थाने को पुलिस प्रशासन की बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है।
कारण (R): यह जनता और पुलिस के बीच संपर्क का प्राथमिक बिंदु है, जहाँ अपराधों की सूचना दी जाती है और प्रारंभिक अन्वेषण शुरू होता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

45. थाना प्रभारी की निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों पर विचार कीजिए:
I. सामान्य डायरी (रोजनामचा) का रखरखाव।
II. थाना सीमाओं के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
III. पुलिस उपअधीक्षकों की नियुक्ति करना।
IV. अन्वेषण के दौरान जब्त की गई संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, II और IV
(3) II, III और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

46. सूची I में दिए गए थाना रिकॉर्ड को सूची II में दिए गए उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पुलिस थाने का रिकॉर्ड)
A. सामान्य डायरी
B. प्रथम सूचना रिपोर्ट
C. केस डायरी
D. हिस्ट्री शीट
सूची II: (उद्देश्य)
i. घटनाओं और पुलिस गतिविधियों का दैनिक रिकॉर्ड
ii. अभ्यस्त अपराधियों का रिकॉर्ड
iii. संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना
iv. अन्वेषण की कार्यवाही का दैनिक रिकॉर्ड
(1) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(3) A-i, B-iv, C-iii, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

47. राजस्थान में, कई पुलिस थानों वाले एक ग्रामीण पुलिस वृत्त का नेतृत्व आमतौर पर किस पद के अधिकारी द्वारा किया जाता है?
(1) पुलिस उपअधीक्षक
(2) थाना उप-निरीक्षक
(3) पुलिस अधीक्षक
(4) रेंज महानिरीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

48. व्यापक आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस थाने का सबसे उपयुक्त महत्व क्या है?
(1) सभी छोटे स्थानीय अपराधों के लिए अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण
(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के माध्यम से न्याय प्रणाली का प्रवेश द्वार
(3) स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र के लिए दंडात्मक विधि बनाना
(4) मुकदमों के दौरान अभियुक्तों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:

Click Here to Buy book on Amazon

कथन I: यदि जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता है, तो थाना प्रभारी कानूनी रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।
कथन II: थाना प्रभारी किसी संज्ञेय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर सकता है यदि उसे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सूचना देने वाला असत्य बोल रहा है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

50. पुलिस थाने में किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. असंज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण।
II. गश्त और बीट प्रबंधन।
III. न्यायालय के सम्मन और वारंट का निष्पादन।
IV. स्थानीय मुद्दों पर खुफिया जानकारी एकत्र करना।
V. यातायात उल्लंघनकर्ताओं को अंतिम सजा सुनाना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II, III और IV
(2) II, III, IV और V
(3) I, III, IV और V
(4) I, II, III और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

51. सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपअधीक्षक के बीच प्राथमिक अंतर किस पर आधारित है?
(1) उप-खंड में उनकी कार्यात्मक भूमिका
(2) व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का उनका अधिकार
(3) वे जिस संवर्ग से संबंधित हैं (भारतीय पुलिस सेवा बनाम राजस्थान पुलिस सेवा)
(4) जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उनकी रिपोर्टिंग लाइन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

52. निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पुलिस थाने में तैनात उप-निरीक्षक का कर्तव्य नहीं है?
(1) वरिष्ठों द्वारा सौंपे गए आपराधिक मामलों का अन्वेषण करना
(2) विशेष रूप से नामित होने पर थाने के मालखाने का प्रबंधन करना
(3) अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों की आधिकारिक जांच करना
(4) जिले में कर्फ्यू लगाने की घोषणा करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

53. राजस्थान पुलिस में पुलिस पद और कंधे के प्रतीक चिन्ह के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) पुलिस उपअधीक्षक - बिना किसी रिबन के एक सितारा
(2) निरीक्षक - लाल और नीले रिबन के साथ एक सितारा
(3) उप-निरीक्षक - लाल और नीले रिबन के साथ दो सितारे
(4) सहायक उप-निरीक्षक - लाल और नीले रिबन के साथ तीन सितारे
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

54. पुलिस प्रशासन में, सामान्य डायरी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के बीच क्या अंतर है?
(1) सामान्य डायरी केवल दैनिक रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराधों को रिकॉर्ड करती है
(2) सामान्य डायरी थाने की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है; प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्वेषण शुरू करती है
(3) सामान्य डायरी दैनिक आधार पर मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है
(4) प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल द्वारा रखी जाती है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

55. पुलिस थाने में शुरू की गई अन्वेषण प्रक्रिया के सही तार्किक क्रम का चयन कीजिए:
(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण > गिरफ्तारी > आरोप पत्र दाखिल करना > स्थल निरीक्षण
(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण > स्थल निरीक्षण > साक्ष्य एकत्र करना > आरोप पत्र दाखिल करना
(3) आरोप पत्र दाखिल करना > प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण > गिरफ्तारी > साक्ष्य एकत्र करना
(4) स्थल निरीक्षण > आरोप पत्र दाखिल करना > प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण > गिरफ्तारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

56. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में विशेष अभियान समूह (SOG) के जनादेश का सही वर्णन करता है?
(1) संगठित अपराध, आतंकवाद और अंतर-राज्यीय गिरोहों से निपटना
(2) राज्य के राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की जांच करना
(3) शहरी केंद्रों में छोटी चोरियों और जेबकतरी के मामलों को संभालना
(4) सभी स्थानीय पुलिस थानों का वित्तीय अंकेक्षण करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

57. सूची I की विशिष्ट इकाइयों को सूची II में उनके प्राथमिक कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विशिष्ट इकाई)
A. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
B. अपराध जांच विभाग
C. विशेष अभियान समूह
D. यातायात पुलिस
सूची II: (प्राथमिक कार्य)
i. सरकार द्वारा सौंपे गए जटिल या संवेदनशील अपराधों का अन्वेषण करना
ii. सुचारु वाहन आवाजाही सुनिश्चित करना और सड़क

NODIA

25. जिले में कानून-व्यवस्था के गंभीर रुप से बिगड़ने की स्थिति में मानक प्रशासनिक प्रोटोकॉल क्या है?
(1) मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र कार्रवाई
(2) मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस बटालियनों की सीधी कमान अपने हाथ में लेना
(3) व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के बीच घनिष्ठ समन्वय
(4) रेंज महानिरीक्षक द्वारा मजिस्ट्रेट का तत्काल प्रतिस्थापन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

26. सूची I में दी गई भूमिकाओं और कार्यों को सूची II में संबंधित अधिकारियों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (भूमिका/कार्य)
A. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करना
B. किसी आयोजन के लिए पुलिस बल की तैनाती
C. पुलिस लाइनों का आंतरिक अनुशासन
D. शस्त्र लाइसेंस जारी करना
सूची II: (अधिकारी)
i. जिला मजिस्ट्रेट
ii. पुलिस अधीक्षक
(1) A-i, B-ii, C-ii, D-i
(2) A-ii, B-i, C-ii, D-i
(3) A-i, B-i, C-ii, D-ii
(4) A-ii, B-ii, C-i, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

27. किसी जिले में पुलिस अधीक्षक का पद आमतौर पर किस सेवा के अधिकारी द्वारा संभाला जाता है?
(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा
(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा
(3) राजस्थान न्यायिक सेवा
(4) भारतीय पुलिस सेवा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

28. कानून और व्यवस्था के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधीक्षक के संबंधों का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(1) आंतरिक प्रशासन के सभी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना
(2) आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करना
(3) जिला मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधीक्षक से अपराध पर रिपोर्ट मांगने का कोई अधिकार नहीं है
(4) विभिन्न उपद्रवों की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

29. पुलिस अधीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जिले के भीतर थाना प्रभारियों के पदस्थापन और स्थानांतरण को संभालता है।
II. जिले के सभी पुलिस थानों का वार्षिक निरीक्षण करता है।
III. राज्य पुलिस के वार्षिक बजट को मंजूरी देता है।
IV. जनता के साथ संवाद करता है और स्थानीय शिकायतों का समाधान करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) II, III और IV
(3) I, II और IV
(4) I, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

30. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन (A): जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी भूमिका निभाता है।
कारण (R): पुलिस अधिनियम यह अधिदेश देता है कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

31. पुलिस अधीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) किसी भी क्षेत्र को नया पुलिस थाना घोषित करने का अधिकार
(2) कदाचार के लिए एक निश्चित पद तक के अधीनस्थ अधिकारियों को निलंबित करना
(3) जिले के पुलिस उपअधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखना
(4) जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कामकाज की निगरानी करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

32. एक पुलिस जिले में, पुलिस लाइन किस अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में होती है?
(1) रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक
(2) पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में रक्षित निरीक्षक
(3) संबंधित उप-खंड का उप-खंड मजिस्ट्रेट
(4) निकटतम स्थानीय पुलिस थाने का थाना प्रभारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

33. निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का अपवाद है?

Downloaded from www.pdf.tube

(2) I, II, III और IV
(3) II, III, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

66. सूची I के यातायात उपायों को सूची II में उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (यातायात उपाय)
A. इंटरसेप्टर
B. ब्रेथ एनालाइजर
C. ई-चालान
D. ट्रैफिक लाइट सिंक्रोनाइजेशन
सूची II: (उद्देश्य)
i. आर्थिक दंड लगाने और उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए डिजिटल तंत्र
ii. मद्यपान कर वाहन चलाने की जाँच करना
iii. अत्यधिक गति को रोकने के लिए वाहन की गति को मापना
iv. चौराहों पर वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करना
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

67. राजस्थान में विशेष अभियान समूह की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(1) दस हजार रुपये से कम मूल्य की साइबर शिकायतों को संभालना
(2) मुख्यमंत्री को विशेष आधार पर विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा प्रदान करना
(3) आतंकवाद, संगठित माफियाओं और खूंखार अपराधियों का मुकाबला करना
(4) पुलिस कांस्टेबलों के लिए प्राथमिक भर्ती बोर्ड के रूप में कार्य करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

68. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संदर्भ में, "ट्रैप केस" में क्या शामिल है?
(1) आग्नेयास्त्रों की विभिन्न अवैध खेपों को रोकना
(2) कूटबद्ध आतंकवादी संचार नेटवर्क को हैक करना
(3) अवैध रूप से खड़े किए गए विभिन्न मोटर वाहनों को जब्त करना
(4) किसी लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

69. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
कथन (A): अपराध जांच विभाग के अधिकारियों को फॉरेंसिक, विधि और आधुनिक अन्वेषण तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
कारण (R): अपराध जांच विभाग जटिल, अनसुलझे या सनसनीखेज मामलों से निपटता है, जिनकी गहन जांच के लिए नियमित जिला पुलिस के पास संसाधनों या समय की कमी हो सकती है।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

NODIA

70. राजस्थान में एक विशिष्ट इकाई को उसके कमांडिंग ऑफिसर के सामान्य पद के साथ जोड़ने वाले गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(1) अपराध जांच विभाग - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(2) जिला स्तर पर यातायात पुलिस - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो - महानिदेशक / अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(4) विशेष अभियान समूह - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

71. राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसने भारत में पुलिस प्रणाली की व्यापक समीक्षा की, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नियुक्त किया गया था?
(1) 1947
(2) 1977
(3) 1991
(4) 2006
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

72. राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81) की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए एक नया पुलिस अधिनियम बनाना।
II. राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना।
III. त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और न्यायिक सेवाओं का विलय करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

73. प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

43. (4) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
एक पुलिस थाने के प्रभारी के रूप में सामान्यतः वरिष्ठ निरीक्षक, निरीक्षक या उप-निरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उप-निरीक्षक यह उत्तरदायित्व संभालते हैं, जबकि महत्वपूर्ण शहरी थानों में निरीक्षक तैनात होते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एक उच्च पद है जो जिले के बड़े प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। वे प्रायः व्यक्तिगत रूप से किसी एक पुलिस थाने के प्रभारी नहीं होते हैं।

44. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पुलिस थाने को पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत इकाई माना जाता है क्योंकि यह आम जनता और पुलिस के बीच संपर्क का प्राथमिक केंद्र है। समाज में होने वाले किसी भी अपराध की सूचना सर्वप्रथम यहीं दी जाती है और यहीं से प्रारंभिक अन्वेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। थानों की दक्षता और संवेदनशीलता ही संपूर्ण पुलिस बल की छवि और जनता के विश्वास को निर्धारित करती है।

45. (2) I, II और IV
थाना प्रभारी के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में थाने की दैनिक डायरी बनाए रखना और अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना सम्मिलित है। वे जांच के दौरान जब्त की गई सभी संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु भी उत्तरदायी होते हैं। हालांकि पुलिस उपअधीक्षकों की नियुक्ति करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। यह एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्य है जो राज्य सरकार या पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमों के अनुसार किया जाता है।

46. (1) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
पुलिस थाने में अभिलेखों का रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक डायरी में थाने की गतिविधियों का विवरण होता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध की पहली आधिकारिक सूचना है। केस डायरी में किसी विशिष्ट जांच की प्रगति दर्ज की जाती है। हिस्ट्री शीट के माध्यम से आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। ये सभी दस्तावेज न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक निगरानी के लिए अनिवार्य हैं।

47. (1) पुलिस उपअधीक्षक
राजस्थान में एक ग्रामीण पुलिस वृत्त का नेतृत्व सामान्यतः पुलिस उपअधीक्षक द्वारा किया जाता है, जिन्हें वृत्त अधिकारी भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने वृत्त के थानों में चल रहे अपराध अन्वेषण की निगरानी करना और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखना है। वे पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के बीच एक प्रशासनिक सेतु के रूप में कार्य करते हैं जिससे ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है।

48. (2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के माध्यम से न्याय प्रणाली का प्रवेश द्वार
आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस थाने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया का मार्ग खोलता है। बिना पुलिस हस्तक्षेप और प्रारंभिक जांच के किसी भी मामले को न्यायालय तक ले जाना कठिन होता है। यह स्थानीय स्तर पर साक्ष्य एकत्र करने और अपराधियों को दंड दिलाने की पहली सीढ़ी है। थानों की निष्पक्षता ही न्याय की नींव रखती है।

49. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध का होना स्पष्ट होता है, तो थाना प्रभारी कानूनी रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। उसे अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर पंजीकरण से मना करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में पंजीकरण अनिवार्य है। सूचना की सत्यता की जांच अन्वेषण का हिस्सा है।

50. (1) I, II, III और IV
पुलिस थाने के कार्यों में असंज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण, बीट गश्त और न्यायालय द्वारा जारी सम्मन एवं वारंट का निष्पादन सम्मिलित है। पुलिस कर्मी स्थानीय स्तर पर सूचनाएं भी एकत्र करते हैं ताकि अपराधों को रोका जा सके। हालांकि अपराधियों को अंतिम सजा सुनाने का कार्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सजा सुनाने का अनन्य अधिकार केवल स्वतंत्र न्यायपालिका के पास है जो साक्ष्यों पर आधारित होता है।

51. (3) वे जिस संवर्ग से संबंधित हैं (भारतीय पुलिस सेवा बनाम राजस्थान पुलिस सेवा)
सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपअधीक्षक के बीच मुख्य अंतर उनके सेवा संवर्ग का है। सहायक पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं जो अपने प्रशिक्षण काल के दौरान इस पद पर रहते हैं। इसके विपरीत, पुलिस उपअधीक्षक राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं जिनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। हालांकि दोनों की कार्यात्मक जिम्मेदारियां उप-खंड स्तर पर लगभग समान होती हैं।

52. (4) जिले में कर्फ्यू लगाने की घोषणा करना
थाने में तैनात उप-निरीक्षक का प्रमुख कार्य अपराधों का अन्वेषण करना, अप्राकृतिक मृत्यु की जांच करना और मालखाने का प्रबंधन करना है। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में थाना प्रभारी की सहायता करते हैं। हालांकि किसी जिले में कर्फ्यू लगाने या बड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। यह एक गंभीर प्रशासनिक निर्णय है जो केवल जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा लिया जा सकता है।

53. (3) उप-निरीक्षक - लाल और नीले फीते के साथ दो सितारे
राजस्थान पुलिस में वर्दी और प्रतीकों का पदानुक्रम स्पष्ट है। उप-निरीक्षक के कंधे पर लाल और नीले रंग के फीते के साथ दो सितारे लगे होते हैं जो उनकी रैंक को दर्शाते हैं। इसी प्रकार सहायक उप-निरीक्षक के पास एक सितारा और निरीक्षक के पास तीन सितारे होते हैं। ये प्रतीक चिन्ह सार्वजनिक सेवा के दौरान अधिकारी की पहचान और उनके अधिकारों के स्तर को समझने में जनता की सहायता करते हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

निम्नलिखित में से कौन सा उनके गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(1) IV, I, II, III
(2) I, IV, II, III
(3) IV, I, III, II
(4) I, II, III, IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

81. प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों के तहत, जिला पुलिस अधीक्षक के लिए अनिवार्य न्यूनतम कार्यकाल क्या है?
(1) एक वर्ष
(2) दो वर्ष
(3) तीन वर्ष
(4) पांच वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

82. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उद्देश्य का सटीक वर्णन करता है?
(1) हिरासत में मृत्यु जैसे गंभीर कदाचार की जांच करना
(2) पुलिस अधिकारियों के लिए कम वेतन की शिकायत करने का मंच
(3) जनता के लिए नगर निगम सेवाओं के बारे में शिकायत करने का स्थान
(4) एक एजेंसी जो विभागीय पदोन्नति समिति का स्थान लेती है
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

83. निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सात निर्देशों का अपवाद है?
(1) भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना करना
(2) राज्य के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन
(3) महिलाओं की 33% अनिवार्य भर्ती
(4) राज्य के पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

84. सूची I में दी गई समितियों और आयोगों को सूची II में उनके मुख्य फोकस या वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समिति/आयोग)
A. रिबेरो समिति
B. पद्मनाभैया समिति
C. मलीमठ समिति
D. सोली सोराबजी समिति
सूची II: (मुख्य फोकस/वर्ष)
i. 2000, भर्ती, प्रशिक्षण और पुलिस कर्तव्यों पर केंद्रित
ii. 2003, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर केंद्रित
iii. 1998, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर केंद्रित
iv. 2005, मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार किया
(1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

85. पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पीछे मूल दर्शन क्या है?
(1) केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस नियंत्रण का केंद्रीकरण करना
(2) राज्य के भीतर सभी सहायक पुलिस कार्यों का निजीकरण करना
(3) जवाबदेही के साथ 'शासक की पुलिस' से 'जनता की पुलिस' की ओर बढ़ना
(4) सभी थाना प्रभारियों को पूर्ण न्यायिक शक्तियां प्रदान करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

86. राजस्थान में सामुदायिक पुलिसिंग के संदर्भ में, CLG का पूर्ण रूप क्या है?
(1) सेंट्रल लॉ ग्रुप
(2) कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (सामुदायिक संपर्क समूह)
(3) क्राइम लोकेटिंग गैजेट
(4) सिविक लीगल गार्जियन
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

87. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में 'ग्राम रक्षक' योजना का सही वर्णन करता है?
(1) राज्य के प्रत्येक गांव में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात करना
(2) गांव के सभी सरपंचों को आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण प्रदान करना
(3) विशेष रूप से सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने के कार्यों के लिए तैयार की गई योजना
(4) गांव में अपराध की रोकथाम में पुलिस की सहायता करने वाले स्थानीय स्वयंसेवक
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: 'पुलिस मित्र' पहल अच्छे चरित्र वाले नागरिक स्वयंसेवकों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और अपराध की रोकथाम में पुलिस की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
कथन II: पुलिस मित्रों को अपराधियों को गिरफ्तार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कानूनी शक्ति दी गई है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) राज्य सूची
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में पुलिस को राज्य सूची का विषय माना गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल गठित करने का अधिकार है। राज्य सरकारें ही पुलिस के संगठन, प्रबंधन और भर्ती संबंधी नियमों का निर्धारण करती हैं ताकि स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2. (2) प्रविष्टि 2
सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की दूसरी प्रविष्टि विशेष रूप से पुलिस बल से संबंधित है। इसमें रेलवे और ग्राम पुलिस को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रविष्टि राज्य सरकारों को पुलिस प्रशासन की संरचना को व्यवस्थित करने हेतु विधायी शक्ति प्रदान करती है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व के कारण पुलिस को सीधे राज्य के नियंत्रण में रखा गया है।

3. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस राज्य सूची की दूसरी प्रविष्टि है, जबकि लोक व्यवस्था पहली प्रविष्टि के अंतर्गत आती है। आपराधिक कानून समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राजस्थान पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनाने हेतु वर्ष 2007 में नया अधिनियम लागू किया गया था। ये प्रावधान शासन के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करते हैं।

4. (4) पुलिस नियंत्रण को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना
राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 का मुख्य लक्ष्य पुलिस बल की भूमिका को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और कार्यक्षमता बढ़ाना है। यह कानून नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण और विधि के शासन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य पुलिस नियंत्रण को केंद्र को सौंपना नहीं, बल्कि राज्य के भीतर एक प्रभावी और उत्तरदायी कार्यप्रणाली स्थापित करना है जिससे न्याय सुलभ हो सके।

5. (4) I, II और III
राजस्थान पुलिस अधिनियम के तहत राज्य पुलिस बोर्ड का गठन पुलिस प्रदर्शन के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु किया गया है। इसके अध्यक्ष गृह विभाग के प्रभारी मंत्री होते हैं जो नीतिगत मार्गदर्शन देते हैं। पुलिस महानिदेशक इस महत्वपूर्ण बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं। यह संरचना पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और रणनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए उत्तरदायी बनाई गई है।

6. (2) पुलिस अधिनियम, 1861
राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 को ब्रिटिश काल के पुराने पुलिस अधिनियम 1861 के स्थान पर लागू किया गया था। पुराना कानून मुख्य रूप से नियंत्रण और दमन पर केंद्रित था, जबकि नया अधिनियम पुलिस को सेवा-उन्मुख और जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। यह परिवर्तन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था को आधुनिक बनाने और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम है।

7. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्य सरकार के पास राजस्थान पुलिस बल पर अधीक्षण की सर्वोपरि शक्ति होती है जो नीतियों और निर्देशों के माध्यम से संचालित होती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में पुलिस का वास्तविक प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित होता है जो बल के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पुलिस बल अनुशासित पेशेवर नेतृत्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण के अधीन कार्य करे।

8. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत के संघीय ढांचे में पुलिस और लोक व्यवस्था को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में रखा गया है। इसी संवैधानिक प्रावधान के कारण केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक सामान्य पुलिस अधिनियम लागू नहीं कर सकती जो सभी राज्यों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हो। प्रत्येक राज्य सरकार अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुलिस प्रशासन के नियमन हेतु स्वतंत्र है।

9. (2) I, II और IV
राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 राज्य पुलिस बोर्ड और जिला स्तर पर जवाबदेही समितियों की स्थापना का निर्देश देता है। यह शहरी क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था हेतु अन्वेषण और कानून-व्यवस्था के कार्यों को अलग करने का प्रावधान भी करता है। यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के बीच समन्वय को समाप्त नहीं करता, बल्कि लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनके सहयोग को आवश्यक मानता है।

10. (1) राज्य द्वारा घोषित एक भौगोलिक क्षेत्र
राज्य पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में पुलिस जिले से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है। यह क्षेत्र पुलिस प्रशासन के संचालन की महत्वपूर्ण इकाई होता है जहाँ कानून-व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक का होता है। यद्यपि पुलिस जिले की सीमाएं प्रायः राजस्व जिलों के समान होती हैं, लेकिन यह पूर्णतः सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करती है।

NODIA

कमी
(2) विश्वास की कमी - CLG जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों को लागू करना
(3) पुरानी पद्धतियां - पुलिस थानों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाना
(4) राजनीतिक हस्तक्षेप - राज्य सुरक्षा आयोग को समाप्त करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

98. कौन सा अनुपात एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मापदंड है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानकों की तुलना में इसके कम मूल्य के कारण भारतीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती के रूप में उद्धृत किया जाता है?
(1) प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या
(2) प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिस थानों की संख्या
(3) प्रत्येक जिले में तैनात महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की संख्या
(4) उपयोग में आने वाले घातक हथियारों और गैर-घातक हथियारों का अनुपात
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

99. निम्नलिखित में से कौन सा 'सामुदायिक पुलिसिंग' को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
(1) एक रणनीति जहाँ पुलिस को सशस्त्र सामुदायिक मिलिशिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
(2) एक प्रणाली जहाँ समुदाय किसी संदिग्ध के अपराध पर निर्णय लेने के लिए मतदान करते हैं
(3) सुरक्षा को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने वाली रणनीति
(4) उपद्रव-नियंत्रण कर्तव्यों को निभाने के लिए समुदाय के सदस्यों की तैनाती
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

100. राज्य पुलिस बल में अन्वेषण के लंबित मामलों को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है?
(1) थाना प्रभारियों को सभी मामलों को खारिज करने की शक्ति देना
(2) सभी मुकदमों में फॉरेंसिक साक्ष्य की आवश्यकता को समाप्त करना
(3) छोटे अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पूरी तरह से बंद करना
(4) ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्वेषण कार्य को कानून-व्यवस्था से अलग करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(1) पुलिस सुधारों के लिए सात बाध्यकारी निर्देश जारी करना
(2) पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना
(3) राज्य संवर्गों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा का उन्मूलन करना
(4) कानून-व्यवस्था से अन्वेषण कार्य को अलग करने का आदेश देना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

74. प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए:
I. राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना।
II. पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना।
III. पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करना।
IV. राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

75. सूची I में प्रकाश सिंह निर्देशों को सूची II में उनके इच्छित उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्रकाश सिंह निर्देश)
A. राज्य सुरक्षा आयोग
B. पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम कार्यकाल
C. अन्वेषण और कानून-व्यवस्था का पृथक्करण
D. पुलिस स्थापना बोर्ड
सूची II: (इच्छित उद्देश्य)
i. अपराधों की त्वरित और अधिक पेशेवर जांच सुनिश्चित करना
ii. अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने स्थानांतरण को रोकना
iii. पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना और व्यापक नीतियां बनाना
iv. पुलिस उपअधीक्षक पद तक के अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और पदोन्नति को संभालना
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

76. 1977 में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(1) के.एफ. रुस्तमजी
(2) धर्म वीरा
(3) जूलियो रिबेरो
(4) पद्मनाभैया
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

77. अन्वेषण करने वाली पुलिस को कानून-व्यवस्था वाली पुलिस से अलग करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
(1) राज्य सरकार के बजट पर कुल वेतन भार को कम करना
(2) प्रत्येक राज्य में दो अलग-अलग और भिन्न पुलिस प्रमुख बनाना
(3) अन्य कर्तव्यों में विचलन को रोककर त्वरित अन्वेषण सुनिश्चित करना
(4) मौजूदा अन्वेषण शक्तियों को न्यायपालिका को हस्तांतरित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: राज्य सुरक्षा आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार पुलिस पर अवांछित प्रभाव या दबाव न डाले।
कथन II: राज्य के मुख्यमंत्री को आमतौर पर राज्य सुरक्षा आयोग का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जाता है।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

79. प्रकाश सिंह निर्देशों के अनुसार, पुलिस स्थापना बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाती है।
II. इसमें पुलिस विभाग के चार वरिष्ठतम अधिकारी शामिल होते हैं।
III. यह पुलिस उपअधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर निर्णय लेता है।
IV. यह पदोन्नति के संबंध में अधिकारियों की अपीलों का समाधान करता है।
V. यह सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) I, II, III और V
(2) I, II, III और IV
(3) II, III, IV और V
(4) I, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

80. पुलिस सुधारों से संबंधित निम्नलिखित समितियों और आयोगों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रीय पुलिस आयोग (धर्म वीरा)
II. रिबेरो समिति
III. पद्मनाभैया समिति
IV. गोरे समिति

NODIA

11. (2) I, IV, III, II
राजस्थान पुलिस के संगठनात्मक पदानुक्रम में सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक का होता है जो संपूर्ण बल का नेतृत्व करते हैं। उनके पश्चात अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का स्थान आता है जो विभिन्न विशिष्ट शाखाओं का संचालन करते हैं। इसके उपरांत पुलिस महानिरीक्षक रेंज स्तर पर और पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। यह श्रेणीबद्ध संरचना आदेश की श्रृंखला और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करती है।

12. (2) पुलिस महानिदेशक
राजस्थान पुलिस बल के सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख और नेतृत्वकर्ता पुलिस महानिदेशक होते हैं। वे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं और राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। पुलिस महानिदेशक संपूर्ण बल के अनुशासन, प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी कार्यों की निगरानी करते हैं। उनकी भूमिका राज्य में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

13. (3) पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विधि बनाने की शक्ति
पुलिस महानिदेशक के पास राज्य पुलिस बल पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है और वे पुलिस व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को परामर्श देते हैं। वे बल के व्यय और वित्तीय प्रबंधन की भी निगरानी करते हैं। हालांकि पुलिस आधुनिकीकरण या किसी अन्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के पास होती है। पुलिस प्रमुख केवल प्रशासनिक आदेश और निर्देश जारी कर सकते हैं।

14. (2) केवल IV
पुलिस महानिदेशक राज्य के सभी पुलिस बलों को निर्देशित करते हैं और सरकारी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। वे केंद्रीय संगठनों के साथ समन्वय और सशस्त्र इकाइयों की तैनाती का प्रबंधन भी करते हैं। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से राज्य के सभी संज्ञेय अपराधों की सीधे जांच नहीं करते हैं। अन्वेषण का कार्य अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि महानिदेशक केवल समग्र पर्यवेक्षण करते हैं।

15. (1) संघ लोक सेवा आयोग
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई एक सूची से किया जाना अनिवार्य है। आयोग वरिष्ठता, सेवा अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर तीन पात्र अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को भेजता है। राज्य सरकार को इस सूची में से ही किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त करना होता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

16. (2) कई जिलों में पुलिस के कामकाज का पर्यवेक्षण करना
रेंज स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति का मुख्य आधार एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले कई जिलों के पुलिस कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण करना है। यह पद जिला पुलिस और राज्य मुख्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न जिलों की कार्यप्रणाली में एकरूपता बनी रहे और स्थानीय पुलिस को आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो।

17. (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
पुलिस प्रशासन की विभिन्न इकाइयों का नेतृत्व विशिष्ट रैंक के अधिकारी करते हैं। राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक सर्वोच्च पद पर होते हैं, जबकि रेंज का प्रशासन पुलिस महानिरीक्षक संभालते हैं। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक कानून-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके पश्चात वृत्त स्तर पर पुलिस उपअधीक्षक कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। यह पदानुक्रमित संरचना उत्तरदायित्व के स्पष्ट विभाजन हेतु अत्यंत आवश्यक है।

18. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
एक पुलिस रेंज प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई इकाई है जिसमें सामान्यतः दो या अधिक पुलिस जिले सम्मिलित होते हैं। रेंज के प्रभारी महानिरीक्षक के पास अपनी रेंज के भीतर स्थित विभिन्न जिलों में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की शक्ति होती है। यह व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और जनशक्ति के प्रभावी उपयोग को संभव बनाती है और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करती है।

19. (3) थानों का निरीक्षण करना और क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों का मार्गदर्शन करना
पुलिस रेंज के महानिरीक्षक की भूमिका मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रकृति की होती है। वे अपनी रेंज के अंतर्गत आने वाले विभिन्न थानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और जिले के पुलिस अधीक्षकों को कानून-व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं। वे क्षेत्र में अपराध की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं और बड़े अभियानों का समन्वय करते हैं। उनका कार्य पुलिसिंग की गुणवत्ता और दक्षता सुधारना है।

20. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
रेंज महानिरीक्षक राज्य पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस के बीच एक अनिवार्य सेतु के रूप में कार्य करते हैं। वे कई जिलों में अपराध की स्थिति का निरंतर मूल्यांकन करते हैं ताकि राज्य स्तर की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पुलिस अधीक्षकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। यह तंत्र प्रशासनिक दक्षता और सूचना प्रवाह बढ़ाता है।

21. (3) पुलिस अधीक्षक
जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का मुख्य नेतृत्व पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। जिले में अपराध की रोकथाम, कानून-व्यवस्था का रखरखाव और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का अनुशासन बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वे जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करते हुए सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करते हैं और पूरी जिला पुलिस मशीनरी के संचालन हेतु जवाबदेह होते हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

22. (1) पुलिस अधीक्षक > अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक > पुलिस उपअधीक्षक > वृत्त निरीक्षक
जिला पुलिस प्रशासन में पदों का क्रम उच्चतम से निम्नतम स्तर पर पुलिस अधीक्षक से आरंभ होकर वृत्त निरीक्षक तक जाता है। पुलिस अधीक्षक जिले के प्रमुख होते हैं, जिनके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक सहायता हेतु नियुक्त होते हैं। इसके नीचे पुलिस उपअधीक्षक उप-खंड स्तर पर कमान संभालते हैं और वृत्त निरीक्षक थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। यह पदानुक्रम आदेश की स्पष्टता सुनिश्चित करता है।

23. (4) पुलिस अधीक्षक - जिला न्यायपालिका का प्रमुख
जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर राजस्व कार्यों के प्रमुख होते हैं, जबकि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वे लोक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक जिला न्यायपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है जिसका नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। पुलिस केवल न्यायिक सहयोग देती है।

24. (1) केवल I और II
पुलिस अधीक्षक जिले के भीतर अपराधों की रोकथाम और उन्हें सुलझाने के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। वे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के कार्यों की निगरानी करते हैं और उन पर आवश्यक अनुशासनात्मक नियंत्रण रखते हैं। हालांकि उनके पास जिला न्यायालयों द्वारा सुनाई गई किसी भी न्यायिक सजा को कम करने या बदलने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह शक्ति केवल संवैधानिक प्रावधानों के अधीन ही प्रयोग की जा सकती है।

25. (3) व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के बीच घनिष्ठ समन्वय
जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर प्रशासनिक नियमों के अनुसार पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने हेतु आवश्यक कानूनी आदेश जारी करते हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक उन आदेशों को लागू करने हेतु पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं। इन दोनों अधिकारियों का संयुक्त प्रयास ही हिंसा रोकने में प्रभावी होता है और यह सुशासन का आधार है।

26. (1) A-i, B-ii, C-ii, D-i
जिले में निषेधाज्ञा जारी करने और शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने जैसी वैधानिक शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। दूसरी ओर, विशिष्ट आयोजनों के लिए पुलिस बल की वास्तविक तैनाती और पुलिस लाइनों के भीतर आंतरिक अनुशासन बनाए रखने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। यह विभाजन कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियामक भूमिका और पुलिस प्रमुख की परिचालन संबंधी जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करता है।

27. (4) भारतीय पुलिस सेवा
किसी भी जिले में पुलिस अधीक्षक का महत्वपूर्ण पद सामान्यतः भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी द्वारा संभाला जाता है। इन अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है और उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वरिष्ठ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी पदोन्नत कर इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन मूल रुप से यह संवर्ग अखिल भारतीय स्वरूप का होता है।

28. (2) आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करना
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक आंतरिक विभागीय मामलों में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के साथ निरंतर समन्वय करना होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन के सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पुलिस अधीक्षक परिचालन संबंधी निर्णय लेते हैं, जबकि जिला मजिस्ट्रेट व्यापक नीतियों के लिए निर्देश देते हैं। यह संबंध अधीनस्थ होने के बजाय पूरक और सहयोगात्मक है।

29. (3) I, II और IV
पुलिस अधीक्षक जिले के भीतर थाना प्रभारियों के स्थानांतरण का प्रबंधन करते हैं और नियमित रूप से थानों का निरीक्षण कर कार्यक्षमता की जांच करते हैं। वे जनता की शिकायतों को सुनते हैं और स्थानीय सुरक्षा समस्याओं का समाधान करते हैं। हालांकि राज्य पुलिस के वार्षिक आय-व्यय पत्रक को स्वीकृति देने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। यह कार्य राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर किया जाता है।

30. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक शांति के संरक्षक होते हैं। पुलिस अधिनियम के अनुसार कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पुलिस बल का प्रयोग हमेशा नागरिक प्रशासन की देखरेख और कानूनी दिशा-निर्देशों के भीतर ही किया जाए।

31. (1) किसी भी क्षेत्र को नया पुलिस थाना घोषित करने का अधिकार
पुलिस अधीक्षक के पास अपने अधीनस्थ अधिकारियों के निलंबन और उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने जैसी व्यापक प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। वे जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो के संचालन की भी निगरानी करते हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र को आधिकारिक रूप से नया पुलिस थाना घोषित करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। यह निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लिया जा सकता है।

32. (2) पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में रक्षित निरीक्षक
प्रत्येक पुलिस जिले में पुलिस लाइन बल के भंडार, आवास और आरक्षित बल का मुख्य केंद्र होती है। इसकी देखरेख का

NODIA

प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व रक्षित निरीक्षक का होता है जो पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। रक्षित निरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस लाइन में अनुशासन बना रहे और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध हो। यह इकाई जिले की परिचालन क्षमता हेतु आधारभूत सहायता प्रदान करती है।

33. (2) न्यायालय के बिना स्वतंत्र रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करना
पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारियों को परिचालन संबंधी निर्देश दे सकते हैं और थानों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। वे अपराध समीक्षा बैठकों का नेतृत्व भी करते हैं। हालांकि उनके पास स्वतंत्र रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति नहीं होती है। यह एक न्यायिक कार्य है जो केवल सक्षम मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

34. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के पास कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जैसे अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार होता है। इसके विपरीत, पुलिस उपअधीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार या पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाता है क्योंकि वे राजपत्रित अधिकारी होते हैं। पुलिस अधीक्षक केवल उनके स्थानांतरण की अनुशंसा कर सकते हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण और सेवा नियमों के बीच संतुलन बनाती है।

35. (1) I, II और IV
पुलिस अधीक्षक के प्रमुख कर्तव्यों में सुचारु यातायात प्रबंधन, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर उपद्रव-रोधी अभियान चलाना सम्मिलित है। हालांकि निर्वाचन नामावली तैयार करना और भू-राजस्व का संग्रह करना विशुद्ध रूप से नागरिक प्रशासन और राजस्व विभाग के कार्य हैं। इन कार्यों में पुलिस केवल सुरक्षा सहायता प्रदान करती है, लेकिन ये उनके मुख्य उत्तरदायित्व नहीं हैं।

36. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
प्रशासनिक पदानुक्रम में प्रत्येक स्तर के लिए एक उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त होता है। जिले का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करते हैं, जबकि उप-खंड स्तर पर पुलिस उपअधीक्षक कमान संभालते हैं। पुलिस स्टेशन का प्रभारी थाना प्रभारी होता है जो जमीनी स्तर पर कानून लागू करता है। सबसे छोटी इकाई पुलिस बीट होती है जहाँ बीट कांस्टेबल सुरक्षा और सूचना संग्रह का कार्य करता है। यह ढांचा पुलिसिंग को प्रभावी बनाता है।

37. (3) राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में घोषित कोई भी चौकी या स्थान
कानून के अनुसार पुलिस स्टेशन केवल एक भवन नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए घोषित कोई भी चौकी या स्थान है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अपराधों की सूचना दर्ज की जा सकती है और जांच प्रारंभ की जा सकती है। सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसकी सीमाओं को परिभाषित करती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारभूत इकाई है।

38. (1) IV, III, I, II
पुलिस स्टेशन के पदानुक्रम में सबसे बुनियादी पद कांस्टेबल का होता है, जिसके पश्चात पदोन्नति से हेड कांस्टेबल बनते हैं। उनसे ऊपर सहायक उप-निरीक्षक होते हैं जो प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं। उप-निरीक्षक का पद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रायः छोटे थानों के प्रभारी या प्रमुख जांच अधिकारी होते हैं। यह आरोही क्रम पुलिस बल में जिम्मेदारी और अधिकारों के स्तर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

39. (4) एक उप-खंड का प्रभारी होना और अपने अधीन थाना प्रभारियों का पर्यवेक्षण करना
पुलिस उपअधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक सामान्यतः एक पुलिस उप-खंड के प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी मुख्य भूमिका अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना और थाना प्रभारियों को मार्गदर्शन देना है। वे गंभीर अपराधों की जांच की निगरानी करते हैं और क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे प्रशासनिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

40. (2) केवल I और III
वृत्त निरीक्षक एक प्रशासनिक पद है जो अपने वृत्त के भीतर आने वाले कई पुलिस थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वे विशेष रूप से जघन्य अपराधों के अन्वेषण के दौरान उप-निरीक्षकों को पेशेवर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि वृत्त निरीक्षक का कार्य प्रत्येक थाने में जाकर भौतिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना नहीं है। यह प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित थाने के प्रभारी की होती है।

41. (2) धारा 154
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत थाना प्रभारी किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार बनती है। इसमें अनिवार्य है कि दी गई सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया जाए और सूचना प्रदाता को उसकी एक प्रति निःशुल्क दी जाए। यह पुलिस की जांच शक्ति का प्रारंभिक बिंदु है।

42. (1) स्वतंत्र रूप से जांच बंद करना और किसी संदिग्ध को दोषमुक्त करना
थाना प्रभारी के पास मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय अपराधों की जांच करने और साक्ष्यों को उपस्थित करने की शक्ति होती है। वे कानूनी नियमों के तहत तलाशी भी ले सकते हैं। हालांकि थाना प्रभारी स्वतंत्र रूप से किसी भी चल रही जांच को बंद नहीं कर सकते और न ही किसी संदिग्ध को स्वयं दोषमुक्त कर सकते हैं। जांच की अंतिम रिपोर्ट हमेशा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Click Here to Buy book on Amazon

(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

89. राजस्थान में 'सुरक्षा सखी' पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) पुलिस और स्थानीय महिलाओं के बीच संवाद स्थापित करना
(2) महिलाओं को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना
(3) महानिरीक्षक के अधीन कार्यरत सवैतनिक सरकारी कर्मचारी
(4) महिला नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास की कमी को दूर करने में मदद करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

90. सूची I की सामुदायिक पुलिसिंग पहलों को सूची II में उनके लक्षित उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (सामुदायिक पुलिसिंग पहल)
A. सुरक्षा सखी
B. स्टूडेंट पुलिस कैडेट
C. CLG (सामुदायिक संपर्क समूह)
D. ग्राम रक्षक
सूची II: (लक्ष्य/उद्देश्य)
i. थाना स्तर पर आम जनता और पुलिस के बीच की खाई को पाटना
ii. ग्रामीण स्तर पर शांति और अपराध की रोकथाम में पुलिस की सहायता करना
iii. स्कूली बच्चों में अनुशासन और नागरिक बोध विकसित करना
iv. महिलाओं और लड़कियों की शिकायतों का समाधान और सुरक्षा बढ़ाना
(1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

91. भारत में पुलिस-पब्लिक संबंधों को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किसे माना जाता है?
(1) नियमित कांस्टेबलों द्वारा उपयोग के लिए आधुनिक हथियारों की कमी
(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के लिए डिजिटल तकनीकों पर अत्यधिक निर्भरता
(3) पुलिस कांस्टेबुलरी की उच्च शैक्षणिक योग्यता
(4) विश्वास की कमी और एक दमनकारी बल के रूप में धारणा
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

92. राजस्थान में पुलिस आधुनिकीकरण के संदर्भ में, CCTNS का पूर्ण रूप क्या है?
(1) सेंट्रलाइज्ड क्राइम ट्रैकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी
(2) क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली)
(3) क्रिमिनल कनविक्शन ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग स्कीम
(4) कोर क्राइम ट्रैकिंग एंड नेविगेशन सिस्टम
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

93. अन्वेषण के चरण में मामलों के अत्यधिक लंबित होने का सबसे सीधा प्रभाव क्या होता है?
(1) पुलिस के लिए राज्य के बजट आवंटन में कमी
(2) जिला पुलिस अधीक्षक की तत्काल बर्खास्तगी
(3) पीड़ितों और अभियुक्तों के लिए न्याय वितरण में देरी
(4) मामले का केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्वतः हस्तांतरण
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

94. निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक पुलिसिंग पहलों का एक अपवाद है?
(1) पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना
(2) स्थानीय पड़ोस के स्तर पर सक्रिय समस्या-समाधान
(3) स्थानीय अपराधों को रोकने के लिए सामुदायिक खुफिया जानकारी एकत्र करना
(4) निजी नागरिकों को अन्वेषण का कर्तव्य सौंपना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

95. 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' योजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को उन्नत करना है?
(1) गतिशीलता, हथियार और फॉरेंसिक को उन्नत करना
(2) सेवानिवृत्त महानिदेशकों के लिए पेंशन लाभ में वृद्धि करना
(3) विभिन्न पुलिस थानों के रखरखाव का निजीकरण करना
(4) सभी राज्य पुलिस बलों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में स्थानांतरित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

96. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए:
कथन I: पुलिस बल में जनशक्ति की कमी के कारण अक्सर कांस्टेबुलरी के लिए काम के घंटे अनियमित और अत्यधिक लंबे हो जाते हैं।
कथन II: पर्याप्त विश्राम के बिना काम के लंबे घंटे पुलिस कर्मियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे उनके सार्वजनिक संवाद प्रभावित होते हैं।
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(5) प्रश्न हल नहीं किया गया

97. पुलिस प्रशासन की चुनौतियों और उनके प्रस्तावित समाधानों के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(1) उच्च लंबित मामले - राज्य पुलिस बल के आकार में

NODIA

54. (2) सामान्य डायरी थाने की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है; प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्वेषण शुरू करती है
दैनिक डायरी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के बीच मौलिक अंतर उनके उद्देश्य में है। दैनिक डायरी थाने में होने वाली सभी घटनाओं और प्रशासनिक कार्यों का एक व्यापक अभिलेख है। इसके विपरीत, प्रथम सूचना रिपोर्ट विशेष रूप से किसी संज्ञेय अपराध की सूचना होती है जो आधिकारिक कानूनी अन्वेषण प्रक्रिया को आरंभ करती है। डायरी प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए है, जबकि रिपोर्ट न्यायिक प्रक्रिया का पहला और अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है।

55. (2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण > स्थल निरीक्षण > साक्ष्य एकत्र करना > आरोप पत्र दाखिल करना
पुलिस अन्वेषण की प्रक्रिया हमेशा प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से आरंभ होती है। इसके तुरंत बाद जांच अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करता है ताकि भौतिक साक्ष्य सुरक्षित रहें। इसके पश्चात साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को एकत्र किया जाता है। यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो अंत में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। यह क्रम सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष और कानूनी रूप से सुदृढ़ हो।

56. (1) संगठित अपराध, आतंकवाद और अंतर-राज्यीय गिरोहों से निपटना
राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह का मुख्य कार्य संगठित अपराध, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और बड़े अंतर-राज्यीय गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। यह इकाई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर काम करती है और संवेदनशील अपराधों की जांच हेतु जानी जाती है। इस समूह को आधुनिक तकनीकी संसाधनों और विशेष प्रशिक्षण से लैस किया गया है ताकि वे राज्य की सुरक्षा हेतु बड़े खतरों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

57. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
राजस्थान पुलिस की विभिन्न विशिष्ट इकाइयां अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकारी पदों के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी की जांच करता है। अपराध जांच विभाग जटिल और संवेदनशील मामलों को संभालता है। विशेष अभियान समूह संगठित माफियाओं के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि यातायात पुलिस सड़कों पर नियमों का अनुपालन और सुचारु वाहन संचालन सुनिश्चित करती है। यह विशिष्टता कार्यक्षमता को बढ़ाती है।

58. (2) केवल I और III
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक स्वतंत्र संस्था है जिसका नेतृत्व महानिदेशक स्तर के अधिकारी करते हैं। यह ब्यूरो लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली रिश्वत की मांग को पकड़ने हेतु प्रभावी जाल बिछाने जैसे सक्रिय कदम उठाता है। इसका अधिकार क्षेत्र सभी श्रेणियों के भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सशक्त है। यह प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए समर्पित एक प्रमुख एजेंसी है।

59. (4) अपराध शाखा और विशेष शाखा
राजस्थान पुलिस के अपराध जांच विभाग को मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण शाखाओं, अपराध शाखा और विशेष शाखा में विभाजित किया गया है। अपराध शाखा गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों के अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करती है। विशेष शाखा का प्राथमिक कार्य खुफिया जानकारी एकत्र करना है जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से संबंधित होती है। ये दोनों शाखाएं राज्य पुलिस मुख्यालय को रणनीतिक सहायता प्रदान करती हैं।

60. (2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधिकारियों को राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच करने से मना किया गया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नियमित जिला पुलिस से स्वतंत्र कार्य करता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त करता है। यह जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने हेतु हेल्पलाइन भी संचालित करता है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि ब्यूरो को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच से रोका गया है। पर्याप्त आधार होने पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वह किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जांच कर सकता है।

61. (3) I, II और IV
अपराध जांच विभाग की शाखाएं कई जिलों से जुड़े जटिल मामलों की जांच करती हैं और साइबर अपराध जैसे खतरों से निपटने में तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। विशेष शाखा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं एकत्र करने हेतु उत्तरदायी है। हालांकि नियमित कानून-व्यवस्था के लिए थानों का दैनिक पर्यवेक्षण करना इनका कार्य नहीं है; यह जिम्मेदारी जिला पुलिस की होती है। सीआईडी केवल विशिष्ट और उच्च स्तरीय मामलों तक सीमित रहती है।

62. (4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। यह कानून लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और पद के दुरुपयोग को दंडनीय बनाता है। ब्यूरो इसी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करता है और जांच के बाद न्यायालय में अभियोजन सुनिश्चित करता है। यह कानून लोक प्रशासन में शुचिता बनाए रखने का प्रमुख ढांचा है।

63. (1) संपत्ति के दस्तावेजों की जालसाजी
यातायात पुलिस के नियमित कर्तव्यों में मदिरापान कर गाड़ी चलाने, गति सीमा का उल्लंघन करने और यातायात संकेतों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना सम्मिलित है। उनका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। हालांकि संपत्ति के दस्तावेजों की जालसाजी या धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करना उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे अपराधों की जांच नियमित पुलिस थानों द्वारा की जाती है।

NODIA

कानूनों के स्थान पर आधुनिक पुलिसिंग का ढांचा प्रस्तुत करता है।

85. (3) जवाबदेही के साथ 'शासक की पुलिस' से 'जनता की पुलिस' की ओर बढ़ना
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पीछे मूल दर्शन पुलिस को 'शासक की पुलिस' से बदलकर 'जनता की पुलिस' बनाना है। इसका अर्थ है कि पुलिस को किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादार होने के बजाय संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यह दर्शन पुलिसिंग में व्यावसायिकता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और पारदर्शिता लाने पर बल देता है ताकि आम नागरिकों का पुलिस पर विश्वास पुनः स्थापित हो सके।

86. (2) कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (सामुदायिक संपर्क समूह)
राजस्थान में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक संपर्क समूह का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और स्थानीय समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच नियमित संवाद स्थापित करना है। ये समूह स्थानीय समस्याओं को पुलिस के समक्ष रखते हैं और अपराधों को रोकने में सहयोग करते हैं। यह पहल पुलिसिंग में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करती है जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक सहयोग और विश्वास बढ़ता है।

87. (4) गांव में अपराध की रोकथाम में पुलिस की सहायता करने वाले स्थानीय स्वयंसेवक
'ग्राम रक्षक' योजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत स्थानीय स्वयंसेवकों को अपने गांव में अपराध की रोकथाम और शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता हेतु चुना जाता है। ये ग्राम रक्षक पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों और स्थानीय विवादों की सूचना देते हैं जिससे गंभीर घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। यह योजना पुलिस के सीमित संसाधनों को गांव स्तर तक विस्तार देकर ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

88. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
'पुलिस मित्र' पहल के माध्यम से अच्छे चरित्र वाले नागरिकों को स्वेच्छा से यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यों में पुलिस की सहायता हेतु आमंत्रित किया जाता है। यह पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी प्रयास है। हालांकि पुलिस मित्रों के पास अपराधियों को गिरफ्तार करने या रिपोर्ट दर्ज करने जैसी कोई कानूनी शक्तियां नहीं होती हैं। वे केवल सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

89. (3) महानिरीक्षक के अधीन कार्यरत सवैतनिक सरकारी कर्मचारी
'सुरक्षा सखी' पहल महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शुरु की गई है। यह पुलिस और महिला नागरिकों के बीच विश्वास की कमी को दूर करने में सहायता करती है ताकि वे बिना किसी भय के उत्पीड़न की सूचना दे सकें। सुरक्षा सखियां समुदाय की सक्रिय महिलाएं होती हैं जो स्वयंसेवक के रूप में कार्य करती हैं। यह सवैतनिक सरकारी पद नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक सेवा है।

90. (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
राजस्थान की सामुदायिक पुलिसिंग पहलें समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित करती हैं। सुरक्षा सखी महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कूली बच्चों में नागरिक बोध विकसित करता है। सामुदायिक संपर्क समूह थाना स्तर पर जनता और पुलिस के बीच समन्वय का माध्यम है और ग्राम रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। ये सभी प्रयास सामूहिक रुप से एक सुरक्षित समाज के निर्माण में सहायक हैं।

91. (4) विश्वास की कमी और एक दमनकारी बल के रूप में धारणा
भारत में पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंधों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती विश्वास की कमी और पुलिस की एक दमनकारी बल के रूप में बनी पुरानी धारणा है। ऐतिहासिक कारणों से आम नागरिक पुलिस के पास जाने में हिचकिचाते हैं। इस दूरी को मिटाने के लिए पुलिस को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनने की आवश्यकता है। विश्वास बहाली ही सामुदायिक पुलिसिंग और प्रभावी कानून-व्यवस्था की सफलता का आधार है।

92. (2) अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली
सीसीटीएनएस का पूर्ण रुप 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' है जो पुलिस थानों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की एक राष्ट्रव्यापी परियोजना है। इसके माध्यम से सभी पुलिस थानों को एक एकीकृत नेटवर्क से जोड़ा गया है जिससे अपराधों और अपराधियों का डेटा तत्काल साझा किया जा सके। यह प्रणाली रिपोर्ट दर्ज करने, जांच की निगरानी करने और अंतर-राज्यीय अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है।

93. (3) पीड़ितों और अभियुक्तों के लिए न्याय वितरण में देरी
पुलिस जांच के स्तर पर मामलों के अत्यधिक लंबित होने का सबसे गंभीर प्रभाव न्याय मिलने में होने वाला विलंब है। जब जांच में लंबा समय लगता है, तो साक्ष्य निर्बल हो सकते हैं और गवाह मुकर सकते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। यह स्थिति समाज में न्याय प्रणाली के प्रति अविश्वास उत्पन्न करती है और कानून के शासन की प्रभावशीलता को कम करती है।

94. (4) निजी नागरिकों को अन्वेषण का कर्तव्य सौंपना
सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिस और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और अपराध रोकने हेतु सूचनाएं साझा करना है। यह एक सहयोगात्मक मॉडल है। हालांकि यह किसी भी परिस्थिति में निजी नागरिकों को अपराधों के अन्वेषण या जांच का कानूनी उत्तरदायित्व नहीं सौंपता है। अन्वेषण एक विशुद्ध कानूनी प्रक्रिया है जिसे केवल अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए।

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

गठन का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त प्रमुख पदों जैसे पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक हेतु न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया था। ये कदम पुलिस बल को बार-बार होने वाले राजनीतिक स्थानांतरणों से बचाने और उनकी कार्यात्मक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु उठाए गए थे।

75. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
प्रकाश सिंह निर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाना है। राज्य सुरक्षा आयोग पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करता है, जबकि न्यूनतम कार्यकाल स्थानांतरण के भय को कम करता है। अन्वेषण और कानून-व्यवस्था के पृथक्करण से अपराधों की जांच अधिक पेशेवर होती है। पुलिस स्थापना बोर्ड अधीनस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण को योग्यता के आधार पर संचालित करता है। ये सुधार पुलिस को सेवा-उन्मुख बनाते हैं।

76. (2) धर्म वीरा
1977 में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष धर्म वीरा थे जो एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में आयोग ने आठ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कीं जिनमें पुलिस संगठन, प्रशिक्षण और उत्तरदायित्व में व्यापक परिवर्तन के सुझाव दिए गए थे। धर्म वीरा आयोग की अनुशंसाओं को पुलिस सुधारों का मुख्य आधार माना जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार पुलिस व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया था।

77. (3) अन्य कर्तव्यों में विचलन को रोककर त्वरित अन्वेषण सुनिश्चित करना
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्वेषण कार्य को कानून-व्यवस्था से अलग करने का निर्देश देने का मुख्य लक्ष्य अपराधों की त्वरित जांच सुनिश्चित करना है। प्रायः पुलिस कर्मी वीआईपी ड्यूटी या भीड़ नियंत्रण में व्यस्त हो जाते हैं जिससे आपराधिक मामलों की जांच में विलंब होता है। इस पृथक्करण से अन्वेषण अधिकारियों को केवल अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा जिससे साक्ष्य एकत्र करने की गुणवत्ता और सजा की दर बढ़ेगी।

78. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
राज्य सुरक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य पुलिस पर राज्य सरकार के अवांछित प्रभाव को रोकना और व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करना है। यह पुलिस की स्वायत्तता की रक्षा करता है। हालांकि यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को इसका सदस्य बनने से रोका जाता है। इसके विपरीत, कई मॉडलों में मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ही इस आयोग की अध्यक्षता करते हैं ताकि राजनीतिक नेतृत्व और पुलिस में समन्वय बना रहे।

79. (2) I, II, III और IV
पुलिस स्थापना बोर्ड की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक करते हैं और इसमें विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सम्मिलित होते हैं। यह बोर्ड पुलिस उपअधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति पर निष्पक्ष निर्णय लेता है। यह बोर्ड सीधे केंद्र को रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि राज्य सरकार के ढांचे के भीतर कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य आंतरिक प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करना है।

80. (1) IV, I, II, III
पुलिस सुधारों हेतु गठित विभिन्न समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम गोरे समिति (1971) से आरंभ होता है, जिसके पश्चात धर्म वीरा आयोग (1977) आया। इसके उपरांत रिबेरो समिति (1998) और पद्मनाभैया समिति (2000) का गठन किया गया था। इन सभी समितियों ने अपने-अपने समय की सुरक्षा चुनौतियों और पुलिसिंग की कमियों का अध्ययन कर सुधार के सुझाव दिए। यह निरंतर प्रयास भारत में सुधार की लंबी प्रक्रिया दर्शाता है।

81. (2) दो वर्ष
प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक हेतु न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल अनिवार्य किया है। यह निर्देश इसलिए दिया गया था ताकि पुलिस प्रमुखों को बार-बार होने वाले राजनीतिक स्थानांतरणों के भय के बिना काम करने की सुरक्षा मिल सके। एक निश्चित कार्यकाल अधिकारी को जिले की समस्याओं को समझने और सुरक्षा रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

82. (1) हिरासत में मृत्यु जैसे गंभीर कदाचार की जांच करना
पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए गंभीर कदाचार जैसे हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट या मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की स्वतंत्र जांच हेतु किया जाता है। यह निकाय जनता को पुलिस की मनमानी के विरुद्ध एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है ताकि कानून लागू करने वाले स्वयं भी कानून के प्रति उत्तरदायी रहें।

83. (3) महिलाओं की 33% अनिवार्य भर्ती
प्रकाश सिंह मामले के सात निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना और पुलिस प्रमुखों का निश्चित कार्यकाल सम्मिलित है। इसमें अन्वेषण और कानून-व्यवस्था को अलग करने की बात भी की गई थी। हालांकि महिलाओं की 33% अनिवार्य भर्ती इन सात विशिष्ट निर्देशों का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं थी। यद्यपि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन न्यायालय के इन आदेशों का केंद्र बिंदु पुलिस की स्वायत्तता थी।

84. (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
पुलिस सुधारों से जुड़ी विभिन्न समितियों के विशिष्ट उद्देश्य थे। रिबेरो समिति ने आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने पर बल दिया, जबकि पद्मनाभैया समिति ने भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार की बात की। मलीमठ समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलावों का अध्ययन किया। सोली सोराबजी समिति ने एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार किया जो पुराने

NODIA

64. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है।
विशेष अभियान समूह को आधुनिक स्वचालित हथियारों और उन्नत तकनीकी निगरानी उपकरणों से लैस किया गया है ताकि वे खतरनाक अपराधियों का सामना कर सकें। हालांकि इन्हें धार्मिक उत्सवों या सामान्य मेलों में भीड़ नियंत्रण हेतु तैनात नहीं किया जाता है। भीड़ नियंत्रण का कार्य सामान्यतः जिला पुलिस और आरएसी की इकाइयों द्वारा किया जाता है। एसओजी का उपयोग केवल उच्च जोखिम वाले अभियानों और संगठित अपराध के विरुद्ध ही किया जाता है।

65. (2) I, II, III और IV
यातायात पुलिस का कार्य शहरी क्षेत्रों में वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करना और मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करना है। वे सड़क सुरक्षा के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु अभियान चलाते हैं और आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस हेतु विशेष मार्ग सुनिश्चित करते हैं। हालांकि नागरिकों को शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी करना यातायात पुलिस का उत्तरदायित्व नहीं है। यह कार्य जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस के शस्त्र अनुभाग द्वारा किया जाता है।

66. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
आधुनिक यातायात प्रबंधन में विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अवरोधक वाहन की गति को मापकर तेज रफ्तार रोकने में सहायता करते हैं, जबकि श्वसन विश्लेषक मदिरापान की जांच करते हैं। ई-चालान प्रणाली उल्लंघनकर्ताओं पर पारदर्शी तरीके से दंड लगाने का डिजिटल माध्यम है। यातायात संकेतों का समकालीकरण चौराहों पर जाम कम करने और वाहनों की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। ये तकनीकें सुरक्षा बढ़ाती हैं।

67. (3) आतंकवाद, संगठित माफियाओं और खूंखार अपराधियों का मुकाबला करना
राजस्थान में विशेष अभियान समूह की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करना और संगठित माफिया समूहों का उन्मूलन करना था। यह इकाई नियमित पुलिसिंग से परे उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है जो राज्य की शांति हेतु बड़ा खतरा हैं। अपनी विशेष विशेषज्ञता और आक्रामक रणनीति के कारण इस समूह ने राज्य में कानून का शासन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

68. (4) किसी लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ना
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संदर्भ में "ट्रैप केस" का तात्पर्य उस कार्रवाई से है जिसमें किसी लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता और गवाहों की उपस्थिति में रसायनों का उपयोग कर नोटों को चिह्नित किया जाता है ताकि रिश्वत लेने का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे प्रभावी साधन है जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में भय बना रहता है।

69. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अपराध जांच विभाग के अधिकारियों को न्यायालयिक विज्ञान और आधुनिक तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जटिल मामलों को संभालते हैं। नियमित जिला पुलिस पर दैनिक कानून-व्यवस्था का अत्यधिक भार होता है जिसके कारण उनके पास गहन जांच हेतु समय और उन्नत संसाधनों की कमी हो सकती है। सीआईडी इन कमियों को दूर करती है और सनसनीखेज मामलों में पेशेवर अन्वेषण सुनिश्चित करती है।

70. (2) जिला स्तर पर यातायात पुलिस - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राजस्थान में सीआईडी और एसओजी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों का नेतृत्व प्रायः अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करते हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का प्रमुख भी उच्च स्तर का अधिकारी होता है। हालांकि जिला स्तर पर यातायात पुलिस का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा नहीं किया जाता है। जिला स्तर पर यातायात शाखा का प्रभारी सामान्यतः एक निरीक्षक या उप-निरीक्षक होता है जो जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन है।

71. (2) 1977
भारत सरकार ने पुलिस प्रणाली की व्यापक समीक्षा और सुधारों की अनुशंसा करने हेतु 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की थी। यह आयोग आपातकाल के पश्चात की परिस्थितियों में पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता और स्वतंत्रता लाने हेतु गठित किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और उसे जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने हेतु दूरगामी सुझाव दिए थे।

72. (1) केवल I और II
राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1861 के पुराने पुलिस अधिनियम को बदलकर एक नया और आधुनिक कानून बनाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने पुलिस को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने हेतु 'राज्य सुरक्षा आयोग' की स्थापना का भी सुझाव दिया था। हालांकि आयोग ने पुलिस और न्यायिक सेवाओं के विलय की बात कभी नहीं की क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध होता। इसका उद्देश्य पेशेवर सेवा बनाना था।

73. (3) राज्य संवर्गों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा का उन्मूलन करना
प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों हेतु सात महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। इनमें पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल निश्चित करना और अन्वेषण को कानून-व्यवस्था से अलग करना सम्मिलित था। न्यायालय का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाना था, न कि भारतीय पुलिस सेवा का उन्मूलन करना। आईपीएस संरचना बनी रही, लेकिन उसके कामकाज के तरीकों में सुधार लाने हेतु ये ऐतिहासिक निर्देश दिए गए थे।

74. (4) I, II, III और IV
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के

Click Here to Buy book on Amazon

95. (1) गतिशीलता, हथियार और फॉरेंसिक को उन्नत करना
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना का लक्ष्य परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत पुलिस को बेहतर गतिशीलता हेतु नए वाहन, अपराधियों का सामना करने हेतु आधुनिक हथियार और जांच में शुद्धता हेतु उन्नत न्यायालयिक विज्ञान तकनीकें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके।

96. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
पुलिस बल में जनशक्ति की कमी के कारण कार्यरत कर्मियों को अत्यधिक लंबे और अनियमित घंटों तक कार्य करना पड़ता है। पर्याप्त विश्राम और पारिवारिक समय के अभाव में उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तनावग्रस्त पुलिस कर्मी अक्सर जनता के साथ व्यवहार करते समय धैर्य खो देते हैं, जिससे पुलिस की सार्वजनिक छवि प्रभावित होती है। यह समस्या कर्मियों के कल्याण और नई भर्तियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

97. (2) विश्वास की कमी - CLG जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों को लागू करना
पुलिस प्रशासन के समक्ष कई चुनौतियां हैं और उनके विशिष्ट समाधान प्रस्तावित हैं। जनता में विश्वास की कमी को दूर करने हेतु सामुदायिक संपर्क समूह जैसे कार्यक्रमों को लागू करना प्रभावी उपाय है। इसी प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने हेतु राज्य सुरक्षा आयोग आवश्यक है और लंबित मामलों को निपटाने हेतु जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करने की जरूरत है। सही रणनीति से ही पुलिस व्यवस्था सशक्त हो सकती है।

98. (1) प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या
प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या एक महत्वपूर्ण मापदंड है जिसमें भारत निर्धारित मानकों से पीछे है। इस कम अनुपात के कारण मौजूदा पुलिस बल पर कार्य का अत्यधिक भार रहता है, जिससे उनकी दक्षता और प्रतिक्रिया समय प्रभावित होता है। कम पुलिस घनत्व के कारण प्रभावी गश्त और अपराध नियंत्रण में कठिनाई आती है। इस चुनौती से निपटने हेतु पुलिस बल में वृद्धि करना अनिवार्य है।

99. (3) सुरक्षा को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने वाली रणनीति
सामुदायिक पुलिसिंग सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को सक्रिय रूप से संबोधित करने हेतु पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने वाली रणनीति है। यह केवल प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय अपराध के मूल कारणों को समाज के सहयोग से दूर करने पर केंद्रित है। यह व्यवस्था पुलिस को जनता के निकट लाती है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों को महत्वपूर्ण हितधारक बनाती है जिससे सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

100. (4) ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्वेषण कार्य को कानून-व्यवस्था से अलग करना
राज्य पुलिस में लंबित जांचों को कम करने का सबसे उपयुक्त मार्ग अन्वेषण कार्य को नियमित कानून-व्यवस्था के कर्तव्यों से पूर्णतः अलग करना है। इससे जांच अधिकारियों को केवल साक्ष्य जुटाने और न्यायिक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा और उसे समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा। यह पृथक्करण विशेषज्ञता बढ़ाता है और न्याय व्यवस्था को गति प्रदान करता है।

www.nodia.in

NODIA

भेजना
IV. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन
V. साक्षात्कार का आयोजन
निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) III, II, IV, V, I
(2) II, III, IV, V, I
(3) III, IV, II, V, I
(4) II, IV, III, I, V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

16. राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुशासनात्मक मामलों पर आयोग की सलाह राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी है।
कथन II: यदि राजस्थान सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है, तो उसे इसके कारणों को राज्य विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन में प्रस्तुत करना होगा।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

17. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांत।
II. एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में पालन किए जाने वाले सिद्धांत।
III. सिविल क्षमता में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले।
IV. राज्य की सेवा के दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में पेंशन दिए जाने का कोई दावा।
V. कर्तव्य के पालन में किए गए कार्यों के लिए अपने विरुद्ध प्रारंभ की गई विधिक कार्यवाही के बचाव में सिविल सेवक द्वारा किए गए विधिक व्यय की प्रतिपूर्ति का कोई दावा।
उपरोक्त में से किन मामलों पर संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत लोक सेवा आयोग से सामान्यतः परामर्श किया जाता है?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, III और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

18. संविधान के तहत, राजस्थान के राज्यपाल उन मामलों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बना सकते हैं जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे नियमों के लिए अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता क्या है?
(1) उन्हें कम से कम चौदह दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।
(2) प्रभावी होने से पहले उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(3) उन्हें संघ सरकार के अधिकार के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
(4) उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की लिखित पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अनुशासनात्मक मामले पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में अनियमितता सरकार द्वारा लगाए गए अंतिम दंड को अमान्य नहीं करती है।
कारण (R): आयोग के साथ परामर्श के संबंध में अनुच्छेद 320(3) के प्रावधान निर्देशिका प्रकृति के हैं, न कि अनिवार्य।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

20. यदि राज्य सरकार किसी सेवा में भर्ती की पद्धति के संबंध में नियम बनाने में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में विफल रहती है, तो इसके परिणाम का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है?
(1) प्रक्रियात्मक अनुपालन की कमी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियमों को स्वतः ही 'प्रारंभ से शून्य' घोषित कर दिया जाता है।
(2) आयोग के अध्यक्ष ऐसे नियमों के कार्यान्वयन के विरुद्ध औपचारिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
(3) पक्षकारों के बीच बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए मामले को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है।
(4) नियम वैध रहते हैं क्योंकि आयोग का कार्य पूर्णतः सलाहकार है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

21. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?
(1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(3) भारत के राष्ट्रपति
(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(5) अनुत्तरित प्रश्न

22. निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को जांच के लिए भेजे बिना लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं?

Downloaded from www.pdf.tube

(4) केवल II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

8. किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राजस्थान के राज्यपाल को राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है?
(1) अनुच्छेद 316(1A)
(2) अनुच्छेद 317(2)
(3) अनुच्छेद 318
(4) अनुच्छेद 319
(5) अनुत्तरित प्रश्न

9. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक स्पष्ट संवैधानिक योग्यता आवश्यक है?
(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि, प्रबंधन या लोक प्रशासन में स्नातक।
(2) संघ के किसी भी विभाग में कम से कम पांच वर्षों तक राजपत्रित अधिकारी के रूप में पूर्व अनुभव।
(3) कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आधे सदस्यों को दस वर्ष का सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए।
(4) राज्य विधायी नियमों में निर्दिष्ट अनुसार नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

10. राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्यों के कार्यकाल और त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कोई सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
II. एक सदस्य को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना चाहिए।
III. एक सदस्य राजस्थान के राज्यपाल को संबोधित पत्र के माध्यम से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है।
IV. वह व्यक्ति जो सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, उस विशिष्ट पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) I, II और III
(2) I, III और IV
(3) II, III और IV
(4) I, II और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

11. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है?
(1) अनुच्छेद 318
(2) अनुच्छेद 319
(3) अनुच्छेद 320
(4) अनुच्छेद 322
(5) अनुत्तरित प्रश्न

12. राजस्थान लोक सेवा आयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?
(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा
(2) जिला न्यायालयों में अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी
(3) राजस्थान पुलिस सेवा
(4) कॉलेज शिक्षा सेवाएं (सहायक आचार्य)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

13. सूची-I (आयोग कार्य/भूमिका) को सूची-II (विवरण) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आयोग कार्य/भूमिका)
A. भर्ती
B. अनुशासनात्मक परामर्श
C. विभागीय पदोन्नति समिति में भागीदारी
D. वार्षिक प्रतिवेदन
सूची II: (विवरण)
i. अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है
ii. राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना
iii. विभागीय पदोन्नति समितियों में सम्मिलित होना
iv. दंड से संबंधित अभ्यावेदनों या याचिकाओं पर सलाह देना
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

14. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की संवैधानिक सीमा का सही वर्णन करता है?
(1) आयोग के पास सभी विभागीय पदोन्नति पर राज्य सरकार के निर्णय को उलटने का अंतिम बाध्यकारी अधिकार है।
(2) राज्य सरकार को किसी विशिष्ट पद को आयोग के अधिकार क्षेत्र से हटाने से विधिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
(3) आयोग को किसी भी सरकारी अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से और सीधे लोक सेवकों को दंडित करने का अधिकार है।
(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके के संबंध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

15. राज्य सिविल सेवाओं के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती की मानक प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. कार्मिक विभाग को अंतिम अनुशंसाएं भेजना
II. आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी करना
III. राज्य सरकार द्वारा आयोग को रिक्तियों की अभ्यर्थना

30. निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों पर विचार कीजिए:
I. पंचायत चुनावों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
II. नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण और निर्देशन।
III. पंचायतों के सभी चुनावों का संचालन।
IV. राज्य विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों का सही प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I और III
(2) केवल II और III
(3) केवल II, III और IV
(4) केवल I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

31. राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
(1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(4) भारत के राष्ट्रपति
(5) अनुत्तरित प्रश्न

32. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
(1) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम
(2) राज्य विधि के अधीन, राज्यपाल द्वारा निर्धारित प्रावधान
(3) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश
(4) केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश
(5) अनुत्तरित प्रश्न

33. सूची-I (राजस्थान के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त) को सूची-II (कार्यकाल) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राजस्थान के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त)
A. अमर सिंह राठौड़
B. इन्द्रजीत खन्ना
C. ए.के. पाण्डे
D. राम लुभाया
सूची II: (कार्यकाल)
i. 2002 से 2007
ii. 2013 से 2017
iii. 1994 से 2000
iv. 2008 से 2013
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

34. राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
कथन II: राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

35. राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
(2) कार्यकाल पूर्णतः राज्यपाल के प्रसादपर्यंत है।
(3) कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
(4) कार्यकाल राज्य विधानसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

36. राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन में राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जिला स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है?
(1) जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिस अधीक्षक।
(2) जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(3) स्थानीय राजस्व उपखंड का प्रभारी उपखंड अधिकारी।
(4) जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्यतः जिला कलेक्टर)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

37. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करना।
II. निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसका संशोधन।
III. आदर्श आचार संहिता लागू करना।
IV. निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग ऑफिसर) की नियुक्ति।
V. अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन राज्य निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वों का सही प्रतिनिधित्व करता है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, II, III और IV
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Click Here to Buy book on Amazon

(1) कदाचार
(2) अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवैतनिक नियोजन में संलग्न होना
(3) राज्य के अनुबंधों में हितों का टकराव
(4) अभ्यर्थी चयन के दौरान भाई-भतीजावाद
(5) अनुत्तरित प्रश्न

23. सूची-I (आयोग सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई के आधार/प्रक्रिया) को सूची-II (संवैधानिक प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आयोग सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई के आधार/प्रक्रिया)
A. जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन
B. दिवालिया घोषित होने पर हटाया जाना
C. कदाचार के आधार पर हटाया जाना
D. सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियोजन धारण करने पर रोक
सूची II: (संवैधानिक प्रावधान)
i. अनुच्छेद 317(3)
ii. अनुच्छेद 319
iii. अनुच्छेद 317(2)
iv. अनुच्छेद 317(1)
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

24. अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग सदस्य के लिए 'कदाचार' की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) एक निगमित कंपनी का सदस्य होना और अन्य सदस्यों के साथ लाभ का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त करना कदाचार माना जाता है।
(2) भारत सरकार की ओर से किए गए किसी भी अनुबंध में संबंधित या इच्छुक होना कदाचार माना जाता है।
(3) राज्य सरकार की ओर से किए गए अनुबंध के लाभ में किसी भी तरह से भाग लेना कदाचार माना जाता है।
(4) परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट आचरण में संलग्न होना कदाचार के दायरे में आता है जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच आवश्यक है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

25. कदाचार के आधार पर लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए:
(1) कदाचार का आरोप → राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ → सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच → राज्यपाल को प्रतिवेदन → राज्यपाल द्वारा हटाने का आदेश
(2) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ → अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच → राष्ट्रपति को बाध्यकारी प्रतिवेदन → राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश
(3) विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना → राष्ट्रपति को संदर्भ → उच्च न्यायालय द्वारा जांच → राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश
(4) राज्य सतर्कता आयोग द्वारा जांच → राज्यपाल को प्रतिवेदन → राष्ट्रपति को संदर्भ → राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश
(5) अनुत्तरित प्रश्न

26. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243K किसकी निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का आदेश देता है?
(1) पंचायती राज संस्थाएं
(2) राज्य विधानसभा चुनाव
(3) राज्य विधानसभा और पंचायती राज संस्थाएं दोनों
(4) राज्य से संसद सदस्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

27. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका गठन 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के प्रावधानों के तहत किया गया था।
II. यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है।
III. यह अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में भारत के निर्वाचन आयोग के समान ही कार्यात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

28. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का औपचारिक गठन किस माह और वर्ष में किया गया था?
(1) जनवरी 1993
(2) अप्रैल 1994
(3) जुलाई 1994
(4) अक्टूबर 1995
(5) अनुत्तरित प्रश्न

29. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
(1) अनुच्छेद 243K - पंचायतों के चुनाव संचालन से संबंधित।
(2) अनुच्छेद 243ZA - नगरीय निकायों के चुनाव संचालन से संबंधित।
(3) अनुच्छेद 324 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधान परिषद के चुनाव संचालन से संबंधित।
(4) अनुच्छेद 243O - जिला योजना समितियों के चुनाव।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 19
सांविधिक जवाबदेही निकाय

1. भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना, कार्यों और स्वतंत्रता से संबंधित है?
(1) भाग XII
(2) भाग XIV
(3) भाग XV
(4) भाग XVI
(5) अनुत्तरित प्रश्न

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संवैधानिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का आदेश देता है।
कथन II: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए किसी भी परिस्थिति में संयुक्त लोक सेवा आयोग नहीं हो सकता।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

3. सूची-I (संवैधानिक अनुच्छेद) को सूची-II (राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संवैधानिक अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 315
B. अनुच्छेद 316
C. अनुच्छेद 317
D. अनुच्छेद 320
सूची II: (प्रावधान)
i. लोक सेवा आयोगों के कार्य
ii. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबन
iii. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
iv. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(2) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश, 1949 किस तिथि को प्रभावी हुआ, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई?
(1) 15 अगस्त 1949
(2) 20 अगस्त 1949
(3) 26 जनवरी 1950
(4) 1 नवंबर 1956
(5) अनुत्तरित प्रश्न

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग की शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) राजस्थान के गठन से पूर्व, राजपूताना की केवल तीन रियासतों के अपने लोक सेवा आयोग थे।
(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया था।
(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक संरचना में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल थे।
(4) सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्यालय को बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

6. अध्यक्ष को छोड़कर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान स्वीकृत संरचना क्या है?
(1) चार सदस्य
(2) पांच सदस्य
(3) छह सदस्य
(4) सात सदस्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

7. राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
II. संविधान निर्दिष्ट करता है कि कम से कम एक-तिहाई सदस्यों ने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक पद धारण किया हो।
III. यदि पद रिक्त हो जाता है, तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल I और III

NODIA

38. राजस्थान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के वार्डों का परिसीमन और संख्यांकन प्राथमिक रूप से किसकी उत्तरदायित्व है?
(1) राज्य निर्वाचन आयोग
(2) राज्य सरकार (पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन विभाग)
(3) भारत का परिसीमन आयोग
(4) जिला कलेक्टर (स्वतंत्र रूप से)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए एक विशाल स्थायी प्रशासनिक कर्मचारी तंत्र नहीं रखता है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 243K(3) राज्यपाल को आदेश देता है कि अनुरोध किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

40. नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) के चुनाव कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में किस अनुच्छेद के तहत निहित है?
(1) अनुच्छेद 243P
(2) अनुच्छेद 243W
(3) अनुच्छेद 243Y
(4) अनुच्छेद 243ZA
(5) अनुत्तरित प्रश्न

41. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायतों के चुनावी मामलों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 243O के प्रावधान को सही रूप में दर्शाता है?
(1) यह उच्च न्यायालय को चुनाव अधिसूचना के तुरंत बाद सीटों के आवंटन में हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
(2) यह आदेश देता है कि सभी स्थानीय चुनाव विवादों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जाए।
(3) यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित विधियों सहित चुनावी मामलों में न्यायालयी हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
(4) यह राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों के संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

42. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत, सरपंच के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका निम्नलिखित में से किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है?
(1) जिला न्यायाधीश या इस उद्देश्य हेतु सशक्त कोई अधीनस्थ न्यायाधीश
(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त
(3) जिला कलेक्टर
(4) संबंधित पंचायत उपखंड का निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

43. सूची-I (प्राधिकारी/तंत्र) को सूची-II (स्थानीय चुनावों में कार्य) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्राधिकारी/तंत्र)
A. राज्य निर्वाचन आयोग
B. निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर)
C. प्रेक्षक (ऑब्जर्वर)
D. चुनाव न्यायाधिकरण/न्यायाधीश
सूची II: (स्थानीय चुनावों में कार्य)
i. चुनाव के बाद चुनाव याचिकाओं का न्यायनिर्णयन
ii. उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करना
iii. आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करना
iv. चुनाव तिथियों की अधिसूचना जारी करना
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

44. यदि कोई उम्मीदवार नगर पालिका चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा सकने वाली सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या है?
(1) उम्मीदवार को सीधे कारावास की सजा सुनाना।
(2) चेतावनी जारी करना, प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश देना, या गंभीर मामलों में चुनाव रद्द करना।
(3) उम्मीदवार को आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करना।
(4) उम्मीदवार के राजनीतिक दल पर स्थायी प्रतिबंध लगाना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

45. चुनाव विवाद समाधान प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा
II. पीड़ित उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका दायर करना
III. नामित न्यायिक प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य परीक्षण और सुनवाई
IV. चुनाव की वैधता पर अंतिम निर्णय सुनाना
V. निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करना

Click Here to Buy book on Amazon

(4) केवल I और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

91. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(1) 1971
(2) 1973
(3) 1989
(4) 1999
(5) अनुत्तरित प्रश्न

92. राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
(1) न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा
(2) न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ
(3) न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता
(4) न्यायमूर्ति के.एस. सिद्धू
(5) अनुत्तरित प्रश्न

93. सूची-I (लोकायुक्त) को सूची-II (तथ्य) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (लोकायुक्त)
A. न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ
B. न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता
C. न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा
D. न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा
सूची II: (तथ्य)
i. वर्तमान लोकायुक्त (2021 से)
ii. राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त
iii. कार्यवाहक राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया
iv. राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

94. राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: लोकायुक्त की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
कथन II: नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श के पश्चात की जाती है।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

95. राजस्थान में उप-लोकायुक्त की संस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) उप-लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के बिना केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है।
(2) अधिनियम एक या अधिक उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
(3) उप-लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
(4) के.पी.यू. मेनन राजस्थान के प्रथम उप-लोकायुक्त थे।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

96. निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पदाधिकारी राजस्थान लोकायुक्त के जांच अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
(1) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(2) राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री
(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश
(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

97. लोक सेवकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए:
I. राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री
II. जिला परिषद के प्रमुख
III. नगर निगम के महापौर
IV. ग्राम पंचायत के सरपंच
V. राज्य सरकार के सिविल सेवक
पदाधिकारियों का उपरोक्त में से कौन सा संयोजन राजस्थान लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है?
(1) केवल I, II, III और V
(2) I, II, III, IV और V
(3) केवल II, III और V
(4) केवल I, III और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

98. शिकायत या आरोप के संबंध में राजस्थान लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए विहित समय सीमा क्या है?
(1) घटना की जानकारी होने से एक वर्ष।
(2) घटना होने की तिथि से तीन वर्ष।
(3) घटना होने की तिथि से पांच वर्ष।
(4) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

99. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान लोकायुक्त के पास किसी भ्रष्ट लोक सेवक को दंडित करने या उनके विरुद्ध बाध्यकारी प्राथमिकी दर्ज करने की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है।
कारण (R): लोकायुक्त मुख्य रूप से एक जांच और अनुशंसाकारी निकाय है जो अपने निष्कर्षों को कार्रवाई हेतु

54. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के पश्चात सूचना आयुक्तों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए निर्धारित है।
कथन II: पदावधि अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसने इसे वर्तमान में 3 वर्ष अधिसूचित किया है।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

55. निम्नलिखित ज्ञान/अनुभव के क्षेत्रों पर विचार कीजिए:
I. विधि (कानून)
II. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
III. समाज सेवा
IV. प्रबंधन
V. पत्रकारिता और जनसंचार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, उपरोक्त में से किन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति सूचना आयुक्त नियुक्त होने के पात्र हैं?
(1) केवल I, III और V
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

56. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?
(1) 30 दिन
(2) 45 दिन
(3) 60 दिन
(4) 90 दिन
(5) अनुत्तरित प्रश्न

57. किसी मामले की जांच के दौरान राजस्थान सूचना आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. व्यक्तियों को समन जारी करना और उपस्थित होने के लिए विवश करना तथा उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना।
II. दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता।
III. आयोग की अवमानना के लिए कारावास की सजा सुनाना।
सूचना आयोग की शक्तियों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल III
(4) केवल I और II
(5) अनुत्तरित प्रश्न

58. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य करते समय, राजस्थान सूचना आयोग के पास निम्नलिखित को छोड़कर सभी शक्तियां हैं:
(1) लोक सूचना अधिकारी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना
(2) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना
(3) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना
(4) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राज्य सूचना आयोग किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये से अधिक का अर्थदंड नहीं लगा सकता है।
कारण (R): सूचना का अधिकार अधिनियम विलंब के प्रत्येक दिन के लिए अर्थदंड को दो सौ पचास रुपये तक सीमित करता है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

60. राजस्थान सूचना आयोग के समक्ष अपीलीय कार्यवाही के दौरान, यह सिद्ध करने का भार कि सूचना का अनुरोध विधिक रूप से उचित रूप से अस्वीकार किया गया था, किस पर होता है?
(1) वह नागरिक जिसने सूचना का अधिकार आवेदन दायर किया था।
(2) वह राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
(3) संबंधित राज्य विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी।
(4) संबंधित विभाग का प्रशासनिक प्रमुख।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

61. राजस्थान राज्य महिला आयोग का औपचारिक गठन किस वर्ष में किया गया था?
(1) 1993
(2) 1995
(3) 1999
(4) 2005

Downloaded from www.pdf.tube

(5) अनुत्तरित प्रश्न

62. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य महिला आयोग की विधिक स्थिति को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
(1) यह संविधान के भाग IX के विशिष्ट प्रावधानों के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
(2) यह राजस्थान राज्य सरकार के औपचारिक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक कार्यकारी निकाय है।
(3) यह राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे कार्य करने वाला एक अधीनस्थ कार्यालय है।
(4) यह राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

63. सूची-I (आयोग के कार्य/शक्ति) को सूची-II (कार्य की प्रकृति) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (आयोग के कार्य/शक्ति)
A. कारागारों और महिला संस्थानों का निरीक्षण करना
B. गंभीर अत्याचारों के मामलों में अभियोजन की अनुशंसा करना
C. महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना
D. निर्धन महिलाओं के लिए विधिक सहायता हेतु धन उपलब्ध कराना
सूची II: (कार्य की प्रकृति)
i. प्रोत्साहन/सशक्तिकरण भूमिका
ii. सलाहकार भूमिका
iii. जांच/निगरानी भूमिका
iv. दंडात्मक अनुशंसा भूमिका
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(5) अनुत्तरित प्रश्न

64. राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य अधिदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह संविधान के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है।
(2) यह घरेलू हिंसा के मामलों में अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यक्ष आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
(3) यह संविधान के प्रावधानों और महिलाओं से संबंधित अन्य विधियों के उल्लंघन के मामलों को उठाता है।
(4) यह महिलाओं के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों में शिकायतें प्राप्त करता है और उन पर स्वतः संज्ञान लेता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

65. राजस्थान राज्य महिला आयोग जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना का सही तार्किक क्रम चुनिए:
(1) विधेयक का प्रारूप तैयार करना → राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित करना → राज्यपाल की स्वीकृति → अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना → आयोग का गठन
(2) राज्यपाल की स्वीकृति → विधेयक का प्रारूप तैयार करना → विधेयक पारित करना → आयोग का गठन → राजपत्र अधिसूचना
(3) विधेयक का प्रारूप तैयार करना → राजपत्र अधिसूचना → विधेयक पारित करना → राज्यपाल की स्वीकृति → आयोग का गठन
(4) आयोग का गठन → विधेयक का प्रारूप तैयार करना → विधेयक पारित करना → राज्यपाल की स्वीकृति → राजपत्र अधिसूचना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

66. मूल अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना क्या है?
(1) एक अध्यक्ष और नागरिक समाज के दो गैर-सरकारी सदस्य।
(2) एक अध्यक्ष और तीन गैर-सरकारी सदस्य, साथ ही एक नियुक्त सदस्य-सचिव।
(3) एक अध्यक्ष और पांच गैर-सरकारी सदस्य, साथ ही एक सदस्य-सचिव।
(4) एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सरकार के चार सदस्य।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

67. राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
II. गैर-सरकारी सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
III. सदस्य-सचिव जिला न्यायाधीश स्तर का एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

68. राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अध्यक्ष और प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
कथन II: अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है

NODIA

(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

69. निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि नहीं है जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य महिला आयोग शिकायत दर्ज करता है या जांच प्रारंभ करता है?
(1) डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में प्राप्त औपचारिक लिखित शिकायतें।
(2) सत्यापित समाचार पत्र प्रतिवेदनों या सोशल मीडिया सूचनाओं के आधार पर स्वतः संज्ञान।
(3) पुलिस विभाग से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित सभी प्राथमिकियों (FIR) का अनिवार्य प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
(4) राज्य स्तरीय कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजी गई औपचारिक शिकायतें।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

70. राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा शिकायत के निपटारे के निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए:
I. तथ्यात्मक प्रतिवेदन के लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करना।
II. परामर्श या सुनवाई के लिए विपक्षी पक्ष को बुलाना।
III. स्थल निरीक्षण के लिए एक जांच समिति का गठन करना।
IV. वैवाहिक विवादों में विवाह विच्छेद (तलाक) की बाध्यकारी डिक्री पारित करना।
उपरोक्त में से कौन से कथन आयोग की सही प्रक्रियात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) केवल I, II और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

71. राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई अनुशंसाएं होती हैं:
(1) अनिवार्य प्रकृति की और तीन महीने के भीतर लागू की जानी चाहिए।
(2) विधिक रूप से बाध्यकारी, जिसका पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना होती है।
(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के सीधे हस्तक्षेप के माध्यम से विधिक रूप से प्रवर्तनीय।
(4) सलाहकार प्रकृति की, हालांकि सरकार प्रायः की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

72. राजस्थान राज्य महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में राज्य सरकार को कौन सी प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए?
(1) इसे अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।
(2) इसे सार्वजनिक करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(3) इसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा जाना चाहिए।
(4) इसे कम से कम तीन प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

73. सूची-I (हस्तक्षेप के प्रकार) को सूची-II (हस्तक्षेप के उदाहरण) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (हस्तक्षेप के प्रकार)
A. बचाव और राहत
B. नीतिगत अनुशंसा
C. जागरूकता सृजन
D. विधिक सुरक्षा समीक्षा
सूची II: (हस्तक्षेप के उदाहरण)
i. महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित राज्य विधियों में संशोधन का सुझाव देना
ii. घरेलू हिंसा की रोकथाम पर संगोष्ठी आयोजित करना
iii. तस्करी की शिकार महिला की सहायता हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश देना
iv. राज्य के बजट में नवीन आश्रय गृहों के निर्माण की सलाह देना
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(5) अनुत्तरित प्रश्न

74. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य महिला आयोग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक सीमा माना जाता है?
(1) न्यायालय की भांति अपराधियों को दंडित करने या बाध्यकारी निर्णय जारी करने में असमर्थता।
(2) राज्य की राजधानी में स्वयं के भवन का अभाव।
(3) पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसी प्रावधान का न होना।
(4) ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे शिकायतें प्राप्त करने पर प्रतिबंध।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

75. महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अत्याचारों के मामलों में, यदि पुलिस निष्क्रिय प्रतीत होती है, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या विशिष्ट कार्रवाई कर सकता है?
(1) यह संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर सकता है।
(2) यह सीधे आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
(3) यह आपराधिक जांच को अपने हाथ में लेकर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर कर सकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) I, V, II, III, IV
(2) I, II, V, III, IV
(3) V, I, II, III, IV
(4) I, V, III, II, IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

46. राजस्थान सूचना आयोग का औपचारिक गठन राज्य राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किस तिथि को किया गया था?
(1) 12 अक्टूबर 2005
(2) 18 अप्रैल 2006
(3) 1 जनवरी 2007
(4) 15 अगस्त 2008
(5) अनुत्तरित प्रश्न

47. राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं।
II. इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत की गई थी।
III. यह राज्य स्तर पर सूचना अनुरोधों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

48. राज्य सूचना आयोगों से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
(1) धारा 15 - राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित।
(2) धारा 16 - पदावधि और सेवा की शर्तों से संबंधित।
(3) धारा 17 - राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाए जाने से संबंधित।
(4) धारा 18 - राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

49. राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
(1) टी. श्रीनिवासन
(2) एम.डी. कौरानी
(3) सुरेश चौधरी
(4) डी.बी. गुप्ता
(5) अनुत्तरित प्रश्न

50. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग को प्राप्त निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
I. सार्वजनिक प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति करने का आदेश देने की शक्ति।
II. राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अर्थदंड (शास्ति) लगाने की शक्ति।
III. राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने की शक्ति।
IV. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति।
उपरोक्त में से कौन सा संयोजन राजस्थान सूचना आयोग की शक्तियों की सही पहचान करता है?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, II और III
(4) केवल I, III और IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

51. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है?
(1) एक मुख्य सूचना आयुक्त और पांच सूचना आयुक्त
(2) एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्त
(3) एक मुख्य सूचना आयुक्त और ठीक दस सूचना आयुक्त
(4) एक मुख्य सूचना आयुक्त और पंद्रह सूचना आयुक्त
(5) अनुत्तरित प्रश्न

52. राज्यपाल को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है?
(1) मुख्यमंत्री
(2) विधानसभा में विपक्ष का नेता
(3) मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री
(4) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

53. सूची-I (सूचना आयोग में प्राधिकारी/भूमिका) को सूची-II (अधिनियम के तहत कार्य) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (प्राधिकारी/भूमिका)
A. राज्यपाल
B. चयन समिति (मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्री)
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. राज्य सूचना आयोग
सूची II: (अधिनियम के तहत कार्य)
i. हटाए जाने के लिए कदाचार के आरोपों की जांच करना
ii. नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा करना
iii. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना
iv. औपचारिक रूप से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना
सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

D. राजस्व मंडल

सूची II: (प्राथमिक कार्य/अधिकार क्षेत्र)

i. राजस्व मामलों में सर्वोच्च पुनरीक्षण प्राधिकारी
ii. कृषि काश्तकारी वादों के लिए प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का प्राथमिक न्यायालय
iii. तहसील स्तर पर भूमि अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव
iv. जिला भूमि राजस्व प्रशासन का समग्र प्रमुख

सही कूट का चयन कीजिए:
(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) अनुत्तरित प्रश्न

84. राजस्व मंडल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्व मंडल पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों और तहसीलदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
कथन II: राजस्व मंडल राज्य में पटवारियों की परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन करता है।
सही विकल्प की पहचान कीजिए:
(1) कथन I सही है और कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है और कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

85. राजस्थान में निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों पर विचार कीजिए:
I. नायब तहसीलदार
II. उपखंड अधिकारी (SDO)
III. पटवारी
IV. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA)
V. भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर)
निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम से उच्चतम तक सही आरोही पदानुक्रम को दर्शाता है?
(1) III, V, I, II, IV
(2) III, I, V, II, IV
(3) V, III, I, IV, II
(4) I, III, V, II, IV
(5) अनुत्तरित प्रश्न

86. राजस्व मंडल की पुनरीक्षण शक्ति मुख्य रूप से क्या है?
(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं को पुनः लिखने की शक्ति।
(2) अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के रिकॉर्ड को मंगाने की शक्ति ताकि आदेश की वैधता या औचित्य की जांच की जा सके।
(3) उपज के आधार पर प्रतिवर्ष भू-राजस्व की दरों को बढ़ाने की शक्ति।
(4) बिना सरकारी अनुमोदन के जिलों की सीमाओं को संशोधित करने की शक्ति।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

87. राजस्व मंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मंडल के पास किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के रिकॉर्ड को मंगाने की शक्ति है।
II. मंडल सामान्यतः पुनरीक्षण के दौरान तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करता है, भले ही अधिकार क्षेत्र की त्रुटि न हो।
III. मंडल के पास अपने पूर्व निर्णयों या आदेशों की समीक्षा (रिव्यू) करने की शक्ति है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल I और III
(3) केवल II और III
(4) I, II और III
(5) अनुत्तरित प्रश्न

88. निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सामान्यतः राजस्व मंडल के समक्ष अपील के रूप में दायर नहीं किया जाएगा?
(1) कृषि फार्म पर आपराधिक अतिचार से संबंधित विवाद।
(2) कृषि भूमि से काश्तकार की अवैध बेदखली से संबंधित विवाद।
(3) जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) में अशुद्ध प्रविष्टियों को लेकर विवाद।
(4) कृषि जोत के लगान के निर्धारण से संबंधित विवाद।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

89. काश्तकारी वाद में राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसके समक्ष होती है?
(1) जिला न्यायाधीश
(2) राजस्थान उच्च न्यायालय
(3) राजस्व मंडल
(4) राज्य सरकार (राजस्व मंत्री)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

NODIA

90. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान कृषि ऋण संचालन अधिनियम के तहत विवाद।
II. कृषि जोतों की अधिकतम सीमा (सीलिंग) से संबंधित विवाद।
III. खनन पट्टों के आवंटन के संबंध में अपील।
IV. दो निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों के बीच सीमा विवाद।
उपरोक्त में से कौन से मामले राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?
(1) केवल I, II और IV
(2) केवल II, III और IV
(3) I, II, III और IV

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) भाग XIV
भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। यह भाग राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना, उनके सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, शक्तियों और कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी सम्मिलित किए गए हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक हैं।

2. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
संविधान का अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग के गठन का अनिवार्य आदेश देता है। हालांकि, अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्य आपसी सहमति से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित राज्यों के विधानमंडलों को संकल्प पारित करना होता है, जिसके पश्चात संसद विधि बनाकर संयुक्त आयोग का गठन करती है। अतः संयुक्त आयोग की संभावना को नकारना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है।

3. (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 विशेष रूप से सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि से संबंधित नियमों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने और निलंबन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। वहीं, अनुच्छेद 320 इन आयोगों के विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

4. (2) 20 अगस्त 1949
राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात, प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के राजप्रमुख ने 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश आधिकारिक रूप से 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ, जिसे आयोग की स्थापना की आधिकारिक तिथि माना जाता है। इसी तिथि से आयोग ने राज्य की सिविल सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया का निष्पादन प्रारंभ किया।

5. (3) राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक संरचना में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल थे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक संरचना में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य सम्मिलित थे, न कि पांच सदस्य। आयोग का प्रथम मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में सत्यनारायण राव समिति की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व केवल जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतों के अपने लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अतः सदस्यों की संख्या संबंधी विवरण ऐतिहासिक रूप से गलत है।

6. (4) सात सदस्य
राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं ताकि बढ़ती कार्यक्षमता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्तमान में, आयोग के नियमों के अनुसार अध्यक्ष के अतिरिक्त सात सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस प्रकार, अध्यक्ष सहित आयोग की कुल सदस्य संख्या आठ स्वीकृत है। यह विस्तृत संरचना राज्य की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार प्रक्रियाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7. (2) केवल II
संविधान के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता के संबंध में, संविधान यह अनिवार्य करता है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, न कि एक-तिहाई। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अतः अनुभव संबंधी शर्त संवैधानिक रूप से गलत है।

8. (1) अनुच्छेद 316(1A)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1A) के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आयोग के सदस्यों में से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सके। यह नियुक्ति तब की जाती है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आयोग का प्रशासनिक कार्य और भर्ती प्रक्रियाएं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चलती रहें।

9. (3) कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आधे सदस्यों को दस वर्ष का सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए।
संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक उपाधि या व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। एकमात्र अनिवार्य संवैधानिक शर्त यह है कि आयोग के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक कार्य किया हो। शेष सदस्यों

Downloaded from www.pdf.tube

सक्षम प्राधिकारी को भेजता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

100. राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे सटीक विवरण क्या है?
(1) उच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए समानांतर न्यायालय के रूप में कार्य करना।
(2) पंचायती राज संस्थाओं के धन के व्यय की निगरानी करना।
(3) संवैधानिक विफलता के मामलों में राज्यपाल को सलाह देना।
(4) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक पदाधिकारियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करना।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

www.nodia.in

NODIA

(4) यह जांच अधिकारी को बुला सकता है, वस्तुस्थिति प्रतिवेदन की मांग कर सकता है और उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा कर सकता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

76. राजस्थान राजस्व मंडल का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(1) जयपुर
(2) अजमेर
(3) जोधपुर
(4) उदयपुर
(5) अनुत्तरित प्रश्न

77. राजस्थान राजस्व मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी स्थापना 1949 में एक अध्यादेश द्वारा की गई थी।
II. इसका मुख्यालय अजमेर में है।
III. इसने एकीकृत राजपूताना रियासतों के सर्वोच्च राजस्व न्यायालयों का स्थान लिया।
IV. यह मुख्य रूप से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्य करता है।
V. भूमि विवादों से संबंधित हत्या के मामलों की सुनवाई करने के लिए इसके पास प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) केवल I, III, IV और V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

78. निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजस्व मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है?
(1) काश्तकारी अधिकारों के संबंध में घोषणात्मक वाद
(2) कृषि जोतों का विभाजन (बंटवारा)
(3) कृषि भूमि के नामान्तरण (म्यूटेशन) के संबंध में अपील
(4) नगरीय व्यावसायिक भूखंडों पर स्वामित्व विवाद
(5) अनुत्तरित प्रश्न

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्व मंडल के पास आवासीय भवनों से संबंधित नागरिक संपत्ति स्वामित्व विवादों के न्यायनिर्णयन का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
कारण (R): मंडल का अधिकार क्षेत्र कृषि भूमि और राजस्व मामलों तक सीमित है, जबकि दीवानी स्वामित्व विवाद नियमित दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

80. राजस्व मंडल की दोहरी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) यह राज्य में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
(2) यह भूमि बेदखली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
(3) यह राजस्व मामलों में कलेक्टरों और तहसीलदारों सहित राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
(4) यह भू-राजस्व नीति के मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

81. राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति सामान्यतः किस संवर्ग के अधिकारियों से की जाती है?
(1) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ जिला न्यायाधीश।
(2) वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी।
(3) भूमि विवादों के विशेषज्ञ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
(4) महानिदेशक रैंक के वरिष्ठ राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

82. राजस्व मंडल के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र को इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग करता है?
(1) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र मंडल को पहली बार सीधे किसी मामले की सुनवाई की अनुमति देता है, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा होती है।
(2) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में राजस्व अपीलीय प्राधिकारी की अपीलों की सुनवाई होती है, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में तहसीलदार की अपीलों की सुनवाई होती है।
(3) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र केवल अजमेर जिले तक सीमित है, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र पूरे राजस्थान को कवर करता है।
(4) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र पूर्णतः प्रशासनिक है, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र विधिक है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

83. सूची-I (राजस्व अधिकारी/न्यायालय) को सूची-II (प्राथमिक कार्य/अधिकार क्षेत्र) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राजस्व अधिकारी/न्यायालय)
A. तहसीलदार
B. उपखंड अधिकारी (SDO)
C. जिला कलेक्टर

Click Here to Buy book on Amazon

की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को चुनते हैं।

10. (2) I, III और IV
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। सदस्य अपना त्यागपत्र किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति जो एक बार आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। ये प्रावधान आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने और हितों के टकराव को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

11. (3) अनुच्छेद 320
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 राज्य लोक सेवा आयोग के व्यापक कार्यों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, आयोग का प्राथमिक कर्तव्य राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है। इसके अतिरिक्त, यह भर्ती की पद्धतियों, अनुशासनात्मक मामलों, पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के सिद्धांतों पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। यह आयोग को एक महत्वपूर्ण परामर्शदात्री और चयन निकाय के रूप में स्थापित करता है।

12. (2) जिला न्यायालयों में अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी
राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्य रूप से राज्य की राजपत्रित सेवाओं जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। यह उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी संपन्न करता है। हालांकि, जिला न्यायालयों में अधीनस्थ और लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालय के प्रशासन या विशिष्ट भर्ती निकायों के क्षेत्राधिकार में आती है। अतः इन न्यायिक कर्मचारियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामान्य उत्तरदायित्वों में सम्मिलित नहीं है।

13. (1) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य राज्य सेवाओं के लिए निष्पक्ष भर्ती हेतु परीक्षाएं आयोजित करना है। अनुच्छेद 323 के अनुसार, आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग अनुशासनात्मक मामलों में दंड से संबंधित याचिकाओं पर सरकार को महत्वपूर्ण परामर्श देता है और विभागीय पदोन्नति समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये सभी कार्य राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, योग्यता आधारित चयन और प्रशासनिक नैतिकता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किए गए हैं।

14. (4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके के संबंध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान करने के तरीके के बारे में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है। आयोग के कार्य मुख्य रूप से भर्ती के सिद्धांतों और अनुशासनात्मक मामलों तक सीमित हैं। राज्य सरकार के पास कुछ पदों को आयोग के परामर्श क्षेत्र से बाहर रखने की शक्ति भी होती है। आयोग की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार है और इसके पास लोक सेवकों को सीधे दंडित करने का अधिकार नहीं है।

NODIA

15. (1) III, II, IV, V, I
राजस्थान में सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रम में चलती है। सर्वप्रथम, राज्य सरकार रिक्तियों की अभ्यर्थना आयोग को प्रेषित करती है। इसके पश्चात, आयोग आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करता है। फिर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के चरणों से गुजरना होता है। अंत में, आयोग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची और अनुशंसाएं कार्मिक विभाग को भेजता है। यह क्रम चयन की शुचिता सुनिश्चित करता है।

16. (2) कथन I गलत है और कथन II सही है
लोक सेवा आयोग की सलाह राज्य सरकार के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती है, बल्कि यह केवल परामर्शकारी प्रकृति की होती है। हालांकि, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार आयोग की किसी सलाह को स्वीकार नहीं करती है, तो उसे अस्वीकृति के ठोस कारणों का विवरण एक ज्ञापन के माध्यम से राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह व्यवस्था सरकार को मनमाने ढंग से आयोग की अनुशंसाओं को अनदेखा करने से रोकती है।

17. (4) I, II, III, IV और V
अनुच्छेद 320(3) के अंतर्गत, लोक सेवा आयोग से विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर परामर्श लिया जाना अनिवार्य है। इसमें सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति के सिद्धांत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विधिक व्यय की प्रतिपूर्ति और सेवा के दौरान लगी चोटों के लिए पेंशन के दावे सम्मिलित हैं। ये परामर्श प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि लोक सेवकों से संबंधित निर्णयों में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। आयोग इन मामलों में एक तटस्थ विशेषज्ञ निकाय के रूप में अपनी राय देता है।

18. (1) उन्हें कम से कम चौदह दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।
राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकें जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। हालांकि, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे नियमों को प्रभावी होने के लिए राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए रखना अनिवार्य है। विधानमंडल इन नियमों में संशोधन या निरसन कर सकता है। यह नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल की इस शक्ति का उपयोग लोकतांत्रिक निगरानी और विधायी समीक्षा के अधीन किया जाए।

55. (4) I, II, III, IV और V
सूचना आयुक्तों के चयन के लिए अधिनियम में व्यापक आधार प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें कानून, विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन का गहरा अनुभव हो, वे इस पद के लिए पात्र माने जाते हैं। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, जो सूचना की प्रकृति और उसके महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकें। बहु-विषयक अनुभव आयोग को जटिल मामलों में संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जो नागरिक अधिकारों के लिए अनिवार्य है।

56. (4) 90 दिन
सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, यदि कोई आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा प्रथम अपील के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन की है। हालांकि, यदि अपीलकर्ता यह सिद्ध कर दे कि वह किसी पर्याप्त कारण से समय पर अपील नहीं कर पाया, तो आयोग इस अवधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। यह प्रावधान नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करता है।

57. (3) केवल III
राजस्थान सूचना आयोग के पास किसी मामले की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाना और दस्तावेजों की मांग करना। हालांकि, आयोग के पास न्यायालय की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को सीधे कारावास का दंड सुनाने की शक्ति नहीं है। वह केवल अर्थदंड लगा सकता है या संबंधित विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिख सकता है। कारावास जैसे दंडात्मक निर्णय केवल नियमित आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः अवमानना के लिए जेल भेजने की शक्ति के बारे में कथन त्रुटिपूर्ण है।

58. (1) लोक सूचना अधिकारी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना
जांच प्रक्रिया के दौरान सूचना आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ सीमित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। वह शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है, सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है और गवाहों को बुलावा पत्र जारी कर सकता है। लेकिन उसके पास किसी लोक सूचना अधिकारी को गिरफ्तार करने या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए वारंट जारी करने की शक्ति नहीं है। आयोग की शक्तियां मुख्य रूप से सूचना प्रकटीकरण और प्रशासनिक दंड तक ही सीमित हैं, जो इसे एक अर्ध-न्यायिक निकाय बनाती हैं, न कि पूर्ण दंड न्यायालय।

59. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा लगाए जाने वाले अर्थदंड की एक निश्चित सीमा निर्धारित है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी वैध कारण के सूचना में देरी करता है, तो उस पर प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी एक मामले में जुर्माने की कुल राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। यह सीमा यह सुनिश्चित करती है कि दंड निवारक हो, लेकिन साथ ही वह एक निश्चित वैधानिक सीमा के भीतर भी रहे, जो प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखती है।

60. (2) वह राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
अपील प्रक्रिया के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि सूचना न देने के निर्णय को उचित सिद्ध करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से लोक सूचना अधिकारी की होती है। नागरिक को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे सूचना क्यों चाहिए। अधिकारी को आयोग के समक्ष यह प्रमाणित करना होगा कि सूचना को अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत प्रदान करने से छूट प्राप्त थी। यह सिद्धांत नागरिकों के पक्ष में है और सरकारी अधिकारियों को सूचना देने के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है।

61. (3) 1999
राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए की गई थी। इस महत्वपूर्ण संस्थान का औपचारिक गठन 15 मई 1999 को किया गया था। तब से यह आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और अत्याचारों के मामलों में निरंतर हस्तक्षेप कर रहा है। इसके गठन ने राज्य में एक ऐसे मंच की नींव रखी जहां महिलाएं अपनी समस्याओं और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं, जिससे समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।

62. (4) यह राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसका निर्माण राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 'राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999' के माध्यम से किया गया है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि संविधान में इसका सीधा उल्लेख नहीं है। यह राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना है। इसकी शक्तियां और कार्यक्षेत्र संबंधित अधिनियम द्वारा ही परिभाषित और नियंत्रित किए जाते हैं।

63. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
राजस्थान राज्य महिला आयोग कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। यह कारागारों और सुधार गृहों का निरीक्षण करके महिलाओं की स्थिति की निगरानी करता है। अत्याचार के गंभीर मामलों में, यह दोषियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुशंसा सरकार से करता है। नीतिगत मामलों में, यह सरकार को महिलाओं के अनुकूल योजनाएं बनाने की सलाह देता है। इसके अतिरिक्त, यह जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त

Downloaded from www.pdf.tube

28. (3) जुलाई 1994
राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के चुनावों को एक संवैधानिक आधार और स्वतंत्र तंत्र प्रदान करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसरण में, इस आयोग का औपचारिक गठन जुलाई 1994 में किया गया था। तब से यह आयोग राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। इसकी स्थापना ने राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है।

29. (4) अनुच्छेद 243O - जिला योजना समितियों के चुनाव।
अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनावों के संचालन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के चुनावों का प्रबंधन करता है। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 243O वास्तव में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, न कि जिला योजना समितियों के चुनावों से संबंधित है। जिला योजना समितियों का प्रावधान अनुच्छेद 243ZD में मिलता है। अतः चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप निषेध का प्रावधान सुमेलित नहीं है।

30. (2) केवल II और III
राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और उनके चुनावों का संचालन करना है। यद्यपि परिसीमन का कार्य आयोग की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन यह प्राथमिक रूप से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन होता है। राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन केवल स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में आयोग की शक्ति है, विधानसभा चुनावों के लिए नहीं। विधानसभा चुनावों के लिए दल और प्रतीक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

31. (1) राजस्थान के राज्यपाल
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति संविधान द्वारा राज्य के राज्यपाल को प्रदान की गई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करते हैं। यह पद राज्य में स्थानीय चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नियुक्त होने के पश्चात, आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल की सुरक्षा संवैधानिक रूप से सुनिश्चित की गई है ताकि वे बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

32. (2) राज्य विधि के अधीन, राज्यपाल द्वारा निर्धारित प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हालांकि, यह शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन होती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सेवा शर्तों का निर्धारण कर सके, जबकि आयुक्त की पद से हटाने की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कठिन बनाकर उनकी कार्यात्मक स्वतंत्रता और सुरक्षा को संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई है।

33. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिन्होंने 1994 से 2000 तक सेवा की। उनके बाद इन्द्रजीत खन्ना ने 2002 से 2007 तक कार्यभार संभाला। ए.के. पाण्डे का कार्यकाल 2008 से 2013 के बीच रहा, जबकि राम लुभाया ने 2013 से 2017 तक इस पद को सुशोभित किया। इन सभी आयुक्तों ने राज्य में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों को सुचारू और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे राज्य की निर्वाचन प्रणाली निरंतर विकसित और सुदृढ़ होती गई।

34. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के अधीन रखा है। उन्हें केवल संसद द्वारा पारित विशेष प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा, एक बार नियुक्त होने के पश्चात उनकी सेवा की शर्तों में उनके लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करता है कि आयुक्त बिना किसी डर या पक्षपात के सत्ताधारी दल के विरुद्ध भी निष्पक्ष निर्णय ले सकें।

35. (3) कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। यह निश्चित पदावधि आयोग की स्थिरता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। कार्यकाल की यह सीमा आयुक्त को लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और चुनावी सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देती है, साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान पदों के नियमित नवीनीकरण को सुनिश्चित करता है।

36. (4) जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्यतः जिला कलेक्टर)
जिला स्तर पर स्थानीय निकाय चुनावों के सफल संचालन की समस्त जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है, जो सामान्यतः उस जिले का जिला कलेक्टर होता है। वह राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और जिले में मतदान केंद्रों की स्थापना, चुनावी कर्मचारियों की नियुक्ति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह निर्वाचक नामावली के अद्यतन और मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते हुए आयोग के निर्देशों को धरातल पर क्रियान्वित करने वाला मुख्य प्रशासनिक स्तंभ है।

37. (3) केवल I, II, III और IV
राज्य निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष जिम्मेदारियों में निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी

NODIA

करना, मतदान अधिकारियों की नियुक्ति और आदर्श आचार संहिता लागू करना शामिल है। सीटों का आरक्षण, विशेष रूप से चक्रानुक्रम के आधार पर वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आयोग की भूमिका परामर्शदात्री होती है। आयोग का मुख्य बल चुनाव संचालन की शुचिता और उम्मीदवारों के आचरण की निगरानी पर रहता है।

38. (2) राज्य सरकार (पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन विभाग)
राजस्थान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के वार्डों का परिसीमन, उनकी सीमाओं का निर्धारण और संख्यांकन प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। यह कार्य पंचायती राज विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संबंधित अधिनियमों के तहत किया जाता है। यद्यपि राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया में आंकड़े और तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकता है, लेकिन परिसीमन की अंतिम अधिसूचना और प्रशासनिक निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह प्रक्रिया चुनावी क्षेत्रों में जनसंख्या और भौगोलिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

39. (1) A-R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई बहुत बड़ा स्थायी कर्मचारी तंत्र नहीं होता है। चुनाव के दौरान विशाल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 243K(3) राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि वे आयोग के अनुरोध पर आवश्यक कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराएं। यही कारण है कि चुनावों के समय विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आयोग के अधीन कार्य करते हैं। यह व्यवस्था संसाधनों के कुशल उपयोग और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रशासनिक विस्तार को सुनिश्चित करती है।

40. (4) अनुच्छेद 243ZA
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZA विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव संचालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग को इन निकायों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K के समान ही शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, जो राज्य में सुदृढ़ नगरीय शासन की नींव रखता है।

41. (3) यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित विधियों सहित चुनावी मामलों में न्यायालयी हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
संविधान का अनुच्छेद 243O स्थानीय चुनावों की प्रक्रिया को कानूनी बाधाओं से बचाने के लिए न्यायालयी हस्तक्षेप पर विशिष्ट प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनावी परिणामों को केवल संबंधित अधिनियमों के तहत नामित प्राधिकारी के समक्ष दायर चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह प्रावधान चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने और अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए बनाया गया है।

42. (1) जिला न्यायाधीश या इस उद्देश्य हेतु सशक्त कोई अधीनस्थ न्यायाधीश
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत, सरपंच या किसी अन्य सदस्य के चुनाव की वैधता को केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका संबंधित क्षेत्र के जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग या कलेक्टर के पास सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को निरस्त करने की न्यायिक शक्ति नहीं होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि चुनावी विवादों का निपटारा न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर हो।

43. (1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से चुनाव की तिथियों और कार्यक्रम की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के लिए उत्तरदायी है। चुनाव मैदान में, निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त करने और उनकी जांच करने का कार्य करते हैं। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। अंत में, चुनाव के पश्चात उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद या चुनाव याचिका का न्यायनिर्णयन नामित चुनाव न्यायाधिकरणों या सक्षम न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।

44. (2) चेतावनी जारी करना, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देना, या गंभीर मामलों में चुनाव रद्द करना।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के पास कई प्रशासनिक शक्तियां हैं। वह उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर संबंधित उम्मीदवार को औपचारिक चेतावनी दे सकता है या पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। यदि उल्लंघन इतना गंभीर है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है, तो आयोग को उस विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव स्थगित या रद्द करने का भी अधिकार है। हालांकि, दंड सुनाने या स्थायी अयोग्यता का निर्णय केवल न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है।

45. (1) I, V, II, III, IV
चुनाव विवाद समाधान की प्रक्रिया परिणामों की घोषणा से शुरू होती है। परिणाम के तुरंत बाद विजेता को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है, तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करनी होती है। इसके बाद, नामित न्यायिक अधिकारी दोनों पक्षों के साक्ष्य और गवाहों का परीक्षण करते हुए विस्तृत सुनवाई करता है। अंत में, न्यायालय चुनाव की वैधता पर अपना निर्णय सुनाता है, जिसमें वह चुनाव को वैध मान सकता है या उसे शून्य घोषित कर सकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

46. (2) 18 अप्रैल 2006
राजस्थान सूचना आयोग का गठन राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग की औपचारिक स्थापना 18 अप्रैल 2006 को राज्य राजपत्र में प्रकाशित एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से हुई थी। इसके गठन के साथ ही राज्य के नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त मंच प्राप्त हुआ। यह आयोग सूचना से संबंधित अपीलों और शिकायतों के निवारण के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।

47. (4) I, II और III
राजस्थान सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। आयोग का मुख्य कार्य राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देने से इनकार करने या देरी करने के मामलों में प्राप्त अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना है। यह राज्य स्तर पर सूचना के अनुरोधों के लिए अंतिम और सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाता है।

48. (4) धारा 18 - राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 वास्तव में सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, न कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से। राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 15 आयोग के गठन, धारा 16 सेवा शर्तों और धारा 17 मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को विस्तार से परिभाषित करती है। अतः धारा 18 के साथ सरकारी नियम बनाने की शक्ति का मिलान विधिक रूप से गलत और अधिनियम के अनुरूप नहीं है।

49. (2) एम.डी. कौरानी
एम.डी. कौरानी को राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उनके कार्यकाल के दौरान, राजस्थान सूचना आयोग ने अपनी प्रारंभिक कार्यप्रणाली और सूचना का अधिकार अधिनियम के सिद्धांतों को धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास किए। मुख्य सूचना आयुक्त का पद राज्य में सूचना की स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी नियुक्ति ने राज्य में नागरिकों के जानने के अधिकार को एक मजबूत संस्थागत आधार प्रदान किया, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी।

50. (3) केवल I, II और III
राजस्थान सूचना आयोग के पास सूचना न देने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। यह शिकायतकर्ता को हुई किसी भी आर्थिक या अन्य हानि के लिए सार्वजनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने का आदेश भी दे सकता है। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति आयोग के पास नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल संसद के पास सुरक्षित है। आयोग केवल अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और व्याख्या कर सकता है।

51. (2) एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्त
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सूचना आयोग की संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकतानुसार अन्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या किसी भी स्थिति में दस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अधिकतम सीमा सुनिश्चित करती है कि आयोग के पास कार्यों के निपटारे के लिए पर्याप्त सदस्य हों, साथ ही यह प्रशासनिक संतुलन भी बनाए रखती है। राजस्थान में भी इसी कानूनी ढांचे के तहत सूचना आयुक्तों के पदों का सृजन किया गया है।

52. (4) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इस चयन प्रक्रिया में न्यायपालिका के किसी प्रतिनिधि, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह एक कार्यकारी चयन प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि आयोग के सदस्यों का चयन राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों के संतुलन के आधार पर किया जाए।

53. (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की औपचारिक नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चयन समिति का कार्य योग्य व्यक्तियों के नामों का सुझाव देना है। यदि किसी सूचना आयुक्त के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगते हैं, तो उनकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। आयोग स्वयं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए सूचना से संबंधित विवादों का समाधान करता है। यह व्यवस्था आयोग की विश्वसनीयता और सदस्यों की पद की सुरक्षा को संतुलित करती है।

54. (2) कथन I गलत है और कथन II सही है
2019 के संशोधन से पूर्व सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, सूचना आयुक्तों की पदावधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः कार्यकाल अब अधिनियम में निश्चित नहीं है, बल्कि यह केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। यह परिवर्तन आयोग की सेवा शर्तों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे राज्य आयोगों के कार्यकाल की स्वायत्तता पर भी प्रभाव पड़ा है।

Downloaded from www.pdf.tube

72. (1) इसे अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए।
अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करे। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखे। इसके साथ ही, सरकार को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की अनुशंसाओं पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई अनुशंसा स्वीकार नहीं की गई है, तो उसके क्या ठोस कारण हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आयोग के कार्यों की विधायी समीक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही बनी रहे।

73. (1) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
आयोग त्वरित सहायता के लिए पुलिस को निर्देश देकर पीड़ित महिलाओं का बचाव करता है। यह राज्य की नीतियों और कानूनों की समीक्षा करता है, जैसे संपत्ति अधिकारों में संशोधन की सलाह देना। जागरूकता के लिए यह विचार गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। इसके अतिरिक्त, बजट में नए आश्रय गृहों जैसी नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से यह महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करता है। ये सभी कार्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करते हैं।

74. (1) न्यायालय की भांति अपराधियों को दंडित करने या बाध्यकारी निर्णय जारी करने में असमर्थता।
राजस्थान राज्य महिला आयोग की सबसे बड़ी कार्यात्मक सीमा यह है कि इसके पास किसी भी अपराधी को सीधे सजा देने या जुर्माना वसूलने की कानूनी शक्ति नहीं है। यह एक अनुशंसात्मक और जांच निकाय के रूप में कार्य करता है, न कि एक पूर्ण अदालत के रूप में। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, जिसके कारण कई बार इसकी सिफारिशों पर त्वरित कार्यवाही नहीं हो पाती। यद्यपि यह दबाव समूह के रूप में प्रभावी है, लेकिन दंडात्मक शक्तियों का अभाव इसके आदेशों के क्रियान्वयन को अक्सर सरकारी इच्छाशक्ति पर निर्भर बना देता है।

75. (4) यह जांच अधिकारी को बुला सकता है, वस्तुस्थिति प्रतिवेदन की मांग कर सकता है और उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा कर सकता है।
गंभीर अपराधों में पुलिस की निष्क्रियता की स्थिति में, आयोग जांच अधिकारी को बुलावा पत्र जारी कर व्यक्तिगत रूप से बुला सकता है। वह मामले की केस डायरी और वस्तुस्थिति रिपोर्ट की मांग कर सकता है। यदि आयोग असंतुष्ट है, तो वह पुलिस महानिदेशक या सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराने की सिफारिश कर सकता है। आयोग का यह हस्तक्षेप पुलिस पर नैतिक और प्रशासनिक दबाव बनाता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यद्यपि वह सीधे किसी को निलंबित नहीं कर सकता।

76. (2) अजमेर
राजस्थान राजस्व मंडल का स्थायी मुख्यालय अजमेर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना के समय से ही अजमेर को राज्य के राजस्व प्रशासन के केंद्र के रूप में चुना गया था। यह मंडल राज्य में भूमि और राजस्व से संबंधित सभी कानूनी और प्रशासनिक मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है। अजमेर में इसके मुख्यालय की स्थिति इसे राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले राजस्व अपीलों और पुनरीक्षण मामलों के निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, जो राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है।

77. (2) केवल I, II, III और IV
राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में एक अध्यादेश द्वारा हुई, मुख्यालय अजमेर में है। इसने रियासतों के पुराने राजस्व न्यायालयों को प्रतिस्थापित किया और अब यह मुख्य रूप से 1955 और 1956 के राजस्व अधिनियमों के तहत कार्य करता है। हालांकि, मंडल के पास हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। हत्या के मामले पूरी तरह से सत्र न्यायालयों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राजस्व मंडल केवल नागरिक और कृषि भूमि से संबंधित विवादों तक सीमित है।

NODIA

78. (4) नगरीय व्यावसायिक भूखंडों पर स्वामित्व विवाद
राजस्व मंडल का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से कृषि भूमि, काश्तकारी अधिकारों के घोषणात्मक वादों, जोतों के विभाजन और नामांतरण की अपीलों तक सीमित है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक या आवासीय भूखंडों के स्वामित्व से संबंधित विवाद राजस्व न्यायालयों के बजाय नियमित दीवानी न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते हैं। चूंकि ये मामले राजस्व प्रशासन के दायरे से बाहर हैं, इसलिए राजस्व मंडल इनके संबंध में कोई कानूनी सुनवाई नहीं करता है। इसका मुख्य बल ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े भूमि विवादों पर रहता है।

79. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्व मंडल और दीवानी न्यायालयों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। राजस्व मंडल केवल कृषि भूमि के लगान, काश्तकारी और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों का न्यायनिर्णयन करता है। आवासीय भवनों या नगरीय संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित विवाद विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके समाधान के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नियमित दीवानी न्यायालय ही सक्षम प्राधिकारी हैं। यह विभाजन प्रशासनिक स्पष्टता और न्यायिक विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि भूमि से जुड़े विभिन्न प्रकृति के विवादों का सही मंच पर समाधान हो सके।

80. (2) यह भूमि बेदखली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
राजस्व मंडल एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और राजस्व अधिकारियों के लिए नियंत्रक निकाय भी है। यह भू-राजस्व नीतियों पर सरकार को महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है।

बनाने का प्रयास करता है। ये विविध कार्य समाज और प्रशासन के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं।

64. (2) यह घरेलू हिंसा के मामलों में अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यक्ष आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
राजस्थान राज्य महिला आयोग के पास महिलाओं के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करने और शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। हालांकि, यह कोई आपराधिक न्यायालय नहीं है और न ही इसके पास अपराधियों को सीधे सजा देने या उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। आयोग केवल जांच कर सकता है और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सिफारिशें भेज सकता है। विधिक दंड सुनाने का कार्य केवल राज्य की नियमित न्यायपालिका और आपराधिक अदालतों द्वारा ही किया जाता है। अतः इसे न्यायालय मानना एक वैधानिक भ्रम है।

65. (1) विधेयक का प्रारूप तैयार करना → राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित करना → राज्यपाल की स्वीकृति → अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना → आयोग का गठन
किसी भी सांविधिक निकाय जैसे महिला आयोग की स्थापना के लिए एक निश्चित विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर्वप्रथम संबंधित विभाग विधेयक का प्रारूप तैयार करता है, जिसे राज्य विधानमंडल में चर्चा के बाद पारित किया जाता है। इसके पश्चात राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति अनिवार्य है। स्वीकृति मिलते ही इसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, जिससे यह कानूनी रूप से अधिनियम बन जाता है। इसी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अंततः आयोग का गठन और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

66. (2) एक अध्यक्ष और तीन गैर-सरकारी सदस्य, साथ ही एक नियुक्त सदस्य-सचिव।
अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और तीन गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, आयोग के प्रशासनिक कार्यों और सरकारी समन्वय को संभालने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जाती है। यह संक्षिप्त लेकिन प्रभावी संरचना आयोग को निर्णय लेने में लचीलापन और प्रशासनिक दक्षता प्रदान करती है। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन सामाजिक कार्य और महिला अधिकारों के क्षेत्र में उनके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है।

67. (1) केवल I और II
आयोग के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि सदस्यों में कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का हो। हालांकि, सदस्य-सचिव के लिए जिला न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है; सामान्यतः इस पद पर राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। अतः सदस्य-सचिव की न्यायिक योग्यता से संबंधित दावा अधिनियम के अनुसार अनिवार्य शर्त नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक चयन का विषय है।

68. (1) कथन I सही है और कथन II गलत है
राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम के अनुसार, अध्यक्ष और प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष के लिए निर्धारित है। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति से संबंधित ये प्रावधान आयोग के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। अधिनियम में दोबारा नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट निषेध नहीं है।

69. (3) पुलिस विभाग से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित सभी प्राथमिकियों (FIR) का अनिवार्य प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
आयोग व्यक्तिगत शिकायतों, डाक द्वारा प्राप्त पत्रों या समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त शिकायतों पर भी संज्ञान लिया जाता है। हालांकि, पुलिस के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे महिलाओं से संबंधित सभी प्राथमिकियों को सीधे आयोग को हस्तांतरित करें। आयोग और पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यद्यपि आयोग किसी विशिष्ट मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांग सकता है। अतः प्राथमिकियों के स्वतः हस्तांतरण की कोई कानूनी व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान नहीं है।

70. (1) केवल I, II और III
शिकायतों के निपटारे के लिए आयोग संबंधित पक्षों को सूचना पत्र जारी कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है और किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए जांच समितियां गठित कर सकता है। ये सभी शक्तियां आयोग को तथ्यों का पता लगाने में सहायता करती हैं। लेकिन, आयोग के पास विवाह विच्छेद या तलाक की कानूनी डिक्री जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसे पारिवारिक और वैवाहिक डिक्री जारी करने का अनन्य अधिकार केवल सक्षम पारिवारिक न्यायालयों के पास है। आयोग केवल सुलह-सफाई या विधिक परामर्श का माध्यम बन सकता है।

71. (4) सलाहकार प्रकृति की, हालांकि सरकार प्रायः की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करती है।
महिला आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सिफारिशें अनिवार्य नहीं, बल्कि केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं। सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत, राज्य सरकार आमतौर पर इन अनुशंसाओं पर विचार करती है और उन पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यह व्यवस्था सरकार को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील तो बनाती है, लेकिन यह शासन की अंतिम कार्यकारी शक्तियों को आयोग के अधीन नहीं करती है।

Click Here to Buy book on Amazon

19. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, अनुच्छेद 320(3) के प्रावधान निर्देशिका प्रकृति के हैं, न कि अनिवार्य। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सरकार किसी अनुशासनात्मक मामले में आयोग से परामर्श करने में विफल रहती है, तो मात्र इस आधार पर दिया गया दंड अवैध नहीं माना जाता। परामर्श की यह व्यवस्था प्रशासनिक मार्गदर्शन के लिए है, जिससे लोक सेवकों को सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन यह सरकार की अंतिम निर्णय लेने की शक्ति को पूर्णतः बाधित नहीं करती है।

20. (4) नियम वैध रहते हैं क्योंकि आयोग का कार्य पूर्णतः सलाहकार है।
यदि राज्य सरकार भर्ती नियमों के निर्माण के दौरान लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में विफल रहती है, तो वे नियम विधिक रूप से वैध बने रहते हैं। चूंकि आयोग की भूमिका संवैधानिक रूप से केवल सलाहकार और परामर्शदात्री है, इसलिए इसके परामर्श का अभाव किसी सरकारी नीति या नियम को स्वतः अमान्य नहीं करता है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि परामर्श की प्रक्रिया एक निर्देशिका है, जिसका उद्देश्य शासन में कुशलता लाना है, न कि विधायी शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना।

21. (3) भारत के राष्ट्रपति
यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। यह प्रावधान आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि सदस्य बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य कर सकें। राज्यपाल को केवल जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन का अधिकार है, परंतु अंतिम निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही संवैधानिक आधारों और विहित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

22. (2) अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवैतनिक नियोजन में संलग्न होना
राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के सीधे हटा सकते हैं। इन आधारों में सदस्य का दिवालिया घोषित होना, अपने कार्यकाल के दौरान पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवैतनिक कार्य में सम्मिलित होना या राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद हेतु अयोग्य होना शामिल है। हालांकि, कदाचार के आरोपों के मामले में सदस्य को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा औपचारिक जांच का संदर्भ अनिवार्य होता है।

23. (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
अनुच्छेद 317(2) के अनुसार, कदाचार की जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 317(3) उन आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर राष्ट्रपति सीधे पद से हटा सकते हैं, जैसे दिवालियापन। अनुच्छेद 317(1) कदाचार के आधार पर हटाने की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय के संदर्भ के माध्यम से परिभाषित करता है। वहीं, अनुच्छेद 319 सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों को धारण करने पर रोक लगाता है ताकि आयोग की निष्पक्षता और भविष्य के लाभों के लोभ से मुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

24. (1) एक निगमित कंपनी का सदस्य होना और अन्य सदस्यों के साथ लाभ का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त करना कदाचार माना जाता है।
अनुच्छेद 317 के अनुसार, यदि कोई सदस्य सरकार के साथ किए गए अनुबंध में व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करता है, तो वह कदाचार है। हालांकि, एक निगमित कंपनी का सदस्य होना और अन्य सदस्यों के साथ लाभ का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त करना कदाचार नहीं माना जाता है। इसके विपरीत, यदि वह अनुबंध में सीधा हित रखता है या लाभ में भाग लेता है, तो उसे दोषी माना जाएगा। भ्रष्टाचार और परीक्षा परिणामों को प्रभावित करना गंभीर कदाचार हैं, जिनके लिए उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत हटाया जा सकता है।

25. (2) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ → अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच → राष्ट्रपति को बाध्यकारी प्रतिवेदन → राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश
कदाचार के आधार पर सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं। न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार आरोपों की गहन जांच करता है। जांच के पश्चात, न्यायालय अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि न्यायालय हटाने की अनुशंसा करता है, तो यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसके उपरांत ही राष्ट्रपति औपचारिक रूप से हटाने का आदेश जारी करते हैं। यह जटिल प्रक्रिया आयोग के सदस्यों को मनमाने राजनैतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करती है।

26. (1) पंचायती राज संस्थाएं
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग को विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें पंचायतों के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और पूर्ण नियंत्रण निहित है। यह आयोग राज्य में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए गठित किया गया है। राज्य विधानसभा और संसद के चुनावों का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।

27. (3) केवल I और III
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन 73वें और 74वें संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए किया गया था। यह भारत के निर्वाचन आयोग के समान ही अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त है। हालांकि, राजस्थान में यह एक एकल-सदस्यीय आयोग है, जिसका नेतृत्व राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता करते हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त स्थानीय चुनावों के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं।

NODIA

हालांकि, जिला पुलिस पर इसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। कानून-व्यवस्था और पुलिस का नियंत्रण गृह विभाग और जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। राजस्व मंडल केवल भूमि से संबंधित बेदखली के आदेश जारी कर सकता है, लेकिन उन आदेशों को लागू करने के लिए पुलिस सहायता प्राप्त करना जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।

81. (2) वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी।
राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यंत वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ये अधिकारी अक्सर मुख्य सचिव या उसके समकक्ष श्रेणी के होते हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अनुभव मंडल को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है, क्योंकि अध्यक्ष को न केवल न्यायिक बल्कि व्यापक प्रशासनिक कार्यों का भी समन्वय करना होता है। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राजस्व प्रशासन का नेतृत्व एक अनुभवी और प्रशासनिक रूप से कुशल व्यक्ति द्वारा किया जाए।

82. (1) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र मंडल को पहली बार सीधे किसी मामले की सुनवाई की अनुमति देता है, जबकि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा होती है।
प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कि कुछ विशिष्ट मामलों को कानूनन सीधे राजस्व मंडल में ही पहली बार पेश किया जा सकता है। इसके विपरीत, अपीलीय अधिकार क्षेत्र में मंडल स्वयं किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करता, बल्कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, जैसे कलेक्टर या राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई और समीक्षा करता है। यह न्यायिक सोपान प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मामलों का क्रमिक निपटारा हो और मंडल केवल जटिल या उच्च स्तरीय विवादों पर अपना अंतिम निर्णय प्रदान करे।

83. (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
राजस्व प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर कार्य विभाजित हैं। तहसीलदार तहसील स्तर पर भूमि अभिलेखों के रखरखाव और पटवारियों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। उपखंड अधिकारी का न्यायालय कृषि काश्तकारी वादों की प्रारंभिक सुनवाई के लिए प्राथमिक केंद्र है। जिला कलेक्टर पूरे जिले के राजस्व प्रशासन के प्रमुख होते हैं। राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च पुनरीक्षण और अपीलीय प्राधिकारी है जो समस्त राजस्व न्यायालयों के निर्णयों की निगरानी और सुधार करने की शक्ति रखता है। यह पदानुक्रम राज्य में भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाता है।

84. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
राजस्व मंडल राजस्थान में राजस्व प्रशासन की आधारशिला है। यह न केवल पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों और तहसीलदारों के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। मंडल पटवारियों की सीधी भर्ती परीक्षाओं के संचालन और उनके अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबंधन भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राजस्व विभाग के जमीनी स्तर के कर्मचारी कानून और प्रक्रियाओं में पारंगत हों। इस प्रकार, मंडल की भूमिका केवल न्यायिक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण नियामक और प्रशिक्षण संस्थान की भी है।

85. (1) III, V, I, II, IV
राजस्व विभाग में सबसे निचले स्तर पर पटवारी होता है, जो ग्राम स्तर के अभिलेख संभालता है। उसके ऊपर भू-अभिलेख निरीक्षक होता है जो पटवारियों के कार्य का निरीक्षण करता है। तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। उनसे ऊपर उपखंड अधिकारी बैठता है, जिसके पास व्यापक न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां होती हैं। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी इस श्रेणी में उच्च स्तर पर आता है, जो उपखंड अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। यह आरोही क्रम प्रशासनिक जवाबदेही को स्पष्ट करता है।

86. (2) अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के रिकॉर्ड को मंगाने की शक्ति ताकि आदेश की वैधता या औचित्य की जांच की जा सके।
राजस्व मंडल की पुनरीक्षण शक्ति एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपकरण है। इसके तहत मंडल किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय से किसी भी मामले का रिकॉर्ड अपने पास मंगा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया है या नहीं, या उसके आदेश में कोई विधिक त्रुटि तो नहीं है। यह शक्ति मंडल को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि न्याय प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो और सभी राजस्व अधिकारी कानून की सीमाओं के भीतर ही कार्य करें।

87. (2) केवल I और III
राजस्व मंडल के पास अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करने और अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड मंगाने की व्यापक शक्तियां हैं। पुनरीक्षण के दौरान मंडल आमतौर पर केवल अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों या विधिक वैधता की जांच करता है, न कि छोटे तथ्यों के निष्कर्षों में बार-बार हस्तक्षेप करता है। तथ्यों का निर्धारण प्राथमिक रूप से निचली अदालतों का कार्य है। मंडल का हस्तक्षेप तब आवश्यक होता है जब न्याय का गंभीर उल्लंघन हुआ हो या कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया गया हो। यह संतुलन न्यायिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

88. (1) कृषि फार्म पर आपराधिक अतिचार से संबंधित विवाद।
राजस्व मंडल और राजस्व न्यायालय केवल नागरिक प्रकृति के भूमि विवादों को सुलझाते हैं, जैसे काश्तकारी अधिकार, नामांतरण, लगान और सीमा विवाद। यदि किसी कृषि भूमि पर कोई व्यक्ति बलपूर्वक प्रवेश करता है या हिंसा करता है, तो इसे 'आपराधिक अतिचार' माना जाता है। ऐसे आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता के दायरे में आते हैं और इनकी सुनवाई पुलिस की जांच के बाद नियमित फौजदारी या आपराधिक न्यायालयों द्वारा की जाती है। राजस्व न्यायालयों के पास

Downloaded from www.pdf.tube

आपराधिक मामलों में सजा देने या उन पर विचार करने का विधिक अधिकार क्षेत्र नहीं है।

89. (3) राजस्व मंडल
राजस्थान में राजस्व विवादों के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित न्यायिक पदानुक्रम है। यदि किसी काश्तकारी वाद में राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोई निर्णय देता है और कोई पक्ष उससे असंतुष्ट है, तो उस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील केवल अजमेर स्थित राजस्व मंडल के समक्ष ही की जा सकती है। राजस्व मंडल राज्य में इन मामलों के लिए अंतिम और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद केवल संवैधानिक प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन नियमित अपील की प्रक्रिया मंडल पर ही समाप्त होती है।

90. (1) केवल I, II और IV
राजस्व न्यायालयों का कार्यक्षेत्र कृषि भूमि और उससे जुड़े लगान, ऋण, सीलिंग और सीमा विवादों तक फैला हुआ है। कृषि ऋण संचालन अधिनियम और भूमि सीमा निर्धारण के मामले इनके मुख्य विषय हैं। हालांकि, खनन पट्टों का आवंटन और उनसे जुड़े विवाद खनिज विभाग और उससे संबंधित विशिष्ट न्यायाधिकरणों के अधीन होते हैं। राजस्व न्यायालयों के पास खनन पट्टों के आवंटन के संबंध में अपीलों की सुनवाई करने का सामान्य अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका मुख्य केंद्र बिंदु केवल राज्य की कृषि भूमि और काश्तकारी प्रबंधन ही रहता है।

91. (2) 1973
राजस्थान में लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता को देखते हुए 1973 में 'राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम' पारित किया गया था। इस अधिनियम ने राज्य में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की नींव रखी। 1973 से प्रभावी होने के बाद, यह अधिनियम लोकायुक्त को मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह राज्य में प्रशासनिक शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक विधिक कदम माना जाता है।

92. (2) न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ
न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। उनकी नियुक्ति ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थागत ढांचे की शुरुआत की। लोकायुक्त के रूप में उनका मुख्य कार्य लोक सेवकों के आचरण की निगरानी करना और उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना था। प्रथम लोकायुक्त के रूप में उन्होंने इस संस्थान के लिए उच्च मानक स्थापित किए, जिससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ। उनकी अनुभवी न्यायिक पृष्ठभूमि ने लोकायुक्त कार्यालय को एक गरिमामयी और शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

93. (1) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, जिन्होंने इस पद की नींव रखी। न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता ने लोकायुक्त के साथ-साथ कार्यवाहक राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाईं। न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा का कार्यकाल राजस्थान के लोकायुक्तों में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा 2021 से इस उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं। इन सभी महानुभावों ने समय-समय पर राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अपना प्रभावी योगदान दिया है।

94. (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे राज्यपाल द्वारा संपन्न किया जाता है। चयन की निष्पक्षता और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ परामर्श करते हैं। यह त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि लोकायुक्त पद पर एक ऐसा व्यक्ति आसीन हो जिसकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर किसी को संदेह न हो। यह राजनीतिक और न्यायिक संतुलन संस्था की स्वायत्तता को भी सुदृढ़ करता है।

95. (1) उप-लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के बिना केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है।
राजस्थान के अधिनियम के अनुसार, उप-लोकायुक्त की नियुक्ति के समय राज्यपाल के लिए लोकायुक्त के साथ परामर्श करना विधिक रूप से अनिवार्य है। यह दावा कि उनकी नियुक्ति लोकायुक्त के बिना परामर्श के केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर होती है, पूर्णतः गलत है। अधिनियम एक से अधिक उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति की अनुमति देता है और के.पी.यू. मेनन राजस्थान के पहले उप-लोकायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के बीच कार्यात्मक तालमेल और प्रशासनिक सामंजस्य बना रहे।

96. (2) राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री
राजस्थान लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में राज्य के सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री को वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी इस विशिष्ट अधिनियम की जांच प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है क्योंकि उनके लिए अन्य संवैधानिक तंत्र मौजूद हैं। लोकायुक्त मुख्य रूप से कार्यपालिका के राजनीतिक और प्रशासनिक अंगों की निगरानी करते हैं।

97. (1) केवल I, II, III और V
राजस्थान लोकायुक्त के पास कैबिनेट मंत्रियों, जिला परिषदों के प्रमुखों, नगर निगमों के महापौरों और राज्य के सभी सिविल सेवकों के विरुद्ध जांच करने की विस्तृत शक्तियां हैं। स्थानीय

NODIA

स्वशासन के उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि भी इस जांच के दायरे में आते हैं। हालांकि, ग्राम पंचायतों के सरपंचों को वर्तमान में लोकायुक्त के सीधे जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, उनके विरुद्ध शिकायतों के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत अन्य विभागीय तंत्र कार्य करते हैं। यह अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से मध्यम और उच्च स्तरीय लोक सेवकों पर केंद्रित है।

98. (3) घटना होने की तिथि से पांच वर्ष।
राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार, किसी भी शिकायत पर जांच शुरू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। लोकायुक्त उस मामले में जांच नहीं कर सकते जो उस तिथि से पांच वर्ष से अधिक पुराना हो जिस दिन कथित भ्रष्टाचार या कुप्रशासन की घटना हुई थी। यह सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है कि शिकायतें समसामयिक हों और साक्ष्य उपलब्ध हो सकें। बहुत पुरानी शिकायतों पर जांच करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है और इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

99. (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण जांच संस्था है, लेकिन उसके पास दंडात्मक शक्तियां नहीं हैं। वह स्वयं किसी लोक सेवक को सजा नहीं दे सकता और न ही सीधे तौर पर कानूनी मुकदमा शुरू कर सकता है। जांच पूरी करने के बाद, लोकायुक्त अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ एक प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी या राज्यपाल को भेजता है। इसके बाद, उस प्रतिवेदन पर आवश्यक दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। लोकायुक्त की भूमिका एक प्रभावी मार्गदर्शक और अन्वेषक की है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है।

100. (4) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक पदाधिकारियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करना।
राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना है। यह विशिष्ट रूप से मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और प्रशासनिक कुप्रशासन की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने के लिए बनाई गई है। यह आम जनता को प्रशासन की त्रुटियों और अधिकारियों की अनैतिकता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज और प्रभावी मंच प्रदान करता है। लोकायुक्त की उपस्थिति लोक सेवकों में नैतिक जवाबदेही का भाव जगाती है और राज्य प्रशासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

की थी।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

44. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ा, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के आधार के रूप में कार्य करता है?
(1) भाग IXA
(2) भाग IX
(3) भाग X
(4) भाग XI
(5) प्रश्न हल नहीं किया

45. राजस्थान में त्रि-स्तरीय संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करती है।
II. पंचायत समिति खंड स्तर पर कार्य करती है।
III. जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है।
IV. यदि जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो राज्य सरकार जिला परिषद को समाप्त कर सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

46. राजस्थान में ग्राम सभा के संदर्भ में, 'विकास सभा' या 'ग्राम सभा' की बैठकें सामान्यतः अनिवार्य तिथियों के अनुरूप होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकों के लिए पारंपरिक रूप से अनिवार्य तिथियों में से एक नहीं है?
(1) 26 जनवरी
(2) 1 मई
(3) 15 अगस्त
(4) 14 नवंबर
(5) प्रश्न हल नहीं किया

47. सूची I (पंचायती राज पदाधिकारी) को सूची II (राजस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम अर्हता आयु) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पंचायती राज पदाधिकारी)
A. सरपंच
B. वार्ड पंच
C. प्रधान
D. जिला प्रमुख
सूची II: (राजस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम अर्हता आयु)
i. 21 वर्ष
ii. 21 वर्ष
iii. 21 वर्ष
iv. 21 वर्ष
सही विकल्प चुनें:
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया

48. राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) प्रधान स्वतंत्र रूप से खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है।
(2) प्रधान पंचायत समिति के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
(3) प्रधान के पास पंचायत समिति द्वारा पारित सभी प्रस्तावों पर वीटो शक्ति होती है।
(4) प्रधान जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक अधिकारी होता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

49. राजस्थान में जिला परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का पंचायत समितियों के बीच वितरण के लिए उत्तरदायी है।
II. यह जिले के भीतर विकास गतिविधियों से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देती है।
III. यह जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जिला योजना तैयार करती है।
IV. जिला प्रमुख के पास ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति होती है।
V. इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल I, II, IV और V
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया

50. अनुच्छेद 243D के अनुसार राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए सीटों का संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नहीं है?
(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(2) अनुसूचित जातियों के सदस्य
(3) अनुसूचित जनजातियों के सदस्य
(4) सभी श्रेणियों की महिलाएं

NODIA

(1) निर्वाचित वार्ड पंचों द्वारा अपने बीच में से अप्रत्यक्ष रूप से
(2) संबंधित खंड के उप-खंड अधिकारी द्वारा मनोनीत
(3) पंचायत समिति की अनुशंसा पर जिला प्रमुख द्वारा नियुक्त
(4) ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
(5) प्रश्न हल नहीं किया

8. राजस्थान में पंचायत समिति के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
(2) प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
(3) उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत समिति क्षेत्र शामिल है, इसके सदस्य होते हैं।
(4) पंचायत समिति ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए उत्तरदायी है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

9. राजस्थान में जिला परिषद और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जिला प्रमुख का चुनाव जिले के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
II. यह जिले में पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करती है।
III. लोकसभा के सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले के भीतर आते हैं, इसके मतदान करने वाले सदस्य होते हैं।
IV. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

10. राजस्थान में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इन चुनावों के लिए इस बढ़ी हुई आरक्षण नीति को किस वर्ष लागू किया?
(1) 1994
(2) 1999
(3) 2005
(4) 2009
(5) प्रश्न हल नहीं किया

11. सूची I (राजस्थान का राज्य वित्त आयोग) को सूची II (संबंधित अध्यक्ष) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राजस्थान का राज्य वित्त आयोग)
A. प्रथम राज्य वित्त आयोग
B. द्वितीय राज्य वित्त आयोग
C. पांचवां राज्य वित्त आयोग
D. छठा राज्य वित्त आयोग
सूची II: (संबंधित अध्यक्ष)
i. डॉ. ज्योति किरण
ii. प्रद्युम्न सिंह
iii. के. के. गोयल
iv. हीरा लाल देवपुरा
सही विकल्प चुनें:
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
(3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया

12. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य या विशेषता नहीं है?
(1) पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करना
(2) भारत निर्वाचन आयोग के समन्वय में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराना
(3) स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय
(4) जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराना
(5) प्रश्न हल नहीं किया

13. 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और राजस्थान में इसके कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. इसने तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य बना दिया।
II. इसने प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया।
III. इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
IV. इसने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधिनियमन को आवश्यक बना दिया।
V. इसने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार दिया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, III और V
(2) केवल II, III, IV और V
(3) केवल I, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया

NODIA

(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

29. राजस्थान में जिला प्रमुख निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अपना लिखित त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं?
(1) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(2) जिला कलेक्टर
(3) संभागीय आयुक्त
(4) राजस्थान के राज्यपाल
(5) प्रश्न हल नहीं किया

30. सूची I (श्रेणी) को सूची II (राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (श्रेणी)
A. अनुसूचित जाति
B. अनुसूचित जनजाति
C. महिला
D. अन्य पिछड़ा वर्ग
सूची II: (राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रावधान)
i. कुल सीटों का 50 प्रतिशत
ii. उनकी जनसंख्या के अनुपात में
iii. उनकी जनसंख्या के अनुपात में
iv. 21 प्रतिशत तक, बशर्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो
सही विकल्प चुनें:
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया

31. राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा एक विशिष्ट कार्यकाल के लिए किया जाता है। संविधान द्वारा अनिवार्य इसके कार्यकाल की मानक अवधि क्या है?
(1) 3 वर्ष
(2) 4 वर्ष
(3) 5 वर्ष
(4) 6 वर्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया

32. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह एक संवैधानिक निकाय है।
II. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
III. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं।
IV. राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
V. इसकी स्थापना 1994 में हुई थी।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II, IV और V
(2) केवल I, II, III और IV
(3) केवल II, III, IV और V
(4) I, II, III, IV और V
(5) प्रश्न हल नहीं किया

33. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने मुख्य रूप से किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित किया?
(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1951
(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959
(3) राजस्थान शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1974
(4) राजस्थान नगर परिषद अधिनियम, 1994
(5) प्रश्न हल नहीं किया

34. राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: एक नगर निगम का गठन सामान्यतः पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले और विशिष्ट राजस्व मानकों को पूरा करने वाले बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाता है।
कथन II: छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका का गठन किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

35. राजस्थान में एक नगर निगम के निर्वाचित प्रमुख को महापौर (मेयर) के रूप में नामित किया जाता है। महापौर अपना हस्तलिखित त्यागपत्र किसे संबोधित करके दे सकते हैं?
(1) राजस्थान के राज्यपाल
(2) नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(3) स्थानीय निकाय निदेशक, राजस्थान
(4) राज्य निर्वाचन आयोग
(5) प्रश्न हल नहीं किया

36. सूची I (शहरी स्थानीय निकाय) को सूची II (राजस्थान में निर्वाचित प्रमुख का पदनाम) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शहरी स्थानीय निकाय)
A. नगर निगम
B. नगर परिषद
C. नगरपालिका
सूची II: (राजस्थान में निर्वाचित प्रमुख का पदनाम)
i. अध्यक्ष

Downloaded from www.pdf.tube

(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया

22. बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र अपनाने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए:
(1) राजस्थान
(2) नागालैंड
(3) आंध्र प्रदेश
(4) महाराष्ट्र
(5) प्रश्न हल नहीं किया

23. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना के महत्वपूर्ण चरणों की सही कालानुक्रमिक तिथियों को दर्शाता है?
(1) बलवंत राय मेहता रिपोर्ट प्रस्तुत करना (1957) → राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम का अधिनियमन (1959) → नागौर प्रयोग (अक्टूबर 1959)
(2) नागौर प्रयोग (1957) → बलवंत राय मेहता रिपोर्ट (1958) → राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम (1959)
(3) राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम (1957) → नागौर प्रयोग (1958) → बलवंत राय मेहता रिपोर्ट (1959)
(4) बलवंत राय मेहता रिपोर्ट (1959) → नागौर प्रयोग (1960) → राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम (1961)
(5) प्रश्न हल नहीं किया

24. सूची I (राजस्थान पंचायती राज में प्रमुख शब्दावली) को सूची II (संबद्ध स्तर/निकाय) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राजस्थान पंचायती राज में प्रमुख शब्दावली)
A. सरपंच
B. प्रधान
C. प्रमुख
D. वार्ड सभा
सूची II: (संबद्ध स्तर/निकाय)
i. जिला परिषद
ii. पंचायत समिति
iii. ग्राम पंचायत
iv. ग्राम पंचायत का वार्ड स्तर
सही विकल्प चुनें:
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया

25. राजस्थान में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना के तहत, कौन सा स्तर संरचनात्मक रूप से जमीनी स्तर और जिला स्तर के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नामित है?
(1) ग्राम पंचायत
(2) जिला परिषद
(3) पंचायत समिति
(4) ग्राम सभा
(5) प्रश्न हल नहीं किया

26. राजस्थान में ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) इसके पास राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर सीधे कानून पारित करने की शक्ति है।
(2) यह ग्राम पंचायत के खातों के वार्षिक विवरण पर विचार करती है।
(3) यह ग्राम स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करती है।
(4) यह पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट की समीक्षा करती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान में, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके पद ग्रहण करने के पहले दो वर्षों के भीतर नहीं लाया जा सकता है।
कारण (R): यह प्रावधान प्रशासनिक स्थिरता की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करता है और चुनाव के तुरंत बाद अनावश्यक बाधाओं को रोकता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

28. राजस्थान में एक पंचायत समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
II. संबंधित खंड के राज्य विधानसभा के सदस्य (विधायक) इसके सदस्य होते हैं।
III. खंड के भीतर सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच पदेन सदस्य होते हैं।
IV. जिला कलेक्टर पंचायत समिति का मतदान करने वाला सदस्य होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III

NODIA

14. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा क्षेत्र) के लिए किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय गठित किया जाता है?
(1) नगर निगम
(2) नगर परिषद
(3) छावनी बोर्ड
(4) नगरपालिका
(5) प्रश्न हल नहीं किया

15. राजस्थान में निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सामान्य जनसांख्यिकीय और शहरी पदानुक्रम के आधार पर बढ़ते क्रम (सबसे छोटे से सबसे बड़े) में व्यवस्थित कीजिए:
I. नगर निगम
II. नगरपालिका
III. नगर परिषद
(1) II, III, I
(2) III, II, I
(3) I, III, II
(4) II, I, III
(5) प्रश्न हल नहीं किया

16. राजस्थान में नगर निगम में नगर आयुक्त मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है?
(1) नगर परिषद का निर्वाचित प्रमुख
(2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(3) राज्य वित्त आयोग का पदेन प्रतिनिधि
(4) जिला योजना समिति का अध्यक्ष
(5) प्रश्न हल नहीं किया

17. सूची I (संविधान की अनुसूचियां) को सूची II (स्थानीय सरकार के संबंध में विषय वस्तु) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संविधान की अनुसूचियां)
A. ग्यारहवीं अनुसूची
B. बारहवीं अनुसूची
C. सातवीं अनुसूची (राज्य सूची)
D. सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची)
सूची II: (स्थानीय सरकार के संबंध में विषय वस्तु)
i. नगरपालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व
ii. पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व
iii. स्थानीय सरकार
iv. आर्थिक और सामाजिक नियोजन
सही विकल्प चुनें:
(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया

18. निम्नलिखित में से कौन सा कथन शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन के प्राथमिक उद्देश्य का सही वर्णन करता है?
(1) शहरी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर नागरिक भागीदारी को बढ़ाना।
(2) छोटे आवासीय शहरी कस्बों में मौजूदा नगर परिषद संरचना को बदलना।
(3) वार्डों के लिए सभी वित्तीय आवंटन को एकल राज्य-प्रबंधित कोष में केंद्रित करना।
(4) राज्य निर्वाचन आयोग के शासनादेश से स्वतंत्र स्थानीय चुनाव प्रक्रियाओं की देखरेख करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): जिला योजना समिति जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए उत्तरदायी है।
कारण (R): 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति बनाने का आदेश देता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

20. राजस्थान में स्थानीय सरकार के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण चुनौती स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय कर लगाने और वसूलने में अनिच्छा है। इस मुद्दे का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है?
(1) राज्य वित्त आयोग और उसकी सलाहकार जिम्मेदारियों की तत्काल समाप्ति।
(2) राज्यपाल के आधिकारिक आदेश द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों का तत्काल विघटन।
(3) स्थानीय प्रशासनिक विषयों का स्थायी रूप से सीधे संघ सूची के विषयों में स्थानांतरण।
(4) राज्य और केंद्र के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

21. राजस्थान में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान पंचायत अधिनियम बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से पहले 1953 में अधिनियमित किया गया था।
II. 1953 के राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत पहले चुनाव 1954 में हुए थे।
III. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 में पारित किया गया था।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Click Here to Buy book on Amazon

ii. महापौर
iii. सभापति
सही विकल्प चुनें:
(1) A-ii, B-iii, C-i
(2) A-iii, B-ii, C-i
(3) A-ii, B-i, C-iii
(4) A-i, B-iii, C-ii
(5) प्रश्न हल नहीं किया

37. संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
II. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
III. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना।
उपरोक्त में से कौन सा/से शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य कार्य है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया

38. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार, एक वार्ड समिति में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित सदस्य और निम्न शामिल होते हैं:
(1) पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय विधायक।
(2) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकतम पाँच सदस्य, जिन्हें नगरपालिका द्वारा मनोनीत किया गया हो।
(3) मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत अधिकतम पाँच सदस्य।
(4) स्थानीय शहरी वित्त पोषण की देखरेख करने वाले राज्य वित्त आयोग के पदेन सदस्य।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

39. राजस्थान में उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बढ़ते क्रम में स्थानिक नियोजन प्राधिकारियों के पदानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए:
I. जिला योजना समिति
II. ग्राम पंचायत नियोजन तंत्र
III. महानगर योजना समिति (यदि लागू हो)
(1) II, I, III
(2) I, II, III
(3) II, III, I
(4) III, I, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

40. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थानीय सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली '3Fs' चुनौती का सबसे उपयुक्त वर्णन है?
(1) राज्य सरकार से कोष (Funds), कार्य (Functions) और कार्यकर्मियों (Functionaries) का अपर्याप्त हस्तांतरण।
(2) निरंतर संघीय समर्थन की कमी, प्रणालीगत वित्तीय अस्थिरता और आंतरिक अनियमितताएं।
(3) बार-बार होने वाले चुनाव, गुटीय राजनीति और निरंतर बजटीय घाटा।
(4) सामंती विरासत, कार्यों का दोहराव और राज्य का बढ़ता वार्षिक वित्तीय घाटा।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

41. सूची I (संवैधानिक संशोधन/अधिनियम) को सूची II (राजस्थान में अधिनियमन/प्रभावी होने का वर्ष) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संवैधानिक संशोधन/अधिनियम)
A. 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
B. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
C. 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
D. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (वर्तमान)
सूची II: (राजस्थान में अधिनियमन/प्रभावी होने का वर्ष)
i. 1992 (अधिनियमित)
ii. 1994
iii. 1992 (अधिनियमित)
iv. 2009
सही विकल्प चुनें:
(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(5) प्रश्न हल नहीं किया

42. मान लीजिए राजस्थान के एक गाँव की जनसंख्या 2500 है। मानक मानदंडों के तहत, यह ग्राम पंचायत बनने की योग्यता रखता है। इस ग्राम स्तरीय निकाय का कार्यकारी प्रमुख होता है:
(1) सरपंच
(2) ग्राम विकास अधिकारी
(3) खंड विकास अधिकारी
(4) पटवारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया

43. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर प्रयोग ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ओर एक ऐतिहासिक परिवर्तन को चिह्नित किया।
कारण (R): यह पहली बार था जब किसी भारतीय राज्य ने पूरे राज्य में एक साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू

NODIA

सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

59. राजस्थान में जिला योजना समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह जिला योजनाओं की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर गठित की जाती है।
II. इसके कम से कम चार-पाँचवें सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाते हैं।
III. यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है।
IV. इसका जनादेश संविधान के अनुच्छेद 243ZD से प्राप्त होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल II, III और IV
(3) केवल I, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

60. राजस्थान के स्थानीय स्वशासन निकायों में पर्याप्त कर्मियों (कर्मचारियों) की कमी का प्राथमिक कारण क्या है?
(1) स्थानीय कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की भर्ती पर केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध।
(2) सीमित स्वतंत्र राजस्व सृजन जिसके कारण राज्य द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता रहती है।
(3) 73वां संशोधन स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों को अपने तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने से रोकता है।
(4) राज्य के कार्यबल में शिक्षित या तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या की कमी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

61. राजस्थान में पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए:
I. बीकानेर ग्राम पंचायत अधिनियम का अधिनियमन।
II. राजस्थान पंचायत अधिनियम का कार्यान्वयन।
III. जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर प्रयोग का उद्घाटन।
IV. 73वें संशोधन के अनुपालन के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का अधिनियमन।
V. नए 73वें संशोधन अनुपालन अधिनियम के तहत पहले चुनाव आयोजित किए गए।
कौन सा संयोजन इन घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(1) I, II, III, IV, V
(2) II, I, III, IV, V
(3) I, III, II, IV, V
(4) I, II, IV, III, V
(5) प्रश्न हल नहीं किया

62. स्वतंत्र भारत में राजस्थान ने किस तिथि को त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की?
(1) 15 अगस्त 1947
(2) 26 जनवरी 1950
(3) 2 अक्टूबर 1959
(4) 24 अप्रैल 1993
(5) प्रश्न हल नहीं किया

63. सूची I (स्थानीय सरकार पर समिति) को सूची II (मुख्य अनुशंसा/विशेषता) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (स्थानीय सरकार पर समिति)
A. बलवंत राय मेहता समिति
B. अशोक मेहता समिति
C. एल. एम. सिंघवी समिति
D. जी. वी. के. राव समिति
सूची II: (मुख्य अनुशंसा/विशेषता)
i. पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा
ii. द्वि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
iii. त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
iv. नियमित चुनाव और नियोजन भूमिका पर बल
सही विकल्प चुनें:
(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया

64. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
(1) अध्याय I - राज्य वित्त आयोग का गठन
(2) अध्याय II - वार्ड सभा और ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान
(3) अध्याय III - नगरपालिकाओं के चुनावों का संचालन
(4) अध्याय IV - राज्य विधानसभा का विघटन
(5) प्रश्न हल नहीं किया

65. राजस्थान की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना में, सामान्य मानदंडों के अनुसार ग्राम पंचायत गठित करने के लिए किसी गाँव या गाँवों के समूह की न्यूनतम जनसंख्या आवश्यकता क्या है?
(1) 1,000
(2) 3,000
(3) 5,000
(4) 10,000
(5) प्रश्न हल नहीं किया

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायी निकाय है, जिसमें

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया

51. राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
कथन II: राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

52. राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
(1) अनुच्छेद 243L
(2) अनुच्छेद 243M
(3) अनुच्छेद 243N
(4) अनुच्छेद 243K
(5) प्रश्न हल नहीं किया

53. 74वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने संविधान में भाग IXA जोड़ा।
II. इसने बारहवीं अनुसूची प्रस्तुत की जिसमें 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
III. इसने राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं के संबंध में विधि बनाने से पूरी तरह अपवर्जित कर दिया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
(1) केवल I
(2) केवल II
(3) केवल III
(4) केवल I और II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

54. सूची I (शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार) को सूची II (74वें संशोधन के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र विवरण) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार)
A. नगर पंचायत
B. नगर परिषद
C. नगर निगम
सूची II: (उपयुक्त क्षेत्र विवरण)
i. बड़ा शहरी क्षेत्र
ii. संक्रमणकालीन क्षेत्र
iii. छोटा शहरी क्षेत्र
सही विकल्प चुनें:
(1) A-ii, B-iii, C-i
(2) A-i, B-ii, C-iii
(3) A-iii, B-i, C-ii
(4) A-ii, B-i, C-iii
(5) प्रश्न हल नहीं किया

NODIA

55. राजस्थान में महापौर और नगर परिषद के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है और व्यवस्था बनाए रखता है।
(2) महापौर का कार्यकाल नगर निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है।
(3) नगर परिषद के सदस्य नगरपालिका वार्डों के निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं।
(4) महापौर आयुक्त को सम्मिलित किए बिना स्वतंत्र रूप से पूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

56. राजस्थान में एक नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति और कार्य निष्पादन के लिए सही क्रमवार चरणों का चयन कीजिए:
(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त → मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है → परिषद के प्रस्तावों को लागू करता है
(2) पार्षदों द्वारा निर्वाचित → अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है → बजट तैयार करता है
(3) महापौर द्वारा नियुक्त → लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है → राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है
(4) राज्यपाल द्वारा मनोनीत → न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है → वार्ड विवादों को हल करता है
(5) प्रश्न हल नहीं किया

57. निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की बारहवीं अनुसूची के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध है, जो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का विवरण देता है?
(1) स्थानीय कृषि और आधुनिक कृषि विस्तार विधियों को बढ़ावा देना।
(2) विभिन्न लघु वनोपजों का विनियमन और सतत संग्रहण।
(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
(4) पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन क्षेत्रों का विकास।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान में वार्ड समितियाँ शहरी विकेंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।
कारण (R): वे एक विशिष्ट वार्ड के नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच स्थानीय विषयों के संबंध में निकट संपर्क की अनुमति देती हैं।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा

अध्याय 20
स्थानीय स्वशासन : पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन

1. राजस्थान की निम्नलिखित में से किस रियासत ने स्वतंत्रता-पूर्व काल में सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था?
(1) 1944 में जयपुर रियासत
(2) 1928 में बीकानेर रियासत
(3) 1939 में जोधपुर रियासत
(4) 1940 में मेवाड़ रियासत
(5) प्रश्न हल नहीं किया

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।
कारण (R): पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है लेकिन R गलत है।
(4) A गलत है लेकिन R सही है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

3. बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से 1957 में भारत सरकार द्वारा किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई थी?
(1) स्थानीय स्वशासन के संबंध में 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए।
(2) स्थानीय सरकार के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए विशिष्ट आरक्षण नीतियों की अनुशंसा करने के लिए।
(3) सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जाँच करने के लिए।
(4) स्थानीय नगर निकायों की विशिष्ट कराधान शक्तियों और वित्तीय भूमिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

4. सूची I. (संविधान का अनुच्छेद) को सूची II. (पंचायती राज से संबंधित विषय) के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संविधान का अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 243A
B. अनुच्छेद 243C
C. अनुच्छेद 243D
D. अनुच्छेद 243K
सूची II: (पंचायती राज से संबंधित विषय)
i. सीटों का आरक्षण
ii. राज्य निर्वाचन आयोग
iii. ग्राम सभा
iv. पंचायतों की संरचना
सही विकल्प चुनें:
(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
(2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(5) प्रश्न हल नहीं किया

5. राजस्थान में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य स्तर को पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है, जो खंड स्तर पर कार्य करती है।
कथन II: राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तर पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

6. राजस्थान में ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा है।
II. सामान्यतः राजस्थान में प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की चार साधारण बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।
III. ग्राम सभा में गाँव के सभी वयस्क निवासी शामिल होते हैं, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो या न हो।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया

7. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा किया जाता है?

Click Here to Buy book on Amazon

पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
कथन II: ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है जो ग्राम सभा के निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

67. राजस्थान में सरपंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
II. सरपंच ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख-रखाव करता है।
III. सरपंच के पास सीधे किसानों को कृषि ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I और II
(2) केवल II और III
(3) केवल I और III
(4) I, II और III
(5) प्रश्न हल नहीं किया

68. परिभाषा के अनुसार, राजस्थान में 'पंचायत समिति' किसके लिए स्थापित की जाती है?
(1) राजस्व जिला
(2) राजस्व संभाग
(3) तीन आसन्न ग्राम पंचायतों का समूह
(4) विकास खंड
(5) प्रश्न हल नहीं किया

69. राजस्थान में कौन सा प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है?
(1) खंड स्तर पर कार्यरत उप-खंड अधिकारी।
(2) जिले के सभी विद्यालयों की देखरेख करने वाला जिला शिक्षा अधिकारी।
(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(4) प्राथमिक ग्रामीण विकास का प्रबंधन करने वाला खंड विकास अधिकारी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

70. पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कार्यों को वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
II. लॉटरी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अधिसूचना
III. चुनाव का संचालन
(1) I, II, III
(2) II, I, III
(3) III, I, II
(4) I, III, II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

71. राजस्थान में राज्य वित्त आयोग द्वारा धन के हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(1) यह सीधे केंद्र सरकार के धन को ग्राम पंचायतों में वितरित करता है।
(2) यह राज्य सरकार की उपेक्षा करता है और सीधे केंद्रीय वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करता है।
(3) यह एक परामर्शदात्री निकाय है जिसकी अनुशंसाएं पूरी तरह से गैर-बाध्यकारी हैं और विधानसभा में बहुत कम रखी जाती हैं।
(4) यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राज्य करों की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धांतों का सुझाव देता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

72. राजस्थान में पंचायत चुनावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं।
II. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करता है।
III. चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
IV. राज्य सरकार वार्डों के परिसीमन का निर्णय लेती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II और IV
(3) केवल II, III और IV
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

73. 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ, जिसे अब शहरी स्थानीय सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मनाया जाता है?
(1) 24 अप्रैल 1993
(2) 1 जून 1993
(3) 2 अक्टूबर 1993
(4) 1 जनवरी 1994
(5) प्रश्न हल नहीं किया

74. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत वर्गीकृत शहरी स्थानीय निकाय नहीं है?
(1) छावनी बोर्ड
(2) नगर निगम
(3) नगर परिषद
(4) नगरपालिका
(5) प्रश्न हल नहीं किया

Downloaded from www.pdf.tube

(5) प्रश्न हल नहीं किया

94. राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में, नगरपालिकाओं (नगर निगमों को छोड़कर) को जनसंख्या और राजस्व मानकों के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?
(1) दो (श्रेणी I और श्रेणी II)
(2) तीन (श्रेणी II, III और IV)
(3) चार (श्रेणी I, II, III और IV)
(4) उन्हें उप-वर्गीकृत नहीं किया गया है
(5) प्रश्न हल नहीं किया

95. नगर परिषद की बैठक की कार्यवाही के दौरान मतों के बराबर होने की स्थिति में, निर्णायक मत किसका होता है?
(1) बैठक की अध्यक्षता करने वाले महापौर / अध्यक्ष का।
(2) राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त का।
(3) वार्ड के सबसे वरिष्ठ निर्वाचित पार्षद का।
(4) संबंधित जिले के जिला कलेक्टर का।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

96. राजस्थान में नगर आयुक्त के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) वह नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और कार्यों का प्रबंधन करता है।
(2) उसे सभी प्रस्तावों को निष्पादित करना चाहिए, भले ही वे नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हों।
(3) वह नगरपालिका की बैठकों में भाग लेता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है।
(4) वह सभी नगरपालिका निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन शहरी स्थानीय निकायों के लिए बारहवीं अनुसूची द्वारा अनिवार्य कार्य को सही ढंग से दर्शाता है?
(1) बड़े बंदरगाहों का प्रबंधन
(2) झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन
(3) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव
(4) अंतर-राज्यीय वाणिज्य का विनियमन
(5) प्रश्न हल नहीं किया

98. बड़े शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियों के कार्यान्वयन से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है?
(1) स्थानीय शिकायतों के निवारण में सुधार और बेहतर सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन।
(2) राज्य और केंद्र स्तर पर नौकरशाही के विलंब में वृद्धि।
(3) दैनिक नगरपालिका कार्यों में महापौर की भूमिका का समाप्त होना।
(4) पूरे शहर में नगरपालिका वार्डों की कुल संख्या में कमी।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

99. जिला योजना समिति की संरचना के संबंध में भिन्न की पहचान कीजिए:
(1) जिला प्रमुख
(2) प्रमुख नगरपालिका के महापौर/अध्यक्ष
(3) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(4) जिला परिषद और नगरपालिकाओं से निर्वाचित सदस्य
(5) प्रश्न हल नहीं किया

100. राजस्थान में स्थानीय सरकार की चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: नगर सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण जैसे अर्ध-सरकारी निकायों के कार्य अक्सर निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों के साथ अतिव्यापित होते हैं।
कथन II: यह अतिव्यापन निर्वाचित नगर निगमों के लोकतांत्रिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

NODIA

www.nodia.in

(2) राज्य वित्त आयोग का गठन
(3) पंचायतों के लिए पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल
(4) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना
(5) प्रश्न हल नहीं किया

85. राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना के आधार पर मौलिक लोकतांत्रिक इकाई क्या है?
(1) ग्राम पंचायत
(2) पंचायत समिति
(3) ग्राम सभा
(4) जिला परिषद
(5) प्रश्न हल नहीं किया

86. राजस्थान में अनुसूचित ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक गणपूर्ति पूर्ण नहीं होने पर सीधा विधिक प्रभाव क्या होता है?
(1) सरपंच और वार्ड पंचों को उनके संबंधित कर्तव्यों से तत्काल निलंबित कर दिया जाता है।
(2) बैठक स्थगित कर दी जाती है और बाद में आयोजित की जाती है, जिसके लिए गणपूर्ति की कड़ाई से आवश्यकता नहीं होती है।
(3) पिछली बैठक के सभी प्रस्तावों को राज्य प्राधिकारी द्वारा शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाता है।
(4) प्रशासनिक गैर-अनुपालन के कारण जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

87. हाल के विधायी संशोधनों के बाद, राजस्थान में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान में आवश्यक सबसे उपयुक्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 8 उत्तीर्ण) का सफल समापन।
(2) किसी बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी शिक्षा (कक्षा 10 उत्तीर्ण) का सफल समापन।
(3) किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12 उत्तीर्ण) का सफल समापन।
(4) 2019 में एक संशोधन द्वारा शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटा दिया गया था।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

88. पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस अधिकारी के प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ होता है?
(1) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(2) सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाले जिला पुलिस अधीक्षक।
(3) जिला स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
(4) स्थानीय न्यायिक विषयों की अध्यक्षता करने वाले जिला न्यायाधीश।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

89. निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः राजस्थान में जिला परिषद का कार्य नहीं है?
(1) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करना
(2) सीधे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में प्राथमिक विद्यालयों और औषधालयों का रखरखाव करना
(3) ग्रामीण निवासियों से प्रत्यक्ष आयकर लगाना और वसूलना
(4) वार्षिक खंड योजनाओं को जिला योजना में समेकित करना
(5) प्रश्न हल नहीं किया

90. राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से सभी स्तरों पर बिल्कुल 27% अनिवार्य है।
कथन II: राजस्थान में, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21% तक प्रदान किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

91. राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी। हस्तांतरण के लिए अनुशंसित अनुमानित प्रतिशत क्या है?
(1) 6.75%
(2) 7.18%
(3) 8.50%
(4) 10.00%
(5) प्रश्न हल नहीं किया

92. राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
(1) राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय - जोधपुर
(2) प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त - अमर सिंह राठौड़
(3) आयुक्त का नियुक्ति प्राधिकारी - मुख्यमंत्री
(4) आयुक्त का कार्यकाल - 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु
(5) प्रश्न हल नहीं किया

93. 74वें संशोधन के तहत परिभाषा के अनुसार, एक 'महानगरीय क्षेत्र' की जनसंख्या होती है:
(1) दस लाख या उससे अधिक
(2) पांच लाख या उससे अधिक
(3) तीन लाख या उससे अधिक
(4) एक लाख या उससे अधिक

Click Here to Buy book on Amazon

होते हैं। इसके प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है।

10. (4) 2009
राजस्थान सरकार ने स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की सीमा को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रभावी आरक्षण नीति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 के चुनावों से सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस नीतिगत बदलाव ने ग्रामीण नेतृत्व में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में सुदृढ़ कदम उठाए हैं।

11. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
राजस्थान में स्थानीय निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता हेतु समय-समय पर राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है। प्रथम राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता के. के. गोयल द्वारा की गई थी। द्वितीय आयोग का नेतृत्व हीरा लाल देवपुरा ने संभाला था। पांचवें आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. ज्योति किरण ने कार्य किया और वर्तमान छठे आयोग की कमान प्रद्युम्न सिंह के पास है। ये आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच राज्य के शुद्ध कर राजस्व के न्यायसंगत वितरण के सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

12. (2) भारत निर्वाचन आयोग के समन्वय में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराना
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन के निर्वाचनों के लिए किया गया है। इसका प्राथमिक कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करना और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना है। राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचन कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। इसके अतिरिक्त, यह स्थानीय निकायों के परिसीमन और चुनावी विवादों के समाधान संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभाता है।

13. (4) I, II, III, IV और V
राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ता हेतु 74वें संवैधानिक संशोधन के सभी प्रमुख प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। इन प्रावधानों के अनुरूप ही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग को इन निकायों के स्वतंत्र चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

14. (4) नगरपालिका
शहरी स्थानीय शासन के वर्गीकरण में भौगोलिक और जनसंख्या संबंधी संक्रमण एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब कोई क्षेत्र ग्रामीण अवस्था से शहरी स्वरूप में परिवर्तित हो रहा होता है, तो उसे 'संक्रमणकालीन क्षेत्र' के रूप में पहचाना जाता है। राजस्थान में ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशासन हेतु नगरपालिका का गठन किया जाता है। यह निकाय नए विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाएं, आधारभूत ढांचा और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है।

15. (1) II, III, I
राजस्थान में शहरी निकायों का पदानुक्रम जनसंख्या और प्रशासनिक महत्व के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस बढ़ते क्रम में सबसे पहले नगरपालिका आती है, जो सामान्यतः छोटे शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके पश्चात मध्यम श्रेणी के शहरों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है। उच्चतम स्तर पर नगर निगम होते हैं, जो बड़े महानगरों और अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरी केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। यह व्यवस्थित संरचना शहरी विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नागरिक सेवाएं प्रदान करती है।

16. (2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे में नगर आयुक्त की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है जो निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। आयुक्त का मुख्य उत्तरदायित्व निर्वाचित परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों और विकास योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना है। वह निगम के वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों के नियंत्रण और विधिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करता है, जिससे बड़े शहरी क्षेत्रों का प्रशासन सुचारु रहे।

17. (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियां स्थानीय प्रशासन के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करती हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की 29 शक्तियों का वर्णन है, जबकि बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषयों को परिभाषित करती है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' का विषय राज्य सूची में सम्मिलित है, जो राज्य विधानमंडलों को विधि बनाने का अधिकार देता है। इसी प्रकार, आर्थिक और सामाजिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची का भाग है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सहयोग करते हैं।

18. (1) शहरी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर नागरिक भागीदारी को बढ़ाना।
शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का मूल दर्शन सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। इनका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय निवासियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे सम्मिलित करना और जमीनी स्तर पर नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करना है। ये समितियां विशिष्ट वार्ड की समस्याओं को पहचानने और उनके त्वरित समाधान में सेतु का कार्य करती हैं। इससे स्थानीय प्रशासन अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनता है, जिससे नागरिकों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी मंच प्राप्त होता है।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (2) 1928 में बीकानेर रियासत
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न रियासतों ने ग्रामीण प्रशासन को सशक्त करने हेतु प्रयास किए थे। बीकानेर रियासत ने वर्ष 1928 में बीकानेर ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई, जिसने भविष्य के लोकतांत्रिक सुधारों हेतु आवश्यक आधार तैयार किया।

2. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में राजस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में राज्य ने सर्वप्रथम अग्रणी कदम उठाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस आधुनिक व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन किया था। यह ऐतिहासिक घटना प्रमाणित करती है कि राजस्थान इस प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना।

3. (3) सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जाँच करने के लिए।
बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देने के लिए की गई थी। इस समिति का प्राथमिक लक्ष्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की गहन समीक्षा करना था। समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि जनभागीदारी के बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं है। अतः इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा बदल दी।

4. (1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न प्रावधानों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना और उनके गठन की प्रक्रिया से संबंधित है। सीटों के आरक्षण का महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 243D में वर्णित है। अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन संपन्न कराने की शक्ति प्रदान करता है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक सुरक्षा देता है।

5. (3) कथन I और कथन II दोनों
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रि-स्तरीय संरचना पर आधारित है जो विकास के विभिन्न स्तरों को जोड़ती है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है, जिसका मुख्य केंद्र विकास खंड होता है। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय स्थापित करती है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए जिला परिषद का गठन किया गया है, जो नीति निर्माण और पर्यवेक्षण का कार्य करती है। ये दोनों निकाय ग्रामीण आर्थिक उत्थान हेतु उत्तरदायी होते हैं।

6. (1) केवल I और II
राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकों को प्रभावी बनाने हेतु विशिष्ट नियम निर्धारित हैं। किसी भी बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु कुल सदस्यों का दसवां भाग गणपूर्ति के रूप में अनिवार्य है। विधिक रूप से राज्य में प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की न्यूनतम चार साधारण बैठकें आयोजित करना आवश्यक होता है। ग्राम सभा में केवल वे ही वयस्क नागरिक सम्मिलित हो सकते हैं जिनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में अंकित हो, जो इसे एक शुद्ध लोकतांत्रिक इकाई बनाता है।

7. (4) ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रमुख अर्थात सरपंच के चयन हेतु लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाती है। सरपंच का निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह निर्वाचन प्रक्रिया जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है और ग्रामीण नेतृत्व को अधिक उत्तरदायी बनाती है। निर्वाचित सरपंच ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है।

8. (1) खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
पंचायत समिति की संरचना में निर्वाचित और आधिकारिक सदस्यों की भूमिका स्पष्ट रूप से विभाजित होती है। इस निकाय का राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है, जिसे निर्वाचित सदस्य अपने मध्य से अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। खंड विकास अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है, न कि अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। यह निकाय ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित विकास योजनाओं को एकीकृत करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने की जिम्मेदारी निभाता है।

9. (2) केवल II, III और IV
जिला परिषद जिले की सर्वोच्च पंचायती राज संस्था के रूप में समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य करती है। जिला प्रमुख का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह निकाय पंचायत समितियों के कार्यों की निगरानी करता है और राज्य सरकार को आवश्यक परामर्श देता है। क्षेत्र के लोकसभा सदस्य इसके मतदान करने वाले सदस्य

Downloaded from www.pdf.tube

75. राजस्थान में एक नगर निगम में, निगम की कार्यकारी शक्ति मुख्य रूप से किसमें निहित होती है?
(1) महापौर
(2) पार्षदों का बोर्ड
(3) जिला कलेक्टर
(4) नगर आयुक्त
(5) प्रश्न हल नहीं किया

76. राजस्थान में नगर आयुक्त की निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार कीजिए:
I. नगरपालिका अभिलेखों का संरक्षक।
II. वार्षिक नगरपालिका बजट तैयार करना।
III. नगरपालिका उप-विधियों को लागू करना।
IV. परिषद की साधारण बैठकों की अध्यक्षता करना।
V. रिक्ति के मामले में महापौर की नियुक्ति करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल II, IV और V
(4) I, II, III और IV
(5) प्रश्न हल नहीं किया

77. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 'बारहवीं अनुसूची' का सबसे उपयुक्त वर्णन है?
(1) इसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखे गए 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
(2) यह स्थानीय निकाय के सदस्यों के लिए दल-बदल विरोधी विधि से संबंधित है।
(3) इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में रखे गए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
(4) यह राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करता है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

78. राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3.5 लाख तक पहुँच गई है। 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, इस शहर में शहरी विकेंद्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का गठन किया जाना चाहिए?
(1) जिला परिषद
(2) छावनी बोर्ड
(3) नगर क्षेत्र समिति
(4) वार्ड समितियाँ
(5) प्रश्न हल नहीं किया

79. अनुच्छेद 243ZD के तहत, राजस्थान में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे चुना जाता है?
(1) जिला प्रमुख
(2) जिला कलेक्टर
(3) स्थानीय सांसद
(4) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(5) प्रश्न हल नहीं किया

80. राजस्थान में स्थानीय सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(1) एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के कोष से पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण की कमी है।
(2) पंचायती राज संस्थाओं के पास राज्य के नौकरशाही नियंत्रण से पूर्ण स्वायत्तता है।
(3) स्थानीय निकायों को अक्सर तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है।
(4) अबद्ध निधि स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का एक बहुत छोटा हिस्सा है।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

81. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा गांधीवादी दर्शन 'ग्राम स्वराज' से प्रेरणा लेती है।
कथन II: राजपूताना राज्यों में स्वतंत्रता-पूर्व की पंचायतें विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक थीं और सामंती प्रभावों से पूरी तरह मुक्त थीं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(1) केवल कथन I
(2) केवल कथन II
(3) कथन I और कथन II दोनों
(4) न तो कथन I और न ही कथन II
(5) प्रश्न हल नहीं किया

82. 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक शुभारंभ के तुरंत बाद उसी वर्ष किस अन्य भारतीय राज्य ने इसे अपनाया था?
(1) आंध्र प्रदेश
(2) गुजरात
(3) कर्नाटक
(4) केरल
(5) प्रश्न हल नहीं किया

83. निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवंत राय मेहता समिति की 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की अनुशंसा के पीछे के मूल दर्शन को सही ढंग से उजागर करता है?
(1) स्थानीय आपराधिक विषयों को निपटाने के लिए ग्राम न्यायालयों को पूर्ण न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण।
(2) राज्य के पर्यवेक्षण में ग्रामीण विकास के लिए विशुद्ध रूप से नौकरशाही संरचना का निर्माण।
(3) निर्वाचित स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
(4) प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए खंड स्तर पर सभी वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण करना।
(5) प्रश्न हल नहीं किया

84. 73वें संवैधानिक संशोधन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए:
(1) राज्य निर्वाचन आयोग का गठन

NODIA

19. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जिला योजना समिति का गठन जिले के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अनिवार्यता है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में इस समिति का निर्माण करना अनिवार्य है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों और शहरी क्षेत्रों की नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत विकास योजनाओं को समेकित करना है। यह समेकन एक एकीकृत जिला विकास योजना तैयार करने में सहायक होता है, जिससे संसाधनों का उचित आवंटन और संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

20. (4) राज्य और केंद्र के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।
स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाने और वसूलने में अनिच्छा उनकी आत्मनिर्भरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस वित्तीय कमजोरी का सबसे प्रत्यक्ष और नकारात्मक प्रभाव यह है कि ये निकाय पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों पर निर्भर हो जाते हैं। स्वतंत्र राजस्व की कमी के कारण उनकी वित्तीय स्वायत्तता अत्यंत सीमित हो जाती है, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेने और विकास कार्यों को गति देने में असमर्थ रहते हैं। यह निर्भरता विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को कमजोर करती है।

21. (4) I, II और III
राजस्थान में पंचायती राज का क्रमिक विकास संवैधानिक सुधारों से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। राज्य ने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से पूर्व ही वर्ष 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित कर दिया था। इस अधिनियम के आधार पर 1954 में पंचायतों के प्रथम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु 1959 में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य में त्रि-स्तरीय व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया और ऐतिहासिक सुधार किए।

22. (2) नागालैंड
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने की दौड़ में राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस प्रणाली को लागू किया। समय के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने भी त्रि-स्तरीय ढांचे को स्वीकार किया। हालांकि, नागालैंड जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में पारंपरिक जनजातीय परिषदें कार्य करती हैं, जिसके कारण वहां आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के सामान्य प्रावधान लागू नहीं होते। यह भिन्नता क्षेत्रीय सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं को दर्शाती है।

23. (1) बलवंत राय मेहता रिपोर्ट प्रस्तुत करना (1957) → राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम का अधिनियमन (1959) → नागौर प्रयोग (अक्टूबर 1959)
राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना एक सुव्यवस्थित कालानुक्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। सर्वप्रथम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय ढांचे की महत्वपूर्ण सिफारिश की। इन अनुशंसाओं को वैधानिक स्वरूप देने के लिए 1959 में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस विधायी आधार के पश्चात, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इस ऐतिहासिक व्यवस्था का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। यह क्रम राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यात्रा के महत्वपूर्ण चरणों को प्रदर्शित करता है।

24. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर के लिए विशिष्ट पदाधिकारी और इकाइयां निर्धारित हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जो ग्रामीण प्रशासन की प्राथमिक इकाई का नेतृत्व करता है। मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुख को प्रधान के रूप में जाना जाता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय जिला परिषद का नेतृत्व जिला प्रमुख द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वार्ड सभा सबसे निचले स्तर की इकाई है जो ग्राम पंचायत के विशिष्ट वार्ड स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करती है।

25. (3) पंचायत समिति
त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना में पंचायत समिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यवर्ती कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह संरचनात्मक रूप से ग्राम पंचायतों, जो कि जमीनी स्तर की इकाई हैं, और जिला परिषद के बीच सेतु का कार्य करती है। विकास खंड स्तर पर स्थापित यह निकाय स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उच्च स्तरीय नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसकी भूमिका ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को जिला स्तरीय नियोजन के साथ जोड़ने में निर्णायक होती है।

26. (1) इसके पास राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर सीधे कानून पारित करने की शक्ति है।
ग्राम सभा ग्रामीण लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, परंतु इसकी शक्तियां मुख्य रूप से परामर्श और समीक्षा तक सीमित हैं। इसके पास राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल राज्य विधानमंडल के पास होता है। ग्राम सभा मुख्य रूप से पंचायतों के वार्षिक लेखा विवरणों पर विचार करती है, विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करती है और पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा करती है। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

27. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। पद ग्रहण करने के प्रारंभिक दो वर्षों के भीतर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस नियम का मूल उद्देश्य नवनिर्वाचित नेतृत्व को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना और अनावश्यक राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है। यह प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करता है जिससे विकास कार्य बाधित न हों और ग्रामीण प्रशासन में एक न्यूनतम स्थिरता बनी रहे।

Click Here to Buy book on Amazon

आधार पर किसी स्तर को समाप्त करने का प्रावधान केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर के संदर्भ में है। राजस्थान में ये तीनों स्तर अनिवार्य रूप से कार्य करते हैं, जो ग्रामीण प्रशासन के विभिन्न स्तरों के बीच सुचारू समन्वय और विकास सुनिश्चित करते हैं।

46. (4) 14 नवंबर
राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावशीलता हेतु कुछ राष्ट्रीय महत्व की तिथियों को बैठकों के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। इनमें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसी महत्वपूर्ण तिथियां सम्मिलित हैं। इन तिथियों का चयन इसलिए किया गया है ताकि ग्रामीण विकास की चर्चा और नियोजन में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हालांकि 14 नवंबर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है, परंतु विधिक रूप से इसे राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकों के लिए अनिवार्य तिथियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

47. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी स्तर पर निर्वाचन लड़ने हेतु उम्मीदवारों के लिए एक समान न्यूनतम आयु अर्हता निर्धारित की गई है। चाहे वह ग्राम पंचायत के वार्ड पंच या सरपंच का पद हो, अथवा पंचायत समिति के प्रधान या जिला परिषद के जिला प्रमुख का, सभी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि युवाओं को भी स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नेतृत्व करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, जिससे ग्रामीण राजनीति में नई ऊर्जा का समावेश हो।

48. (2) प्रधान पंचायत समिति के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुख के रूप में प्रधान के पास व्यापक प्रशासनिक और पर्यवेक्षी शक्तियां होती हैं। प्रधान समिति के आधिकारिक कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने और विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि खंड विकास अधिकारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, परंतु वह प्रधान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। प्रधान के पास स्वतंत्र स्थानांतरण अधिकार नहीं होते, परंतु वह समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए सामूहिक निर्णयों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।

49. (1) केवल I, II, III और V
जिला परिषद जिले की सर्वोच्च विकास संस्था है जो पंचायत समितियों को राज्य अनुदान वितरित करने और जिला योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं जो लोकतांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। परिषद राज्य सरकार को जिले के विकास विषयों पर महत्वपूर्ण परामर्श भी देती है। हालांकि, जिला प्रमुख के पास ग्राम पंचायत को भंग करने की कार्यकारी शक्ति नहीं होती, क्योंकि यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। यह निकाय मुख्य रूप से पर्यवेक्षण और समन्वय का केंद्र है।

50. (1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना प्रत्येक राज्य के लिए एक संवैधानिक बाध्यता है। हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वर्तमान में पंचायतों में इस अनुच्छेद के तहत कोई अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्णय लेने की छूट दी गई है, परंतु ईडब्ल्यूएस श्रेणी इस संवैधानिक अधिदेश का भाग नहीं है।

51. (1) केवल कथन I
राज्य वित्त आयोग का प्राथमिक संवैधानिक दायित्व पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का गहन मूल्यांकन करना है। यह आयोग राज्य के शुद्ध कर राजस्व को स्थानीय निकायों के बीच वितरित करने के सिद्धांतों का सुझाव देता है। हालांकि, यह ध्यान देना आवश्यक है कि आयोग की अनुशंसाएं प्रकृति में केवल परामर्शदात्री होती हैं। राज्य सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है, हालांकि सामान्यतः उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। यह आयोग स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

52. (4) अनुच्छेद 243K
राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका आधार संविधान का अनुच्छेद 243K है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यही शक्तियां अनुच्छेद 243ZA के माध्यम से नगरपालिकाओं के लिए भी विस्तारित की गई हैं। यह संवैधानिक अधिदेश सुनिश्चित करता है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।

53. (3) केवल III
74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए संविधान में भाग 9A और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा। इसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 महत्वपूर्ण कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। हालांकि, यह संशोधन राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। इसके विपरीत, यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे नगरपालिकाओं को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। अतः राज्य विधानमंडल का शहरी निकायों के प्रशासनिक ढाँचे में महत्वपूर्ण विधिक नियंत्रण बना रहता है।

54. (1) A-ii, B-iii, C-i
74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का गठन क्षेत्र की विशिष्ट प्रकृति और विकास की अवस्था के आधार पर किया जाता है। नगर पंचायत (या नगरपालिका) का

NODIA

37. (4) I, II और III
संविधान की बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए 18 महत्वपूर्ण कार्यात्मक विषयों की सूची प्रदान करती है। इसमें शहरी नियोजन, जिसमें नगर नियोजन भी सम्मिलित है, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही भूमि उपयोग का प्रभावी विनियमन और भवनों के निर्माण की देखरेख करना शहरी निकायों का अनिवार्य दायित्व है। इसके अतिरिक्त, समाज के सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना भी उनके कार्यों का हिस्सा है। ये कार्य शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

38. (2) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकतम पाँच सदस्य, जिन्हें नगरपालिका द्वारा मनोनीत किया गया हो।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत वार्ड समितियों का गठन शहरी लोकतंत्र को सूक्ष्म स्तर पर सुदृढ़ करने हेतु किया जाता है। इन समितियों की संरचना में उस वार्ड का निर्वाचित सदस्य मुख्य प्रतिनिधि होता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका प्रशासन और स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले अधिकतम पांच सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। यह विशेषज्ञों का समावेश स्थानीय समस्याओं के व्यवहार्य समाधान खोजने में सहायक होता है। इस प्रकार की संरचना वार्ड स्तर पर नागरिक परामर्श और विकास कार्यों के बेहतर नियोजन को बढ़ावा देती है।

39. (1) II, I, III
स्थानिक नियोजन का पदानुक्रम प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर आधारित है। इस बढ़ते क्रम में सबसे बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत नियोजन तंत्र है, जो ग्रामीण स्तर की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे व्यापक स्तर पर जिला योजना समिति कार्य करती है, जो पूरे जिले की ग्रामीण और शहरी योजनाओं का समन्वय करती है। उच्चतम स्तर पर महानगर योजना समिति होती है, जो बड़े महानगरीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास योजनाएं तैयार करती है। यह त्रि-स्तरीय नियोजन ढांचा संतुलित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।

40. (1) राज्य सरकार से कोष (Funds), कार्य (Functions) और कार्यकर्मियों (Functionaries) का अपर्याप्त हस्तांतरण।
स्थानीय सरकारों के प्रभावी संचालन में '3Fs' की चुनौती एक महत्वपूर्ण बाधा मानी जाती है। इसका अर्थ कोष, कार्य और कार्मिकों के अपर्याप्त हस्तांतरण से है। स्थानीय निकायों को संविधान द्वारा शक्तियां तो दी गई हैं, परंतु उनके पास आवश्यक वित्तीय संसाधन, स्पष्ट प्रशासनिक कार्य और पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों की निरंतर कमी बनी रहती है। यह स्थिति उनकी कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करती है और उन्हें अपनी विकास संबंधी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने में असमर्थ बनाती है, जिससे विकेंद्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

41. (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
भारत और राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न अधिनियमों का एक निश्चित कालक्रम रहा है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे। इन संशोधनों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया, जिसने ग्रामीण निकायों को नया स्वरूप प्रदान किया। वर्तमान में प्रभावी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में शहरी निकायों को और अधिक अधिकार देने हेतु अधिनियमित किया गया। यह विधायी विकास राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विकसित होती प्रक्रिया को दर्शाता है।

42. (1) सरपंच
राजस्थान में ग्रामीण शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। सामान्य मानदंडों के अनुसार, किसी विशिष्ट जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इस निकाय के निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख को सरपंच के रूप में जाना जाता है। सरपंच ग्राम स्तर पर सभी विकास गतिविधियों का नेतृत्व करता है और ग्राम सभा व पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, परंतु राजनीतिक नेतृत्व का उत्तरदायित्व पूरी तरह से जनता द्वारा चुने गए सरपंच के पास ही होता है।

NODIA

43. (3) A सही है लेकिन R गलत है।
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सत्य है कि राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना। हालांकि, नागौर की घटना एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी, परंतु संपूर्ण राज्य में एक साथ त्रि-स्तरीय व्यवस्था का लागू होना एक विस्तृत विधायी प्रक्रिया का परिणाम था। यह प्रयोग ऐतिहासिक रूप से तो सफल रहा, किंतु इसके पश्चात अन्य राज्यों ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस ढांचे को धीरे-धीरे स्वीकार किया था।

44. (2) भाग IX
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित किया, जो विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं को समर्पित है। यह भाग पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, आरक्षण और शक्तियों से संबंधित विस्तृत संवैधानिक प्रावधान प्रदान करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को इसी भाग के प्रावधानों के अनुपालन हेतु अधिनियमित किया गया था। इस संवैधानिक संरक्षण ने पंचायतों को राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वायत्त विधिक इकाई के रूप में कार्य करने का आधार प्रदान किया है।

45. (1) केवल I, II और III
राजस्थान में पंचायती राज संरचना त्रि-स्तरीय मॉडल पर आधारित है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। यह ढांचा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रीढ़ है। जनसंख्या के

28. (1) केवल I, II और III
पंचायत समिति की संरचना में जनप्रतिनिधियों का व्यापक समावेश होता है। इसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्य शामिल होते हैं जो जनता की वाणी बनते हैं। इसके अतिरिक्त, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सदस्य और क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि, जिला कलेक्टर प्रशासनिक बैठकों में भाग ले सकते हैं, परंतु वे पंचायत समिति के मतदान करने वाले सदस्य नहीं होते। यह संरचना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक समन्वय का मिश्रण है।

29. (3) संभागीय आयुक्त
राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में वरिष्ठ पदाधिकारियों के त्यागपत्र हेतु स्पष्ट विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिला परिषद के प्रमुख, जिन्हें जिला प्रमुख कहा जाता है, यदि स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना लिखित त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत करना होता है। संभागीय आयुक्त जिले के प्रशासनिक पदानुक्रम में जिला प्रमुख से उच्च प्राधिकारी होता है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है, जिससे रिक्त पदों की सूचना उचित माध्यम से मिल सके।

30. (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु कुल सीटों का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 21 प्रतिशत तक सीमित है, बशर्ते कि कुल आरक्षित सीटों का योग 50 प्रतिशत की अधिकतम विधिक सीमा से अधिक न हो। यह व्यवस्था समाज के हर वर्ग की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करती है।

31. (3) 5 वर्ष
भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण वित्तीय निकाय है जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की अनुशंसा करने हेतु इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर नए आयोग का गठन अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए नियमित रूप से वित्तीय परामर्श और राज्य के राजस्व में उचित हिस्सा प्राप्त होता रहे।

32. (1) केवल I, II, IV और V
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें केवल उसी कठोर प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित है। आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उनके हितों के विरुद्ध कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। यह निकाय स्थानीय शासन के निर्वाचनों को स्वतंत्र वातावरण में कराने हेतु उत्तरदायी है।

33. (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959
राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन को आधुनिक बनाने और संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप ढालने के लिए नया विधायी ढांचा तैयार किया गया। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को विशेष रूप से पूर्ववर्ती विधियों को संशोधित और समेकित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस नए अधिनियम ने मुख्य रूप से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 को प्रतिस्थापित किया। इसने नगरपालिकाओं के कार्यों, शक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए, जिससे शहरी विकास की चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

34. (3) कथन I और कथन II दोनों
राजस्थान में शहरी निकायों का गठन जनसंख्या और राजस्व सृजन के मानदंडों के आधार पर किया जाता है। नगर निगम का गठन प्रायः उन बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक होती है और जिनका राजस्व विशिष्ट मानकों को पूरा करता है। दूसरी ओर, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले छोटे शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित प्रशासन हेतु नगरपालिका का गठन किया जाता है। यह वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र को उसकी विशिष्ट जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा प्राप्त हो।

35. (3) स्थानीय निकाय निदेशक, राजस्थान
नगर निगम के निर्वाचित प्रमुख अर्थात महापौर के त्यागपत्र के संबंध में विधिक प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है। यदि महापौर अपने पद से स्वेच्छा से हटना चाहते हैं, तो उन्हें अपना हस्तलिखित त्यागपत्र स्थानीय निकाय निदेशक, राजस्थान को संबोधित करके प्रस्तुत करना होता है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार पद की गरिमा और आधिकारिक रिकॉर्ड के उचित संधारण को सुनिश्चित करती है। स्थानीय निकाय निदेशालय इस त्यागपत्र को स्वीकार करने और रिक्ति की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देने के लिए उत्तरदायी होता है।

36. (1) A-ii, B-iii, C-i
राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रमुखों के पदनाम उनके स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। बड़े महानगरों के प्रशासन हेतु गठित नगर निगम के प्रमुख को महापौर के रूप में जाना जाता है। मध्यम श्रेणी के शहरों के लिए स्थापित नगर परिषद के प्रमुख को सभापति कहा जाता है। छोटे शहरी क्षेत्रों की नगरपालिका के निर्वाचित प्रमुख को अध्यक्ष के पदनाम से संबोधित किया जाता है। ये पदाधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन हेतु राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

गठन संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो गाँव से शहर बन रहे हैं। छोटे शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित प्रशासन हेतु नगर परिषद की स्थापना की जाती है। बड़े और सघन जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम का प्रावधान किया गया है। यह त्रि-स्तरीय वर्गीकरण शहरी विकास की विभिन्न श्रेणियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

55. (4) महापौर आयुक्त को सम्मिलित किए बिना स्वतंत्र रूप से पूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।
राजस्थान में नगर निगम के प्रशासन में महापौर और नगर आयुक्त के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट संतुलन होता है। महापौर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है जो बैठकों की अध्यक्षता करता है और नीतिगत निर्णयों का नेतृत्व करता है। हालांकि, निगम की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्य रूप से नगर आयुक्त में निहित होती हैं, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। महापौर स्वतंत्र रूप से कार्यकारी निर्णय नहीं ले सकता; उसे प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु आयुक्त के साथ समन्वय करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था शहरी प्रशासन में नेतृत्व और पेशेवर प्रबंधन का सामंजस्य सुनिश्चित करती है।

56. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त → मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है → परिषद के प्रस्तावों को लागू करता है
राजस्थान में नगर आयुक्त की नियुक्ति और कार्यप्रणाली एक निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करती है। आयुक्त की नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो प्रायः एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व निर्वाचित नगर परिषद द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों और पारित प्रस्तावों को विधिक रूप से धरातल पर क्रियान्वित करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शहरी विकास की योजनाएं और नागरिक सेवाएं पेशेवर दक्षता के साथ जनता तक पहुँचें।

57. (3) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट करती है। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, स्वच्छता बनाए रखना, सफाई व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना प्रमुख रूप से सम्मिलित है। ये कार्य शहरी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। हालांकि कृषि और पशुपालन ग्रामीण निकायों के मुख्य विषय हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और स्वच्छता प्रबंधन नगरपालिकाओं के प्राथमिक संवैधानिक दायित्वों की श्रेणी में आते हैं।

58. (1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान में वार्ड समितियों का गठन शहरी विकेंद्रीकरण को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये समितियां स्थानीय नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक निरंतर जीवंत संपर्क माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। इनका मुख्य लाभ यह है कि वार्ड स्तर की विशिष्ट समस्याओं को सीधे पहचाना जा सकता है और उनके समाधान में स्थानीय लोगों का परामर्श लिया जा सकता है। यह सूक्ष्म स्तरीय सहभागिता प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाती है और शहरी नियोजन में आम जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दिलाती है।

59. (2) केवल II, III और IV
जिला योजना समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत जिला स्तर पर किया जाता है। इसके कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने मध्य से चुने जाते हैं। इस समिति का मूल कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत विकास योजनाओं को समेकित करना है। यह एकीकृत जिला विकास योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने वाला एक अनिवार्य संवैधानिक तंत्र है।

60. (2) सीमित स्वतंत्र राजस्व सृजन जिसके कारण राज्य द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता रहती है।
राजस्थान के स्थानीय निकायों में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी का एक प्रमुख कारण उनकी वित्तीय विवशता है। इन निकायों के पास स्वतंत्र राजस्व सृजन के पर्याप्त साधन नहीं हैं, जिससे वे अपने स्वयं के कुशल तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती करने में असमर्थ रहते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें अपनी दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति स्थानीय स्वायत्तता को प्रभावित करती है और निकायों की कार्यात्मक दक्षता को सीमित कर देती है, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी हो जाती है।

61. (1) केवल कथन I
राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की विचारधारा महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दर्शन से प्रेरित है, जो गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। स्वतंत्रता से पूर्व राजपूताना की रियासतों में पंचायतें अवश्य विद्यमान थीं, परंतु वे पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थीं। उन पर तत्कालीन सामंती व्यवस्था और जातिगत पदानुक्रम का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। आधुनिक लोकतांत्रिक पंचायतें संवैधानिक संशोधनों का परिणाम हैं, जिन्होंने पुरातन सामंती प्रभावों को समाप्त कर समावेशी भागीदारी और सामाजिक न्याय की नींव रखी है।

62. (3) 2 अक्टूबर 1959
राजस्थान ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली स्थान प्राप्त किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गाँव में आधिकारिक रूप से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। इस ऐतिहासिक घटना ने गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में प्रथम ठोस कदम बढ़ाया। राजस्थान इस आधुनिक

NODIA

व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिससे सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण सीधे ग्रामीण जनता के हाथों में हुआ।

63. (1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
भारत में पंचायती राज के विकास में विभिन्न समितियों ने दिशा-निर्देशक भूमिका निभाई है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रूपरेखा तैयार की। अशोक मेहता समिति ने बाद में द्वि-स्तरीय मॉडल और राजनीतिक भागीदारी का सुझाव दिया। एल. एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जोरदार सिफारिश की ताकि वे स्वायत्त बन सकें। जी. वी. के. राव समिति ने नियमित निर्वाचन कराने और नियोजन प्रक्रिया में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने पर विशेष बल दिया, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति प्राप्त हुई।

64. (2) अध्याय II - वार्ड सभा और ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम का अध्याय 2 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारभूत इकाइयों, अर्थात वार्ड सभा और ग्राम सभा से संबंधित विधिक प्रावधानों को स्पष्ट करता है। इसमें इन सभाओं के गठन, शक्तियों, बैठकों के आयोजन और उनकी भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर मतदाताओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी बनी रहे।

65. (2) 3,000
राजस्थान में पंचायती राज संरचना के सुचारु संचालन हेतु जनसंख्या संबंधी कुछ विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य नियमों के अनुसार, किसी गाँव या गाँवों के समूह को एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत के रूप में गठित करने हेतु वहां की न्यूनतम जनसंख्या 3,000 होना आवश्यक है। यह जनसंख्या मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि गठित पंचायत आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो और प्रशासनिक रूप से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का प्रबंधन करने में सक्षम हो। यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवस्थित और संतुलित प्रशासनिक विभाजन में सहायता प्रदान करती है।

66. (3) कथन I और कथन II दोनों
ग्रामीण लोकतंत्र में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक और स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर एक व्यापक विधायी निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसमें उस पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत एक निर्वाचित कार्यकारी निकाय है जो ग्राम सभा द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और विकास योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह पारस्परिक संतुलन सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण प्रशासन में जनता की इच्छा और कार्यकारी क्रियान्वयन के बीच पूर्ण सामंजस्य बना रहे।

67. (1) केवल I और II
सरपंच ग्राम पंचायत के मुख्य पदाधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और स्थानीय विकास चर्चाओं का नेतृत्व करता है। इसके अतिरिक्त, सरपंच ग्राम पंचायत के सभी आधिकारिक अभिलेखों और दस्तावेजों के सुरक्षित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, उसके पास स्वतंत्र रूप से कृषि ऋण स्वीकृत करने का विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कार्य वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत आता है। सरपंच का मुख्य कार्य ग्रामीण प्रशासन और विकास कार्यों का समन्वय करना है।

68. (4) विकास खंड
राजस्थान की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर के रूप में पंचायत समिति का गठन किया जाता है। विधिक परिभाषा के अनुसार, यह निकाय विशेष रूप से 'विकास खंड' स्तर पर स्थापित किया जाता है। एक विकास खंड में कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं, जिनके बीच समन्वय स्थापित करना पंचायत समिति का प्रमुख कार्य है। यह स्तर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो जमीनी स्तर की पंचायतों को जिला स्तरीय प्रशासन और संसाधनों से जोड़ता है।

69. (3) भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
जिला परिषद के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग से संबंधित होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है और परिषद द्वारा लिए गए सभी विकास संबंधी निर्णयों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। वह जिले की पंचायत समितियों के प्रशासनिक कार्यों में समन्वय स्थापित करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु पूरी तरह से उत्तरदायी होता है।

70. (1) I, II, III
स्थानीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु एक व्यवस्थित विधिक अनुक्रम का पालन किया जाता है। सर्वप्रथम, निर्वाचन क्षेत्रों का वैज्ञानिक आधार पर परिसीमन किया जाता है ताकि वार्डों की सीमाएं स्पष्ट हों। इसके पश्चात, लॉटरी पद्धति के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। अंत में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। यह सुव्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली में निष्पक्षता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।

71. (4) यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राज्य करों की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धांतों का सुझाव देता है।
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है जो स्थानीय निकायों की वित्तीय

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन निकायों के बीच राज्य के शुद्ध कर राजस्व के न्यायसंगत वितरण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुशंसा करना है। आयोग यह भी सुझाव देता है कि संचित निधि से पंचायतों और नगरपालिकाओं को कितनी सहायता अनुदान दी जानी चाहिए। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने विकास कार्यों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूर्ण कर सकें।

72. (2) केवल I, II और IV
राजस्थान में पंचायत निर्वाचन आधुनिक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाते हैं। पारदर्शिता हेतु इन निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ही संपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा और संचालन करता है। वार्डों के परिसीमन का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु अर्हता 21 वर्ष है। यह सुनिश्चित करता है कि युवा पीढ़ी भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सके और ग्रामीण विकास के नेतृत्व में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।

73. (2) 1 जून 1993
शहरी स्थानीय शासन के इतिहास में 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक युगांतकारी मोड़ सिद्ध हुआ। यह महत्वपूर्ण अधिनियम 1 जून 1993 को पूरे देश में आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ। इस तिथि को अब शहरी सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक प्रमुख मील के पत्थर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उनके कार्यकाल, शक्तियों व वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित किया। इसने शहरी क्षेत्रों में सहभागी लोकतंत्र की नींव रखी, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव हो सका।

74. (1) छावनी बोर्ड
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शहरी निकायों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें बड़े शहरों हेतु नगर निगम, मध्यम शहरों हेतु नगर परिषद और छोटे शहरों हेतु नगरपालिका सम्मिलित हैं। हालांकि, छावनी बोर्ड का प्रशासन इस राज्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं और उनका प्रबंधन विशेष 'कैंटोनमेंट एक्ट' द्वारा किया जाता है। यह निकाय विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए होते हैं जहाँ सैन्य और नागरिक आबादी साथ-साथ निवास करती है।

75. (4) नगर आयुक्त
राजस्थान में नगर निगम के प्रशासनिक संचालन हेतु राजनीतिक और कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यद्यपि महापौर निगम का निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख होता है, परंतु निगम की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्य रूप से नगर आयुक्त में निहित होती है। नगर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह निगम के दैनिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों के विधिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि बड़े शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन कुशलता और नियमबद्धता के साथ संचालित हो।

76. (1) केवल I, II और III
नगर आयुक्त नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विविध और महत्वपूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। वह निगम के सभी आधिकारिक अभिलेखों का विधिक संरक्षक होता है और वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। आयुक्त का मुख्य कार्य नगरपालिका उप-विधियों को कड़ाई से लागू करना और विकास कार्यों का प्रबंधन करना है। हालांकि, वह बैठकों में भाग लेता है, परंतु साधारण बैठकों की अध्यक्षता महापौर द्वारा की जाती है। आयुक्त की भूमिका निर्वाचित परिषद के निर्णयों को पेशेवर तरीके से धरातल पर उतारना है।

77. (3) इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में रखे गए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय स्वशासन की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का मुख्य आधार है। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 18 विशिष्ट कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जो नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें शहरी नियोजन, स्वच्छता प्रबंधन, अग्नि सेवाएं और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। यह अनुसूची शहरी निकायों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक स्पष्ट संवैधानिक ढांचा प्रदान करती है, जिससे वे नागरिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें।

78. (4) वार्ड समितियाँ
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सत्ता के प्रभावी विकेंद्रीकरण हेतु जनसंख्या आधारित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। जिन शहरों की जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो जाती है, वहां एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सीधी भागीदारी बढ़ाना और उनकी बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह तंत्र बड़े शहरी केंद्रों में सूक्ष्म नियोजन और बेहतर नागरिक-प्रशासन संपर्क स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

79. (1) जिला प्रमुख
संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, जिला योजना समिति जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास हेतु उत्तरदायी है। राजस्थान में स्थापित विधिक परंपरा के अनुसार, जिला परिषद के निर्वाचित प्रमुख, अर्थात जिला प्रमुख को ही सामान्यतः इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जिले की सर्वोच्च योजना इकाई का नेतृत्व एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाए। अध्यक्ष के रूप में जिला प्रमुख विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

NODIA

80. (2) पंचायती राज संस्थाओं के पास राज्य के नौकरशाही नियंत्रण से पूर्ण स्वायत्तता है।
राजस्थान में स्थानीय सरकारों के सुचारु संचालन में कई गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि उनके पास पूर्ण स्वायत्तता है; वास्तव में वे अभी भी राज्य सरकार के कड़े नौकरशाही नियंत्रण और प्रशासनिक हस्तक्षेप का सामना करती हैं। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण की कमी, तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों का अभाव और सीमित राजस्व सृजन उनकी कार्यक्षमता को बाधित करते हैं। विकास के लिए 'अबद्ध निधि' की अल्प उपलब्धता उन्हें पूरी तरह से सरकारी अनुदानों पर निर्भर बनाती है, जिससे वास्तविक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य प्रभावित होता है।

81. (1) केवल कथन I.
राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की विचारधारा महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दर्शन से प्रेरित है, जो गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। स्वतंत्रता से पूर्व राजपूताना की रियासतों में पंचायतें अवश्य विद्यमान थीं, परंतु वे पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थीं। उन पर तत्कालीन सामंती व्यवस्था और जातिगत पदानुक्रम का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। आधुनिक लोकतांत्रिक पंचायतें संवैधानिक संशोधनों का परिणाम हैं, जिन्होंने पुरातन सामंती प्रभावों को समाप्त कर समावेशी भागीदारी और सामाजिक न्याय की नींव रखी है।

82. (1) आंध्र प्रदेश
वर्ष 1959 भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए अत्यंत क्रांतिकारी वर्ष रहा। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की इस ऐतिहासिक पहल का अनुसरण करते हुए, उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने भी अपने राज्य में इस नवीन प्रणाली को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इन दो राज्यों की सफलता ने पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद अन्य भारतीय राज्यों ने भी धीरे-धीरे ग्रामीण स्वशासन के इस आधुनिक ढांचे को अपनाना प्रारंभ किया।

83. (3) निर्वाचित स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
बलवंत राय मेहता समिति ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' के पीछे एक अत्यंत सशक्त दर्शन प्रस्तुत किया था। समिति का मानना था कि ग्रामीण विकास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी न हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने निर्वाचित स्थानीय निकायों के गठन की अनुशंसा की, जिन्हें विकास योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन की वास्तविक शक्तियां सौंपी जानी चाहिए। इस दर्शन का मूल लक्ष्य प्रशासन को जनता के निकट लाना और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों के प्रत्यक्ष सहयोग से सुनिश्चित करना था।

84. (4) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का मुख्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक स्वशासन को सुदृढ़ करना है। इसके अनिवार्य प्रावधानों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, वित्तीय समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग की स्थापना और पंचायतों के लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना इस संशोधन का भाग नहीं है, क्योंकि यह विषय औद्योगिक नीति से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण निकायों को स्वायत्त विधिक अधिकार प्रदान करना है।

85. (3) ग्राम सभा
राजस्थान की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना में ग्राम सभा को मौलिक और सबसे प्राथमिक लोकतांत्रिक इकाई माना गया है। यह वह धरातलीय मंच है जहाँ पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सीधे तौर पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ग्राम सभा ही वह आधार है जो शासन के अन्य सभी स्तरों को वैधता और दिशा प्रदान करती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है, जहाँ नागरिक अपने विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। इसी इकाई की मजबूती पर संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था की सफलता और पारदर्शिता टिकी होती है।

86. (2) बैठक स्थगित कर दी जाती है और बाद में आयोजित की जाती है, जिसके लिए गणपूर्ति की कड़ाई से आवश्यकता नहीं होती है।
राजस्थान पंचायती राज नियमावली के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक के संचालन हेतु एक निश्चित गणपूर्ति आवश्यक है। यदि निर्धारित समय तक अपेक्षित सदस्य संख्या उपस्थित नहीं होती है, तो विधिक प्रावधानों के अनुसार बैठक को स्थगित करना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थगित बैठक को भविष्य की किसी अन्य तिथि पर पुनः आयोजित किया जाता है। इस पुनर्निर्धारित बैठक के लिए गणपूर्ति की कड़ाई से आवश्यकता नहीं होती और उपस्थित सदस्यों के साथ कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि विकास संबंधी निर्णय अनिश्चितकाल तक न रुकें।

87. (4) 2019 में एक संशोधन द्वारा शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटा दिया गया था।
राजस्थान में पंचायती राज निर्वाचनों के लिए उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन किया गया है। पूर्व में सरपंच पद हेतु कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं, परंतु वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक संशोधन के माध्यम से इन अनिवार्य शैक्षणिक शर्तों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस निर्णय का उद्देश्य चुनावी भागीदारी को अधिक समावेशी और व्यापक बनाना था, ताकि शिक्षा के अभाव में कोई भी योग्य ग्रामीण नेतृत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रहे। अब केवल आयु और अन्य विधिक मानदंड ही पात्रता हेतु प्रभावी हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

88. (1) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
पंचायत समिति के सुचारू संचालन हेतु कार्यरत खंड विकास अधिकारी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी है। यद्यपि वह विकास खंड स्तर पर कार्य करता है, परंतु प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार वह सीधे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले के सभी विकास कार्यक्रमों और पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ब्लॉक स्तर पर होने वाली सभी गतिविधियां जिला स्तरीय नियोजन और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप हों, जिससे ग्रामीण विकास में समन्वय बना रहे।

89. (3) ग्रामीण निवासियों से प्रत्यक्ष आयकर लगाना और वसूलना जिला परिषद मुख्य रूप से एक समन्वयकारी और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके दायित्वों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य प्रबंधित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का रखरखाव और वार्षिक योजनाओं का समेकन शामिल है। हालांकि, विधिक रूप से जिला परिषद के पास ग्रामीण निवासियों पर सीधे आयकर लगाने या वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। आयकर पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। स्थानीय निकाय केवल कुछ विशिष्ट कर या शुल्क लगाने हेतु अधिकृत होते हैं, परंतु व्यक्तिगत आय पर कर वसूलना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

90. (2) केवल कथन II
राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार के विवेक पर आधारित है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राज्य में ओबीसी को 21 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है। हालांकि, इस आरक्षण के क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण कानूनी शर्त यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल आरक्षित सीटों का योग 50 प्रतिशत की अधिकतम विधिक सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह संतुलन सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है।

91. (1) 6.75%
राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय स्वशासन निकायों की वित्तीय स्थिरता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का लगभग 6.75 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण का उद्देश्य स्थानीय निकायों को उनके विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना है। यह वित्तीय हिस्सेदारी स्थानीय शासन को राज्य सरकार पर निर्भरता कम करने और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय करने की स्वायत्तता प्रदान करती है।

92. (2) प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त - अमर सिंह राठौड़
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के गठन और नेतृत्व के संबंध में अमर सिंह राठौड़ का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयुक्त का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यह संस्थान राज्य में निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित कर लोकतंत्र की जड़ों को स्थानीय स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्णतः समर्पित है।

93. (1) दस लाख या उससे अधिक
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'महानगरीय क्षेत्र' को एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, जिस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक होती है, उसे महानगरीय क्षेत्र माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों के व्यापक और एकीकृत नियोजन के लिए महानगर योजना समिति का गठन अनिवार्य है। यह व्यवस्था बड़े शहरी केंद्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जटिल बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं की बढ़ती मांगों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करने के उद्देश्य से की गई है।

94. (3) चार (श्रेणी I, II, III और IV)
राजस्थान में शहरी निकायों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या और आर्थिक आत्मनिर्भरता के आधार पर अत्यंत व्यवस्थित तरीके से किया गया है। नगर निगमों को छोड़कर, अन्य नगरपालिकाओं को मुख्य रूप से चार विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के रूप में जाना जाता है। यह उप-वर्गीकरण राज्य सरकार को विभिन्न नगरों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बजटीय सहायता, प्रशासनिक ढांचे और विकास योजनाओं का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। इससे छोटे और मध्यम शहरों के संतुलित विकास हेतु संसाधनों का आवंटन सुगम हो जाता है।

95. (1) बैठक की अध्यक्षता करने वाले महापौर / अध्यक्ष का।
नगर परिषद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः सभी प्रस्ताव बहुमत से पारित होते हैं, परंतु कभी-कभी मतों के बराबर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी, चाहे वह महापौर हों या अध्यक्ष, को एक 'निर्णायक मत' देने का विधिक अधिकार प्राप्त होता है। यह निर्णायक मत गतिरोध को समाप्त करने और प्रशासनिक कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अध्यक्ष का यह विशेष अधिकार संसदीय परंपराओं और स्थानीय निकाय नियमों के अनुरूप होता है।

96. (2) उसे सभी प्रस्तावों को निष्पादित करना चाहिए, भले ही वे नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हों।
नगर आयुक्त नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विधि के शासन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह निगम के सभी कार्यों और वित्तीय निधियों के सुरक्षित प्रबंधन की देखरेख करता है। आयुक्त बैठकों में भाग लेता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परिषद का कोई प्रस्ताव नगरपालिका अधिनियम

NODIA

या विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो आयुक्त उसे निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि निगम की प्रत्येक गतिविधि स्थापित कानूनों के दायरे में ही हो।

97. (2) झुग्गी बस्ती सुधार और उन्नयन
संविधान की बारहवीं अनुसूची उन 18 कार्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करना चाहिए। इनमें झुग्गी बस्तियों का सुधार, उनका भौतिक उन्नयन और वहां रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है। इसके अलावा, शहरी वानिकी और पर्यावरण संरक्षण भी उनके कार्यों का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों या अंतर-राज्यीय व्यापार जैसे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि नगरपालिकाओं का ध्यान स्थानीय नागरिक सुविधाओं और शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित रहता है।

98. (1) स्थानीय शिकायतों के निवारण में सुधार और बेहतर सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन।
बड़े शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियों की स्थापना का सबसे सकारात्मक प्रभाव स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता में वृद्धि है। इन समितियों के माध्यम से नागरिकों की दैनिक समस्याओं और शिकायतों का उनके घर के निकट ही त्वरित निवारण संभव हो पाता है। यह व्यवस्था वार्ड स्तर पर सूक्ष्म नियोजन को बढ़ावा देती है, जिससे संसाधनों का आवंटन वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हो सके। इससे न केवल नागरिक संतोष बढ़ता है, बल्कि यह बड़े शहरों के जटिल प्रबंधन को प्रभावी हिस्सों में बांटकर प्रशासन को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनाता है।

99. (3) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
जिला योजना समिति एक ऐसा मंच है जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जिले के विकास हेतु मिलकर कार्य करते हैं। इसकी संरचना में जिला प्रमुख, प्रमुख नगरपालिकाओं के महापौर या अध्यक्ष और जिला परिषद व नगरपालिकाओं से निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह निकाय पूरी तरह से स्थानीय नियोजन और समन्वय पर केंद्रित है। इसमें न्यायपालिका की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, अतः राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होते। इसका मूल स्वरुप विशुद्ध रुप से प्रशासनिक और विधायी परामर्शदाता का है।

100. (1) केवल कथन I
राजस्थान में शहरी प्रशासन के समक्ष कार्यों का अतिव्यापन एक प्रमुख चुनौती के रुप में विद्यमान है। नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण जैसे कई अर्ध-सरकारी निकाय निर्वाचित नगर निगमों के समानांतर कार्य करते हैं। यह स्थिति प्रायः शक्तियों के टकराव और उत्तरदायित्वों के दोहराव को जन्म देती है, जो निर्वाचित लोकतांत्रिक निकायों की स्वायत्तता को कमजोर करती है। इस प्रकार का संरचनात्मक अतिव्यापन न केवल संसाधनों के अपव्यय का कारण बनता है, बल्कि इससे नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन में भी भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्थानीय स्वशासन के प्रभाव में कमी आती है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

Visit :
www.pdf.tube

Download PDFs For :

- ✓ MPPSC Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS 30 Sample Papers for Tier-II
- ✓ DSSSB TGT Chapterwise Question Bank
- ✓ DSSSB Sample Papers
- ✓ Chapterwise Question Bank
- ✓ JEE NEET Foundation
- ✓ Primary Classes Worksheets
- ✓ Olympiad Guide
- ✓ Sample Papers
- ✓ Previous Year CBSE Papers
- ✓ Previous JEE, NEET and CUET Papers

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP ₹ 510.00

Downloaded from www.pdf.tube